खण्ड-521, अंक-04
गुरुवार, 04 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(दिनांक 23 फरवरी, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2023)

(खण्ड-521 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रश्नोत्तर	9-163
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	163
नियम-300 के अन्तर्गत मा0 सदस्यों की क्षेत्र विकास निधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	163-166
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	166-167
जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत एम0एम0यू0 बसहा तिराहा से उन्नाव-लालगंज स्टेट हाई-वे बिहार तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बारात घर एवं अन्त्येष्टि स्थल बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
जनपद-देवरिया के खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड कांधला के ग्राम डांगरौल में पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169-170
जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद-चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु नहर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170
जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में एथेनॉल इण्डस्ट्री की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	171
जनपद-प्रयागराज के तहसील सोरांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण/ कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171
जनपद-अयोध्या के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट में श्री भूपेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता गणित के चयन में बरती गयी अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	172

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कस्बा जलालाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172-173
जनपद-सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में ब्लाक सेमरियावां के अन्तर्गत शिव मंदिर से कोहरा बगिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	173
जनपद-अयोध्या के तहसील रुदौली के अन्तर्गत ग्राम फेल्संडा में अवैध रूप से संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	173-174
जनपद-प्रतापगढ़ के कतिपय जर्जर मार्गों के नवीनीकरण तथा चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	174
जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से मारूखपुर-नैढ़ी-नादी-रामपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174-175
जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर में साधू-सन्तों की सुविधा हेतु सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचन ...	175
जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगिला में नागे राजभर के खेत से सुबरन राजभर के आवास तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	175
जनपद-मुरादाबाद में मल्टी सेक्टोरियल योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन आदि निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
प्रदेश में सभी प्रकार की जन-उपयोगी सुविधाओं जैसे टैक्स एवं बिल को जमा करने के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत नगर पालिका में मास्टर प्लान लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176-177

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा हरौनी में जूनियर बेसिक विद्यालय को हाई स्कूल तक उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177
मा0 सदस्य को उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई ...	177-178
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	178-183
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	183-331
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव... (स्वीकृत)	331-332
याचिकाओं का उपस्थापन	332
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	332-333
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	333
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	334
डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	334-335
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	335
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित चार तथा जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	335-336
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	336-337
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	337
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	337

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अलीगढ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	337
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-चित्रकूट से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	338
श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	338-339
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	339
श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	339-340
श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	340
श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)	340-341
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शामली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	341
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद-हरदोई से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	341-342
श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	342-343
श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	343
श्री कैलाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद-चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	343
श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	343-344
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	344

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	344-345
श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	345
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	345-346
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-झांसी से तीन, जनपद-कन्नौज व आगरा से एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	346
श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	347
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	347
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	347-348
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	348
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	348-349
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	349
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	349-350
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	350
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शामली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी)	350-351
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी)	351-352
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महोबा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	352
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	352-353

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	353
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	353-354
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित दो तथा जनपद गोण्डा से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	354
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	354-355
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी)	355
श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अमरोहा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	355-356
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	356
श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (व्यपगत)	356-357
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)	357
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-चन्दौली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी)	357-358
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	358
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	358-359
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-श्रावस्ती से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	359
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	360
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	360-361

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	361
श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	362
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	362-363
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	363
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	363-364
श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	364
श्री वेद प्रकाश गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	365
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	365
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	365-366
डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)	366
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	366-367
श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	367
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	367-368
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	368
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	368-369

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री हिमांशु यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बदायूँ से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	369-370
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बहराइच से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	370
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)	370-371
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	371
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	371-372
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	372-373
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	373-375
नत्थियाँ	376-584

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2023

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-367

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
12. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
13. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
14. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
15. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
16. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
17. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
18. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
19. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
20. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
21. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
22. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
23. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
24. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
25. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
26. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
27. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
28. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
29. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
30. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
31. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
32. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
33. अरमान खान, श्री — लखनऊ
34. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
35. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
36. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
37. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
38. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
39. अशरफ अली खान, श्री — शामली
40. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
43. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर

44. आकाश सक्सैना (हनी), श्री रामपुर
45. आदित्यनाथ योगी, श्री गोरखपुर
46. आनन्द कुमार यादव, श्री बहराइच
47. आर0 के0 पटेल, डॉ0 जौनपुर
48. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
49. आशा मौर्य, श्रीमती सीतापुर
50. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री हरदोई
51. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री लखनऊ
52. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
53. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
56. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
57. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
58. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
59. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
60. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
61. ओमकुमार, श्री बिजनौर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
65. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
66. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
67. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
71. कैलाश, श्री चन्दौली
72. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
73. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
74. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
77. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
78. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
79. गुलाब देबी, श्रीमती सम्भल
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
83. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
84. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद

100. जी एस धर्मेश, डॉ0 आगरा
101. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
102. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
103. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
104. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
105. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
106. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
107. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
110. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
111. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
112. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
113. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
114. दुधराम, श्री बस्ती
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
118. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
122. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
124. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
125. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
126. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
131. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
132. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
133. नाहिद हसन, श्री शामली
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
136. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
137. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज, श्री जौनपुर
140. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
141. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
142. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
143. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
144. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
145. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
146. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
147. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
148. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
152. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
153. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
154. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
155. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
156. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा

157. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
158. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
159. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
160. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
161. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
162. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
163. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बाबूराम, श्री पीलीभीत
167. बाबूलाल, श्री आगरा
168. बावन सिंह, श्री गोण्डा
169. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
170. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
171. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
172. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
173. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
174. बेदी, श्री गाजीपुर
175. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
176. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
177. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
178. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
179. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
180. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
181. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
182. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
183. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
184. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
185. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
186. मनीष रावत, श्री सीतापुर
187. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
188. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
189. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
190. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
191. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
192. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
193. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
194. महबूब अली, श्री अमरोहा
195. महेन्द्र, श्री अमरोहा
196. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
197. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
198. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
199. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
200. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
201. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
202. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
203. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
204. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
205. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
206. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
207. मेघश्याम, श्री मथुरा
208. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
209. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
210. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
211. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
212. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
213. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
214. योगेश धामा, श्री बागपत
215. योगेश वर्मा, श्री खीरी

216. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
219. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
220. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
221. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
222. रमेश, श्री जौनपुर
223. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
224. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
225. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
226. रवि शर्मा, श्री झांसी
227. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
228. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
229. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
230. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
231. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
232. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
233. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
234. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
235. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
236. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
237. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
238. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
239. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
240. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
241. राजमणि, श्री प्रयागराज
242. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
243. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
244. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
245. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
246. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
247. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
248. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
249. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
250. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
251. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
252. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
253. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
254. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
255. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
256. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
257. रामकेश निषाद, श्री बांदा
258. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
259. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
260. रामदुलार, श्री सोनभद्र
261. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
262. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
263. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
264. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
265. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
266. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
267. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
268. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
269. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
270. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
271. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
272. लकी यादव, श्री जौनपुर
273. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा

274. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
275. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
276. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
277. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
278. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
279. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
280. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
281. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
282. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
283. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
284. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
285. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
286. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
287. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
288. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
289. विपुल दुबे, श्री भदोही
290. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
291. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
292. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
293. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
294. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
295. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
296. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
297. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
298. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
299. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
300. शशांक वर्मा, श्री खीरी
301. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
302. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
303. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
304. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
305. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
306. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
307. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
308. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
309. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
310. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
311. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
312. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
313. संग्राम सिंह, श्री बलिया
314. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
315. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
316. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
317. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
318. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
319. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
320. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
321. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
322. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
323. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
324. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
325. सभाकुंवर, श्री देवरिया
326. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
327. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
328. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
329. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
330. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
331. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
332. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
333. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी

334.	सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री	प्रयागराज	
335.	सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	
336.	सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	
337.	सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर	फर्रुखाबाद	
338.	सुनील पटेल, डॉ0	वाराणसी	
339.	सुभाष त्रिपाठी, श्री	बहराइच	
340.	सुरभी, डॉ0	फर्रुखाबाद	
341.	सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री	कुशीनगर	
342.	सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया	
343.	सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	
344.	सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	
345.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
346.	सुरेश राही, श्री	सीतापुर	
347.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	
348.	सुशांत सिंह, कुँवर	बिजनौर	
349.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	
350.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	
351.	सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर	
352.	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया	
353.	सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर	
354.	सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ	
355.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी	
356.	सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी	
357.	स्वामी ओउ्मवेश, श्री	बिजनौर	
358.	हंसु राम, श्री	बलिया	
359.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	
360.	हरिओम, श्री	कासगंज	
361.	हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर	
362.	हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं	
363.	हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़	
364.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज	
365.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज	
366.	हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं	
367.	हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़	

नोट :-मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर कश्यप), कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित

प्रदेश में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

****1-श्री जगदीश नारायण-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 अरुण कुमार)-

जी हाँ।

प्रदेश में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु वर्तमान में कार्य योजनाएं लागू हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना-

वायु प्रदूषण के दृष्टिगत प्रदेश के चिन्हित 17 नॉन-अटेन्मेन्ट नगरों यथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली में वायुगुणता में सुधार लाये जाने हेतु वर्तमान में कार्य योजना लागू है। कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 20 सम्बन्धित विभागों हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। कार्य योजना के क्रियान्वयन की त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित है।

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति।
- मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा।
- प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के 08 नगरों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ एवं शामली सहित अन्य 13 नगरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली हेतु ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू किया गया है। जिसका नियमित अनुश्रवण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु लागू कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रचालक पी0एम0 10 की मात्रा में वर्ष 2021-22 में (वर्ष 2019-20 के सापेक्ष) 04 से 49 प्रतिशत तक सुधार पाया गया है

2-जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना-

उ0प्र0 के अन्तर्गत 14 नदियों यथा यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई नदियों के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जलगुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें सरकार द्वारा क्रियान्वित की गयी हैं। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समितियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित रिवर रेजुवेनेशन कमेटी द्वारा किया जाता है।

प्रदेश की उक्त नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 100 बिन्दुओं पर जलगुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्ष 2022 में (वर्ष 2021 के सापेक्ष) प्रदेश के उक्त नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 100 बिन्दुओं पर किये गये जलगुणता अनुश्रवण के अन्तर्गत 43 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा (वार्षिक औसतमान) में 0.32 से 29.04 प्रतिशत तक तथा 56 बिन्दुओं पर टोटल कोलीफार्म की मात्रा (वार्षिक औसतमान) में 0.47 से 68.10 की कमी पायी गयी है जोकि जलगुणता में सुधार का द्योतक है।

3-ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण-

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। प्रदेश के 66 शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर के मापन का कार्य मासिक रूप से कराया जाता है। ध्वनि नियम-2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाउडस्पीकर तथा लोक-सम्बोधन प्रणाली के प्रयोग हेतु प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा लाउडस्पीकर या लोक-सम्बोधन प्रणाली आदि का प्रयोग बन्द परिसर के अतिरिक्त रात्रि में किया जाना अनुमन्य नहीं है। ध्वनि नियम-2000 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 25-01-2018 के द्वारा समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ध्वनि नियम-2000 में वर्णित जिला मजिस्ट्रेट दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है ? मान्यवर, बड़ा विस्तृत उत्तर आया है, लेकिन कार्य योजना क्या बनाई गई है, यह नहीं बताया गया है। उसके अनुश्रवण का तरीका बताया गया है और प्रदेश के कुछ जिले यथा-नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी आदि और कुछ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में बताया गया है। लेकिन कार्य योजना क्या बनी है, यह नहीं बताया गया है।

डॉ0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण के दृष्टिगत प्रदेश की जो चिन्हित 17 नॉन-अटेन्मेन्ट सिटीज हैं, उनके लिए कंटीन्यूअस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाये गये हैं, जिससे अगर एयर क्वालिटी में फर्क आता है तो तुरन्त पता लगता है और उसको रोकने के लिए तुरन्त एक्शन में आते हैं। एयर क्वॉलिटी के लिए जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है, मण्डल स्तर पर बनी हुई है। यह जो वायु प्रदूषण होता है, यह आमतौर से वाहनों से होता है, निर्माण कार्यों से जनित होता है, डीजल, जनरेटर से औद्योगिक प्रदूषण होता है, अवशेष को जलाये जाने से होता है, एग्रीकल्चरल यील्ड को जलाने से और रोड डस्ट से भी प्रदूषण होता है। इसको रोकने के लिए विभिन्न स्तर होते हैं। अगर हमारा एयर क्वालिटी इन्डेक्स 50 से 100 तक है तो वह नॉर्मल माना जाता है, 101 से 200 तक मध्यम माना जाता है, 201 से 300 तक खराब माना जाता है, 301 के ऊपर होता है तो वह बहुत खराब होता है और 401 से 500, गम्भीर होता है। अलग-अलग एयर क्वालिटी इन्डेक्स के हिसाब से अलग-अलग एक्शन्स लिए जाते हैं और ग्रैप कराते हैं। खासतौर से हमारा जो एन0सी0आर0 एरिया है, उसमें ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है और वहाँ प्रदूषण की स्थिति ज्यादा खराब होती है। किसी भी जगह पर जो स्थिति होती है, उसके हिसाब से कार्यवाही की जाती है, उसकी पूरी सूची मैं आपके पास भेज दूँगा।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब बताया है। लेकिन मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितनी एस0टी0पी0 कार्य कर रही हैं, कितनी बन्द हैं और कितनी लगाये जाने की योजना है, यह पहला प्रश्न है। दूसरा, प्रश्न है कि जो आपने चिन्हित जिले बताये हैं, उनके अलावा प्रदेश के क्या और जिले उसमें शामिल हैं ?

डॉ0 अरुण कुमार-

मान्यवर, प्रदेश में जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, हमारी 14 नदियाँ हैं, उनसे जितनी भी जगहों पर हमारे शहर मिलते हैं, वहाँ एस0टी0पी0 बनाये जा रहे हैं। अभी हर जिले में एस0टी0पी0 नहीं बन पाये हैं, कुछ जगहों पर बन गये हैं और कुछ जगहों पर बन रहे हैं। नालों के लिए भी बायोरिमिडियेशन किया जा रहा है और प्रयास है कि नालों का पहले ट्रीटमेंट हो और उसके बाद उसमें जायें। एस0टी0पी0 सब जगहों पर अभी नहीं बन पाये हैं, वह हर शहर में कई-कई जगहों पर बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ग) अतुल प्रधान जी प्रश्न कर लें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैंने जैविक खेती के ऊपर क्वेश्चन किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो इस समय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है उससे तमाम बीमारियाँ हो रही हैं। जैसे लीवर से सम्बन्धित बीमारी, काला पीलिया, चर्म रोग, लीवर का कैंसर है और जो उर्वरकों का इस्तेमाल है जिसमें डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 और भी किसानों की जैविक खाद पदार्थ हैं उसमें मिलावट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जहाँ पर यह बिक्री के लिए हैं वहाँ पर इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें व परेशानियाँ वहाँ के लोगों को सीधा डायरेक्ट हो रही हैं। दूसरे नम्बर पर जो क्वेश्चन किया है वह यह है कि इससे जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वह खत्म हो जाती है और जैविक खेती के लिए आपने उत्तर में कहा है कि हम लोग क्लस्टर बना कर गंगा के किनारे पर हजार हे0 से कुछ ज्यादा में उस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर जैविक खेती को आप जिस तरीके से क्लस्टर बना कर बढ़ा रहे हैं। अगर इसको और ज्यादा बढ़ायेंगे तो उत्पादन पर जो फर्क पड़ेगा, उस उत्पादन के कम पड़ने पर, कम होने पर आज क्या ऐसी कोई योजना है सरकार की कि आने वाले समय पर उसकी भरपाई की जा सके और किस तरीके से माननीय मंत्री जी उसकी भरपाई की जा सकती है।

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, नत्थी (ख) का तो यह पहला क्वेश्चन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले इसका उत्तर दे दीजिये। फिर बाद में नत्थी (ख) ले लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नत्थी (ख) का पहला प्रश्न दूसरा है।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (ख) का पहला प्रश्न डॉ0 आर0 के0 वर्मा का था। मेरे डिवाइस के ऊपर नत्थी (ख) की जगह नत्थी (ग) आ गया, तो मैंने उसे ले लिया। अगर आप नत्थी (ग) का उत्तर दे सकते हैं, तो दे दीजिये नहीं, तो मैं नत्थी (ख) ले ले रहा हूँ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, पहले नत्थी (ख) से लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। नत्थी (ख) का डॉ0 आर0 के0 वर्मा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमवाली, 1958 के नियम-38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 20 जुलाई, 2022 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्बद्ध किये गये किसानों की संख्या, बीमा कम्पनियों को प्राप्त धनराशि एवं फसल क्षतिपूर्ति के रूप में लाभान्वित किसानों के विवरण के सम्बन्ध में

***1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 20 जुलाई, 2022 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितनी संख्या में किसान सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त वित्तीय वर्षों में फसल बीमा योजना को संचालित करने वाली बीमा कम्पनियों को किसानों, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त योजना से फसल क्षतिपूर्ति के रूप में लाभान्वित किसानों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 एवं 2022-23 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित कृषकों की संख्या निम्नवत् है :-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	बीमित कृषकों की संख्या (लाख में)
1	2018-19	61.35
2	2019-20	47.21
3	2020-21	41.91
4	2021-22	41.47
5	2022-23*	40.87
	योग :	**232.81**

*अद्यतन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त वित्तीय वर्षों में बीमा कम्पनियों को किसानों, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली प्रीमियम की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	प्रीमियम (करोड़ रु0 में)			
		कृषक प्रीमियम	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल प्रीमियम
1	2018-19	409.77	546.08	546.08	1501.93
2	2019-20	321.25	494.21	494.21	1309.67
3	2020-21	329.46	641.79	640.77	1612.02
4	2021-22	297.46	619.48	618.17	1535.11
5	2022-23*	279.82	609.16	607.65	1496.63
योग :		**1637.76**	**2910.72**	**2906.88**	**7455.36**

*अद्यतन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक क्षतिपूर्ति से लाभन्वित किसानों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित कृषकों की संख्या (लाख में)	क्षतिपूर्ति के रूप में वितरित की गयी धनराशि (करोड़ रु0 में)
1	2018-19	6.06	452.66
2	2019-20	9.69	1093.47
3	2020-21	6.38	501.00
4	2021-22	10.12	938.59
5	2022-23	2.18#	134.25#
योग :		**34.43**	**3119.97**

वर्ष 2018-19 से 2021-22 में खरीफ व रबी दोनों मौसम सम्मिलित हैं। वर्ष 2022-23 में मात्र खरीफ-2022 के ही आंकड़े हैं।

#खरीफ-2022 मौसम में असफल बुवाई/मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वितरित की गयी है। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन/वितरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 20 जुलाई, 2022 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितनी संख्या में किसान सम्बद्ध किये गये हैं और क्या सरकार बताएगी कि उक्त वित्तीय वर्ष में फसल बीमा योजना को संचालित करने वाली बीमा कम्पनियों को किसानों, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई है और कम्पनियों के द्वारा किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई है मान्यवर, उसका उत्तर है कि किसानों के द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष 2018 से लेकर के वर्ष 2022 तक 1637.76 करोड़ रु0 किसानों को प्रीमियम के द्वारा कम्पनी को दिया गया है वहीं पर राज्य सरकार ने 2910.72 करोड़ रु0 कम्पनियों को दिया। केन्द्र सरकार ने 2906.8 करोड़ रु0 बीमा कम्पनियों को प्रीमियम के रूप में दिया। कुल मिला करके बीमा कम्पनियों को 7455.7 करोड़ रु0 प्रीमियम के रूप में प्राप्त होता है। जब हम देखते हैं कि किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में जो पैसा मिला है वह 3119.97 करोड़ रु0 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ है मान्यवर, इसका जो आँकड़ा हमें बताता है कि लगभग 4335 करोड़ रु0 जो जनता की कमाई का पैसा था, किसानों का पैसा था, इस देश के आम नागरिकों का पैसा था, वह कम्पनियों के खाते में सीधे चला गया है।

मान्यवर, इस योजना में बहुत सारी विसंगतियां हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में कोई फसल 20 हे0 से कम है, तो वह फसल बीमा योजना के कवर में अधिसूचित नहीं होती है। इस तरीके से नकदी फसल तैयार करने वाले किसान इस बीमा से वंचित रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न पर आइए ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, बिना सन्दर्भ के प्रश्न कैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आपका सन्दर्भ तो पूरा आ गया, भाषण नहीं होगा।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, एक दूसरे प्रश्न का सन्दर्भ आ जाए, तब मैं मा0 मंत्री जी से प्रश्न करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सन्दर्भ शार्ट करिए, प्रश्न लम्बा करिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, खरीफ की फसल में सबसे प्रमुख धान की फसल होती है। धान की फसल में बहुतायत देखा गया है कि भारी वर्षा हो जाती है या ड्रेनेज के अभाव में जल निकासी नहीं हो पाती है, तो फसल डूब जाती है। किन परिस्थितियों में धान की फसल के किसान को बीमा कवर नहीं मिलता है। किसानों को क्षति पूर्ति नहीं मिलती है। तो मेरा मा0 मंत्री जी/सरकार से यह आग्रह है कि जो ग्राम पंचायत में 20 हे0 की सीमा निर्धारित की गयी है कि 20 हे0 से कम फसल लगेगी, तो वह फसल बीमा कवर में अधिसूचित नहीं होगी, अगर इस सीमा को हटा देंगे, तो सब्जी, टमाटर, बैगन की खेती करने वाले किसान, जो नगद फसल तैयार करते हैं, वो किसान इस बीमा कवर में आ जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जायेगी और उनको समुचित रूप से इस बीमा का लाभ मिल सकेगा। पहला प्रश्न मा0 मंत्री जी से मेरा यही है कि क्या वह 20 हे0 की सीमा को खत्म करने पर विचार करेंगे।

दूसरा, खरीफ की प्रमुख फसल धान है। हम लोग हर वर्ष देखते हैं कि गंगा की तराई में जब बाढ़ आती है। प्रयागराज में बाढ़ आयी और वहाँ पर सैकड़ों हे0 धान की फसल किसानों की बर्बाद हो जाती है। लगभग हर वर्ष यही होता है, लेकिन कभी किसान को बीमा का एक पैसा नहीं मिलता है, उनको फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। हमारी विधान सभा क्षेत्र के पूर्वी और पश्चिमी, दक्षिणी इलाके में भी यही स्थिति है। हमारे यहाँ दो ड्रेन हैं। एक उमरन ड्रेन है और एक कमासिन ड्रेन है, जिससे जल भराव होता है, जल की निकासी नहीं हो पाती। जिसके कारण धान की फसल खराब हो जाती है, लेकिन उन किसानों को फसल का बीमा नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न मा0 मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि खरीफ की फसल धान है, अगर वह स्थानीय स्तर, व्यक्तिगत स्तर या प्राकृतिक आपदा से, या बिजली के तार के स्पार्किंग से लगने वाली आग से अगर धान की फसल खराब होती है, तो क्या सरकार उसको भी इस बीमा योजना के कवर में ला करके फसल क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी। मान्यवर, एक अन्तिम प्रश्न, यह हमारा बोनस है, कल हमने प्रश्न किया था यह सभी मा0 सदस्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपकी कृपा चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आपके तीनों प्रश्न आ गए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, अभी दो ही प्रश्न हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक में दो प्रश्न पूछने की ही अनुमति है। तीसरा, बोनस में ही जा रहा है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, अगर मेरा प्रश्न अनुचित होगा, तो आप अग्राह्य कर दीजिएगा। आपकी कृपा चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

पूछिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है इस गरिमा के खिलाफ जो कार्य हो रहा है, वह ठीक नहीं है। अगर विभाग से अधिकारियों के द्वारा गलत जवाब दे करके सदन को गुमराह किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 वर्मा, आप वरिष्ठ सदस्य हो। आपके पास उसके लिए एक प्रक्रिया है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, बहुत लम्बी प्रक्रिया हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा की एक प्रक्रिया है। लम्बी और छोटी जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना है। गलत उत्तर है कि नहीं, ये मा0 मंत्री जी अभी तत्काल में नहीं बता पाएंगे। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत वह सम्भव नहीं है

मा0 सदस्य वर्मा जी के दो प्रश्न हैं। मा0 मंत्री जी उसका उत्तर दे दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के अधिनियम द्वारा संचालित है और उसकी शर्तें भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गयी हैं। राज्य सरकार अपने राज्य के भीतर आने वाली फसलों का, जिसको वह उपयुक्त समझती है, उनको उस बीमा के भीतर अधिसूचित करके बीमा की प्रक्रिया चलती है और यह तीन कन्डीशन में प्रधानमंत्री फसलीय बीमा योजना के अन्तर्गत उनको क्षतिपूर्ति अदा की जाती है और सूखा, बाढ़ एवं जलभराव की वजह से यदि उस ग्राम की इकाई के भीतर जो कि पहले यह तहसील स्तर की इकाई थी जिसको मा0 मोदी जी की सरकार आने के बाद तथा उत्तर प्रदेश में मा0 योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको ग्राम स्तर की इकाई माना है। अगर 75 प्रतिशत असफल बुवाई हो गयी है, तो उसका सर्वे करा कर जो उसका गारण्टीड मनी इन्श्योर वैल्यू है 25 प्रतिशत, उसका तत्काल भुगतान किया जाता है और वह प्राइमरी सर्वे के आधार पर किया जाता है। इसमें दूसरी कन्डीशन है, जो कि मा0 सदस्य ने कहा कि धान जलभराव में कवर नहीं है, वह इसलिए कवर नहीं है कि क्योंकि 1 किलो धान को पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी की

आवश्यकता होती है और इस नाते उसका इसमें कवरेज नहीं है। धान के ऊपर जलभराव का असर बहुत कम पड़ता है इस नाते उसको कवरेज के अन्दर नहीं रखा गया है। धान के अलावा और जो 9 फसलें है, वह कवरेज के भीतर हैं तीसरा अगर फसल की कटाई हो गयी है और वह 14 दिन तक खेत में पड़ी हुयी है तब उन 14 दिनों के भीतर अगर पानी गिर गया, फसल आंधी में उड़ गयी, तब किसान अगर 72 घण्टे के अंदर उसकी सूचना देता है तो उस आधार पर बीमा का देय होता है जैसे अगर हम दुर्घटना बीमा कराते हैं और दुर्घटना नहीं हुयी तब हम वह बीमा की राशि कहां से देंगे। अगर हमारे किसान भाई बीमा कराते हैं और अगर क्षति होती है तो उसका आंकलन करके उसके बीमे का भुगतान होता है। जो कन्डीशन हमारे मोटर व्हीकल में होती है वैसी ही कन्डीशन इसमें भी है क्षति होगी तो उसका भुगतान किया जाएगा, क्षति नहीं होगी तो भुगतान नहीं किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के द्वारा जो प्रीमियम दिया गया था। वह रु0 1637 करोड़ का था। मा0 योगी जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों के प्रयासों से वह बढ़कर के रु0 3119 करोड़ किसान भाइयों को भुगतान हुआ है, जब कि वर्ष 2016-17 में भुगतान की स्थिति बहुत ही खराब थी। मा0 योगी जी की सरकार बनने के बाद हम लोग मार्च के महीने में आये थे और हमने मई महीने में बीमा कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करके किसानों को भुगतान करवाया। यह बदलाव और परिर्वतन हम लोगों ने किया है। पहले भुगतान की जो व्यवस्था थी वह 48 घंटे के भीतर सूचना आने पर थी, उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर इसे भारत सरकार ने बढ़ाकर 72 घण्टे किया और जो पहले भुगतान 50 प्रतिशत असफल बुवाई पर था उसको हमने बढ़वाकर 75 प्रतिशत करवाया है। 7 साल के औसत को निकालकर बीमा की क्षतिपूर्ति होती थी उसमें हम लोगों ने सुझाव दिये और वह स्वीकार किया गया कि जो 7 साल के भीतर 5 बेहतर साल हैं उनका जो उत्पादन होगा उसके औसत से अगर कोई क्षति होती है तब उसकी भरपाई की जाएगी। यह भी मा0 योगी जी के द्वारा किसानों के हित में सम्भव हो सका है, इस प्रकार से जो मा0 सदस्य ने कहा वह तथ्य से परे है

फसलों में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक रसायनों का उत्पादन, बिक्री और प्रयोग प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसलों में प्रतिवर्ष नए रोगों, फफूंदियों, कीटों और खरपतवारों के पैदा होने पर कोई शोध सरकार कराती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि में प्रयुक्त रसायनों के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत हानिकारक रसायनों का उत्पादन, बिक्री और प्रयोग प्रतिबन्धित कर इसे दण्डात्मक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

कृषि में प्रयुक्त हानिकारक रसायनों का उत्पादन, बिक्री और प्रयोग प्रतिबन्धित कर इसे दण्डात्मक बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है भारत सरकार द्वारा अब तक 46 हानिकारक रसायनों को प्रतिबन्धित किया गया है, जिसमें विगत 05 वर्षों की अवधि में वर्ष 2018 में एलाक्योर, बनोमाइल, कार्बरिल, डायाजिनान, डायक्लोरोवास, फेनारिमोल, फेनथिओन, लिनुरान, मिथाइल इथाइल मरकरी क्लोराइड, मिथाइल पैराथियान, फोरेट, फोस्फामिडान, सोडियम साईनाइड, थियोमेटान, ट्राईजोफॉस, ट्राईडेमार्फ एवं ट्राइक्लोरफान को प्रतिबन्धित किया गया है।

कृषि विभाग द्वारा जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देने हेतु ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0 कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से अपना सवाल रखता हूँ कि फसलों में लगने वाले प्रति वर्ष नए रोग, खरपतवार, कीटों की इस गम्भीर समस्या के बारे में जिसका इलाज किया जाना प्रदेश के ही नहीं राष्ट्र हित में भी बहुत जरूरी है। इसी में मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रश्नगत मामलों में सरकार ने जो शोध कराने बताए हैं, क्या बीते 5 वर्षों में कराये गये शोधों के आधार पर सरकार द्वारा उठाये गये 5 कदम मा0 मंत्री जी इस समय या बाद में उपलब्ध करायेंगे और मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी राज्य सरकार की ओर से इस बारे में दण्डात्मक प्रावधान कराने की अनुमति केन्द्र सरकार से माँगने का कोई प्रस्ताव भेजने का आश्वासन देंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और आई0सी0आर0 के उत्तर प्रदेश में चलने वाले संस्थान हैं, यह समय-समय पर इन रोगों और खरपतवारों से होने वाले नुकसान पर शोध करके उनके लिए दवाइयाँ प्रेस्क्राइब किया करते हैं। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए यह कहना कि स्पेसिफिक 05 का क्या हुआ ? जिस तरीके की बीमारी आती है, उसी प्रकार का इलाज करने का उपाय किया जाता है जैसे टिड्डियों का बहुत सालों बाद हमला हुआ तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किये और वह समाप्त किया गया। राज्य के भीतर टिड्डी का प्रभाव न्यूनतम् रखा गया है तो यह प्रयास लगातार शोध और इन्टेलीजेंस के माध्यम से कलेक्ट करके यह कोशिश की जाती है कि उसका हम उपाय करें। जहाँ तक आपने कहा है कि 46 दवाइयाँ ऐसी है जिन्हें हानिकारक रसायनों की वजह से प्रतिबंधित किया गया है। आप चाहेंगे तो उसकी सूची हम आपको भेज देंगे। समय-समय पर जैसी बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता है हमारे विशेषज्ञ व वैज्ञानिक जाते हैं और उसके रोकथाम का उपाय करते है और सुझाव देते हैं, तद्नुसार सरकार उस पर कार्यवाही करती है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे टिड्डियों का या जो भी 5 या 7 परेशानियाँ आयी हैं और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूची भिजवा देंगे तो उसे भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी भिजवा देंगे।

प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्रों के क्रय पर छूट देने की प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु, सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्रों के क्रय पर छूट नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के कृषकों को कृषि यंत्रों पर छूट देने की कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं यथा-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मेनेजमेंट ऑफ क्राप रेजिड्यू योजना, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना, एन0एफ0एस0एम0, सी0डी0पी0एन0, एम0ई0ओ0 (ओ0एस0 एवं टी0बी0ओ0) एवं कृषि कीट/रोग नियंत्रण योजनाओं के माध्यम से कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।

लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु अधिकतम अनुदान प्रति लाभार्थी प्रति यंत्र 50 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल बुन्देलखण्ड नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों की समस्या है कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती थी। जो जवाब आया है वैसे तो यह सरकार हिन्दी को बहुत महत्व देती है, लेकिन इसके जितने प्रोग्राम हैं वो सारे अंग्रेजी में हैं। लघु एवं सीमान्त किसान गरीब है, उसको यह पता ही नहीं है कि कितनी योजनायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो इसीलिए चुना है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, हम तो बतायेंगे, लेकिन हमको भी बहुत सी योजनाओं की जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब ऑनलाइन व्यवस्था है किसानों को देने के लिए। लघु एवं सीमान्त किसान बगैर पढ़ा-लिखा है, खास करके बुन्देलखण्ड में जो पढ़े-लिखे नहीं है, वो ही किसानी कर रहे हैं, बुन्देलखण्ड में यह हालत है कि कल 24 तारीख को बताया गया है कि 12 बजे के बाद ऑनलाइन बुकिंग होगी। यह बुकिंग किसान जान ही नहीं पायेंगे। पूरा एक माफिया गैंग है जो सारे यंत्रों की बुकिंग कर लेगा। आप इसकी जाँच कराइये। ऐसे ही बुलन्दशहर में हुआ है, मा0 मंत्री जी जाँच करा रहे हैं। उसमें दो-तीन अधिकारी सस्पेंड किये गये हैं। ये कृषि यंत्र किसी किसान को नहीं मिलते। यह सारा का सारा काम ऑन-लाइन माफिया लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, कौन लघु एवं सीमान्त किसान ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जो पहले व्यवस्था थी, पहले 05 लोगों की जिले में एक कमेटी थी, उसमें डी0एम0, डी0डी0ओ0 एग्रीकल्चर, सी0डी0ओ0 तथा मत्स्य एवं उद्यान विभाग के अधिकारी उसमें थे। पाँच लोगों की कमेटी थी वह संस्तुति करती थी। हम लोग भी कमेटी से निवेदन करते थे कि यह गरीब है, लघु व सीमान्त किसान है, इसको कृषि यंत्र दे दिया जाये, इसको जरूरत है लेकिन अब ऑनलाइन में किससे सिफारिश करेंगे और कृषि यंत्र मिलना नहीं है। सारे के सारे माफिया उसको पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद पैसा ले करके जिसको चाहेंगे उसको दे देंगे। एक तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें संशोधन किया जाये ताकि गरीबों का भला हो।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक निवेदन है हालाँकि इस प्रश्न में यह नहीं है आप यह कह देंगे कि आपने प्रश्न नहीं लगाया। चूँकि प्रश्न लगाने के बाद एक घटना मेरे जिले में हुई। भूमि संरक्षण की तीन इकाई हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न लगाने के बाद भी बहुत सारे नियम हैं जिसके अन्तर्गत आप उसको ला सकते हैं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश हो तो बोल दें, आप रोक देंगे तो हम बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न से सन्दर्भित नहीं है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी के पास नहीं होगा।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, हम उनसे जवाब नहीं चाहते, हम केवल यह आश्वासन चाहते हैं कमेटी गठित है, जाँच हो रही है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड में भूमि संरक्षण में हर

सरकार ने काफी धनराशि दी है। अभी हमारे क्षेत्र में 440 तालाब खुदने थे, लेकिन 40 भी नहीं खुदे, 440 का पैसा निकल गया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि कम से कम मा0 मंत्री जी उसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय चतुर्वेदी जी, आप बोलिए अब प्रश्न यह है कि.....

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो जनहित की बात है।

श्री अध्यक्ष-

मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रश्न करिये। मैं आपको मना थोड़े ही कर रहा हूँ।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न नहीं लगाया लेकिन कम से कम कोई हटकर बात हो। यह जनहित का मामला है, कम से कम मा0 मंत्री जी इस पर कुछ तो कहेंगे कि जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, उन्हे दण्डित करेंगे, इस आश्वासन पर ही हम मान जायेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मैं उस बात का जवाब दे दूं, जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मा0 चतुर्वेदी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, यदि किसी के खिलाफ वहाँ पर उनको कोई गड़बड़ियां नजर आती हैं, वह लिखकर देंगे तो मैं जरूर उसकी जांच कराऊंगा और जो दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हमारी सरकार संकोच नहीं करेगी। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ। विगत 5 वर्षों में हम लोगों ने किसान भाइयों को 1 लाख 68 हजार 133 कृषि यंत्र दिये हैं। इतने बड़े पैमाने पर यह कृषि यंत्र पहुंचे हैं, वह ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ही सम्भव हो सका है और जो आप कह रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए जो किसान भाई ऑनलाइन नहीं करना जानते हैं बड़े अखबार जैसे दैनिक जागरण और अमर उजाला ऐसे सारे अखबारों के भीतर हमारा विज्ञापन छपा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है, जिसके परिवार में स्मार्ट फोन नहीं है। वह अपने फोन से उनको ऑनलाइन कर सकता है। इतने बड़े प्रदेश के भीतर पिछले 5 साल में हम लोगों ने 1289 करोड़ रुपये के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया है। यह आपकी सरकार में सम्भव नहीं था। आप ही की सरकार में माफिया इसको कैप्चर कर लिया करते थे। ऑनलाइन सिस्टम के बाद ही यह आम किसानों तक पहुंचना शुरू हुआ है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की देन है उसी ऑनलाइन सिस्टम से राज्य के भीतर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को पी0एम0 किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। उन सबको अब आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है

कि यदि आप अपने परिवार के मोबाइल से नहीं डालेंगे तो किसी अन्य के मोबाइल से नहीं डाला जा सकेगा। या तो आप कॉमन सर्विस सेन्टर से डाल सकेंगे या तो आप अपने परिवार के मोबाइल से डालेंगे, इसका वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको कृषि यंत्र मिल सकेगा इसलिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को बताइये कि आज विज्ञापन निकला हुआ है और इसमें 12:00 बजे का समय भी दिया हुआ है कि 12:00 बजे से पोर्टल शुरू होगा। जब शुरू होगा तो वह उसमें अप्लाई करें।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, जांच डी0एम0 करा रहे हैं हमारा कहने का आशय यह है कि संज्ञान में रहे उस जांच में लीपापोती न हो।

श्री अध्यक्ष-

लीपापोती नहीं होगी।

प्रदेश में जातिवार जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में

*** 4-डॉ0 संग्राम यादव**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जातिवार जनगणना कब कराई गयी थी? क्या सरकार लोक सभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में जातिवार जनगणना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना की विषयवस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के क्रमांक 69 पर अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है

डॉ संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने का अवसर दिया है। आज देश और प्रदेश जातिवार जनगणना को लेकर आन्दोलित है। बहुत दिन हो गये, एक ऑक्सफेम की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के एक फीसदी लोगों के पास 40.5 फीसदी संसाधन हैं और तकरीबन 50 फीसदी आबादी 3 फीसदी संसाधनों से गुजारा कर रही है। इतनी असमानता की खाई पैदा हो रही है

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न है या भाषण है।

डॉ संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, देश की एक बहुसंख्यक आबादी जो पिछड़े वर्ग से है और खासकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े वर्ग की हितैषी होने का दावा करती है आपने तो चौराहे-चौराहे पर पोस्टर लगा दिये कि केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल में इतने ओबीसी वर्ग के लोग मंत्री हैं, इतने प्रदेश में मंत्री हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप जातिवार जनगणना कराने पर विचार कर रहे हैं ? जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक वह जो खाई है, वह पटने वाली नहीं है, क्योंकि बजट बनाते वक्त इस बात का पूरी तौर पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक मद में हमें इतना बजट देना है। जब आपके पास पिछड़े वर्ग का कोई डाटा ही नहीं है तो आप उन्हें आगे बढ़ा पाने के लिए कौन सी योजना बना पायेंगे ?

मान्यवर, मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार अपने संसाधनों पर जातिवाद जनगणना कराने का काम कर रहा है। तो जो लगातार खुद प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में कहते है कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैंने आदिवासी देश का राष्ट्रपति बना दिया, तो हाई कोर्ट में हमारी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, केन्द्रीय सचिवालय, आपके सचिवालय में क्या स्थिति है, या जो प्रमुख सचिव या और पद हैं वहाँ पर हमारी क्या स्थिति है, हमारी रिक्तियों में आउटसोर्सिंग ला करके आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को तबाह कर दिया। दलित को तबाह कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप प्रश्न पर आइए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या लोक सभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, केन्द्र सरकार यहाँ पर नहीं है।

डॉ संग्राम यादव-

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना करा करके क्या पिछड़े और दलित आदिवासी वर्ग के लोगों को न्याय देने का काम करेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जनगणना का काम भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के अनुसार यह भारत सरकार का है और संघ सूची के क्रमांक-69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना

भारत सरकार कराएगी। भारत सरकार ने जनगणना का एक अधिनियम भी बना करके रखा है और उसकी नियमावली भी बना करके रखी है। तद्नुसार यह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है। हम उत्तर प्रदेश को रिवर्स बिहार की तरफ नही पहुंचाना चाहते हैं। वहाँ पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, नौकरियों के भीतर परिवारवाद है और यहाँ तक कि चारा खाने का काम जहाँ पर होता रहा है उस तरफ उत्तर प्रदेश अब नहीं जाना चाहता है। उत्तर प्रदेश अपने तरीके से, अपने राज्य को उत्तम प्रदेश बनाना चाहता है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर उत्तर प्रदेश को हम देश का सर्वोत्तम राज्य बनाना चाहते हैं और इसलिए जो राज्य पिछड़ेपन के शिकार हैं, जो संकीर्णता के शिकार हैं, उस तरफ हम उत्तर प्रदेश को नही ले जाना चाहते हैं।

***5-श्री लालजी वर्मा-**

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत अपात्र पाये गये किसानों की संख्या एवं शेष भुगतान निधि की वसूली तथा मध्यम वर्ग के किसानों से वसूली माफ किये जाने विषयक

***6-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत कुल कितने किसान परिवारों की जांच में कितने किसान अपात्र पाये गये हैं तथा उनमें से कितनों से भुगतान निधि की वसूली की गयी है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार मध्यम वर्ग के किसानों से उक्त की वसूली माफ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषकों के भू-लेख एवं पात्रता के सत्यापन की एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार स्तर पर अपात्र किसानों की पहचान हेतु अभियान चलाया जाता है प्रदेश में 2,83,283 किसान आयकर दाता होने के कारण तथा 79072 किसान अन्य कारणों से अपात्र चिन्हित किये गये हैं, जिनमें 32,834 अपात्र पाये गये किसानों से रु0 28.65 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

जी नहीं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। अत : यह केन्द्र सरकार का नीतिगत विषय है

(विपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको मालूम है कि मैं अब अनुमति नही दूंगा। आप अपना प्रश्न लगा दें वह बात अलग है उसके ऊपर प्रश्न आ गया उसका उत्तर आ गया है आप उत्तर से सन्तुष्ट हैं कि नही

हैं यह बात अलग है। अब अनुमति नहीं है। तारांकित प्रश्न संख्या-6, श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी का है मनोज कुमार पाण्डेय जी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते है नही तो मैं आगे चलूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अगर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका उत्तर आ गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया है। जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया है।

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा वेल में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे निवेदन है कि अब आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं जो कृषि विभाग से सम्बन्धित है। श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने किसान की जो सम्मान निधि है, जो सब किसानों को मिल रही है उसमें अपात्रता के बारे में पूछा है, श्री महबूब अली जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा है, श्री अतुल प्रधान ने कृषि के बारे में पूछा है यह सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोग समझते हो कि आगे वाले प्रश्न महत्वपूर्ण नही हैं तो आप यह जो कर रहे हो आपको नहीं करना चाहिए। आगे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर जाइए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राजनीतिक एजेंडा यहां पर नहीं चलेगा, विधान सभा से सम्बन्धित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको मिलेगा, आप उससे सन्तुष्ट हैं या नहीं हैं यह आपका विषय है। मा0 मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह पूरी तरह से उपयुक्त है, उसमें कुछ शेष आना बाकी नहीं है मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले जायें।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में लगातार नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी बात आपको कहनी है, आप अपनी सीट से कहें। अगर आप अपनी सीट पर नहीं जायेंगे, मेरा निवेदन सुन लीजिए फिर आपको कहने का

अवसर नहीं मिलेगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आगे से सारे प्रश्न ले लूँगा, प्रश्न पूरे हो जाने के बाद में अगली मद ले लूँगा और अगली मद लेने के बाद में सीरियल से सारी की सारी विधान सभा की कार्यवाही ले लूँगा। अगर आप लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि मा0 श्री अखिलेश यादव जी आज यहाँ पर बोलें तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले जायें, नहीं तो मैं पूरी सूची ले लूँगा और जिन सदस्यों को आज बोलने का अवसर मिला है आप उन सदस्यों के अधिकारों के ऊपर भी अतिक्रमण कर रहे हैं, आपको इस बात की इजाजत नहीं है। मैं इस बात की इजाजत आपको नहीं देता हूँ। आपको विधान सभा के सारे सदस्यों के ऊपर कब्जा करने का अधिकार नहीं है मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले जायें। मेरा विनम्र निवेदन है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सीट पर चले जायें।

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा वेल में लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

प्रश्न संख्या-6 श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी आप कुछ पूछना चाहेंगे ? मनोज पाण्डेय जी उत्तर से सन्तुष्ट हैं वह कुछ नहीं पूछना चाहते हैं।

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2021 तक बीमा कम्पनियों द्वारा वसूले गये प्रीमियम एवं किसानों को भुगतान की गई धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में

***7-श्री महबूब अली-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद से 2021 तक बीमा कम्पनियों ने किसानों से वर्षवार कितना प्रीमियम वसूला तथा उसके सापेक्ष किसानों को कितना भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016-17 के खरीफ मौसम से लागू है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक बीमा कम्पनियों को किसानों से प्राप्त प्रीमियम एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कृषक प्रीमियम (करोड़ में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ में)
2016-17	528.01	11.81	569.03
2017-18	382.36	5.89	373.98
2018-19	409.77	6.06	452.66
2019-20	321.25	9.69	1093.47

2020-21	329.46	6.38	501.00
2021-22	297.46	10.12	938.59
योग	**2268.31**	**49.95**	**3928.73**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-7 श्री महबूब अली जी अगर आप अपनी सीट पर जाकर अनुपूरक करना चाहते हैं तो करें नहीं तो मैं मानूँगा कि सरकार से जो उत्तर आया है वह उससे सन्तुष्ट हैं। श्री महबूत अली जी सन्तुष्ट हैं, उनका प्रश्न उत्तरित मान लिया जाय।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के किसानों को जैविक खाद के प्रयोग करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री अतुल प्रधान**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति (ह्यूमस) पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के किसानों को जैविक खाद के प्रयोग करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के 70 जनपदों में 5234 क्लस्टर (104680 हे0 क्षेत्र) में वित्तीय वर्ष 2022-23 में परम्परागत कृषि विकास योजना, नमामि गंगे एवं जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की योजना क्रियान्वित है, जिसमें गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के 27 जनपदों में 3309 क्लस्टर (66180 हे0 क्षेत्र) सम्मिलित है। इस योजना अन्तर्गत 62 प्रतिशत धनराशि (रु0 31000.00 प्रति हेक्टेयर तीन वर्षों में) कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में देय है। उक्त धनराशि को कृषकों द्वारा बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टीसाइड, ढैंचा/हरी खाद इत्यादि पर व्यय किया जाता है।

इसी प्रकार प्राकृतिक खेती योजना अन्तर्गत प्रदेश के 56 जनपदों में 109210 हे0 क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 से नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग एवं बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी के दोनों किनारों से 05 किलोमीटर की सीमा तक 62200 हे0 क्षेत्र भी सम्मिलित है इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि रु0 15000.00 प्रति हे0 चार वर्षों में देय है जो कि हरी खाद प्रबन्धन , ऑन फार्म इनपुट प्रबन्धन आदि पर व्यय किया जाता है।

वर्ष 2022 (दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक) में ढैंचा बीज के वितरण हेतु कुल (सामान्य वितरण+प्रदर्शन) लक्ष्य 19808.00 कुन्तल के सापेक्ष 19379.00 कुन्तल का वितरण हुआ। सामान्य वितरण के अन्तर्गत ढैंचा मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान तथा प्रदर्शन के अन्तर्गत ढैंचा मूल्य का 90 प्रतिशत अधिकतम अनुदान अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री अतुल प्रधान जी अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था अगर वह अपने प्रश्न का उत्तर मा0 मंत्री जी से चाहते हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि सीट पर चले जायें। मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ। मैं आगे एजेंडे पर जाऊँगा पीछे एक मिनट भी नहीं जाऊँगा। मेंने आपसे विनम्रता पूर्वक कई बार निवेदन किया है अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, पूरा प्रदेश आपको टी0वी0 के माध्यम से यू-ट्यूब के माध्यम से देख रहा है कि आप विधान सभा में बात नहीं करना चाहते हैं, केवल हंगामा करना चाहते हैं। इसकी इजाजत में आपको नहीं दूँगा।

श्री अतुल प्रधान जी अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं।

प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाये जाने हेतु घरेलू कृषि से व्यावसायिक कृषि बनाये जाने एवं विगत 05 वर्षों में कृषि दर की बढ़ोत्तरी के विवरण के सम्बन्ध में

***2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा श्री पंकज कुमार मलिक**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाये जाने हेतु घरेलू कृषि से व्यावसायिक कृषि बनाने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि विगत 05 वर्षों में प्रदेश में कृषि दर की बढ़ोत्तरी का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषकों की आय बढ़ाये जाने हेतु घरेलू कृषि से व्यावसायिक कृषि बनाने हेतु सरकार द्वारा पूर्व से ही अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

अर्थ एवं संख्या विभाग, उ0प्र0 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के वर्तमान मूल्य पर कृषि विकास दर (प्रतिशत में) निम्नवत् हैः-

वर्ष	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	कृषि क्षेत्र
2017-18	10.1	7.5
2018-19	7.9	8.3
2019-20	8.3	9.7
2020-21	6.5	10.1
2021-22	7.9	7.7

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय एवं श्री पंकज मलिक जी अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। ठीक है, उनका उत्तर मान लिया जाए कि वह सन्तुष्ट हैं।

(घोर व्यवधान)

प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 22-12-2022 तक 100 करोड़ रु0 से अधिक धनराशि के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित उद्योगों के कार्य, उत्पादन एवं न लगाये गये उद्योगों के विवरण के सम्बन्ध में

***3-श्री अभय सिंह तथा श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 से दिनांक 22-12-2022 तक 100 करोड़ रु0 से अधिक धनराशि के उद्योगों के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कितने उद्योगों पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और कितने उद्योगों से उत्पादन शुरु हो गया है एवं कितने उद्योग प्रक्रियाधीन हैं ? क्या सरकार एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने के बाद उद्योगपतियों द्वारा उद्योग न लगाने के कारणों की निवारण नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')

रु0 100 करोड़ से अधिक धनराशि के उद्योगों की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत 141 उद्योग क्रियाशील हो गये हैं अर्थात् उनमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। 159 उद्योग स्थापित होने से सम्बन्धित परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो जाने के उपरान्त उद्यमियों/निवेशकों/विकासकर्ताओं को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना लागू

की गई है और इसके अन्तर्गत प्रदेश में 105 उद्यमी मित्रों के चयन की कार्यवाही प्रचलित है। उद्यमी मित्रों के मुख्य कार्य एवं दायित्व उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण करना है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री अभय सिंह तथा श्री विनोद चतुर्वेदी इनका प्रश्न औद्योगिक विकास से सम्बन्धित है। अगर यह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरा पुनः उनसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाकर पूछ सकते है। ठीक है, श्री अभय सिंह तथा श्री विनोद चतुर्वेदी जी अपने उत्तर से सन्तुष्ट हैं, औद्योगिक विकास का प्रश्न संख्या-3 उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खेल स्टेडियम बनाये जाने की योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

***4-श्री अखिलेश तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युवा बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु प्रत्येक जनपद में खेल स्टेडियम बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है तथा जनपदों में खेल स्टेडियमों की स्थापना कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

जी हां।

खेल विभाग द्वारा भूमि एवं बजटीय व्यवस्था के दृष्टिगत प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का सृजन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के 70 जनपदों में कुल 82 स्टेडियम निर्मित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश तथा डा0 संग्राम यादव इनका प्रश्न खेल विभाग से सम्बन्धित है मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं, वह उत्तर नहीं लेना चाहते हैं यह भी उत्तरित मान लिया गया।

प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र को तहसीलदार द्वारा निरस्त करने के अधिकार का शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

***5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण-पत्र का आवेदन उसके पिता, दादा एवं परदादा का जाति प्रमाण-पत्र होते हुए भी तहसीलदार को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

क्या सरकार उक्त अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण-पत्र आवेदन हेतु उसके पिता, दादा एवं परदादा को निर्गत जाति प्रमाण-पत्र में से कोई एक आधार हो सकता है किन्तु शासनादेश संख्या-685/26/3/2011, दिनांक 28-02-2011 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु गठित जनपद स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा किसी व्यक्ति की जांचोपरान्त प्राप्त जांच आख्या के प्रतिकूल होने पर जनपद स्तरीय सत्यापन समिति के निर्णयोपरान्त तहसीलदार या प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

(प्रति संलग्न)[†]

उपरोक्तानुसार।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी, अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चले जायें, नहीं जायेंगे तो उत्तरित मान लिया जायेगा। मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मा0 मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं। श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी उत्तर से सन्तुष्ट हैं यह भी उत्तरित मान लिया गया। मैं मान रहा हूँ कि आज जितने भी उत्तर सरकार के द्वारा आए हैं सारे मा0 सदस्य उनसे सन्तुष्ट हैं इससे बढ़िया उत्तर और कोई नहीं हो सकता है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन राशि को बढ़ाकर दोगुना करने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में

***6-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत वृद्धावस्था पेंशन राशि को बढ़ाकर दोगुना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

शासनादेश सं0-2011/26-02-2021-100(1)/2017, दिनांक 16-12-2021 के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रदान की जा रही

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-376-385 पर।

पेंशन राशि रु0 500/-प्रति माह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर जनवरी, 2022 से रु0 1000/-प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री अजय कुमार, अगर आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मा0 मंत्री श्री असीम अरुण जी खड़े हैं। अपनी सीट पर जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप भी सन्तुष्ट हैं।

प्रदेश में मझवार जाति तथा उनकी उपजातियों को प्रमाण-पत्र दिये जाने विषयक

***7-श्री पीयूष रंजन निषाद तथा डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मझवार जाति तथा उनकी उपजातियों को परिभाषित करके सरकार प्रमाण-पत्र देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

भारत सरकार के राजपत्र में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) ऐक्ट 1976 में उ0प्र0 की अनुसूची के क्रमांक-53 पर मझवार जाति अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है, किन्तु उसकी उपजाति सूचीबद्ध नहीं है मझवार जाति के साथ उसकी उपजातियों को परिभाषित करने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि 'किसी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु अनुच्छेद-341(1) तथा 342(1) की संवैधानिक व्यवस्थानुसार/विधिक/प्रशासनिक प्रक्रियानुसार भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है'।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

श्री पीयूष रंजन निषाद तथा डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा अगर आप लोग मा0 समाज कल्याण मंत्री जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी सन्तुष्ट है।

प्रदेश में बेटियों के विवाह हेतु दिये जाने वाले अनुदान का विवरण एवं अनुदान की धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***8-श्री जियाऊर्रहमान**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेटियों के विवाह हेतु कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त अनुदान को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश की बेटियों के विवाह हेतु धनराशि रु0 51000/-का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत प्रदेश की बेटियों के विवाह हेतु दी जाने वाली धनराशि रु0 51000 में से रु0 35000/-की धनराशि कन्या के बैंक खाते में अन्तरित की जाती है, रु0 10000 की वैवाहिक सामग्री कन्या को दी जाती है तथा रु0 6000/-की धनराशि विवाह समारोह के आयोजन हेतु व्यय की जाती है।

नीति विषयक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

जियाउर्रहमान जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, यह भी सन्तुष्ट हैं।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में दिव्यांग बच्चों हेतु शिक्षण संस्थान बनवाये जाने के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 रागिनी-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की संख्या (जनसंख्या) के अनुपात में दिव्यांग शिक्षण संस्थानों की संख्या में कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक जनपद में दिव्यांग बच्चों हेतु शिक्षण संस्थान बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

जी नहीं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा हेतु डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अतिरिक्त बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में भी दिव्यांग छात्र/छात्राओं के शिक्षण की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

दिव्यांग बच्चों की संख्या के अनुपात में प्रदेश में पर्याप्त शिक्षण संस्थान हैं।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी, अगर आप अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं तो सीट पर जाकर अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। अगर आप भी कुछ नहीं पूछना चाहती हैं तो मैं मानूँगा कि वह उत्तर से सन्तुष्ट हैं।

(व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में वर्ष 2021 तथा 2022-23 में दिनांक 31-07-2022 तक नकली एवं अवैध शराब पकड़े जाने के प्रकरणों की संख्या में की गई कार्रवाई की जानकारी एवं उन पर प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री तुफानी सरोज**

क्या आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2021 तथा 2022-23 में दिनांक 31-07-2022 तक नकली एवं अवैध शराब पकड़े जाने के कुल कितने प्रकरण हैं, तथा उक्त में कितने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार देशी शराब के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

प्रदेश में वर्ष 2021 तथा 2022-23 में दिनांक 31-07-2022 तक नकली एवं अवैध शराब के 1,06,869 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिसमें 41,23,810 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी एवं 35,668 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

जी हाँ।

अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोक-थाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के अपराध निरोधक क्षेत्रों में तैनात आबकारी स्टाफ द्वारा निरन्तर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभार स्तर पर कार्यरत आबकारी की प्रवर्तन ईकाइयों द्वारा उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के निर्देश पर पृथक-पृथक तथा जनपदों के सहयोगार्थ अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के उन्मूलन के लिये कार्य किया जाता है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है। प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2022-23 में अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अब तक छः विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये।

प्रथम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-04-2022 से 05-05-2022 तक चलाया गया, जिसमें 4,319 अभियोग पंजीकृत कर 1,25,608 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

द्वितीय विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-06-2022 से 05-07-2022 तक चलाया गया,जिसमें 4,278 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,17,771 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

तृतीय विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 16-08-2022 से 30-08-2022 तक चलाया गया,जिसमें 4,627 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,26,233 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

चतुर्थ विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 01-10-2022 से 10-10-2022 तक चलाया गया,जिसमें 2,481 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 62,601 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

पंचम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-10-2022 से 30-10-2022 तक चलाया गया,जिसमें 2,506 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 62,084 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी तथा

षष्ठम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-12-2022 से 05-01-2023 तक चलाया गया, जिसमें 4,173 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,05,628 ली0 कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

उक्त के अतिरिक्त आम जनमानस को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जनपदों में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पैम्फ्लेट वितरित कर तथा विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है। जनसामान्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल-फ्री नम्बर-14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर-9454466019, 24x7 क्रियाशील है उक्त टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त टोल-फ्री नम्बर को मदिरा की दुकानों पर अंकित/चस्पा कराया गया है। इन पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जाती है अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित, 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुये जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा-60 (क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु की घटनाओं में पाये गये दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड तक का प्राविधान किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शराब की बोतलों आदि पर बार कोड/क्यू0 आर0 कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिए आसान कर दिया गया है, जिससे कि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न हो सके।

इसी क्रम में मिथाइल अल्कोहल के उपभोग से होने वाली दुःखद घटनाओं की रोकथाम के लिए प्वायजन्स ऐक्ट, 1991 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 यथा संशोधित 2014 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री तुफानी सरोज, अगर आप भी नहीं सुनना चाहते हैं तो उनका भी प्रश्न उत्तरित मान लिया जायेगा। ठीक है, आप भी सन्तुष्ट हैं।

प्रदेश में अनु0 जाति/जनजाति के लोगों के शिक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने की योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

***11-श्री पंकज पटेल तथा डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे अनु0 जाति/जनजाति के लोगों के शिक्षण, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र मे पिछड़ेपन को दूर करने की सरकार में कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

क्र0-सं0	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण	जनजाति विकास द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण
1	आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	पूर्वदशम अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना
2	आई0टी0आई0/पालीटेक्निक	दशमोत्तर अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
3	पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन
4	दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना	संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन
5	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित कार्यक्रम
6	अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन	आर्थिक विकास कार्यक्रम
7	अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना	अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना
8	मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना	बुक बैंक योजना

क्र0-सं0	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण	जनजाति विकास द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण
9	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाईसिकिल योजना
10	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास
11	मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना	लघु वन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 पल्लवी पटेल, यह भी प्रश्न नहीं करना चाहती हैं।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में जीरो फीस पर प्रवेश प्रक्रिया को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में

***12-श्री बेचई सरोज तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में बी0एड0, बी0टी0सी0 व अन्य कोर्सों में जीरो फीस पर प्रवेश प्रक्रिया बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में जीरो फीस पर प्रवेश प्रक्रिया बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य नहीं है, किन्तु सभी पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, दिनांक 21-09-2022 में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र एवं सही डाटा वाले समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 से बैंक खातों के सत्यापनोपरान्त आधार बेस्ड भुगतान प्रक्रिया के तहत छात्रों को प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

श्री बेचई सरोज तथा श्री उमाशंकर जी। उनका प्रश्न उत्तरित मान लिया गया।

श्रीमती मोना जी, आप पूछिये। मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण में नहीं करने दूंगा। मेरा निवेदन है कि मुझे इंगित करना पड़ेगा। आप लोगों को बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे। मैं उस प्रकार से विधान सभा नहीं चलाऊँगा जैसा आप चाहते हैं विधान सभा नियम के हिसाब से चलेगी, परम्पराओं के हिसाब से चलेगी। उमाशंकर जी आप प्रश्न पूछें, आपका उत्तर आयेगा। सिर्फ उमाशंकर जी का माइक चालू होगा, बाकी सारे माइक बन्द होंगे। सारे सिर्फ सुन सकेंगे। आप पूछिये।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न कि क्या अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में बी0एड0/बी0टी0सी0 व अन्य कोर्सों में जीरो फीस पर प्रवेश की प्रक्रिया बन्द कर दी गयी है, पर कहा है कि जी नहीं।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को सुव्यवस्थित करायें। यह ठीक नहीं है। कुछ खास लोगों की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के जनहित के मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं। यह आपका अधिकार क्षेत्र है कि सदन को सुव्यवस्थित करायें।

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन है कि मैं किसी भी प्रकार से सदन को स्थगित नहीं करुंगा। मैं पूरा एजेण्डा टेकअप करुँगा। देखिये विधान सभा के सत्र को चलाने की मेरी मंशा थी। जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग था, उससे मुझे लग रहा था कि सरकार के जो विषय हैं विपक्ष उन पर सुझाव दे सकता है, आलोचना कर सकता है और सन्तुष्ट नहीं है तो उस पर प्रश्न कर सकता है। यह विपक्ष का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष अपने उन अधिकारों से भाग रहा है और सरकार के उत्तर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेंने यह निर्णय किया था कि किसी भी प्रकार से सदन को स्थगित नहीं करुँगा। आप इस प्रकार का आचरण करेंगे। एक तरफ आप चाहते हैं कि विधान सभा ज्यादा दिन चले। अगर इस तरह से ज्यादा दिन विधान सभा चलाना चाहते हैं तो इस तरह से विधान सभा ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि आप नहीं चाहते हैं। सरकार चाहती है कि हर विषय का पूरा उत्तर आये। आपकी हर बात का जवाब

देने के लिए सरकार तैयार है। आप अपनी बातों पर सरकार से उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई विषय नहीं बचा है जिसके कारण आप यह सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई विषय नहीं बचा है तो यह अनुचित है। मैं बहुत भारी मन से यह निर्णय ले रहा हूं। चूँकि यह मेरे स्वभाव के विपरीत है और मेरी मंशा के भी विपरीत है। प्रदेश के जन कल्याण के विषयों से भी विपरीत है। प्रदेश की जनता चाहती है कि उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि अपनी बात उठायें। आप अपनी बात नहीं उठाना चाहते हैं। जिस बात को उठाने का अवसर आपको बाहर मिलता है। आप उसे विधान सभा में भी करना चाहते हैं। विधान सभा आपको इस बात की इजाजत नहीं देती। मेरा आपसे अन्तिम बार निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जायें अपनी बात कहें। आपकी बात सरकार सुनेगी और जवाब भी देगी। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सीट पर जायें। मेरे लिए बहुत कठिन समय है, यह बात में नहीं कहना चाह रहा हूँ लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने मुझे मजबूर किया है, यह बात कहने के लिए। जो परम्परा विधान सभा के सत्रों के अन्तर्गत चली कि विधान सभा एक मिनट भी स्थगित नहीं हुई। मैं चाहता था कि मैं पूरा एजेण्डा टेकअप कर लूँ। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पूरा एजेण्डा आना चाहिए, फिर हम एक अवसर देंगे आपको अपनी बात रखने का।

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 44 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी)

(11 बजकर 59 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।)

***13-प्रश्न हटाया गया।**

***14-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

(03 मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-2022 तक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या एवं उपलब्ध कराये गये ऋण के विवरण के सम्बन्ध में

***15-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा

नोट :-स्थगन के कारण आज की कार्य-सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उपरान्त समस्त प्रश्न उत्तरित माने गये।

कितने लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय तथा लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षणोपरान्त ऋण उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण ऋण योजना अन्तर्गत कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से आसान ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण वितरित किया जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2012-13 से ऋण देना बन्द कर दिया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में निगम द्वारा पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को कृषि पारम्परिक व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण ऋण योजना अन्तर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने हेतु प्राप्त/स्वीकृत हुए प्रस्तावों की संख्या एवं लोगों को प्रदान किये गये रोजगार के सम्बन्ध में

***16-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में निवेश हेतु कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उक्त में से कितने स्वीकृत हुए तथा उक्त में से कितने लोगों को प्रक्षिणोपरान्त रोजगार प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राकेश सचान)-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन कार्यदायी संस्थाओं जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा निम्न

विवरण के अनुसार प्रगति प्राप्त की गयी है :-

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	वितरण की संख्या	रोजगार सृजन
2020-21	74829	12331	9954	101780
2021-22	42997	13125	12581	122483
2022-23 (दिनांक 09 फरवरी, 2023 तक)	46610	17488	8457	67656
कुल योग	**164436**	**42944**	**30992**	**291819**

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

***17-श्रीमती पूजा पाल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने कुष्ठ रोगी वर्तमान में रोजगार हेतु पंजीकृत हैं ? क्या सरकार ने कुष्ठ रोगियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई नवीन योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

वर्तमान में प्रदेश के कुष्ठ रोगियों को रोजगार हेतु पंजीकृत करने की कोई योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी आय गरीबी की रेखा की सीमा के अन्दर हो तथा शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन लाभ प्राप्त न कर रहा हो और उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत चाहे कुछ भी हो, उन्हें रु0 3000/-प्रति माह प्रति लाभार्थियों की दर से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कुष्ठावस्था पेंशन अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु आबकारी क्षेत्र में नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

***18-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को रोजगार हेतु आबकारी क्षेत्र की कोई नई नीति सरकार बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं।

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पेय मदिरा के उत्पादन, वितरण व व्यापार पर एकान्तिक विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार इस अधिकार को जन-सामान्य को हस्तान्तरित करती है और इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपभोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आबकारी नीति जारी करती है और इसी जारी आबकारी नीति के तहत् प्रदेश की आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाता है।

आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में गहनता से विचार करने के पश्चात् आबकारी विभाग की दुकानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति अथवा अन्य किसी जाति को आरक्षण दिया जाना व्यवहारिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टि से तथा प्रदेश के व्यापक राजस्व हित में औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रदेश में वर्तमान सत्र में धान खरीद के समर्थन मूल्य में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

***19-श्री राजपाल सिंह बालियान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान सत्र में धान खरीद के सर्मथन मूल्य में वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रमुख फसलों के 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की घोषणा भारत सरकार द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' की संस्तुति के आधार पर की जाती है।

फसल धान (सामान्य) खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 2021-22 के लिए रु0 1940.00 प्रति कुन्तल तथा विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रु0 2040.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। इस प्रकार गत विपणन वर्ष के सापेक्ष विपणन वर्ष 2022-23 में धान (सामान्य) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रु0 100.00 प्रति कुन्तल की वृद्धि हुई है

उपर्युक्तानुसार।

***20-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-**

[03-बुधवार के तारांकित प्र0 सं0-01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में प्लानिंग अनुभाग में पत्रावलियों के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

1-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार) पत्र प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पत्रावली निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्लानिंग अनुभाग में वर्तमान में कितनी पत्रावलियाँ कितने समय से लम्बित हैं ? क्या सरकार प्लानिंग अनुभाग में पत्रावलियों के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सिटीजन चार्टर लागू है, जिसके अन्तर्गत 140 सेवाएं निवेश मित्र पोर्टल से लिंक हैं, जिनका समयान्तर्गत निस्तारण किया जाता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण रूप से लागू कर दी गयी है। वर्तमान में नियोजन विभाग में सभी डाक व पत्रावलियां ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, जिसमें मानचित्र स्वीकृति हेतु 30 दिन एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र हेतु 60 दिन का समय निर्धारित है। स्वीकृति हेतु 24 पत्रावलियां एवं कार्यपूर्ति हेतु 07 पत्रावलियां निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् निस्तारण हेतु शेष हैं।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित किसानों की संख्या एवं किये गये भुगतान का विवरण

2-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल सहित प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों का बीमा किया गया है तथा कितने किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में विकास खण्ड बघरा, चरथावल, पुरकाजी एवं शाहपुर सम्मिलित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम-सं0	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड का नाम	बीमित किसानों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (रु0 में)
1	2019-20	बघरा	52	0	0.00
2		चरथावल	480	1	2704.00
3		पुरकाजी	562	237	2368524.00
4		शाहपुर	240	10	52267.00
योग			**1334**	**248**	**2423495.00**
1	2020-21	बघरा	20	0	0.00
2		चरथावल	38	1	263.20
3		पुरकाजी	387	40	49212.51
4		शाहपुर	94	2	1192.72
योग			**539**	**43**	**50668.43**
1	2021-22	बघरा	43	0	0.00
2		चरथावल	63	1	6837.23
3		पुरकाजी	597	15	102582.30
4		शाहपुर	22	11	155489.60
योग			**725**	**27**	**264909.13**

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में फसल बीमा योजना का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम-सं0	वित्तीय वर्ष	बीमित किसानों की संख्या (लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
1	2019-20	47.21	9.69	1093.47
2	2020-21	41.91	6.38	501.00
3	2021-22	41.47	10.12	938.59

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को फसलों के देशी बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

3-श्री विनोद सरोज-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को गेहूं, धान, सरसों, अरहर आदि के देशी बीज तथा अन्य खाद्य अनाजों के देशी बीज उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? क्या सरकार प्रतापगढ़ में व्यापक अभियान चलाकर किसानों को उक्त के देशी बीज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को गेहूं, धान, सरसों, अरहर आदि के उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना का संचालन किया जा रहा है।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में किसानों को उन्नत किस्म के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं एवं अनुदान की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है।

प्रदेश में विभिन्न फसलों के बीजों पर केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक कृषकों को अनुमन्य किया गया है।

केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीज वितरण पर अथवा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित बीज पर भी राज्य सरकार से बीज मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है।

प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश किये जाने के सम्बन्ध में

4-डॉ0 अजय कुमार-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेती और किसान की बदहाली को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष से अलग से कृषि बजट पेश किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि अनुदान मांगें प्रादेशिक आय-व्ययक में सम्मिलित हैं। अतः अलग से कृषि बजट पेश किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में खेती और किसान की बदहाली जैसी कोई स्थिति नहीं है, राज्य का बजट किसानोन्मुखी रहता है एवं प्रदेश में कृषि सेक्टर तथा किसान कल्याण की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो मुख्य बजट का अंश रहता है। अतः पृथक से कृषि बजट की आवश्यकता नहीं है।

जनपद अमरोहा एवं मुरादाबाद में सरकारी शराब के ठेकों पर प्रिंट रेट से अधिक दर पर विक्रय की जा रही शराब की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री समरपाल सिंह-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा एवं मुरादाबाद में आबकारी द्वारा दिये गए सभी सरकारी ठेकों पर प्रिंट रेट से 5 और 10 रुपये ज्यादा लेकर शराब के क्रेताओं को शराब दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं।

जनपद अमरोहा में मदिरा के निर्धारित मूल्य पर शराब बेची जा रही है। जनपद में ओवर रेटिंग की रोकथाम हेतु दुकानों पर विभागीय अधिकारियों से गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराया जाता है। समय-समय पर प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर उनके द्वारा भी गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराया जाता है, इसी प्रकार संयुक्त एवं उप आबकारी आयुक्त तथा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर टीमें भेजकर जनपद की दुकानों की गोपनीय रूप से चेकिंग करायी जाती है। दुकानों पर विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नम्बर व टोल फ्री नम्बर अंकित कराये गये हैं। यदि कहीं पर ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका संज्ञान लेते हुए टेस्ट परचेज किया जाता है और यदि उसकी पुष्टि होती है, तो सम्बन्धित अनुज्ञापी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जनपद मुरादाबाद में संचालित आबकारी दुकानों पर मदिरा के निर्धारित अंकित मूल्य पर ही शराब की बिक्री की जा रही है। जनपद में निर्धारित अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक/गोपनीय टेस्ट परचेज करायी जाती है, इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रशासन, पुलिस विभाग व आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर उनके द्वारा गोपनीय टेस्ट परचेज करायी जाती है। इसी प्रकार संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ एवं उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार, मुरादाबाद तथा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर टीमें भेजकर जनपद की आबकारी

दुकानों पर गोपनीय खरीददारी करायी जाती है। दुकानों पर विभागीय अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एवं टोल फ्री नम्बर अंकित कराये गये हैं। आकस्मिक गोपनीय टेस्ट परचेज में अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय होने की पुष्टि होने पर सम्बन्धित अनुज्ञापी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न में मिलने वाली धनराशि से वंचित पात्र पीड़ितों को योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न में मिलने वाली धनराशि के सापेक्ष दिनांक 22-12-2022 तक कितने पात्र पीड़ितों के प्रत्यावेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने पीड़ित उक्त में राहत पाने से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित पात्र पीड़ितों को उक्त योजना का लाभ दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद-फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 22-12-2022 तक कुल 153 पीड़ितों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 153 को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत भुगतान हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाये जाने एवं जनपद बिजनौर के नगीना, एवं किरतपुर में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में

7-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने तथा स्टेडियम और सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने की योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना एवं किरतपुर में स्टेडियम बनवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा खेल विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनायें-

(1) प्रशिक्षण,

(2) आवासीय क्रीड़ा छात्रावास,

(3) प्रतियोगिता,

(4) विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था,

(5) लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार,

(6) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार,

(7) प्रदेश के भूतपूर्व खिलाड़ियों को पहलवानों को वित्तीय सहायता,

(8) स्पोर्ट्स कालेजेज,

(9) प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों एवं समितियों को अनुदान।

गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ को खेलो इण्डिया स्टेट सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स के रूप में विकसित किये जाने हेतु आगणन भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 78 स्टेडियम निर्मित हैं तथा खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में 16 खेलों में 18 जनपदों में कुल 890 (670 बालक एवं 220 बालिका) खिलाड़ियों हेतु 44 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत रहने वाले खिलाड़ियों को रु0 375/-प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, आवासीय सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त 03 स्पोर्ट्स कॉलेज क्रमशः गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा) की स्थापना की गई है। इन कालोजों में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीय संस्था में एक स्थान पर की जाती है।

जी हाँ। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कदाचित कार्यवाही की जा रही है

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के कस्बा किरतपुर में मुस्लिम इण्टर कालेज किरतपुर की भूमि पर स्टेडियम बनवाने हेतु प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अन्तर्गत मा0 प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय गठित कमेटी की जिला स्तरीय समिति द्वारा जिलाधिकारी, बिजनौर की अध्यक्षता एवं मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र नगीना (श्री मनोज कुमार पारस) की उपस्थिति में दिनांक 25-01-2023 को आहूत बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है, निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जनपद बिजनौर में खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है जिसके अन्तर्गत मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, बास्केटबाल कोर्ट सीमेंटेड, शूटिंग रेंज एवं तरणताल का निर्माण कराया जा चुका है

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपद, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

8-डॉ0 रागिनी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा उक्त स्तर के खिलाड़ियों के लिए पिछले पांच साल (वर्ष 2017 से सितम्बर, 2022) तक उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-प्रशिक्षण शिविर,

2-विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताएं,

3-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि,

4-प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार,

5-भूतपूर्व प्रसिद्ध पहलवानों/महानुभाव खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता,

6-एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली-2021 के अन्तर्गत प्रदेश के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/फैलोशिप प्रदान करना,

7-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों/समितियों को अनुदान,

8-सामान्य खिलाड़ियों की भाँति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को सुविधायें,

9-आवासीय क्रीड़ा छात्रावास।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव में वर्ष 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक जहरीली शराब से हुई मौतों के विवरण के सम्बन्ध में

9-श्री पंकज पटेल-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद लखनऊ/बाराबंकी/उन्नाव में अवैध शराब/जहरीली शराब से वर्ष 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक हुई मौतों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हाँ।

जनपद लखनऊ में अवैध शराब/जहरीली शराब से वर्ष 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक हुई मौतों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 13-11-2020 को ग्राम-रसूलपुर एवं लतीफनगर में कथित अपमिश्रित अवैध मदिरा के सेवन से संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की कुल संख्या 03 है।

जनपद बाराबंकी में वर्ष 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक तथाकथित नकली शराब के सेवन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 10-01-2018 तथा दिनांक 27/28-05-2019 को घटित नकली शराब के 02 प्रकरणों में कुल 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

दिनांक 29-05-2019 के बाद जनपद बाराबंकी में नकली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

जनपद उन्नाव में वर्ष 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक अवैध शराब/जहरीली शराब से किसी भी व्यक्ति की मौत/मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 2018 से दिनांक 03-11-22 तक अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के विवरण के सम्बन्ध में

10-श्री पंकज पटेल-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक अवैध शराब के कितने कारोबारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन-कौन सी

कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त कार्यवाही में कितने लोग वांछित थे व वांछित लोगों में कितनों की गिरफ्तारी की गयी तथा कितनों को गिरफ्तार किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रदेश में माह मार्च, 2018 से दिनांक 03-11-2022 तक आबकारी विभाग द्वारा अन्तर्विभागीय सहयोग के साथ अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध 2,81,259 अभियोग आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये हैं।

अवैध शराब के 1183 कारोबारियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी, 1135 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी एवं 18 व्यक्तियों के विरुद्ध रा0सु0का0 लगाया गया। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 241 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी। अवैध शराब के कारोबार से अर्जित रु0 25,82,50,817/-की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14 (1) के अन्तर्गत जब्त की गयी। आलोच्य अवधि में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 2,81,271 लोग वांछित थे, जिसमें 34 लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये नवयुवकों के सम्बन्ध में

11-श्री बेचई सरोज-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 मे कितने नवयुवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षित नवयुवकों में से कितनों को कितनी-कितनी धनराशि देकर कौन-कौन से रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अनुबन्धित प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में कुल 431 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है। उक्त अवधि में सेवायोजित युवाओं का विवरण संलग्नक-1[†] में उल्लिखित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-386 पर।

जनपद कुशीनगर में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित किये जाने की योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

12-श्री मोहन वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित/विकसित करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

वर्तमान में जनपद-कुशीनगर में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कोई नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में निवेश लाने हेतु विदेश यात्रा पर गए प्रतिनिधि मण्डलों के विवरण के सम्बन्ध में

13-श्री महबूब अली-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवेश लाने हेतु कितने प्रतिनिधि मण्डल किनके नेतृत्व में किस-किस देश में भ्रमण हेतु विदेश यात्रा पर गए हैं तथा उक्त यात्रा पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई एवं उनके द्वारा कितनी धनराशि का निवेश के सहमति-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह सैनी)-

प्रदेश में निवेश लाने हेतु 08 प्रतिनिधि मण्डल श्री ब्रजेश पाठक एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य, मा0 उप मुख्य मंत्रीगण, श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', मा0 मंत्री औद्योगिक विकास, श्री राकेश सचान, मा0 मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन, श्री स्वतंत्र देव सिंह, मा0 मंत्री जल शक्ति, श्री सतीश महाना, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, श्री सुरेश खन्ना, मा0 मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य, श्री जयवीर सिंह, मा0 मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति के नेतृत्व में मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, यू0 ए0 ई0, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यू0 के0, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान में भ्रमण हेतु विदेश यात्रा पर गये थे तथा उक्त यात्रा पर अब तक कुल रु0 19,50,38,650.12 (रु0 उन्नीस करोड़ पचास लाख अड़तीस हजार छः सौ पचास एवं बारह पैसे मात्र) धनराशि खर्च हुई है एवं उनके द्वारा लगभग रु. 7.12 लाख करोड़ (रु0 सात लाख बारह हजार करोड़) की धनराशि का निवेश के 149 सहमति पत्र प्राप्त हुए हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन की समयबद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18152220208562, दिनांक 20-10-2022 व आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18150220229886, दिनांक 25-11-2022 जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर के नव निर्माण भवन की गुणवत्तापूर्ण न होने की शिकायत के विरुद्ध जाँच विषयक है ? यदि हाँ, तो इसकी जाँच में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत सरकार समयबद्ध जांच कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ।

प्राप्त आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों के क्रम में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 द्वारा जाँच हेतु जिलाधिकारी शाहजहाँपुर से अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने दिनांक 12-10-2022 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तिलहर, शाहजहाँपुर के भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिला स्तरीय कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट अतिशीघ्र प्राप्त की जा रही है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम खण्डसार में फर्जी प्रशिक्षण केन्द्र की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में मात्र एक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम-खण्डसार, वि0ख0 तिलहर में स्थापित है ? यदि हां, तो क्या सरकार युवाओं के लाभ हेतु अन्य और प्रशिक्षण केन्द्र खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार को जानकारी है कि खण्डसार में फर्जी तरीके से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी प्रशिक्षण केन्द्र की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम खण्डसार, विकास खण्ड तिलहर में वर्तमान में कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास

मिशन द्वारा कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया जाता है, अपितु प्रशिक्षण प्रदाताओं को जनपदवार युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा स्वयं सम्भाव्यताओं (फिजिविलिटी) तथा व्यावहार्यता (वॉयविलिटी) के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु स्थान का चयन किया जाता है।

मिशन द्वारा मात्र उन्हें मानकों के अनुरूप स्थापना तथा गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाता है।

ग्राम खण्डसार में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ अनुबन्धित किसी भी प्रशिक्षण प्रदाता का कोई केन्द्र वर्तमान में संचालित न होने के कारण जांच किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि कार्यों हेतु खेतों तक ट्रैक्टर-ट्राली से मजदूरों को उनके गांव से खेतों तक लाने-ले जाने विषयक

16-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 सं0-100064 जो कि प्रदेश में किसानों को अपने कृषि कार्यों हेतु खेतों तक ट्रैक्टर-ट्राली से मजदूरों को उनके गांव से खेतों तक लाने-ले जाने विषयक था, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

पत्र संख्या-क-7 सं0-100064, दिनांक 10-10-2022 में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र संख्या-क-7 सं0-118780, दिनांक 11-10-2022 एवं पत्र संख्या क-7 सं0-089135, दिनांक 18-10-2022 मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्रों को अग्रेतर कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कोरोना काल में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा खरीदे गये मास्क तथा पी0पी0ई0 किट आदि के सम्बन्ध में

17-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना काल वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा कितने रकम की मास्क, पी0पी0ई0 किट आदि की खरीद करी गई ? उक्त खरीद का मूल्य क्या था ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

उ0प्र0 लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 2020-21 में मास्क, पी0पी0ई0 किट आदि की कोई खरीद नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

18-[प्रश्न हटाया गया]

19-[प्रश्न हटाया गया]

अनुसूचित जाति-जनजाति की हत्या के अपराध में पीड़ित को 5000 रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने हेतु केन्द्र सरकार की नियमावली पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति-अनुसचित जनजाति के विरुद्ध हत्या के अपराध में पीड़ित को 5000 रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने हेतु केन्द्र सरकार की नियमावली में प्राविधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदेश में पीड़ितों को 5000 रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-118/2016/1405/26-3-2016-4(256)/1994 दिनांक 14-06-2016 के प्रस्तर-2 में बिन्दु संख्या-46 पर वर्णित है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को प्रतिमास रु0-5000/-(रु0 पाँच हजार मात्र) की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है, का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कचरी में औद्योगिक इकाई स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कचरी में पॉवर प्लाण्ट के लिए सरकार द्वारा 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई है, जो अभी तक खाली है ? यदि हां, तो क्या सरकार कचरी पॉवर

प्लाण्ट की खाली जमीन पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से औद्योगिक इकाई स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-कचरी में पॉवर प्लाण्ट के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में जिला स्तर पर व्यवसाय हेतु बनाई गयी नवीन कार्य योजना के सम्बन्ध में

22-डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला स्तर पर व्यवसाय किये जाने हेतु सरकार ने कोई नवीन कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना में जनपद के चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के समग्र विकास हेतु विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय हेतु वित्त पोषण की योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी/अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रु0 20.00 लाख है, प्रदान किया जाता है। योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। वेबसाइट http://msme.up.gov.in पर योजना हेतु आवेदन किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत निर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम रु0 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र/व्यापार के चिन्हित तथा चयनित क्षेत्रों के लिए अधिकतम रु0 20.00 लाख तक की लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।

योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की है। योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। वेबसाईट https://www.kviconline.gov.in पर आवेदन किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना में 18-40 वर्ष के युवाओं द्वारा अपनी उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित की जा सकती है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28-09-2022 को नई एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 लागू की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनाज एवं सब्जी की कार्यरत ई-मण्डियों की जानकारी एवं शहरी क्षेत्रों में मण्डियों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

23-श्रीमती पूजा पाल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार स्थापित कुल कितने अनाज एवं सब्जी मण्डी में से कितनी ई-मण्डी के रूप में कार्यरत हैं ? क्या सरकार शहरों में जनसंख्या के अनुपात में अनाज एवं सब्जी मण्डियों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 251 मण्डी समितियाँ घोषित हैं। प्रदेश की समस्त 251 मण्डी समितियों में ई-मण्डी परियोजना क्रियान्वित है।

आवश्यकता, औचित्य एवं निर्धारित मानकों के अनुसार समय-समय पर मण्डी एवं उपमण्डी का निर्माण किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

24-श्री राजपाल सिंह बालियान-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-207 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

25-श्री माधवेन्द्र प्रताप-

[02-बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विगत 5 वर्ष में प्रदेश में वृद्धावस्था मासिक पेंशन योजना के अन्तर्गत वितरित धनराशि, लाभार्थियों की संख्या, बकाया धनराशि का वर्षवार विवरण के सम्बन्ध में

26-श्री अरमान खान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था मासिक पेंशन योजना के अन्तर्गत किस माह/वर्ष तक की पेंशन का हस्तान्तरण लाभार्थियों के खाते में कर दिया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि विगत 5-6 माह से लाभार्थियों के खाते में

मासिक पेंशन हस्तान्तरित नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त का कारण क्या है ? क्या सरकार विगत 5 वित्तीय वर्ष में उक्त योजना में वर्षवार कुल लाभार्थियों की संख्या तथा वर्षवार कुल वितरित धनराशि एवं वर्षवार कुल बकाया धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 तक की पेंशन का हस्तान्तरण लाभार्थियों के खाते में कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	कुल वितरित धनराशि (रु0 लाख में)	बकाया धनराशि (रु0 लाख में)
2017-18	3747321	206911.78	-
2018-19	4071158	188635.83	-
2019-20	4799480	262899.98	-
2020-21	5121454	369444.20	-
2021-22	5599999	427719.88	-

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महानगर सचिवालय कालोनी में जल भराव की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में

27-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सचिवालय कालोनी, महानगर में मकान संख्या सी-61, सी-62, सी-63, सी-64 आदि मकानों के पीछे से प्रवाहित खुली नाली से वर्षा के दिनों उक्त मकानों में जलभराव होने से बीमारी व जान-माल का खतरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्नगत समस्या के सन्दर्भ में नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के पत्र दिनांक 17-02-2023 द्वारा प्राप्त आख्या के

अनुसार सचिवालय कालोनी महानगर में अतिवृष्टि वर्षा के दौरान अल्प अवधि के लिए जल भराव हो जाता है, जो कुछ समय में स्वतः नालियों के माध्यम से निकल जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जाति प्रमाण-पत्र की वैधता को हित प्रभाव विहीन व्यक्ति द्वारा चुनौती देने के प्रावधान का शासनादेश की जानकारी के सम्बन्ध में

28-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता को हित प्रभाव विहीन व्यक्ति द्वारा चुनौती देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त से सम्बन्धित शासनादेश की प्रति सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

इस सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में खेत तालाब योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई चित्रकूट प्रथम तथा भूमि संरक्षण इकाई चित्रकूट द्वितीय द्वारा मानक विहीन तालाबों की खुदाई की जांच विषयक

29-श्री अनिल प्रधान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में खेत तालाब योजना अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई चित्रकूट प्रथम तथा भूमि संरक्षण इकाई चित्रकूट द्वितीय द्वारा तालाबों की खुदाई मानक विहीन कराने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

जी हाँ।

जाँच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में किसानों को खाद और बीज क्रय पर छूट को बढ़ाने के सम्बन्ध में

30-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को खाद और बीज क्रय में दी जा रही छूट को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश में कृषकों को उर्वरकों की आपूर्ति प्रदेश की आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा उर्वरकों पर अनुदान भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के कारण माह अक्टूबर, 2022 से भारत सरकार द्वारा डी0ए0पी0 उर्वरक की प्रति 50 कि0ग्रा0 बैग पर अनुदान रु0 2421.65 एवं एन0पी0के0 (12 : 32 : 16) उर्वरक के 50 कि0ग्रा0 बैग पर अनुदान रु0 1848.25 इसके अतिरिक्त एम0ओ0पी0 उर्वरक के प्रति 50 कि0ग्रा0 बैग पर अनुदान रु0 709.40 दिया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा खेती की लागत को कम किए जाने हेतु कृषकों को उर्वरकों पर अनुदान दिया जा रहा है।

वर्तमान में विभिन्न फसलों के बीजों पर केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक कृषकों को अनुमन्य किया गया है

केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीज वितरण पर अथवा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित बीज पर भी राज्य सरकार द्वारा बीज मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है ?

उपरोक्त के अतिरिक्त रबी 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा राई/सरसों, चना एवं मसूर तथा केन्द्र सरकार द्वारा राई/सरसों एवं मसूर के निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण कृषकों को किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्थापित किसान मण्डी का कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में

31-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्थापित किसान मण्डी में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार

उक्त मण्डी के अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति कर मण्डी का कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में उप मण्डी स्थल बैरिया ग्राम-सोनबरसा में निर्मित होकर मण्डी समिति, बलिया को दिनांक 10-06-2019 को हैण्डओवर हुआ है।

उक्त उप मण्डी स्थल में निर्मित 10 नग दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 14-10-2019 एवं दिनांक 13-03-2020 तथा दिनांक 08-04-2021 की तिथि नियत की गयी थी, परन्तु दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त न होने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है।

उप मण्डी क्षेत्र बैरिया की सीमा में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लाइसेंसी व्यापारियों के द्वारा किये जा रहे व्यापार के विनियमन हेतु मण्डी कार्मिक की तैनाती की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में एकीकृत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित बस्ती के सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में

32-श्री मोहन वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में एकीकृत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित बस्ती के सर्वांगीण विकास कार्य कराने के विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 संख्या-014861, दिनांक 07-07-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), कुशीनगर के पत्रांक सी-608/विविध/2022-23, दिनांक 15-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-54/2022/264 /26/3-2022-10 (15)/2007, दिनांक 10-05-2022 के क्रम में उक्त योजनान्तर्गत ऐसे ग्रामों के प्रस्ताव सम्मिलित किये जायेंगे जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 प्रतिशत से कम निवास कर रही हो। तत्क्रम में विधान सभा क्षेत्र हाटा के विकास खण्ड-सुकरौली, विकास खण्ड-हाटा, विकास खण्ड-मोतीचक के खण्ड विकास अधिकारियों से जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), कुशीनगर द्वारा दिनांक 07-11-2022 को सूचना मांगी गयी थी, जिसके क्रम में विकास खण्ड सुकरौली के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 4 ग्रामों की सूचना एवं विकास खण्ड मोतीचक के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक ग्राम की सूचना शासनादेश के अनुसार

प्रेषित की गयी है, तद्क्रम में खण्ड विकास अधिकारी, सुकरौली से प्राप्त सूचना के आधार पर चार ग्रामों (छपियां, रामपुर सोहरौना, भगवानपुर बुजुर्ग, मोहनपुर) तथा खण्ड विकास अधिकारी, मोतीचक से प्राप्त सूचना के आधार पर एक ग्राम-पोखरभिण्डा में विकास कार्य हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), कुशीनगर के पत्र संख्या-516, दिनांक 29-11-2022 एवं पत्र संख्या-सी-537, दिनांक 14-12-2022 द्वारा कार्यदायी संस्था-यू0पी0 सिडको को प्राक्कलन/आगणन तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है, उक्त योजना में बजटीय व्यवस्था के अनुरूप स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्राम मलुआ में राजकीय व्यावसायिक कॉलेज का निर्माण कार्य निर्धारित समय मे पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

33-श्री मोहन वर्मा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ग्राम मलुआ में निर्माणाधीन राजकीय (आई0टी0आई0 कालेज) व्यावसायिक कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन निर्माण एवं उसकी हस्तान्तरण की समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

किसी भी राजकीय आई0टी0आई0 के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत होने के पश्चात् तीन वर्ष के अवधि के अन्दर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना होता है। किन्तु यदि कार्यदायी संस्था द्वारा मूल लागत की धनराशि में वृद्धि करते हुये पुनरीक्षित लागत का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है, तो आई0टी0आई0 के निर्माण हेतु निर्धारित अवधि से ज्यादा समय लग जाता है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के भलुआ गाँव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हाटा, कुशीनगर की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिये रु0 607.76 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को अवमुक्त किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण एवं मूल लागत को पुनरीक्षित किये जाने के कारण निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रही। प्रश्नगत आई0टी0आई0 के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0 हाटा, कुशीनगर एवं मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) गोरखपुर को निर्देशित किया जा चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में

34-श्री मोहन वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण (सब प्लान योजना) के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 संख्या, 013401, दिनांक 19-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने वाले ग्रामों में शासनादेश संख्या-62 भा0स0/क0नि0प्र0/26-3-2019-13 (62)/2013 दिनांक 22-08-2019 में विहित व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत, कुल आबादी का 50 प्रतिशत या अधिक निर्धारित है, मा0 सदस्य, विधान सभा के सन्दर्भित पत्र दिनांक 19-05-2022 में उल्लिखित ग्रामों का निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी का 50 प्रतिशत से कम होने के कारण आगणन गठित कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

35-श्री मोहन वर्मा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-7 न0-019514, दिनांक 24-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवस्थापना के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसे भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, पूर्व प्रेषित समस्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा वापस करते हुए नयी गाइड लाइन्स के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। भारत सरकार से दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को नई गाइड लाइन्स प्राप्त होने के पश्चात् महानिदेशालय के पत्र

संख्या-3341/चार-74/यु0 क0/2022, दिनांक 13 जनवरी, 2023 द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर को पत्र प्रेषित करते हुए खेल अवस्थापना के सृजन के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में माटीकला के कारीगरों को मिट्टी खनन के पट्टे किये जाने के सम्बन्ध में

36-श्री मनीष असीजा-

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को चिन्हीकृत कराये जाने एवं उन्हे मिट्टी खनन के पट्टे सरकार प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

जनपद-फिरोजाबाद में कुम्हार परिवार वाले कुल 171 गांवों का चिन्हांकन किया गया, जिसमें परम्परागत कुम्हार परिवारों की कुल संख्या-1376 एवं माटीकला का कार्य कर रहे कारीगर परिवारों की संख्या-580 है। उक्त परिवारों में से कुल 152 परिवारों को पट्टा प्रदान कर दिया गया है। उक्त पट्टे वर्षानुवर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में क्रमश 24, 33, 42, 39 एवं 14 अर्थात् कुल 152 पट्टे राजस्व विभाग द्वारा आवंटित किये गये हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है, जो निरन्तर गतिमान रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के बरौदा सदर ग्राम में लेदर पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में

37-श्री बाबूलाल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के बरौदा सदर ग्राम की तीन फसलीय किसानों की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2008 में सरकार द्वारा लेदर पार्क की स्थापना हेतु किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि पर युवाओं के रोजगार हेतु कोई योजना प्रस्तावित कर कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

जनपद आगरा में तहसील-किरावली के ग्राम बरौदा सदर, पाली सदर एवं महुअर की 280.00 एकड़ भूमि उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर के माध्यम से लेदर पार्क की स्थापना हेतु वर्ष 2008 में अर्जित की गयी थी। लेदर पार्क, आगरा में प्रस्तावित परियोजना स्थापनार्थ टी0 टी0 जेड0 से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् विकास कार्य प्रारम्भ

किये गये, जो निरन्तर प्रगति पर थे, परन्तु एन0जी0टी0, नई दिल्ली में वाद योजित होने के कारण विकास रोक दिये गये, जो बाद में प्राधिकरण के पक्ष में निर्णीत हो गया। तत्पश्चात् मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-782/2020 शबी हैदर जाफरी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में लेदर पार्क हेतु यथास्थिति के आदेश दिये गये, जिसमें जिलाधिकारी, आगरा एवं प्राधिकरण द्वारा शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। सम्प्रति उक्त वाद मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सब्जी मण्डी बाईपुर में कचड़ा फेंके जाने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री संग्राम सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मण्डी परिषद् (आगरा) द्वारा सब्जी मण्डी बाईपुर का संचालन किया जा रहा है, सब्जी मण्डी के पूरब की तरफ आपातकालीन द्वार, जो कि बार्डपुर ग्राम को जाने वाले ग्रामीण रोड़ की तरफ हमेशा खुले रहते हैं जिसके कारण ग्रामीण मार्ग पर ट्रक आदि वाहन रात-दिन खड़े रहते हैं एवं मण्डी का पूरा कचड़ा सड़क पर सड़ता रहता है, जिससे उक्त मार्ग बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर कचड़ा फेंकना बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

फल-सब्जी मण्डी बाईपुर सिकन्दरा, आगरा का संचालन मण्डी समिति, आगरा द्वारा किया जा रहा है। सब्जी मण्डी के पूरब की तरफ बाईपुर ग्राम को जाने वाली ग्रामीण रोड पर खुले हुए गेट मण्डी निर्माण के समय से ही खुले हुए हैं। मण्डी स्थल में आने वाले वाहन खाली होने के उपरान्त बाईपुर जाने वाले ग्रामीण रोड पर खड़े हो जाते हैं। मण्डी के पूरब की तरफ ग्राम बाईपुर जाने वाली ग्रामीण रोड के दूसरी तरफ प्राइवेट मार्केट बनी हुई है, जहाँ पर खाने-पीने के होटल इत्यादि संचालित है, जिस कारण वाहन खड़े हो जाते हैं। सड़कों के किनारे पड़े कूड़े को नगर निगम द्वारा नियमित रूप से उठवाया जाता है। वर्तमान में उक्त स्थान पर कोई कूड़ा-कचरा नहीं है और आवागमन सुचारु रूप से चलता है। मण्डी के दूसरी तरफ मार्केट संचालित तथा उक्त ग्रामीण रोड एवं संचालित मार्केट मण्डी समिति से सम्बन्धित नहीं है, जो मण्डी परिसर की सीमा में नहीं है, सीमा के बाहर है। मण्डी का कचरा मण्डी परिसर की सीमा से बाहर नहीं डाला जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में गल्ला मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में

39-डॉ0 रागिनी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत किसानों हेतु गल्ला मण्डी बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में मुंगराबादशाहपुर प्रधान मण्डी स्थल के रूप में प्रख्यापित, निर्मित एवं संचालित है, प्रधान मण्डी स्थल मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत मछलीशहर उप मण्डी स्थल घोषित है।

मछलीशहर में उपमण्डी स्थल के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही गतिमान है उक्त के सम्बन्ध में मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 02-07-2020, पत्र दिनांक 02-06-2022, पत्र दिनांक 11-07-2022 पत्र दिनांक 17-09-2022 पत्र दिनांक 22-11-2022 एवं पत्र दिनांक 01-02-2023 द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर से मछलीशहर में उप मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने हेतु उपयुक्त एवं निर्विवादित निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों की शादी हेतु संचालित योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बेटियों की शादी में दिया जाने वाला अनुदान वर्तमान में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शादी अनुदान योजना को पुनः संचालित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश की बेटियों के विवाह हेतु धनराशि रु0-51000/-का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसमें से रु0 35000/-की धनराशि कन्या के बैंक खाते में अन्तरित की जाती है एवं रु0- 10000 की धनराशि की वैवाहिक सामग्री कन्या को दी जाती है तथा रु0-6000/-की धनराशि विवाह समारोह के आयोजन हेतु व्यय की जाती है।

नीति विषयक है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में

41-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय परिवारिक कार्य योजना बन्द की गई है ? यदि हां, तो उक्त का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद अयोध्या स्थित समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लगभग 2 हजार आवेदन-पत्र वर्तमान समय में लम्बित हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार उक्त आवेदन-पत्रों को निस्तारित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी नहीं।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु पर उसके आश्रित को रु0 30000/-की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

जी हाँ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ऑनलाइन किये गये आवेदन-पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है।

जी हाँ।

चालू वित्तीय वर्ष में सत्यापनोपरान्त 900 पात्र लाभार्थियों को रु0 270.00 लाख का भुगतान किया गया है। अवशेष लम्बित आवेदन-पत्रों के सत्यापनोपरान्त पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में

42-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में स्थित समाज कल्याण कार्यालय में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लगभग 2000 आवेदन-पत्र

वर्ष 2021 और 2022 के लम्बित है ? क्या सरकार प्रभावी कार्यवाही कर लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जनपद स्तर पर अभियान चलाकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लम्बित आवेदन-पत्रों का सत्यापन/क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सत्यापनोपरान्त 900 पात्र लाभार्थियों को रु0 270.00 लाख का भुगतान किया गया है।

अवशेष लम्बित आवेदन-पत्रों के सत्यापनोपरान्त पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में फसलों के नुकसान से बचाव के लिए सभी फसलों पर बीमा सुरक्षा कवच देने के सम्बन्ध में

43-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में फसलों के नुकसान से बचाव के लिए दिया जा रहा बीमा सुरक्षा कवच सरकार सभी फसलों पर देने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल धान, मक्का, बाजरा, तिल, गेहूँ, जौ, लाही-सरसों व आलू तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल मिर्च, टमाटर व शिमला मिर्च को अधिसूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों के ग्राम पंचायत स्तर पर उत्पादकता के आंकलन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 4 क्रॉप-कटिंग प्रयोग सम्पन्न कराये जाते हैं ग्राम पंचायत में 20 हे0 से अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों को ही योजनान्तर्गत अधिसूचित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

44-श्री अरमान खान-

[02-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-210 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री अतुल प्रधान-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के अन्तर्गत क्षेत्रीय युवाओं के दैनिक अभ्यास एवं प्रोत्साहन हेतु खेल स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

जनपद मेरठ के ग्राम सलावा, सरधना में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा में कॉटन वेस्ट उद्योग को वर्षवार दी गई विद्युत सब्सिडी की जानकारी के सम्बन्ध में

46-श्री महबूब अली-

क्या वस्त्रोद्योग एवं हथकरघा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहर अमरोहा में कॉटन वेस्ट उद्योग को कब से तथा वर्षवार कितनी विधुत सब्सिडी दी जा रही है ? क्या सरकार कॉटन वेस्ट कारोबार के उत्थान हेतु विद्युत सब्सिडी को बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश के शहर अमरोहा में काटन वेस्ट उद्योग (धुनकरों) को निम्नानुसार वर्षवार सब्सिडी दी गई है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 2.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 2.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1.00 करोड़ की सब्सिडी ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 व इसके पश्चात् कोई धुनकर पात्रता श्रेणी में न आने के कारण सब्सिडी प्रदान नहीं की गई।

कॉटन वेस्ट उद्योग को विद्युत सब्सिडी प्रदान किये जाने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में वर्ष 2017 से दिनांक 19-10-2022 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से लाभाविन्तों के सम्बन्ध में

47-श्री मोहन वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत वर्ष 2017 से दिनांक 19-10-2022 तक कितने लोगों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मिला है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वर्ष 2017 से दिनांक 19-10-2022 तक 1152 लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया गया है।

विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 2017-18	-	कुल 138
वर्ष 2018-19	-	कुल 208
वर्ष 2019-20	-	कुल 213
वर्ष 2020-21	-	कुल 343
वर्ष 2021-22	-	कुल 170
वर्ष 2022-23	-	कुल 80 (दिनांक 19-10-2022 तक)

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में वर्ष 2022 में जनवरी से 19-10-2022 तक बरामद अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की जानकारी के सम्बन्ध में

48-श्री मोहन वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में वर्ष 2022 में जनवरी से 19-10-2022 तक कितनी मात्रा में अवैध शराब व केमिकल्स के साथ ही मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है ? क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में लिप्त माफियाओं अथवा तस्करों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद कुशीनगर में वर्ष 2022 में 01-01-2022 से 19-10-2022 तक कुल 61199.73 बा0 ली0 अवैध शराब, 10.37907 कि0ग्रा0 चरस, 1626.807 कि0ग्रा0 गांजा तथा 0.1632 कि0ग्रा0 मारफीन बरामद की गयी।

अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के प्रकरणों में लिप्त कुल 1164 व्यक्तियों पर उ0प्र0 आबकारी अधिनियम/भा0द0सं0, कुल 76 व्यक्तियों पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट, कुल 77 व्यक्तियों पर गुण्डाएक्ट, कुल 48 व्यक्तियों पर गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। धारा 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट में अवैध शराब की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों से सम्बन्धित कुल 04 प्रकरण में रु0 6,64,60,000/-(रु0 छः करोड़ चौसठ लाख साठ हजार मात्र) की सम्पत्ति जब्त की गयी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फलों व सब्जियों की फसल में जानलेवा कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में

49-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फलों व सब्जियों की फसल में जानलेवा कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग को रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत कीटनाशी रसायनों को पूर्णतया प्रतिबन्धित करना उचित नहीं है क्योंकि इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में एकाएक कमी आ सकती है। कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए जैविक कीटनाशकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रदेश में 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जिसमें बायो-पेस्टीसाइड्स एवं बायो-एजेन्ट्स का उत्पादन किया जा रहा है इन प्रयोगशालाओं में उत्पादित बायो-पेस्टीसाइड्स एवं बायो-एजेन्ट्स को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को वितरित किया जा रहा है इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत कम जहरीले पीले, नीले व हरे चिन्ह वाले कीटनाशी रसायन कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में किसान खेत स्कूल के माध्यम से एकीकृत नाशीजीव

प्रबन्धन (आई0पी0एम0) प्रशिक्षण कम प्रदर्शन का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कृषकों को बायोपेस्टीसाइड्स/बायो एजेन्ट्स को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगामी 05 वर्षों तक बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के समस्त 47 विकास खण्डों में 23500 हे0 क्षेत्रफल में धनराशि रु0 68.83 करोड़ की लागत से गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है इसी प्रकार केन्द्र पोषित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 85710 हे0 क्षेत्रफल की कार्य योजना धनराशि रु0 251.00 करोड़ लागत की स्वीकृत की गई है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ किया गया है। स्वीकृत क्षेत्रफल में 62200 हेक्टेयर क्षेत्रफल गंगा नदी के तट से 05 किमी0 की सीमा तक प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित है इस पद्धति के अन्तर्गत रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बीघापुर में इन्देमऊ रेलवे स्टेशन रोड पर मण्डी बनाये जाने विषयक

50-श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनूप गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 22-12-2022 का पत्र जोकि जनपद उन्नाव, ब्लाक बीघापुर में इन्देमऊ रेलवे स्टेशन रोड पर मण्डी बनाये जाने विषयक था, उन्हे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री अनूप गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 22-12-2022 शासन के पत्र दिनांक 13-01-2023 के माध्यम से मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है।

मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24-07-2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ग्रामीण अंचलों में साप्ताहिक अथवा सप्ताह में एक से अधिक बार लगने वाली ग्रामीण हाटबाजार जहाँ ग्राम समाज की 1000 वर्ग मी0 निर्विवाद एवं निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो, पर हाटपैठ का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा कराया जाता है।

श्री अनूप गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 22-12-2022 के क्रम में मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 07-02-2023 के माध्यम से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी उन्नाव से अनुरोध किया गया। तत्क्रम में सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति पुरवा (उन्नाव) के पत्र दिनांक 13-02-2023 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रेलवे स्टेशन

इन्देमऊ के पास 1000 वर्ग मी0 निःशुल्क उपलब्ध है परन्तु वहाँ कोई बाजार नहीं लगता है। इन्देमऊ रेलवे स्टेशन से 1.00 किमी0 दूर जहाँ बाजार मेला लगता है, वहाँ पर हाटपैठ निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में हाटबाजार का निर्माण कराये जाने में कठिनाई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में

51-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड फिरोजाबाद द्वारा रेहना क्षेत्र में गाटा संख्या-126, रकवा 0.207 हे0 में 0.150 हे0 चिन्हित भूमि पर तैयार प्रारम्भिक आगणन रु0 118.57 लाख समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित संख्या 5202-05/सा0क0/छात्रावास/2019-20, दिनांक 7-2-2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव/आगणन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या 5202-05, दिनांक 07-02-2020 द्वारा राजकीय निर्माण निगम इकाई मैनपुरी द्वारा रेहना में छात्रावास निर्माण हेतु रु0 118.57 लाख का आगणन निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध कराया गया था। परन्तु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांकः 4072-73/स0क0/वि0स0अता0प्र0 सं0-51/2022-23 दिनांक 14-02-2023 द्वारा यह अवगत कराया गया कि सन्दर्भगत आगणन में प्रस्तावित छात्रावास हेतु चिन्हित की गई भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव को नगर निगम की बोर्ड-मीटिंग दिनांक 04-10-2019 में सदस्यों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में रेहना में चिन्हित की गई भूमि के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड आगरा के अपने पत्र संख्या-383, दिनांक 06-09-2019 में भी यह अवगत कराया गया है कि जिस चिन्हित स्थान पर छात्रावास का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था, वहां पर पूर्व से ही जलभराव है। 1.00-1.50 मी0 गहराई में अतिरिक्त मिट्टी का भराव होने के कारण 50 छात्रों की क्षमता के छात्रावास का निर्माण रु0 1.50 करोड़ की लागत में कराये जाने में कार्यदायी संस्था यू0पी0

स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड आगरा द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी।

उक्त समस्याओं के दृष्टिगत रेहना के स्थान पर ग्राम लालऊ, तहसील फिरोजाबाद सदर में 50 छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र संख्या-2844-49 दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा ग्राम लालऊ में 50 छात्रों हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि को चिन्हित कर प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव तत्समय भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-06-2021 द्वारा उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना चाही गयी, जिसके उपरान्त तत्समय प्रायोजना के सापेक्ष स्वीकृति नहीं निर्गत की जा सकी।

वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा छात्रावासों के निर्माण हेतु आनलाइन प्रस्ताव स्वीकार किए जा रहे हैं। जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम लालऊ, तहसील फिरोजाबाद में छात्रावास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के अन्तर्गत जनपद स्तर से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में बजटीय व्यवस्था होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

52-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

[01 मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-209 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु दी जा रही 25 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में उद्योग लगाने हेतु लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में

53-श्री सचिन यादव-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वस्त्र उद्योग लगाने को बढ़ावा देने हेतु दी जा रही 25 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा उद्योग लगाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017, दिनांक 25-01-2018 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभिन्न वित्तीय सुविधायें अनुमन्य हैं, जिसमें प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी भी अनुमन्य है। पालिसी के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है, अपितु पालिसी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है, ताकि निवेशक आकर्षित होकर प्रदेश में

वस्त्र इकाई स्थापित करें। पालिसी के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ से अब तक 218 वस्त्र इकाइयों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुये हैं।

इस सम्बन्ध में दिनांक 17-10-2022 द्वारा उ0प्र0 टेक्सटाईल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी-2022 प्रख्यापित की गयी है, जिसका प्रचार-प्रसार विभिन्न स्तरों से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में शाकभाजी की खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क बीज देने हेतु पंजीकरण के सम्बन्ध में

54-श्री सचिन यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में शाकभाजी की खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क बीज हेतु कितने किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है ? क्या सरकार उक्त का विकास खण्डवार पंजीकृत किए गए किसानों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद फिरोजाबाद में शाकभाजी क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत विभाग में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत तहसील जसराना में शाकभाजी क्षेत्र विस्तार हेतु कुल 263 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।

जी हाँ।

तहसील जसराना के विकास खण्डवार पंजीकृत कृषकों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विकास खण्ड	शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में पंजीकृत कृषकों की संख्या
1	जसराना	40
2	अरांव	130
3	हाथवन्त	60
4	एका	33
	योगः	**263**

सूची संलग्न[†]।

[†] छापी नहीं गई।

प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 20-04-2022 तक प्रस्तावित कुल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु उनका शिलान्यास किए जाने सम्बन्धी सूचना

55-श्री तुफानी सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 20-04-2022 तक कुल कितने एक्सप्रेस-वे के निर्माण के प्रस्ताव अनुमोदित होने के पश्चात् उनका शिलान्यास किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

कुल चार एक्सप्रेस-वे।

जी हाँ।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिनांक 14-07-2018 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिनांक 29-02-2020 गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास दिनांक 18-12-2021।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्ताव अनुमोदित है, परन्तु औपचारिक शिलान्यास नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

एक जिला, एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के उत्पाद के चयन के सम्बन्ध में

56-श्री मोहन वर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर को किस उत्पाद के लिए सरकार द्वारा चयनित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि चयनित उद्योग के लिए कितने लोगों को प्रशिक्षण वर्तमान में दिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद तथा केला उत्पाद का चयन किया गया है।

प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं

आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम कम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है।

योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर में अद्यतन चयनित उत्पाद के 150 कारीगरों को वर्तमान में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है (एक जनपद, एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर की वित्तीय वर्ष 2022-23 अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संलग्न[†] है।)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

57-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में आंवला किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु निम्न कार्य योजना बनायी गयी है :-

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना-

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो

[†] छापी नहीं गई।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो

सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है कुल 15 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्दश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, कम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी।

ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों/कारीगरों/हस्तशिल्पियों को वित्त पोषण, विपणन आदि के क्षेत्र में हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न ई-कामर्स की संस्थाओं यथा-अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर ऑन बोर्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद से सम्बन्धित इकाइयों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है। अतः फूड प्रोसेसिंग यूनिट (आँवला उत्पाद) लगाने पर योजनान्तर्गत नियमानुसार मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है।

ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण हेतु सहायता योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में अद्यतन रु0 788.80 लाख परियोजना लागत की 63 इकाइयों की स्थापना की गयी, जिसमें रु0 192.71 लाख मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 665 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है एक जनपद, एक उत्पाद/वित्त पोषण सहायता योजना की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति का 05 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 09-02-2023 तक) का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन महाविद्यालय के कार्मिकों (कर्मचारियों) को वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

58-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन महाविद्यालय के कार्मिकों (कर्मचारियों) को माह जुलाई, 2022 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्मिकों के वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के कार्मिकों का माह दिसम्बर, 2022 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापा नहीं गया।

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज के ग्राम सिधौरा स्थित आई0टी0आई0 विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

59-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के विकास खण्ड **हैरिंग्टनगंज** के ग्राम सिधौरा स्थित आई0टी0आई0 विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है, किन्तु छात्रों का प्रवेश नहीं हो रहा है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति कर तथा छात्रों का प्रवेश कर कक्षाएं संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज के ग्राम सिधौरा स्थित आई0टी0आई0 की स्थापना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रचलन में है लोक हित में पठन-पाठन के दृष्टिगत प्रश्नगत आई0टी0आई0 का संचालन जनपद स्थित नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीगंज, अयोध्या में हो रहा है, भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् संस्थान में प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अमरोहा में वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत चयनित उत्पाद के सम्बन्ध में

60-श्री महबूब अली-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जनपद अमरोहा में वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत किस उत्पाद का चयन किया गया है ? क्या सरकार उसे बढ़ावा देने हेतु किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमरोहा में ढोलक (वाद्ययंत्र) तथा रेडीमेड गारमेंट्स कारोबार का चयन किया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कारोबारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1-एक जनपद, एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना-

योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा

ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु आनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो

योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जनपद अमरोहा में अद्यतन कुल रु0 1823.36 लाख परियोजना लागत की 126 इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिसमें रु0 419.79 लाख मार्जिन मनी के रूप में सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1529 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

2-एक जनपद, एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

योजनान्तर्गत जनपद अमरोहा में धनराशि रु0 7750.00 के 01 दावे का भुगतान किया गया है।

3-प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, कम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है।

योजनान्तर्गत जनपद अमरोहा में अद्यतन चयनित उत्पाद के 1000 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों/कारीगरों/हस्तशिल्पियों को वित्त पोषण, विपणन आदि के क्षेत्र में हैण्डहोल्डिंग एवं प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न ई-कामर्स की संस्थाओं यथा-अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर ऑन बोर्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षता/कौशल विकास/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अन्तर्गत जनपद अमरोहा की 05 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 09-02-2023 तक) की प्रगति रिपोर्ट, एक जनपद एक उत्पाद/वित्त पोषण सहायता योजना की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति का 05 वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 09-02-2023 तक) का विवरण तथा एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जनपद अमरोहा के 01 दावे के सापेक्ष भुगतान की गयी धनराशि का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में किसान बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में लाभान्वित किसानों के सम्बन्ध में

61-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में किसान बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कितने किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में मुआवजा हेतु अग्नि से जल जाने तथा छुटटा जानवरों के चरने से नष्ट फसलों को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विकास खण्ड हल्दौर, जलीलपुर एवं नूरपुर सम्मिलित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नानुसार किसानों को लाभान्वित किया गया है :-

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (लाख रु0 में)
1	हल्दौर	12	0.42
2	जलीलपुर	296	3.05
3	नूरपुर	131	1.02
योगः		**439**	**4.49**

[†] छापा नहीं गया।

योजनान्तर्गत अधिसूचित फसल को सभी दैवीय आपदा से बीमा कवर प्रदान किया गया है। आकाशीय बिजली से लगने वाली आग से फसलों को होने वाली क्षति दैवीय आपदा के अन्तर्गत आच्छादित है।

छुट्टा जानवरों के चरने से नष्ट होने वाली फसल दैवीय आपदा के अन्तर्गत नहीं आती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में काँच उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु एक्सपोर्ट हब बनाने के सम्बन्ध में

62-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में काँच उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु सरकार एक्सपोर्ट हब बनाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद में काँच उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु एक्सपोर्ट हब बनाने हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है, परन्तु जनपद फिरोजाबाद से कांच उत्पादों का निरन्तर निर्यात किया जा रहा है

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

63-श्री जै किशन साहू-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 स्टेडियम की लगभग 10 एकड़ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया गया है, परन्तु उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्टेडियम के रुके हुए निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद गाजीपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा आई0टी0आई0 परिसर में किसी भी स्टेडियम अथवा बाउण्ड्रीवाल का कार्य निर्माणाधीन नहीं है।

उक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

64-श्री जय प्रकाश अंचल-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0प्र0 मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के सम्बन्ध में

65-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद हेतु मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना से लाभान्वित होने की पात्रता सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 28-12-2022 तक कितने युवा लाभान्वित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-112/2022/2441/26-3-2022-1514/2016, दिनांक 18-10-2022 के बिन्दु संख्या-09 के अनुसार जे0ई0ई0, नीट हेतु कक्षा-11 व 12 में अध्ययनरत् अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होंगे।

सिविल सेवा एवं पी0सी0एस0 की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष के छात्र अथवा स्नातक उत्तीर्ण छात्र अर्ह होंगे।

एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, क्लैट, बैंकिंग, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन आयोग, टी0जी0टी0 एवं पी0जी0टी0 आदि परीक्षाओं की शैक्षिक अर्हताएं भी सम्बन्धित प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप होंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत दिनांक 20-12-2022 तक कुल 26330 युवा लाभान्वित हुए है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने सम्बन्धी किए गए उपायों के सम्बन्ध में

66-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 5 वर्षों में वर्षवार शहद का उत्पादन कितना रहा है ? क्या सरकार विगत 5 वर्षों में प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने सम्बन्धी किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

विगत 05 वर्षों में वर्षवार प्रदेश में शहद उत्पादन का विवरण-

वर्ष 2017 में 17000 मी0टन

वर्ष 2018 में 18900 मी0टन

वर्ष 2019 में 21500 मी0टन

वर्ष 2020 में 21500 मी0टन

वर्ष 2021 में 22500 मी0टन

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें लाभार्थी कृषकों को 50 मौन गृह/मौन वंशों सहित एवं सहायक उपकरणों के साथ एक यूनिट प्रति इकाई लागत रु0 2.20 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अधिकतम रु0 88,000 प्रति इकाई अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थी कृषकों को औद्यानिक विकास योजनान्तर्गत मौन पालन कार्यक्रम में 05 मौन वंश/मौन गृह के लिये इकाई लागत रु0 20,000 का 90 प्रतिशत रु0 18,000 की राज्य सहायता भी मधुमक्खी पालक के विकास हेतु प्रदान की जाती है और प्रदेश के कृषकों/मौन पालकों को निःशुल्क मौन पालन प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी दी जाती है। विगत 05 वर्षों में 3034 लाभार्थियों को राज्य सहायता प्रदान की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों के सम्बन्ध में

67-श्री अतुल प्रधान-

क्या दिव्यागंजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में वर्तमान में कुल कितने दिव्यांगजन पंजीकृत हैं एवं इनमें से कितनों को ट्राई-साइकिल का वितरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यागंजनों को ट्राई-साइकिल देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित 'कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना' के अन्तर्गत जनपद मेरठ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ट्राई-साइकिल हेतु कुल 337 दिव्यांगजन पंजीकृत हैं। जिन्हें अभी ट्राई-साइकिल का वितरण नहीं किया गया है।

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जाता है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किसानों के सम्बन्ध में

68-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के किसानों को प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा फसल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में विकास खण्ड हल्दौर, जलीलपुर एवं नूरपुर सम्मिलित हैं, जिसमें वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए गए किसानों पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (लाख रु0 में)
1	हल्दौर	12	0.42
2	जलीलपुर	296	3.05
3	नूरपुर	131	1.02
	योग	**439**	**4.49**

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों के मानदेय एवं सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में

69-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों का वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के मानदेय भुगतान एवं सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन का एवं मानदेय

एरियर 2016 से 2021 तक भुगतान सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या में कार्यरत वाहन चालकों को सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन के एरियर का भुगतान करते हुए वर्तमान में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित किया जा रहा है, वाहन चालकों के मार्च, 2016-2017, मार्च, 2018-19 एवं मार्च, 2019-20 के मानदेय का नकद लाभ सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सापेक्ष एरियर के रूप में एवं मार्च, 2021 से आगे मानदेय की व्यवस्था यथावत् लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय का आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2020 निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्री मनोज कुमार पारस-

[01-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-212 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में गेहूँ की भरपूर उपज के सुरक्षित भण्डारण हेतु गुरसराय कस्बे में वेयरहाउस बनवाने विषयक

71-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में गेहूँ की भरपूर उपज के सुरक्षित भण्डारण हेतु गुरसराय कस्बे में वेयरहाउस बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुरसराय कस्बे में प्रधान मण्डी स्थल गुरसराय स्थापित है, जिसमें वर्तमान में 02 नग गोदाम क्रमशः 500 मी0 टन क्षमता एवं 1000 मी0 टन क्षमता के निर्मित हैं। उक्त गोदाम उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा माह फरवरी/मार्च, 2022 में रिक्त किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त गरौठा विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति, गुरसहाय क्षेत्रान्तर्गत बुन्देलखण्ड विकास पैकेज योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र कुरैठा एवं ककरबई में 01-01 नग 500 मी0 टन क्षमता के गोदाम निर्मित हैं।

उक्त चारों गोदामों को गेहूँ की उपज के सुरक्षित भण्डारण हेतु सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा नियमानुसार किराये पर लेकर उपयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के तहसील मुख्यालय किरावली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर पंजीकृत अनाज व्यापारियों हेतु मण्डी स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में

72-श्री बाबूलाल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के तहसील मुख्यालय किरावली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर पंजीकृत अनाज व्यापारियों हेतु मण्डी स्थल के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि चयनित कर सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

सचिव/सभापति, मण्डी समिति, अछनेरा द्वारा उप मण्डी स्थल, किरावली का निर्माण कराया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। उप मण्डी स्थल किरावली के निर्माण हेतु उप निदेशक (प्रशा0/विप0), मण्डी परिषद्, आगरा के पत्र दिनांक 06-09-2022 के अनुसार किरावली कस्बे के आस-पास मण्डी स्थल के निर्माण के लिए सरकारी/ग्राम सभा की कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

सचिव, मण्डी समिति, अछनेरा (आगरा) के पत्र दिनांक 04-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उप मण्डी स्थल किरावली में निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए समिति पत्र दिनांक 16-12-2022 को विज्ञप्ति समाचार-पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित करायी गई थी। विज्ञप्ति उपरान्त किरावली कस्बे के आस-पास राष्ट्रीय राजमार्ग-11 एवं राज्य मार्ग किरावली-कागारौल पर दो-दो भू-खण्डों के आवेदन कृषकों द्वारा अपनी सहमति-पत्र, नकल खतौनी एवं नजरी नक्शा सहित समिति कार्यालय में दिए गये हैं, जो जांच हेतु समिति पत्रांक-242 दिनांक 16-01-2023 द्वारा तहसीलदार, किरावली को प्रेषित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंजीनियरिंग कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में

73-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंजीनियरिंग कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रजिस्ट्रेशन संख्या-100350502201238 की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार

उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये छात्रवृत्ति जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

सम्प्रति नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रजिस्ट्रेशन संख्या-100350502201238 से सम्बन्धित छात्रा कु0 कृतिका सिंह पुत्री श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह वर्ष 2022-23 में गलगोटिया कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में बी0टेक0 कम्प्यूटर साईंस एण्ड डिजाइन में अध्ययनरत् है। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली दिनांक 14-10-2019 के नियम-6 (XX) (ख) के अनुसार सम्बन्धित संस्था में संचालित उक्त पाठ्यक्रम/ब्रांच को एन0बी0ए0 (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन) से ग्रेडिंग न होने के कारण संस्था द्वारा प्रश्नगत छात्रा के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन-पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस प्रकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें एन0बी0ए0 (नेशनल बोर्ड आफ एक्रीडिटेशन) से ग्रेडिंग प्राप्त है, में अध्ययनरत छात्रों को ही नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहर अमरोहा मे कॉटन वेस्ट उद्योग को वर्षवार दी जा रही विद्युत सब्सिडी के सम्बन्ध में

74-श्री महबूब अली-

क्या वस्त्रोद्योग एवं हथकरघा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहर अमरोहा में कॉटन वेस्ट उद्योग को कब से तथा वर्षवार कितनी विद्युत सब्सिडी दी जा रही है ? क्या सरकार कॉटन वेस्ट कारोबार को बढ़ावा देने हेतु विद्युत सब्सिडी बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश के शहर अमरोहा में काटन वेस्ट उद्योग (धुनकरों) को निम्नानुसार वर्षवार सब्सिडी दी गई है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 2.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 2.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट प्राविधान नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 1.00 करोड़ की सब्सिडी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 व इसके पश्चात् कोई धुनकर पात्रता श्रेणी में न आने के कारण सब्सिडी प्रदान नहीं की गई।

कॉटन वेस्ट उद्योग को विद्युत सब्सिडी प्रदान किये जाने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अमरोहा मे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत चयनित उत्पाद को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

75-श्री महबूब अली-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जनपद अमरोहा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत किस उत्पाद का चयन किया गया है तथा उसे बढ़ावा देने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमरोहा में ढोलक (वाद्ययंत्र) तथा रेडीमेड गारमेंट्स कारोबार का चयन किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु निम्न कार्य योजना बनायी गयी है :-

1-**एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना-**

इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो

परियोजना लागत	देय मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो

2-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल 15 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है

3-एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4-प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी।

ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों/कारीगरों/हस्तशिल्पियों को वित्त पोषण, विपणन आदि के क्षेत्र में हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न ई-कामर्स की संस्थाओं यथा-अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर आन बोर्डिंग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामोद्योग इकाइयों को स्थापित करने के सम्बन्ध में

76-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना हेतु रु0 10.00 लाख तक वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षितों को शहरों की ओर पलायन से रोकने हेतु मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

2-लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिये।

3-योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों द्वारा 04 प्रतिशत ब्याज की धनराशि स्वयं वहन की जायेगी तथा उससे अधिक शेष देय ब्याज की धनराशि की स्वीकृति उपादान/अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। सामान्य महिला सहित आरक्षित वर्ग के सभी लाभार्थियों को पूँजीगत ऋण पर ब्याज की सम्पूर्ण देय धनराशि अनुदान के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमी के पक्ष में बैंक को दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% तथा महिला सहित आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 5% निजी अंशदान देय होता है।

4-दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, परियोजना रिपोर्ट, स्कोर कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र एवं बैंक की अपेक्षानुसार अन्य अभिलेख वांछनीय है।

5-उद्यमियों की योग्यता, प्रोजेक्ट की शाक्यता तथा ऋण की सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में इण्डियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 100 अंक में से 50 या उससे अधिक अंक पाने वाले उद्यमियों के आवेदन-पत्र बैंकों को अग्रसारित किये जाते हैं, ताकि उद्यमियों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे। तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी प्रदान की जाती है।

6-वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना पूर्णरूप से ऑनलाइन कर दी गयी है। विभाग के पोर्टल upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने एवं योजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

7-ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को विभाग स्तर पर गठित समाधान सेल के माध्यम से योजना की पूर्ण जानकारी सहित अन्य विभागीय क्रिया-कलापों की सम्पूर्ण जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध है।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में ही संचालित की जाती है, जिसमें न्याय पंचायतें भी आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वंचित पात्र पीड़ितों को अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न में मिलने वाली धनराशि का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में

77-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न में मिलने वाली धनराशि हेतु दिनांक 30-12-2022 तक कितने पात्र पीड़ितों के प्रत्यावेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने पीड़ित उक्त में राहत पाने से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित पात्र पीड़ितों को उक्त योजना का लाभ दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 30-12-2022 तक जनपद-फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न में मिलने वाली धनराशि हेतु कुल 153 पीड़ितों के प्रत्यावेदन स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 153 को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

भुगतान हेतु कोई प्रत्यावेदन लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 30 दिसम्बर, 2022 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत लाभान्वित किसानों के सम्बन्ध में

78-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 30 दिसम्बर, 2022 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल कितने किसानों को सम्बद्ध किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्षों में फसल बीमा योजना को संचालित करने वाली बीमा कम्पनियों से किसानों को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त योजना से फसल क्षतिपूर्ति के रूप में लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित कृषकों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	**वितीय वर्ष**	**बीमित कृषकों की संख्या (लाख में)**
1	2019-20	47.21
2	2020-21	41.91
3	2021-22	41.47
4	2022-23*	40.87
	योग :	**171.46**

*अद्यतन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सभी बीमा कम्पनियों से किसानों को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त प्रीमियम का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	प्रीमियम (करोड़ रु0 में)			
		कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल प्रीमियम
1	2019-20	321.25	494.21	494.21	1309.67
2	2020-21	329.46	641.79	640.77	1612.02
3	2021-22	297.46	619.48	618.17	1535.11
4	2022-23*	279.82	609.16	607.65	1496.63
	योग	**1227.99**	**2364.64**	**2360.80**	**5953.43**

*अद्यतन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लाभार्थी कृषकों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख रु0 में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
1	2019-20	9.69	1093.47

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थी कृषकों की संख्या (लाख रु0 में)	वितरित क्षतिपूर्ति (करोड़ रु0 में)
2	2020-21	6.38	501.00
3	2021-22	10.12	938.59
4	2022-23	2.18#	134.25#
	योग :	28.37	2667.31

*अद्यतन।

#खरीफ 2022 मौसम में असफल बुआई/मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वितरित की गई है। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन/वितरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में किसान सम्मान निधि से छूटे पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाने के सम्बन्ध में

79-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कितने पात्र किसान हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इन पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु पी0एम0 किसान पोर्टल अनवरत् रूप से किसानों हेतु खुला हुआ है, जिस पर किसान स्वयं अथवा जन-सेवा केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दिनांक 10-02-2023 तक ओपेन सोर्स से पंजीकृत 4689 पात्र किसानों के प्रकरण लम्बित हैं।

ओपेन सोर्स से प्राप्त आवेदनों के डाटा सत्यापन के पश्चात् पात्र पाये जाने पर कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त होना सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

80-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं बांदा में मा0 कैबिनेट, उत्तर प्रदेश से सभी 47 विकास खण्डों में 23500 हे0 क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती क्रियान्वयन की कार्य योजना धनराशि रु0 68.83 करोड़ की पांच वर्ष (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) हेतु स्वीकृत की गयी है। प्रत्येक विकास खण्ड में 500 हे0 क्षेत्रफल चयन कर 50-50 हे0 क्षेत्रफल के 10 क्लस्टर बनाये जायेंगे। दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक 266 ग्राम पंचायत तथा 235 चैम्पियन फार्मर का चयन किया जा चुका है। फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन 235 क्लस्टरों में प्रारम्भ किये जा चुके हैं, जिसमें 10966 कृषक सम्मिलित हैं। वित्तीय लक्ष्य की धनराशि रु0 5.77 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु0 2.70 करोड़ जनपदों को आवंटित किया जा चुका है, जो कि व्यय की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद झांसी के डिफेन्स कॉरिडोर हेतु अधिग्रहीत भूमि पर कॉरिडोर का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में

81-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के डिफेन्स कॉरिडोर हेतु अधिग्रहीत भूमि पर उक्त कॉरिडोर का कार्य सरकार प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

डिफेंस कॉरिडोर, जनपद झांसी के लिए उपलब्ध धनराशि रु0 133.64 करोड़ से अधिग्रहीत भूमि पर आधारभूत संरचना का कार्य गतिमान है। वर्तमान में 1X132/33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन, 2X33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन, बेतवा नदी से 6 एम0एल0डी0 की भू-तल जल-आपूर्ति योजना एवं सफाई तथा ग्रविंग का कार्य प्रगति पर है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैराकी खेल के खिलाड़ियों के लिए तरणताल स्थापित करने के सम्बन्ध में

82-श्री मनीष असीजा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनपद के तैराकी खेल के खिलाड़ियों के लिए तरणताल की सुविधा नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार तैराकी खेल को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद के स्पोर्ट्स

स्टेडियम में तरणताल स्थापित कराने का कार्य करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां।

प्रस्ताव तैयार हुआ है तथा जनपद फिरोजाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तरणताल की स्थापना वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय व्यवस्था पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में प्रशासन द्वारा बहेलिया समाज के लोगों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत कराने के सम्बन्ध में

83-श्री सचिन यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में बहेलिया समाज के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति में निर्गत नहीं किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांक-7206-07/स0क0 जाति प्र0 प0/अतारां0-वि0प्र0सं0-83/2022-23, दिनांक 17-02-2023 द्वारा प्रेषित की गई आख्या के अनुसार जनपद फिरोजाबाद में बहेलिया जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि ग्राम राजपुर एका, तहसील जसराना के अधिकांश लोग स्वयं को बहेलिया (अनु0 जाति) का बताते हैं, किन्तु पुराने अभिलेखों एवं बैनामा की छायाप्रतियों का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि वही व्यक्ति अथवा उनके परिजन अहेरिया जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रूप में भी अंकित हैं। इसी विरोधाभास को देखते हुए उक्त के सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोजाबाद से उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में विधिक राय मांगी गई है। विधिक राय के क्रम में प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में

84-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

राज्य में प्राकृतिक खेती के प्रसार को बढ़ाने व सतत् मार्गदर्शन के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-79/2022/658/12-5-2022-सा0 18/2022, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

85-डॉ0 सुरभी-

[02-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0- 211 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी फण्ड (सीएसआर फण्ड) के अन्तर्गत जनपद के सामुदायिक विकास में वर्ष 2017 से दिनांक 02-01-2023 तक व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में

86-श्री मानवेन्द्र सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017 से दिनांक 02-01-2023 तक जनपद शाहजहाँपुर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी फण्ड (सीएसआर फण्ड) के अन्तर्गत जनपद के सामुदायिक विकास में किस-किस प्रोजेक्ट में किस-किस कम्पनी द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जनपद शाहजहाँपुर में स्थापित 02 अर्ह औद्योगिक इकाइयों द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी फण्ड (सीएसआर फण्ड) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मदवार/कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

1-इकाई/कम्पनी का नाम-मे0 डालमिया चीनी मिल, निगोही, शाहजहाँपुर-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि (रुपये)	व्यय धनराशि (रु0)	मदवार व्यय
1	2017-18	44,78,596	6,69,336	मृदा एवं जल संरक्षण
			18,29,076	ऊर्जा संरक्षण

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि (रुपये)	व्यय धनराशि (रु0)	मदवार व्यय
			4,85,400	कौशल एवं आजीविका
			12,34,685	सामाजिक विकास
			2,60,099	कार्यक्रम निष्पादन लागत
2	2018-19	25,85,002	4,28,500	मृदा एवं जल संरक्षण
			3,44,928	ऊर्जा संरक्षण
			5,71,459	कौशल एवं आजीविका
			9,70,436	सामाजिक विकास
			2,69,679	कार्यक्रम निष्पादन लागत
3	2019-20	65,68,738	21,00,775	मृदा एवं जल संरक्षण
			17,269	ऊर्जा संरक्षण
			33,31,445	कौशल एवं आजीविका
			4,96,422	सामाजिक विकास
			6,22,827	कार्यक्रम निष्पादन लागत
4	2020-21	81,34,150	63,28,133	जलवायु परिवर्तन
			4,50,000	आजिविका
			4,81,189	समाजिक अवसंरचना
			8,74,828	कार्यक्रम निष्पादन लागत
5	2021-22	74,61,037	32,19,818	जलवायु परिवर्तन
			17,15,764	आजिविका
			17,58,033	समाजिक अवसंरचना

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	प्राविधानित धनराशि (रुपये)	व्यय धनराशि (रु0)	मदवार व्यय
			7,67,422	कार्यक्रम निष्पादन लागत
6	2022-23	1,35,34,129	45,95,324	जलवायु परिर्वतन
			24,22,885	आजीविका
			19,56,409	समाजिक अवसंरचना
			6,12,023	कार्यक्रम निष्पादन लागत

2-इकाई/कम्पनी का नाम-कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पिपरोला, शाहजहाँपुर-

उक्त इकाई वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक घाटे में रही, अतः उक्त वित्तीय वर्षों में सीएसआर फण्ड के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राविधानित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमानित प्राविधान रु.45,00,000.00 का है। कार्यों/मदों के निर्धारण का कार्य प्रगति पर है और सम्पूर्ण धनराशि का मार्च, 2023 तक उपभोग हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में निर्मित किसान मण्डी को चालू कराने के सम्बन्ध में

87-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में निर्मित किसान मण्डी भवन को चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त किसान मण्डी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में उप मण्डी स्थल बैरिया ग्राम-सोनबरसा में निर्मित होकर मण्डी समिति बलिया को दिनांक 10-06-2019 को हैण्ड ओवर हुआ है।

उक्त उप मण्डी स्थल में निर्मित 10 नग दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 14-10-2019 एवं दिनांक 13-03-2020 तथा दिनांक 08-04-2021 को तिथि नियत की गयी थी, परन्तु दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त न होने के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में किसान समृद्धि केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में

88-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में किसान समृद्धि केन्द्र खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा किसान समृद्धि केन्द्र खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, अपितु किसानों की सुविधा हेतु जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कृषि विभाग द्वारा स्थापित बीज गोदाम व कृषि रक्षा इकाई से कृषकों को कृषि निवेश तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रशिक्षक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, लखनऊ के वेतनादि के सम्बन्ध में

89-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रशिक्षक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, लखनऊ से दिनांक 30-09-2012 को सेवानिवृत्त हुये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सराकार बतायेगी कि उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 नियुक्ति अनुभाग-3बी के आदेश संख्या-9049/3बी/कार्मिक/ वरि0सूची/ तक0 संवर्ग/ अरा0 अधी0/2009-10, कानपुर दिनांक 18-03-2010 को जारी सूची में श्री प्रदीप कुमार सिंह का नाम क्रमांक 01 पर तथा श्री सन्तराम का नाम क्रमांक-03 पर अंकित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि निदेशालय के आदेश संख्या-2435/ 3बी/कार्मिक/वे0नि0/2011-12, दिनांक 01-07-2011 द्वारा कतिपय कार्मिक को कनिष्ठ आसन्न नियम के अन्तर्गत श्री सन्तराम के समतुल्य वेतनमान रु0 8000-13500 दिनांक 14-09-2005 से प्रदान किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार श्री प्रदीप कुमार सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशिक्षक को भी कनिष्ठ आसन्न नियम के अन्तर्गत वेतनमान 8000-13500 दिनांक 14-09-2005 से प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

श्री प्रदीप कुमार सिंह का मूल पद मानचित्रकार है तथा इनके नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग हैं। उद्योग निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशिक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और न ही कोई प्रत्यावेदन स्वीकार किया जायेगा। चूंकि श्री सिंह का मानचित्रकार के पद से प्रशिक्षक के पद पर समायोजन मात्र वेतन आहरण हेतु किया गया था, न कि अन्य लाभों हेतु। अतः उन्हें वांछित वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में

90-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड फिरोजाबाद द्वारा रेहना क्षेत्र में गाटा संख्या-126, रकबा 0.207 हेक्टयर में 0.150 हे0 चिन्हित भूमि पर तैयार प्रारम्भिक आगणन रु0 118.57 लाख समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा निदेशक,, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित संख्या-5202-05/सा0क0/छात्रावास/2019-20, दिनांक 07-02-2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-5202-05, दिनांक 07-02-2020 द्वारा राजकीय निर्माण निगम इकाई, मैनपुरी द्वारा रेहना में छात्रावास निर्माण हेतु रु0 118.57 लाख का आगणन निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध कराया गया था। परन्तु जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांकः 4072-73/स0क0/वि0स0-अता0प्र0सं0-51/2022-23, दिनांक 14-02-2023 द्वारा यह अवगत कराया गया कि सन्दर्भगत आगणन में प्रस्तावित छात्रावास हेतु चिन्हित की गई भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव को नगर निगम की बोर्ड-मीटिंग दिनांक 04-10-2019 में सदस्यों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में रेहना में चिन्हित की गई भूमि के सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के अपने पत्र संख्या-383, दिनांक 06-09-2019 में भी यह अवगत कराया गया है कि जिस चिन्हित स्थान पर छात्रावास का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था, वहां पर पूर्व से ही जलभराव है। 1.00-1.50 मी0 गहराई में अतिरिक्त मिट्टी का भराव होने के कारण 50 छात्रों की क्षमता के छात्रावास का निर्माण रु0 1.50 करोड़ की लागत में कराये जाने में कार्यदायी संस्था यू0पी0

स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी।

उक्त समस्याओं के दृष्टिगत रेहना के स्थान पर ग्राम लालऊ, तहसील फिरोजाबाद सदर में 50 छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्र संख्या-2844-49, दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा ग्राम लालऊ में 50 छात्रों हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि को चिन्हित कर प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव तत्समय भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-06-2021 द्वारा उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना चाही गयी, जिसके उपरान्त तत्समय प्रायोजना के सापेक्ष स्वीकृति नहीं निर्गत की जा सकी।

वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा छात्रावासों के निर्माण हेतु आनलाइन प्रस्ताव स्वीकार किए जा रहे हैं। जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम लालऊ, तहसील फिरोजाबाद में छात्रावास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के अन्तर्गत जनपद स्तर से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इस सम्बन्ध में बजटीय व्यवस्था होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वैवाहिक सामग्रियों को क्रय करने के सम्बन्ध में

91-श्री वीर विक्रम सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैवाहिक सामग्री-कपड़े की किट, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्राली बैग, चांदी की पायल, दो जोड़ी बिछिया, कम्बल तथा सीलिंग फैन को कितने रुपये में किस-किस फर्म से खरीदे गये तथा क्रय समान से सरकार को कितना-कितना टी0डी0एस0 प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति में कौन-कौन अधिकारी थे तथा उपरोक्त सामान क्रय करने में क्या-क्या नियम अपनाये गये ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वैवाहिक सामग्रियों को क्रय किये जाने हेतु प्रति जोड़ा धनराशि रु0 10,000/-की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत क्रय समिति द्वारा आवश्यकतापरक् वैवाहिक सामग्री यथा कपड़े की किट, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्राली बैग, चाँदी

की पायल, दो जोड़ी बिछिया को क्रय कर कन्या को उपलब्ध करायी गयी है, उक्त वैवाहिक सामग्रियों की दरों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	समग्री का नाम एवं विवरण	दर (रु0 में)	फर्म का नाम
1	2	3	4
1	कपड़े की किट	3,075/-	मेसर्स आयुष सॉड़ीज
2	डिनर सेट	1,280/-	मेसर्स महातापेश इण्टरप्राइजेज।
3	प्रेशर कुकर (03 लीटर)	1,070/-	
4	ट्राली बैग	1,900/-	
5	एक जोड़ी चांदी की पायल एवं दो जोड़ी चांदी की बिछिया	2,675/-	श्री बनवारी लाल ज्वैलर्स व श्रीराम एसोसिएट।

उल्लेख करना है कि क्रय सामान पर खण्ड विकास अधिकारियों, अधिशाषी अधिकारियों तथा नगर निगम द्वारा फर्मों के बिलों का भुगतान किया गया, जिसमें उक्त भुगतानकर्ता अधिकारियों द्वारा नियमानुसार 02 प्रतिशत की टी0डी0एस0 कटौती की गयी है :-

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का स्वरूप निम्नवत् है :-

1-मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष

2-वरिष्ठ कोषाधिकारी - सदस्य

3-जिला पूर्ति अधिकारी - सदस्य

4-जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य

5-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी - सदस्य

6-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी - सदस्य

7-जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य/सचिव

क्रय की जाने वाली वैवाहिक सामग्री की गुणवत्ता की जाँच हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित 02 जनपद स्तरीय महिला अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है :-

1-उप जिलाधिकारी/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट,

2-सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर।

जनपद स्तरीय क्रय समिति द्वारा वैवाहिक सामग्रियों के नमूना का परीक्षण कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला उद्योग केन्द्र में जी0एम0 के भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में

92-श्री मनीष असीजा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला उद्योग केन्द्र में जी0एम0 के भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री एवं प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को प्रेषित पत्रांक क्रमशः क-6 न0-602618, क-6 न0-602617, दिनांक 06-12-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

प्रमुख सचिव को सम्बोधित पत्र क-6 न0-602617, दिनांक 06-12-2022 प्राप्त हुआ है तथा मा0 मंत्री जी को सम्बोधित पत्र क-6 न0-602618, दिनांक 06-12-2022 कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

शासन के पत्र संख्या-वी0आई0पी0-26/18-1-22-19(2)/20 टी0सी0-1, दिनांक 30-12-2022 के अनुपालन में मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र पर जिला उद्योग तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, फिरोजाबाद प्रभारी उपायुक्त उद्योग श्री पंकज निर्वाण के विरुद्ध प्राप्त शिकायती प्रकरण की जच हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर (कार्मिक अनुभाग-3 अ) के पत्र संख्याः 1638/3-अ/का0/जाँच-240/2022-23, दिनांक 13-02-2023 द्वारा संयुक्त आयुक्त उद्योग, आगरा मण्डल, आगरा को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। जाँच कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम मिश्रौलिया में आई0टी0आई0 भवन निर्माण विषयक

93-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 न0-665375 जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम मिश्रौलिया में आई0टी0आई0 भवन निर्माण विषयक है, दिनाँक 25-05-2022 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ। मा0 सदस्य का पत्र संख्या-क-6 न0-665375, दिनांक 31-05-2022 प्राप्त हुआ है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्राम मिश्रौलिया, विकास खण्ड मिठवल डुमरियागंज-सिद्धार्थनगर का भवन निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा अब तक संस्थान के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत रु0 877.89 लाख के सापेक्ष रु0 627.89 लाख कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) को अवमुक्त की जा चुकी है। निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्र दिनांक 01-07-2022 द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ को भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भवन हस्तगत होने के उपरान्त संस्थान को संचालित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कृषकों को कृषि यंत्रों की खरीद पर दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में

94-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में लेखा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कृषकों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कुल कितना अनुदान का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार कृषि यंत्रों का विक्रय करने वाली फर्मों का नाम तथा कृषकों को दिया गया अनुदान बैंक का नाम सहित विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

जनपद बिजनौर में वर्ष 2020-21 में 900 कृषकों को रु0 9,71,24,200 एवं लेखा वर्ष 2021-22 में 418 कृषकों को रु0 4,07,99,617 अनुदान का भुगतान किया गया।

समस्त वांछित सूचनाएँ कृषि विभाग के पोर्टल www.upagriculture.com पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर में भूमि संरक्षण हेतु विभाग में लेखा वर्ष 2020-21 में दिनाँक 30-11-2022 तक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में

95-श्री राम अवतार सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में भूमि संरक्षण हेतु विभाग में लेखा वर्ष 2020-21 में दिनाँक 30-11-2022 तक कुल कितने कार्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किया गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यों की सूचना दी जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भूमि संरक्षण इकाई, बिजनौर द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 20 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 598.380 हे0 में कुल 07 परियोजनाओं द्वारा भूमि विकास एवं नाला जीर्णोद्धार के कार्य कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत कुल 06 परियोजनाओं द्वारा 284.47 हे0 क्षेत्र का उपचार कराया गया तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 24 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2022-23 में दिनांक 30-11-2022 तक पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत कुल 10 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (खेत-तालाब) के अन्तर्गत कुल 07 खेत-तालाब के कार्य कराये गये हैं।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में ब्लाक स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योग लगाकर लोगों को प्रोत्साहित करने विषयक

96-श्री मो0 ताहिर खान-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लाक स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योग लगाकर लोगों को प्रोत्साहित करने की योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश में ब्लाक स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनायें यथा-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 15 से 35 प्रतिशत, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 प्रतिशत एवं एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना में 10 से 25 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षित एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध करायी जाती है तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल विकास एवं टूलकिट वितरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार नये उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि क्रय किये जाने पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28-09-2022 को नयी एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 लागू की गयी है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में ब्लाक स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को चिन्हित करते हुए सम्मान निधि दिलाए जाने के सम्बन्ध में

97-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कतिपय अपात्र किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि की जाँच प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को भी चिन्हित करते हुए उन्हें उक्त किसान सम्मान निधि दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा कुल लाभार्थियों में से 5 से 10 प्रतिशत किसानों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है।

यह योजना पात्र किसानों के द्वारा दिये जाने वाले एवं घोषणा-पत्र पर आधारित है। भारत सरकार ने सभी पात्र किसानों को ओपेन सोर्स से ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर दी गयी है, जिसमें किसानों के पंजीकृत होने पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का लाभ अनुमन्य कराया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र लाभार्थियों को जोड़ने तथा अपात्र कृषकों को योजना से हटाने की सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में गरीब कन्याओं की शादी के लिए आवेदित शादी अनुदान लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में

98-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में गरीब कन्याओं की शादी के लिए आवेदित शादी अनुदान की धनराशि सरकार लाभार्थियों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की 48093 गरीब कन्याओं को धनराशि रु0-9618.60 लाख तथा सामान्य वर्ग की 20507 गरीब कन्याओं को धनराशि रु0 4101.40 लाख का शादी अनुदान उपलब्ध कराया गया है। शासनादेश संख्या-115/2016/ 1873/26-03-2016, दिनांक-10-06-2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की मझवार जाति को अनुसूचित जाति का 'जाति प्रमाण-पत्र' जारी कराने के सम्बन्ध में

99-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मझवार जाति जो अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-53 पर दर्ज है, को अनुसूचित जाति का 'जाति प्रमाण-पत्र' सभी जनपदों में कैम्प लगाकर सरकार जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) ऐक्ट, 1976 में उ0प्र0 की अनुसूची के क्रमांक-53 पर मझवार जाति अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है।

मझवार जाति को जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने सम्बन्धी कार्य नियमानुसार जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सोहावल में ग्राम पंचायत कोहडी सरैया में मिनी स्टेडियम का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

100-डॉ0 अमित सिंह चौहान-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सोहावल में ग्राम पंचायत कोहडी सरैया में मिनी स्टेडियम का कार्य अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

निर्माण संस्था को उक्त अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लालबाग स्थित नव निर्मित विधायक निवास टाइप-5 दारुलशफा परिसर में भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कैन्टीन के संचालन के सम्बन्ध में

101-डॉ0 अमित सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लालबाग स्थित नव निर्मित विधायक निवास, टाइप-5 दारुलशफा में विधान सभा सदस्यों हेतु आवासीय परिसर में किसी भी कैन्टीन की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासीय परिसर में भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कैन्टीन का संचालन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नव निर्मित विधायक निवास, टाइप-5, दारुलशफा में कैन्टीन की व्यवस्था नहीं है।

दारुलशफा आवासीय परिसर में ही विधायक निवास-1 खण्ड-अ एवं खण्ड-ब, विधायक निवास-2 नया एवं विधायक निवास-2 पुराना में 04 भोजनालय (कैन्टीन) पूर्व से संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गेटवे पोर्ट योजनान्तर्गत एलसीएल शिपमेंट को लाभान्वित एवं ट्रक के माध्यम से निर्यात के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में

102-श्री मनीष असीजा-

क्या औधोगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेटवे पोर्ट योजनान्तर्गत एलसीएल शिपमेंट को लाभान्वित एवं ट्रक के माध्यम से निर्यात के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका निर्धारण हेतु कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 से दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी नहीं।

प्रदेश में गेटवे पोर्ट योजनान्तर्गत एलसीएल शिपमेंट को लाभान्वित एवं ट्रक के माध्यम से निर्यात के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका निर्धारण हेतु कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 से शासन में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, अपितु ट्रक के माध्यम से निर्यात के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका तैयार किये जाने हेतु कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 से संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-576/ई0पी0बी0/रा0स्त0स0/2022-23, दिनांक 02-12-2022 द्वारा परामर्श मांगा गया था, जिसके क्रम में परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के पत्र संख्या-740 प्रावि0/2023-118 प्रावि0/2022, दिनांक 31-01-2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/परामर्श के आधार पर कार्यवाही संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित नवीन गल्ला मण्डी में कूड़ा निस्तारण और सफाई की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में

103-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित नवीन गल्ला मण्डी में कूड़ा निस्तारण और सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है तथा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है ? यदि हाँ, तो प्रश्नगत परिसर में सफाई एवं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

नवीन मण्डी स्थल, लखनऊ की गल्ला मण्डी परिसर की सफाई एवं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी मण्डी समिति, लखनऊ की है, जिसके अन्तर्गत नवीन मण्डी स्थल सीतापुर रोड, लखनऊ के गल्ला/फल/सब्जी मण्डी के सम्पूर्ण परिसर की सफाई हेतु मेसर्स विजय ट्रेडर्स, लखनऊ को ई-टेण्डरिंग के माध्यम से सफाई की निविदा दिनांक 31-03-2023 तक के लिये मण्डी समिति, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी है।

नामित संस्था द्वारा नियमित रूप से मण्डी परिसर की सफाई एवं कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है इसके अतिरिक्त वर्तमान में सफाई नामित संस्था से विशेष सफाई अभियान के अन्तर्गत सम्पूर्ण परिसर की सफाई एवं कूड़े का निस्तारण अतिरिक्त व्यय करके कराया गया है। मण्डी के सफाई नामित संस्था द्वारा मण्डी परिसर से निकलने वाला कूड़ा मण्डी परिसर में स्थित नगर निगम की अधिकृत संस्था मेसर्स इको ग्रीन लिमिटेड के कूड़ा स्टोर पर दैनिक रूप से दिया जा रहा है। तत्पश्चात् उक्त संस्था द्वारा मण्डी परिसर में स्थित कूड़ा स्टोर से कूड़ा

अपने कूड़ा निस्तारण इकाई, मोहान रोड, लखनऊ में ले जाकर निस्तारित किया जाता है। इस पर देय धनराशि संस्था द्वारा नगर निगम को भुगतान की जाती है। मण्डी परिसर के अन्दर कूड़े का ढेर स्थाई रूप से एकत्रित नहीं रहता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र नगीना में स्थापित सहकारी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

104-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में स्थापित सहकारी कताई मिल को पुनः चालू करने अथवा उक्त मिल की जमीन पर कोई अन्य उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें विस्तृत विवरण प्राविधानित है।

जी नहीं।

टेक्सटाइल उद्योग में व्याप्त भारी मन्दी के कारण कार्यशील पूंजी के अभाव में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, कानपुर की सदस्य कताई मिल नगीना, जनपद बिजनौर विधिक रूप से बन्द घोषित कर दी गई। नगीना सहकारी कताई मिल मा0 उच्च न्यायायल मुम्बई में योजित सूट संख्या-2792/2000 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2006 के अनुपालन में उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिसमापनाधीन है। नगीना कताई मिल की परिसम्पत्तियां परिसमापक के अधीन हैं।

जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अपात्र लाभार्थियों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं अपात्र व्यक्तियों से वसूली के सम्बन्ध में

105-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सत्यापन कार्य में कितने लाभार्थी पात्र तथा कितने अपात्र पाये गये हैं ? क्या सरकार जांच कराकर फर्जी किसान सम्मान निधि का फर्जी सत्यापन करने के दोषियों के विरुद्ध

कार्यवाही करते हुए अपात्र व्यक्तियों से वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भारत सरकार द्वारा वास्तविक कृषकों की पहचान हेतु चलाये गये अभियान के तहत कुल 397136 कृषकों के विवरण में भू-अंकन किया गया तथा 11137 कृषकों को तहसील द्वारा मृतक/अपात्र दर्शाया गया है।

लाभार्थियों का सत्यापन एवं अपात्रों से वसूली की प्रक्रिया सतत् है।

वसूली की प्रक्रिया सतत् है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत नव निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन के सम्बन्ध में

106-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत नव निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का वर्ष 2023-24 में संचालन सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में राजकीय आई0टी0आई0, बदलापुर, जौनपुर के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। भवन को हस्तान्तरित करने के लिये प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जा चुका है।

वर्तमान में नवसृजित आई0टी0आई0 को पी0पी0पी0 मॉडल पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जिला मुख्यालय व ब्लाक स्तर पर तैनात कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

107-श्री बेचई सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में समूह-ख व ग के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद आजमगढ़ में जिला मुख्यालय व ब्लाक स्तर पर तैनात कार्मिक एक ही स्थान पर स्थानान्तरण नीति के विपरीत कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की जांच कराकर जनपदीय मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 में दी गयी व्यवस्थानुसार समूह 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके द्वारा अपने सेवाकाल में दिनांक 31-03-2022 तक सम्बन्धित जनपद में कुल 03 वर्ष तथा सम्बन्धित मण्डल में कुल 07 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया जा चुका है, को स्थानान्तरित करने का प्राविधान है।

जी नहीं, जनपद आजमगढ़ में समूह 'ख' के अन्तर्गत स्थानान्तरण नीति के विपरीत कोई कार्य नहीं कर रहा है। समूह 'ग' के कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 में प्रदेश स्तर पर कार्यरत कुल कर्मचारियों के सापेक्ष 10 प्रतिशत की सीमा में स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। प्रावधान के सापेक्ष प्रदेश स्तर पर अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है।

आगामी वर्ष की स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में वैश्य समाज की बरनवाल जाति को वैश्य समाज की अन्य जातियों की भांति पिछड़ी जाति में शामिल करने के सम्बन्ध में

108-श्री मोहन वर्मा-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैश्य समाज की बरनवाल जाति को वैश्य समाज की अन्य जातियों की भांति पिछड़ी जाति में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग द्वारा सर्वेक्षणोपरान्त बरनवाल वैश्य जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित न करने की संस्तुति की गयी थी। उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त बरनवाल वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद स्थित नवीन मण्डी स्थल में आवासों तथा दुकानों को ऊँचा उठाने, बरामदों का नव निर्माण कराने, सी0सी0 रोड पर वियरिंग कोट डालने एवं नालियों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

109-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद स्थित नवीन मण्डी स्थल में आवासों तथा दुकानों को ऊँचा उठाने, बरामदों का नव निर्माण कराने, सी0सी0 रोड पर वियरिंग कोट डालने एवं नालियों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का

पत्रांक क-6 न0-589266, दिनांक 06-09-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

उक्त संदर्भित पत्र में कुल 05 विषय इंगित किये गये थे, जिनमें से जनसामान्य के लिए उपयोगी एवं आवश्यक कुल 03 कार्य (1-आन्तरिक नालियों की मरम्मत, 2-आवश्यक भाग में सी0सी0 मार्ग की मरम्मत, 3-बरामदे की ए0सी0 शीट मरम्मत) कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु लगाये जाने वाले सोलर पम्प के सम्बन्ध में

110-श्री जगदीश नारायण-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु लगाये जाने वाले सोलर पम्प की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने पम्प स्थापित किये गये ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का चयन आनलाइन टोकेन के माध्यम से ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15000 सोलर पम्प के लक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2023 तक 8393 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी है।

विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता है।

111-श्री जगदीश नारायण-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्र0 सं0-100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में दिनांक 01-04-2017 से 10-03-2022 तक इन्वेस्टर समिट में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

112-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में सरकार ने दिनांक 01-04-2017 से 10-03-2022 तक कितनी धनराशि किस मद में व्यय की है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-387-388 पर।

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने दिनांक 01-04-2017 से 10-03-2022 तक धनराशि रु0 21,02,57,815.24 (रु0 इक्कीस करोड़, दो लाख, सत्तावन हजार आठ सौ पन्द्रह तथा चौबीस पैसे मात्र) विभिन्न मदों यथा रोड-शो, वेबसाइट एण्ड मोबाइल एप डिजाइनिंग डायरेक्ट कास्ट, मैंनेजमेण्ट फीस, प्रिंटिंग, ट्राफी, मेमोन्टोस, फिल्म मेकिंग आदि, मेनेजमेण्ट फीस, वुडेन स्टाल, पेंट वर्क, लाइट वर्क, डिजाइनिंग, कान्सेप्टूलाइजिंग, फैब्रीकेशन आदि (यूपी पैवेलियन) डिजाइनिंग एण्ड आर्ट वर्क फार एक्जीविशन डायरेक्ट्री, एक्जीविशन डायरेक्ट्री, कुरियर चार्जेज, इवेन्ट मैंनेजमेण्ट कॉस्ट, समिट-2018 के दौरान लंच एण्ड हाई-टी, किराया इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, कार्यक्रम हेतु आरक्षित कराये गये होटल का किराया, कार्यक्रम हेतु आरक्षित करायी गयी टैक्सी का किराया, स्पॉन्सरशिप फी, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी एक्सपेन्सेज तथा प्री एण्ड पोस्ट इवेन्ट रिफ्रेशमेण्ट एक्सपेन्डिचर में व्यय की है। मदवार विवरण संलग्न[†] है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

113-श्री बाबूलाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग में कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी ट्रान्सफर पॉलिसी के विपरीत 15 से 20 वर्ष से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को चिन्हित कर स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चूँकि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-11/2022/363-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2022–1/3/96, दिनांक 15-06-2022 के प्राविधानान्तर्गत समूह-ग एवं घ के स्थानान्तरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-389-390 पर।

उपनिदेशक, युवा कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली तथा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा नामित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, शाहजहांपुर की समिति द्वारा जांच विषयक

114-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या युवा कल्याण एवं प्रान्तीय दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-07-2021 एवं 19-07-2021 आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-18150210029245 जो प्रभारी जिला युवा कल्याण ख0प्रा0वि0-50 अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध था, उपनिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एवं उपनिदेशक,, युवा कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली को भेजे प्राप्त हुये, यदि हाँ तो (उपरोक्त) पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त पत्रों की जांच मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 06-08-21 को जांच के आदेश दिये, यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर जांच कार्य पूर्ण किया गया, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

उक्त पत्रों के सम्बन्ध में उपनिदेशक, युवा कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली तथा मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा नामित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, शाहजहांपुर की समिति द्वारा जांच की गयी।

जी हाँ।

जांच समिति द्वारा दिनांक 10 जून, 2022 को प्रस्तुत जाँच आख्या में शिकायत निराधार पाई गई है। फलस्वरूप प्रश्नगत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ निक्षेपित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा सत्र 2021-22 की अवधि हेतु प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में

115-श्री अतुल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 2021-22 की अवधि हेतु प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति करने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

1-अनुसूचित जाति पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रु0 2.50 लाख पात्रता हेतु निर्धारित है। पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।

2-वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश) की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त छात्रों को भुगतान की गयी है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि राज्य सरकार द्वारा सीधे छात्रों को भुगतान की गयी है

3-पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा में संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम, मान्यता आदि का विवरण भरकर डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जाता है, जिसे सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने की कार्यवाही की जाती है आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा का परीक्षण एन0आई0सी0 द्वारा एवं बैंक खातों का सत्यापन पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किया जाता है तथा आय, जाति आदि प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित वेबसाइट पर किया जाता है। समस्त डाटा का एन0आई0सी0 स्तर पर परीक्षणोंपरान्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय लिया जाता है।

4-अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् है :-

क-पूर्वदशम में छात्रवृत्ति की दरें

क्र0	कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति की दर
1	रु0 225/-प्रतिमाह 10 माह हेतु एवं तदर्थ अनुदान रु0 750/-कुल वार्षिक रु0 3000/-

ख-दशमोत्तर में छात्रवृत्ति दरें

समूह	पाठ्यक्रम	वार्षिक दर (रु0 में)	
		आवासीय	दिवा छात्र
1	बी0टेक0, एम0टेक0, एम0बी0ए0, एल0एल0बी0 आदि	13500	7000
2	एम0ए0, एम0एस-सी0, एम0कॉम0, एम0फार्मा0 आदि	9500	6500

3	बी0ए0, बी0एस-सी0 आदि	6000	3000
4	आई0टी0आई0, कक्षा 11-12 आदि	4000	2500

5-वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में विवरण की स्थिति-

(लाख रु0 में)

क्र0	योजना का नाम	अंश	छात्र	धनराशि
1	पूर्वदशम छात्रवृत्ति	60% केन्द्रांश 40% राज्यांश	320390	7844.00
2	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	60% केन्द्रांश 40% राज्यांश	1232431	139308.76

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में किसान सम्मान निधि प्राप्त करने से वंचित किसानों के सम्बन्ध में

116-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 1 जनवरी, 2023 तक कितने कृषक, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद फिरोजाबाद में 12वीं किश्त के पूर्व 2,62,531 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हुआ था, जो कि दिनांक 04-01-2023 तक बढ़ कर कुल 2,64,098 हो चुकी है।

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी कृषकों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को योजनान्तर्गत लाभ देने हेतु शामिल करने तथा मृत्यु एवं अपवर्जन श्रेणी में आने पर उन्हें अपात्र करने की कार्यवाही चलती ही रहती है, यह एक सतत् प्रक्रिया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों की सुविधा हेतु पीएम-किसान पोर्टल पर ओपेल सोर्स से पंजीकरण की सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गयी है किसान pmkisan.gov.in के माध्यम से कहीं से भी अपना रजिस्ट्रेशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कर अथवा करा सकता है रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते

हुए भारत सरकार द्वारा पात्र किसानों को योजना का लाभ स्वीकृत किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण पात्र किसानों को पंजीकृत कराने में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो योजना लागू रहने तक चलती रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक मिनी स्टेडियम बनवाये जाने विषयक

117-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक मिनी स्टेडियम बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0 216238, दिनांक 05 जनवरी, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

पत्र क-7 सं0-216238, दिनांक 05 जनवरी, 2023 प्राप्त नही हुआ है, किन्तु पत्र संख्या-ख-7 नं0-216144, दिनांक 05 जनवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-ख-7 नं0-216138, दिनांक 05 जनवरी, 2023 प्राप्त हुआ है मिनी स्टेडियम का निर्माण भूमि की उपलब्धता तथा स्टेडियम की उपयोगिता की आख्या प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित विधायक निवास, मंत्री आवास तथा अन्य सरकारी अतिथि गृहों में पाइप लाइन से रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में

118-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री तुफानी सरोज तथा श्री पंकज पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित विधायक निवास, मंत्री आवास तथा अन्य सरकारी अतिथि गृहों में पाइप लाइन से रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ स्थित विधायक निवास, मंत्री आवास तथा अन्य सरकारी अतिथि गृहों में पाइप लाइन से रसोई गैस की आपूर्ति किए जाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं, वर्तमान में रसोई गैस की आपूर्ति गैस एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराने के सम्बन्ध में

119-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित न होने के कारण क्षेत्र का विकास रुका है और बेरोजगारी बढ़ रही है ? यदि हां,तो क्या सरकार सिराथू क्षेत्र में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित कराए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद कौशाम्बी में वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु 142.84 हे0 भूमि चिन्हित किये जाने तथा भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जनपद-कौशाम्बी से यूपीसीडा के पत्र दिनांक 30-12-2022 द्वारा अनुरोध किया गया है। जनपद कौशाम्बी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2017 से 2022 के मध्य आयोजित इन्वेस्टर समिट में प्रदेश में हुए निवेश का विवरण

120-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2017 से 2022 तक कितने इन्वेस्टर समिट के आयोजन हुए एवं कौन सी योजनाएं घोषित हुई हैं तथा वर्ष 2017 से 2022 तक की अवधि में प्रदेश में कुल कितना निवेश किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में 2017 से 2022 तक एक इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन वर्ष 2018 में हुआ, जिसमें रु0 4.28 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके क्रम में 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किये गये। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने एवं वृहद् निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी, इसके साथ ही विभिन्न 20 सेक्टोरल नीतियों यथा-निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना-2017, उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017, उ0प्र0 हैण्डलूम, पॉवरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति-2017, उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017, उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017, उ0प्र0 आई0टी0 स्टार्टअप नीति-2017, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017, उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2017, उ0प्र0 पर्यटन नीति-2018, जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम-2018, उ0प्र0

फार्मास्युटिकल उद्योग नीति-2018, उ0प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2018, उ0प्र0 फिल्म नीति-2018, उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018, एक जनपद एक उत्पाद योजना-2018 उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मेन्यूफैक्चरिंग नीति-2019, उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2022, कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020, उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति-2021 तथा उ0प्र0 आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 की नीतियां/योजनायें प्रख्यापित की गयीं।

वर्ष 2017 से वर्ष 2022 की अवधि में रु0 65,261.00 करोड़ का निवेश हो चुका है और रु0 1,43,120.00 करोड़ का निवेश की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में गतिमान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज में आलू किसानों के हितार्थ आलू आधारित उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में

121-श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में आलू किसानों के हितार्थ आलू आधारित उद्योग की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

प्रदेश के जनपद कन्नौज में आलू आधारित उद्योग की स्थापना एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-33/2022/393/18-2-2022/18-2099/116 (ल0उ0)/2022, दिनांक 28-09-2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नई एम0एस0एम0ई0 नीति लागू की गयी है, जिसके द्वारा उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत पूँजी उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनायें संचालित की जा रही हैं। परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 प्रतिशत तक का अनुदान तथा एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना में परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान, जोकि अधिकतम रु0 20.00 लाख तक प्रदान किया जाता है इसी प्रकार नये उद्योगों द्वारा स्थापना हेतु भूमि क्रय किये जाने पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान करने की व्यवस्था है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नीतियों/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के जनपद कन्नौज में आलू आधारित उद्योग की स्थापना एवं अन्य उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के ग्राम सरायसुन्दर छिबरामऊ के नवनिर्मित मूकबधिर विद्यालय में प्रवेश प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में

122-श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

क्या दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के ग्राम सरायसुन्दर छिबरामऊ मे नव निर्माणाधीन मूकबधिर विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालय मे दिव्यांगजन मूकबधिर बच्चों के प्रवेश की समय-सीमा निर्धारित कर प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

(क) जनपद कन्नौज के ग्राम-सरायसुन्दर छिबरामऊ में मूक बधिर विद्यालय का निर्माण नहीं कराया जा रहा है अपितु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया है

(ख) समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ अस्थिबाधित दिव्यांगता, मूक-बधिर, दृष्टिबाधित तथा श्रवण बाधित दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जानी है, जिसमें शैक्षिक सत्र के अनुसार प्रवेश प्रदान किया जाना है।

(ग) प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से शैक्षिक सत्र के अनुरूप।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित योजना के सम्बन्ध में

123-श्री अतुल प्रधान-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कोई योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हां। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन जनपद मेरठ में किया जा रहा है :-

1	एस0एस0डी0एफ0 (स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड)
2	एस0सी0ए0टू0 एस0सी0एस0पी0 (स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शिड्यूल्ड कॉस्ट सब प्लान
3	पी0एम0के0वी0वाई0-राज्य घटक (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)
4	डी0डी0यू0जी0के0वाई0 (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना)

संचालित योजनाओं का विवरण संलग्न-1[†] के रूप में संलग्न है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई लगाने के सम्बन्ध में

124-श्री अतुल प्रधान-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में औद्योगिक इकाई लगाने की दिशा में सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मेरठ का चयनित उत्पाद खेल का सामान है। जनपद स्तर पर ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद से सम्बन्धित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है :-

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना-योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा उद्योगों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त दावों के विरुद्ध सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त मार्जिन मनी की धनराशि हेतु आनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है।

परियोजना लागत देय	मार्जिन मनी
रु0 25.00 लाख तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी

[†] देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-391 पर।

परियोजना लागत देय	मार्जिन मनी
	कम हो
रु0 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रु0 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150.00 लाख तक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु0 10.00 लाख, जो भी अधिक हो
रु0 150.00 लाख से अधिक की परियोजना	परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 20.00 लाख, जो भी कम हो

उक्त योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जनपद मेरठ में अद्यतन रु0 25,738.30 लाख परियोजना लागत की 415 इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिसमें रु0 3715.06 लाख मार्जिन मनी के रूप में उपादान उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त इकाइयों की स्थापना द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 13,723 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल 15 करोड़ रु0 तक की लागत की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। एक जनपद एक उत्पाद/वित्त पोषण सहायता योजना की भौतिक, वित्तीय तथा रोजगार सृजन की प्रगति का 05 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 09-02-2023 तक) का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अलीगंज व निराला नगर आदि क्षेत्रों में राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियों की मरम्मत के सम्बन्ध में

125-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के अलीगंज व निराला नगर आदि क्षेत्र में राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियाँ हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि दशकों पहले निर्मित एम0आई0जी0 अलीगंज कालोनी में स्थित भवनों के मरम्मत ना

[†] छापा नहीं गया।

होने के कारण जान-माल का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों को ठीक/मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं। सम्बन्धित अनुरक्षण खण्ड द्वारा उक्त आवासीय कॉलोनियों का लोक निर्माण विभाग के मेनुअल के अन्तर्गत अनुरक्षण का कार्य कराया जाता है और अध्यासियों से शिकायतें प्राप्त होने पर मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य नियमानुसार कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण तथा ब्रिक्री को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में

126-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण तथा अवैध शराब की बिक्री के कारण शराब का सेवन करने वाले लोगों की मृत्यु हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध शराब के निर्माण तथा ब्रिक्री को पूर्णतया प्रतिबन्धित करते हुए उक्त कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोक-थाम के लिए आबकारी विभाग कटिबद्ध है विगत वर्षों में अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वर्तमान वर्ष 2022-23 में अद्यतन अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोक-थाम के लिए आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के अपराध निरोधक क्षेत्रों में तैनात आबकारी स्टाफ द्वारा निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभार स्तर पर कार्यरत आबकारी की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के निर्देश पर पृथक-पृथक तथा जनपदों के सहयोगार्थ अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के रोक-थाम के लिये कार्य किया जाता है। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है। प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2022-23 में अप्रैल, 2022 से जनवरी, 2023 तक अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु प्रवर्तन कार्यवाही में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध 72,949 अभियोग पंजीकृत करते हुए लगभग 19.93 लाख लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी। इस कार्यवाही में 24,517 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

गया एवं 8,765 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त 648 वाहन जब्त किये गये।

वर्ष 2022-23 में अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रशासन, पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीमें गठित कर अब तक छः विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये गये।

प्रथम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-04-2022 से 05-05-2022 तक चलाया गया, जिसमें 4,319 अभियोग पंजीकृत कर 1,25,608 लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

द्वितीय विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-06-2022 से 05-07-2022 तक चलाया गया है, जिसमें 4,278 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,17,771 लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

तृतीय विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 16-08-2022 से 30-08-2022 तक चलाया गया जिसमें 4,627 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,26,233 लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

चतुर्थ विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 01-10-2022 से 10-10-2022 तक चलाया गया जिसमें 2,481 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 62,601 लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

पंचम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-10-2022 से 30-10-2022 तक चलाया गया जिसमें 2,506 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 62,084 लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी तथा

षष्ठम विशेष प्रवर्तन अभियान दिनांक 21-12-2022 से 05-01-2023 तक चलाया गया, जिसमें 4,173 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 1,05,628 लीटर कच्ची/अवैध शराब बरामद की गयी।

उक्त के अतिरिक्त आम जनमानस को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जनपदों में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पैम्फलेट वितरित कर तथा विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है जन सामान्य से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल-फ्री नम्बर-14405 एवं व्हाट्सएप नम्बर- 9454466019, 24x7 क्रियाशील है। उक्त टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है इसके अतिरिक्त उक्त टोल-फ्री नम्बर को मदिरा की दुकानों पर अंकित/चस्पा कराया गया। इन पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही

की जाती है अवैध शराब से होने वाली जनहानि एवं राजस्व की क्षति के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित, 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुये जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा 60 (क) जोड़ते हुए अवैध शराब के सेवन से होने वाली मृत्यु की घटनाओं में पाये गये दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास/मृत्युदण्ड तक का प्राविधान किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शराब की बोतलों आदि पर बार कोड/क्यू0आर0 कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिए आसान कर दिया गया है, जिससे कि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री न हो सके।

इसी क्रम में मिथाइल अल्कोहल के उपभोग से होने वाली दुःखद घटनाओं की रोकथाम के लिए प्वायजन्स एक्ट, 1991 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली, 1994 यथा संशोधित, 2014 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

127-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज हेतु व्याज मुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं एवं अनुदान की धनराशि को सीधे किसानों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।

प्रदेश में विभिन्न फसलों के बीजों पर केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक कृषकों को अनुमन्य किया गया है।

केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीज वितरण पर अथवा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित बीज पर भी राज्य सरकार से बीज मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों की सूची के सम्बन्ध में

128-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान सम्मान योजना लागू है ? यदि हां, तो उक्त योजना में पात्रता का आधार क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त योजना के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितने किसानों को कितनी धनराशि का दिनांक 30-11-22 तक आवंटन किया गया है ? क्या सरकार जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के किसान सम्मान योजना के लाभाथियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

योजनान्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार, जिसमें पति, पत्नी तथा उनके नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, तथा जिनका नाम खतौनी में 01-02-2019 से पूर्व अथवा उक्त तिथि के पश्चात् वरासत के आधार पर भूमिधर के रूप में दर्ज है, वह योजना की पात्रता के अन्तर्गत हैं।

उक्त के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के कृषकों को योजनान्तर्गत अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है:-

1-भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक।

2-भूतपूर्व अथवा वर्तमान मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान मा0 सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद्, भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।

3-केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्द्धसरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर)।

4-लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।

5-समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक, जिनकी मासिक पेंशन रु0 10 हजार या उससे अधिक है।

6-पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि जो सम्बन्धित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं और अपना पेशा कर रहे हैं।

ऐसे कृषक जो दिनांक 01-02-2019 के पश्चात् कृषि योग्य भूमि क्रय करने से कृषक बने हैं।

किसानों को हस्तांरित की जाने वाली धनराशि का आवंटन जनपद स्तर पर न होकर केन्द्र सरकार द्वारा सीधे किसान के बैंक खाते में अन्तरित किया जाता है।

किसान सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थियों का ग्रामवार विवरण भारत सरकार के पोर्टल pmkisan.gov.inपब्लिक डोमन लिंक में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में किसान सम्मान योजना के वर्तमान लाभार्थियों की सूची के सम्बन्ध में

129-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान सम्मान योजना लागू है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना में पात्रता का आधार क्या है ? क्या सरकार जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में किसान सम्मान योजना के वर्तमान लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

योजनान्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार, जिसमें पति, पत्नी तथा उनके नाबालिग बच्चे सम्मिलित हैं, तथा जिनका नाम खतौनी में 01-02-2019 से पूर्व अथवा उक्त तिथि के पश्चात् वरासत के आधार पर भूमिधर के रूप में दर्ज है, वह योजना की पात्रता के अन्तर्गत हैं।

उक्त के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के कृषकों को योजनान्तर्गत अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है:-

1-भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक।

2-भूतपूर्व अथवा वर्तमान मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान मा0 सदस्य, लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद्, भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।

3-केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्द्धसरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त

कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर)।

4-लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।

5-समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक, जिनकी मासिक पेंशन रु0 10 हजार या उससे अधिक है।

6-पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि जो सम्बन्धित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं और अपना पेशा कर रहे हैं।

ऐसे कृषक जो दिनांक 01-02-2019 के पश्चात् कृषि योग्य भूमि क्रय करने से कृषक बने हैं।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र के 59920 लाभार्थी किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थियों की ग्रामवार सूची भारत सरकार के पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब बन्दी लागू करने पर विचार करने के सम्बन्ध में

130-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब बन्दी लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जी नहीं।

राज्य में शराब बन्दी से अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं उपभोग से जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी से राज्य सरकार को भारी राजस्व से वंचित होना पड़ेगा तथा राज्य की विकास योजनायें भी प्रभावित हो सकती हैं, जो जनहित में नहीं होगा।

जनपद मेरठ हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

131-श्री अतुल प्रधान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में कितनी धनराशि जारी की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जनपद मेरठ को वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं अधिष्ठान मद में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	समाज कल्याण विभाग द्वारा आंवटित धनराशि (रु0 लाख में)
1	2018-19	1818.644
2	2019-20	2159.378
3	2020-21	2116.801
4	2021-22	1813.0128
नोट-वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।		

उपरोक्तानुसार (सूची संलग्न)[†] ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में युवाओं के खेलकूद व शारीरिक दक्षता हेतु तहसील बैरिया अन्तर्गत मिनी स्टेडियम स्थापित करने के सम्बन्ध में

132-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में युवाओं के खेलकूद व शारीरिक दक्षता हेतु तहसील बैरिया अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम की स्थापना पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

[†] देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-392-395 पर।

तहसील बैरिया में भूमि की उपलब्धता तथा स्टेडियम की उपयोगिता/आवश्यकता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बलिया से आख्या मांगी गयी है, तहसील बैरिया के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम का निर्माण भूमि एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चौक स्टेडियम में तरणताल के निर्माण के सम्बन्ध में

133-डॉ नीरज बोरा-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के चौक स्टेडियम में तरणताल का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

चौक स्टेडियम लखनऊ में तरणताल के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं के समुचित विकास हेतु खेल स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

134-श्री लक्ष्मी राज सिंह-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं के समुचित विकास हेतु सरकार खेल स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जनपद बुलन्दशहर में खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही 02 स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है-

1-टाण्डा (बुलन्दशहर) के अन्तर्गत मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, जिम हाल, वालीबाल कोर्ट निर्मित है।

2-यमुनापूरम (बुलन्दशहर) के अन्तर्गत मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, तरणताल, बास्केटबाल कोर्ट निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर सड़कों के नव निर्माण के सम्बन्ध में

135-श्री लक्ष्मी राज सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में सड़कें जर्जर होने के कारण वाहनों की आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में सड़कों का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद लगभग 40 वर्ष पूर्व विकसित औद्योगिक क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत इकाइयां उत्पादनरत् हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद की सड़कों, नालियों, पुलियों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत रु0 25.00 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों के मांग के दृष्टिगत अत्यन्त क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों एवं पुलियों की मरम्मत हेतु वर्ष 2022-23 में कुल रु0 759.14 लाख के आगणन स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष रु0 379.26 लाख के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं एवं रु0 379.88 लाख के कार्य प्रगति पर हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेरोजगार युवकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण देने के सम्बन्ध में

136-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार युवकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को शुरू करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उन्हें आसान किस्तों पर ब्याज मुक्त ऋण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

शिक्षित बेरोजगार युवकों व युवतियों हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 15 से 35, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 एवं एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना में 10 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान लाभार्थियों को परियोजना लगाने के प्रारम्भ में उपलब्ध हो जाता है, जो लाभार्थियों हेतु अधिक उपयोगी है।

इस हेतु अधिक लाभप्रद योजना पूर्व से ही लागू होने के फलस्वरूप ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की सरकार की कोई योजना नहीं है

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2018 में उद्योग स्थापना हेतु हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में

137-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट में कितने उद्योगपतियों ने अब तक प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये तथा उनमें से कितनों ने कार्य शुरू कर दिया एवं कितनों ने किन कारणों से कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2018 में 1045 उद्यमियों ने प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये तथा उनमें से 242 उद्योग स्थापित होने के पश्चात् क्रियाशील हो चुके हैं। 145 उद्योगों की स्थापना का कार्य विभिन्न चरणों में है। अवशेष 421 उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 में अपेक्षित वांछित सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा चुकी है इस सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही निवेशकों के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जनवरी, 2018 से दिनांक 27-11-2022 के मध्य कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवकों के सम्बन्ध में

138-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जनवरी, 2018 से दिनांक 27-11-2022 तक कितने नवयुवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया ? प्रशिक्षित नवयुवकों में से कितने नवयुवकों को कहां-कहां रोजगार प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से जनपद आजमगढ़ में जनवरी, 2018 से दिनांक 27-11-2022 तक कुल 11,820 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया ? जिसमें से 904 युवाओं को रोजगार में योजित कराया गया है। सेवायोजित युवाओं का विवरण संलग्नक[†] में उल्लिखित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-396 पर।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में

139-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पावर पम्प की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपद आजमगढ़ के किसानों को सिंचाई हेतु विभिन्न क्षमता के कुल 257 सोलर पम्पों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत दर्ज मीणा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

140-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत दर्ज है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) एक्ट-1967 तथा भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) एक्ट-2002 में उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में मीणा जाति सूचीबद्ध नहीं है।

किसी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु अनुच्छेद-341 (1) तथा 342 (1) की संवैधानिक व्यवस्थानुसार/विधिक/प्रशासनिक प्रक्रियानुसार भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

स्थानीय विकास के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को जनपद झांसी के एरच कस्बे के पास डिफेंस कॉरीडोर से जोड़ने के सम्बन्ध में

141-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय विकास के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को जनपद झांसी के एरच कस्बे के पास डिफेंस कॉरीडोर से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अवैध बायो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को पकड़े जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित प्राविधान के सम्बन्ध में

142-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध बायो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को पकड़े जाने पर दोषियों के विरुद्ध किस प्रकार का दण्ड व कार्यवाही का प्राविधान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अवैध बायो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री पकड़े जाने पर उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित सुसंगत प्राविधानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित जनपदीय उर्वरक निरीक्षक के द्वारा नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु नीति बनाने के सम्बन्ध में

143-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 से जैविक खेती के लिए केन्द्र पोषित परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना क्लस्टर एप्रोच, पार्टीसिपेटरी गारण्टी सिस्टम आफ इण्डिया (पी0जी0एस0-इण्डिया) जैविक प्रमाणीकरण एवं तीन वर्षीय कार्यक्रम पर आधारित है। प्रत्येक क्लस्टर 20 हे0 क्षेत्रफल गठित किया जाता है, जिसके तीन वर्षों में कुल रु0 10.00 लाख व्यय किये जाने का प्राविधान है।

गत वर्ष तक 15 जनपदों में कुल 750 क्लस्टर (15000 हे0क्षे0) में योजना क्रियान्वित की जा चुकी है, जिसमें 37500 कृषकों को लाभान्वित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पी0के0वी0वाई0 योजना अन्तर्गत 63 जनपदों में 1785 क्लस्टर (35700 हे0क्षे0), जनपद हमीरपुर योजनान्तर्गत 140 क्लस्टर (2800 हे0क्षे0) तथा नमामि गंगे योजनान्तर्गत 27 जनपदों में 3309 क्लस्टर (66180 हे0क्षे0) में जैविक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से मात्र 40 किमी0 दूर स्थित जनपद झांसी के गरौठा कस्बे को विकास की दृष्टि से सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

144-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से मात्र 40 किमी0 दूर स्थित जनपद झांसी के गरौठा कस्बे को विकास की दृष्टि से सड़क मार्ग से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में किसान समृद्धि केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में

145-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में सरकार किसान समृद्धि केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा किसान समृद्धि केन्द्र खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अपितु किसानों की सुविधा हेतु जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कृषि विभाग द्वारा स्थापित बीज गोदाम व कृषि रक्षा इकाई से कृषकों को कृषि निवेश तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों द्वारा गौवंश आधारित खेती करने पर लागत में सब्सिडी देने अथवा गौवंश आधारित फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के सम्बन्ध में

146-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा गौवंश आधारित खेती करने पर सरकार लागत में सब्सिडी देने पर अथवा गौवंश आधारित फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगामी 05 वर्षों तक बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के समस्त 47 विकास खण्डों में 23500 हे0 क्षेत्रफल में धनराशि रु0 68.83 करोड़ की लागत से गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु 85710 हे0 क्षेत्रफल की कार्य योजना धनराशि रु0 2510 करोड़ लागत की स्वीकृति की गयी है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ किया गया। स्वीकृत क्षेत्रफल में 62200 हे0 क्षेत्रफल गंगा नदी के तट से 05 किलोमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित है।

उपरोक्त दोनो योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों को धनराशि रु0 15000.00 प्रति हे0 प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के लिए निर्धारित है। गौवंश आधारित खेती से उत्पादित फसलें भी, जो इन फसलों के अन्तर्गत आती है, उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद झांसी में वर्ष 2022 में पूर्व की भांति बिना एसएमएस हार्वेस्टर से धान की कटाई करवाने एवं पराली जलाने के बहाने किसानों का उत्पीड़न रोके जाने विषयक

147-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2022 में पूर्व की भांति बिना एसएमएस हार्वेस्टर से धान की कटाई करवाने एवं पराली जलाने के बहाने किसानों का उत्पीड़न रोके जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-118794, दिनांक 01 नवम्बर, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा के उक्त पत्र दिनांक 01-11-2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पर्यावरण का हो रहे नुकसान

को देखते हुए पराली जलाना प्रतिबन्धित किया गया है, इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-79/2022/1445/1363531/12-2099/85/2021, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 द्वारा धान की कटाई के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एस0एम0एस0 या फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य कृषि यंत्र लगाकर कटाई किया जाना अनिवार्य किया गया है। धान की फसल कटाई हेतु रीपर एवं रीपर कम बाइन्डर तथा पराली के अन्य इस्तेमाल हेतु प्रयोग किये जाने वाले यंत्र बेलर/रेक 'प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजिड्यू योजना' के अन्तर्गत अनुदान पर वितरित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद झांसी में यंत्रों के वितरण का लक्ष्य तथा कृषकों द्वारा क्रय किये गये यंत्रों की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	यंत्र का नाम	लक्ष्य	कृषकों द्वारा अब तक क्रय किए गए यंत्र
1	हैप्पी सीडर	48	00
2	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	89	13
3	पैडी स्ट्रा चॉपर	36	05
4	बेलर	24	02
5	मल्चर 35 बीएचपी से अधिक	18	00
6	रिवर्सबेल मोल्ड वोर्ड प्लाउ	234	50
7	रीपर कम बाइन्डर	54	17
8	रीपर सेल्फप्रोपेल्ड	50	02
9	रेक	12	01
10	रोटरी स्लेशर	12	01
11	श्रबमास्टर	12	02
12	श्रेडर	17	00

13	सुपर सीडर	97	00
14	सुपर स्ट्रा मैंनेजमेन्ट सिस्टम	99	03

पराली को खेतों में ही सड़ाकर उसे खाद बनाये जाने हेतु बायो वेस्ट डिकम्पोजर का वितरण जनपदों में निःशुल्क कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थापित डिफेन्स कॉरीडोर के दृष्टिगत झांसी को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के सम्बन्ध में

148-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थापित डिफेन्स कॉरीडोर के दृष्टिगत झांसी को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यू0पी0 पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के सापेक्ष लाभान्वितों के विवरण के सम्बन्ध में

149-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 पेंशन योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो उक्त के अन्तर्गत कितने लोगों को पंजीकरण के सापेक्ष लाभ मिला है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

प्रदेश में यू0पी0 पेंशन योजना प्रचलन में नहीं है, अपितु वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित है।

शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली लागू की गयी। राज्य सूचना विज्ञान

अधिकारी, योजना भवन से प्राप्त डाटा के आधार पर पंजीकृत आवेदकों एवं लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

1	कुल आवेदकों का पंजीकरण	103.42 लाख
2	उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्र	80.19 लाख
3	जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्र	74.73 लाख
4	पी0एफ0एम0एस0 द्वारा प्रमाणित आवेदन-पत्र	69.85 लाख
5	भुगतान हेतु स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या	59.48 लाख

i. लाभान्वितों की संख्या - 50.00 लाख

ii. भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन - 04.08 लाख

iii. आधार विहीन लाभार्थियों की संख्या - 05.40 लाख

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के सापेक्ष लाभान्वितों के विवरण के सम्बन्ध में

150-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कितने पंजीकरण के सापेक्ष कितने लोगों को लाभ मिला है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से आवेदन-पत्र स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली लागू की गयी। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन से प्राप्त डाटा के आधार पर पंजीकृत आवेदकों एवं लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

1.	कुल आवेदकों का पंजीकरण	103.42 लाख
2.	उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्र	80.19 लाख

3.	जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्र	74.73 लाख
4.	पी0एफ0एम0एस0 द्वारा प्रमाणित आवेदन-पत्र	69.85 लाख
5.	भुगतान हेतु स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या	59.48 लाख

i. लाभान्वितों की संख्या 50.00 लाख

ii. भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन 04.08 लाख

iii. आधार विहीन लाभार्थियों की संख्या 05.40 लाख

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

151-श्री डॉ0 पल्लवी पटेल-

[02-सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के सापेक्ष लाभान्वितों के विवरण के सम्बन्ध में

152-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो उक्त में कितने दिव्यांगजन पंजीकृत हैं तथा पंजीकरण के सापेक्ष कितनों को पेंशन लाभन्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

जी हाँ।

दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना में कुल 11,19,129 दिव्यांगजन पंजीकृत हैं। सभी पंजीकृत दिव्यांगजन को दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) स्वीकृत/अनुमन्य है।

जी हां। विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जनपदवार विवरण :-

क्र0-सं0	जनपद	कुल पेंशनर्स
1	आगरा	18,082
2	अलीगढ़	18,560

[†] देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-397-398 पर।

क्र0-सं0	जनपद	कुल पेंशनर्स
3	अम्बेडकरनगर	15,791
4	अमेठी	10,593
5	औरैया	7,852
6	अयोध्या	11,929
7	आजमगढ़	34,186
8	बागपत	6,674
9	बहराइच	20,325
10	बलिया	19,145
11	बलरामपुर	11,115
12	बाँदा	10,766
13	बाराबंकी	18,986
14	बरेली	26,603
15	बस्ती	12,386
16	भदोही	14,252
17	बिजनौर	16,942
18	शाहजहांपुर	18,429
19	बुलन्दशहर	18,436
20	चन्दौली	11,064
21	चित्रकूट	6,859
22	देवरिया	18,693
23	एटा	11,159
24	इटावा	10,533
25	फर्रुखाबाद	17,169
26	फतेहपुर	16,452
27	फिरोजाबाद	11,901
28	गौतमबुद्धनगर	4,722
29	गाजियाबाद	7,098

क्र0-सं0	जनपद	कुल पेंशनर्स
30	गाजीपुर	19,366
31	गोण्डा	19,987
32	गोरखपुर	27,003
33	हमीरपुर	7,034
34	हापुड़	6,239
35	हरदोई	26,972
36	हाथरस	7,440
37	जालौन	13,564
38	जौनपुर	27,629
39	झांसी	11,029
40	ज्योतिबा फुले नगर	9,302
41	कन्नौज	12,986
42	कानपुर देहात	10,659
43	कानपुर नगर	27,886
44	कासगंज	8,470
45	कौशाम्बी	10,204
46	खीरी	20,921.
47	कुशीनगर	15,665
48	ललितपुर	5,770
49	लखनऊ	17,683
50	महराजगंज	14,516
51	महोबा	5,576
52	मैनपुरी	12,651
53	मथुरा	14,930
54	मऊ	13,125
55	मेरठ	14,998

क्र0-सं0	जनपद	कुल पेंशनर्स
56	मिर्जापुर	13,717
57	मुरादाबाद	12,685
58	मुजफ्फरनगर	15,399
59	पीलीभीत	21,587
60	प्रतापगढ़	25,827
61	प्रयागराज	28,170
62	रायबरेली	14,532
63	रामपुर	12,976
34	सहारनपुर	17,122
65	सम्भल	7,748
66	सन्तकबीरनगर	7,279
67	शाहजहांपुर	19,518
68	शामली	7,805
69	श्रावस्ती	4,334
70	सिद्धार्थनगर	13,293
71	सीतापुर	18,889
72	सोनभद्र	11,161
73	सुल्तानपुर	17,156
74	उन्नाव	18,183
75	वाराणसी	23,441
	योग :	**11,19,129**

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पंजीकरण के सापेक्ष लाभान्वितों के विवरण के सम्बन्ध में

153-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो उस योजना के तहत वर्तमान में कितने पंजीकृत आवेदकों

के सापेक्ष कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु पर उसके आश्रित को रु0 30000/-की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वर्तमान में 1,72,529 आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है, पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष पेंशन से लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पति की मृत्यु के उपरान्त 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सी0एम0 ग्रामोद्योग रोजगार लोन योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में

154-श्री पंकज पटेल, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू तथा श्री तुफानी सरोज-

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सी0एम0 ग्रामोद्योग रोजगार लोन योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाने की योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि मार्च, 2017 से 17-01-2023 तक कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उक्त से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार लाभार्थियों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्च, 2017 से 17-01-2023 तक 5217 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है।

जी हाँ।

मार्च, 2017 से दिनांक 17-01-2023 तक लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0-सं0	वर्ष	स्थापित इकाई	वितरित ऋण धनराशि	रोजगार
1	मार्च, 2017	329	1872.24	7564
2	2017-18	1116	6254.40	24791
3	2018-19	809	4215.07	16863
4	2019-20	396	1711.95	6863
5	2020-21	943	3580.71	14322
6	2021-22	861	3447.65	13845
7	2022-23 (दिनांक 17 जनवरी, 2023 तक)	763	3288.30	13210
	योग :	**5217**	**24370.32**	**97458**

प्रदेश में दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना, 2022 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दम्पतियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में

155-श्री पंकज पटेल, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू तथा श्री तुफानी सरोज-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना-2022 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दम्पतियों को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दिव्यांग पुरुष को 15,000 रु0 तथा महिला दिव्यांग को 20,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त योजना के प्रचलन में आने से दिनांक 17-01-2023 तक कुल कितने आवेदन दिव्यांग दम्पतियों के इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए है तथा कितनों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना यथा संशोधित 08 जून, 2017 के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु0 15,000/-, युवती के दिव्यांग होने पर रु0 20,000/-तथा युवक एवं युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रु0 35,000/-की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, उक्त योजना दिनांक 31-01-2018 से ऑनलाइन संचालित है।

योजना के ऑनलाइन संचालन आरम्भ होने के पश्चात् अद्यतन कुल 4,913 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें पात्र पाये गये 2,641 दिव्यांग दम्पत्तियों को प्रोत्साहन पुरस्कार से लाभान्वित किया गया है।

जी हाँ, विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का विवरण :-

क्र0-सं0	जनपद	प्राप्त आवेदन की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1	आगरा	82	22
2	अलीगढ़	45	12
3	प्रयागराज	50	34
4	अम्बेडकरनगर	40	23
5	अमेठी	45	15
6	अमरोहा	67	54
7	औरैया	32	21
8	आजमगढ़	52	15
9	बागपत	28	10
10	बहराइच	86	23
11	बलिया	45	18
12	बलरामपुर	46	27
13	बाँदा	36	20
14	बाराबंकी	46	27
15	बरेली	184	118
16	बस्ती	57	20
17	भदोही	22	18
18	बिजनौर	143	72
19	बदायूं	63	28

[†] देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-399-401 पर।

क्र0-सं0	जनपद	प्राप्त आवेदन की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
20	बुलन्दशहर	23	6
21	चन्दौली	55	23
22	चित्रकूट	41	17
23	देवरिया	58	43
24	एटा	41	19
25	इटावा	64	26
26	अयोध्या	38	16
27	फर्रुखाबाद	47	28
28	फतेहपुर	44	25
29	फिरोजाबाद	56	28
30	गौतमबुद्धनगर	25	10
31	गाजियाबाद	27	13
32	गाजीपुर	54	26
33	गोण्डा	77	43
34	गोरखपुर	69	41
35	हमीरपुर	30	17
36	हापुड़	40	21
37	हरदोई	177	107
38	हाथरस	49	26
39	जालौन	62	35
40	जौनपुर	74	44
41	झांसी	54	19
42	कन्नौज	47	23
43	कानपुर देहात	37	27
44	कानपुर नगर	87	44
45	कासगंज	72	55

क्र0-सं0	जनपद	प्राप्त आवेदन की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
46	कौशाम्बी	33	16
47	खीरी	86	50
48	कुशीनगर	33	21
49	ललितपुर	44	26
50	लखनऊ	73	42
51	महाराजगंज	76	33
52	महोबा	28	19
53	मैनपुरी	303	118
54	मथुरा	25	12
55	मऊ	32	10
56	मेरठ	65	49
57	मिर्जापुर	48	19
58	मुरादाबाद	59	31
59	मुजफ्फरनगर	83	53
60	पीलीभीत	237	142
61	प्रतापगढ़	239	157
62	रायबरेली	63	44
63	रामपुर	54	33
64	सहारनपुर	49	22
65	सम्भल	88	57
66	सन्तकबीरनगर	34	16
67	शाहजहांपुर	70	31
68	शामली	36	20
69	श्रावस्ती	39	18
70	सिद्धार्थनगर	85	38
71	सीतापुर	50	34

क्र0-सं0	जनपद	प्राप्त आवेदन की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
72	सोनभद्र	32	25
73	सुल्तानपुर	48	25
74	उन्नाव	94	65
75	वाराणसी	90	56
कुल योग :		**4,913**	**2,641**

156-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यू0पी0 स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत पंजीकृत छात्रों के सम्बन्ध में

157-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यू0पी0 स्कॉलरशिप योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो वर्तमान तक कितने छात्रों के पंजीकरण के सापेक्ष कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हां।

समाज कल्याण विभाग द्वारा रु0 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले माता-पिता/ अभिभावक के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु अनुसूचित जाति पूर्वदशम/दशमोत्तर एवं सामान्य वर्ग पूर्वदशम योजना संचालित की जाती है तथा रु0 2.00 लाख वार्षिक आय सीमा वाले माता-पिता/ अभिभावक के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है।

अनुसूचित जाति पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि राज्य सरकार द्वारा सीधे छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों में भुगतान किये जाने का प्राविधान है, सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना राज्य वित्त पोषित योजना है। योजनान्तर्गत धनराशि एकमुश्त छात्र/ छात्राओं को भुगतान की जाती है। वर्ष 2022-23 में छात्रों के पंजीकरण के सापेक्ष भुगतानित छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	योजना	पंजीकरण संख्या	भुगतानित छात्र
1	अनुसूचित जाति पूर्वदशम	552954	382492
2	अनुसूचित जाति दशमोत्तर	1352223	266592
3	सामान्य वर्ग पूर्वदशम	192842	89542
4	सामान्य वर्ग दशमोत्तर	899686	59711

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत पंजीकरण के सापेक्ष लाभान्वितों के सम्बन्ध में

158-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो उक्त योजना के सापेक्ष कितने पंजीकरण हुए हैं तथा पंजीकरण के सापेक्ष कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार प्रगति प्राप्त की गयी है :-

वर्ष	पंजीकृत/प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वितरण की संख्या (लाभान्वित व्यक्ति)
2018-19	29335	3362
2019-20	23757	2869
2020-21	32836	4852
2021-22	12084	4191
2022-23 (दिनांक 14-02-2023 तक)	11954	3457
कुल योग :	**109966**	**18731**

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 19-01-2023 तक लगे कृषि आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में

159-श्री जगदीश नारायण-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 19-01-2023 तक कृषि आधारित कितने उद्योग लगाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 19-01-2023 तक 90,159 कृषि आधारित उद्योग पंजीकृत हैं।

सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत निर्माणाधीन स्टेडियम को पूरा कराए जाने के सम्बन्ध में

160-श्री जै किशन साहू-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम निर्माणाधीन है।

जी हाँ।

जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-637/बयालिस-2017-247(विविध)/2013, दिनांक 09-06-2017 द्वारा रु0 470.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वर्ष 2017-18 में धनराशि रु0 208.33 लाख तथा रु0 262.11 लाख अवमुक्त की गयी। लोक निर्माण विभाग की दरें पुनरीक्षित होने के कारण शासनादेश संख्या-2022/002-4201099298-2021, दिनांक 25 अगस्त, 2022 द्वारा रु0 629.46 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में व्यवस्थित धनराशि रु0 59.86 लाख (रुपये उनसठ लाख छियासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या-402-407 पर।

161-श्री तसलीम अहमद-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-208 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

162-श्री राजपाल सिंह बालियान-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में वर्तमान में पंजीकृत विद्यालयों में से शेष विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में

163-श्री पंकज पटेल तथा श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विद्यालय समाज कल्याण विभाग में वर्तमान में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार बताएगी कि दिनांक 23-01-2023 तक कितने विद्यालयों को किस वर्ष तक अनुदान सूची में शामिल किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यालय को पंजीकृत नहीं किया जाता है।

उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2547/ 26-02-2006, दिनांक 05-10-2006 से निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की नीति/व्यवस्था मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोपरान्त समाप्त कर दी गयी है, जिसके कारण कोई भी विद्यालय अनुदान सूची में शामिल किया जाना शेष नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

क्योंकि, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2547/26-02-2006, दिनांक 05-10-2006 द्वारा नये प्राइमरी विद्यालयों को आवर्तक अनुदान की सूची पर लिये जाने की नीति/व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के पंजीकृत/लाभान्वित छात्रों के सम्बन्ध में

164-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन योजना प्रचलन में है ? यदि हां, तो उक्त के अन्तर्गत दिनांक 23-01-2023 तक कितने विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है तथा पंजीकरण के सापेक्ष कितने अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना हेतु अवमुक्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा

2021-22 में किस मद में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 94 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों (पूर्वनाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) में शिक्षा सत्र, 2022-23 में कुल 31798 छात्र/छात्राओं का पंजीकरण हुआ है। पंजीकरण के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 18293, अनुसूचित जनजाति के 1047, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9468 एवं सामान्य वर्ग के 2990 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति के 01 एवं अनुसूचित जनजाति के 1920 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में व्यय धनराशि का विवरण।

विभाग	**योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि (लाख में)**			**योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि (लाख में)**		
	संचालन	**निर्माण**	**अनुरक्षण**	**संचालन**	**निर्माण**	**अनुरक्षण**
समाज कल्याण विभाग	14014.19	7396.54	499.80	17657.78	5850.12	495.13
जनजाति विकास विभाग	1022.67	0.00	202.70	1101.61	956.66	0.00

विवरण उपरोक्तानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर अन्तर्गत निर्माणाधीन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य से क्षेत्र की क्षतिग्रस्त तथा गड्ढायुक्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में

165-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर अन्तर्गत निर्माणाधीन बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य से क्षेत्र की सड़कें

डम्परों के संचालन से क्षतिग्रस्त तथा गड्ढायुक्त होने से आम-जनमानस को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी की मद में राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासनों द्वारा वसूले गये धन के व्यय के सम्बन्ध में

166-श्री नाहिद हसन-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी की मद में कुल कितना धन राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासनों ने वसूला है तथा उपरोक्त धन के व्यय करने हेतु नियमावली तथा जिला स्तर पर उक्त मद के धन को व्यय करने हेतु शाषी निकाय/समिति/प्रशासनिक स्ट्रक्चर का क्या प्रावधान है ? क्या सरकार विगत 3 वर्षों में जनपद शामली में उक्त मद में प्राप्त व व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश के समस्त जनपदों की अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है।

शासनादेश संख्या-1503/77-6-15-एल0सी0-135/2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 द्वारा व्यय के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

जनपद शामली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के अन्तर्गत आच्छादित उद्योगों द्वारा उक्त मद में प्राप्त एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :-

1-मे0 मारुति पेपर्स लिमिटेड, ग्राम सिक्का, जिला शामली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल प्रस्तावित रु0 1,61,200.00 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु0 15,98,500.00 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल रु0 5,00,000.00 की धनराशि व्यय की जा चुकी है

2-मे0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड थानाभवन, जिला शामली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु0 56,000.00 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2,13,000.00 की धनराशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक व्यय हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है

3-मे0 सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्रा0 लिमिटेड, ऊन, जिला शामली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 9,32,000.00 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 16,77,000.00 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 1,25,000.00 व्यय किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में

167-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में जटिलता के कारण किसानों को समय पर उक्त निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में ऑनलाइन आवेदन एवं केवाईसी की प्रक्रिया के सरलीकरण करवाने तथा पात्रों को उक्त का लाभ दिलाने हेतु किसी अधिकारी को जिम्मेदारी निर्धारण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु ओपेन सोर्स से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है, यदि किसान को स्वयं आनलाइन आवेदन करने से कठिनाई हो तो वह जन-सुविधा केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है, भारत सरकार द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया सरल बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए दो कमरे वाले राजकीय कालोनियों के आवंटन के सम्बन्ध में

168-श्री बेचई सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए राजकीय आवासों में सिर्फ एक कमरे का ही आवास आवंटित किया जाता है, जिससे उनके ऊपर आश्रित माता-पिता के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जिस कारण उन्हें बहुत ज्यादा असुविधा होती है तथा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्मिकों को अपने माता-पिता को साथ रखकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए राजकीय कालोनियों में दो कमरे का निर्माण कराकर आवंटित कराये जाने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवास आवंटन हेतु आवेदन किए जाने पर राजकीय आवास का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 की धारा-4 में उल्लिखित प्रावधानानुसार चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को श्रेणी-1 का आवास दिए जाने का प्रावधान है।

राजकीय आवास में अध्यासन अनिवार्य नहीं है तथा वह अन्यत्र भी आवास प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे सरकार द्वारा आवास किराया भत्ता दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु फीस पूर्व की भांति स्कॉलरशिप के माध्यम से जमा करने के सम्बन्ध में

169-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व में अनुसूचित जाति, जनजाति के विधार्थियों को ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों, प्राइवेट कॉलेजो एवं वित्त विहीन कॉलेजों में स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस दी जाति थी, परन्तु वर्तमान में उनसे फीस पहले जमा कराई जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की भांति उनकी फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से जमा करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है, निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली दिनांक 21-09-2022 में अंकित प्राविधानों/शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र एवं सही डाटा वाले समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 से बैंक खातों के सत्यापनोपरान्त आधार बेस्ड भुगतान प्रक्रिया के तहत छात्रों को प्रदान की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में बीमा कम्पनियों द्वारा प्राप्त प्रीमियम धनराशि के सापेक्ष किसानों को की गयी क्षतिपूर्ति धनराशि से सम्बन्धित विवरण

170-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में बीमा कम्पनियों द्वारा कितनी प्रीमियम धनराशि प्राप्त की गई तथा किसानों को कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त हुई ? क्या सरकार बीमा कम्पनियों के मुनाफे के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किसानों की क्षतिपूर्ति के मानकों को सरल बनाएगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

जनपद कौशाम्बी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में बीमा कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गयी प्रीमियम धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	प्रीमियम (लाख रु0 में)			
		कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल प्रीमियम
1	2020-21	216.09	405.65	405.65	1027.31
2	2021-22	168.71	323.00	323.00	814.71

जनपद कौशाम्बी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में किसानों को वितरित क्षतिपूर्ति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	लाभार्थी कृषकों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति (लाख रु0 में)
1	2020-21	1607	47.44
2	2021-22	1633	48.28

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर प्रदेश में संचालित है। योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन भारत सरकार के स्तर से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के ब्लाक छपिया-बभनजोत-मेहनौन में कोल्ड स्टोरेज बनाने के सम्बन्ध में

171-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के ब्लाक छपिया-बभनजोत-मेहनौन में कोल्ड स्टोरेज बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ एवं मेरठ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 द्वारा राजकीय शीतगृह संचालित हैं, जिनमें राजकीय औद्यानिक प्रक्षेत्रों एवं विभाग द्वारा क्रय किये गये ब्रीडर बीज को भण्डारित किया जाता है। कोई नया शीतगृह बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

उ0प्र0 के निजी क्षेत्र में शीतगृह निर्माण (कोल्ड स्टोरेज) के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन में सुविधा अनुमन्य है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार नवीन तकनीकी मानकों के 5000 मिट्रिक टन तक की क्षमता के लिए शीतगृहों के निर्माण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए धनराशि रु0 8000-10000 प्रति मीट्रिक टन की दर से कुल इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 140 से 175 लाख अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

172-[प्रश्न हटाया गया।]

नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में निर्मित बहुमंजिला इमारतों में घर क्रय करने वाले बायर्स के घरों की रजिस्ट्री हेतु समय-सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में

173-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रों में निर्मित बहुमंजिला इमारतों में घर क्रय करने वाले बायर्स की घरों की रजिस्ट्रियाँ लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घरों की रजिस्ट्री समय-सीमा निर्धारित कर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हां।

प्राधिकरणों में निर्धारित नीति के अनुसार ग्रुप हाउसिंग भू-खण्डों पर निर्मित फ्लैटों का अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर एवं जमा देयताओं के आधार पर ही पट्टा प्रलेख का निष्पादन किया जाता है। आवासीय ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अन्तर्गत बिल्डर आवंटियों द्वारा प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन पार्ट/कम्पलीशन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही फ्लैटों की रजिस्ट्री की जाती है प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर उप पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही में गति प्रदान किए जाने हेतु प्रति सप्ताह विशेष कैम्प लगाकर रजिस्ट्री बढ़ाये जाने का कार्य प्रगतिरत् है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मेरठ से हरदोई होते हुए प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर हेतु उतर मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में

174-श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेरठ से शुरू होकर अमरोहा, सम्भल, बदायूं, हरदोई होते हुये प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस-वे से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे से आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु सवायजपुर में उतर मार्ग बनवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी नहीं।

गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण आई0आर0सी0-एस0पी0 99-2013 की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है, विशिष्टियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार इण्टरचेंज (उतार-चढ़ाव) का प्राविधान 20-30 किमी0 की दूरी के आस-पास किया जाना है। सवायजपुर कस्बे से लगभग 10.00 किमी0 की दूरी पर पूर्व में ही इण्टरचेंज का प्राविधान किया गया है तथा कस्बे से लगभग 0.600 किमी0 एवं 0.750 किमी0 की दूरी पर दो अण्डरपास दिये गये हैं। साथ ही सर्विस लेन का भी प्राविधान है, जिसका प्रयोग करके गंगा एक्सप्रेस-वे पर आसानी से चढ़ा-उतरा जा सकता है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत आज 2 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं। दोनों एक ही विषय को लेकर हैं मैं नाम पढ़ देता हूँ जिसको भी बोलना हो वह आप तय कर लीजिये। एक श्री मनोज कुमार पाण्डेय और दूसरी श्री लालजी वर्मा। इसमें दोनों लोग बोलना चाहते हैं तो आप दोनों अपनी बात रख लें।

[12:21] नियम-300 के अन्तर्गत मा0 सदस्यों की क्षेत्र विकास निधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि नियम-300 के अन्तर्गत इस आवश्यक सूचना, जो इस पूरे सदन से सम्बन्धित है। आपने हमें अनुमति दी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि विधान सभा के प्रथम सत्र दिनांक 31-05-2022 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा मा0 विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, जो तीन करोड़ प्रत्येक वित्तीय वर्ष थी, को पांच करोड़ करने की घोषणा की गयी थी। परन्तु उक्त निधि अभी तक केवल तीन करोड़ ही अवमुक्त की गयी है। साथ ही साथ उक्त निधि से 18 से 22 प्रतिशत जी0एस0टी0 काट ली जाती है, जिसके कारण उक्त निधि वास्तविक रूप से मा0 सदस्यों को दो करोड़ 46 लाख ही शेष बची है, जो कि गत वर्ष से 54 लाख कम हो गयी है। जिसके कारण सभी मा0 सदस्यों को विकास कार्य कराने में बाधा हो रही है और विकास कार्य बाधित हो रहा है। साथ ही सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा का पालन भी नहीं हो पा रहा है ज्ञात हो कि इस विषय को पूर्व में भी शीतकालीन सत्र में विधान सभा में उठाया गया था, जिस पर सरकार की ओर से मा0 संसदीय कार्य और वित्त मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जो घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है वह इसी वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में पूरी की जायेगी और इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में दे भी दी जायेगी। जब हम लोगों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है, तब उन्होंने कहा कि हम इसे पुनर्विनियोग के माध्यम से भी दे सकते हैं। परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः मान्यवर, आपसे आग्रह है कि इस औचित्य के विषय पर एक बार फिर व्यवस्था की मांग करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरी बात आ गयी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूरी बात आ गयी है।

***संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह सही है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन उसमें यह नहीं था कि कब से लागू की जायेगी।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

मान्यवर, यह सही है कि दिनांक 31-05-2022 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी। अगर आपने कल का बजट देखा हो तो उस बजट में इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गयी है कि वर्ष 2023-24 से यह मिलेगी। पिछली बार 6 दिसम्बर को जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 वर्मा जी ने इस बात को उठाया था तो उस समय मा0 अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, तो जरूर पूरी होगी। इस पर हमने कहा था कि-

'सब मांगें पूरी हो जायेंगी तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं।' यह मैंने इस सदन में कहा था।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, आपने जी0एस0टी0 के बारे में कहा था, लेकिन आपने जो पांच करोड़ रुपये विधायक निधि थी, उसके बारे में नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लालजी वर्मा जी आप बोलिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने मा0 मंत्री जी से 6 दिसम्बर को अनुपूरक मांग पर चर्चा की कि इस मद में आपने इसकी व्यवस्था नहीं की है, इस पर इन्होंने कहा कि आपने पुनर्विनियोग की परिभाषा नहीं पढ़ी है। हमारे पास कई तरीके हैं, हम पुनर्विनियोग के माध्यम से भेज सकते थे। मुझे मा0 मंत्री जी ने पुनर्विनियोग की परिभाषा बताने का काम किया और उसके बाद मैंने पुनर्विनियोग की परिभाषा को पढ़ा। तो निश्चित रूप से पुनर्विनियोग के माध्यम से उस विभाग के पूंजीगत व्यय की बचत से दिया जा सकता है। चूंकि यह मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, एक योगी की घोषणा है, एक पीठ के पीठाधीश्वर की घोषणा है, इसी स्थिति में उस घोषणा का पालन होना चाहिए और मा0 मंत्री जी स्वयं वित्त विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने भी कहा था कि हम पुनर्विनियोग के माध्यम से भी दे सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह दोनों बात सही है, अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो पूरी बात नहीं आ पायेगी, जब आप लोग बोल रहे थे तो हम बीच में बोले नहीं। देखिए, दिनांक 31-05-2022 को माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी, यह बिल्कुल सही है, लेकिन उस घोषणा में यह नहीं कहा गया था कि कब से लागू होगा। नम्बर दो, जब पांच या छः दिसम्बर को इस हाउस में यह बात आई थी तो हमने इनसे कहा था कि अगर सप्लीमेंट्री में कोई चीज नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे कर नहीं सकते। हमने उस पर सिद्धान्त बताया था, हमने यह नहीं कहा था कि दे देंगे। आप कार्यवाही देख लीजिए। हमने यह सिद्धान्त बताया था कि अगर किसी चीज की मद खुली है, अगर किसी विषय पर मद खुली है, तो हम रि-एप्रोप्रिऐशन के माध्यम से दे सकते हैं। रि-एप्रोप्रिएशन का हमारे सामने विकल्प खत्म नहीं हुआ है। मेरा यह कहना है कि दिनांक 31-05-2022 को माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी यह बिल्कुल सही है लेकिन उसमें यह समय नहीं था कि कब से लागू होगा। नम्बर दो, जब

हमारे सामने यह विषय आपने उठाया और आपने कहा कि सप्लीमेंट्री में आया नहीं है तो हमने कहा हमारे सामने और भी विकल्प है, उसमें रि-एप्रोपिऐशन भी एक विकल्प है, तो हमने एक सिद्धान्त बताया था, हमने यह नहीं कहा था कि दे देंगे और उसके बाद इसी सदन में यह बात आई थी कि उसके ऊपर जी0एस0टी0 काफी कट जाती है, तो हमने यह भी कहा था कि अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। यह बात आई थी। मान्यवर, यह नियम-300 में नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय वर्मा जी को सुना, माननीय पाण्डेय जी को सुना, यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिए इसे अग्राह्य करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस बार के बजट में, अगर इन्होंने बजट पढ़ा हो...

श्री अध्यक्ष-

कल रात में लेट से गये हैं, हो सकता है कि नहीं पढ़ा हो, आपने बता दिया, अब पढ़ लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें एक हजार आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था, 66.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था एक्स्ट्रा यानी तीन करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दी गयी है, 2023-24 में।

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 फरवरी 2023 को कुल 53 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत एम0एम0यू0 बसहा तिराहा से उन्नाव लालगंज स्टेट हाई-वे बिहार तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बरात घर एवं अन्त्येष्टि स्थल बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया के खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड कांधला के ग्राम डांगरौल में पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज में

विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु नहर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में एथेनॉल इण्डस्ट्री की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज के तहसील सोरांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण/कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट में श्री भूपेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता गणित के चयन में बरती गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कस्बा जलालाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में है, ग्याहरवीं सूचना श्री अंकुर तिवारी की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में ब्लाक सेमरियावां के अन्तर्गत शिव मंदिर से कोहरा बगिया तक पक्की सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डा0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या के तहसील रुदौली के अन्तर्गत ग्राम फेल्संडा में अवैध रूप से संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के कारण बन्द कराए जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय जर्जर मार्गों के नवीनीकरण तथा चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिहं यादव की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली- सकलडीहा-सैदपुर मार्ग मारुखपुर-नैढी-नादी-रामपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर में साधू-सन्तों की सुविधा हेतु सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम सभा गंगिला में नागे राजभर के खेत से सुबरन राजभर के आवास तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद में मल्टी सेक्टोरियल योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन आदि के निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री सचिन यादव की प्रदेश में सभी प्रकार की जन-उपयोगी सुविधाओं जैसे टैक्स एवं बिल को जमा करने के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली विकसित करने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत नगर पलिका में मास्टर प्लान लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा हरौनी में जूनियर बेसिक विद्यालय को हाई स्कूल तक उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री पंकज गुप्ता, श्री संग्राम सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, श्री बम्बा लाल, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री जियाऊर्रहमान बर्क, श्री उमाशंकर सिंह, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री मनोज कुमार पारस, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री विकास गुप्ता, श्री ज्ञान तिवारी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री हरीओम, डा0 आर0 के0 पटेल, श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री राम अवतार सिंह सैनी, श्री अतुल प्रधान, श्री मौ0 ताहिर खान, श्री नाहिद हसन, श्री विपुल दुबे, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री वीर विक्रम सिंह, डा0 नीरज बोरा, श्री मदन भैया, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री बेदी राम, श्री हंसु राम, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री महेन्द्र नाथ यादव तथा श्री राम दुलार।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ी मानी गयीं)

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत एम0एम0यू0 बसहा तिराहा से उन्नाव-लालगंज स्टेट हाई-वे बिहार तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार सिंह-

[महोदय, जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा, उन्नाव अन्तर्गत एम0एम0यू0 बसहा तिराहा से उन्नाव-लालगंज स्टेट हाई-वे बिहार तक का मार्ग अति संकरा है, जिसमें छोटे एवं बड़े वाहनों के आवागमन की अधिकता है, उक्त मार्ग संकरा होने के कारण प्रतिदिन जाम लगा रहता है एवं घटनाएँ भी हुआ करती हैं। क्षेत्रीय लोगों द्वारा एम0एम0यू0 बसहा तिराहा से उन्नाव-लालगंज स्टेट हाई-वे बिहार तक अति संकरे मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बारात घर एवं अन्त्येष्टि स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

प्रदेश में बरात घर न होने के कारण लोगों को शादी समारोह में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ प्रदेश के गांवों में अन्त्येष्टि स्थल न होने के कारण ग्रामीण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंचल में रहने वालों को बारिश, जाड़ा, गर्मी आदि मौसमों में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, लोगों को शादी-विवाह में बरात घर हेतु दूर स्थित कस्बों में जाना पड़ता है, जिससे समय एवं संसाधन भी बर्बाद होता है तथा अन्त्येष्टि स्थल न होने के कारण लोगों को दूर स्थित दूसरे गांवों एवं कस्बों में जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बारिश, जाड़ा, गर्मी आदि मौसमों का भी सामना करना पड़ता है।

अतः प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बरात घर एवं अन्त्येष्टि स्थल बनवाये जाने की कृपा करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बरात घर एवं अन्त्येष्टि स्थल बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[महोदय, सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि जनपद देवरिया में खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाने की माँग लम्बे समय से चल रही है, पहली बार वर्ष 1991 में खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाने के लिये एक बड़ा आन्दोलन चलाया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए 1994 में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा खुखुन्दु व तरकुलवा को विकास खण्ड बनाने की घोषणा की गयी। जिसके फलस्वरूप तरकुलवा विकास खण्ड बन गया। परन्तु खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाने की मांग अनवरत् चलती रही। परन्तु लम्बे आन्दोलन के बाद भी खुखुन्दु विकास खण्ड का सृजन नहीं हो सका, जिससे इस नवसृजित विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले गाँव के लोगों को काफी दूर अन्य अलग-अलग विकास खण्ड में जाना पड़ता है। वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक संख्या-298/12-11-2011 को पत्र के माध्यम से 58 ग्राम पंचायतों को अलग-अलग विकास खण्ड से काट कर खुखुन्दु के विकास खण्ड सृजन हेतु पत्र के माध्यम से सरकार को अवगत कराया गया था, उसी वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा पत्रांक संख्या-921/27-10-2011 व पत्रांक संख्या-920/20-10-2011 को तत्काल विकास खण्ड सृजन हेतु आग्रह किया था। नवसृजित विकास खण्ड खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाया जाना हमारे क्षेत्र के विकास व जनहित में होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड कांधला के ग्राम डांगरौल में पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-10, सदर, शामली के अन्तर्गत विकास खण्ड कांधला के ग्राम डांगरौल में स्थित पंचायत घर अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त स्थिति में होने के कारण ग्रामवासियों को शादी/विवाह, धार्मिक कार्यक्रम आदि के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। पंचायत घर का निर्माण होने से प्रत्येक जाति-धर्म के लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए अनेक बार विभागीय अधिकारी को अवगत कराया गया है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय पंचायत घर का निर्माण होने से गांव का विकास होगा, ग्रामवासियों को सुविधा मिलेगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में पंचायत घर का पुनःनिर्माण यथाशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र-तरबगंज में विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[महोदय, अगवत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में बिजनेस प्लान 2019-20 के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र में माँ बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) की स्थापना प्रस्तावित है, विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु पैकेज व प्राक्कलन तथा तकनीकी रिपोर्ट कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देवीपाटन क्षेत्र गोण्डा के पत्रांक-1876-मु0अभि0 (वि0)/दे0पा0क्षे0 (गो0)/दिनांक 27-06-2020 के द्वारा निदेशक (तकनीकी), म0वि0वि0नि0 लिमिटेड, 4-ए-गोखले मार्ग, लखनऊ को भेजा गया है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, विद्युत आपूर्ति हेतु जिसका निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र माँ बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) में स्थापना कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के अन्तर्गत बबुरी क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में बबुरी से चन्दौली वाले क्षेत्र में बहुत सारे किसानों की बहुत सारी जमीन पानी के अभाव में असिंचित रहती है, वहां पानी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है बबुरी से चन्दौली के बीच में सुचारु रूप से एक नई नहर की योजना जो नारायणपुर लिफ्ट कैनाल से जोड़कर हो जाती या कोई और रास्ते से नहर लायी जाती तो वर्षों से किसानों द्वारा की जा रही मांग की प्रतिपूर्ति हो जाती और पानी के अभाव में नहीं हो पा रही खेतों की सिंचाई पूरी हो जाती।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में एथेनॉल इण्डस्ट्री की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ गन्ना उत्पादन प्रधान क्षेत्र है, जिसके फलस्वरूप एथेनॉल उत्पादन हेतु बहुतायत मात्रा में कच्चा माल (गन्ना) उपलब्ध है। यदि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड में एथनॉल इण्डस्ट्री की स्थापना हो जाये तो निश्चित रूप से एथनॉल की भारी मात्रा में उत्पादन होने से राजस्व में वृद्धि होगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज की तहसील सोरांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण/कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूँता हूँ कि श्री अखिलेश कुमार, निवासी ग्राम-तुलापुर झूंसी, प्रयागराज के आराजी सं0 1242 ख मि0 रकबा 0.1630 हे0 स्थित ग्राम मलाक हरहर, परगना-मिर्जापुर चौहरी, तह0-सोरांव, जिला-प्रयागराज, राजस्व अभिलेखों में सड़क खाते में दर्ज है, जिस पर सरकारी कर्मचारी मनोज कुमार मौर्य, निवासी-मलाक हरहर, थाना-फाफामऊ, तह0-सोरांव, जनपद-प्रयागराज एवं गंगा किनारे कछारी क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में (HFL) निर्माण कार्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निषिद्ध है। परन्तु फाफामऊ, प्रयागराज में दबंग भू-माफियाओं द्वारा आ0 न0-993 व 994 में अवैध ढंग से निर्माण व कब्जा कर लिया गया है जिसमें स्थानीय प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कर्मियों द्वारा अपने पद व प्रभाव के कारण अवैध रूप से सरकारी सम्पत्ति पर निर्माण कराया जा रहा है, जो कि गलत व विधि विरुद्ध है, जिससे प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के जे0ई0 व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की मिली-भगत से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण व कब्जा कराया जा रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त प्रकरण की जाँच जिलाधिकारी, प्रयागराज से कराते हुए सरकारी जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट में श्री भूपेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता गणित के चयन में बरती गयी अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, में आपका ध्यान जनपद अयोध्या के अति लोक महत्व सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेज-पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज, खजुरहट, जनपद-अयोध्या में श्री भूपेश कुमार तिवारी की प्रवक्ता गणित के पद पर किए गए अनियमित चयन एवं वेतन भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में शासन को दिनांक 16-12-2022 को लिखा गया था जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या-वी0आई0पी0-02/15-05-2023-1600(9)/2023, दिनांक-19-01-2023 द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या को लिखा गया था। आपको यह भी अवगत कराना है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों को अनियमित रूप से किए गए विनियमितीकरण/स्थायीकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया गया, जिसके सापेक्ष प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने पत्र संख्या-03/15-05-2023-1600 (335)/2022, दिनांक-20-01-2023 द्वारा मण्डलायुक्त, अयोध्या को जांच कराये जाने हेतु लिखा गया था। इन दोनों प्रकरणों की जांच कराकर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक आख्या भेजने हेतु कहा गया था परन्तु पत्रानुसार अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि श्री भूपेश कुमार तिवारी की प्रवक्ता गणित के पद पर किए गए अनियमित चयन एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वेतन भुगतान की जांच कराये जाने एवं अनियमित रूप से किए गए विनियमितीकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, कस्बा जलालाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशरफ अली खान-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के वि0ख0-थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में 60 हजार से अधिक आबादी है एवं कस्बा जलालाबाद के समीप अन्य गाँव में एक भी राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज नहीं है, जिस कारण क्षेत्र की छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 5 से 7 किमी0 का सफर तय करके काफी दूर जाना पड़ता है। जिससे क्षेत्र की छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा की समस्या को हल करने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उक्त समस्या से निजात पाने के लिए छात्राओं के हित में एक राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोला जाना उचित होगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छात्राओं के हित में थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज बनाये जाने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में ब्लाक सेमरियांवा अन्तर्गत शिव मन्दिर से कोहरा बगिया तक पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अंकुर तिवारी-

[महोदय, जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद, ब्लाक सेमरियावां अन्तर्गत शिव मन्दिर से कोहरा बगिया तक लगभग 1.00 किमी0 मार्ग कच्चा होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है, बरसात के दिनों में जगह-जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे क्षेत्र के निवासीगण गिर कर चोटिल होते रहते हैं, जनहित में इस मार्ग को पक्का/इण्टरलॉकिग कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। काफी समय से मार्ग के निर्माण हेतु जिला स्तर पर काफी प्रयास किये गये, परन्तु जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही न होने, क्षेत्रीय जनमानस में निराशा व्याप्त है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के अन्तर्गत ग्राम फेल्सण्डा में अवैध रूप से संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड द्वारा प्रदूषण फैलाने जाने के कारण बन्द कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अमित सिंह चौहान-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली अन्तर्गत ग्राम फेलसण्डा में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति लिये रजनीश ब्रिक फील्ड फेल्सण्डा का संचालन किया जा रहा है, जो कि आबादी, पेट्रोल पम्प व राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या-लखनऊ के किनारे संचालित है, इससे बगल में स्थित आबादी जो 100 मीटर की दूरी पर है एवं फलपट्टी क्षेत्र से 200 मीटर दूर है, इसके प्रदूषण से पर्यावरण दूषित होता है। बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या) के अवैध रूप से संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड फेल्सण्डा को बन्द कराकर क्षेत्रीय जनता व फलपट्टी को प्रदूषण से बचाना अत्यन्त आवश्यक एवं जनहित में है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के ग्राम पंचायत फेलसण्डा में स्थित अवैध रूप से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या) के संचालित रजनीश ब्रिक फील्ड फेलसण्डा रुदौली को बन्द कराकर स्थानीय जनता एवं फलपट्टी को प्रदूषित होने से बचाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय जर्जर मार्गों के नवीनीकरण तथा चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद सरोज-

[महोदय, में आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत संगरासुन्दरपुर-बाबूगंज-डेरवा गलगली मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 14 किमी0, ताजपुर लरू केसरी का पुरवा विदासिन मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 14 किमी0 एवं परियावां-लवाना मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 15.300 किमी0 है, विगत कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है। यह मार्ग जनपद का अति व्यस्त मार्ग है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आवागमन करने में अत्यधिक कठिनाई होती है तथा प्रायः राहगीर मार्ग दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि सरकार की योजना पूरे प्रदेश में गड्ढामुक्त सड़क का सिद्धान्त दिया गया है, परन्तु अभी तक शासन-प्रशासन से हर स्तर पर प्रयास करने के पश्चात् भी जर्जर मार्ग की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत संगरासुन्दरपुर, बाबूगंज, डेरवा, गलगली मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 14 किमी0, ताजपुर लरू केसरी का पुरवा विदासिन मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 14 किमी0 एवं परियावां, लवाना मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 15.300 किमी0 के नव निर्माण और चौड़ीकरण कराए जाने हेतु इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से मारुखपुर-नैढ़ी-नादी रामगढ़ सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर सम्पर्क मार्ग से मारुखपुर- नैढ़ी-नादी-रामगढ़ सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 8 से 10 किमी0 है, कई गांव को जोड़ता है, विगत 7-8 वर्ष पूर्व उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में उक्त सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है। आम-जनमानस को आने-जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किसान हेतु जनहित में उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सोफीपुर में साधू-सन्तों की सुविधा हेतु सड़क निमार्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम सोफीपुर में लाल सिंह के घर के पास दुर्गा मन्दिर से खप्पर वाले बाबा आश्रम तक सड़क कच्ची और ऊबड़-खाबड है। आश्रम में साधू-सन्तों का आवागमन रहता है। भक्तगण आश्रम जाते हैं, परन्तु सड़क कच्ची होने के कारण लोगों एवं साधू-सन्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बरसात के दिनों में साधू-सन्तों एवं भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है।

अतः मा0 अध्यक्ष जी जनहित में उक्त स्थल पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगिला में नागे राजभर के खेत से सुबरन राजभर के आवास तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगिला में नागे राजभर के खेत से सुबरन राजभर के आवास तक मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का नव निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद में मल्टी सेक्टोरियल योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन आदि के निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[महोदय, मल्टी सेक्टोरियल योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण आदि जो भी परियोजनाएं जिला मुरादाबाद सहित प्रदेश भर में जहां भी कई वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थीं, उनकी दूसरी किस्त नहीं आने से अधूरे निर्माण कार्य नष्ट होने की कगार पर पहुंच गये हैं। उपरोक्त मामले में विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई है। जबकि मल्टी सेक्टोरियल योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन आदि निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना जनहित में होना आवश्यक है।

अतः में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश भर में मल्टी सेक्टोरियल योजना के अन्तर्गत अधूरे विद्यालय भवन आदि निर्माण कार्यों को जनहित में शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में सभी प्रकार की जन उपयोगी सुविधाओं जैसे टैक्स एवं बिल को जमा करने के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की जन-उपयोगी सेवाओं के भुगतान हेतु एकीकृत प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिये। इस प्रणाली को विकसित करने से राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी, कर चोरी में कमी आयेगी, बकाया बिलों के वसूली की प्रक्रिया भी आसान होगी एवं एकीकृत प्रणाली होने से उपभोक्ताओं को भी सभी प्रकार के लम्बित बिलों की जानकारी पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध रहेगी। अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जल्द से जल्द इन सभी सेवाओं के भुगतान हेतु एकीकृत प्रणाली विकसित कर लागू किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत नगर पालिका में मास्टर प्लान लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी नगर पालिका में मास्टर प्लान लागू कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे वहाँ के निवासियों को मकान बनवाने में सुविधा होगी तथा फतेहपुर सीकरी का विकास भी होगा। मास्टर प्लान लागू होने से वहाँ का औद्योगिक विकास भी होगा और नई कालोनियाँ भी विकसित होंगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा हरौनी में जूनियर बेसिक विद्यालय को हाई स्कूल तक उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ की ग्राम सभा हरौनी, विकास खण्ड सरोजनीनगर में जूनियर बेसिक विद्यालय बना हुआ है, किन्तु ग्रामीण अंचलों में नजदीक विद्यालय न होने के कारण आगे की शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है। स्थानीय जनता द्वारा उक्त विद्यालय को हाई स्कूल तक उच्चीकृत कराए जाने की लगातार माँग की जा रही है, किन्तु अभी तक विद्यालय को उच्चीकृत नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-4, चर्चा जारी रहेगी। उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी शायद 2:00 बजे बोलेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी मद सं0-3 है, आप आगे बढ़ गए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मा0 सदस्य को उनके जन्मदिवस पर सदन की ओर से बधाई

आज 23 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के सदस्य श्री अमित अग्रवाल जी का जन्म दिन है। श्री अमित अग्रवाल हमारे सामने उपस्थित हैं।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य श्री अमित अग्रवाल, निर्वाचन क्षेत्र मेरठ कैंट, जिला मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा क्षेत्र में तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 प्रेम किशन है, आपका जन्म दिनांक 23 फरवरी, 1954 को मेरठ में हुआ था। आपने बी0एस-सी0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत आज 09 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री जय किशन साहू, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री वीरेन्द्र यादव और श्री अभय सिंह की है। यह नियम-311 में दी गयी थी। इसमें मेरा एक निवेदन है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप नियम-311 में जो नोटिस देते हो। आपके सुझाव पर और आपकी बात पर मेरा प्रयास होता है कि यथासम्भव नियमों के अन्तर्गत जितना भी हो सकता है, उसको ऐडजस्ट करने का मैं प्रयास करता हूँ, करना भी चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगली बार से अगर नियम-311 की सूचना ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं आयेगी तो मैं उसको परिवर्तित नहीं करूँगा। इसलिए उचित हो कि जिस नियम की सूचना है, उस नियम में आप दें। आज मैं सुन लेता हूँ,

लेकिन आज के बाद यदि नियम-311 में देंगे तो मैं फिर आपसे पूछूंगा। अगर अग्राह्य होने लायक होगी तो मैं उसे अग्राह्य करूँगा, परिवर्तित नहीं करूँगा, नियम-56 में आप सूचना दे सकते हैं। लेकिन आज आपके पास अवसर है कि आप अपनी बात कहें।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ से अधिक किसानों की एक बड़ी समस्या पर नियम-56 के अन्तर्गत कृपापूर्वक मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश का जो 60 फीसदी आबादी का किसान है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, भारत का भाग्य-विधाता कहते हैं और नारे भी जब लगाते हैं तो जय जवान, जय किसान के नारे के साथ उस किसान को सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का जो किसान है, वह कहीं न कहीं आवारा पशु, सांड़ और छुट्टा जानवरों से आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है और माननीय अध्यक्ष जी, सच्चाई यह है कि आज वह अपनी खेती नहीं कर रहा है, बल्कि खेती को बचाने के लिए, अपने उत्पादन को बचाने के लिए युद्ध लड़ने का काम कर रहा है आज परिस्थितियाँ यह हो गयी हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे 10 बिस्वा का किसान हो और चाहे 10 एकड़ का किसान हो। आज अपने उत्पादन को बचाने के लिए उस ठिठुरती हुई सर्दी में भी, जब लोग कम्बल और रजई से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तब किसान और किसान का परिवार डण्डा ले करके सांड़ों से खेत की रक्षा के लिए अपना पूरा दिन और पूरी रात आज खेतों पर बिता रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसका उत्पादन बच नहीं रहा है आज बड़ी संख्या में अगर हम देखें और इसका सर्वे करायें तो आज स्थिति यह है कि तमाम किसान अपनी खेती को छोड़ करके पलायन कर गए हैं, वह पंजाब में, पटियाला में, लुधियाना में मजदूरी करने को विवश है एक तरफ उसको उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ छुट्टा जानवरों से उसकी खेती नहीं बच पा रही है और यही नहीं मान्यवर, जितनी दुर्घटनाएँ बढ़ी हुई हैं, कुछ आँकड़े हम लाये हैं। अगर आप दो वर्ष में देखें तो लगभग 378 मोटर एक्सीडेंट्स, मोटर साइकिल एक्सीडेंट इन छुट्टा सांड़ों के कारण हुए और लगभग 109 लोगों की मृत्यु हो गयी। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। माननीय अध्यक्ष जी, तात्कालिक घटना है मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक पति और पत्नी, उनकी अभी 15-20 दिन पहले ही शादी हुई थी। वह गाड़ी से जा रहे थे, सांड़ की टक्कर हुई और लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हैं और जीवन-मृत्यु के बीच से गुजर रहे हैं।

आज हम यह कहना चाहते है कि किसान, हमारे अन्नदाता आज एक बड़े संकट में हैं और यह कह देना कि हमने ग्राम पंचायतों के माध्यम से एक गौशाला बना दिया। गौ माता का जब नाम आता है तो हम सब बहुत आदर से गौ माता का सम्मान करते हैं, लेकिन आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब गौ माता का सम्मान हो रहा है तो आज सड़कों पर जिस तरह से एक्सीडेंट में गौ माता मर रही है। यह में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह जितने मा0 सदस्य बैठे हैं, यह भी देखते हैं कि रोज गौ माता मर रही हैं। किसान जिसकी हम हर मंच पर बात करते हैं जो एक मात्र इस देश में सबसे बड़ा रोजगार देने का काम करता है, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों ने अपने खेत को परती छोड़कर के हिम्मत हार गए हैं कि अब हम खेती नहीं कर पाएंगे इसलिए मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस जनहित के अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले में सदन की कार्यवाही रोक कर मैं आपसे चर्चा किये जाने का आग्रह करता हूँ और हमारे साथी हमारे मा0 वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अवधेश जी भी फैजाबाद और अयोध्या के लिए दो शब्द कहना चाहते हैं।

***श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, यह जो मा0 मनोज पाण्डेय जी हैं, यह नियम-311 के अन्तर्गत जो सवाल लगाए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे न केवल हम विपक्ष के, बल्कि सत्ता पक्ष के भी तमाम सदस्य ऐसे हैं जिनका खेती से सम्बन्ध है, किसानी से सम्बन्ध है, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभी पिछले दिनों में जब महामहिम राज्यपाल जी भाषण दे रही थी तो मैंने उन साँड़ों की बात को बताने का काम किया था। यही साँड़ हैं जो जान लेते हैं और बैल खेती करते हैं। जिसका संज्ञान मा0मुख्य मंत्री जी ने भी लिया था कि यह अवधेश जी पता नहीं कहीं के साँड़ लाए हैं। हमने कहा कि यह साँड़ कहीं बाहर के नहीं है, यह वही साँड़ हैं जो हमारी खेती चरते हैं और जान लेते हैं। हमें आपके संज्ञान में लाते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में यों तो सैकड़ों लोगों को साँड़ों ने घायल किया है, लेकिन मेरे पास 30-35 लोगों की सूची है जिसको साँड़ों ने मार दिया है और कुछ को तो जान से मार दिया है जिसमें से राम केवल यादव, जिनको साँड़ ने मार दिया है, यह मर गए हैं। बालक राम कोरी मर गए। ओम प्रकाश यादव मर गए। स्वामी दयाल मर गए राम आसरे यादव मर गए राम राज नाई मर गए। वह 55 साल के थे और गरीब आदमी थे। अलाव ताप रहे थे। साँड़ आया, जान से मार दिया और वह मर गये। बबलू दूबे 32 साल का नौजवान था, मर गए। अर्जुन मिश्रा की मां को साँड़ ने मार दिया। उनकी आंख निकल आई और मर गईं और उनके सदमें में अर्जुन मिश्रा जो 45 साल के थे वह मर गए। यही नहीं देवी प्रसाद पासी जो 45 साल के थे, उनको साड़ ने मार दिया और वह मर गये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूची ले ली गई है।

श्री अवधेश प्रसाद-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हरीराम पासी यह 30 साल के थे। इनको साँड़ ने मार दिया। वह मर गए। विनय शुक्ला 40 साल के थे। यह भी साँड़ के मारने से मर गए। राम धीरज पासी 50 साल के थे। इनको भी साँड़ ने मार दिया, मर गए और बाबादीन अपनी खेती को रखा रहे थे और साँड़ आया वह भागकर के तालाब में गिरकर मर गए। यहीं नहीं यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। हरीराम मौर्य, ठाकुरदीन यादव, सोमा, तेजबहादुर सिंह, तुंगनाथ, पल्टू पासी, राम चन्द्र शर्मा और भवानी प्रसाद मौर्य इन सभी को साँड़ ने मारकर घायल कर दिया है। यह 25-30 लोगों की सूची है।

इससे ज्यादा तमाम लोगों को सांड़ों ने मार करके घायल किया है इस बार इतनी ठण्ड हो रही थी लेकिन किसानों की रात रजाई में नहीं बीती है। किसानों की रात खेतों और खलिहानों में बीती है। सांड़ों को रखाने के लिए बीती है लेकिन यह सरकार जो कहती है कि हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे तो सांड़ों के रहते, आवारा जानवरों के रहते किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई है बल्कि किसानों की आमदनी रसातल में चली गई है इसके लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

कल जो बजट पेश किया गया, जिसे खन्ना साहब ने पेश किया, उसमें किसानों के लिए कहीं पर कुछ नहीं है आप सांड़ों को किस तरह से नियंत्रित करेंगे तो ये कहेंगे गौशाला है। लेकिन गौशाला की हालत तो और खराब है। वहाँ न तो उनके खाने का इंतजाम है, न चारागाह है, न दवाई है, न पानी है। श्रीमान, यह कहते हुए तकलीफ हो रही है कि आजादी के बाद आज तक उतनी गायें नहीं मरी थीं, जितनी गायें आज मरी हैं, जब एक बाबा, सन्त-महात्मा हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। इनके राज के चलते न जाने कितनी गायें मरी हैं ? श्रीमन आज जब सड़क पर चलिए तो डर लगता है, कहीं ऐसा न हो ये जो सांड़ों का झुण्ड है, कहीं ये हमको मार न दे। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है श्रीमन मेरा यह सुझाव है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके लिए एक विभाग बनाया जाए, उसको बजट एलॉट किया जाए। एक मंत्री बनाया जाए, वह सांड़ रक्षा मंत्री हो या सरकार उसको जो चाहे नाम दे। मान्यवर, जब तक अलग विभाग नहीं बनाया जाएगा, बजट नहीं दिया जाएगा, तब तक किसानों की यह समस्या बरकरार रहेगी। यह बहुत ही अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का सवाल है, इसलिए सारे नियमों को अलग रख करके इस पर इस सदन में चर्चा कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर देने के लिए मुझे पुकारा है। मा0 अध्यक्ष जी, गौः राष्ट्र माता, गाय राष्ट्र की माँ है। मान्यवर, ये वह लोग हैं जो इस समस्या को उठा रहे हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक ये लोग उसे पालते हैं। जब गाय दूध देना बन्द कर देती है तो ये उसे छोड़ देते हैं। मान्यवर, इनके द्वारा

जो समस्या खड़ी की गई है, यह समस्या पूरे प्रदेश के किसानों के सामने है। हमने फिर भी इसको पूरी तरीके से हल करने का काम किया है। कुछ समय के बाद जो निराश्रित गौवंश है, वह किसानों के खेतों में और सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। यह हमारा प्रयास है, योगी सरकार की प्राथमिकता है। मान्यवर, निराश्रित एवं बेसहारा गौवंश की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 02 जनवरी, 2019 को पहला शासनादेश जारी किया था जो एक नीति के रूप में निराश्रित गौवंश के संरक्षण में अहम भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान में कुल 6529 विभिन्न गौ-आश्रय स्थलों पर लगभग 10,76,053 निराश्रित गौवंश संरक्षित किए गए हैं।

मान्यवर, किसानों और वंचितों की आय में वृद्धि एवं कुपोषण को दूर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत 1,66,480 गौवंश सुपुर्दगी में दिया गया है। संरक्षित गौवंश को ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु निदेशालय स्तर पर एक अत्याधुनिक सेण्ट्रल प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (सी0पी0एम0यू0) की स्थापना की गई है एवं जनपदों में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (डी0पी0एम0यू0) स्थापित की गई है इसके अतिरिक्त प्रतिदिन संरक्षित गौवंश के अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा गौ आश्रय पोर्टल संकल्प से सुरूप तक विकसित किया गया है। सरकार द्वारा निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण-पोषण हेतु अब तक कुल 1577 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है मान्यवर, इस तरीके से निराश्रित गौवंश को जिसे ये लोग छुट्टा पशु कहते हैं, उनके लिए कल योगी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट दिया है, उसमें छुट्टा पशुओं के रख-रखाव के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है 120 करोड़ रुपये का बजट वृद्ध गौसंरक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए आवंटित हुआ है। 100 करोड़ रुपये का बजट कान्हा बेसहारा गौशाला हेतु आवंटित हुआ है। मान्यवर, इस प्रकार से गाय हमारे देश की अर्थ व्यवस्था है। गाय में सारे गुण बसते हैं।

देशी गाय का दूध अमृत है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ये गाय को छोड़ने का काम न करें। सरकार पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इतने संवेदनशील विषय में मा0 मंत्री जी ने कहा कि साँड़ से दूध निकालकर उसे छोड़ देते हैं। साँड़ तो दूध देता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने गाय बोला था।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

दूसरी चीज आज किसान का खेत बर्बाद हो रहा है, चरा जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है रोज एक्सीडेन्ट हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में देश की 62 प्रतिशत आबादी के लिए किसानों के लिए यह सरकार आज संवेदनहीन है इसलिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर 2 मिनट के लिए सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, दूसरी सूचना श्री महेन्द्र यादव जी की है। आप दो मिनट के लिए जा रहे हैं कि मैं आगे ले लूँ। महेन्द्र यादव जी आप वाकआउट तो नहीं कर रहे हैं। यदि वॉकआउट नहीं कर रहे हैं तो बोलिए। महेन्द्र सिंह यादव जी कहाँ है।

(सदस्य महेन्द्र सिंह यादव जी, बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

महेन्द्र सिंह यादव जी, सदन में नहीं हैं इसलिए उनकी सूचना जो सुनने के लिए ग्राह्य थी वह आज नहीं ली जाएगी। अब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है।

(सदस्य उमा शंकर के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या है ?

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा एक विषय शिक्षामित्रों से सम्बन्धित था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह आज नहीं लिया। शिक्षामित्रों का नियम-56 में कोई तात्कालिक विषय नहीं था।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा[†]

श्री अध्यक्ष-

सत्तापक्ष से जो मा0 सदस्य श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं, वह कृपया खड़े हो जायें। दो बजे श्री अखिलेश यादव जी बोलेंगे, तब सारे नेता यदि उस समय बोलना चाहेंगे तो उसके बाद आप लोगों को समय दिया जाएगा यदि पहले बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। अब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी और मा0 मुख्य सचेतक जी इधर से भी और उधर से भी मुझे सूची दे दें। सारे राजनैतिक दलों के मा0 विधान मण्डल दल के नेताओं से निवेदन है कि वह सब लोग अपनी-अपनी सूची दे दें तो सूची के हिसाब से ही मैं नाम बुलाऊँगा।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रस्ताव के समर्थन में सदन के वरिष्ठ सदस्य डॉ0 नीलकंठ तिवारी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव एवं आदरणीय नीरज बोरा जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। में बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए। वह प्राइमरी स्कूल जिनमें बच्चे आते ही नहीं थे, जिनमें बच्चों की संख्या लगातार घट रही थी। 2017 के बाद उनके नामांकन में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह आंकड़ा 1.92 करोड़ तक पहुँच गया है। लगभग 40 लाख नामांकन अधिक हुये हैं, जो बच्चे पहले मिर्च तोड़ने के लिए निकल जाते थे, जो गाँव में मटर तोड़ने के लिए निकल जाते थे, फूल तोड़ने के लिए निकल जाते थे उनका नामांकन किया गया। विभाग और प्रदेश की सरकार ने अपने प्रयासों से नामांकन को बढ़ाया है। वर्ष 2018 के बाद कायाकल्प योजना से जो विद्यालय बहुत बुरी हालत में पहुँच गये थे, जहाँ पर न दीवारें सुरक्षित थीं, न फर्श था और न बाउण्ड्री थी, न ब्लैक बोर्ड था और न ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था थी, वह सारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और महोदय, बहुत ज्यादा परिवर्तन कायाकल्प योजना के बाद हुआ है। गाँव के बच्चे कभी सोचते नहीं थे कि उनके लिए बेसिक शिक्षा के स्कूलों में लाइब्रेरी होगी। यह उनके लिए सपने जैसा था और हर जगह आज विद्यालयों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू हुई है, बच्चों के लिए झूले लगे हैं उन्हें लगता है कि हम भी झूला झूलने के साथ खेलने के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते

[†] दिनांक 22 फरवरी, 2023 की कार्यवाही से।

हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख 64 हजार शिक्षकों की भी भर्ती की गई और भर्ती करने के बाद जो शिक्षक विहीन स्कूल थे उनमें उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं और वह विद्यालय भी अब ठीक से चलने लगे हैं। यह प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 योगी जी के नेतृत्व में हुये हैं।

मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा में जो प्रयास थे, उनमें गड़बड़ी न हो, इसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गयी है और ऑनलाइन के माध्यम से ढेर सारे काम किये जा रहे हैं। परीक्षाओं में नकल की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको रोकने के लिए इस बार सीरियल नम्बर डालकर कॉपी प्रिन्ट की गयी हैं और 4 कलर की कॉपियाँ बनायी गयी हैं जिससे नकल को रोका जा सके। ऐसे सेण्टर जहां पर पन्नों को बदलने की कोशिश होती थी, वहां पर सिली हुई कापियाँ भेजी गयी हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह हुई है कि ऑनलाइन लाइब्रेरी, जो ई-लाइब्रेरी है और जो ई-कन्टेंट है, उसको बचाने के लिए भी काम शुरु हुआ है। बहुत से काम माध्यमिक शिक्षा में ऐसे नये लाये गये जिससे वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, उनको सुधारा जा सके। जो लाइब्रेरी है, उसको सुधारा जा सके और टीचर्स की भी स्किल्स में परिवर्तन किया जा सके। इसी तरह से उच्च शिक्षा में अभी तक केवल परीक्षा लेने का काम होता था, परन्तु पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत खराब थी। इसके लिए सरकार ने 165 जो उनके राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें ई-लर्निंग पार्क डेवलप करने के लिए हर महाविद्यालय में 5 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये हैं। यह बहुत बड़ी बात है और 26 ऐसे जिले जिनमें नामांकन बहुत कम होता था, जिनमें न्यू सकल नामांकन की संख्या कम थी, ऐसी जगह पर भी मॉडल राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं। विश्वविद्यालयों ने इस बार नयी परम्परा की शुरुआत की है। जगह-जगह नयी भाषाएँ सिखाने के लिए काम शुरू हुआ है क्योंकि चाइना से इण्डस्ट्री आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज सभी लोगों को बोलना है, इसीलिए आज 5 से 7 मिनट का समय निर्धारित है, सारे सदस्य उस सीमा में रहेंगे। रात को जब तक कोरम रहेगा और बोलने वाले माननीय सदस्य रहेंगे, तब तक हाउस चलायेंगे।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

पूरी दुनिया से इण्डस्ट्री आ रही है, इसके लिए नयी भाषाओं की जरूरत थी। इसी तरह से नये स्टार्टअप शुरु करने के लिए विश्वविद्यालयों ने पहल की है विश्वविद्यालयों ने अपनी तरह से शुरुआत की है इसी तरह से पॉलीटेक्निक शिक्षा में भी न्यू राइज पोर्टल के माध्यम से ढेर सारे काम किये गये हैं। बच्चों के लिए ई-क्लाउड के माध्यम से उनके लेक्चर्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनकी फीस पोर्टल के माध्यम से जमा की जा रही है और

(इसी मध्य 12 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

पोर्टल के माध्यम से उन्हें रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। नये कामों की शुरुआत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मामले में बहुत ही साफ नीयत के साथ काम शुरू हुआ है।

मैं इसी के साथ अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश में बंजारों की स्थिति बहुत खराब है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि बंजारा टांडा डेवलेपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की जाये। महोदय, दूसरा फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में (टिसुआ) हसनगंज के मध्य कैलाश नदी का सेतु बनाया जाये। सेरा (पुख्ता) नगरियाकलां के मध्य रामगंगा नदी पर सेतु बनाया जाये। गौसगंज तराई एवं करपिया के मध्य नकटिया नदी का सेतु बनाया जाये। फरीदपुर में स्वतंत्र मण्डी स्थल का निर्माण कराया जाये।

महोदय, भुता से फरीदपुर के मध्य जो मार्ग है, उसका पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण करा दिया जाये। एक ढकनीपुल से खुदागंज का मार्ग, जो कि शाहजहांपुर से जोड़ता है, उसका भी चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण करा दिया जाये। रसूला चौराहे से रमपुरा प्रवीन तक चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण करा दिया जाये। फरीदपुर नगर में स्टेडियम का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। पचौमी क्षेत्र में जो इण्डस्ट्रियल एरिया अपने आप डेवलेप हुआ है, इसके पोषण के लिए 32 के0वी0 का एक नया पावर स्टेशन उपलब्ध करा दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

***श्री पल्टूराम-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया प्रदेश के समुचित विकास की एक व्याख्या प्रस्तुत कर रही थीं। उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों का जो व्यवहार था उसकी जितनी निन्दा की जाय, वह कम है। समाजवादी पार्टी के नेता आज डा0 अम्बेडकर का नाम ले करके देश और प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज दलित समाज के लोग भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं। दलित समाज अनुसूचित जनजाति की महिला द्रोपदी मुर्मू आज देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी हुई हैं और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यह चयन करते हैं सिन्हा साहब का और सदन में चर्चा करते हैं जनजाति और अनुसूचित जाति के उत्थान की यह दोहरी राजनीति चलने वाली नहीं है। यह वही लोग है जिन्होंने देश के बंटवारे के समय मुस्लिम लीग पार्टी के दलित नेता जोगेन्द्र नाथ मण्डल को पाकिस्तान की धरती पर उन्हीं के सामने अपने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज के लोगों की बहन-बेटियों की इज्जत-आबरू लुटते देखने का काम किया है, वह कुत्सित चेहरा भी इन्होंने देखा था।

हम डॉ0 अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पॉवर की मास्टर की हम राजनीतिक ताकत को हासिल करके प्राप्त कर सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पिछड़े समाज से पैदा हुए हैं, आज उनके नेतृत्व में देश का समुचित विकास हो रहा है। आज जब पिछड़ा समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। आज जब अनुसूचित जाति की महिला, अनुसूचित जाति का व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है और राष्ट्रपति है। यही सपना था डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का, यही सपना था पण्डित दीनदयाल उपाध्याय का। अन्त्योदय का जो सपना था, वह सपना आज भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। हमारे वरिष्ठ सदस्य संग्राम सिंह जी का मैं कल भाषण सुन रहा था। वह कह रहे थे कि हमनें इकाना बनाया, हमने लोक भवन बनाया। इकाना और लोक भवन आपने बनाया, हम बना रहे हैं गरीबों के उन आवासों को, जो आजादी के इतने लम्बे समय के बाद खुले आसमान में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम बना रहे हैं उनकी जिंदगी जो आज आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 बन करके, राजनेता बन करके अपने समाज की तस्वीर और तकदीर को बदल रहे हैं। हमको उस दलदल में फंसाना चाहते हैं। मैं उस दलदल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं विकास के रास्ते पर चल चुका हूँ। मेरा लक्ष्य है कि-

''लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा ?
लक्ष्य तक अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं,
किन्तु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं,
लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा,
लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा ?''

आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज पिछड़े समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोगों के अगर जरा सी भी आपके अन्दर संवेदना है तो उस सूची को उठा लीजिये जिसमें विधान सभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं। देश की जनता ने और प्रदेश की सम्मानित जनता ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों को इस पवित्र सदन में भेजने का काम किया है आखिर क्या कारण है कि बहुत से ऐसे प्रयास आपके द्वारा वर्ष 2022 में किये गये, कर्मचारियों को भड़काया गया पेन्शन के नाम पर कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दो, व्यापारियों को भड़काया गया जी0एस0टी0 के नाम पर, नौजवानों को भड़काया गया रोजगार के नाम पर, किसानों को भड़काया गया बिजली बिल के माफी के नाम पर लेकिन देश और प्रदेश की जनता यह जानती है कि मोदी और योगी दो ऐसे सन्त हैं जिनका अपना घर और परिवार नहीं है। घर और परिवार अगर है तो इस देश और प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज और सर्वसमाज में पैदा हुए लोगों के लिए है। इसलिए आज जिन लोगों ने पिछड़ों

के नाम पर इस सदन का बहिर्गमन किया, वो पिछड़ों के नाम पर नहीं एक परिवार को फायदा दिलाने के नाम पर किया है।

अगर पिछड़ों की हितैषी होते तो माननीय अखिलेश यादव ने जब आजमगढ़ की सीट को छोड़ा तो धर्मेन्द्र यादव क्यों ? नेता जी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद डिम्पल यादव क्यों? क्यों नहीं कोई वर्मा, क्यों नहीं कोई प्रजापति, क्यों नहीं कोई विश्वकर्मा, क्यों नहीं कोई शर्मा हो सकता है, क्यों नहीं कुशवाहा हो सकता है ? इसलिए मैं आज समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें वह दिन याद है, 2 जून, 1995 की वह घटना भी याद है, जब एक दलित की बेटी मुख्य मंत्री पद के लिए आगे बढ़ रही थी तो आपने उसकी जान ले करके राजनीति को समाप्त करने का निर्णय लिया था। मैं धन्य हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 177 विधायक होने के बावजूद भी 67 विधायक वाली दलित समाज की बेटी को मुख्य मंत्री बनाने का काम किया। आपका दलित का प्रेम कहाँ गया था, आपका पिछड़ों का प्रेम कहाँ गया था ?

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो संविधान निर्माता डा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जहाँ होता है, उस मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद के महू छावनी नामक उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ले करके पहुँचते हैं और डा0 अम्बेडकर के जन्म से ले करके जहाँ उन्होंने अन्तिम साँस लिया ऐसे 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का सम्मान करने का काम किया है। जहाँ तक पिछड़े समाज का सवाल है, देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूँ कि वह क्यों नहीं बने ? लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी, उन लौह पुरुष की स्मृति में गुजरात की पावन धरती पर विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का निर्माण करके नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पिछड़ों का सम्मान करने का काम किया है। राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण दिया गया, आज यह प्रदेश उस रास्ते पर चल चुका है, जिसका सपना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, डा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और छत्रपति शाहू जी महाराज जी ने देखा था। मैं ज्यादा समय न लेते हुए राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर वरिष्ठ सदस्य माननीय नीलकण्ठ तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत किये गये उनके वक्तव्य से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि-

'भड़क उठे न कहीं ऐसी हवा न दो यारों,
आग नफरत की जहाँ देखो, बुझा दो यारों।'

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम, जय भीम, जय भारत।

श्री अतुल प्रधान-

अधिष्ठाता महोदय, मरने वाला वह शब्द निकलवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए, डा0 रश्मि आर्य आप बोलिये।

डॉ0 रश्मि आर्य-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय जी, आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हेतु मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है, जो कि अक्षरशः सत्य है माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में व माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहन अनुप्रिया पटेल जी के अतुलनीय सहयोग से बनी सरकार पूरे प्रदेश में सुरक्षा और विकास का वातावरण बनाने में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। प्रदेश की दशा और दिशा बदल रही है। गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व उद्यमियों के कल्याण के लिए नित नई योजनायें बनाकर उनको धरातल पर उतारा जा रहा है, परिणाम स्वरूप एक नये उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है।

मान्यवर, सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण व पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों के दर्द को समझ कर प्रभावी दवा देकर उल्लेखनीय कार्य किया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो कभी भय के साये में जीने वाली प्रदेश की जनता आज भयमुक्त जीवन जी रही है परिणाम स्वरूप आज समूचा प्रदेश बदला-बदला सा नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के नाम से दूर-दूर भागने वाले बड़े उद्योगपति घराने प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायित हैं। महामहिम राज्यपाल जी के शब्दों में निवेश का महाकुम्भ सम्पन्न हुआ जिसमें आये उद्यमियों ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है। यह एक नए उत्तर प्रदेश की झलक दिखा रहा है। जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही साथ प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को काम देने का मोदी जी, योगी जी व अनुप्रिया जी का सपना पूरा होगा। मैं 224 मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूँ और मेरा जिला झांसी है जो मध्य प्रदेश सीमा से सटा हुआ है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्राम सड़क योजना में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश से लगभग 120 करोड़ की सड़क का टेंडर स्वीकृत हो चुका है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को व उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। इसमें मुख्य सड़कें ग्राम भड़रा से मध्य प्रदेश सीमा तक लगभग 45 करोड़ की है, रानीपुर से मध्य प्रदेश की सीमा में लगभग 31 करोड़ की है।

मेरा एक निवेदन और है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में सुखनई नदी है। मैं चाहती हूँ कि उसकी सफाई और उसका सुन्दरीकरण गुजरात प्रदेश की साबरमती नदी के तर्ज पर हो।

यह मेरा आपके द्वारा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी से। मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम टहरोली है इसमें दो ग्राम सभायें हैं। आबादी के मानक के अनुसार टहरोली को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाये। ग्राम टहरोली में तहसील मुख्यालय भी है जो कि टहरोली तहसील के नाम से जानी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि टहरोली को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाये। मेरी मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर और नगर पंचायत रानीपुर और नगर पंचायत कटेरा जिसमें पेयजल की भारी समस्या है वहाँ की महिलाओं को रात-रात पानी भरने के लिए जागना पड़ता है गर्मी के मौसम में यह समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में तीन नगर पंचायतों में पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करके उनको आदेश दें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट गाँव, मजदूर, किसान, व्यापारी, व उद्यमियों के लिए समर्पित है इसके लिए हर वर्ग की सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई व आवागमन जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। निश्चित ही उत्तर प्रदेश का बजट बहुत शानदार है। इसके लिए मैं इस बजट की प्रशंसा करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बीमार और सरशैया पर लेटे उत्तर प्रदेश को पिछले वर्षों से खड़ा करने का काम माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है इसे तेजी से दौड़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए में माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का वन्दन व अभिनन्दन करती हूँ और साथ में महामहिम राज्यपाल जी के अभिवादन को धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ और अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मान्यवर, आज आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए में आपका आभार प्रकट करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो कि सरकार का प्रतिबिम्ब होता है। मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर यह अभिभाषण और सरकार के प्रतिबिम्ब की जो बात मैंने की यह धरातल और सत्यता से कोसो परे है जहाँ पर बात हो रही थी बसों की हालातों को लेकर उत्तर प्रदेश में कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। थाना और तहसील के लिये दिवसों के आधार पर समस्याओं का निस्तारण त्वरित कर दिया गया। मान्यवर, यहाँ बात की जा रही थी इजी डूइंग की, ऊर्जा के क्षेत्र में 24 से 20 घण्टे बिजली देने की, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की, किसानों के हितों को देखने की। शिक्षामित्रों, ग्राम पंचायत अध्यक्षों के हितों की बात, युवा बेरोजगारों के हितों की बात की जा रही थी, लेकिन इस सबके प्रति जो कृतसंकल्पिता इस सदन में अभिभाषण के तहत रखी गयी, वह कहीं न कहीं अपने सत्यता के धरातल से कोसों परे है।

आज अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृतकाल की बात कही जा रही है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत सिर्फ नाम के लिए रह गया है, क्योंकि आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महँगाई, महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण हो

रहा है, किसानों के हितों की बात की जा रही थी। आज कहीं न कहीं छुट्टा पशुओं, गौवंशों के तहत किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उनकी जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों की जो मौतें हो रही हैं, जो हमारे बड़े अभिभावक अपनी गाढ़ी खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि उनको कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे, आज उन बच्चों को बैरंग लौटकर आना पड़ता है जब उनके सामने आता है कि यहाँ पर ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि कहीं न कहीं एग्जाम पोस्टपोन किये जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्जा में भी 24 से 20 घण्टे की बात छोड़ दें, 10 से 12 घण्टे भी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, उसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

मैं विशेष तौर पर बात करूँगी अपने विधान सभा क्षेत्र असमोली की, जहाँ पर मैं पिछले सदन चलने से पहले अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, तो उस दौरान ऐसा देखा कि जो कैलादेवी फीडर, टाण्डा फीडर, एचोड़ा कम्नोइ फीडर, हातिम सराय का फीडर, टाण्डा कोटी फीडर, इन फीडरों पर तीन-तीन दिनों में वहाँ से लगे सटे हुए गाँव में तीन दिन के अन्दर केवल 4 घण्टे बिजली उन्हें मिल रही है कहाँ है वो ऊर्जा की आपूर्ति की बात की सत्यता ?

मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं कि ये अमृतकाल में उत्तर प्रदेश की जनता को इस बढ़ती हुई बेरोजगारी, महँगाई, छुट्टा पशुओं की मार, किसानों के साथ एम0एस0पी0 का निर्धारण न होना, गन्ना किसानों को गन्ने का समय पर भुगतान न हो पाना, गन्ना की कीमतों के दाम न बढ़ पाने से, सड़कों की मरम्मत न हो पाने से कहीं न कहीं ये विषपान उत्तर प्रदेश की जनता को पीना पड़ रहा है।

कल हमारे एक मा0 सदस्य पिछली सरकारों की बहुत बातें कर रहे थे। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन पिछली सरकारों की बात कर रहे थे, तो जब आपकी सरकार आयी और आपकी सरकार आने पर जहाँ पर आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो इकाना स्टेडियम अगर किसी ने बनाया, तो मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में बन कर खड़ा हुआ है। आप 100 डायल के लिए बात कर रहे हैं। आप अपने आपको ये कहते हुए प्रफुल्लित होते हैं कि हमें सम्मान मिल गया, लेकिन वो 100 डायल, जिसका नाम आपने (112) कर दिया, वो देने वाला और कोई नहीं, मा0 अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया है। जहाँ पर अस्पतालों की बात आपसे पूछी जाती है, तो इस उत्तर प्रदेश में आज मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार ने कहीं कोई नया अस्पताल नहीं दिया, लेकिन इसी लखनऊ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया जाता है, लेकिन अफसोस आप उस कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए धन आवंटन भी ढंग से नहीं कर पाते, उसका रख-रखाव नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष का केवल काम ही हो गया है, आरोपों को केवल लगाना। इसी पर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं कि-

''औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांकना नहीं आता''।

आपको सोचना चाहिए, क्योंकि में जिस क्षेत्र से आती हूँ, वह पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर कोई नगर पंचायत नहीं, कोई नगर पालिका नहीं और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से में भी एक किसान परिवार से आती हूँ। किसानों के दुःख-दर्द को हमने भी देखा है। आज किसान किस तरीके से आवारा पशुओं से परेशान है। जब उसकी फसल बर्बाद होती है, बेटियों की शादियों के सपने देखने वालों के सपने टूट जाते हैं, कहीं पर उन छुट्टा पशुओं के द्वारा जब किसानों की मौतें हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं उनका परिवार बेसहारा और बेघर हो जाता है। आपको कहीं न कहीं यह भी सोचना होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां बहुत सी पैदावार आलू की होती है, उसमें अगर एम0एस0पी0 निर्धारित हो जाता तो आज किसान को मजबूर रु0 350 में आलू के कट्टे को नहीं बेचना पड़ता। परन्तु आपके एम0एस0पी0 निर्धारित न करने की वजह से किसान अपने आपको ठगा सा महसूस करता है और जो बिजली की बात है उसमें मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में बिजली की जर्जर तारें हैं जिसके लिए तमाम बार पत्राचार किया गया, सहबाजपुर, ओवरी जैसे गांवों में जहां पर इतनी तादाद में इतने लोग हैं तारों को बदलने की बात कही गयी थी, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में तार नहीं बदले गए हैं।

हमने पत्राचार के माध्यम से कई बार सरकार को अवगत कराया कि हमारे गांव असमोली में 132 के0वी0 का, गांव चकरपुर में 250 के0वी0 के बिजली घर की आवश्यकता है। तथा असमोली के 132 के0वी0 के बिजली घर को उच्चीकृत भी किया जाए, टांडा फीडर को उच्चीकृत किया जाए, कमालपुर पर धन आवंटन पिछले 7 साल से नहीं किया गया है तब आप सोचिए कि यह सरकार कहां चाहती है कि प्रदेश का विकास हो, अगर चाहते तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी की तरफ भी देखें, क्या कसूर है उन युवाओं का, युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया जा रहा है आपने रोजगार नहीं दिये, शिक्षामित्रों को समायोजित नहीं किया, आप उनके परिवार के आसुंओं को नहीं देख पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आपने अगर एक आँसू भी देख लिया होता, 'एक आँसू भी हुकूमत के लिए खतरा है तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना', आप लोग अपने आप में संवेदनहीन हो गए है।

मैं आपसे मांग करती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां पर शिक्षित होना अति आवश्यक है, मेरे द्वारा असगरिपुर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसके लिए बार-बार धन आवंटन की मांग की जा रही है कि उसके लिए धन आवंटन करके उसे शुरु किया जाय। शहबाजपुर कला का इण्टर कॉलेज आज भी अधूरा पड़ा है, असमोली को तहसील बनाए जाने की मांग बार-बार मेरे द्वारा उठायी जाती है परन्तु कहीं पर भी तहसील नहीं बनायी जा रही है जहां पर हमारे केलादेवी मुजाहिदपुर में बच्चियों को पढ़ने के लिए 15-20 किलोमीटर तक कोई इण्टर कॉलेज नहीं है, कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां पर मैं मांग करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में बच्चियों को पढ़ने के लिए एक डिग्री कॉलेज देने का काम किया जाए और साथ ही साथ सौंधन में एक मिनी स्टेडियम भी दिया जाए, ताकि वहां के बच्चों की

प्रतिभाओं को निखारकर उन्हे प्रदेश और देश के लिए आगे खेल जगत में बढ़ने का मौका मिले।

मैं आपसे मांग करती हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में सड़कें हैं, चाहे वह खगूपुरा की सड़क हो या लहराकमंगर से लेकर नसीरपुर तक की सड़क हो, अतरासी से किरारी दिलगोरा को जोड़ते हुए अरखेड़ा सोनक तक की सड़क हो, फरीदपुर चामुण्डा चौराहे से बहजोई रजपुरा मार्ग तक की सड़क की बात हो वह सब जर्जर हालत में है उनको ठीक किया जाए और साथ ही साथ मैं आपसे मांग करती हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जहाँ पर केलादेवी अस्पताल मुजाहिदपुर का है, उस अस्पताल में एक्स-रे मशीन, खून की जांच की मशीन और अन्य जांचों की मशीनों को उपलब्ध करायें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर दूर सम्भल तक नहीं जाना पड़े, बल्कि उनका इलाज वहीं पर हो सके। मैं आपसे आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि एक तरफ हमारे एक सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बदलने की बात कही थी। इस पर मैं कहना चाहती हूँ कि यह कैसी बदली हुयी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की जहां पर धर्म और जाति के तराजू में तोलकर उत्तर प्रदेश की जनता को तोलने का काम किया जाता है आप किस तरह की तस्वीर बदलना चाहते हैं, जहां पर बहनें और बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। जो लोग यह सोचते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है उस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी।

''तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, यह अंध भक्ति है जनाब जिसकी कोई दवाई नहीं मिलती''

***श्री दुधराम-**

मान्यवर, हमारा 311-महादेवा विधान सभा क्षेत्र बस्ती में है। इससे पहले इसी सदन में आपसे अनुरोध किया था कि मुख्यालय से कुदरहा ब्लाक 60 किमी0 दूर है, आना-जाना 120 किमी0 हो जाता है। वहाँ पर तहसील बनाने का माँग किया था। मान्यवर, एक माँग और किया था कि हर ब्लाक में एक-एक फायर स्टेशन हो जाये, क्योंकि मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचने में काफी समय लग जाता है तब तक घर-द्वार जलकर खाक हो जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे अनुरोध है कि जो हमारे तीन ब्लाक-कुदरहा, बनकटी और बहादुरपुर है, हर ब्लाक पर एक-एक फायर स्टेशन बन जाये तो जो आगजनी की समस्या है उसका समाधान हो जायेगा। क्योंकि अभी स्थिति यह है कि जब दो-तीन गाँव जल कर राख हो जाते है तब वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच पाती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि तीनों ब्लाकों पर फायर स्टेशन बना दिया जाये। हमारे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें बहुत खराब स्थिति में है, पैदल चलना मुश्किल है, तो सड़कों की मरम्मत करायी जाये। दूसरी बात का अनुरोध है कि हम लोग सरकार को लिख करके देते हैं काफी दिनों से बिजली के लिए गाँवों में जो केबिल लगाया गया है, अधिकारी लोग यह कहते है कि वह बदल जायेगा। केबिल सड़ जाता है, शार्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर जाता है उसका परिणाम यह होता है कि गाँवों में बिजली नहीं जा पाती है बिजली की उपलब्धता रहते हुए फाल्ट होने के कारण बिजली पहुँच नहीं पाती है जनहित में इसको ठीक कराया जाये। एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि यह कहा गया कि बिजली का कनेक्शन फ्री दे रहे हैं। अधिकारी लोग गये आधार कार्ड ले लिये, अंगूठा लगवा लिये कहा कि फ्री बिजली मिलेगी और मीटर टांग करके चले आये और ट्रांसफार्मर से तार नहीं लगाया गया और 10-10 हजार का बिल आ गया। तार लगा ही नहीं, मीटर भी नहीं चला और 10-10 हजार का बिल आ गया। तो सरकार से यह अनुरोध है कि इसकी जाँच कराकर जो दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय। दूसरी बात, गरीब आदमी बताते हैं कि मीटर इतना चला है, बिल 5 हजार का होना चाहिए, लेकिन वह 10 हजार रुपये का भेज दे रहे हैं। गरीब आदमी परेशान हो जा रहा है तो यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है, अधिकारियों से सांठ-गाँठ रहती है तो आपसे अनुरोध है कि सरकार से इसकी जाँच कराकर उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।

***श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दिनाँक 20-02-2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2023 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत् अधिवेशन में माननीया श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के अभिभाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हुई अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

हम सबका सौभाग्य है कि मातृशक्ति की दैदीप्यमान पुंज, सर्वप्रिय और बहुत ही विदुषी राज्यपाल महोदया द्वारा यह अभिभाषण इस सदन में रखा गया। सभी जानते हैं कि अभिभाषण सरकार के क्रिया-कलापों का आईना होता है, एक बिम्ब होता है और उस आईने में, सरकार की सूरत को, उसके काम करने के इरादे को ठीक-ठीक देखा जा सकता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अच्छा होता अगर आप सब ध्यानपूर्वक शान्ति से अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति पर गर्वित होकर, मेजें थपथपाकर अपनी ममतामयी राज्यपाल का भाषण सुनते। ऐसा लगता है कि न अच्छा करना और न अच्छा सुनना दोनों ही आपको नहीं सुहाता है। आज हमारे मा0 सदस्य श्री अमिताभ बाजपेई जी यहां नहीं है, उस दिन थे, उस दिन का दृश्य ऐसा था हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन हुए हैं, उन्हें सब जानते हैं। उनका बात-बात में है-हैं होता है, वह इसके बिना बोलते ही नहीं हैं। मैं उस दिन अपने कानपुर वाले प्रिय अमिताभ भैय्या और छोटे भैय्या अतुल को देख रही थी, बड़े मियां, बड़े मियां छोटे मियां शुभहान अल्लाह। हमारे अमिताभ बाजपेई जी हू-हू कर रहे थे। अब मुझे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझ में नहीं आ रहा था। यह कह रहे थे राज्यपाल गो बैक-गो बैक और उसके बाद हू-हू कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद राम और रावण दोनों अन्दर से जाग रहे हैं। एक बार गो बैक-गो बैक, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्यपाल वापस जाओ और जब अन्दर का राम जागता तो खुद ही विलाप करते हुए दोनों भाई हू करते हैं। अगर आप माननीया जी की शख्सियत को ठीक से समझते और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते तो अच्छा होता। मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहती हूँ कि-

''यह खुद का वजूद मैं भीख में नहीं पायी हूं।
मैं कई समन्दर पसीने से भरकर यहां आयी हूं।''

आपने उनका सम्मान नहीं किया। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों का उस दिन आचरण था, वह उचित नहीं था। सौभाग्य से हमारे प्रदेश के सर्वोच्च पद पर आसीन एक महिला हैं, हम सब गर्व कर सकते हैं कि हमारी राज्यपाल एक महिला हैं। उनके सम्मान में आप उनकी बात को सुनते। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अभिभाषण पढ़े बगैर आपको उसके अन्दर की सारी बातें समझ में कैसे आ गयीं ? अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 से 30 दिसम्बर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। इसके अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश में किया जायेगा। जनपद लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतमबुद्धनगर इन सबमें हमको यह ऐतिहासिक दृश्य को देखने का अवसर मिलेगा। हमारा संकल्प है कि देश में अपना नाम रोशन करें या न करें, लेकिन दुनिया में अपने देश का नाम हम जरुर रोशन करेंगे। भारत के विकास का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इस अवसर पर भी आप कह रहे थे गो बैक-गो बैक। यह इंजन आगे चलता चला जा रहा है, आप गो बैक-गो बैक करते हैं, लेकिन यह इंजन आपके गो बैक से रुकने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है इसके दृष्टिगत 2022 से 2027 की अवधि में योगी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास शुरु कर दिया है। माननीय योगी जी की कार्य करने की शैली बताती है कि-

''मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसले बुलन्द हों तो फिर फासला क्या है।''

हमने हर फासले को पूरा किया है। आज सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। 7 चालू और 6 निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे राज्य के रूप में विश्वस्तरीय रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यह एक्सप्रेस-वे पूरे राज्य को मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्रों से निर्बाध गति से जोड़ने का काम करते है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एक मात्र राज्य बनने जा रहा है। यहाँ देश का पहला अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग इन लैण्ड वाटर वे भी विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश का है। प्रदेश में 90 लाख से अधिक एम0एस0एम0ई0 की इकाइयाँ हैं जो करोड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। इसलिए हमारी सरकार ने यह सिद्ध किया है कि-

''जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता,

हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ आसानी से चलने का कोई रास्ता नही होता।''

प्रदेश में समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक 1958 निवेश आशय प्राप्त हुए है जिनसे 94 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। नीदरलैण्ड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अरब, ईराक, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशियस इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिए हुए हैं। दुनियाँ के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को निवेश का महाकुम्भ का स्वरूप प्रदान किया है। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर कहते है गो बैक, गो बैक, गो बैक, लेकिन यह सरकार पीछे जाने वाली नहीं है, उसे गुमान है अतुल भइया

''उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है।''

आप खींचते रहिए हम आगे बढ़ते जाएंगे अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करते हुए और उस पर आदरणीय नीलकण्ठ तिवारी द्वारा दिनांक 22-02-2023 को जिस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की एक बात रखना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक टेढ़ी नदी है जिसमें चीनी मिल का पानी उसके अन्दर गिरता है, वह शीरा लगातार 15-16 वर्षों से गिराया जा रहा हैं, इस कारण वह पानी न पीने लायक हैं, न सिंचाई के लायक हैं। उस पर अगर एक पक्षी भी बैठकर पी ले तो वह मर सकता है। उस पर पक्षी भी नहीं बैठते हैं। तो मेरी यह मांग है कि उसकी पूरी तलीझार सफाई कराकर उसमें जल की आपूर्ति की जाए ताकि मेरे क्षेत्र का भला हो सके। बस अन्त में एक बार पुनः यह कहना चाहूंगी कि आपको उस दिन भाषण सुनना चाहिए था यह गलती आपने दो वर्ष पूर्व भी की थी, दोबारा फिर वही गलती आपको दोहरानी पड़ी। हो सकता है आप इधर हो जाते, अगर आप उस गलती को नहीं करते। आपको एक सलाह

मशवरा देते हुए कि ऐसी महिला का अपमान बड़ा पाप कृत्य होता है आगे से आप ऐसा नही करेंगे और बस मैं अन्त में अपनी यह बात कहना चाहती हूँ कि-

''कबीर जिन्दा रख, जमीर जिन्दा रख,
सुलतान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिन्दा रख''
हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिन्दा रख।
हार जा चाहे जिन्दगी में सब कुछ,
फिर भी जीतने का जुनून जिन्दा रख।''

और वह हमारे मा0 योगी जी के अन्दर हैं, हमारे मा0 मोदी जी के अन्दर हैं हम लगातार ऐसे ही जीतते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पं0 श्री नीलकण्ठ तिवारी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया है मैं 2017 से इस विधान सभा क्षेत्र के सदस्य हूँ और तबसे लेकर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण को सुना हो। एक सदस्य के नाते हमें भी इस बात की पीड़ा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पूरे सरकार की एक प्रकार से जो भी सरकार काम करती है, उस सरकार की पूरी की पूरी योजनाओं का एक प्रकार से परिचायक होता है पूरी की पूरी योजना दिखाई पड़ती है कि सरकार ने क्या किया है। क्या करने वाली है। लेकिन कभी इन लोगों ने सुनने का प्रयास ही नहीं किया। जैसे हमारी बहन जी ने अभी बताया कि हमारे गांव में चूंकि मैं गांव का विधायक हूँ ग्रामीण अंचल से आता हूँ। हमारे यहां जैसे ही शाम होती है, जैसे ही रात होती है तो सियार हुंआ, हुंआ, हुंआ बोलता है, उसी तरीके से इन लोगों ने कागज का ऐसा पोटला बनाया कि उस पोटले से लग रहा था कि कहीं मैं विधान सभा में नहीं, अपनी गांव में आ गया क्या ? शाम ढल गयी क्या ? सूर्य अस्त हो गया क्या ? कहां से सियार आ गये, कहाँ से सियार जैसी आवाज आने लगी? चार लाख जनता के आप जनप्रतिनिधि हो, आप समाजसेवी हो, कौन सा ऐसा सदस्य है जो यह नहीं चाहता है कि हमारे क्षेत्र में बिजली हो, स्कूल का कायाकल्प हो, गरीबों को अनाज मिले, शौचालय बने, आवास बने। हम जब वोट मांगने जाते हैं तो 30-30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर जनता के चरणों में पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि जो पिछली बार गलती हुई है, उसको क्षमा कर दें। एक बार अवसर और दे दो। हम जनता के बीच में जाने के बाद रोते हैं और जब अपने क्षेत्र की समस्या उठाने की बात आती है, जब सरकार के कार्यों को समझने की बात आती है तब आप सियार जैसी आवाज निकालने का काम करते हैं।

मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, एक सदस्य के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी राज्यपाल का अभिभाषण हो तो उसे कम से कम ध्यान से सुनो, नहीं तो आपकी क्षेत्र की जनता क्या हश्र करेगी 2027 में और 2027 छोड़ो जल्दी ही 2024 आने वाला है 2024 में एक ऐसा चुनाव आने वाला है जिसमें विदेशी ताकत भी साथ दे रही है इस बार विदेशी ताकत से लड़ करके तुम सबको समझ में आ जायेगा कि मोदी क्या हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं यह हम लोग 2024 में सिद्ध करने जा रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए क्या नहीं कर रही है ? हमारी सरकार जल से लेकर, शौचालय, आवास, राशन, बिजली ऐसी कौन सी चीज की एक गरीब की आवश्यकता है जिसे हमारी सरकार नहीं कर रही है। आज हर चीज पर हम काम कर रहे हैं, अरे आप प्रदेश छोड़ो मैं एक ग्रामीण अंचल का एक छोटी सी विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूँ। अगर उस विधान सभा क्षेत्र में भी देखोगे तो आज मेरे यहाँ कम से कम 13-14 हजार प्रधानमंत्री आवास, कम से कम 1 हजार मुख्य मंत्री आवास, 35 आंगनबाड़ी के केन्द्र, 95000 व्यक्तिगत शौचालय, 210 समुदायिक शौचालय, 44 पंचायत भवन, 6 अन्त्येष्टि स्थल, 4 अटल मनरेगा पार्क, 7 वॉटर तालाब एवं 215 खेलकूद के मेदान बन गये हैं। यह सब 2017 से पहले नहीं था। आज जनता किसी भी जाति या किसी भी वर्ग की हो, आज आपके ही समर्थक समाजवादी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि क्या बतायें मजबूरी है, कुछ जात-पात का मामला है कुछ ऐसी-वैसी बात है नहीं तो मैं भी भाजपा को ही वोट देना चाहता हूँ। इतना अच्छा काम भाजपा कर रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जात-पात का भ्रम टूटेगा।

चूँकि हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास का कार्य कर रही है, सबका विश्वास जीत रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपकी जमानत जब्त होने वाली है। अरे चिन्ता कर लो, कुछ तो काम कर लो और मैं आपको क्या बताऊँ अमृतसरोवर से लेकर जल जीवन मिशन आप कहते हो जल जीवन मिशन कहां चल रहा है आओ मैं अपने क्षेत्र बदलापुर में दिखाता हूँ, 38 ग्राम सभाओं में पानी की टंकी बननी शुरू हो गयी है और मेरा लक्ष्य है कि 2024 से पहले एक-एक गांव में पानी की टंकी बन करके हर घर को नल से जल देने का हम लोग काम करेंगे। और तो और आज हमारे यहां 425 मजरा, 425 मजरों में हमारी सरकार ने विद्युतीकरण करवाया है शर्म आती है यह बात कहते हुए क्योंकि आजादी के इतने वर्ष हो गये, लेकिन 425 मजरे विद्युतीकरण के लिए बचे थे जो हमारे विधायक बनने के बाद करा रहे है। 25 हजार हम नए कनेक्शन करा रहे हैं। हमने ऋणमोचन भी 60,823 किसानों का किया है, 90 हजार किसान 6 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मेरे अकेले बदलापुर में 90 हजार किसानों को साल का 6 हजार रुपया मिल रहा है आज हमने विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया है, हमारे यहां जितने भी विद्यालय हैं लगभग कई विद्यालय

19 पैरामीटर पर फाइनल हो गये हैं। आज विद्यालय रंगे पुते बेहतरीन हो गये हैं। बच्चों का कायाकल्प भी हम लोगों ने किया है अच्छे ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर से लेकर बैग, कॉपी किताब क्या नहीं किया ? जहाँ 2017 के पहले 10 या 20 बच्चे पढ़ते थे। आज इस विधान सभा सदस्य के नाते मैं दावा कर रहा हूँ, किसी भी प्राइमरी पाठशाला में मिनिमम 100 से कम संख्या मिल जाये तो कहिएगा। 100 से ऊपर की संख्या आपको हर विद्यालय में मिलेगी। मैं क्या बताऊँ ? हमारे यहां पम्प कैनाल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ आज हमारे सारे पम्प कैनाल बन गये। आज बदलापुर का कोई चौराहा नहीं बचा जिस पर मोटी-मोटी सीमेन्टेड रोड न बनी हो। आज हमारे यहां 9-9 पुल का निर्माण हो रहा है साई नदी पर 2 पुल का निर्माण हो रहा है आज हमारे यहां आई0टी0आई0, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, बिजली विभाग के वर्कशाप से लेकर सब पर काम हो रहा है हमको तो लग रहा है दो साल के अन्दर हमारा बदलापुर विधान सभा क्षेत्र पूर्णरूप से सन्तृप्त हो जायेगा। कोई काम ही नहीं बचेगा। हमको खोजना पड़ता है कि क्या काम रह गया ? आज हमारी सरकार के कारण यह दिन हैं।

मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग देखिये और न दिखाई पड़े तो आ जायें। लकी जी आप हाथ हिला रहे हैं, आ जाइये हमारे बदलापुर में आपको दिखा देंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार मोटे अनाज पर भी काम कर रही है मोटे अनाज पर जिस तरीके से मुझे याद है, जब मैं गांव में रहता था गांव के गरीब कहते थे किसान कहते थे कि बजड़ी और बजड़ा फेंक दो, छींट दों वह पैदा हो जायेगा। खाद, पानी की कोई जरूरत नहीं। आज हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बाते रखकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोग शान्ति बनाइये। माननीय अधिष्ठाता जी, में आग्रह करता हूँ हमारे यहाँ आई0टी0आई0 बन चुका है, उसे सरकार पी0पी0पी0 मॉडल से चलाना चाह रही है हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और हमारे पास बहुत ज्यादा पिछड़े और एस0सी0 वर्ग की आबादी है। मैं चाहता हूँ कि वह पी0पी0पी0 मॉडल पर न चलाकर राजकीय आई0टी0आई0 ही रहने दिया जाये। दूसरा आग्रह यह है कि बक्सा, तेजीबयार, लोहिन्दा मार्ग जिसका इस्टीमेट बनकर शासन में आ गया है चूंकि लम्बा प्रोजेक्ट है लगभग 50 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, उसकी स्वीकृति दे दी जाये। एक आग्रह यह था कि हमारे यहां एन0एच0-731 के किनारे काफी औद्योगिक भूमि है हमारी सरकार इन्वेस्टर्स समिट कर रही है और जिस तरीके से हमारी सरकार में इन्वेस्टर्स समिट में 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और जिसमें करोड़ों नौ-जवानों को रोजगार मिलने जा रहा है मेरा आग्रह है कि काशी और अवध के बीच में मेरी बदलापुर विधान सभा क्षेत्र आती है मध्य में है मेरा निवेदन है कि वहीं पर किसी भी औद्योगिक कल कारखाना का या पराग का एक बड़ा प्लांट लग जायें क्योंकि हमारे यहां दूध का उत्पादन अच्छा होता है एक निवेदन और है कि महाराजगंज को नगर पंचायत बनाया जायें।

ऐसी छोटी-छोटी बाते हैं यहीं आग्रह करके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम।

श्री जाहिद-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कल से चर्चा चल रही है मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रविदास मेहरोत्रा ने उसके विरोध में जो अपने विचार रखें, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय नीलकंठ जी और सत्ता पक्ष के लोग मैं देख रहा था पूरी चर्चा लॉ एण्ड आर्डर और इन्वेस्टर्स समिट पर सीमित करना चाहते हैं। चूंकि लोग किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, असंगठित मजदूरों के सवाल पर, फेरी वालों के सवाल पर खुम्चा वालों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर और किसानों के सवाल पर बात नहीं करना चाहते हैं। आज जो लोग चर्चा कर रहे थे वे लोग विधान सभा क्षेत्र में शायद नये आये हैं। नीलकंठ जी भी सत्ता पक्ष में आये हैं। जिस अभिभाषण के विरोध की बात कर रहे थे, आप निकालकर देख लीजिए।

(इस समय 01 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, जब ये लोग विरोध में थे तो उस समय को आप देख लीजिए। हमने तो परम्पराओं का विरोध किया है लेकिन आप तो ताकत के गोले फेंकते थे। यह विधान सभा इस बात का इतिहास है कि जिस शालीनता के साथ समाजवादियों ने यहां की परम्परा का पालन किया है, आपने नहीं किया था। मा0 मुख्य मंत्री जी भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं बार-बार मैं उसी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जैसे कि हाथरस, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, कानपुर देहात आदि जैसे काण्ड आपकी ही सरकार में हुए हैं। हमीरपुर जिले में दलित लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और एफ0आई0आर0 करने जाती है तो योगी जी की पुलिस भी बलात्कार करती है, यही इतिहास आपका है सरकार बहुत-बहुत बड़ी बात लॉ एण्ड आर्डर पर करती है लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध व हत्या के क्षेत्र में सबसे ऊपर हैं पुलिस हिरासत में जो मौतें हुईं हैं। उसमें भी उत्तर प्रदेश देश में नम्बर-1 है, यही आईना है आपकी जीरो टॉलरेंस नीति का और जो बात आप हमें बताते है लेकिन खुद ही भूल जाते हैं कि 15 वर्ष आप खुद भी सत्ता से बाहर रहे हैं अब आप श्री रामचन्द्र जी का लिबास पहनकर के चुनाव की बात करते हैं लेकिन यह मत भूलिए कि रावण कभी राम नहीं हो सकता है आपको वर्ष 2024 में सब मालूम हो जायेगा और आप जो इन्वेस्टर्स समिट की बात करते हैं तो आप शायद यह भी भूल रहे है कि वर्ष 2018 में भी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था जो आपने वर्ष 2019 के लोक सभा के चुनाव को लुभाने के लिए कराया था और अब फिर लोक सभा का चुनाव होने जा रहा है तो फिर आप इन्वेस्टर्स समिट करके उद्योगपतियों को लखनऊ की सड़कों पर घुमा रहे हो।

''मैं पूछना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से विश्व के दूसरे नम्बर का उद्योगपति अडानी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आया, यही सवाल जनता पूछना चाहती है रेलवे, एयरपोर्ट, एलआईसी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन भी बेच दिये जा रहे हैं लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस विधान सभा में हम लोग बोल रहे है, उस विधान सभा को भी अडानी और अम्बानी को बेच दिया जायेगा; यहीं हिंदुस्तान की तस्वीर बनने जा रही है जो भी मीडिया आपके खिलाफ बोलती है, आप उस पर छापा पड़वा देते हो। बी0बी0सी0 को आप दोस्त बोलते थे लेकिन अपने दमपर उसके ऊपर भी छापा पड़वा दिया और आपने सभी मीडिया चैनल वालों को झुकने पर मजबूर कर रखा है तभी वो आपके खिलाफ न्यूज नहीं चलाते हैं आप जिस अम्बेडकर जी की बात करते है, उन्हीं अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है आप बहुत बड़ी बातें बोलते हैं जैसे कि कुछ कबूतर पाले जाते है और कुछ कबूतरों का नाम लेकर अपने साथ दिखाया जाता है लेकिन उड़ने वाले कबूतरों को कभी पकड़ा नहीं जाता है समाजवादी पार्टी के लोगों का संघर्ष करने का इतिहास रहा है आप कितने लोगों को जेल में डालोगे।

जिन देशों को प्रधानमन्त्री दोस्त-दोस्त कहते हुए नहीं थकते थे उन देशों में मीडिया के समाचार पत्रों में आपकी क्या छवि है सब जानते हैं।

आप विधायकों को जेल में डालने का काम करेंगे, लेकिन जाहीद बेग और समाजवादी पार्टी के लोग आपकी जेलों से डरने वाले नहीं हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि आने वाले सत्र में मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन आपका खौफ, आपका जेलों में डालना और आपका हमें प्रताड़ित करना यह सब हमारे हौसले को पस्त नहीं कर सकता है सरकार इन्वेस्टर्स समिट की बात कर रही है, तो में भी जनपद भदोही का रहने वाला हूँ। हमारी सरकार के समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भदोही के गलीचा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारपेट समिट कराया था। आज वहां का गलीचा उद्योग और बनारसी साड़ी उद्योग दोनों खतरे में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के 60 परसेण्ट लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने के लिए मजबूर हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको धन्यवाद कृपया आप बैठ जाईये।

श्री जाहीद-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, कृपया हमें थोड़ा और बोल लेने दीजिये। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने वर्ष 2014 में हमारे भदोही में कारपेट मार्ट का शिलान्यास किया। वर्ष 2017 में माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा उद्घाटन किया, लेकिन आज तक वहां पर उस योजना को पूरा करने के लिए कुछ नहीं हुआ है, हमें सबसे अधिक दुःख इसलिये होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी दो बार वहां पर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने वहां कारपेट उद्योग के लिए कुछ नहीं किया। वहां

के कारपेट बनाने वाले लोगों और कारीगरों ने जो सपना देखा था उसको आपने पूरा करने का काम नहीं किया है, भदोही की योजना के पार्ट-2 को समाप्त कर दिया गया है। यूनियन नहीं बनाया जायेगा और 2020 में उसका टेण्डर हुआ, लेकिन उसकी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। आप इन्वेस्टर्स समिट की बात जोर-शोर से करते हैं, तो यह पहली बार नहीं हुआ है। पहले यह कारपेट मेला दिल्ली में लगता था, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में लगे जिसके लिए हमारे अखिलेश यादव जी ने पहल की थी। आप जिस इन्वेस्टर्स समिट की बात कर रहे हैं वहां पर 57 देशों के लोग आये थे और बड़े-बड़े पूंजीपति और उद्योगपति आये थे, लेकिन उसमें भदोही के कारपेट को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है वहाँ पर कारपेट मार्ट को खत्म कर दिया गया है और उसका टेण्डर जो वर्ष 2020 में हुआ था उसकी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर कोई काम न किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के दौरान भदोही में रोडवेज का बस अड्डा बनाया गया था, जो अभी तक शुरू नहीं हो सका है, वहां फूलन देवी त्रिमुहानी पर ओवरब्रिज की बात हो रही है, जो अभी तक बना नहीं है, वहां पर हमारी सरकार के दौरान 100 बेड का अस्पताल बनाने का काम शुरू हुआ था, जो बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन उसको अभी तक चालू नहीं किया गया है, वहां पर डाक्टर नहीं हैं, एक्स-रे मशीन नहीं है, उपकरण नहीं हैं, दवायें नहीं हैं माननीय अध्यक्ष जी, झूठी बातें कहकर अपने नेताओं को खुश करने का काम नहीं होना चाहिये। वहां पर ज्ञानपुर पोस्ट डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग चल रही है, जिसको पूरा किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पर रोडवेज बस स्टैण्ड, ओवरब्रिज, अस्पताल और विश्वविद्यालय के काम को पूरा किया जाये। माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में आ गये हैं और उनको आज बोलना है, इसलिये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय समाजवाद, जय भीम।

(सदन में जय समाजवाद तथा जय श्री राम के नारे लगाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये हो गया। मा0 नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

***नेता विरोधी दल (अखिलेश यादव)-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाजपा सरकार ने श्री राज्यपाल महोदय का बहुत समय खराब किया। एक घण्टा एक मिनट उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। उनका जो भाषण था, वह कट एण्ड पेस्ट भाषण था। कट एण्ड पेस्ट भाषण की सच्चाई में हम जब जाते हैं तो पाते हैं कि अभिभाषण में जो योजनायें दी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, वह जमीन पर अभी नहीं उतरी हैं वह सच्चाई से कोसों दूर हैं उत्तर प्रदेश का जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सपना देखा है या हम जो विपक्ष के लोग सपना देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और कई बार मैंने इसी सदन में नेता सदन को और बहुत सारे राजनेताओं को अखबारों में और कई लेखों में यह पढ़ा है और यह देखा है और यह अभिभाषण में भी आया है कि अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। अगर उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जायेगा तो देश भी आगे खुशहाली के रास्ते पर जायेगा। अगर नेता सदन का पुराना भाषण पढ़ें तो उस समय वह क्या आबादी बताते थे और आजकल जो सुनने में मिलता है तो नेता सदन द्वारा और कई आंकड़ों में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, हालांकि बहुत सारी चीजें सरकार भूल गयी है क्योंकि उनकी सरकार दोबारा बन गयी है, लेकिन जो अभिभाषण था, उसमें जो चीजें उल्लिखित थीं, वह कहीं न कहीं वर्ष 2017 से लेकर 2022, पांच साल वह और सरकार का एक साल इधर जो रहा होगा उसका कार्यकाल था। तो मैं सरकार को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ और याद दिलाने से पहले क्योंकि मा0 वित्त मंत्री जी मुझे दिखायी दे गये तो एक शेर याद आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अपने ही सहयोगी विधायक से कुछ अच्छा लिखवा लिया करें। आपकी तुकबन्दी ठीक नहीं है और मैं जब नेता सदन को देखता हूँ तो यह शेर कहना चाहता हूँ कि-

''आँखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं।''

(विपक्ष की ओर से मेजें थपथायी गयीं)

वैसे हमारे नेता सदन मुझे बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के लोग टी0वी0 के सामने बैठे थे और दुनिया के लोग एक खेल को देख रहे थे, मैंने किसी को अकेले खेल देखते हुये नहीं देखा।

मान्यवर, हमारे नेता सदन टी0वी0 के सामने अकेले बैठकर कुछ देख रहे थे, लेकिन मैंने नेता सदन का दूसरा खेल भी देखा है। मैं नेता सदन को बताना चाहता हूँ कि फुटबॉल का मैच अकेले नहीं देखा करते हैं। फुटबॉल का मैच ज्यादातर लोग एक ग्रुप में बैठकर देखते हैं और वह जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उसकी ड्रेस पहनकर बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि नेता सदन किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे। मैं उस दिन पूछ नहीं पाया और पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि वह मैच रात तक चला था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैच खत्म होने से पहले ही नेता सदन सो गये होंगे, क्योंकि मैच बना वह मैच तब बना, जब दूसरी टीम ने गोल कर दिया। वरना मैच में आनन्द नहीं था। अभी मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को दूसरा खेल खेलते देखा। पता नहीं किसने बॉल की कि एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। अरे, नेता सदन आप कैसे खिलाड़ी हो। तीन टप्पे के बाद भी गेंद को नहीं मार पा रहे हो। मैं उस स्टेडियम में एक या दो बार गया हूँ। इस बात की मुझे खुशी है कि स्टेडियम को समाजवादियों ने बनाया है, लेकिन उस स्टेडियम में ज्यादा नेता सदन गये हैं। मैं नहीं गया, मैं केवल पहला क्रिकेट मैच देखने गया था।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी करने पर)

मान्यवर, यह मा0 सदस्य भी किसी खेल के खिलाड़ी लगते हैं। कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो ? मा0 अध्यक्ष जी आपको तो याद होगा कि आपके सदन में क्या हो रहा था। एक स्पीकर पर आवाज आ गयी तो आप नाराज हो गये, लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था आप नाराज नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने देखा नहीं था।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बात को तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था। मा0 सदस्य बैठे होंगे। हालांकि यह जमाना कुछ दिखावे का भी है। लेकिन जब मैंने वीडियो डाला तो उस पर मिलियन व्यू आ गये। यह नया जमाना है, हमारे पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी नये जमाने को समझते होंगे। अभी आपका विभाग आयेगा और आपके विभाग के लिए हमारे चाचा जी भी साथ हैं। मैंने जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा। मैं बहुत दूर था, मैंने टी0वी0 पर देखा कि नेता सदन हाथ हिलाते हुए जा रहे थे तो मैंने यही कहा कि नेता सदन जनता से एवं टी0वी0 चैनल के सामने कहते हुए जा रहे हैं कि यह स्टेडियम मैंने नहीं बनाया है। मैं नेता सदन से कहूँगा और नेता सदन आप उस बात को भूल गये होंगे। जब मैंने बजट देखा तो मुझे इस बात का दुःख हुआ। जब मैं और आप उस सदन में पहली बार मिले थे। तो नेता सदन मैंने यह कहा था कि गोरखपुर का कुछ काम कर लेना, नहीं तो पांच साल ऐसे ही चले जायेंगे। आपका गोरखपुर वैसे का वैसे ही रह जायेगा। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुःख हुआ। यह बताओ कि नेता सदन आप गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाये। आप गोरखपुर में स्टेडियम ही बना देते, आपने गोरखपुर में स्टेडियम क्यों नहीं बनाया ? अगर लखनऊ राजधानी में स्टेडियम बना है, क्योंकि मैं यह बात और जगह की नहीं कह रहा हूँ, मैं राजधानी के लिए कह रहा हूँ। कानपुर में ग्रीन पार्क के लिए कह रहा हूँ। कम-से-कम गोरखपुर में स्टेडियम ही बना देते। जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। आपको अपनी नुमाइश, अपने मेले में जो खाली सीटें छूट गयीं, शायद स्टेडियम भरा मिलता और अगर आपने अपने यहां स्टेडियम नहीं बनाया तो कम-से-कम क्योटो में स्टेडियम बना देते। माननीय सदस्य, क्योटो कहां है ? सत्ता पक्ष के लोग बता दें कि क्योटो कहां है ? और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्योटो के लिए एक डेलीगेशन बनाइये, हम लोग जाना चाहते हैं। जब इतने मंत्री लोग जाने कहां-कहां घूम आए तो क्योटो क्यों नहीं ? क्योटो में ही एक स्टेडियम बना दिया होता तो अन्तर्राष्ट्रीय मैच हो जाते। खैर, थोड़ा बहुत खेल का काम आपके यहां हो रहा है, लेकिन अभी भी गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज के बच्चे उस स्वीमिंग पूल का इन्तजार कर रहे हैं, वहां

इटावा और सैफई के बच्चे स्वीमिंग नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार का कोई स्वीमिंग करने नहीं जा रहा है और आप सूची मंगवाइए, मुझे नहीं पता कि खेल मंत्री कौन है।

(किसी सदस्य ने कहा श्री गिरीश यादव)

अरे, वे क्या करेंगे। आप कुछ करेंगे ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

जो आप कहेंगे, वह सब करेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अरे, वो चित्रकूट में आप ही थे न, किससे डर के भागे थे आप ?

(हंसी)

पता नहीं, क्या हो गया था वहां पर ? किसी को याद हो तो बताओ, आप ही बता दीजिए, हमें तो याद नहीं है कि क्या मामला था।

(हंसी)

सोचिए आप। तो मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि यह अच्छा है कि विपक्षी पार्टी ने कोई काम किया तो उसका काम रोक दो। हमें पता है कि आज नहीं तो कल समाजवादी लोग उस काम को पूरा करके दिखाएंगे।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

जो बच्चे उसमें स्वीमिंग करना चाहते हैं, वह आपके घर के बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया के हैं। आप पांच साल से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं और मैं आपको नेता सदन भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी लोग कोई भी उसमें नहाने नहीं जाएंगे। आप नेता सदन उसमें नहाने आ सकते हैं। वर्ष 2017 में संकल्प-पत्र में वादा किया गया था कि एक वर्ष के भीतर पुलिस के रिक्त पदों को भरेंगे, उसका क्या हुआ ? यू0पी0 के प्रमुख शहरों में शहीद रोशन सिंह आवासीय टाउनशिप की स्थापना होगी, कितने शहरों में आधा-अधूरा पड़ा हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में तीन महिला पुलिस थानों की स्थापना होगी, इसकी भी सूची सरकार बता दे।

गन्ना किसानों का चौदह दिनों के अन्दर भुगतान, अध्यक्ष महोदय, हमारे मा0 सदस्य पंकज मलिक यहीं पर कहीं होंगे, कल वे इस बात को उठा रहे थे और माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे। मैं हर बार इस सदन में अध्यक्ष महोदय यही कहा हूँ कि सवाल यह नहीं है कि आपने भुगतान कितना किया है, सवाल यह है कि बकाया कितना है ? ये भुगतान बताते हैं, बकाया नहीं बताते हैं और अधिकारी घुमा-फिरा रहे हैं, गोल-गोल घुमा रहे हैं किसानों को, उन पर कार्रवाई आप कब करेंगे ? अब तो कहीं खड़ा होगा बुल्डोजर, ले चलिए उसे वहां पर। उन अधिकारियों के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप ले चलिए उनके पास जो लूट रहे हैं,

बर्बाद कर रहे हैं आपकी चीनी मिलों को उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं आप ? थोड़ा लग रहा है कि उधर भी जाने वाला है। बीस हजार करोड़ रुपये का किसान सिंचाई फण्ड कहाँ है ? वर्ष 2022 आपका जाएगा ही नहीं, वर्ष 2023 आ गया, लेकिन बीजेपी के लिए वर्ष 2022 ही रहेगा, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी हुई ही नहीं। किस आंकड़े से आपके वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी ? नील गाय तथा आवारा जानवरों से खेती की सुरक्षा, आज भी ये सवाल उठा था। यह सूची अभी लम्बी है, इसे रखिए अभी, पोस्टर बाद में काम आएगा। फिर यह तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जानवर सड़क पर नहीं होंगे, किसानों का यह संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो यह लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में तालमेल में कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे और लखनऊ वाले कुछ ले करके जायेंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। अब उस पर सब शान्त, कुछ है ऐसा, मुझे लग रहा है। प्राथमिकता के आधार पर केन-बेतवा नदी इण्टरलिंक परियोजना कहाँ पहुँची है ? सभी जरूरतमन्द और वंचित किसानों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, सस्ती दरों पर कृषि के लिए किसानों को बिजली, ब्लाक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सुविधाएँ।

सरकार ने किसानों से 60 दिन में एक लाख टन मक्का खरीदने का वादा किया था, कब मक्का खरीदी गयी ? 05 वर्ष में 70 लाख नौकरियों का सृजन, यह नौकरियाँ हैं, रोजगार नहीं है। प्रदेश में सभी उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए, खैर इस पक्ष में हम लोग नहीं हैं। 03 महीने के भीतर शिक्षा मित्रों के रोजगार की समस्या का समाधान। परिवार के साथ। अभी लाखों शिक्षा मित्र आये थे परीक्षाओं को नकल विहीन करायेंगे, पूरा का पूरा सेण्टर नकल कर रहा है, सी0सी0टी0वी0 में कैद है। प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, यह तो बस मैं याद दिला रहा हूँ। मैं करने को नहीं कह रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, आप मत करिए। अध्यक्ष महोदय, हम तो बस याद दिलायेंगे। प्रदेश में 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी, प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को प्रति माह 01 जी0बी0 इण्टरनेट दिया जायेगा। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलीटेक्निक की स्थापना होगी। पं0 मदन मोहन मालवीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 01 शिक्षक, 01 कक्षा का अनुपात सुनिश्चित किया जायेगा, यह भी लगता है कि प्राइमरी में स्कीम चला रहे हैं, वन स्कूल, वन टीचर। 08 हजार ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जहाँ पर 01 ही टीचर है, जो पढ़ा रहा है। प्रदेश के हर घर में 24 घण्टे बिजली। बनायी एक यूनिट नहीं, प्रदेश के हर घर में 24 घण्टे बिजली।

मिनी बस के माध्यम से सभी गाँवों को शहरों से जोड़ना। जो लोहिया ग्राम योजना चल रही थी, उसको भी बन्द कर दिया। राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की मदद से सरकार 2500 गाँवों में बैंक शाखाएँ सुनिश्चित करायेगी। मुझे याद है, सबसे ज्यादा अगर ब्रान्चेज किसी सरकार ने खुलवायी थी, तो वह समाजवादी पार्टी थी, जिसने एक साथ इतनी ब्रान्चेज खुलवायी थी तो वह समाजवादी पार्टी थी, जिसने एक साथ इतनी ब्रान्चेज खुलवाई थी। कानपुर,

इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और झाँसी में मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। हालांकि वह बात अध्यक्ष महोदय, मैं बजट में कहूँगा, लेकिन ज्यादातर बजट वह आये हैं, जिसमें कहीं न कहीं गोरखपुर के लिए मेट्रो का बजट दिया गया है। नेता सदन, यहाँ की मेट्रो पर तो आप बैठे होंगे, उद्घाटन का उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो। मेरा भी आपसे निवेदन है और हम विपक्ष के लोगों से जो आप सहयोग चाहें, एक सवाल नहीं पूछेंगे मेट्रो पर आप मेट्रो चला दो और अपने वहाँ नहीं चला रहे हो तो प्रधानमंत्री जी के वहाँ भी नहीं चला रहे हो, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रदेश में 06 एम्स की स्थापना होगी और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। गोरखपुर के एम्स की स्थापना के लिए समाजवादी सरकार में ही जमीन उपलब्ध करायी गयी थी और यह धमकी मिली थी कि अगर जमीन नहीं देगी सरकार तो एम्स किसी और प्रदेश को दे दिया जायेगा। और उन व्यक्ति को नेता सदन बेहतर समझते होंगे जो जमीन दी जा रही थी और जो हाई कोर्ट में पीआई0एल0 कराए थे वह किसके सहयोगी व समर्थक थे। अगर एम्स चला जाता तो बड़ी न्यूज होती और समाजवादियों का नुकसान होता। उस अथॉरिटी के अधिकारी कीमती जमीन नहीं देना चाहते थे। एम्स समाजवादियों की देन है और वही नहीं रायबरेली का एम्स भी देन है। उन्हें यह संकोच लग रहा होगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वह सच है कि नहीं है, लेकिन नेता सदन से अच्छा कौन जान सकता ? बोलो वह किसका आदमी था जो पी0आई0एल0 करके कोर्ट से जमीन रुकवाया था और एम्स रायबरेली में किसने बनवाया था। समाजवादियों ने जमीन दी तब जाकर के एम्स बना। छः एम्स की स्थापना होती, कहां है आपका एम्स ? यह एक पुराना डायलॉग है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में पन्द्रह जून, 2017 को फैसला यू0पी0 की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लिया जाएगा। वह कौन-सी सड़क आप गड्ढा मुक्त कर रहे थे, वह सड़कें जो गड्ढा मुक्त हुई नहीं हैं, वह सरकार को दिखाई नहीं दे रही हैं। सामान्य श्रेणी के गरीब लोगों के लिए आयोग की स्थापना होगी। प्रदेश में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरेंगे। प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हाँ नेता सदन ने बहुत अच्छी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई और दूसरी सरकार बनते ही पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने अपनाई। जीरो टॉलरेंस की सबसे पहले पॉलिसी सरकार दूसरी बनते ही पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने मान ली। इसमें क्या आपको करना पड़ा, वह आप बेहतर समझते हैं। एक बात बताई गई है राज्यपाल जी के अभिभाषण के शेर में कि उत्तर प्रदेश सभी चीजों में नम्बर-1 है जो भी योजना बताई गई कामधेनु में नम्बर 1 है, पुलिस रिस्पाँस सिस्टम में नम्बर 1 परसेण्ट, वर्ष 2018 तक बताया गया कि उत्तर प्रदेश नम्बर-1 था, लेकिन नए आंकड़े भी देखने चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है ? यह क्रेडेबिल ऑर्गनाइजेशन है जिसमें रैंकिंग स्टेट की बताई जाती है और मैं नेता सदन से कहूंगा जो अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं इस रिपोर्ट को भी पढ़ें, क्योंकि यू0पी0 बदलेगा तो देश बदलेगा, यू0पी0 आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बिना यू0पी0 के देश तरक्की नहीं कर पाएगा। आप कहां खड़े हैं। कभी तो आप

केरला को बताते थे कि केरला यू0पी0 से सीख ले जो कम्पोजिट स्कोर है स्टेट का कम्पोजिट के अन्दर चीजें हैं जिन पर स्टेट का आँकलन होता है कि आप कहां खड़े हैं ? आप किस स्थान पर हैं ? पहले पर महाराष्ट्र दूसरे पर जहां से गवर्नर आती हैं, वह है और हम सोलहवें नम्बर पर खड़े हैं।

आप इन आंकड़ों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इकोनॉमिक फ्रण्ट पर जिसमें पर कैपटा है, जी0डी0पी0 ग्रोथ है, इण्डस्ट्रीज सर्विसेज है, एफडीआई है और भी कई मानक हैं उसमें हम और आप खड़े हैं यू0पी0 के लोग ? गुजरात नम्बर-1 और हम नम्बर-17

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

आप पेपर का रिफरेंस तो बताइये कि कहां का पेपर है ?

श्री अखिलेश यादव-

आप यह नहीं मानेंगे तो क्या मैं इण्डिया टुडे पढ़ दूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पेपर की आर्थेंटिसिटी क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

आप ऑथेंटिसिटी अपने अधिकारियों से पूछ लीजिएगा। लगता है आपने सुना नहीं कि यह बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट मैं बोल रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप जिस पेपर को कोड कर रहे हैं, उस पेपर का कम से कम आपको नाम तो बताना चाहिए।

श्री अखिलेश यादव-

आपके अधिकारी बहुत पढ़े-लिखे हैं, आप उनसे पूछ लेना। आप अपने अधिकारियों से क्यों नहीं पूछ रहे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्रेडिबल एजेंसी कहीं से भी होगी, उस एजेंसी का कोई नाम तो होगा। उस क्रेडिबल एजेंसी का नाम बताया जाए। आपको एजेंसी का नाम बताना चाहिए।

श्री अखिलेश यादव-

मैं नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी एक कांग्रेस के नेता हवाई जहाज से जा रहे थे तो आपकी पुलिस वहाँ पहुँच गई, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायिका हैं, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। अगर कोई अच्छा गाना गा रहा है तो ठीक है। लोग हमारे खिलाफ भी गाना गाते हैं। यू0पी0 में का बा।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों ने कहा यू0पी0 में बाबा बा)

आपने उसको नोटिस दे दिया। यकीन करिए नेता सदन, अगर कोई हमारे खिलाफ कविता बनाता तो हम बुरा न मानते और शायद मैं पहला मुख्य मंत्री रहा हूँ, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में हो तो बता देना जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी।

(सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

ए कार्टून न समझना, तुम्हारा तो ऐसी जगह पर जिन्दगी में नहीं बनेगा। ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे, कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा, तुम खुद ही कार्टून हो। केयर ए0एच0 करके एक कम्पनी है, केयर ए0एच0 है। एनी वेज आप लोग पता कर लेना। वह केयर ए0एच0 है, फिर मैं इण्डिया टुडे का भी पढ़ दूँगा।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा फर्जी कम्पनी कहे जाने पर)

अरे भई ठीक है, फिर तो सब फर्जी है। अभी मैं फर्जी पर भी पूछूंगा, अगर सब फर्जी है तो क्या आपके नेता सदन ने क्रिकेट में बैट से बॉल मार ली थी। क्या बैट से बॉल मार ली थी या क्या वह भी फर्जी था ? पूरे देश ने देखा था टी0वी0 पर। क्या लोग हैं आप लोग? फिजिकल, उसमें भी तमाम पैरामीटर्स हैं, उसमें उड़ीसा नम्बर वन है और आपका स्टेट 15वें स्थान पर है। फाइनेंसियल इन्क्लूजन, क्योंकि वित्त मंत्री जी को यह दिक्कत है कि कहीं मुख्य मंत्री जी अकेले में मुझको डाँटें न। फाइनेंसियल इन्क्लूजन में आप कहाँ खड़े हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब भी कोई सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताया जरूर जाता है। यह सदन की परम्परा भी रही है कि उसके बारे में बताया जरूर जाता है।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, केयर ए0एच0 करके संस्था है। मैं अध्यक्ष महोदय को बता रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सदन की परम्परा है और कम से कम सदन को मालूम होना चाहिए। अगर आपके यह पेपर और हों तो भेज दीजिए। सब लोग जान जाएँगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं इसे टेबिल कर दूँगा। आपका धन्यवाद कि आपने इसे टेबिल करने के लिए कहा। अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है मैं इसे टेबिल कर दूँगा जिससे यह और सदस्यों को भी मिल जाए। उनकी भी जानकारी में हो जाएगा तो वे सरकार का सहयोग करेंगे, जिससे सरकार के अपने पैरामीटर्स ठीक हों।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं।

श्री अखिलेश यादव-

ठीक है, आप मुझे बोलने तो दो और आप बताओ, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है ? आपने कहा कि हम 05 करोड़ रुपये विधायक निधि देंगे तो अब आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है ? क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप बजट देख लें, हमने दिया है। हमने बजट में सब कुछ दिया है।

श्री अखिलेश यादव-

क्या है बजट में ? फाइनेंसियल इन्क्लूजन में आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात मत करो। आपने जो वर्ष 2017 में वादा किया तो क्या है। आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ? आप भले ही चुनाव जीत जाओ, लेकिन आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेण्ट की क्या क्रेडिबिलिटी है, बताओ। कहाँ है आपका 20,000 रुपये का फण्ड किसान के लिए। आपने कहाँ आलू खरीदा है ? बताओ आप। आपने कौन सा आलू खरीदा ? अगर एक किलो आलू भी खरीदा हो तो बताओ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, चूँकि हमको इंगित करके बात कही जा रही है तो इसलिए मेरा जवाब देना जरूरी है।

श्री अखिलेश यादव-

बोलिए, जवाब दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा जो संकल्प-पत्र है, हमने पहले भी अपने संकल्प-पत्र के 98 परसेण्ट वादे पूरे किए और यह अखबार में आया है। इस बार भी जितने वादे किए, हमने 130 वादे किए तो उसमें से 110 वादों पर काम किया है। हमने 110 वादों पर काम किया है। मान्यवर, कल बाकायदा इसको प्रेस किया गया है। ये है हमारी क्रेडिबिलिटी।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में शोर की स्थिति)

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मा0 सदस्यों से कहूँगा कि एक मिनट शांत रहें अध्यक्ष महोदय, ये क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं ना, में बैठ जाता हूँ आप बताइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी यह है कि जनता ने पाँच साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेन्स के आधार पर दो बार चुना। यह है क्रेडिबिलिटी और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम उसी वजह से यहाँ पर बैठे हैं, उसी कारण यहाँ पर बैठे हैं और यही क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मान्य है।

श्री अखिलेश यादव-

बोल लिया न आपने यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है न। फिर ये क्या था।

(बीच में टोका-टाकी करने पर)

एक मिनट रुक जाएं। यह इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, 2000 नई बसें चलाएंगे यह दूसरा बजट था, कितनी बसें आप चला रहे हैं ? पहले लैपटॉप दे रहे थे क्योंकि मैंने कई बार कहा और फिर मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप नहीं बाँट सकते और इन्होंने नहीं बाँटे क्या वह पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी।

(बहुत बँटे हैं, के शब्द सुनाई दिये)

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा शान्त रहे।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आप इतना बदलाव लाये हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप यहाँ पर टैबलेट ले आए। आपने बहुत सी चीजें बदली हैं। टैक्नोलॉजी आप लगातार यूज कर रहे हैं। हमारे मा0 सदस्य को यह तो बता दें कि टैबलेट, स्मार्ट फोन और लैपटॉप क्या होता है।

श्री अध्यक्ष-

वह इंजीनियर हैं, उनको मालूम है, वह एम0टेक0, एम0बी0ए0 हैं।

श्री अखिलेश यादव-

यह दूसरा बजट है। अध्यक्ष महोदय, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम् मूल्य देने के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। आप बताइये आज आलू की स्थिति क्या है ? पूछिये अपने मा0 सदस्यों से हमारी बात मत मानिये कि क्या आलू खरीदा जा रहा है ? क्या सरकार आलू खरीदेगी ? मैं नेता सदन के बगल में बैठे वित्त मंत्री जी और नेता सदन से पूछ रहा हूँ कि क्या आप आलू खरीदेंगे ? इतना खड़े हो करके बोल रहे थे, बोलिए आप आलू खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने खरीदा भी है और आगे भी खरीदेंगे और जो कुछ भी संकल्प-पत्र में वादा किया है वह सभी वादे पूरे करेंगे और जनता ने इसी बात के ऊपर चुना है। चार-चार चुनाव 2014, 2017, 2019 और 2022 इसी क्रेडिबिलिटी के आधार पर चुना है। यही है क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का मानक क्या है ? यही क्रेडिबिलिटी का मानक है ?

श्री अखिलेश यादव-

देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूँ कि ये आलू नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सरकार धोखा दे सकती है। सरकार सच्चाई से सामने नहीं आ सकती है। आज जरूरत है आलू खरीदने की। जो आलू बेल्ट है, उसके हमारे मा0 सदस्य मैं उनको खड़ा होने को नहीं कहूँगा, क्योंकि वह मंत्री हैं। कुछ लोगों का मंत्री पद छिन जाएगा, किसी का कुछ छिन जाएगा, इसलिए कोई सच नहीं बोलेगा। अकेले में अध्यक्ष जी, पूछिये आलू की हालत क्या है ? कोई नहीं पूछने वाला, धान में लूट हो गई और अब आलू में लूट होने जा रही है और आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। वर्ष 2022 से 2023 आ गया किसी भी किसान की, किसी भी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई है...

(सदन में विपक्ष की तरफ से शेम-शेम, शेम-शेम के शब्द सुनाई दिये)

और लागत का हिसाब-किताब लगाइये। यह डीजल पेट्रोल अगर महँगा हुआ तो केवल डीजल, पेट्रोल महँगा नहीं हुआ है। डीजल, पेट्रोल के साथ-साथ हर चीज महँगी हो गई है। ट्रान्सपोर्टेशन महँगा हो गया और ट्रान्सपोर्टेशन महँगे का मतलब है कि हर चीज महँगी हो गई। एक महीने में बताइये आपने कितना डीजल, पेट्रोल महँगा किया है। वह नहीं बताएंगे आप। एक नारा है ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि सरकार यहाँ पर जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं। हम सब जातीय जनगणना चाहते हैं।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हम जातीय जनगणना चाहते हैं और बिना जातीय जनगणना के यह नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा, जब हमें और आपको नहीं पता कि हम आबादी में कितने हैं ? सबका विकास कैसे करेंगे आप ? सबका विश्वास कैसे जीतेंगे आप ? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा तब तक यह प्रयास आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जातीय जनगणना पर यदि बात करूँ, वैसे तो आज-कल वह नेता हम लोगों से दूर हो गये हैं।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

कोई बात नहीं, बोलने दो। उनको नींद आ जायेगी, अगर टोकेंगे नहीं तो। कुछ तो बोलते रहने दो, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, नहीं तो यह कुछ और करने लगेंगे, फिर आपको डाँटना पड़ेगा।

किस पार्टी के नेता हैं आप, पार्टी का नाम तो पढ़ लूँ मैं। आप जातीय जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जातिवार जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से हमको भगा दिया। अपने साथ से भगा दिया हमको।

श्री अखिलेश यादव-

चलिए, वह हमारी और आपकी बात हो जायेगी, यह बाद की बात है, लेकिन यह बताइये कि क्या आप जातीय जनगणना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सौ परसेण्ट चाहते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अखिलेश यादव-

अरे, कितने अच्छे लग रहे हो, मंत्री बने हुए। इसी मंत्री पद के लिए गये थे वहां ? नाव मिलना तो ठीक है। आप भी तो नेता हैं, क्या आप जातीय जनगणना चाहते हैं ?

(सदन में सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में बात न करिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष मुझे सम्बोधित करके बात करें। यदि आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा यहां बैठना मुश्किल है।

(श्री संजय निषाद, मत्स्य मंत्री का अपने स्थान से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप बैठिए।

श्री अखिलेश यादव-

अरे, डा0 संजय जी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप बैठिए। ऐसे जवाब देने लगेंगे तो फिर मेरा काम क्या, मेरा काम आप नहीं करेंगे ?

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, जवाब आ जाने दें तो अच्छा लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

जब उनका मौका आयेगा, तब बोलेंगे।

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-

मान्यवर, इनकी विसंगति दूर होनी चाहिए। जब इन लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में हैं, न अनुसूचित में हैं। जब इनके पास पावर था।

श्री अध्यक्ष-

अरे, माननीय मंत्री जी आप बैठिए। कहाँ उनके चक्कर में फँस रहे हैं। आप बैठिए। मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। आपका मौका आयेगा तब आप बोलियेगा। मंत्री जी बैठ जाइये।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ, वह दिल से समर्थन कर रहे हैं। वह साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पर क्या गुजर रही है, वह बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम दोनों इंजीनियर है तो इंजीनियर इंजीनियर की बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है।

(श्री आशीष पटेल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, अब आप खड़े हो गये, बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठ जाइये, जब आपका मौका आयेगा, तब बोलियेगा।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, आप बोल रहे हों और बीच में कोई न खड़ा हो, यह मेरी जिम्मेवारी है।

श्री अखिलेश यादव-

अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए समर्थन तो जुटा सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप बाद में समर्थन जुटाइयेगा, अभी अपनी बात कहिए।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, यह देखिए, सब यहां खड़े हैं।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक आपको याद क्यों नहीं आयी ?

श्री अखिलेश यादव-

अभी नहीं, वो मैं बताऊँगा और कोई दल बचा है ? हमारे साथी सहयोगी दल, आर0एल0डी0, हम और आप तो एक ही हैं।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

नहीं, कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। मा0 आशीष जी ने जो सवाल पूछा, उस पर मैं बोलूँगा। हमारी पार्टी की मा0 सदस्य हैं और उनका अपना एक दल है। उनकी माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जातीय जनगणना पर मैं समझता हूँ कि आप भी सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह दोनों तो एक ही हैं न।

(महिला सदस्य के अपने स्थान से कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, आप बैठिए।

श्री अखिलेश यादव-

तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन ?

श्री अध्यक्ष-

मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या ? किसी की नहीं आ रही है ? जरा चेक करें आवाज क्यों नहीं आ रही है ? अब आ रही है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, जातिगत जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती ? मैंने अपने संकल्प-पत्र में लिखा था, अपने घोषणा-पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 03 महीने के अन्दर उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने का काम होगा। माननीय सदस्य आशीष जी आप जो सवाल पूछ रहे हैं वह ठीक है कि अपनी सरकार में आपने क्यों नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि मैं उस समय लोक सभा में था, नेता जी से ले करके शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं कांग्रेस पार्टी के अन्दर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग यह चाहते थे कि जब सेंसेस हो रहा है, तो उसमें जातिगत जनगणना हो, उसके लिए लोक सभा में कई बार धरने पर आवाज उठायी गयी और उस समय कांग्रेस के लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जातिगत जनगणना करायेंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसेस में नहीं

किया गया। अब दुबारा सेंसेस होने जा रहा है, इसलिए हमारी फिर मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबन्धन की यह सहयोगी भी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी सहमत है कि नहीं यह उनसे पूछना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बोला नहीं कि आपकी सहयोगी हैं।

श्री आशीष पटेल-

दूसरी यू0पी0ए0 की सरकार जब आपके समय चल रही थी, तो आपको उसको रोक देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

आपस में बातचीत न करें।

श्री अखिलेश यादव-

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था और हमनें आश्वासन पर भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल इस पक्ष में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। आखिरकार सरकार पीछे क्यों हट रही है ? और अगर आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, तो आप आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ क्यों नहीं हैं ? आप प्राइवेटाईजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं ? अगर आप आउटसोर्स के खिलाफ नहीं हैं, आप प्राइवेटाईजेशन के खिलाफ नहीं हैं तो आखिरकार आप जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों हैं ? नेता सदन ने कई बार प्रेजेंटेशन देखा होगा कि डेटा सेन्टर हम बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई लोगों से एम0ओ0यू0 हुए। नोयडा में कई चीजें जमीन पर भी आ रही हैं। डेटा सेंटर बन रहा है। बजट में भी डेटा सेंटर के लिए कुछ चीजें दिखायी दे रही हैं। आप डेटा सेंटर बना रहे हैं, लेकिन आपके यू0पी0 का डेटा सेंटर क्यों नहीं है ? अगर जातिगत जनगणना हो जायेगी तो उसमें आपको क्या दिक्कत है ? लेकिन हम समाजवादी लोग इसके पक्ष में हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ट्रिलियन डालर इकोनॉमी, यात्रा पर बहुत दूर-दूर लोग गये थे। मुझे नहीं पता कि सबसे दूर कौन-से लोग गये थे। कई घण्टों की हवाई यात्रा से गये थे लोग। कई देश हो करके आये हैं। वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी की बात अभिभाषण में आयी है। आपका एक साल तो चला गया, अब चार साल बचे हैं। दिल्ली की सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए था, वह उतना सहयोग नहीं कर रही और अगर दिल्ली की सरकार ने सहयोग किया होता तो आप न जाने कहां और पहुंच गये होते। आपने ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लिए क्या कदम उठाये हैं और किस-किस देश गये थे आप? कई देश हो करके आए हैं आप। एक डेलीगेशन गया यूनाईटेड स्टेट्स, एम0ओ0यू0 कर लिया कई हजार करोड़ का बाद में पता लगा वह यूनिवर्सिटी ही नहीं है। नेता सदन इनकी क्लास लीजिये आप।

नेता सदन, यू0एस0 कौन गया था ? यू0एस0 गये थे, यूनिवर्सिटी से एम0ओ0यू0 कर लिया, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है।

नेता सदन, मैं यह समझता हूँ और यह मानता हूँ कि वहाँ जो भी गया हो, उसे दोबारा प्रयास करना चाहिए था। कोई तो यूनिवर्सिटी यू0एस0 से आ जाये। जब हम, आप अपनी यूनिवर्सिटियों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हालाँकि नैक के बारे में आपने बोला है कि दो यूनिवर्सिटियों का अपग्रेडेशन हुआ है। लेकिन 84 यूनिवर्सिटियों में केवल 02 ही क्यों हुईं, और क्यों नहीं हुईं, उनके लिए भी प्रयास होता। मैं तो नेता सदन से कहूँगा कि जो टीम यू0एस0 गई थी, उसको आप दोबारा यू0एस0 भेजिए और तब तक वापस मत आने दीजिएगा, जब तक वह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एम0ओ0यू0 न कर लें। अध्यक्ष महोदय, बी0जे0पी0 का फण्डामेण्टल बहुत क्लियर था कि कोई भी सूट और टाई पहने, बस उससे एम0ओ0यू0 करा लो। आप लोग मैक्सिको गये थे, ब्राजील गये थे, अर्जेंटीना गये थे, नीदरलैण्ड गये थे, फांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, यू0ए0ई0, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, यू0के0, अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान गये थे। अध्यक्ष महोदय, जो डेलिगेशन जापान गया होगा, वह क्योटो नहीं गया होगा ?

श्री आशीष पटेल-

बिल्कुल गये हैं।

श्री अखिलेश यादव-

आप उसमें थे ? मुझे खुशी होगी कि मैं बैठ जाऊँ और आप क्योटो के बारे में एक मिनट बता दें।

श्री आशीष पटेल-

सर, आप बोल लें, फिर मैं बता दूँगा।

श्री अखिलेश यादव-

हमारा वाराणसी, क्योटो बन रहा था। अच्छा है कोई तो क्योटो हो आया। हम तो यहीं क्योटो देखना चाहते थे। जो पहली आपकी इन्वेस्टर्स मीट हुई थी। मेरा नेता सदन से यही कहना है कि आप मेला मत लगाइये, आप मेला लगाते हैं। आपने इन सब मंत्रियों से कहा कि जाइये और मेला घूम आइये और यह घूम कर आ गये। आप क्यों नहीं जा पाये ? मैंने अखबारों में पढ़ा था, हो सकता है कि वह अखबार गलत लिख रहा हो। आप कोई ठण्डी जगह जाना चाहते थे, बहुत ठण्डी जगह जाना चाहते थे। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपके कितने भी मंत्री चले जायें, कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जब तक नेता सदन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

आप लोग इतने देश देख आये, किसी देश में सड़क पर सांड़ दिखाई दिया ? हमारे वित्त मंत्री जी अमेरिका गये थे, क्या वहाँ पर सांड़ दिखाई दिया ?

(सदन में हँसी)

मैं तो पूछ रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, मैंने खुद ही एक वीडियो बनाया और उसे पोस्ट कर दिया तो मेरे एक बहुत समझदार और जानकार व्यक्ति ने कहा कि आपको यह वीडियो नहीं डालना चाहिए था। मैंने कहा कि क्यों नहीं डालना चाहिए था ? वह बोले कि यह अच्छा नहीं लगता है और इससे छवि ठीक नहीं बनती। मैंने कहा कि यह हमारा ग्रामीण भारत है। अगर डिवाइडर पर कंडे रखे हैं तो क्या खराब रखा है ? पूरा कंडा ही कंडा दिखाई दे रहा था, अरे, हमारे गाँव के लोगों को कोई जगह तो मिल गई, जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या खराब बात है ? कितने एक्सीडेंट हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी होंगे जो किसी-न-किसी दुःख में किसी के घर गये होंगे। साँड़ की वजह से जान गई है, खेत बर्बाद हुये हैं और कई महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है। मुख्य मंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का एक्सीडेंट जानवर की वजह से ही हुआ, नहीं जान बचा पाये। कई बार सड़क पर आप रफ्तार से जा रहे हैं, अचानक जानवर आ जाय क्या करोगे आप ? फसल तो किसान की बर्बाद है ही, लेकिन चलने वालों की भी जान जाती है और पूरे देश में अगर एक्सीडेंट की वजह से और खासकर जानवरों की वजह से अगर कहीं जान जा रही है, तो वह उत्तर प्रदेश में जा रही है, किसी और प्रदेश में नहीं जा रही है। हमारे नेता जो यह पोस्टर ले करके आये हैं, कोई खराब पोस्टर नहीं ले करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, पोस्टर का प्रदर्शन नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एजेंसी की क्रेडिबिलिटी क्या है मैं टेबिल करूंगा। मैं यह भी टेबिल करूंगा कि जिनकी जानवरों से जान गई है वह कितने लोग हैं, जो हमें अखबार के माध्यम से हमारे विधायकों की जानकारी के माध्यम से जो कुछ हासिल होगा, हम टेबिल करेंगे और मैं सरकार से मांग करूंगा कि जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई उनकी 10-10 लाख की मदद यह सरकार करे, क्योंकि जिन देशों को आप घूम कर आ रहे हो, जिनमें आप ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लिए भटक के आ रहे हो, किसी देश में सड़क पर साँड़ नहीं देखे होंगे। लेकिन कमाल का उत्तर प्रदेश है, वन ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाला। राजधानी में साँड़ ही साँड़ दिखाई दे रहे हैं, दुःख की बात है। क्या बजट दिया आपने, जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हों कि इन जानवरों की समस्या का समाधान करेंगे, तो बताओ हम किस पर भरोसा करें। जनता ने भरोसा कर लिया, लेकिन साँड़ों

की संख्या बढ़ गई। जो एम0ओ0यू0 हुये, इससे पहले वाला जो मेला लगा था, इन्वेस्टमेंट मीट का वह भी बड़ा मेला लगा था और लगभग 4 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन हुये थे। मैंने जानकारी हासिल की पोर्टल पर देखें कि आखिरकार कितने लोगों ने एम0ओ0यू0 किया। वह वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अगर हम और आप जानना चाहें कि किन लोगों ने एम0ओ0यू0 किया है तो पूरी सूची नहीं मिल रही है। आखिर यह सरकार क्यों छिपा रही है। हमारे जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। 4 लाख करोड़ का किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है और यह एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। मैं उधर कहूंगा तो सब चिल्ला देंगे कि आया है। शाहजहांपुर में कौन-सा इन्वेस्टमेंट आ गया, पहले के अलावा वाला।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सीमेंट की फैक्ट्री लग गई।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, रोजा वाली चिमनी से धुंआ तो नहीं लग रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह वहाँ पर पता कर लें।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी पूछूंगा। जो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है, जमीन पर कितना आ गया यह बता दें आप और फिर इस बार कितने लाख करोड़ का एम0ओ0यू0 कर दिया, मेला लगा लिया वहाँ पर। आँकड़े आये 34 लाख करोड़ मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का हमारे बी0जे0पी0 ने आविष्कार किया कि जीरो बढ़ाते जाओ। क्या थाना, क्या तहसील में क्या सुनवाई हुई होगी, सब अधिकारी एम0ओ0यू0 में लगे हुये थे। जब दुनिया घूम आये वहाँ जो मिला, सो मिला। फिर बड़े-बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट पर चले गये, वहाँ भी एम0ओ0यू0 कर लाये। फिर जिले में पता किया किसने काम किया, किसने नया ठेका किया, कौन कोल्ड स्टोर लगा रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा, बोला आप भी एम0ओ0यू0 के पार्ट हैं।

नेता सदन आप जानकारी कर लीजिए कि क्या जिलों में जो छोटे-मोटे काम पहले से चल रहे थे, उनको भी एम0ओ0यू0 में जोड़ दिया। कइयों से जबरदस्ती कहा गया कि अच्छा आप एम0ओ0यू0 नहीं करेंगे, तो उन्होंने एम0ओ0यू0 कर लिया। एम0ओ0यू0 की क्या क्रेडिबिलिटी है। चार लाख करोड़ वो, 34 लाख करोड़ वो और डिफेन्स एक्सपो, जहाँ मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, तोप बनेंगे, कॉरीडोर बनेगा, पाँच साल देखते रह गए, कहीं कॉरीडोर नहीं बना। डिफेंस में क्या इन्वेस्टमेंट आ गया, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया ? जो लोग करना भी

चाहते होंगे, उनको आप क्या देंगे, आपके पास क्या पॉलिसी है ? एक तरफ तो एम0ओ0यू0, इतने लाख, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी। रोजगार कितने लोगों को मिलेगा ? सरकार को सपने दिखाना बन्द करना चाहिए।

'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी', क्योंकि बजट पर भी मुझे बोलना है। बजट पर भी हमारी पार्टी के लोग बोलेंगे। जिस वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना देखते हैं। स्टेट की ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए ? अब चार साल बचे हैं, क्या ग्रोथ रेट हो आपकी, उसके बारे में कौन बतायेगा ? वह तो सरकार ही बतायेगी।

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' क्या बजट था बता दें हम। किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था। जब मैं सदन में आया तो हमारे मा0 सदस्य जाहीद बेग बोल रहे थे। वहाँ बुनकरों की सुविधा के लिए और कार्पेट के कारोबार के लिए इग्जिविशन लग जाए। उसके लिए कार्पेट मॉल, एक्सपोर्ट मार्ट बनाया। उद्घाटन पर उद्घाटन कर लिया, उसको आपने कितना आगे बढ़ा दिया। वहाँ पर कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया। जो सुविधाएं फोरलेन की दी थीं या फ्लाईओवर की दी थीं, उसको आपने कितना पूरा कर दिया। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' को कितना आगे बढ़ा कर ले गये आप। स्टेट कहाँ पहुँचा। अगर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पर काम हुआ होता, तो शायद जी0डी0पी0 बढ़ी होती। जब 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पर ही काम नहीं हुआ, तो क्या आप जो इतना बड़ा सपना दिखा रहे 'वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी' का कैसे पूरा होगा ? क्योंकि ग्रोथ रेट तो सरकार कुछ भी बता सकती है।

जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता भी था, तो आपने कामधेनु योजना बन्द करा दी। पोल्ट्री वाली योजना बन्द करा दी, जो किसान के लिए वैल्यू एडिशन थी और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को साथ लिए आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। एक लाख करोड़ एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है, लेकिन कोई नई मण्डी बनी हो, तो हमें बता दें। कोई बड़ी मण्डी बनी हो, जहाँ सुविधा ले सकें और जो बन भी रही थीं, उनको पूरा नहीं किया। एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार नीचे जा रही है। कहाँ 10 प्रतिशत और कहाँ 7 प्रतिशत ? डेयरी के लिए आप क्या कर रहे है ?

आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन में नम्बर एक है। उत्पादन और बढ़ सकता है। समाजवादी सरकार में 3 अमूल डेयरी आयी थीं, उस समय एम0ओ0यू0 हुए थे और तीनों की तीनों आज धरातल पर हैं। आपने कौन सा नया प्लांट लगा दिया है ? बना भी समाजवादी सरकार में ही था, जो न जानता हो, उसको दोबारा कागज दिखा दें। आप पता कर लीजिए, इनको डाइरेक्टर से मिलने के लिए आनन्दा भेज दीजिए। आपके पराग की क्या स्थिति है और यू0पी0 का काऊ मिल्क प्लांट मैंने कन्नौज में लगाया था, उसमें टेट्रा पैकिंग थी, वह प्लांट कभी नहीं चला। मैं एक दिन दौरे पर गया, तो मैंने कहा कि देखूं इसकी आज क्या हालत है। जब मैंने देखा, तो वहाँ के अधिकारियों से पूछा कि ये काऊ मिल्क प्लांट है, इसमें मिल्क किसका है ?

आप मिल्क कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं ? क्या यह गाय का मिल्क है ? तब वह बोला कि नहीं सर हम मिक्स कर लेते हैं। सोचिए दूध प्लांट में मिक्स करके मिल्क बना रहे थे, टेट्रा पैकिंग की मशीन नहीं चली और जब मैंने गेट के पास जाकर देखा तो नाम पट्टियाँ हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम की लगी थीं और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के नाम की लगी थी। सवाल यह नहीं है कि वह समाजवादियों ने बनाया था, सवाल यह है कि इन्होंने क्यों बन्द कर दिया। क्योंकि नेता सदन को बजट ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए यह सब बन्द कर दिया। अगर नेता सदन देना भी चाहेंगे तो इनके जो बगल में बैठे हैं वह किसी को बजट देने ही नहीं देंगे वहा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस भी है फूड पार्क बना रहे थे, क्या हुआ फूड पार्क में ? सपना दिखा रहे थे मलिहाबाद के आम का, क्या किया आपने मलिहाबाद के आम के लिए ? भाषण सुनिये आप इनके, जो मेगा फूड पार्क बना था बहेड़ी में 328 एकड़ जमीन पर, जितना काम समाजवादियों ने किया, उसके बाद इस सरकार ने एक पैसा नहीं दिया वहां पर और ऐसे कितने उदाहरण दूं मैं आपको। बहुत एक्सप्रेस-वे बनाए हैं आपने, यह एक्सप्रेस-वे स्टेट है, और हां मैं यह स्वीकार भी करता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा डिजाइन एक्सप्रेस-वे किसी ने किये तो वह समाजवादियों ने किए थे और अगर नेता सदन आपने वह एक्सप्रेस-वे डिजाइन किया होता तो पखनपुरा तथा हैदरिया पर नहीं रुक जाता।

अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जहां तक समाजवादी सरकार में डिजाइन किया था, जितना एलाइनमेंट था, जितना लैण्ड एक्वीजीशन के लिए मार्क किया गया था, वह वहीं तक बना है, उससे आगे एक इंच नहीं बढ़ाया है इस सरकार ने और इसी वजह से घाटे में है। कुछ चीजों के लिए तो हम आपको धन्यवाद देंगे, एक वीडियो मैंने लगा दिया था। उसके बाद आपकी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हुयी थी। कोई रफ्तार से चला आ रहा था उसकी पूरी गाड़ी ही गड्ढ़े में अन्दर चली गयी। कैसे निकला होगा वह गाड़ी से और कैसे गाड़ी निकाली होगी उस गड्ढ़े से और मैं इस सदन में दावा करता हूँ कि अगर समाजवादियों ने डिजाइन नहीं किया होता उस तरह का तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री अपना हरक्यूलिस ले करके उस एक्सप्रेस-वे पर नहीं उतर पाते और उस समय जितने हमारे नेता मंत्री थे, सबके वहां पट्टियों पर नाम थे, इन्होंने सब नाम हटा दिये, आप घाटे में है कि नहीं ? बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट बदल दिया, वह झांसी से बनना था उसको चित्रकूट से बना दिया और अभी उसमें चित्रकूट नहीं जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी वहां पर गए तो वह पूरा गिर गया, लोग डर रहे हैं चलने में, अगर लोग चलने में डरेंगे तो कैसे मुनाफा आयेगा ? सब टोल घाटे में हैं और इसलिए घाटा हो रहा है, क्योंकि आप मण्डियाँ नहीं बना रहे हैं, आप किसानों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। यह एक्सप्रेस-वे केवल शहर को जोड़ने के लिए नहीं थे, यह गांव को जोड़ने के लिए थे और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए यह इसलिए थे।

ये दो एक्सप्रेस-वे तो मैंने बोल दिया। एक और बड़ा एक्सप्रेस-वे बन रहा है। उसमें सदन में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, वह जरूर प्रकाश डालेंगे। वह एक्सप्रेस-वे तो आपका (ब0स0पा0) था, गंगा एक्सप्रेस-वे। आप इसके बारे में जरूर बताना। गंगा एक्सप्रेस-वे इनका था।

श्री अध्यक्ष-

आज आप उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

वह थोड़ा सच सरकार को बता देंगे। जो गंगा एक्सप्रेस-वे बनाने वाले थे वह नम्बर-दो से लुढ़क करके जाने कहाँ पहुँच गये हैं और कितना नीचे जायेंगे, कोई नहीं जानता। जो नम्बर दो पर थे। वैसे दो नम्बरी अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। दो नम्बर से कहाँ पहुँच गये, अब कैसे ऊपर आओगे आप। दोस्त की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त होता है।

(मेजों की थपथपाहट)

बोलो, आप लोग दोस्त के साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। दोस्त की पहचान तो बुरे वक्त पर ही होगी।

(सत्तापक्ष के किसी सदस्य द्वारा श्री ओम प्रकाश राजभर का नाम लेने पर)

उनकी दोस्ती तो चलती है, आपके साथ भी और हमारे साथ भी। वह सरकार के संग दोस्त रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दोस्त की पहचान बुरे वक्त पर ही होगी। मैं तो नेता सदन से कहूँगा कि अपने दोस्तों को बुरे वक्त पर मत छोड़ना। मीटर का मामला भी छिन गया। अब गंगा एक्सप्रेस-वे कैसे बनेगा, शाहजहाँपुर कैसे पहुँचेंगे आप? क्योंकि जो कम्पनी कहाँ थी, कितने बिलियन का नुकसान हो करके कहाँ पहुँच गयी तो मैं नेता सदन से कहूँगा कि गंगा एक्सप्रेस-वे बनेगा भी या नहीं बनेगा। लेकिन बी0जे0पी0 की सरकार ने एक धोखा किया है एक्सप्रेस-वेज के साथ। इण्डियन रोड काँग्रेस के जो मानक थे, उसका मीडियन 12 मीटर से लेकर 15 मीटर, 20 मीटर तक हो, उसका मीडियन कम कर दिया। यह भविष्य का एक्सप्रेस-वे था। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस पर चलतीं, लेकिन आपने इसका डिजाइन ही गलत कर दिया तो उसमें बदलाव कैसे लायेंगे। आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है। मैं नेता सदन से कहूँगा कि जिस भी अधिकारी ने आपको गलत इन्फार्मेशन दे करके यह काम कराया है, अगली पीढ़ी का ध्यान रखते हुए कम से कम उस पर कार्रवाई करना।

(मेजों की थपथपाहट)

आपको दिल्ली वाले एक्सप्रेस-वे के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं ? अभी दिल्ली से मुम्बई एक्सप्रेस-वे बना।

मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था। फिर उस बात को कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल्ली में बी0जे0पी0 की सरकार बनायी। देश का प्रधानमंत्री यहाँ के, लेकिन

एक्सप्रेस-वे के लिए पैसा दिल्ली से क्यों नहीं मिल रहा है, और स्टेटों को क्यों मिल रहा है ? 01 लाख करोड़ दिल्ली से मुम्बई एक्सप्रेस-वे के लिए, लेकिन आपके स्टेट के लिए एक भी पैसा एक्सप्रेस-वे के लिए नहीं। जब आपके लिए पैसा नहीं है, तो आप भी पैसा नहीं दे पायेंगे। वित्त मंत्री जी, अगर नेता सदन नहीं माँग रहे हैं तो आप ही माँग लो। आप पैसा लाइये। यू0पी0 को उससे जोड़ ही नहीं रहे हैं। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे से यू0पी0 नहीं जुड़ा है, कम से कम यू0पी0 को जुड़वाइये। हवाई यात्रायें बहुत हो रही हैं, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गये हैं। नेता सदन जहाँ मैं जाता हूँ उतरने के लिए यह कहते हैं कि हवाई पट्टी चल ही नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ के हवाई पट्टी पर उतरने के लिए मैं अनुमति लेते-लेते थक गया, लेकिन मैं उतर नहीं पाया। यह नेताजी ने बनवायी थी, उसके बाद एक्सटेंशन हमने किया और पाँच साल से नहीं चालू हो रहा है, लेकिन वह एयरपोर्ट की सूची में है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। सब कुछ वहाँ बन गया, लेकिन आप जाना चाहेंगे तो नहीं उतर सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, मुरादाबाद का हवाई अड्डा भी समाजवादी नेता जी के समय की देन थी, आज भी आप उस पर नहीं उतर सकते हैं और आजमगढ़ में आपने इतना बढ़िया एक्सप्रेस-वे दिया है, जहां सड़क पर हवाई जहाज उतर जा रहे हों, वहां आप किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं ? आपको बनाना नहीं है तो क्यों बना रहे हैं ? आप केवल किसानों को परेशान करने के लिए बना रहे हैं। इनके पास न तो नोटिफिकेशन है, न उसके लिए बजट है। हमारे माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं, यह आजमगढ़ की नयी हवाई पट्टी बना रहे हैं, केवल किसानों को परेशान करना चाहते हैं, उतनी ही हवाई पट्टी पर हवाई जहाज उतारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। पता नहीं वह कौन सा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं ? आपने चित्रकूट का क्या बना लिया ? क्या चित्रकूट का एयरपोर्ट बन गया है ? 5 साल से कोई हवाई जहाज उस पर नहीं उतर पाया। एक हवाई पट्टी रसूलाबाद में बनी है, सिर्फ एक बार हवाई जहाज उतरा था और उसमें भी सरकार ने कुछ उद्योगपति भेजे और कहा कि यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेन्ट होगा, बहुत कारोबार बढ़ेगा। उसके बाद दोबारा कभी वहां नहीं उतरे। यह सब हवाई पट्टियां बनाना किसकी देन है ? जेवर एयरपोर्ट बहुजन समाज पार्टी की देन थी, एन0ओ0सी0 समाजवादियों ने दिलायी। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम दूसरी एन0ओ0सी0 चाहते थे कि हिरनगांव में एक और एन0ओ0सी0 मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने एन0ओ0सी0 नहीं लेने दिया। आपने उस समय भेद-भाव किया। अगर भेद-भाव न किया होता तो आगरा को एक और एयरपोर्ट मिल गया होता।

कानून व्यवस्था पर आपकी जीरो टॉरलेन्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कितना है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। जो घटना अभी हाल में हुई है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक होता, न्याय देता और न्याय के लिए काम करता तो शायद मां-बेटी को इस तरह से जलाया नहीं जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि जो सरकार एक

ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखे और उसी प्रदेश में मां-बेटी को जला दिया गया हो और वह प्रशासन भाग गया हो। जिस प्रशासन की बचाने की जिम्मेदारी थी, जो अधिकारी मौके पर थे, वह भाग गये। बुल्डोजर चला दिया, मां-बेटी जलती रहीं। न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आस-पास के लोगों ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा। उस बुजुर्ग ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा है, यह आपकी सरकार है। क्या यह बुल्डोजर का काम है ? याद रखिये बुल्डोजर में दिमाग नहीं होता है। वह कैसे देखेगा कि उसको कहां जाना है। किसने बुल्डोजर चलाने का फैसला लिया था कि जाओ और चला दो। वहां पर एक और वीडियो वायरल हुआ है, नेता सदन आपकी पुलिस ने उस बेटे को सर्दी में नंगा कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि मां-बेटी जल रही हों, प्रशासन भाग जाए। प्रशासन से न्याय मांगने जाए तो सर्दी में उसके कपड़े उतरवा दिये जाएं, क्या इस बात की कोई कल्पना कर सकता है ? आज का जमाना पुराने जमाने से अलग है। एक-एक घटना, एक-एक चीज जो यहां हो रही है, दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। हम और आप कितना भी मेन्युपुलेट करें, लेकिन आज के समय में सच्चाई को नहीं छिपा सकते हैं।

मान्यवर, मैं आपके जिले की घटना याद दिलाता हूँ अपनी सरकार के समय पर एक पुलिस के अधिकारी ने इसी तरह कुछ गलत काम किया था। मैंने उसको वहीं पर सस्पेंड किया था। आपको अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन रोकता है। मां-बेटी नहीं है, ब्राह्मण परिवार के बेटे को आधा नंगा कर दिया। आपको कौन रोक रहा है। रोक कौन रहा है कार्रवाई के लिए। इसमें आप न्याय नहीं दिला पाएंगे और एक घटना नहीं जीरो टॉलरेन्स की मैं दूसरी घटना भी कन्नौज की बता सकता हूं। आप कहते हैं कि दंगा, दंगा की डेफिनिशन देखिए कि जो एन0सी0आर0बी0 के आँकड़े आते हैं वह क्या कहते हैं ? आकड़ों को दोबारा पढ़िए, और सरकार के आँकड़े देखिए कि सरकार के आँकड़े क्या हैं ? कन्नौज में दस हजार रुपये दे करके एक मुस्लिम नौजवान से आपने मंदिर में मांस रखवा दिया। वह बी0जे0पी0 का कार्यकर्ता था नेता सदन का कार्यकर्ता था और आपको डी0एम0, एस0पी0 को सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा बताइए आप।

दंगा कराने में कौन लोग थे ? दंगा कराने वाला अगर कोई था तो वह भारतीय जनता पार्टी का था। दस हजार रुपये में मंदिर में बी0जे0पी0 के कार्यकर्ता ने जानवर का माँस रखवाया। अगर हम लोग सख्ती नहीं करते, आन्दोलन के लिए धमकी नहीं देते तो शायद वह कार्रवाई नहीं होती। फिर शासन घबरा गया और 17 के 17 लोग बी0जे0पी0 के कार्यकर्ता जेल चले गए। वह बी0जे0पी0 के लोग हैं। आप कहते हैं कि सफाई कर्मी दंगा करते हैं। रायबरेली में मां की मजदूरी मांगने पर सत्ता समर्थित दबंगों ने दसवीं के दलित छात्र की बिजली केबल से पिटाई की और पैर को चटवाया। एक दलित नौजवान को पैर चटवाया, यह घमंड, यह अहंकार आखिरकार आ कहां से रहा है ? यह जीरो टॉलरेन्स है एक दलित बच्चे से जूते चटवाएंगे, यह आपका जीरो टॉलरेन्स है। कुछ बात-चीत हो गई और बात चीत में जौनपुर में सभासद को

गोली मार दिया यह आपका जीरो टॉलरेन्स है। बात-चीत हुई, निकाला और गोली मार दिया। यह आपका जीरो टॉलरेन्स है। महोबा में नमस्कार न करने पर दलित को कुल्हाड़ी से मार कर लहूलुहान कर दिया यह आपका जीरो टॉलरेन्स है। यह शब्द जीरो टॉलरेन्स आपने कहाँ से इजाद किया ? कहां से लेकर आ गए आप यह शब्द जीरो टॉलरेन्स। बाराबंकी में लेखपाल के उत्पीड़न के चलते कानूनगो को आत्महत्या करनी पड़ी, उसका इलाज ही नहीं हुआ तो आत्महत्या करनी पड़ी न्याय के लिए सोचिए आप। यही बाराबंकी मुख्य मंत्री आवास से 70 किलोमीटर दूर यह घटना हुई, यह जीरो टॉलरेन्स है। कहां खो गया आपका बुल्डोजर ? कहां खो गया है ? बलिया में मैं गया था, उस व्यापारी परिवार से मिला था, कौन लोग हैं ? सूदखोरी कर रहे वहां पर करोड़ों की मार्केट वैल्यू की जमीन को ले ली उसके बाद भी वह सन्तुष्ट नहीं हुए, धमकाते रहे, धमकाते रहे, और उसने लाइव आत्महत्या कर ली। इससे ज्यादा दुःखद क्या और नेता सदन आप जानकारी करिये कि क्या बी0जे0पी0 के लोग उसमें शामिल हैं कि नही हैं। अगर जीरो टॉलरेन्स है तो बी0जे0पी0 के नेताओं को आप जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे और बी0जे0पी0 के कार्यकर्ता नेता जो कर रहे हैं, आजमगढ़ में इंद्रपाल मौर्य का अपहरण कर हत्या पति-पत्नी यह आपका जीरो टॉलरेन्स है और कानपुर में अध्यक्ष महोदय आपको जानकारी होगी कस्टोडियन डेथ की बलवन्त सिंह को क्यों पुलिस ने उसको मार दिया। 6 फरवरी को कोतवाली परिसर में खुद को पेट्रोल डाल कर मार दिया, यह जीरो टॉलरेन्स है, उसकी भी जान चली गई।

बलवन्त सिंह के साथ जो हुआ है, उसकी कोई कल्पना कर सकता है कि उसके खिलाफ फर्जी एफ0आई0आर0 लिखा दी गयी और पुलिस ने मारते-मारते जान ले ली। आपने क्या मदद की है ? आप दूसरों पर आरोप लगाते थे कि समाजवादी सरकार है इसमें मदद में भेद-भाव होता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष सवा घंटा हो गया है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी अभी तो मैंने सब्जेक्ट ही टच नहीं किया है। अभी तो शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज आना है।

श्री अध्यक्ष-

मेडिकल कॉलेज बजट में ले लीजिएगा।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी बजट में फिर बजट वाली बात आएगी। ठीक है अध्यक्ष महोदय आप चाहते हैं कि मैं अब अपनी बात खत्म कर दूँ, हालांकि मुझे भी लगता है कि मैंने गर्वनर साहब से ज्यादा समय ले लिया है, इतना नहीं लेना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। सिर्फ समय याद दिला रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी।

श्री अखिलेश यादव-

मैं बलवन्त सिंह की बात कर रहा था। उसकी पत्नी को सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहां के परिवार के सदस्यों से कहा गया था कि 1 करोड़ की मदद होगी। मा0 नेता सदन, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने जनता में यह भाषण न दिया हो कि समाजवादी सरकार में मदद में भी भेद-भाव होता था। मैं आपसे कहता हूँ कि बलवन्त सिंह की मदद कीजिए, उसके परिवार की आप मदद कीजिए। कोई भेदभाव नहीं है और जितनी भी कस्टोडियन डेथ हुई हैं, उनकी आप मदद कीजिए। आप बलवन्त सिंह के परिवार को 1 करोड़ दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं ? इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह कानपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी से आपके नेता वादा करके आए हैं कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आप सरकारी नौकरी नहीं देंगे ? कन्नौज में भी एक परिवार है, उसको भी सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, उसको आप कब सरकारी नौकरी देंगे ? यदि आप अन्य घटनाओं में चुनाव के करीब सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो फिर इसमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं ? जीरो टॉलरेंस पर फिर मैं बात करूँगा, बहुत लम्बी सूची है।

नेता सदन को भी जवाब देना है उस समय भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो बोलूँगा। जिस सरकार के पास परमानेन्ट डी0जी0पी0 ही नहीं है, मैं नेता सदन से जानना चाहता हूँ कि आप परमानेन्ट डी0जी0पी0 क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं ? क्या वजह है ? इसलिए क्योंकि वह वोटर हमारे हैं, क्योंकि वह हमें जिताने के लिए वोट देते हैं। अभी नेता सदन वहां क्या कह रहे थे, पेन्डुलम

(सदन में हंसी)

हमारे नेता सदन फिजिक्स भी जानते हैं।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के द्वारा कुछ बोलने पर)

अब तो साथ में बैठे हैं, बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास परमानेंट डी0जी0पी0 नहीं है। एक दिन में जानबूझ कर पुलिस हेड क्वॉर्टर चला गया था, क्योंकि उसे समाजवादियों ने बनाया और वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया, वहां पर जो भी डी0जी0पी0 आए, जो भी होम्स के सेक्रेटरीज आए, दूसरे स्टेट के या अन्य कोई वरिष्ठ अधिकारी आए, उन्होंने खुद तारीफ की है। उन्होंने महसूस किया कि पुलिस के पास ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और यह बात नेता सदन जानते हैं, लेकिन

स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जब दिन के 12 बजे पुलिस हेडक्वॉर्टर गया तो पूरी पुलिस सो रही थी, मैं अन्दर बैठा वहां पर कोई अधिकारी नहीं था। सोचिए पुलिस हेडक्वॉर्टर में कोई अधिकारी न हो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यह आपका जीरो टॉलरेन्स है ? और वह भी टैम्परेरी डी0जी0पी जिसका नाम नहीं लिखा जाएगा।

हमारे समय में भी एक थे जिन्हें आपने किसी पद पर बिठाया था। वह इन्टेलिजेन्स के अधिकारी थे। न जाने आकर क्या-क्या बताते थे ? इसलिए इन लोगों से बचिएगा। जो नेता सदन, मुख्य मंत्री जी अपना परमानेन्ट डी0जी0पी0 नहीं बना सकते, वह स्टेट को लॉ एण्ड आर्डर नहीं दे सकते हैं। एन0सी0आर0वी0 के आँकड़े देख लीजिए। महिलाओं के खिलाफ क्या घटनाएँ हैं, मैं अगर पढ़ दूं तो बहुत समय लग जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में उत्तर प्रदेश नम्बर-1 है। क्राइम अगेन्स्ट वुमेन में यह स्टेट नम्बर वन है। यह आंकड़े हमारे नहीं हैं। एन0सी0आर0वी0 के आँकड़े हैं, जो आप देते हैं। स्टेट कहाँ खड़ा है ? यू0पी0 सबसे आगे है। यू0पी0 महिलाओं के खिलाफ अन्याय, अत्याचार होने पर नम्बर-1 है और घटनाओं में रेप में नम्बर-3 पर है। महिला अपराध में यू0पी0 में तीन साल में दर्ज क्राइम में नम्बर 1 हैं हम लोग। यू0पी0 में रोज 153 महिलाओं से होती हिंसा, रेप, छेड़खानी, पिटाई, एन0सी0आर0वी0 के आँकड़े बता रहे हैं। यह हम नहीं बता रहे हैं। यह वही आँकड़े हैं जो आपकी तरफ से जाते हैं। विपक्ष नहीं भेजता है यह आँकड़े। एन0सी0आर0वी0 के आँकड़े देखकर आपको खुद दुःख होता होगा। जिस सरकार के पास टेम्परेरी डी0जी0पी0 हों, परमानेन्ट नहीं हों। हमारी सरकार होती समाजवादियों की सरकार होती थी तो गवर्नर हाउस से हर दिन नोटिस आता था। प्रेस में बात कही जाती थी। माननीय गवर्नर कुछ नहीं कह रहीं। अब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा में गवर्नर के ऊपर इंगित करके नहीं कहा जा सकता।

श्री अखिलेश यादव-

अच्छा नहीं कह रहा और मैं अपने वे शब्द वापस लेता हूँ जो गवर्नर पर कहा हो। लेकिन उस समय वहां से आवाज आती थी, विधान सभा के बगल से। अब आवाज ही नहीं आती। मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, मंच पर आप भी थे। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। पहला मेडिकल कॉलेज का दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार का शिलान्यास उस समय हुआ था। आप वित्त मंत्री हैं। स्वीकृत पद 21 हैं पर वहां कितने हैं ? असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्वीकृत पद कितने हैं और तैनात कितने हैं ? एडीशनल प्रोफेसर स्वीकृत पद कितने हैं और तैनात कितने हैं ? जूनियर रेजिडेन्ट, ट्यूटर पी0जी0/नान पी0जी0 स्वीकृत पद 72 के सापेक्ष 60 हैं। प्रोफेसर के 21 पद के सापेक्ष 9 हैं। असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 31 पद के सापेक्ष 6 तैनात हैं। एडीशनल प्रोफेसर 33 के सापेक्ष कितने हैं ? सीनियर रेजिडेन्ट 36 के सापेक्ष 18 हैं। अगर वित्त मंत्री जी

के अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की यह हालत है जहां एम0आर0आई0 और अन्य मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। क्या बजट पर्याप्त है ? तो सोचिए प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल होगा ? नेता सदन के क्षेत्र में 500 बेड सुपर स्पेशियलिटी बच्चों का। 200 बेड्स के लिए बजट और जो टीचर्स, प्रोफेसर्स की पुरानी मांग रही कि उनको पी0जी0आई0 जैसी सुविधायें मिलनी चाहिए। आप कितने मेडिकल कॉलेजेज को दे रहे हैं। जब आप इन्वेस्टमेन्ट लाना चाहते हैं तो कम्पनियों के घर पर जाकर क्या बोलें, उनके स्वागत में जाकर न जाने क्या-क्या करते हैं ये लोग। मुझे याद है सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए शापूरजी-पालुनजी कन्सट्रक्शन की वन ऑफ द बेस्ट कम्पनी है।

मान्यवर, मुझे याद है सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए शापूरजी-पालुनजी देश की बेस्ट कम्पनी है कन्स्ट्रक्शन के लिए। मेडिकल कॉलेज और एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बना रही थी, उस कम्पनी का इन्होंने एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल में भी बजट नहीं दिया और वह कम्पनी भाग गयी। जब मुझे पता चला तो मैंने पूछा कम्पनी क्यों भाग गयी वह भी कितने दिन इन्तजार करते शापूरजी-पालुनजी कौन कम्पनी है, यह इनको पता ही नहीं था और आपने इस कम्पनी को बजट ही नहीं दिया, क्या आप लोग ठेके देने में भी सेटिंग कराते हैं। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के चांसलर मुख्य मंत्री जी हैं, तभी वह यूनिवर्सिटी जल्दी बन गयी। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी के नाम पर कब यूनिवर्सिटी बनेगी उस पर बजट क्यों नहीं दिया ? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से बननी थी, लेकिन अभी भी हो सकता है लोहिया इन्स्टीट्यूट के किसी फ्लोर पर चल रही होगी पास ही कैंसर इन्स्टीट्यूट बना है। यहां जितने मा0 सदस्य बैठे हैं उन सभी के क्षेत्रों में कैंसर बीमारी किस तरह से फैल रही है, यह सभी सदस्य महसूस करते होंगे। मंत्री मेरे साथ रहे, लेकिन मैंने बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन कल जब पॉल्यूशन की बात आयी तो वह बोले पॉल्यूशन से कैंसर होता ही नहीं है।

आज देखा जाए तो कितनी बुरी तरह से कैंसर फैल रहा है और आप नेता सदन खुद सिग्नेचर करते होंगे मदद के लिए। आप कैंसर बीमारी में बजट में सबसे ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं। यहां जो कैंसर इन्स्टीट्यूट बनी थी, उसका नाम तो आपने बदल दिया, पर हमें कोई शिकायत नहीं है। उस पर आपने कल्याण सिंह जी के नाम पर बनाई यूनिवर्सिटी को कैंसर इन्स्टीट्यूट कर दिया, लेकिन आज भी आप लोग बजट में से कोई पैसा क्यूं नहीं दे रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए मुम्बई, दिल्ली जाते हैं और यह बहुत ही गम्भीर बीमारी है कि पता नहीं है किसको ले जाए और कब आ जाए ? यह हमारे मंत्रियों की गलती नहीं है, यह तो काम करना चाहते हैं, लेकिन बजट ही नहीं दिया जाता है। नेता सदन बजट क्यों नहीं दे रहे हैं। आप और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ कि मैंने रसूलाबाद का एक वीडियो लगा दिया तो मंत्री जी ने एक घंटे में सब साफ करवा दिया इससे पता चलता है कि मंत्री जी काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन यह लोग उनको बजट ही नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थिति

क्या है ? आज गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है, आपरेशन नहीं करा पा रहा है। पी0जी0आई0 की खबर आपने पढ़ी होगी। मेडिकल के क्षेत्र में आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति क्यों नहीं है ? एक महिला चार दिन भटकती रही, बाद में उसकी जान चली गयी। आपने जो वेंटिलेटर दिये, वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं हैं। आप ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और एक तरफ मेडिकल व्यवस्था धवस्त है। ऐसी व्यवस्था में किसी गरीब को इलाज नहीं मिल सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत सी बातें रह गयी हैं बेरोजगारी रह गयी और आज नौजवान को रोजगार नहीं है। ये केवल स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। अरे अपनी स्किल को भी डेवलप कर लो। मैं शुरू-शुरू में डर गया था कि नेता सदन रात को ढाई बजे तक समीक्षा कर रहे थे अधिकारियों की आप सोचिए कि रात को ढाई बजे तक जगने वाले नेता सदन ने उत्तर प्रदेश की यह हालात कर दिये। मेडिकल कॉलेज तो 45 हैं, लेकिन इलाज नहीं है गरीब को और गरीब दर-दर भटक रहा है। आपके पास बजट नहीं है तो चल दिये पी0पी0पी0 करने मेडिकल में पी0पी0पी0 क्या होता है ?

यह आपकी जिम्मेदारी है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया जाये। नेता सदन मैं आपके खेल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर हो जाये एक दिन इकाना स्टेडियम में क्रिकेट का मैच। हम देखें कि नेता सदन कितने टप्पे के बाद बाल पर बैट मारते हैं और मैं आपको बता दूं कि नेता सदन जितनी बाल फेंकेंगे, मैं उतने छक्के मारूँगा। इसलिये मुझे विश्वास है कि यदि श्री राज्यपाल महोदया भाजपा रचित पुस्तक को पढ़ने की बजाय अपने स्वयं के उद्गारों को व्यक्त करतीं तो वह अवश्य तथ्यात्मक भाषण होता और वह जानकारी हितकारी सिद्ध हो पाती, लेकिन सरकार ने जो कट और पेस्ट किया है, वही गवर्नर साहब इस सदन में बोलकर गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो सुझाव दिये हैं और विपक्ष के लोगों ने जो सुझाव दिये हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

[प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

3-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-किसानों को प्रयाप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

5-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

6-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

7-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाली पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

8-गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करने के सम्बन्ध में,

9-धान/गेहूँ का अवशेष मूल्य भुगतान करने के सम्बन्ध में,

10-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

11-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

12-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

13-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14-नहरों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

15-निरन्तर बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के सम्बन्ध में,

16-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

17-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

18-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

19-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

20-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

21-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-चिकित्सालयों में जनसंख्या अनुपात में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

23-चिकित्सालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में,

24-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

25-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

26-महिलाओं और युवतियों के लिए बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,

27-भाजपा पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में,

28-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-किसानों के धान एवं गेहूँ खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

31-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

32-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

33-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

35-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

36-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

37-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

39-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

40-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

41-पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

42-अल्पसंख्यक कल्याण हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

43-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

44-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

45-समाजवादी पार्टी के विधायकों को फर्जी मुकदमे लगाकर किए जा रहे उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

46-पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

47-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हो रही नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

48-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

49-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में,

50-राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के सम्बन्ध में,

51-प्रदेश में बढ़ती महंगाई की रोकथाम करने के सम्बन्ध में,

52-प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ाने के सम्बन्ध में।]

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत देर से नेता विरोधी दल का उद्बोधन सुन रहे थे। उद्बोधन से पहले हम मन में विचार कर रहे थे कि महामहिम राज्यपाल महोदया ने जब संयुक्त अधिवेशन को विधान सभा में सम्बोधित किया तो समाजवादियों के हुड़दंग को देखकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विरोधी दल यहां पर माफी मांगेंगे। उसकी बजाय समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से हुड़दंग किया उसकी हम पूरे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से निन्दा करते हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस बात को बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं।

वह समाजवादी पार्टी की लॉबी में बैठकर मेरी बात को सुनेंगे और रिकार्डिंग को दस बार सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई सिर चढ़कर बोलती है। नेता विरोधी दल जो भी बोलकर गये हैं वह असत्य का पुलिन्दा है और उनको कहीं किसी तथ्य से मतलब नहीं है। मैंने सुना था कि जब राजा का राजपाट चला जाता है तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में आज हमने इस घटना को अपनी आँखों से देख लिया है। मैं नमन करता हूँ उन समाजवादियों को जिन लोगों ने भारत में समाजवादी आन्दोलन की शुरुआत करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। पूरा देश जानता है और आप भी इतिहास से वाकिफ हैं कि लोहिया जी ने जब समाजवादी आन्दोलन की शुरुआत की थी तो उसके बाद पूरे देश और दुनियाँ में समाजवादी नारा बुलन्द हुआ। नरेन्द्र देव जी ने शुरुआत की और उस परम्परा को आगे बढ़ाया।

मैं कह सकता हूँ कि उस परम्परा को राज नारायण जी ने आगे बढ़ाया, उसी परम्परा को पंडित जनेश्वर मिश्र जी ने आगे बढ़ाया और जब सब लोग दुनियाँ छोड़कर चले गये तो उनके पास एक फटी धोती भी नहीं थी। आज नकली समाजवादी जो अपने आपको समाजवादी बताकर लाल टोपी लगाकर ठेकेदारी करने का काम करते हैं और समाजवादी नाम का दुरुपयोग करते हैं यह वही समाजवादी लोग हैं। इन लोगों ने समाजवाद का नाम लेकर पूँजीवादी

नोट :-शेष संशोधन के लिये देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या .... पर।

व्यवस्था से अपने घर को भरने का काम किया है। मैं एक दर्जन उदाहरण देना चाहता हूँ आप उठाकर देखिये जब से इन लोगों ने पॉलीटिक्स की शुरुआत की है इनका तबका बैंक एकाउण्ट देख लिया जाये और इनका आज का बैंक एकाउण्ट देख लिया जाये और इनसे पूछिये कि आपने कौन सा ऐसा उद्योग किया कि 10 रुपये से जो एकाउण्ट खोला गया था उसमें आज लाखों-करोड़ों रुपये कहां से आ गये। यह पूरे देश के सभी समाजवादियों को बताया जाये कि यह कौन सी व्यवस्था है, ताकि वह लोग भी यह सब पायें। जो पीछे बैठे हैं यह हमारे सभी समाजवादी मित्र हैं। जब वर्ष 2022 में चुनाव चल रहा था तो गुमराह करके इन लोगों को छद्म रूप से बताया गया कि हम सत्ता में आ रहे हैं, इसलिये हमारी तरफ आ जाओ। जो बैठे हैं इनमें से कई लोग ठगे गये हैं और कई लोग तो चुनाव ही हार गये। हमारे सामने एक साहब बैठे हैं ओम प्रकाश राजभर जी वह भी ठगा गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनमें सच सुनने की क्षमता नहीं है, इसलिये मैं इन पर दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि-

''मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना-सुनाकर ना उदास कर नये मौसमों का पता बता जो गुजर गया वो गुजर गया।'' सामने चाचा बैठे हैं चाचा के कलेजे से पूछिये। हमने समाजवाद को कभी इस प्रकार से नहीं देखा है।

समाजवाद का मतलब होता है कि जो तन पर एक कपड़ा है वह भी न हो तो चलेगा, आधा कपड़ा हो, एक रोटी मिले तो चार लोग खा लें। हमने कभी नहीं सुना था कि चाचा का ही पत्ता साफ। चाचा हमारे परिवार के हैं अच्छी तरह जानते हैं मैं इनकी पीड़ा अच्छी तरह समझता हूँ। नेता विरोधी दल के बारे में कहना चाहता हूँ बेचारे सज्जन आदमी हैं। उनके आस-पास जो लोग हैं वह गुमराह कर देते हैं। अब इतना कागज उनको दे दिया इतना कागज पहले कभी नहीं देखा होगा। पीछे से लोग बार-बार कागज देने आ रहे थे और हमारे चाचा अवधेश जी बार-बार दबा रहे थे कि मत पढ़ो। याद है चाचा आपको। अवधेश जी हमारे चाचा हैं और यह समझा रहे थे कि ज्यादा झूठ मत बोलो। यह असली समाजवादी हैं। पीछे से कागज आया तो चाचा ने कहा कि इसको किनारे रख दो। मैं चाचा जी आपको वास्तव में प्रणाम करता हूँ। सच्चाई के साथ दिखने वाला असली समाजवादी चाचा हैं तो वह आप हैं। श्री मनोज पाण्डेय भी जानते हैं, कई लोग हैं अब हम नाम नहीं लेंगे। सभी हमारे मित्र हैं। लेकिन मैं मित्रता के आधार पर कहता हूँ कि भईया कोई बात हो तो बताना हम हमेशा साथ हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अस्पताल हमारी जिम्मेदारी है। डाक्टर साहब भी सच्चाई जानते हैं। डाक्टर साहब वैसे भी होम्योपैथिक दवा देते हैं और अध्यक्ष जी यह सिर्फ होम्योपैथी के नहीं यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डाक्टर हैं।

(सदन में हँसी)

जो वनस्पतियों से अर्क निकलता है उसकी दवा देते हैं और वह सीधे फायदा करती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जब हम दूसरे राष्ट्रों में गये। वहाँ का नजारा हमने देखा।

उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तहे दिल से इन्तजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से टीम आये और हम लोग मिलें। राजदूत ने जब हम लोगों को एयरपोर्ट पर लिया और उसके बाद पूरे उद्योगपतियों में इस बात की खुशी थी कि भारत से कोई राज्य ऐसा है जो हमसे बात करने के लिये आया है। मैं सदन के माध्यम से अपने सभी राजदूतों को बधायी देना चाहता हूँ कि उन्होंने दुनिया के सभी राष्ट्रों में जहाँ-जहाँ हमारी टीम गयी वहाँ के उद्योगपतियों से बात करके एक माहौल बना रखा था। रोड शो के लिए पूरी तैयारी थी। हमारी पहले वन टू वन मीटिंग हुयी। इसके बाद रोड शो हुये और बड़े अच्छे माहौल में उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने का एक अवसर मिलेगा तो यहाँ एक सुरक्षा की गारन्टी है। दूसरा अध्यक्ष जी, यहाँ पर 25 करोड़ लोग अगर यह तय कर लें कि हम अमुक नाम की काफी को पियेंगे तो वह उद्योगपति बड़ा स्थापित उद्योगपति बन जायेगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल देखकर दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में शामिल हुये और हमारे रोड शो में शामिल हुये और जब इसका आगाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ तो एक उत्सव का माहौल था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब आगाज किया तो पूरी दुनिया नजारा देख रही थी। हजारों पत्र हमारे कार्यालय में प्राप्त हुये है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ इतना अच्छा है।

समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यहाँ गुण्डे, लुच्चे, लफंगे, बहू-बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले, मकान, दुकान, प्लाट कब्जा करने वाले, उत्तर प्रदेश में दिन भर की बिक्री को घर ले जाने वाले व्यवसायी रोते थे। किसान रोते थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उत्तर प्रदेश में लगभग 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 साइन हुये हैं। जब पिछली बार हमारा इन्वेस्टर्स समिट हुआ था तो उसमें 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के हुये थे और उसको धरातल पर उतारकर हम लोगों ने ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद यह महसूस किया गया कि धरातल पर वास्तव में उद्योग लगे और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय आज बढ़ी है। यह आंकड़े में है यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 94 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुये हैं। इतने बड़ी संख्या में नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन्वेस्टर्स समिट से माहौल बना। उससे पहले जब कोरोना महामारी का काल था। कोरोना महामारी के काल में सभी राज्यों ने उत्तर प्रदेश के जो हमारे श्रमिक थे उनको वापस कर दिया। आप सबको याद होगा कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में हमारे लगभग दस हजार से अधिक श्रमिक सड़क पर खड़े थे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्पेशल बसें लगाकर उन सबको अपने-अपने जिलों में भेजा।

मान्यवर, इसके साथ ही मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह भी तय किया कि एक-एक व्यक्ति के अन्दर जो हुनर था उसकी सूची बनाई। उसमें ड्राइवर्स, प्लम्बर, कारपेन्टर, इलेक्ट्रीशियन्स एवं ढेर सारी विधाओं के लोग थे। ऐसे चालीस हजार लोगों को ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से जोड़कर, हमारी जो वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट योजना है, उसको एक्सटेंशन देने का कार्य किया

है। हमारे भाइयों को रोजगार मिला और ओ0डी0ओ0पी0 के उद्योगपतियों को काम करने का अवसर मिला। आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो ओ0डी0ओ0पी0 की सूची है। मा0 प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं तो उनको गिफ्ट देने के लिए दूसरी सूची देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे ओ0डी0ओ0पी0 की लिस्ट में जाकर ट्रिक कर लेते हैं और मैंने टी0वी0 एवं अखबार में देखा है कि उत्तर प्रदेश में ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम बनी वस्तुएं पूरी दुनिया में जाकर अपना स्थान ले रही हैं। सभी लोग जानते हैं कि जनपद अलीगढ़ में ताले बनते हैं, आगरा का पेठा पूरी दुनिया में मशहूर है, मुरादाबाद में पीतल के बने सामान पूरी दुनिया में मशहूर है, भदोही की कालीन मशहूर है, लखनऊ चिकन की कारीगरी मशहूर है। इसके अलावा सिद्वार्थनगर का काला चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। आज तक सिद्वार्थनगर के काले चावल सिर्फ स्थानीय लोग जानते थे, लेकिन ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से पूरी दुनिया ऑनलाइन चावल खरीद रही है और हमने उन्हें प्लेटफार्म प्रदान करने का काम किया है। आप सभी लोग जी-20 के बारे में जानते हैं। जी-20 दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों का एक समूह है। जिन पर 65 प्रतिशत से अधिक संसाधनों पर कब्जा उन्हीं देशों का है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि बढ़ी है, साख बढ़ी है।

आज में कह सकता हूँ कि दुनिया के वह शक्तिशाली देश भारत में आकर विभिन्न जगहों पर कई विषयों पर बैठकें करेंगे और उससे रिसर्च पेपर तैयार होगा जिससे हम लोग आगे बढ़ पायेंगे और ऐसी मेजबानी करने का अवसर उत्तर प्रदेश के चार स्थानों पर मा0 मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में करने को मिला है। अभी लखनऊ में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है, आगरा में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। इसके अलावा वाराणसी एवं नोएडा में कार्यक्रम होने वाला है। यह जी-20 के वही देश हैं जो भारत की अध्यक्षता में आज सब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि देश कैसे आगे बढ़ पायेंगे। हम आधारभूत संरचना की चर्चा करें। सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश के पास आज 02 लाख 76 हजार किलोमीटर सड़कें हैं और देश में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। इससे ज्यादा एक्सप्रेस-वे किसी भी राज्य के पास नहीं है। अभी नेता विरोधी दल जिन एक्सप्रेस-वे की चर्चा कर रहे थे। आप जानते है कि सत्ता आउट गोइंग, ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इनको लगता है कि हमने दस्तखत किया है, हमने प्रपोजल बनाया है, हमने रात में सपना देखा है, यह मेरा ही है। अब सत्ता चली गयी है। अब सत्ता आदरणीय योगी जी के मजबूत हाथों में है और उत्तर प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में नम्बर एक बनकर उभर रहा है। हम प्रतिदिन 10 किलोमीटर से अधिक सड़कें बना रहे हैं और हमारे पास सर्वाधिक 02 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। इन सड़कों के बनने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। अभी मा0 नेता विरोधी दल एयरपोर्ट्स की बात कर रहे थे। वर्ष 2017 से पहले इस प्रदेश में सिर्फ दो एयरपोर्ट (लखनऊ एवं बनारस) हुआ करते थे।

आज हमारे पास नौ एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और कुछ वर्षों में हमारे पास इक्कीस एयरपोर्ट होंगे। लखनऊ का एयरपोर्ट अद्भुत ढंग से प्रगति कर रहा है और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे देश का नम्बर एक एयरपोर्ट हो जायेगा। आज वहां से 110 एवं 115 फ्लाइट्स रोज आ-जा रही हैं। बहुत तेजी के साथ हवाई यातायात बढ़ा है। मा0 प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठेगा, उसी दिशा में मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हवाई यातायात की तरफ हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट की चर्चा कर रहे थे। जेवर एयरपोर्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह दुनिया का अद्भुत एयरपोर्ट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहां पर पांच-पांच हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। आज तक भारतवर्ष में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हवाई जहाजों का मेन्टीनेंस नहीं हो पाता था। जब हम जेवर में एयरपोर्ट कम्पलीट कर लेंगे तो वहां पर हवाई जहाज के मेन्टीनेंस का भी काम शुरु होगा। यह सब मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हो रहा है। हम आपको सड़क परिवहन के बारे में बताना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन सोलह लाख से अधिक यात्री ढ़ोते हैं। हमारे पास किसी दिन उन्नीस लाख यात्री, किसी दिन अट्ठारह लाख यात्री एवं किसी दिन सोलह लाख यात्री होते हैं। हमारी बसों में सोलह लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं और हम लोग उनको गन्तव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बजट में नई बसों को खरीदने का भी प्रस्ताव किया गया है। सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि उनको उच्च कोटि की यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है, हमारी रोडवेज बसें उनको सुरक्षित गन्तव्य तक आरामदायक सफर कराने के लिए काम कर रही हैं और प्रतिदिन हमारे बेड़े में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके अलावा, बिजली के मामले में, नेता विरोधी दल चले गये, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में आते थे, कुबेरी बेला के बाद, शाम के बाद, अगर अंधेरा हो गया है तो महसूस होता था कि उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में हम लगातार (कन्टीन्यूअ) बिजली देने का काम कर रहे हैं और दावे के साथ कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था, जब कोई रिश्तेदार आते थे तो पूछते थे कि भैया बत्ती दिन की है या रात की। मतलब राउण्ड चलता था कि एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। चाचा आती थी या नहीं आती थी, बताओ चाचा, आती थी न, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात में आती थी न।

(श्री अवधेश प्रसाद जी की ओर इशारा करते हुए)

बताते क्यों नहीं, चाचा ने माना, एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी।

मनोज पाण्डेय जी भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि एक हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी और रोटेशन पीरियड चलता था। यही किसान जिसकी

चर्चा करते थे जब वह बटन दबाने के लिए जाता था तो वहां बिजली नहीं होती थी। आज हम राउण्ड ओ क्लाक बिजली देकर उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम किये हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि हम छब्बीस हजार नौ सौ मेगावाट बिजली रोज खर्च कर रहे हैं। हमारा मेक्सिमम जो बिजली का प्रयोग है वह छब्बीस हजार नौ सौ मेगावाट के लगभग उपयोग में ला रहे हैं और हमारी अनुमानित उत्पादन क्षमता तीस हजार चार सौ बासठ मेगावाट है यानी हमारे पास पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, बिजली की कोई चिंता की आवश्यकता हमारे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में नहीं है। जल जीवन मिशन जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि पेयजल के कारण ही सारी बीमारियां होती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा प्रण लिया है कि सभी गरीबों को हम पक्का मकान देंगे। वर्ष 2024 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। शहरों से लेकर गांवों तक सभी को पक्का मकान मिल रहा है। सभी को शुद्ध पेयजल मिले, कोई बीमारी न होने पाये इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया है। मैं कह सकता हूँ कि जिस बुन्देलखण्ड में ट्रेन से पानी मंगाने का काम यहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, आज हमारी सरकार में एक बूंद भी पानी की कमी नहीं है, पूरी तरह से जल से आच्छादित कर दिया गया। मार्च तक बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र के 9 जिलों को पूरी तरह से आच्छादित कर देंगे। घर-घर हम जल जीवन मिशन के तहत टोंटी से जल प्रदान करने का काम करेंगे। इसके अलावा, अभी तक लोगों को 82 लाख कनेक्शन देने का काम किया है और वर्ष 2024 तक हम यह परियोजना पूरे प्रदेश में पूरी कर लेंगे। एक-एक घर में हम नल से जल देने का काम करेंगे। बेसिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्कूलों का हाल क्या था, यह किसी से छिपा नहीं है। स्कूलों में तबेले खोलकर रखे थे, भूसा रखते थे, बच्चों का पता नहीं था, टीचर्स का पता नहीं था। आज हमारी कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों को किसी माण्टेसरी स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल उनसे बेहतर बनाने का काम किया है।

माध्यमिक शिक्षा की चर्चा करना चाहूंगा, आज हमारे पास दो हजार दो सौ राजकीय इण्टर कॉलेज हैं, जिनमें चार हजार छः सौ हमारे पास एडेड कॉलेज हैं और सत्ताइस हजार से अधिक माध्यमिक कॉलेज है जो निजी क्षेत्र के हैं और हमारे पास बोर्ड में एक देश की आबादी से अधिक साठ लाख के लगभग परीक्षार्थी हमारे परीक्षा दे रहे हैं और जिस निष्पक्ष भावना एवं प्रतिभा के बल पर परीक्षा दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से प्रतिभाओं के साथ खुली लूट होती है, उन्हें इम्तिहान देने के लिए नकल सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी, ठेके पर इण्टर कॉलेज बेचे जाते थे, सेंटर बेचे जाते थे, जिससे पूरे पांच साल में प्रतिभाओं का हनन हुआ, उनका नाश हुआ, उनका जीवन खराब करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी थे, प्रयागराज किसी से छिपा नहीं है, हमारे प्रयागराज के ढेर सारे साथी बैठे हैं, इन्द्रजीत

सरोज जी प्रयागराज से ही आते हैं। लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर एक विशेष जाति का नाम लिख दिया गया था, क्योंकि जब सूची आती थी तो ज्यादातर उसी बिरादरी के लोग एस0डी0एम0 और सी0ओ0 बनने का काम करते थे। यह तथ्य पूरे प्रदेश से कभी छिपा नहीं है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम बोला गया)

अस्पतालों के बारे में अभी चर्चा नेता विरोधी दल कर रहे थे, लेकिन कहीं-न-कहीं रिकार्डिंग में सुन रहे होंगे, हमारे पास 125 डिस्ट्रिक लेवल के अस्पताल हैं, हमारे विशेष स्तर के 279 अस्पताल है, सी0एच0सी0 हमारे पास 943 है, पी0एच0सी0 हमारे पास 3649 है, उपकेन्द्र हमारे पास 25,848 है। हेल्थ विलेज सेंटर जिन पर हमने कम्प्यूटर के माध्यम से संजीवनी ऐप को डाउनलोड करके किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से गांव में बैठा व्यक्ति बात कर सकता है। उसके लिए सी0एच0ऐज0 हमारे उपकेन्द्र पर तैनात रहते हैं।

ऐसे हमारे पास 21,675 है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तय हुआ था कि हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उसके तहत् हम काम कर रहे हैं, मात्र हमारे पास 14 जनपद बचे हैं, जहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्यवाही प्रचलित है, बाकी सब में कार्यवाही पूरी हो चुकी है और जब समाजवादी पार्टी के मित्र सरकार से गए थे तो मात्र कुछ मेडिकल कॉलेज थे।

श्री अध्यक्ष-

इसको विभागीय बजट में बता दीजिएगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

ठीक है, मान्यवर। अब हम कानून-व्यवस्था पर आ रहे हैं। कमाल भाई, अब आपने छेड़ ही दिया है तो आपका भी नाम ले लेते हैं। कमाल भाई हमारे मित्र हैं, राज्य सभा में थे। अध्यक्ष जी, बहुत आवश्यक बात है। अभी चर्चा करके नेता विरोधी दल गये, तरह-तरह की चर्चा करके गए। कमाल भाई जानते ही है कि एक बार क्या हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण बिल आया, मैं भी सदन में था और ये भी सदन में थे। महिला आरक्षण बिल की प्रतियाँ फाड़ दीं और पानी पीने के लिए गिलास मँगाया और गिलास को अपने पेट में घोंप लिया, बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग महिला विरोधी हैं, रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, सदन में मैं गवाह हूँ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)

अध्यक्ष जी, सदन में महिला आरक्षण बिल आया था और वहाँ समाजवादी पार्टी के जो 4-5 मेम्बर थे, उन्होंने पानी का गिलास मँगा करके और काँच के गिलास को तोड़ करके अपने हाथ में घोंपे थे, हमने जाकर इनकी ड्रेसिंग करायी थी। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं के हितैषी होने का दम्भ भरते हैं। मैं एक और घटना बताये देता हूँ, जो सदन में हुई

थी। एस0सी0/एस0टी0 आरक्षण का बिल आया था और समाजवादी पार्टी के मेम्बर ने बिल की प्रतियाँ भी फाड़ी और वेल में कूद गये और पूरी तरह से राज्य सभा के फर्नीचर को तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। ये लोग न अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं, न महिलाओं के हैं, न ओ0बी0सी0 के हैं। ओ0बी0सी0 की चर्चा बार-बार करते हैं। ओ0बी0सी0 में उठाकर देखो, कौन लाभ पाया है। एक ही सिस्टम मिलेगा दूसरा चाचा नहीं मिलेगा।

(हँसी)

ये लोग जो बैठे हैं, बेचारे सब ठगे गये, जो छोटी-छोटी बिरादरी वाले थे, सब ठगे गये। पूरा एक ही घर में भरने का काम किया। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश देख रहा है।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा के कुछ कहने पर)

वर्मा जी, मैं आपकी पीड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी ठगे गये हो, उसी श्रेणी में आप भी हो।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था के नाम पर, मैं आपको याद दिला दूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम लोग सांसद थे। लखनऊ के हजरतगंज में लोहिया वाहिनी की एक जीप ने सी0ओ0 को बोनट पर टाँग कर सीधे एस0एस0पी0 के घर में घुसा दिया और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। आप पूछ लीजिए, प्रधान जी, हम गलत कह रहे हैं ? अच्छा, कसम खा जाओ कि नहीं हुआ था। तुम विद्या माँ की कसम खाओ। हम विद्यार्थी हैं, तुम कसम खाओ कि नहीं हुआ था।

(हँसी)

अध्यक्ष जी, सदन में हम लोग सत्य वचन करेंगे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधी तत्वों को आशीर्वाद मिलता था, यह प्रदेश के लोगों से छिपा नहीं है। प्लाट, मकान, दुकान कोई खाली पड़ी हो, तो उस पर झंडा लगाकर कब्जा कर लेते थे और नारा लगाते थे कि 'समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है।'

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मैं मानता हूँ, चाचा दुःखी हैं। पूरे प्रदेश में बदनाम चाचा हुए और ले और कोई गया, माल।

(हँसी)

पूरे प्रदेश में मिनी मुख्य मंत्री बनकर बैठे थे, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे नोयडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे छोटे-मोटे यहाँ के जिले हों, कोई काम हो तो बताओ, भैया को। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी सरकार का एक नाम कोई कह दे कि मैं कदाचार करके एक सिपाही का भी ट्रांसफर करा दूँगा तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

एक आरोप कोई लगा दे।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को चलते हुए 06 साल हो गए हैं। इन 06 वर्षों के दौरान, शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ हमने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। हमने शुचिता के साथ शासन को चलाने का काम किया है। यदि किसी ने कानून तोड़ा तो हमने छोटा-बड़ा, अपना पराया नहीं देखा, हमने उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बहू-बेटी की तरफ तिरछी नजर से देख लें। एण्टी रोमियो स्वायड ने 16 हजार से अधिक मुकदमें दर्ज किए और 20 हजार यही लोग अन्दर हैं। पूरी तरह से कानून का मजाक बनाकर रख दिया था। आज मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी बहू-बेटियों और बच्चों पर बुरी नजर रखते हैं उन पर हमने 501 के तहत मुकदमे दर्ज किए और छः-छः महीने में हमने उनको आजीवन कारावास और फांसी की सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने पैरवी करके किया है। हमने पुलिस को स्ट्रेंथन किया, हमने पुलिस को ताकतवर बनाया है, आधुनिक असलहे उनको दिलाए हैं और आधुनिक गाड़ियां दिलाई हैं। महोदय, आज अपराधियों में डर है, अपराधी तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं कि हमारी जान बख्श दो। अपराधियों का ठौर या तो जेल है और अगर हमला करेंगे तो जहां उनका ठौर है वह पूरा देश और प्रदेश जान चुका है। आज अपराधियों की चारागाह उत्तर प्रदेश नहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिस दिन से अपराधियों को चारागाह बनाने का काम उत्तर प्रदेश को दिया गया था वह कभी सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योगी जी के नेतृत्व में दोबारा बनाने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदया का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारी सरकार की नीतियों को प्रदेश की जनता के समक्ष और सदन के माध्यम से रखा। मैं अपनी बात को दो लाइनों में कहकर समाप्त करना चाहता हूं-

दिल में जलन, आंखों में तल्खी ।
चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं,
जिनके बही खाते, बिगड़े पड़े ।
वह मेरा हिसाब लिए फिरते हैं ।।

***श्री राजपाल सिंह बालियान-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण दिशाहीन है, किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है, महिला विरोधी है और मजदूर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी है। अभिभाषण में प्रदेश के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन प्रदेश की हालत आज ऐसी है।

(इस समय सायं 04 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

जैसे हवाई दावे और अभिभाषण की तरह से किए जा रहे हैं। महिलाएं और छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। किसान के लिए बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसमें उन्हें सुविधाएं दी गई हों। बड़ी-बड़ी उपलब्धियां गिनवाई गई हैं, लेकिन सरकार हवाई दावों को छोड़कर धरातल पर उतरकर अगर देखें तो किसान की स्थिति पहले से बदतर है। गन्ने का भुगतान मा0 मंत्री जी ने कहा था कि गन्ने का भुगतान पिछले वर्षों का कराया हमारे मा0 पंकज मलिक ने यह प्रश्न उठाया था पिछले वर्षों का तो पेमेण्ट कराया, लेकिन फिलहाल इस सीजन का पेमेण्ट पूरा का पूरा रुका हुआ है। सरकार गन्ना भुगतान के विषय में भुगतान की राशि को बढ़ाकर एक लम्बी सी धनराशि के रूप में सरकार बजट पेश करती है जब कि आपको प्रतिशत में बताना चाहिए कि आपने गन्ना किसानों का बकाया कितने प्रतिशत भुगतान करा दिया है और कितना बकाया है। फसल बीमा योजना यह किसान को कोई लाभ नहीं दिला पाई, बल्कि यह योजना मात्र बड़ी-बड़ी बीमा कम्पनियों की लाभ की योजना है। खुद दिखवा लें कि फसल बीमा के नाम पर कितना भारी-भरकम प्रीमीयम सरकार भरती है और कितना किसान को उसका लाभ पहुंचता है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इस योजना का भी यही हाल है। किसान के साथ दुर्घटना होती है और उसके परिवारजन क्लेम के लिए दावा डालते हैं और उसके दावों को दस्तावेज में कमियां निकालकर खारिज कर दिया जाता है।

मान्यवर, किसान एवं उसका परिवार इतने आधुनिक नहीं हैं कि वे आपके द्वारा मांगे जाने वाले हर दस्तावेज को उपलब्ध करा दें। इस बीमा की सारी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि इस योजना की सरकार बहुत तारीफ करती है। जबकि सच्चाई यह है कि पात्र किसान इससे वंचित हैं। सही किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपात्र लोग अधिकारियों की मिली-भगत से योजना का लाभ ले लेते हैं। ऐसे ही खाद बीज है, पता नहीं निःशुल्क बीज का वितरण कब हो जाता है, सही किसान को कभी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। किसान को अपनी फसल के लिए सही समय पर कभी भी यूरिया नहीं मिल पाता है। हमने तो हमेशा किसान को यूरिया के लिए लाइन में ही लगे देखा है।

ऐसे ही सिंचाई में सरकारी नलकूप पूर्ण रूप से जर्जर स्थिति में है और पूरे प्रदेश में जो सिंचाई के ट्यूबवेल हैं, वे जर्जर है। सरकार को चाहिए कि वह उन ट्यूबवेलों को ठीक कराने का काम करे। किसानों को जरूरत के हिसाब से सही समय पर बिजली नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर बिजली देने की बात कही जा रही है। जबकि होना यह चाहिए कि किसान को 24 घण्टे बिजली दी जाए और जो सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि किसानों को आधी बिजली की छूट दी जाएगी, लेकिन आधी बिजली की छूट देने के बजाय बार-बार बिजली

की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। किसान को छूट पर बिजली दी जानी चाहिए। युवाओं के लिए खेलकूद, फिटनेस और नौकरी के फिजिकल की तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। हमारे युवक नौकरी और खेलकूद में फिटनेस की तैयारी के लिए जान जोखिम में डालकर सड़कों के किनारे दौड़ते हैं। मान्यवर, रोजगार पर कहना ही क्या है, रोजगार के केवल बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। युवा रोजगार के नाम पर हर बार ठगा जाता है। मान्यवर, कब तक युवा बेरोजगार के साथ यह छल किया जाता रहेगा ? दूध का काम किसान की ताजी आमदनी का जरिया है। इससे किसान के हाथ में पैसा बना रहता है। मान्यवर, आज हालात ये हैं कि सरकार के पास किसानों के दूध की खरीद के लिए कोई सही साधन नहीं है। देहात में किसानों को अपना दूध औने-पौने दाम पर बेचना पड़ता है। महिला सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य में जो सुधार होना चाहिए था, बजट के द्वारा सुधार किया जाना चाहिए था, वह कहीं नहीं दिख रहा है, उसमें कमी आई है। प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत ही खस्ता है। शिक्षा का स्तर शून्य के बराबर है। बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है। केवल शिक्षा मित्रों के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालयों के कायाकल्प के नाम पर पैसे का दुरुपयोग हुआ, मगर विद्यालयों की हालत नहीं सुधरी।

अब मैं ग्राम विकास की बात करूँगा। ग्राम प्रधानों की हालत ऐसी कर दी गई है कि वह अपने आप से कोई विकास कार्य नहीं करा सकते हैं क्योंकि उसके पास धन ही उपलब्ध नहीं है। जो धन उपलब्ध है उसमें से प्रधान अपना मानदेय, सार्वजनिक शौचालय, ग्राम सेवक का मानदेय यदि कुछ बचा है तो सरकार का आदेश है कि पहले पंचायत भवन का निर्माण कराओ। मान्यवर प्रधान की गाँव की विकास निधि से पंचायत भवन का निर्माण होता है। गाँव में नाली, सड़कें, खड़न्जा बहुत खराब हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब हो गया मा0 सदस्य जी, समाप्त करें।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मुझे 2 मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

देखिए बहुत से अपने साथी हैं। एक समय के हिसाब से बोल लें।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं खुद ही कम बोलता हूँ मुझे 2 मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

यह तय हुआ है सदन में कि 7 मिनट का समय रहेगा और आपका 8 मिनट हो गया है।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मान्यवर, दो मिनट और दे दें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी को अवगत करना चाहता हूँ मैंने सर्वदलीय मीटिंग में भी बात उठाई थी जिसमें मा0 मंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे थे। मा0 मंत्री जी हमारे जिले में जो सड़कें बनीं उन सड़कों में पूर्व विधायकों के नाम के सूचीपट बनने हैं, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके यहाँ भी ऐसा है। जिला पंचायत सदस्यों को, जो हमारे विपक्ष के जिला पंचायत सदस्य हैं उनको अब तक विकास निधि के नाम पर कोई पैसा नहीं दिया गया है और एक सबसे बड़ी घटना हमारे बुढ़ाना ब्लॉक में प्रमुख के अधिकार सीज कर दिये गये हैं। समिति बना दी गई, लेकिन उसके बाद इतनी गुण्डागर्दी हुई और उसके ऑफिस का ताला तोड़ दिया गया, उसका सूचीपट तोड़ दिया गया तो इस तरह की गुण्डागर्दी हमारे यहाँ हो रही है। यह मा0 मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मा0 मंत्री जी, इसका कोई न कोई उपाय किया जाए इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण हुआ उसके क्रम में मैं सबसे पहले यह सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अनुशासनहीनता का माहौल समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया यह बड़ा खेद का विषय था और जब भाषण सुनना चाहिए था तब न सुना और अब इतनी लम्बी-लम्बी प्रतिक्रिया आ रही है, यह बड़े खेद का विषय है। में अभिभाषण के सम्बन्ध में और जो आने वाले समय की योजनाएँ हैं उसमें विशेषकर समाज कल्याण विभाग और जनजाति कल्याण विभाग से सम्बन्धित जो विषय है वह सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ, जो बड़े निर्णय इस समय लिये गये हैं आप सबके समक्ष में रखना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से राजकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास बने हैं जिनकी स्थिति को और अच्छा करने के लिए इनको अब प्रतिभा केन्द्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो बच्चे रह रहे हैं उनको हम मेस की व्यवस्था देंगे। एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, कौशल विकास और उद्यमिता का केन्द्र बनाया जाएगा और इसका बजट भी बढ़ाया गया है जब बाद में बजट की चर्चा होगी तो उसको मैं आपके समक्ष रखूँगा। जो हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, एक बड़ा कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिया और एक वरिष्ठ नागरिक परिषद् तैयार किया गया है और उसने बहुत अच्छा काम अभी पिछले एक वर्ष में किया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की हम लोग बेहतर व्यवस्थायें कर रहे हैं। एक्टिव एजिंग के बारे में भारत सरकार ने बहुत निर्देश दिये हैं हम लोगों ने भी इसको आगे बढ़ाया है और जो हमारे वृद्धाश्रम हैं वहाँ पर भी और उसके अतिरिक्त जो वृद्ध अपने-अपने निवासों में रहते हैं, सुविधापूर्ण तरीके से उनको हम लोग अवसर दे रहे हैं और इसके सम्बन्ध में भी एक बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है इस पर कार्य होगा।

एक बहुत महत्वपूर्ण योजना दो साल पूर्व शुरू की गई थी, मा0 मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के नाम से यह योजना इसलिए शुरू की गयी थी, क्योंकि कोविड के समय बच्चों की शिक्षा रुक गयी थी और खासकर जिन बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाएं थीं, वह चाहे आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 की हो, चाहे 12वीं के बाद नीट, जे0ई0, सी0यू0ई0टी0 आदि की हो, उसमें बच्चे पीछे छूट रहे थे। ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के नाम से की गयी थी इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि पी0सी0एस0 का पिछला जो परिणाम आया उसमें 09 अभ्यर्थी डायरेक्ट एस0डी0एम0 सेलेक्ट हुए, 05 अभ्यर्थी डिप्टी एस0पी0 सेलेक्ट हुए, कुल 43 छात्र-छात्रायें सेलेक्ट हुए। जबकि पूर्व में यह संख्या बहुत कम रहती थी। ऑनलाइन मोड में जाने से हमें यह परिणाम मिला। अब कोविड की चुनौती नहीं है या कम है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं शुरू की गयी हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने हाईब्रिड मॉडल आफ एजुकेशन का नाम दिया है और इसमें अब हम एक ई-लर्निंग सिस्टम ला रहे हैं और आपको जानकार हर्ष होगा कि यह हर एक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है।

दूसरी योजना जो हमारी है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे और ढाई लाख से कम की आय के अन्य वर्गों के बच्चों के लिए हमारे ऐसे कोचिंग संस्थान खुले हैं, जहां पर वह तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में भी मुझे बताते हुए हर्ष है कि आगे इस पर और काम होगा। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और जनजाति कल्याण विभाग दोनों मिल करके 103 ऐसे विद्यालय संचालित करते हैं जिनको सर्वोदय विद्यालय या आश्रम पद्धति विद्यालय कहा जाता है, 02 एकलव्य विद्यालय है जो केन्द्र द्वारा पोषित है। 07 जनपदों में ऐसे विद्यालय नहीं थे, यानि असेवित जनपद हैं, शीघ्र ही हम लोग इन जनपदों में भी आश्रम पद्धति विद्यालय खोलेंगे जिससे हर जिले में कम-से-कम एक-एक विद्यालय हमारा खुल जायेगा। जो नया वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़े बजट का प्राविधान कर दिया है। शिक्षकों की जितने भी रिक्तियां हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, नई-नई टेक्नालॉजी ला रहे हैं। कम्प्यूटर रूम के अतिरिक्त हर विद्यालय को एक टैब लैब बनाने का हमने प्राविधान किया है। जिस प्रकार यहां अपने सदन में टैब लैब लगायी गयी है वैसे ही 34-34 टैब सब विद्यालयों में बच्चों को दी जा रही हैं जिससे कि वो उस पर पढ़ाई कर पायें और मुझे यह बताते हुए भी खुशी होती है कि ऐसी बहुत सारी कम्पनियां हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करा रही हैं। वह निःशुल्क अपने यूजर नेम, पासवर्ड हमारे बच्चों को दे रही हैं और हमारे बच्चे उसका लाभ उठाकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अन्त में मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ कि ट्रांस जेंडर कल्याण बोर्ड नवम्बर, 2021 में गठित किया गया था और उसमें अब नयी सुविधाएं शुरू की गयी हैं। ट्रांस जेंडर एक ऐसा छोटा सा वर्ग है जिसे हम लोग लगभग भूले हुए थे। पूरे समाज ने इनके साथ बड़ा अन्याय और अत्याचार किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके ऊपर ध्यान दिया और एक

बोर्ड का गठन किया। जो सदस्य इसमें पंजीकरण कर रहे हैं उनको आयुष्मान कार्ड की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे गरिमा गृह बनाये जा रहे हैं जहां पर ट्रांस जेण्डर समाज के जो बहन-भाई आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं। इसके साथ-साथ इसमें भी कुछ नयी योजनाएं और हैं जिनको बजट पर जब चर्चा होगी तब मैं बताऊँगा। किन्तु पिछला वर्ष बहुत ही परिश्रम का रहा, अच्छे परिणाम का रहा और अगले वर्ष के लिए हम लोग महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ में चर्चा करेंगे और संकल्प लेंगे कि समाज में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार है तो इसमें गार्ड का डिब्बा भी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी पीछे न छूटे और सब लोग साथ आगे चलें, इस संकल्प के साथ कार्य होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद, माननीय मंत्री जी, आपने समय का बहुत विशेष ध्यान रखा इसके लिए आपकी प्रशंसा है।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द-

अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद। महोदय, आपने मुझे मा0 राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इस लोकतंत्र के पावन एवं पवित्र मण्डप में नेता सदन, पूज्य मुख्य मंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी को व नेता प्रतिपक्ष एवं सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण को प्रणाम करता हूँ एवं बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र-128 की देवतुल्य जनता को व समस्त जनपदवासियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने मुझे अपना स्नेह देकर इस लोकतंत्र के पावन और पवित्र मन्दिर में पहुँचाने का कार्य किया। महोदय, में राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2023 के प्रथम सत्र हेतु आहूत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी को नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ एवं समस्त प्रदेशवासियों को सुख-शान्ति, समृद्धि एवं सम्पन्नता से परिपूर्ण होने की शुभकामनाएँ भी देता हूँ। महोदय, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए वर्तमान में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने मिल करके डबल इंजन की सरकार के द्वारा हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, योगी सरकार जन आकाँक्षाओं की पूर्ति के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका-विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, देश की सवा

सौ करोड़ ईमानदार देवतुल्य जनता ने एक ईमानदार प्रधानमंत्री देने का काम किया और उत्तर प्रदेश की लगभग 24 करोड़ देवतुल्य ईमानदार जनता ने एक ईमानदार मुख्य मंत्री देने का काम किया। यह हम सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है। ''उत्तर प्रदेश बदल रहा, बदलना जरूर है, वो अब भी बदल जायें जिनको गुरूर है।'' महोदय, अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा दिनाँक 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। महोदय, भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भी 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। महोदय, हमारे देशवासी और हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं। जिन्होंने एक अच्छे संविधान की रचना की लेकिन उस संविधान के सपने को साकार करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने मिल करके इस नारे को साकार किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका-प्रयास और सबका-विश्वास के साथ हमारे देश को आगे ले जाने का काम किया है। ''उठो सोने वालों, जगाने वाले आ गये, यू0पी0 से अब भ्रष्टाचार मिटाने वाले आ गये।'' उत्तर प्रदेश निरन्तर उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर्स समिट माह फरवरी, 2018 में आयोजित किया था, जिसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को तीन ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरिमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग चार लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। महोदय, प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से सम्पर्क किया गया।

महोदय, वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कुल 19,058 निवेश आशय प्राप्त हुए हैं। जिनमें 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावना है। दुनिया के 40 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को निवेश के महाकुम्भ का स्वरूप प्रदान किया। महोदय, हमारी सरकार द्वारा किये गये प्रभावी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज उ0प्र0, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत और तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उ0प्र0 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं तथा गरीबों के लिए आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2018-19 में दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य हेतु लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ जनपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग को स्काच आर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ग्राम विकास को कन्वर्जेन्स में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी को वर्ष

2021-22 में प्रथम एवं वर्ष 2022-23 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 91.35 किलोमीटर लम्बे गोरखपुर तक लिंक एक्सप्रेस-वे तथा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य गतिमान है। योगी सरकार में कई एयरपोर्ट बनाने का भी कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने श्रद्धेय डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी व पूज्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाने का कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे।

मान्यवर, बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता के लिए पूज्य मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज, कई बड़े पुल, कई बड़े रोड दिये हैं। उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा में किसी भी चीज का अभाव नहीं है दो तीन चीजों की कमी है जिसके लिए में आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मान्यवर, महिलाओं के लिए महाविद्यालय और एक कृषि महाविद्यालय देने की कृपा करें। विस्थापित बंगालियों के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद मिला है। मान्यवर, जरा चौराहे से ले करके राम नगर जगतपुर तक, रिछौला से गजरौला तक, छुलकारी ढकिया से बहरुआ गाँव तक और सकरिया चौराहा से नहर से होते हुये मथना जपटी तक अगर हमको थोड़ा और आशीर्वाद मिलेगा तो बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र का भला होगा। मैं कहना चाहूंगा कि ऊँच-नीच और भेद-भाव की सब दीवारें तोड़ दो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदते छोड़ दो। जागो और जगाओ सबको समय भयानक आया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द-

मान्यवर, प्रदेश में हर युग में कोई न कोई महापुरुष इस धरा पर आया है। त्रेता में भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम थे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इस धरा पर आये थे और अत्याचारियों और दुराचारियों से निपटने के लिए काम किया। त्रेता में भी भगवान श्री राम के बाद कृष्ण और बलराम के रूप में आये और आज कलयुग में भी हमारे बीच में हैं। मैं कहना चाहूंगा त्रेता में आये तो राम लक्ष्मण बन कर आये द्वापर में आये तो कृष्ण बलराम बन कर आये, कलयुग में आये तो मोदी और योगी बनकर आये। मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द जय भारत।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर, रविदास मेहरोत्रा जी के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं संविधान रचयिता भारतरत्न से सम्मानित

बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा है और उसमें बड़े-बड़े अवार्ड हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बतायें। महोदय, मैं गाँव में रहता हूँ और गाँव की समस्याओं को जब मैं देखता हूँ, इन अवार्डस को देखता हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिनका स्कूल है, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हीं को प्रथम श्रेणी पास कर दिया जाता है। महोदय, हमने बचपन में एक मूवी राजाबाबू देखी थी जिसमें हमारे देश के महान कलाकार गोविंदा जी एक्टिंग करते थे। उनके पास हर डिग्री थी, उसी तरह से लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास हर अवार्ड है।

महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती, आप भी हमारे जिले से हैं, मेरे लिए गौरव की बात है कि आप उस पद पर आसीन है और आप के जिले का सबसे जूनियर विधायक आपके सामने बोल रहा है। किसान आत्महत्या में भी यू0पी0 नम्बर वन चला गया है, अगर किसानों की हालत बेहतर हो जाती, तो मुझे बहुत खुशी होती। हमारे जिले में और हमारे प्रदेश में किसानों से मण्डी शुल्क लिया जाता है, किसान अन्नदाता होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। फर्टीलाइजर, डी0ए0पी0, यूरिया समय से किसानों को नहीं मिलती। अगर उनकी के0सी0सी0 लेट हो जाती है, तो उनकी, आर0सी0 काट दी जाती है, उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 हो जाती है। उनसे कहा जाता है कि जब आपके फसलों का टाइम आयेगा, तो 10-10 घण्टे आपको बिजली मिलेगी। महोदय, मैंने इस पर सवाल भी लगाया था किसानों को 6-7 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है और टाइम पर नहीं मिल रही है। जब उनके फसलों का टाइम होता है, उनको बिजली की सख्त जरूरत होती है, तो बिजली नहीं मिलती है। किसान परेशान रहता है, किसान लाइन में लगा रहता है। हमारे यहाँ एक खामिनी गाँव है। खामिनी गाँव में एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। उसका परिवार, उसके छोटे-छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। किसान बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। किसान की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लहसुन की खेती को भी लेकर मैंने सवाल लगाया था कि लहसुन और आलू पर एम0एस0पी0 लागू कर दिया जाए। लहसुन पर जवाब आया कि लहसुन पेरिसेबल फूड आइटम में आता है, जबकि लहसुन पेरिसेबल नहीं है। लहसुन बड़े समय तक स्टोर किया जा सकता है। लहसुन और आलू के किसान बहुत परेशान चल रहे हैं।

महोदय, हमारे जसराना विधान सभा क्षेत्र में मण्डी भी बनी हुई है, लेकिन 05 साल में एक बार मण्डी खोली जाती है, जब वोटो की काउन्टिंग होती है, उसके अलावा मण्डी पूरे टाइम बन्द पड़ी रहती है। नहरें हैं, बम्बे है। बहुत कोशिश के बाद बम्बों की सफाई हो गयी, लेकिन बम्बों में पानी नहीं आया। बहुत सिफारिश और चक्कर लगाने के बाद एक बार पानी आया है। बम्बों में पानी आने का कोई रोस्टर नहीं हैं। किस दिन/समय पानी आयेगा, इसका कोई समय नहीं है कि किसान उस पानी का इस्तेमाल करके अपनी सिंचाई में ले ले। किसान पूरी तरह से परेशान है।

पिछले साल अक्टूबर में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसमें फसलों का बहुत नुकसान हो गया था। आदरणीय मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेंट सुनने के बाद हमें बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मूसलाधार बारिश से जिस-जिस किसान के फसल का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। हमें बड़ी खुशी हुई कि इससे किसानों के नुकसान की भरपाई हो जायेगी। महोदय, जब हमने प्रश्न लगाया कि कितना सर्वे किया गया, तो बड़े दुःख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि पूरे जसराना विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ 11 किसानों को मुआवजा मिला और तीन गाँव का सर्वे किया गया जबकि आप भी जानते है कि कम से कम सौ से ज्यादा गाँवों के किसानों के फसलों का नुकसान हुआ था, बल्कि ये कहें कि गाँव के ज्यादातार सभी किसानों के फसलों का नुकसान हुआ था। ऐसे अधिकारी जो रिपोर्ट लगाकर गलत सर्वे करके मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों की उपेक्षा करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

महोदय, बेरोजगारी की बात होती है। हमने आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी को सुना। उन्होंने कहा कि 4 प्रतिशत बेरोजगारी दर है। में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले में दिल्ली गया था। वहाँ पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इण्डिया के पुराने चेयरमेन की मैंने बातें सुनी। मैंने उनसे पूछा कि आप बेरोजगारी दर कैसे कैलकुलेट करते हैं ? महोदय, आपको ये जानकर दुःख होगा कि बेरोजगारी दर कैलकुलेट करने के लिए जो लोग बैचलर्स/बी0टेक0 कर चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती और वो अगर एम0टेक0 करने लगे, तो उन्हें बेरोजगार नहीं मानते। जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, डेलीवेज पर काम कर रहे हैं, उनको भी वो लोग बेरोजगार नहीं मानते। अब आप बताइए, मजदूरी करना, मनरेगा में काम करना कौन-सा रोजगार है ?

कौन सा मां बाप इस तरह के रोजगार में अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा और टोटल अनइंप्लॉयमेंट मेन्यूप्लेटेड है उसको मेन्यूप्लेट किया जाता है जिससे सरकार की वाहवाही हो सके। असली अनइम्पलॉयमेंट 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है। मैं एक दुःख की बात और बताना चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर तहसील में फायर स्टेशन होगा, मैं जब पहली बार सत्र में आया था तब मैंने सत्र में पहली डिमांड यही की थी कि हमारी जसराना विधान सभा क्षेत्र में फायर स्टेशन हो जाए। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका असर यह हुआ कि अभी गांव पाडम में बहुत बड़ा अग्नि कांड हुआ उसमें एक ही परिवार के 6 लोग खत्म हो गए। हम भी उधर पहुंचे थे और मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आप भी वहां पर आए थे, केन्द्रीय मंत्री जी भी आये थे, सबने उनको संवेदनाएं दी, लेकिन उसका आज भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। आज भी जब मैंने उस पर सवाल उठाया तो यह जवाब आया कि पैसे की कमी है। मा0 अध्यक्ष जी आप बताइए यह डबल इंजन की सरकार, जहां एक ही परिवार के 6-6 लोग खत्म होते जा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह कि घटनाएं हमारे प्रदेश में और हो।

मेरा अनुरोध है सरकार से कि एक फायर स्टेशन वहां पर बना दिया जाए। अभी ग्लोबल समिट हुआ 4 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 पहले साइन हुए थे, आज मैंने सुना है कि लगभग 40 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं। 40 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 का मतलब हुआ कि 10-10 हजार करोड़ रुपए एक जिले में आए, तथा एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 2-2 हजार करोड़ रुपए आ जाएगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 2 हजार करोड़ तो छोड़िये 20 करोड़ रुपया भी नहीं आया। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब जिले में सड़क दुर्घटना होती है, कोई आत्महत्या होती है, जवान की मृत्यु होती है और परिवार पोस्टमार्टम कराने जाता है, जरूरत पड़ती है पोस्टमार्टम कराने की क्योंकि सरकार की योजनाओं का जितना भी लाभ मिलता वह पोस्टमार्टम कराने के बाद ही मिलता है। तीन-तीन जगह के चक्कर काटने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और मेडिकल स्टाफ के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहां पर जितने भी विधायक बैठे हैं वह पोस्टर्माटम जल्दी कराने के लिए सिफारिश करते होंगे। कोई भी सरल व्यवस्था नहीं है कि कोई भी दुःखी परिवार जब उसके यहां जवान मृत्यु हो, तो उसको रिश्तेदारों को घर पर बैठकर उसकी डेड बॉडी का इंतजार न करना पड़ता हो। मान्यवर, इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है, मैं आपकी पीठ से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कोई आदेश करें जो सम्भव हो सके। हमने अभिभाषण में पढ़ा कि कारगिल में शहीद हुए लोगों के लिए बहुत बेहतर काम किया जा रहा है, हमारे जसराना विधान सभा क्षेत्र से कारगिल में शहीद हुए हेमसिंह यादव जी उनकी मूर्ती है वह टूट गयी है। मैंने जिला प्रशासन से बहुत बार रिकवेस्ट की कि मूर्ति को बदलवा दिया जाए। जिससे हमारे कारगिल में शहीद हुए जवान को सम्मान मिलता रहे उस रोड का नाम उनके नाम से जोड़ दिया जाए और यह सरकारी घोषणा भी है। लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ है। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र में बाबा साहब के बहुत सारे पार्क हैं सबकी हालत बहुत ही खराब है उस पर कोई काम हो जाए और हमारी विधान सभा क्षेत्र में टूरिज्म का भी बहुत काम हो सकता है, बुद्धविहार है दलेलपुर में, बड़ा गांव में, चिनारी में, खइयातान में अगर उनके लिए कोई फंड मिल जाए तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद और में इसी के साथ आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय भीम नमो बुद्धाय।

श्री मुकेश चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो हरियाणा के यमुना नगर से मिली हुयी है। किसान परिवार में मैंने जन्म लिया और किसान के दर्द को कि किसानी खेती कैसे होती है, मैंने स्वंय खेती की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में होता है। मैं कल से गन्ने के ऊपर अपने सामने वाले साथियों के विचार सुन रहा था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब

में 2005, 2006 व 2007 के अन्दर गन्ना मिल में अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मिलों में जाता था तो मिलों के अन्दर किसानों की मेहनत देखता था वो तमाम मिलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर 2004 से लेकर 2014 तक किस तरह से पूरे प्रदेश के अन्दर नहीं पूरे देश के अन्दर मिलें बन्द हो रही थीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत की जनता को, 2014 में एक बदलाव आया और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी इस देश के मा0 प्रधानमंत्री बने, नहीं तो विदेशों से चीनी आ रही थी और जो आयात शुल्क था वह शून्य था।

आज मैं बधाई देता हूँ अपने मा0 प्रधानमंत्री जी को कि आज आयात शुल्क 100 प्रतिशत है। आज एक बोरी नहीं, एक कि0ग्रा0 चीनी भी किसी भी देश से हमारे देश में नहीं आ सकती क्योंकि आयात शुल्क 100 प्रतिशत है तब ये चीनी मिलें बची हैं। हमारे विपक्ष के लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं। मेरे यहाँ देवबन्द शुगर मिल है, देवबन्द शुगर मिल 14 दिन के अन्दर भुगतान दे रहा है। दया शुगर मिल था जिसको 2007 में बन्द कर दिया गया था। बड़ा प्रयास किया उसके मालिक ने बात की लेकिन सामने वाले लोगों के समय की (2012-2013) की बात है जब वह मालिक अधिकारी से मिलने आता था तो अधिकारी कहता था नहीं-नहीं, पहले इधर आ जाओ, फिर लखनऊ बात कर लो। धन्य है, यू0पी0 की जनता, 2017 में आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया और मुख्य मंत्री जी ने उस मिल मालिक को बिहार से बुलाकर कहा कि तुम मिल चलाओ। अगर कोई नेता या अधिकारी एक पैसा भी माँगे तो मुझे बता देना। बस इतना कर देना कि जो तुम्हारे ऊपर बकाया है मेरे किसान का, उसका ब्याज दे देना और दया शुगर मिल के किसानों को ब्याज मिला है। ये गन्ने की, शुगर की बात करते है, लॉ-एण्ड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, जब हम गाँव में कंचे, गिल्ली डंडा, कबड्डी खेलते थे तो हमारे गाँव में एक प्रधान था उसका बेटा हमारे साथ खेलता था। कोई भी बात होती थी तो वह कहता था कि मेरे बाप ने किया, कोई भी चीज होती थी तो यही कहता था कि मेरे बाप ने किया। अरे! विपक्ष के नेताओं हम कुछ भी कर लें तुम कहते हो कि ये योजना हम लाये थे, ये मेडिकल कॉलेज, ये स्टेडियम, ये सड़क हमने बनायी, आपको फोबिया हो गया है। ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश है, नहीं तो राजा का बेटा, राजा होता, प्रधान का बेटा, प्रधान होता, विधायक का बेटा, विधायक होता। आज चाय बेचने वाला इस देश का मा0 प्रधानमंत्री हैं और एक सन्त, महापुरुष इस उत्तर प्रदेश का मा0 मुख्य मंत्री है। यह देश प्रदेश नीति और नीयत से तथा बाबा साहब के बनाये हुए संविधान से चलता है, आपके बनाये हुये संविधान से नहीं चलता। अरे! मुझे अच्छे से याद है, मैं पूर्व में ब्लाक प्रमुख था, जब हम दिल्ली से सहारनपुर के लिए चलते थे 2012 से 2017 में तो पुलिस वाले मोदीपुरम में कहते थे कि भैया रुक जाओ, दस गाड़ी इकट्ठा हो जाने दो, यदि इकट्ठा नहीं चलोगे तो लुट जाओगे और लोग लुट जाते थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो वह भी अच्छे से याद है कि जब गाँव के अन्दर रात को...

(पहले बिजली दिन में नहीं आती थी)

12:00 बजे बिजली आती थी, तब हमारा किसान खेत पर जाता था और जब जाता था तो पूरा परिवार और जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया है...

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस मां का दिल धक-धक करता था कि बेटा खेत गया है, समाजवादी का राज है, हत्या न हो जाए, अपहरण न हो जाए। मुझे वह दिन भी अच्छे से याद है। मैं अपने सामने वाले साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, मैंने डेढ़ घण्टे से मा0 अखिलेश जी का भाषण सुना है। मुझे अच्छे से याद है कि जब एक मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके 500 रुपये मजदूरी लेकर कस्बे से गांव जाता था तो गांव के मेन रोड पर रुक जाता था, मजदूर वहां दूसरा मजदूर आता था, तीसरा आता था फिर चौथा आता था, जब 20-30 लोगों का झुण्ड बन जाता था तब गांव में जाता था और पूरी रात गांव में बैठकर चोर आ गए चोर आ गए कहकर पहरा देने का काम करता था। 2017 से पहले जब कोई मां अपनी बेटी को कॉलेज भेजती थी तो उस मां का दिल धक-धक करता था कि बेटी कॉलेज गयी है, कोई उसकी इज्जत न लूट ले, कोई उस पर हमला न कर दे, कोई उसको छेड़ न दे। आज बाबा का बुल्डोजर कॉलेज के बाहर खड़ा है, किसी की हैसियत और औकात नहीं कि हमारी बेटी की तरफ, हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर देख ले। जब हम लोग गांव में जाते हैं, गांव के अन्दर मुझे एक ताई मिली, उस ताई ने कहा कि विधायक जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मेरी बात बाबा जी तक कह देना।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य समाप्त करें।

श्री मुकेश चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस ताई ने कहा कि मेरी बात बाबा जी से कह देना कि 2017 से पहले जो राशन आप महीने में 2 बार बंटवाते हो, जब में 2017 से पहले डीलर के पास जाती थी तो वह डीलर कहता था ताई राशन नहीं आया फिर अगले महीने जाती थी तो फिर डीलर कहता था कि ताई राशन नहीं आया। 3 महीने में एक बार राशन मिलता था। मैं मा0 योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बाबा जी ऐसी मशीन लाए, अब वह ताई कहती है कि डीलर का फोन आता है ताई राशन आ गया है, ले जाओ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य समाप्त करें।

श्री मुकेश चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहली बार जीतकर आया हूं। आज तीसरी बार विधान सभा में बोल रहा हूं। दो-तीन मिनट दे दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें। समय की एक सीमा है, उसके लिए सब लोग सहयोग करें। संक्षेप में करें।

श्री मुकेश चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम लोग तालाबों की सफाई करा रहे हैं, स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं, गांव-गांव में खेल का मेदान बना रहे हैं, गांव-गांव ओपेन जिम बना रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं और इनके राज में जब हत्या होती थी तो इनको खुशी होती थी, जब लूट होती थी तो इनको खुशी होती थी, जब अपहरण होता था तो इनको खुशी होती थी। इनको दुःख इस बात का है कि आज गांव के अन्दर गरीब परिवार का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा गांव में ओपेन जिम करता है, गांव में खेल के मेदान में खेलने का काम करता है, यह दर्द, यह पीड़ा इनको है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़ है, मेरी नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में हमारे यहां एक राजघाट है, शाहजहांपुर यमुना घाट वह दिव्य घाट है, उसकी मान्यता है। जब महाभारत हुआ था तब भगवान श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को उस घाट पर अमर किया था। मेरी मांग है कि उस घाट को दिव्य घाट के रूप में स्थापित किया जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र की सड़क सरसावां से चिलकाना, सरसावां से नकुड़, शाहजहांपुर से नकुड़, शाहजहांपुर से चिलकाना का चौड़ीकरण किया जाए और अध्याना गांव जो अध्याना नकुड़ कस्बे से मिला है, उसमें स्टेडियम भी आ जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र का लगभग 60 किमी0 क्षेत्र यमुना से मिला हुआ है। यमुना का बांध लगभग 30 किमी0 पर बना है, 30 किमी0 बांध उस पर और बनाया जाए। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बल देते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ''जय हिन्द जय भारत''। भारत माता की जय।

***श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-**

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 राज्यपाल महोदया का अभिभाषण उत्तर प्रदेश की मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की लोकतंत्रता और उपलब्धियों को दर्शाता है। जिस तरह से आज 21वीं सदी में मा0 मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है उसी परिवेश में मा0 योगी जी की सरकार सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी के सिद्धान्त पर चल कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य कर रही है। जिस तरह से अभी विदेश के लोगों ने, उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से अपना निवेश करने का मन बनाया है उससे स्पष्ट होता है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का राज है जो उद्योगपति पिछली सरकारों में यहाँ पर उद्योग लगाने के बाद अपने देश वापस लौट गए थे वह उद्योगपति भी आज उत्तर प्रदेश की तरफ अपना मुँह करना चाहते हैं कि वहाँ से कोई बुलावा आए और हम उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करके उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम करें। जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का लक्ष्य है कि हम जो भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसमें उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को प्राप्त कर लेगा मुझे लगता है कि मा0 योगी जी की सरकार इस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगी। जिस तरह से मा0 योगी जी की सरकार ने बिना भेद-भाव के जाति, धर्म, भाषा, मजहब और प्रान्त से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास का खाका खीचकर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण समूचे राज्य का विकास करके यह साबित किया है कि भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, चरितार्थ करके उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का काम कर रहीं है।

आज प्रदेश में रहने वाले गरीब हों, अमीर हों, पिछड़ें हों, दबे हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, सर्वण हों सभी के विकास का खाचा खींचकर हम सबके साथ न्याय करके सामाजिक समरसता के साथ प्रदेश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सभी को न्याय दिलाने का काम कर रहे है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ से अधिक के एम0ओ0यू0 साइन करके उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज मैं सुन रहा था कि हमारे नेता विरोधी दल कह रहे थे लेकिन उनको अनुभव नही है उन्होंने अपनी सरकार में जिस तरीके से काम किया था जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी आज मा0 योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता है जो लक्ष्य प्राप्त करने का हमने पूरा मन बनाया है उसको प्राप्त करने का काम करेंगे आज देश और प्रदेश में जी-20 के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर विदेशों में पहुंची है, विदेशों में कई व्यापारी उद्योगपति उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना पैसा लगाना चाहते हैं।

आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश के विकास में सहायक बनी हुई है। गुण्डा राज, माफिया राज को खत्म करके हमने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा देकर मातृ शक्ति को मजबूत करने का काम किया है, मा0 अधिष्ठाता महोदय मा0 योगी जी की अथक मेहनत, कर्मठता और निष्पक्षता के प्रयास से उत्तर प्रदेश में किसी जाति, धर्म, मजहब का कोई भी व्यक्ति हो उसका कैसे कल्याण हो यह योजना हमारी सरकार बनाकर गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, पिछड़ों, अनुसूचित जनजाति, गरीब सवर्णों के साथ न्याय करने का कीर्तिमान बनाकर उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्ण निवारक लिख रही है आज उत्तर प्रदेश देश की कई जो योजनाएं हैं उनमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है चाहे उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बने हों, हर जनपद में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हों, हमारे युवाओं के लिए स्किल डेवेलपमेंट का कार्य हो, समाज के गरीब लोगों के कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो, पूरे प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण हो आज 20 से 24 घंटे बिजली मिलती है जबकि पिछली

सरकारों में एक हफ्ते में एक बार आती थी फिर दूसरे हफ्ते में आती थी। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा विश्वनाथ का कॉरीडोर हो, राम जन्म भूमि का मंदिर बना है, नैमिष कॉरीडोर के माध्यम से मुनियों की धरती पर पर्यटन को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश की धार्मिक समरसता को मजबूत करने का काम किया है। माताओं, बहनों के सम्मान में हमारी सरकार ने शौचालय बनाने का काम किया है।

प्रधानमंत्री,मुख्य मंत्री आवास चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो गरीबों के लिए छत देने के साथ-साथ समुचित इलाज के लिए पाँच लाख रु0 तक के आयुष्मान कार्ड देने का काम किया गया है। किसान सम्मान निधि से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं-माताओं के लिए गैस सिलेण्डर, हर घर नल, हर घर विद्युत कनेक्शन देकर प्रदेश का चहुमुखी विकास करके योगी जी की सरकार ने प्रदेश के गरीबों का कल्याण किया है। गरीबों को निःशुल्क खाद्यान योजना के माध्यम से हमने सबको पेट भर राशन निःशुल्क दिया है। मा0 अध्यक्ष जी में आपसे इन्हीं सब बातों के साथ एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र दातागंज में युवाओं के विकास हेतु एक स्टेडियम बनाने के निर्देश सम्बन्धित को देने का कष्ट करें, हमारे क्षेत्र में बहुत भारी संख्या में गन्ना उत्पादन होता है तो वहां पर एक चीनी मिल की सिफारिश भी सम्बन्धित विभाग को भेजने का कष्ट करें। इसके अलावा हमारे यहां एक हजार एकड़ से अधिक बन्जर भूमि पड़ी हुई है जो कि निष्प्रयोज्य है उस पर कोई फैक्टरी लगा देंगे तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। मैं अपनी बात को मा0 महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बल देते हुए कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि ''कारनामे बड़े होंगे तो बात बड़ी होगी हौसले बड़े होंगे तो औकात बड़ी होगी, यह और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चिराग जलाना तो हमारे अख्तियार में है, मन्जिलें क्या है रास्ता क्या है और हौसला है तो फासला क्या है।'' मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी को समय से अपना वक्तव्य पूरा करने के लिए बधाई।

***श्री बेदी-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी ने विकास के बारे में बहुत चर्चा की है लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र जखनिया है जो कि जनपद गाजीपुर में पड़ती है वहां के कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र में जो विद्युत के तार हैं वह लगभग 40 सालों से बदले नहीं गये हैं, जर्जर हो गये हैं। वह गिर जाते हैं तो आग लग जाती है, फसल बर्बाद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जाती है, घर जल जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया करके उन तारों को बदलवा दिया जाए। सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर आए दिन खराब रहते हैं जिस कारण सिंचाई नहीं हो पाती है किसान परेशान होते हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो सड़के हैं उनकी हालत बहुत खराब है। मजुही से बहरियाबाद के बीच की सड़क बहुत खराब है और मजुही से बहरियाबाद के बीच में एक उदन्ती नदी है जिस पर पुल बना हुआ है जिसका एक पावा बिल्कुल जर्जर हो चुका है और उस पर कब कोई दुर्घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, कृपया उसे बनवाया जाये। हमारी विधान सभा क्षेत्र के जखनियां में, अमारी गेट पर और जफराबाद में जलालपुर है जहां पर रेलवे क्रॉसिंग की वजह से आधे-आधे घन्टे जाम लगा रहता है जिस कारण एम्बुलेंस को भी प्रतिक्षा करनी पड़ती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसको भी ध्यान में रखते हुए बनवाया जाय। इसके अलावा मनिहारी तहसील से मुख्यालय को जो रोड जाती है वह भी बहुत जर्जर हो चुकी है, बहरियाबाद से भरतपुर होते हुए आजमगढ़ को जो रोड जाती है उस रोड की भी हालत बहुत खराब है। जखनिया से मौधिया होते हुए सैदपुर भीतरी तक जो रोड जाती है वह भी बहुत खराब है। इसको बनवाया जाय और हमारे विधान सभा क्षेत्र में ट्रामासेंटर नहीं है जब किसी की तबियत खराब हो जाती है। तो दूसरे जिले में लेकर जाना पड़ता है। वाराणसी लेकर जाना पड़ता है। इसीलिए एक ट्रामा सेन्टर दिया जाये। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें डाक्टर एवं स्टाफ कम है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज (जी0जी0आई0सी0) नहीं है। एक जी0जी0आई0सी0 कॉलेज भी दिया जाये। हमारे यहां स्टेडियम नहीं है वहां से बहुत लोग सेना में भर्ती होते है, पुलिस में भर्ती होते हैं। एक मिनी स्टेडियम दिया जाये। गाजीपुर में लगभग 300 से ज्यादा महाविद्यालय है लेकिन वहां यूनिवर्सिटी नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वहां एक यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जाये।

महामहिम राज्यपाल महोदया, कानून व्यवस्था की बात कर रहीं थीं। मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं। मेरे बेटे को कुछ दबंग लोगों ने अपहरण करके उस पर जानलेवा हमला किया। उस पर एफ0आई0आर0 हुआ। माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल हुआ और एन0बी0डब्लू0 जारी हुआ। एन0बी0डब्लू0 कई बार जारी हो चुका है लेकिन वे लोग बहुत दबंग है। मैं अनुसूचित जाति का विधायक हूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो ऐतिहासिक सदन चला जिसमें महिलाओं को मौका दिया गया। अभी-अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया आई थीं। उन्होंने आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कहा कि अगर बाबा साहेब न होते तो मैं राष्ट्रपति न होती। यहां सत्र दिन भर चला लेकिन किसी महिला सदस्य ने बाबा भीमराव आम्बेडकर का नाम नहीं लिया। अगर बाबा साहेब न होते तो यहां सदस्या न पहुंच पातीं। सुबह-सुबह उठकर बाबा भीमराव आम्बेडकर की पूजा करनी चाहिए। जबसे देश आजाद हुआ, 1931 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। उसके बाद जनगणना नहीं हुई। जब जनगणना हुई तो कूड़ेदान में चली गयी। मेरा आग्रह है कि जातिवार जनगणना कराई जाये। इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, समय से समाप्त करने के लिए आपको बधाई।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपने आपको सम्बद्ध करते हुए उसके समर्थन में आपकी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं। अभी बहुत से सहपाठी आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि देश में आजादी के बाद कितने आवास बने होंगे और 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी ने बहुत आवास दिये होंगे। अभी बहुत से हमारे भाई कह रहे थे कि बीस हजार रुपया डी0पी0आर0ओ0 खाते में रिश्वत लेता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था करके सीधे खाते में देने का काम किया है। एक भी पैसा कोई बिचौलिया नहीं ले सकता।

अधिष्ठाता महोदय, अभी उधर के लोग किसान उपज की बातें कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने पारदर्शी व्यवस्था लागू करके जैसे कि आप अंगूठा नहीं लगायेंगे तब तक आपका गल्ला नहीं बिकेगा। अन्य सरकारों में बिचौलिये गल्ला बेचते थे लेकिन अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लोग बात कर रहे थे लेकिन उनको यह नहीं पता है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने 1200 रु0 ड्रेस के सीधे बच्चों के खाते में देने का काम किया है। हमारे साथी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे और मैं जनपद श्रावस्ती से आता हूँ जो नेपाल बार्डर से सटा हुआ जिला है वहां दिन डूबने के बाद में कोई भी बहन घर से निकलने की कोशिश नहीं करती थी लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने के बाद आज हमारी लड़कियां घर से बैखोफ जा रही हैं। जिस चौराहे पर अपराधी होते थे आज उस चौराहे पर पुलिस खड़ी होती है। नारी सशक्तीकरण में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश व देश में काम किया है आज वह अपने आप में एक मिसाल है। महिलाओं की आज नौकरियों में भी बराबर की सहभागिता है। कुछ लोग भीमराव आम्बेडकर बाबा की बात कर रहे थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर रहे थे।

मैं बताना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि देश में आजादी से लेकर भीमराव आम्बेडकर की अगर किसी ने चिंता की है और उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। वर्ष 2019 में प्रयाग का महाकुम्भ था तो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वहां हेलिकाप्टर से फूल की वर्षा करा रहे थे और उस मेले में लगे हुए सफाई कर्मी को देश का प्रधानमंत्री जा करके थाली में पानी लेकर उनके पग पखारता है इससे बड़ा सम्मान और भीमराव आम्बेडकर जी के लिए क्या हो सकता है। जो देश के अन्तिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको देश का प्रधानमंत्री पग पखार करके सम्मान दे रहा है। हमारा

श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े आठ जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन में धन्यवाद देना चाहूंगा आपने लोक निर्माण मंत्री जी को कि उन्होंने इतनी सड़कों का जाल बिछा दिया है कि हमारे 40 गांव ऐसे थे जो छूटे पड़े हुए थे और मा0 मुख्य मंत्री जी ने राप्ती पर सेतु दे करके गागर में सागर भरा हैं। सिंचाई की बात लोग कर रहे थे वर्ष 1978 की योजना जो सरयू नहर परियोजना अधर में लटकी हुई थी अब उसको शुरू करवा दिया है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने वर्ष 2021 में नौ जिलों को पानी देने का काम किया है। जिस तरीके से गरीब, दलित व शोषित के लिए आयुष्मान भारत योजना ला करके पांच लाख रु0 का गोल्डेन कार्ड बनाकर सरकार ने अच्छा काम किया है। आज इस देश का गरीब रु0 के अभाव में अपना दम नहीं तोड़ सकता है। जिस तरीके से अराजकता का माहौल अन्य सरकारों में था आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने सभी अराजकताओं के माहौल को खत्म कर दिया है। अरे नसीब को हथेली पर रखकर मुकद्दर ढूंढता है, सीख लो समुन्दर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ऐसे मुख्य मंत्री जी को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। आज के दौर में अपराधी उत्तर प्रदेश में या तो जेल में या ऊपर सिधार गये हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा जनपद श्रावस्ती आकांक्षी जनपद है। माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे जनपद को एक पुल दिया है लेकिन अभी दो पुल की और आवश्यकता है। इसमें मझौआ घाट पर एक पुल और ककरा से मथुरा घाट पर एक पुल की आवश्यकता है। अगर हमारे जनपद को यह दो पुल मिल जायेंगे तो जनपद बलरामपुर से जनपद श्रावस्ती की कनेक्टिविटी जुड़ जायेगी। जनपद श्रावस्ती में बौद्ध परिपथ पर नेशनल हाई-वे पर इकौना से गिलौला के बीच में कोई बालिका इण्टर कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ मलावां के पास सरकारी जमीन उपलब्ध है और एक सरकारी विद्यालय भी बना हुआ है, अगर वहां पर एक बालिका इण्टर कॉलेज दे दिया जायेगा, तो बेटियों को इस सरकार में एक नई सौगात मिल जायेगी।

श्री अतुल प्रधान-

जब आपको सब पहले से मिल रहा है, तो अब मांगने की जरूरत क्या है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया आप बीच में टोकाटाकी मत करें।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

बिल्कुल मिल रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सीताद्वार जो लवकुश की नगरी है वहां पर राजा लव का जन्म हुआ था उसके विकास के लिए अगर विकास प्राधिकरण से कुछ धनराशि मिल जायेगी तो आस्था के इस केन्द्र का समुचित विकास हो सकेगा। नेशनल हाई-वे पर गिलौला कस्बा स्थित है जो आज भी ग्राम सभा के रूप में है मैं उसको नगर पंचायत बनाने की मांग करता हूँ। खासकर कटरा, श्रावस्ती जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली है वह भी ग्राम पंचायत है उसको अगर नगर पंचायत बना देंगे तो क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। हमारे माननीय

प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने नारा दिया है और उसे चरितार्थ किया है कि जात-पात से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी इस देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय सदन से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि विधान सभा अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देश दिया था और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके और वह अपने समय में अपनी बात पूरी कर सकें।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अध्यक्ष जी ने सत्ता पक्ष से दो सदस्य और विपक्ष से एक सदस्य के बोलने की व्यवस्था दी थी। अभी सत्ता पक्ष से तीन सदस्य बोल चुके हैं लेकिन विपक्ष के किसी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठिये। यह रिकार्ड में चेक हो जायेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष से दो लोग बोलेंगे फिर विपक्ष से एक लोग बोलेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यह आप ही का सदन है और आपके सहयोग से व्यवस्था चलेगी। अब मैं माननीय श्री राजीव तरारा जी को बुलाता हूँ।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब तो सत्ता पक्ष से लगातार चार माननीय सदस्य हो गये।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ। कृपया आप भरोसा रखें और बैठ जायें।

श्री राजीव तरारा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए आपको धन्यवाद। जो प्रस्ताव आदरणीय नीलकण्ठ तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया और जिसका अनुमोदन माननीय नीरज बोरा जी द्वारा किया गया मैं उसका समर्थन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो संकल्प लिया गया था कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' उसके द्वारा नया भारत बनाने का और नये भारत के साथ-साथ नया उत्तर प्रदेश बनाने का सपना आज वह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी सरकार में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास किया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने

जात-पात-धर्म इन सबसे ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ाने के लिए और पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी ने उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो सुशासन का राज्य स्थापित किया है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समाजवादी पार्टी को अनुसूचित जाति, महिलायें और पिछड़े तब याद आते हैं जब इनकी सरकारें चली जाती हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने जो समाजवादी के शासनकाल में अत्याचार किये। मैं अनुसूचित समाज की रिजर्व सीट से विधायक हूँ। इन लोगों ने जो अत्याचार किये उसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उसी के परिणामस्वरूप केन्द्र में 2014 में हमारी सरकार बनी, 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी, 2019 में केन्द्र में हमारी सरकार आयी, 2022 में पुनः योगी जी को इस प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनविश्वास जीता है। उसको जनता समझ चुकी है। अभी नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे थे कि अपने गोरखपुर का विकास करा लीजिए। अब किसी सैफई का विकास नहीं होता है बल्कि 75 जनपदों का विकास समान रूप से होता है। यही सबका साथ सबका विकास है। एक चर्चा उन्होंने सांड़ के विषय में की। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे सांडों का इलाज कर दिया है या तो ऊपर पहुंचे हैं या जेलों के अन्दर पहुंचे हैं। आज चारों तरफ विकास दिखायी दे रहा है। आज डाक्टर भीमराव आम्बेडकर जी इनको याद आते हैं। इन्होंने बाबा साहब के लिए भूमाफिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और बहन कुमारी मायावती जी को गेस्टहाउस में मारने की कोशिश इन्हीं लोगों ने की थी। यह अपने आपको अनुसूचित समाज के रक्षक दिखाना चाहते हैं। अनुसूचित समाज जानता है कि देश के प्रधानमंत्री जी प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी समान रूप से सभी वर्गों को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। बिना भेदभाव के नौकरियाँ दी जा रही हैं। बिना भेदभाव के विकास कार्य किये जा रहे हैं। जो इन लोगों के द्वारा किया गया उस सबको पीछे रखते हुये आज हमारा प्रदेश रामराज्य की ओर बढ़ रहा है।

रामचरित मानस पर उंगलियाँ उठाते हैं। राम हमारे रग-रग में हैं। राम हमारे रोम-रोम में हैं। राम हमारी सांसों में है। राम हमारे आदर्श है, हम भगवान मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम को मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले है। यह भगवान शंकर की भूमि है। यह गंगा, यमुना, सरस्वती की भूमि है यह डा0 भीमराव आम्बेडकर जी की भूमि है। यह अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की भूमि है। अखण्ड भारत का स्वप्न देखने वाले डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि है। उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिये जो समरसता का संदेश हमारी सरकार ने दिया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाये हुये संविधान के द्वारा देश को चलाने का कार्य हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं उसी का परिणाम है कि आज जो प्रदेश गुण्डे माफिया लुटेरों के लिए जाना जाता था आज वहाँ पर विदेशों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आ रहे हैं। साथ ही देश के अन्य प्रदेशों से इन्वेस्ट के लिए लोग

आ रहे हैं जी-20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के द्वारा इस देश को मिला। हमारे उत्तर प्रदेश में जी-20 के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट में 33 लाख 50 हजार के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिससे हमारे 94 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है। मान्यवर, इन लोगों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का काम किया था। समाजवादी की सरकार में हरिद्वार से जो शिवभक्त कांवड़ लेकर आते थे उन पर थूका जाता था। कांवड़ को खण्डित करने का काम किया जाता था। आज उनकी तरफ उंगली उठाकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। यह योगी राज है। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो प्रदेश में सुशासन का राज स्थापित हुआ है मैं उसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रदेश समग्र विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले नौ वर्ष के कार्यकाल में शौचालयों का निर्माण, आवास का निर्माण, हमारे किसान भाइयों के लिये किसान सम्मान निधि दिया जाना, उनकी आय को दुगना करने के लिए जो कार्य किये गये हैं उससे आप लोग भी अछूते नहीं है। आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और अन्दर ही अन्दर आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि यही सरकार अच्छी है।

मान्यवर, हमारे यहां पर बेटियों में भेदभाव नहीं है, हमारे यहां पर जात-पात के आधार पर भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आप लोगों ने अनुसूचित समाज पर अत्याचार किए हैं। आज भाजपा की तरफ अनुसूचित समाज बढ़ रहा है और आज जाटव समाज के 20 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर आए हैं। आप लोगों ने हमेशा नीचे ढकेलने का काम किया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र धनौरा में गजरौला औद्योगिक नगर भी आता है। जब सपा कांग्रेस गठबन्धन की सरकार थी तो दिल्ली जाने के लिए 4-6 घण्टे लगते थे लेकिन आज केन्द्रीय परिवहन मंत्री जी ने ऐसी सड़क बना दी है कि जिससे हम एक से डेढ़ घण्टे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। नहरों का निर्माण किया गया है, बिजली घरों का निर्माण किया गया है, सेतुओं का निर्माण किया गया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में तिगरी क्षेत्र आता है वहां 20-30 लाख श्रद्धालु हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं, उस मेले को आदरणीय योगी जी ने सरकारी घोषित करने का काम किया है और पर्यटन की दृष्टि से मा0 योगी जी ने कहा है कि हम उसका विकास भी करेंगे। दिल्ली और नैनीताल के बीच में पर्यटन की दृष्टि से कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है, हमारे पास तिगरी से बृजघाट तक पूरी नौ किलोमीटर की पट्टी है, इसका पर्यटन की दृष्टि से विकास करते हैं तो हमारे हजारों भाई-बहनों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बजट का विषय है। मेरे बहुत सारे युवा मित्रों के धन्यवाद के लिए फोन आए कि इसी बजट में एक राज्य विश्वविद्यालय के हमारे निवेदन को स्वीकार किया है जिसके लिए आदरणीय रितेश जी और हम सभी लोग लगे हुए थे। इस बार

50 करोड़ रु0 की व्यवस्था इस बजट में की गयी है उसके लिए में अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

चूंकि कांवड़ यात्रा हरिद्वार एवं बृज घाट से बड़ी संख्या में आती है। मैंने भी इस बार तिगरी धाम से करीब ढाई हजार युवाओं के साथ 'मेरी कांवड़ राष्ट्र के नाम' से शुरु की है और अपने युवा मित्रों के साथ 30 किलोमीटर पैदल चलकर अपने धार्मिक स्थलों पर जलाभिषेक किया था। चूंकि कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो में तिगरी से गढ़ को जोड़ने वाले गंगा जी के पुल के निर्माण की मांग करता हूँ। साथ ही गजरौला में ट्रामा सेण्टर की स्थापना की मांग करता हूँ क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती है। इन लोगों ने तो कभी मांगा नहीं है, हमारे जनपद से कई कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आदरणीय कमाल अख्तर जी एवं आदरणीय महबूब अली जी बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय योगी जी गजरौला में ट्रामा सेण्टर बनवायेंगे। मैं मांग करता हूँ कि गजरौला में ट्रामा सेण्टर अतिशीघ्र बनवाया जाए और गजरौला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाए। हमारे यहां पर दडवड ठेठ से शेरपुर तक साढ़े दस किलोमीटर तटबन्ध बन चुका है, थोड़ा तटबन्ध शेष है। उसको अतिशीघ्र पूरा कराने की मांग करता हूँ। हमारे यहां पर गौवंश के लिए दो गौशालाओं के निर्माण की मांग करता हूँ। गजरौला, अमरोहा विकास प्राधिकरण की भी मांग करता हूँ। आज वह मुरादाबाद से संचालित होता है, वहां पर विकास की बहुत सारी सम्भावनाएं है। अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि गजरौला अमरोहा विकास प्राधिकरण बनाया जाए जिससे हमारी विधान सभा क्षेत्र धनौरा की सम्मानित जनता को लाभ मिले। अभी गजरौला में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ही काम कर रहा है। यदि नया विकास प्राधिकरण बनेगा तो इसका निश्चित तौर पर जनपदवासियों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से एक श्री अमोल शिक्षक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय जो पपसरी खादर में पढ़ाते हैं। कोविड में उनके साथी की डेथ हो गयी थी। वहां पर एक शिक्षक हैं और 134 बच्चे हैं। हमने वहां पर कुछ व्यवस्थाएं की है। वह प्रत्येक स्थान पर अपने स्कूल को प्रथम लाने की कोशिश करते हैं तो यह अनेकों परिवर्तन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्राइमरी एजुकेशन में, माध्यमिक एजुकेशन में एवं उच्च शिक्षा में आ रहे हैं उसके लिए अपनी सरकार का सभी विकास कार्यों को कराने के लिए, मार्गों के चौड़ीकरण के लिए श्री केशव प्रसाद मौर्या जी का धन्यवाद देता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता-

महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूँ, भारत माता की जय।

श्री पंकज-

सियासत अब जनता पर इतना जुल्म मत कर।

खून को स्याही, अत्याचार को कलम मत कर ।।

जुल्म के खिलाफ उठती आवाज को यूं सरेआम

दफन मत कर-दफन मत कर।।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इस लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे व मुझ जैसे कितने युवा साथियों को इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर दिया है। मैं आज इस सदन से अपने विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर की सम्मानित जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझ पर और सम्पूर्ण समाजवादी परिवार पर अपना भरोसा जताया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से जो नीति वक्तव्य आया है उससे बड़ी निराशा हुई। इस बात पर निराशा हुई कि 6 वर्षों के बाद लोगों को उम्मीद बंधी थी कि शायद पुरानी सरकार अपने 6 वर्ष के अनुभव के साथ कुछ नया करेगी, कुछ नया देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महोदय, सदन के भीतर महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार की नीतियों का केवल महिमामण्डन करने का काम किया है, जो धरातल से बहुत दूर है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल में निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु 1200 रु0 प्रति छात्र निर्धारित किया गया है। मान्यवर, ये गरीब घर के छात्रों का उपहास करने का काम किया गया है। इससे ज्यादा धनराशि तो अमीरों के बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। सच्चे मन से सरकार यदि गरीबों का भला करना चाहती है तो इस धनराशि को बढ़ाकर 5000 रु0 कर देना चाहिए। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 12.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है किन्तु 4 लाख 88 हजार युवाओं को ही प्रतिष्ठित कम्पनी में रोजगार मिलने का जिक्र किया गया है, किन्तु 12.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण के उपरान्त 4 लाख 88 हजार ही युवाओं को रोजगार मिलना यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण की क्वालिटी ठीक नहीं है अन्यथा अधिकतम युवाओं को रोजगार मिल जाता और जिनको रोजगार देने की बात कही जा रही है वे लोग नौकरी के नाम पर मजदूरी करने के लिए विवश है। अभी लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, राजधानी में हुआ था, मैं आपका ध्यान उस जगह से मात्र एक किमी0 की दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम वृंदावन गांव है, मलिहाबाद इलाके के पास स्थित है। इस गांव में आजादी के बाद भी विद्युतीकरण का काम नहीं हुआ है। आज भी वहां के लोग बांस-बल्ली के माध्यम से दूर-दराज से तार खींचकर अपना जीवनयापन करने का काम कर रहे हैं।

(विपक्ष के लोगों ने शेम-शेम कहा)

माननीय विद्युत मंत्री बड़े-बड़े दावे करते हैं और लखनऊ के एक गांव की यह स्थिति है जहां आजादी के बाद आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। सरकार की नाकामी उनसे चीख-चीखकर कह रही थी कि-

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है।
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है।।

मान्यवर, राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव में हमारी विधान सभा क्षेत्र के कुछ बिन्दु छूट गये थे जिसको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनको जोड़ दिया जाये। मान्यवर, जनपद जौनपुर में तेजी बाजार के नाम से एक नया थाना बनाया गया है। थाना तेजी बाजार, तहसील बदलापुर के अन्तर्गत आता है। तेजी बाजार थाने के लगभग 21 गांव चोरहा, कटका, अधकच्चा, बंगालीपुर सकरा, बरईपार, चकघसीटा, आयर, कान्हापुर, चकनौआबाद, कैथोली, राजेपुर, ठेहुनिया, धर्मूपुर, भाऊपुर आदि जो कि थाना मछलीशहर के अन्तर्गत आते थे अब इनको तेजी बाजार थाने में शामिल किया गया है, जबकि इन गांवों की दूरी मछलीशहर थाने से लगभग 08 किमी है।

जबकि तेजी बाजार थाने से दूरी लगभग 15 किमी0 है। उन 21 गाँवों को तेजी बाजार थाने में शामिल किये जाने से आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वहाँ की आम जनता व 21 गाँवों के ग्राम प्रधानों की माँग है और वहाँ का विधायक होने के नाते आपके माध्यम से मैं भी माँग करता हूँ कि उन 21 गाँवों को तेजी बाजार में न जोड़ कर पूर्व के मछलीशहर थाने से ही जुड़ा रहने दिया जाए, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में आज सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। ज्यादातर सड़कों की स्थिति एकदम ध्वस्त हैं, लेकिन सरकार गड्ढामुक्ति की बात करती है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े होकर पहले तो सरकार का महिमा-मण्डन करने का काम करते हैं और जब अपना भाषण खत्म करने लगते हैं तो जैसे हमारे विपक्ष के साथी समस्याएँ गिनवाते हैं, वैसे ही वे लोग भी समस्याएँ गिनवाने का काम करते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये)

जब उनका भाषण खत्म होने लगता है, तो वह भी अपने क्षेत्र की समस्या को बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में तार जर्जर हो गए हैं, बिजली विभाग की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, सड़कों की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। एक तरफ तो यह पहले सरकार का महिमा-मण्डन करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ अपना भाषण खत्म करते समय विपक्ष की तरह ये भी सरकार से माँगने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को लगता हो कि उनके वहाँ विकास का कार्य हो चुका है तो उनके वहाँ

का बजट हमारे विपक्ष के साथियों को देने का काम किया जाए। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें मुख्य सड़क थलोई-गौहानी सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। दूसरी सड़क मुँगराबादशाहपुर-बेलवार मार्ग है, जिसकी लम्बाई 08 किमी0 है और तीसरी सड़क धरमपुर होते हुए करनौली सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई साढ़े तीन किलोमीटर है। इन तीनों सड़कों की मरम्मत कराया जाना बेहद आवश्यक है। ये सड़कें आज भी टूटी-फूटी स्थिति में हैं ।

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र की कुछ और मुख्य सड़कें हैं जो एक विधान सभा क्षेत्र से दूसरी विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है, इसमें बरईपार-सुजानगंज मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराना बहुत आवश्यक है। मुंगराबादशाहपुर-जंघई मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार अदारी-अचडीह-उचौरी-मादरडीह सड़क का भी चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है और हर एक विधायक की समस्या है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री पंकज-

मान्यवर, पहली बार मुझे विधान सभा क्षेत्र में बोलने का मौका मिला है। इसके पहले मैंने तमाम माननीय सदस्यों का भाषण सुना है, इसलिए यह लोग भी मेरा भाषण सुनें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। मुँगराबादशाहपुर कस्बा, बरईपार बाजार, सुजानगंज बाजार, मुस्तफाबाद बाजार, बेलवार बाजार, इन जगहों पर आए दिन जर्जर तारों की वजह से दुर्घटनाएँ होती रहती हैं और जैसे ही गर्मी आती है, ये तार टूट कर गिरने लगते हैं और उन तारों को सही करने वाला कोई नहीं होता है। जबकि माननीय बिजली मंत्री जी बड़े-बड़े दावे करते हैं। मैं उनको अपनी विधान सभा क्षेत्र में आमंत्रित करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था की क्या बदहाली है, उसे आप देखकर आइये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जर्जर तारों को बदला जाए और ओवर लोडेड ट्रांसफार्मर्स की क्षमता को बढ़ाया जाए। मान्यवर, हमारा क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है। वहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसलिए में आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में राजकीय महिला इण्टर कॉलेज व राजकीय महिला महाविद्यालय की माँग करता हूँ। मान्यवर, हमारे यहाँ बरईपार और मछलीशहर रोड पर एक पुल है, उस पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से जैसे ही लगन, शादी-विवाह का टाइम आता है, उस समय उस पुल पर इतना जाम लग जाता है और 2 घण्टे, 3 घण्टे जाम की समस्या बनी रहती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पुल की लम्बाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाए, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री पंकज-

मान्यवर, बस एक वाक्य और कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

बेरोजगारी के बाजार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है,
बेबसी के दलदल में हर नौजवान फंसता जा रहा है।
सत्ता के नए-नए शौक निकलकर सामने आ रहे हैं,
गरीबों के हक को सरकारी अफसर खा रहे हैं।
बेचारा बनकर रह गया जो इस देश का गरीब है,
नौकरी में वही है जो सत्ता के करीब है।

श्री रमेश जायसवाल-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जो 20-02-2023 को मा0 राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन में इस सदन के वरिष्ठ सदस्य नीलकंठ तिवारी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया उनके समर्थन में और साथ ही वरिष्ठ सदस्य नीरज बोरा जी ने उसका समर्थन किया और मैं भी पूरी तरीके से आदरणीय राज्यपाल महोदया के उस अभिभाषण का हृदय से समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं मां भारती के चरणों में नमन करता हूँ अपने आराध्य पंडित दीन दयाल उपाध्याय डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में नमन करता हूँ और साथ ही इस सदन के माध्यम से मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां की देवतुल्य जनता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चन्दौली जिले के उस मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में पहली बार किसी वैश्य को वहां से विधायक चुनकर भेजा। मैं सदन के माध्यम से हाथ जोड़कर उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस सदन के सम्मुख कुछ कहने और इस सदन का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिसके आशीर्वाद से इस महत्वपूर्ण सदन जिसकी अगुवाई प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। क्षेत्र का लगातार सर्वांगीण विकास जिसको वहां पर आम जनता महसूस कर रही है। अपने अभिभाषण में पूरे सरकार की योजनाओं को जिस तरीके से राज्यपाल महोदया ने प्रस्तुत किया वह सराहनीय था उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। हर बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान, हर बिन्दुओं पर जनमानस का ध्यान यह सरकार निरन्तर पैनी निगाह रखकर कर रही है। हर मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह विफल है, विफलता का नजारा हम लोगों को इस सदन के अन्दर देखने को मिला।

मा0 राज्यपाल महोदया के उस अभिभाषण का सम्मान न करते हुए एक वरिष्ठ महिला का सम्मान न करते हुए, मातृ शक्ति का सम्मान न करते हुए सदन के वेल के समक्ष आकर गो बैक, गो-बैक का नारा लगाकर पूरी तरह से सरकार की कार्यवाहियां और सरकार की जनमानस के प्रति जो जवाबदेही थी उसका अक्षरशः पूर्ति सरकार ने की और उसको सुनने का काम यहां प्रतिपक्ष के लोगों ने नहीं किया। पिछली बार भी हमने अपने उद्बोधन में कहा था कि सदन में आने वाला हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है। कम से कम चार से पांच लाख लोगों का आशीर्वाद जब मिलता है तब कोई व्यक्ति सदन का हिस्सा बनता है। क्या हम सब लोग इस बात के लिए चिंता नहीं कर सकते कि हमारी जरूरत सदन में क्यों है ? हम आम जनमानस की समस्याओं को कैसे उसके निराकरण का प्रयास करें। सरकार के काम करने की पद्धति पर कोई सवाल अगर उठाना हो तो उस सवाल के लिए नियमावली बनी है उस नियमावली के हिसाब से भी आप सरकार पर उंगलियां उठा सकते हैं, हम मना नहीं करते। संशोधन का सवाल जहां आता है उस क्रियाकलाप पर सरकार की जो पैनी निगाह रही उस पर आपको बेहतर तरीके से विषय रखने के लिए पहले अभिभाषण को सुनना चाहिए था।

मुझे लगता है कि यदि आप अभिभाषण को सुनते तो बेहतर तरीके से उसमें परिवर्तन की बात कह पाते, लेकिन आपने सुनने का काम नहीं किया और आपने पूरी तरह से सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया। इसके लिए जनमानस ने आपको चयनित करके नहीं भेजा है। तमाम ऐसे मुद्दे आए, जनहित के मुद्दे आए, लोकतंत्र के अन्दर लोकतंत्र को सुरक्षित करने के मुद्दे आए सभी मुद्दों पर सरकार का समर्थन इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद देकर किया। आपने कहा इंतजार करो फिर हम आने वाले हैं आपने वर्ष 2022 में ऐसा नारा दिया था और जनमानस को गुमराह करके आपने सोचा की कई गठबंधन करके हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे। तमाम माफिया, तमाम भू-माफिया, तमाम बालू माफिया उनको बचाने का काम करेंगे। जनमानस के लोगों को पता था कि जीतकर आने के बाद क्या करने वाले आप हैं आपने समर्थन मांगा जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया यही कारण है कि बहुत छोटी जमीन आपको यहां सदन में प्राप्त हुई है, प्रयास करिए कि वर्ष 2022 की इस सरकार में एक अच्छे और उत्तम चरित्र का निर्माण करते हुए उस जनता के प्रति जवाबदेही को तय करते हुए सदन से कुछ अच्छे काम उस क्षेत्र के लिए ले जाने का प्रयास करिए। मैंने देखा कि जब एजेण्डा आया तो विपक्ष ने एजेण्डे के अन्दर संशोधन दिया था लेकिन संशोधन में क्या लिखा था ? ये लोग आमूल-चूल परिवर्तन की बात कदाचित् अपने भाषण में जरूर दे रहे हैं, लोग इनको सुन रहे हैं, निगेटिव बोलने का काम प्रतिपक्ष का है और उसके अनुकूल ये बोल भी रहे हैं परन्तु इनका जो संशोधन आया उसमें 300 मीटर सड़क, 200 मीटर नाली आदि-आदि, इसके अलावा इनके संशोधन में और कुछ देखने को नहीं मिला।

मान्यवर, में आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई संशोधन इनका ऐसा नहीं था जो मा0 राज्यपाल के अभिभाषण से मेल खाता हो। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने मा0 राज्यपाल को सुना ही नहीं तो ये किस विषय पर बात करेंगे ? यह उत्तर प्रदेश जो भारत देश का हृदय है, उसकी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी है। जिसका जीर्णोद्धार तो छोड़िए, उस काशी को नवीनतम करने के काम का सौभाग्य भी इसी योगी सरकार को जाता है, जो हमारी आस्था का केन्द्र है। अयोध्या के अन्दर इन्हीं लोगों ने कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई थीं, तमाम राम भक्तों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन हमारी सरकार ने उन्हीं कारसेवकों के घर से जो लोग जिन्दा हैं, जिनको उम्मीद थी कि राम मन्दिर का निर्माण होगा तो इन लोगों ने कहा कि कोर्ट के फैसले को आने दो। कोर्ट ने भी फैसला सुनाया फैसले अपने पक्ष में रहा, भारत के जनमानस के पक्ष में रहा, जनता की भावनाओं के पक्ष में रहा। उसी का नतीजा था कि वहाँ तेज गति से मन्दिर निर्माण हो रहा है। वहाँ पर जो लोग कारसेवा के लिए गए थे, जिनके घर की आस्था वहाँ जुड़ी हुई थी, आज भी जब वे उस मन्दिर में जाते हैं तो हमारी सरकार उन पर हैलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। सरकार की नैतिकता, सरकार की मानसिकता, जनमानस के प्रति उसकी जवाबदेही इस बात को तय करती है कि विकास के मुद्दे से इन लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक बात प्रतिपक्ष के विषय की है तो ये लोग हमारे विषय में से ही विषय निकालते हैं और निकालकर उसको बोलते हैं। इनके बीच में बैठे हुए हमारे तमाम ऐसे मुस्लिम भाई है, जो इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य भी है। उनके क्षेत्र में जहाँ सर्वाधिक मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के अनाज वितरण का सबसे ज्यादा उपयोग वहीं हो रहा है, आप यह उनकी आत्मा से पूछिए।

महोदय, में आपको बता दूँ कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो हमारा जिला चन्दौली है, वहाँ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, हम लोगों को लगा कि जनमानस के निचले स्तर पर जाकर देखा जाए कि पब्लिक हमारे व पार्टी के बारे में क्या सोचती है ? हम लोगों ने वहाँ चौपाल का आयोजन किया। जब वह चौपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाई गई और जनमानस के बीच में जाकर जब हम लोगों ने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, हमारी सरकार की नीतियों के बारे में तो उन लोगों ने कहा कि जब तक होश रहेगा, हम तब तक इस सरकार को समर्थन देंगे। एक नहीं अनेक बार मोदी और योगी की सरकार आएगी। वर्ष 2024 के चुनाव का परिणाम स्पष्ट दिख रहा है, विपक्ष की हताशा यह बता रही है कि इनकी सीटें और कम होने वाली है। मुझे तो लगता है कि इनको वर्ष 2024 की चिन्ता करनी ही नहीं चाहिए, इनको चिन्ता करनी चाहिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदन में बने रहने की कि वर्ष 2027 में क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि ये लोग चिन्ता उस पर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मान्यवर, विकास की नई रेखा खिंच गई है। जो इस सरकार के छः वर्षों से पहले इस तरह की रेखा कभी खींची नहीं गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री रमेश जायसवाल-

प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को जिनके मार्ग दर्शन में सिक्स लेन रोड का निर्माण पड़ाँव से ले करके हमारे चकिया-त्रिमुहानी के आगे तक 328 करोड़ रुपये में हो रहा है। हमारे यहाँ चन्दौली से सैदपुर में भी 397 करोड़ रुपये से सिक्स लेन मार्ग का काम चल रहा है। हमारे यहाँ एक ट्रॉमा सेण्टर बन रहा है, हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे यहाँ नहरों का जाल बिछा है और मैं बता दूँ कि इस बार जब लोगों ने यह कहा कि सूखा पड़ सकता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा धान हमारे क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के अन्दर हुआ। इसका मतलब पवित्रता से काम करने का प्रतिफल समाज को भी मिलता है, प्रदेश को मिलता है, साथ ही देशवासियों को भी मिलता है। केवल नीयत साफ करके काम करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर एक-दो बिन्दुओं को आपके सामने नोट कराना चाहता हूँ। प्रदेश में सर्वाधिक विकास हुआ, इसमें हमारे यहाँ जनपद चन्दौली के प्रमुख मार्केट मुगलसराय है, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर है वह स्थान इतना क्वाइट प्लेस है, साथ ही इस सरकार में इतनी ज्यादा शान्ति है कि तमाम लोग बिहार और बंगाल से भी आकर हमारे यहाँ मुगलसराय में आवास बनाकर रहते हैं इसलिए वहाँ पर जाम की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों ने मांग की थी और मैं सदन के माध्यम से भी पुनः मांग करता हूँ कि सुभाष पार्क से चकिया त्रिमुहानी तक एक ओवर ब्रिज/एलिवेटेड पुल का अगर निर्माण हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मान्यवर, हमारे वहाँ नगर पालिका मुगलसराय व नगर पंचायत चन्दौली में चिल्ड्रेन पार्क की आवश्यकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक मिनी स्टेडियम का निर्माण अति आवश्यक है जिससे खेल से जुड़े युवाओं को प्रोत्साहन मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा बबुरी में चिकित्सकीय सुविधा हेतु एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का खोला जाना अति आवश्यक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय स्थित पं0 कमलापति त्रिपाठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर साइंस व कामर्स की पढ़ाई की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हो जाए तो मेहरबानी होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चन्दौली तहसील में अग्निशमन केन्द्र की आवश्यकता है यदि इसकी प्रतिपूर्ति हो जाए तो मेहरबानी होगी। साथ ही हमारी नगर पंचायत चन्दौली की 75 परसेण्ट आबादी जहाँ रहती है उसके पास सिंचाई विभाग का एक सरकारी नाला है।

उसी से पूरा ड्रेनेज का पानी निकलता है वह अभी जर्जर स्थिति में हो गया है। मैं आपसे निवेदन करुँगा कि उस नाले के अन्दर यदि ह्यूम पाइप डलवाकर इण्टरलॉकिंग लग जाए तो बहुत मेहरबानी होगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री रमेश जायसवाल-

महोदय, हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है वहाँ पर चारों तरफ नहरों का जाल बिछा हुआ है। हमारा एक क्षेत्र जो बबुरी से चन्दौली वाला क्षेत्र है उसमें नारायणपुर लिफ्ट कैनाल से एक पक्की माइनर बनाकर बबुरी से चन्दौली क्षेत्र में यदि पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से कर दी जाए तो मुझे लगता है महोदय बहुत बड़ी समस्या हमारी हल हो जाने वाली है। हमारी ग्राम सभा बबुरी है, बबुरी के अन्दर एक विकास खण्ड की नितान्त आवश्यकता है। विकास खण्ड होने से वहाँ के आस-पास के 100 गाँव हमारी विधान सभा क्षेत्र के प्रभावित होंगे। महोदय, पूर्व में भी मैंने कहा था और मैं फिर से अनुरोध इस संदर्भ में कर रहा हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय चन्दौली है। उस मुख्यालय पर रोडवेज बस टर्मिनल की बात कही गई थी। यदि उस बस टर्मिनल की स्थापना कर दी जाए तो बिहार और बंगाल को हम जोड़ लेंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। महोदय, मैं अन्त में कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का हृदय से पूरा का पूरा समर्थन करता हूँ और यह सरकार अनवरत् चलती रहेगी और विपक्ष अपनी संख्या को बचाने की चिंता करे। मैं पूर्ण समर्थन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री पुरुषोतम खण्डेलवाल-

धन्यवाद, मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने अवसर दिया महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से विकास की गंगा बहने की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है। वह अभिभाषण विकास का एक दस्तावेज था। विपक्ष के लोग उस समय राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनने के बजाय, उनके अभिभाषण को सुनने की आवश्यकता नहीं समझते थे चूँकि जनता को जब यह मालूम पड़ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है तो उनको निश्चित रूप से कष्ट हो रहा था क्योंकि लगातार जनता के द्वारा जो उनकी अवहेलना हुई है। चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो इन दलों ने प्रदेश को जिस बर्बादी के कगार पर पहुँचा दिया था उसके कारण जनता ने इनको नकार दिया और मोदी जी तथा योगी जी पर विश्वास किया। पूरे पाँच वर्ष मोदी जी ने और योगी जी ने जो काम किये हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं कि अभी जी-20 का आगरा में कार्यक्रम हुआ। आगरा एक ऐतिहासिक शहर के रूप में लोगों के सामने आया देखने लायक है, मैं विपक्ष के लोगों से कहूँगा कि बहुत लोग घूमने के लिए आगरा आ रहे हैं। जरा जाकर देखिए कि आगरा कैसा है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। योगी जी ने वर्ष 2020 में वहाँ गंगा जल दिया। लोगों के घरों में गंगा जल पहुँचा। आगरा में इतना विकास हुआ, उत्तर

प्रदेश का विकास हुआ और आपके कार्यकाल के अन्दर जरा देखिए कि सुबह डॉक्टरों ने और उद्योगपतियों ने पार्कों में घूमना बन्द कर दिया था, क्योंकि इनके कार्यकाल में अपहरण एक उद्योग था, गुण्डागर्दी इनके कार्यकाल में उद्योग बन चुका था और आज बौखला इसलिए रहे हैं क्योंकि सत्ता कैसे प्राप्त हो और सत्ता के लिए ऐसे बौखला रहे हैं भाजपा के कामों को देख देख कर, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे होते हैं, इस प्रकार की स्थिति समाजवादी पार्टी के लोगों की हो गई है।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं और हम यह कह सकते हैं कि जैसे देश में मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। यह निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुण्डे सरेआम सड़कों पर घूमा करते थे, आज बिलों में भी ढूढ़ों तो नहीं मिल रहे हैं पता नहीं कहाँ चले गये। नकल माफिया, भू-माफिया, सट्टा माफिया सब गायब हो गये हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को, जो उन्होंने उस समय जनता पर अत्याचार किये। समाजवादी पार्टी ने लोगों के कामों को अनदेखा किया जिसके लिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। इसीलिए उनका नम्बर वर्ष 2024 में भी नहीं आएगा और वर्ष 2027 में भी आने वाला नहीं है। मान्यवर, अध्यक्ष जी ने कहा था कि समस्याएं बताइये वह मंत्रालय को भेजेंगे। आगरा में वर्ष 2020 में योगी जी की सरकार ने गंगा जल दिया। आगरा में वर्ष 2017 से पहले 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत क्षेत्र में सीवर लाइन और वाटर लाइन हुआ करती थी लेकिन आज हमें गर्व है कि 70 प्रतिशत क्षेत्र को अब गंगाजल मिलने लगा है। सीवर लाइन डल चुकी है, उत्तर विधान सभा क्षेत्र में 30 प्रतिशत क्षेत्र में वॉटर लाइन और सीवर लाइन नहीं है वहां सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था की जाय। आपसे मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से मंत्रालय तक यह बात पहुंच जाये पूरा सर्वे करवाया जाय।

मान्यवर, आगरा में एक बल्केश्वर लेवर कालोनी है जो वर्ष 1955 में बनी थी। वहां किरायेदार रहते हैं। अनेक किरायेदार दूसरी जगह जाकर बस गये और अपने निकटस्थ को वह किरायेदारी देकर चले गये हैं। मेरा आग्रह है कि उन लेवर कालोनी के सभी किरायेदारों को जो वहां रहते हैं उनको नियमित किया जाय और जो उन्हें खरीदना चाहे बाजार रेट से उनको दिलवा दिया जाय, ताकि उनको उत्पीड़न से मुक्ति मिल सके। मान्यवर, आगरा ट्रैफिक की समस्या से बहुत जूझ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर को काफी ठीक भी किया गया है। आपसे मेरा आग्रह यह है कि आगरा में भी तत्काल 1-2 ट्रांसपोर्ट नगर की भी व्यवस्था की जाय ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सके। क्योंकि पिछली सरकार चाहे वह सपा की रही हो, बसपा की रही हो या कांग्रेस के कार्यकाल में रही हो, उन्होंने आगरा के लिए कुछ नहीं किया है। अब एक विकास चालू हुआ है तो विकास में और तेजी आने की आवश्यकता है, अतः उसको देख लिया जाय।

मान्यवर, आगरा टी0टी0जेड0 में आता है आपका फिरोजाबाद भी आता है। वहां रु0 99 किलो के हिसाब से सी0एन0जी0 मिल रही है जबकि नोयडा में रु0 83 के हिसाब से मिल रही है। एक ही प्रदेश में दो-दो रेट नहीं चलना चाहिए समानता रहनी चाहिए और टी0टी0जेड0 वालों को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मान्यवर, सी0एन0जी0 की दरों में विसंगति को ठीक करना जरूरी है। सपा के लोग इस समय इस प्रकार से बौखलाए हुए, कि उन्हें इस समय सत्ता चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात रखें।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन था कि विकास प्राधिकरणों में पुरानी आदत पड़ी हुई है, नक्शा पास कराने को लेकर उसमें सरलीकरण किया जाय। साथ ही नक्शा पास कराने के लिए जो भी एन0ओ0सी0 चाहिए वह प्राधिकरण स्वयं प्राप्त करे। दूसरे सरकारी विभाग से वह बात करें। फीस जमा करा ले। वह आम नागरिक को परेशानी न हो। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात न करें।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

मेरा आग्रह यह है कि कुछ आवासीय क्षेत्रों में पिछले 50-60 वर्षों में जो कामर्शियल गतिविधियां प्रारम्भ हुई थीं, उनको नियमित करने के बारे में विचार करना चाहिए तभी अच्छा काम चल सकता है। सपा के लोग तो वो हैं जो हमारी पूजा-पाठ को भी बन्द करा दें। हमको मालूम होना चाहिए कि यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने पुलिस लाइन में होने वाले जन्माष्टमी उत्सव पर रोक लगा दी थी। जैसे ही योगी जी मुख्य मंत्री बने तो पुलिस लाइन में और पुलिस थानों में जन्माष्टमी प्रारम्भ हो गयी। समाजवादी पार्टी के लोग आज हमसे लोकतंत्र विरोधी होने की बात करते हैं। कांग्रेस जिसने 1975 में आपातकाल लगाया था उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं और हम पर तानाशाही की बात करते हैं। मान्यवर, यह कल तक अकबर, औरंगजेब की बात करते थे लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के सपनों का बनने जा रहा है। अब अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना नहीं होगी। अकबर कभी महान नहीं थे, औरंगजेब कभी महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। मान्यवर, मेरा एक अन्तिम निवेदन है कि सूचना का अधिकार, देश में सूचना प्राप्त करके ठीक करने के लिए था लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है कि सूचना के अधिकार का कुछ लोग निजी क्षेत्र में दुरुपयोग भी कर रहे हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है आम

नागरिक को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसको लोग उद्योग बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि सपा काल में जो गुण्डई होती थी, माफियागिरी होती थी, उस पर रोक लगी है तो अब एक नया हथकण्डा अपना लिया है, सूचना के माध्यम से लोगों का उत्पीड़न करने का प्रयास होता है। इस चौथ वसूली को भी हमको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा विषय इतना ही था। अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मैंने आपसे जो निवेदन किया है वह विभिन्न मंत्रालयों तक पहुंच जाए ऐसा अध्यक्ष जी ने भी कहा था। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

***श्री स्वामी ओउमवेश-**

ऊँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस माननीय सदन को नमन करना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को नमन करना चाहता हूँ और मैं महर्षि दयानन्द सरस्वती जी को नमन करना चाहता हूँ, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने किसानों को राजाओं का राजा कहकर पुकारा है। मैं चौधरी चरण सिंह जी को नमन करना चाहता हूँ, जो हमारे राष्ट्रनायक और पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने किसानों का खसरा और खतौनी में नाम लिखवाने का काम किया और नेता जी मुलायम सिंह यादव जी को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन करके भारतीय जनता पार्टी के उस मनसूबे को चकनाचूर करने का काम किया। मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने वंचितों को, गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया। मान्यवर, मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो विचार यहाँ पर व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उन सभी विचारों से सम्बद्ध करता हूँ, उनका अनुमोदन करता हूँ। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पर सारगर्भित हर प्वाइंट के ऊपर विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन सबका समर्थन करता हूँ।

माननीय महोदय, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो पुस्तक छपी है, मैंने उस पुस्तक को कई बार पढ़ा, उसको उलट-पुलट करके देखा लेकिन उसमें कहीं भी जो देश और प्रदेश की रीढ़ है, किसान, गरीब, मजदूर, बेसहारा, मजलूम, बुनकर, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान उसका कहीं पर भी अच्छी तरह से जिक्र नहीं किया गया है। केवल सबका साथ, सबका विकास का नारा दे करके जनता के वोटों के ऊपर डकैती डाल करके लुभावना नारा दे करके ये गुलछर्रे उड़ाने का सरकार काम कर रही है। अब इसको जनता समझ चुकी है। मैनपुरी की जनता ने, खतौली की जनता ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टिकने वाली नहीं है। मान्यवर, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने सिद्ध कर दिया है कि यह किसान विरोधी है, यह गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, बुनकर विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, पूरे देश का विरोध करने का काम इस महामहिम के अभिभाषण ने किया है। ये पूँजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार हो नहीं सकती है, ये किसानों की सरकार नहीं हो सकती, ये अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं हो सकती है, ये केवल पूँजीपतियों की सरकार है और उसी को सब कुछ देना चाहती है।

जिसे प्यास है उसे कम से कम,
जिसे प्यास नहीं उसे दम में दम।
मेरे साथिया मुझे यह तो बता,
यह मजाक है कि निजात है ।।

मान्यवर, मेरा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें 70 से 75 प्रतिशत किसान है जो धरती मां का सीना चीर करके अन्न, गन्ना और धान पैदा करते हैं और सारे देश को खिलाने का काम करते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने किसान को अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में किसानों को राजाओं का राजा कहा है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से हो करके गुजरता है। आज सरकार कहती थी कि वर्ष 2022 में किसान की आय दुगनी हो जायेगी। कैसे आय दुगनी हो जायेगी। फसल बोते नहीं, आवारा पशु उसको बर्बाद कर देते हैं। गन्ने की फसल किसान की मुख्य फसल है। गन्ना मिल द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। किसान मारा-मारा फिरता है। वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है। वह अपना कोई कमरा नहीं बना सकता। वह बिजली का बिल नहीं जमा कर सकता। वह अपने बच्चों की समय पर फीस नहीं जुटा सकता। जिसने मेहनत करके गन्ना पैदा किया है, अन्न पैदा किया है, धान पैदा किया है जब अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसको नींद नहीं आती है वह करवट बदलता रहता है कभी उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताये जाती है उसकी जो बेटी 35 साल की हो गई है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बिजली का लाइनमैन कह करके गया है कि अगर कल बिल जमा नहीं किया तो आपका कनेक्शन काट दिया जायेगा। किसान को बेइज्जती सता रही है। सुबह-सुबह बच्चा आ करके पैरों की कोली भर लेता है पापा-पापा चिल्लाता है अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो मास्टर मेरा नाम काट देंगे। किसान सारी रात करवट बदलता रहता है फिर सुबह उठ करके अपने काम में लग जाता है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक तन पर सोने के तार खिंचे, एक तन पर सूत का तार नहीं। इसलिए बगावत करता हूँ, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले दो प्राणी, दस हाथ का घर दस रहते हैं तो सबके पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूँ यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल का हत्था पकड़ा नहीं, हक्दार हजारों बीघा के हल के संघ हस्ती मिटा रहा, वह बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करता हूँ, यह

न्याय मुझे स्वीकार नहीं। जो यहाँ पर लुभावना अभिभाषण पढ़ा गया है वह किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक विरोधी है। अगर किसानों की हालत सुधारना चाहें तो देश तरक्की कर सकता है प्रदेश तरक्की कर सकता है। अल्पसंख्यकों को साथ ले करके इस देश का विकास किया जा सकता है। अगर अल्पसंख्यकों को साथ नहीं लोगे तो देश का विकास होने वाला नहीं है। मेरे देश के क्रान्तिकारी वीरों ने एक नारा दिया था।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी ओउमवेश-

मान्यवर, सन्यासी हूँ, सन्यासी के 5 नम्बर ज्यादा होते हैं। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई यह नारा दे करके गये थे। आज मैं उनको कहना चाहता हूँ। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आँसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। मगर तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। क्रान्तिकारी वीरों ने जो यहाँ पर आजाद करा करके गये हैं।

महोदय, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ी को तोड़ करके गये हैं। इस देश और प्रदेश की हालत को देखकर आज वो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कवि बहुत सुन्दर शब्दों में उनको कहता है कि ''चमन को देख ले आकर, चमन को सींचने वाले। यहाँ पर सैय्याद फिरते हैं, परों को नोचने वाले। हमें अपने ही गुलशन से निकल जाने को कहता था, मिटा डाला तुझे गैरों की नगरी भेजने वाले। यहाँ अब रोज ही होते हैं, कत्लेआम सड़कों पर। गवाही तक नहीं देते, नजारा देखने वाले। हम अपने खून से लिखते रहे हैं, दास्तां अपनी। हमें ही गद्दार कहते हैं, वतन को बेचने वाले। चमन को देख ले, आकर चमन को सींचने वाले''।

महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा है, वह असत्य का पुलिन्दा है। वह किसान, मजदूर, बुनकर, अल्पसंख्यक विरोधी है। यहाँ तक कि विधान सभा सदस्यों का विरोधी है। सदन में पाँच करोड़ देने की घोषणा करने के बाद भी नहीं दिया। अपने पक्ष के लोगों को तीन करोड़ अतिरिक्त दे रहे हैं। नारा देते हैं, 'सबका साथ, सबका विकास'। कैसे होगा, 'सबका साथ, सबका विकास'। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 'ये किसने लूट मचाई, मजदूर तेरी छान में। किसान तेरी छान में, मजदूर तेरी छान में ये किसने लूट मचाई, मजदूर तेरी छान में''।

श्री अधिष्ठाता-

स्वामी जी कृपया समाप्त करें। इस प्रकार से नहीं हो पायेगा। आप समय की मर्यादा को देखें।

श्री स्वामी ओउमवेश-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे।

''पूंजीपति की शादी में कुत्ते भी खा रहे मिठाई। पर रोटी नहीं खिलाई, मजदूर तेरी छान में''।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। आपका धन्यवाद।

श्री स्वामी ओउमवेश-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

स्वामी जी, समय की मर्यादा हम सबको रखनी पड़ेगी। आपका लगभग साढ़े बारह-तेरह मिनट हो गया है। आप लिखकर दे दीजिएगा।

श्री स्वामी ओउमवेश-

मान्यवर, केवल एक मिनट और लेना चाहूँगा हमारे यहाँ चाँदपुर में दोनों रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनना जरूरी है। पैजनिया-चाँदपुर मार्ग का चौड़ीकरण होना जरूरी है। चाँदपुर-बास्टा मार्ग का चौड़ीकरण होना जरूरी है। चाँदपुर व बास्टा में स्टेडियम बनना जरूरी है। चाँदपुर व बास्टा में 100 बेड का हॉस्पिटल बनना जरूरी है। चाँदपुर फीना से होता हुआ नूरपुर-शिवाला मार्ग का चौड़ीकरण होना जरूरी है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अखिलेश यादव जी के लिए एक शेर पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूँगा।

''दिये प्यार के जलाने चला हूँ, मैं दीवारे नफरत की गिराने चला हूँ। सभी धर्म के फूल हैं इस चमन के, यही बात सबको बताने चला हूँ''।

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का घोर विरोध करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं सभी मा0 सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे वक्तागण हैं दोनों पक्षों से और सभी दलों के कार्यकर्ता, सभी विधायकों का मन है कि वह सदन में अपनी बात रख सकें। तो आप अपने विषय को अधिकतम 5 से 7 मिनट के बीच में समाप्त करने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में बार-बार टोकने से न केवल मा0 सदस्य को असहजता होती है, बल्कि मुझे व्यक्तिगत रूप से असहजता महसूस होती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी साथी एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम सब साथियों को बोलने का मौका मिल जाएगा।

श्री गणेश चन्द्र-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय डा0 नीलकण्ठ तिवारी अपने सदन के साथी जिन्होंने मा0 राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा, मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करते हुए, सन्त कबीरनगर की धरती से चलकर धनघटा विधान सभा क्षेत्र के सामान्य परिवार से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज इस सदन में मा0 राज्यपाल महोदया के द्वारा जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी अभिभाषण रहा मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, मेरी सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अनवरत सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास जैसे एक ध्येय को लेकर उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए अनवरत कार्य कर रही है। जिस प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि के साथ, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में अन्य प्रदेशों तथा कई देशों से जिस प्रकार से मा0 मंत्रीगणों का कई देशों में जाकर जो प्रदेश के विस्तार के लिए प्रदेश में व्यापक रोजगार के लिए, व्यापक उद्योग के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ इनवेस्ट करने का प्रस्ताव आया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जनपद सन्त कबीरनगर प्रदेश में छोटा सा जनपद है जहां पर उद्यमियों की बैठक रखी गयी, जहां के उद्यमी 7 हजार करोड़ तक का प्रस्ताव लाए हैं। जहां के छोटे-छोटे उद्यमी पूर्वांचल में होजरी का काम करने वाले हैं उन लोगों के द्वारा रॉ मटेरियल एवं खाद्यान्न लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक एवं लोहे काम के लिए व तमाम प्रकार के उद्योग के लिए लोगों ने प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से शिक्षा की दृष्टि में प्राइमरी तथा जुनियर एवं उच्च शिक्षा में जिस प्रकार से अनवरत पूरे मनोयोग से काम कर रही है, जिसमें नामांकन की वृद्धि प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें नकल रोक कर शिक्षा का उच्च स्तर प्रदान करने का एवं शिक्षा की दृष्टि से तमाम प्रकार से सुविधाओं को लाकर जिस प्रकार से प्राइमरी पाठशालाओं पर कार्य कर कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय को चमकाने का कार्य कर रही है, निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक शानदार काम कर रही है। मान्यवर हमारे यहां द्वाब का क्षेत्र है हमारे यहां गंजी मूगंफली, मिर्चा, हल्दी इस तरह की उपजाऊ भूमि है जिसमें मैं मा0 सदन के माध्यम से चाहता हूँ कि उसका व्यवसायीकरण बढ़ाया जाए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार निचले संवर्ग के लिए जिस प्रकार से आवास, शौचालय, गैस, राशन से हमारे समाज दलित संवर्ग का जीवन स्तर बदल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। मान्यवर, किसानों के हित में चीनी मिलें जिस प्रकार से मुण्डेरवा चीनी मिल गोरखपुर फब्लाइज, पिपराइच मिल जैसे चीनी मिलें बन्द पड़ी थी, उनको चालू करके गन्ने का भुगतान करके ठीक प्रकार से कार्य किया जा रहा है और मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से बेटियों के जन्म से ले करके मातृत्व योजना सुकन्या योजना एवं मुख्य मंत्री विवाह योजना के तहत सारे खर्च दिये जा रहे हैं। जिन बेटियों को अभिशाप

समझा जाता था उसके लोक कल्याण करने का कार्य सरकार कर रही है। दिव्यांगों को ट्राइसाईकिल दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य संक्षेप करें।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 45 जनपद में मेडिकल कॉलेज खुले, 04 अभी पेंडिंग चल रहे हैं वह अभी शीघ्र ही खुल जायेंगे। इसी क्रम में, मैं चाहता हूँ कि सुबखरी का चिकित्सालय निर्माणाधीन है, इसमें रिवाइज्ड बजट जाने के बाद भी जो संस्था काम नहीं कर रही है, सन्तकबीरनगर के धनघटा विधान सभा क्षेत्र में उस चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ हो। बखिरा झील की जो चमक है वहाँ जिस प्रकार से पीतल का व्यवसाय है। मुखलिसपुर में होजरी और बरदहिया में जिस प्रकार से होजरी व अन्य कपड़ों का व्यवसाय है इन सबको गति प्रदान करने के लिए ठीक से उस पर आप द्वारा प्रकाश डाला जाये। यह मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ। मान्यवर, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो हमारे धनघटा क्षेत्र के वीर चक्र विजेता शहीद सत्यवान सिंह जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, मैं चाहता हूँ कि उनके ग्राम पंचायत चोरांग में विकासवादी नीति के द्वारा उनके गाँव पंचायत को लोक कल्याण, लोक प्रेरणा का केन्द्र बनाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करिये।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, कुआंनो नदी पर मुडियारी चौरा घाट का पीपा पुल एवं मुखलिसपुर से लेकर सिकरीगंज तक सन्तकबीरनगर में जो नदी का बंधा है, उस बंधे को 07 मीटर तक चौड़ा करके हमारे धनघटा विधान सभा क्षेत्र को दुगुनी गति से कार्य करने की गति मिले। मान्यवर, इसी के साथ में एक प्रमुख विषय उठाना चाहता हूँ। जिस सम्वर्ग से मैं आया हूँ सफाई कर्मचारी, उन सफाई कर्मचारियों के हित में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा विषय इस सदन के माध्यम से प्रकाश में आये। मान्यवर, वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज द्वारा राजस्व ग्राम में 1 लाख 8 हजार 848 सफाई कर्मचारी नियुक्त हुये हैं। वर्ष 2008 के शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की जायेगी। 16 दिसम्बर, 2021 में विभागीय सेवा नियमावली बनाने के लिए 05 सदस्यीय समिति गठित होती है परन्तु अभी तक सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पायी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, दो मिनट का समय लूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, समय की सीमा आप सबको रखनी पड़ेगी कृपया अब संक्षिप्त करके समाप्त कर दें।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, इस पर कोई वित्तीय व्यय भार नहीं पड़ रहा है। 1,08,848 सफाई कर्मचारी का परिवार असहाय निराश और हताश है। सदन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उन कर्मचारी साथियों को विभागीय सेवा नियमावली प्रदान की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त कर दें।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, श्रद्धेय मोदी जी (इस देश का यशस्वी नेतृत्व) ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान को जिस प्रकार से विश्व स्तर तक बढ़ाया है, इस सदन के माध्यम से मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ। सदन के साथी हमारे बड़े भाई संग्राम यादव जी जो कल विषय रखे थे।

श्री अधिष्ठाता-

समय की सीमा हम सबको बांधकर रखनी पड़ेगी। अब समाप्त कर दीजिये।

श्री गणेश चन्द्र-

मान्यवर, इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का सादर आभार प्रकट करते हुए जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनायें चला रही हैं। मा0 संग्राम यादव जी जो भूलभुलैया और इमामबाड़ा सहित तमाम तरह के उदाहरण दे रहे थे कि मा0 अखिलेश यादव जी ने बनाया है। इसी के साथ हम सबकी आस्था है जो कॉरीडोर बने हैं, अयोध्या में भगवान श्रीराम जी के भव्य मंदिर का जो भव्य निर्माण चल रहा है, काशी कॉरीडोर, विन्ध्य कॉरीडोर, नैमिसारण्य जैसे तमाम विकास कार्य चल रहा है उसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ।

महोदय, नाथ नगर महुली को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना जनहित में आवश्यक है तथा पौली, लौहरया, काली, जगदीशपुर को थाना बनाया जाना न्याय संगत है एवं लोहरैया में बिजली सब-स्टेशन की स्थापना जनता जनार्दन के लिए हितकर रहेगा। मैं पुनः सबका आभार प्रकट करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम, जय-जय श्रीराम ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री लक्ष्मीराज सिंह जी आप 5 से 7 मिनट के अन्दर अपनी बात रखें।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र सं0-64, सिकन्दराबाद से आता हूँ और पहली बार चुन करके सदन में आया हूँ। मैं वहाँ की जनता को शीश झुकाकर वन्दन व अभिनन्दन करता हूँ उन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व सरकारों में भय का माहौल व्याप्त था परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल बना है, उसके लिए में उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। पूर्व की सरकारों में गुण्डे, माफियाओं का बोलबाला रहता था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व की सरकारों में गुण्डों व माफियाओं का बोलबाला रहता था और सरकारें गुण्डों के आगे नतमस्तक रहती थीं, लेकिन योगी जी की सरकार में गुण्डे, माफिया या तो जेलों में है, या प्रदेश के बाहर है या प्रदेश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने की ओर यह सरकार अग्रसर है, मैं सरकार को बधाई देता हूं। मुझे इस लोकतंत्र के मन्दिर में यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब भी हम अन्य प्रदेश में जाते हैं तो वहां की जनता यह कहती है कि हमारे प्रदेश में भी योगी जैसे मुख्य मंत्री होते तो हमारा प्रदेश भी आज आगे बढ़ रहा होता। मैं उन्हीं के शब्दों पर अपनी दो लाइन पेश करता हूं। ''वह करता है सबकी हिफाजत तो देखो, वह सन्त है उसकी ताकत तो देखो। हो सबका साथ, सबका विकास उसका आईना है, एक बार उसकी आवाज में आवाज मिलाकर तो देखो।'' मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहता हूँ कि एक बार उनकी आवाज में आवाज मिलाकर देखें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में किसानों के हितों की रक्षा की जा रही है। पुरानी सरकारें किसानों की बातें करती हैं। मेरे यहां एक चीनी मिल थी, जिसको बसपा सरकार ने बेचने का काम किया था और सपा सरकार ने उसको संरक्षण देने का काम किया था, लेकिन वर्ष 2017 में जब हमारी सरकार आयी तब उसको आदरणीय योगी जी ने चलाने का काम किया। मिल मालिक से कह दिया कि या तो इस मिल को चलाओ या हम खुद इस मिल को चला देंगे, उसको वह मिल चलानी पड़ी।

हमारी सरकार आज किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। किसान सम्मान निधि के साथ किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। मेरे विपक्ष के साथी अभी किसानों की बातें कर रहे थे, उनकी सरकारों में जब किसान घर में सोता था तो उस समय उसकी मोटर चोरी हो जाती थी, जब वह खेत में सोता था तो उसकी भैंस चोरी हो जाती थी। उस समय इस स्तर की कानून व्यवस्था हम देखते थे। आए दिन हंगामा हुआ करता था, किसान उस समय परेशान रहता था। आज किसान पंखे के नीचे आराम से सोता है, उसको 18 से 20 घण्टे बिजली मिलती है, नगर में 24 घण्टे बिजली रहती है। आज हमारी सरकार लगातार 24 घण्टे बिजली

देने का काम कर रही है। आज सरकार के माध्यम से शिक्षा का कायाकल्प किया गया है। जितने भी हमारे स्कूल हैं, सभी में वहां की बिल्डिंगे बनायी गयी हैं, वहां पर कायाकल्प के माध्यम से बच्चों का भी कायाकल्प किया गया है। बच्चों को स्वेटर, मोजे, कपड़े, बस्ते आदि देने का काम किया गया है और सीधे वह पैसा अभिभावक के खाते में जाता है। कहीं किसी हेराफेरी का मामला नहीं रहता है। उसके साथ-साथ मेरे यहां खगोलीय लैब बनी है, उसको लोग पूरी दुनिया में देखते हैं। खगोलीय लैब के माध्यम से बच्चा जितनी भी खगोल की चीजें हैं, उनको जानता है। आप मेरे क्षेत्र में जायेंगे तो देखेंगे कि बाहर के प्रदेशों के लोग भी आज वहां खगोलीय लैब देखने आ रहे हैं। कितनी दूरी किस ग्रह के बीच में है, कब चन्द्रग्रहण होता है, कब सूर्यग्रहण होता है, यह आपको वहां का छोटा-छोटा बच्चा बता देता है।

हमारी सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। जो देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो कान्वेंट की शिक्षा होती थी, उससे भी अच्छा काम करके हमारी सरकार आज विद्यालयों में काम कर रही है। लगातार उच्च शिक्षा के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में काम किया जा रहा है। ग्लोबल समिट के माध्यम से हम देखते थे कि पुरानी सरकारों में प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज हमारी सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी की बहन-बेटी की ओर देख सके। हमारे विधायक जी कह रहे थे कि जब वह चलते थे तो 10 बसें साथ चलती थीं, मैं कह रहा हूँ कि सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में कानवॉय लगती थी। कानवॉय के माध्यम से 2 सिपाही बस में आगे बैठते थे और पीछे 10-12 बस इकट्ठी होती थीं तब बसें जाया करती थीं, यह कानून व्यवस्था थी, लेकिन आज हमारी सरकार में रात के 12 बजे भी कोई अपने घर से जाना चाहे तो अपने यहां जा सकता है। इसी कारण आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 देशों के लोग हमारे यहां निवेश करना चाहते हैं। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। लगातार दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। यह कहते हुए कि आज जो निवेश आ रहा है, उससे बहुत सारे रोजगार मिलेंगे और रोजगार मिलेगा तो घरों में खुशी होगी, नौजवानों को खुशी होगी। रोजगार के माध्यम से हम लोग एक बड़े स्तर पर नौकरियां देने का काम करने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य समय का ध्यान रखते हुए समाप्त करें।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोरोना के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा का काम कर रहे थे। अन्य दलों के लोग घरों में सो रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने नहीं आती है, उनके कार्यकर्ता लगातार सेवा का काम करते हैं।

मान्यवर, प्रत्येक घरों को राशन देने का काम किया, प्रत्येक घरों को दवाई पहुंचाने का काम किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग सरकार के काम कर रहे हैं। मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ कि सन्त शिरोमणि सन्त रविदास जी ने लगभग 520 वर्ष पूर्व कहा कि ऐसा चाहूँ राज्य मैं जहाँ मिले सबको अन्न और छोटे बड़े सभी रहे प्रसन्न। तो हमारे मा0 योगी जी मा0 मोदी जी लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। मैं आयुष्मान भारत का जिक्र करना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत के माध्यम से जितने भी हमारे प्रदेश और देश के गरीब हैं, उनका इलाज किया जाता है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि प्राइवेट अस्पताल की चिकित्सा काफी महंगी हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप अब समाप्त करिए।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार सबको इस योजना का लाभ दे, इसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री चाहे प्रधानमंत्री आवास हो चाहे मुख्य मंत्री आवास हो, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बन गया है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है माननीय सदस्य आप अब समाप्त कर दीजिए।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, पहली बार मौका मिला है आपने मौका दिया है थोड़ा समय दें महक उठा है यह आंगन जब से मोदी, योगी आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है मोदी, योगी जी जन्मों-जन्मों से आप हमारे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप बैठ जाएं नहीं तो मुझे मजबूरन माइक बन्द कराना पड़ेगा। सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखिए।

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि पचासों वर्ष से पुराना औद्योगिक क्षेत्र है मैं चाहता हूँ कि उस पर काम किया जाए। चोला औद्योगिक क्षेत्र जो बसपा के कार्यकाल में वहाँ पर जमीनों का अधिग्रहण हुआ था वह छब्बीस सौ एकड़ जमीन किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ कि किसान तैयार है वहा इण्डस्ट्री लग सकती है आज सारे निवेशक हमारे देश, प्रदेश में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसका भी निस्तारण हो। आज प्रदेश में 65 प्रतिशत आबादी नौजवानों की है। क्षेत्र में एक स्टेडियम की मांग करता हूं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा, देखा और समझा, महामहिम राज्यपाल ने सरकार की नीतियों को उजागर करने का काम किया उस दस्तावेज में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी हम सराहना करें और यह बताएं कि सरकार गांव के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित के पक्ष में यह उनके पुनर्वास के लिए, उनके उत्थान के लिए, कोई ठोस कार्यक्रम शुरू करने जा रही है या किया है। केवल थोथे नारों पर यह सरकार चल रही है लगता है जो भी इनके नारे हैं वह केवल कागज में हैं, मंचों से हैं और लोगों को धोखा देने वाले हैं। यह सरकार न तो गरीब की है, न पिछड़ों की है, न किसानों की है, न तो बेरोजगार नौजवानों की है। उनके लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। केवल हमारे समाज को बाँट करके हिन्दू, मुस्लिम में नफरत फैला करके ऊँच-नीच का भेदभाव करके समाज को बाँटने का काम यह सरकार कर रही है। केवल नारों पर यह चुनाव में जाते हैं और लोगों में जहर फैला करके किसी तरह से यह चुनाव जीतने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी समरसता की बात करती है समाजवादी पार्टी समाजवादी सोच की बात करती है।

(इस समय 06 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता श्री उमाशंकर सिंह पीठासीन हुए)

गरीब, पिछड़े अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की बात करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। जब भी अवसर मिला है हम लोगों ने यह कर के दिखाया है कि समाज के अन्तिम व्यक्ति को हम लोगों ने ऊँचाइयों पर लाकर उसके उत्थान के लिए एवं उनके विकास के लिए काम किया है। प्रदेश को नई ऊर्जा देकर मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मा0 मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का और लोगों की भलाई करने का काम, विकास करने का काम हम लोगों ने किया था। आज मैं मा0 नेता विरोधी दल के बाद मा0 उप मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, उनको समाजवाद की परिभाषा नहीं मालूम है, शायद उन्होंने डा0 लोहिया की किताब को नहीं पढ़ा है। उन्होंने न तो कभी समाजवाद को पढ़ा है और न ही कभी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। वह न तो डा0 लोहिया को जानते हैं, न जनेश्वर मिश्र जी को जानते हैं, न मोहन सिंह को जानते हैं, न गेंदा सिंह को जानते हैं और न ही हमारे समाजवादी पुर्खों को जानते हैं। वह तो दल-बदल के माहिर हैं, उन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी में रुपया देकर मंत्री बनने का काम किया, रुपया देकर सांसद बनने का काम किया और जब वहां से ठोकर मार दी गयी तो भाजपा में घुस कर मंत्री बनने का काम किया है। वह समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते हैं और इललीगल आरोप लगा रहे हैं।

आज बलात्कार हो रहा है, आज थानों में गरीब किसान की बात नहीं सुनी जा रही है, आज लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बलिया जनपद में रंगलाल गुप्ता जो कि भाजपा का ही कार्यकर्ता था उसने गोली मार कर आत्महत्या कर ली और भाजपा के ही माफिया लोग जो उसको सूद पर पैसा दिए थे जबरन उसका खेत, घर और दुकान लिखवाने का काम किए हैं। आज यही लोग माफियागिरी का काम कर रहे हैं। यह अराजक तत्व जो आज सरकार में हैं वही थाना और तहसील चला रहे हैं। आज किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। आज सत्ताधारी पार्टी के मा0 सदस्यों की भी बात थाने, तहसील, कलेक्ट्रेट और एस0पी0 के यहां नहीं सुनी जा रही है। वह लोग भी जब मिलते हैं तो अपनी पीड़ा बताते हैं। कोई सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। थाने और तहसील पर कोई सुनने वाला नहीं है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। एक लेखपाल भी 20 हजार 25 हजार रुपया गरीब से लेता है तब जाकर उसकी पैमाईश करने का काम करता है। तमाम धांधलियाँ हो रही हैं, सड़के नहीं बन रही हैं, गड्ढामुक्त सड़कों का नारा सरकार ने दिया था, आज जाकर देख लीजिए सारी सड़के गड्ढायुक्त बनी हुई हैं। एक आध कहीं-कहीं चिप्पी लगा कर सही कर दी गयी हैं लेकिन यहां आकर बोलते हैं कि इतने हजार किलोमीटर सड़क हमने बनवा दी है।

हम अपने क्षेत्र की ही बात बताना चाहते हैं कि सिकन्दरपुर से देवकली तक गड्ढे में पूरी सड़क बदल गयी है, मालदा से पगुड़ी तक पूरी सड़क गड्ढे में बदल गयी है, सिकन्दरपुर से बालूपुर तक पूरी सड़क गड्ढे में बदल गयी है, बलिया रस्सल मार्ग से हम गाड़ी, मोटरसाईकल और पैदल नहीं जा सकते हैं। कई बार लिखा-पढ़ी की गयी प्रस्ताव मांगा जाता है हमारे विधायक प्रस्ताव भेजते हैं इसके बाद इस्टीमेट आता है लेकिन आज तक एक रुपया की भी स्वीकृति नहीं मिली है। मा0 मुख्य मंत्री जी अपने विधायकों सांसदों को बुलाकर मीटिंग करते हैं और उनसे धीरे से प्रस्ताव ले लेते है और नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहां है ? आज हमारे बलिया जनपद में अनुसूचित जनजाति में जो गौड़ और खरवार लोग आते हैं वह 20 साल से लगातार आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन उनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा रहा है, किसी तहसील में नहीं बन रहा है। आज अनुसूचित जनजाति में जो गौड़ एवं खरवार लोग हैं उनके लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है।

वे मारे-मारे फिर रहे हैं। उनकी बेटियों को शादी का अनुदान नहीं मिल रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। वे बेचारे परेशान हैं गोंड समाज के लोग। सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। एक गायिका जो बिहार की थी। केवल गा दिया कि यू0पी0 में का बा। उसको नोटिस भेज दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में लोकतंत्र है ही नहीं। आज अघोषित इमरजेन्सी प्रदेश में है। इसलिए में कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में खरीद करौली जो पीपा का पुल की जगह पक्का पुल कराया था, उसको अविलम्ब धन देकर कराया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिये। रिजवी जी आपकी बात आ चुकी है। कृपया समाप्त करें।

(सदस्य का माइक बन्द करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप सभी से आग्रह है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने यह व्यवस्था दी है चूंकि काफी माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे हैं। उन्होंने समय में थोड़ा संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि हर माननीय सदस्य 5 मिनट में अपने क्षेत्र की बात कह लें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 5 मिनट में जो बोलना हो वह बोल लें बाकी लिखित में दे दें, उसमें जोड़ दिया जायेगा।

***श्री कैलाश-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए में आपको शुभकामना व्यक्त करता हूँ एवं बधाई देता हूं। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डाक्टर नीलकण्ठ तिवारी जी द्वारा दिये गये भाषण का समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने सर्वग्राही, सर्व समाज के लोगों को काम के बल पर अपने विचार के बल पर सुशोभित किया है। ऐसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीब जनता से लेकर समग्र बन्धुओं का सहयोग किया है। जैसे कि हमारी विधान सभा क्षेत्र चकिया चन्दौली का वनवासी क्षेत्रों से सम्बन्ध है।

वनवासी क्षेत्रों में मुसहर समाज के लोगों को आवास देने का काम किया है। वह बहुत ही सराहनीय काम है। इस काम के माध्यम से उन्होंने उनके अवास को बनवाया। हमारे बेसिक शिक्षा विद्यालय बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे। उन्होंने कायाकल्प के माध्यम से उसको सुन्दर, सुव्यवस्थित किया। उसमें अच्छे अध्यापक नियुक्त किये। आज यह स्थिति है कि विद्यालयों में बच्चे पढ़ने के लिए दौड़े जाते हैं क्योंकि वहां की व्यवस्था अच्छी हो गयी है और समाज सुन्दर हो गया है। आपसे में निवेदन करता हूँ कि इस अमृत वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 01-12-2022 से 30-11-2023 तक जो जी0-20 की अध्यक्षता का अभूतपूर्व अवसर सौभाग्यपूर्ण है। जी0-20 की 200 से अधिक में से 11 बैठकों में मेजबानी उत्तर प्रदेश के चार शहरों में की जायेगी।

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के चार शहर लखनऊ, आगरा, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी शामिल है। वैश्विक समुदाय के सम्मुख अपने सांस्कृतिक विरासत व बुनियादी ढांचे को प्रस्तुत करने का अवसर होगा और उत्तर प्रदेश वैश्विक पटल से जुड़ सकेगा। उत्तर प्रदेश में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये गये निवेश से 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और 2926 करोड़ मानव दिवस मनरेगा के अन्तर्गत कार्य देने वाला उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पुलिस बल में महिलाओं की दोगुनी नियुक्ति होने से महिलाओं का हौसला बुलन्द है प्रत्येक थानों में साईबर क्राइम की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से समस्त जनपदों में पिंक बूथ स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और इससे महिला सशक्तीकरण को बल मिला है। प्रयागराज मेले में सफल आयोजन के कारण तीन करोड़ तीस लाख श्रद्धालुओं ने संगम में जाकर स्नान किया और इस आयोजन से हमारे प्रदेश की धार्मिक संस्कृति को बल मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी चकिया विधान सभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत लोग बनवासी क्षेत्र में निवास करते हैं और वहां से नदी चंदप्रभा निकलती है। उस नदी के बांध में होल हो गया था फिर मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने 12 करोड़ रु0 बांध को बनवाने के लिए स्वीकृत कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चकिया विधान सभा क्षेत्र में सावित्री बाई राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। वह वर्ष 1978 से स्थापित है लेकिन वहां विज्ञान वर्ग की कक्षाएं नहीं चलती हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां विज्ञान वर्ग की कक्षाएं चलवा दी जाए और एक बालिका विद्यालय भी चकिया विधान सभा क्षेत्र में देने का कष्ट करें। धन्यवाद ।

***श्री योगेश शुक्ला-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल चुका है यह वह रास्ता है जो आगे चलकर विकास के शिखर पर पहुंचेगा और पिछले 13 दिन के अन्दर दो बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए थे एक जी-20 समिट दूसरा इन्वेस्टर्स समिट। जी-20 उन देशों में आते हैं जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील देश है। उनका जो आयोजन हुआ है उसमें विकासशील देशों के भी मंत्री और डेलीगेट आये थे, वह भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था और शहरों को देखकर वाह-वाह करके गये हैं। मुझे लगता है इस देश की वह जो यादे लेकर गये हैं तो उससे पर्यटन और उद्योग के मामले में प्रदेश और भी आगे प्रगति करेगा ऐसा मेरा विश्वास हैं। इन्वेस्टर्स समिट में जो 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था लेकिन जब यहां पर उद्योगपति आये तो यहां दुनिया का बहुत ही बड़ा रिकार्ड बन गया केवल एक दिन के अन्दर 19 हजार इन्वेस्टर्स ने 34 लाख करोड़ रुपये के ओ0एम0यू0 साइन किये। महोदय आज में नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था उन्होंने लगातार महाराज जी की साख पर सवाल उठाएं और इस सरकार की साख पर सवाल उठाएं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी साख और क्या हो सकती है कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया और दुनिया के उद्योगपतियों ने 34 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात 37 सालों तक उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयी लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव के अन्दर यह निर्णय किया कि अगर उनको विश्वास है तो सिर्फ महाराज जी पर ही है इसलिए दोबारा उनको सत्ता सौपी गयी तो इससे बड़ी साख और क्या हो सकती है। अभी हमारे एक मित्र कनाडा से लौटे हैं जब रास्ते में उन्होंने कोरिया में अपनी फ्लाइट बदली तो एक सन्त उसमें आकर बैठ गये। उन्होंने कहा कि क्या आप भारत से हैं, तो इन्होंने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि में योगी महाराज जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि आप योगी जी के फैन हैं तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर के सबसे बड़े पुरोधा हैं। वह उस धरोहर को संभाल रहे हैं और वह सनातन परम्परा के सबसे बड़े संवाहक हैं। महराज जी की यह क्रेडिबिलिटी विदेशों में है। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था वहां पर मुझे पंजाब का एक डेलीगेशन मिला। उन लोगों को जब जानकारी हुई कि मैं उत्तर प्रदेश से विधायक हूँ तो वह हमसे चर्चा करने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका पंजाब इस समय नशे और गंभीर अपराधों से जूझ रहा है, इसी कारण से हम लोगों ने सरकार में परिवर्तन किया था, लेकिन अब हम लोग निराश हैं कि सरकार में परिवर्तन के बाद भी यहाँ की स्थितियों में बदलाव नहीं हो पा रहा है, इसलिये अब हम लोगों को लगता है कि जब पंजाब में योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्तित्व बैठेगा तभी पंजाब का कल्याण हो सकेगा। यह सोच है विदेश और देश में रहने वाले लोगों की।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था तो उस समय जिस तरीके से महराज जी ने कार्य किया तो दुनिया की सरकारों ने यहां तक की आस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा था कि आखिर यह कौन सा मेकेनिज्म है, जिससे योगी जी ने इतने बड़े प्रदेश को कोरोना से संभाला है। यह कोई मेकेनिज्म नहीं था। यह त्याग, तपस्या, परिश्रम और समर्पण का मेकेनिज्म था, जहां 25 करोड़ लोगों को तरजीह दी गई और अपने पिता की मृत्यु पर भी नहीं जाया गया। जो मुख्य मंत्री ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार की बजाय जनता के साथ खड़ा है उनसे अच्छा मुख्य मंत्री भला और कौन हो सकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैंने देखा कि बार-बार महराज जी को चुनौती दी जा रही थी कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम चलो, हमसे मैच खेलो, आप एक बॉल नहीं खेल पाये, आप हमारी एक भी बॉल का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 से लगातार देख रहा हूँ कि जितनी भी बॉल अखिलेश जी ने फेंकी होंगी चाहे वह स्पिन हों, चाहे वह बाउंसर हों, चाहे वह ओवर पिच हो, ऐसी कोई भी बॉल नहीं जिसमें महराज जी ने छक्का ना लगाया हो और महराज जी द्वारा फेंकी गई एक भी बॉल का मुकाबला अखिलेश जी नहीं कर पाये और सभी बॉल पर बोल्ड हुये हैं, रन तो बनाना दूर की बात है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन यह महानगर का विस्तारित क्षेत्र है इसलिये यहाँ पर अतिरिक्त ध्यान दे दिया जाये ताकि यहां का सम्पूर्ण विकास हो सके। यहाँ पर कई सड़कों को बनाये जाने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखकर दे दीजियेगा और इसे सम्मिलित कर लिया जायेगा। अब श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी बोलेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने संशोधन के प्रस्ताव पर पूरी तरह से सरकार की कलई खोलने का काम किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मँहगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी बढ़ी है। कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरी तरह से किसान, नौजवान, मजदूर और बेरोजगार परेशान है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों को समय से ना तो खाद मिल पा रही है और ना ही बिजली मिल पा रही है। बिजली, डीजल और पेट्रोल की कीमत में बहुत बढ़ोत्तरी की गई है। किसान अगर किसी तरह से फसल पैदा कर रहा है तो उसको उसका उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है। हम जनपद चन्दौली से आते हैं जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के धान का निर्यात विदेशों में होता है। यहां का किसान काला धान पैदा करता है। दो साल हो गये हैं किसानों को धान दिये लेकिन आज तक उनके धान के मूल्य का भुगतान करने का काम नहीं किया गया है। वहां पर किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार और अन्याय करने का काम किया जा रहा है इसे मैं एक घटना के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर पचदेवरा बरिगा, डिगवट बेसुड़ा और जमुनीपुर ऐसे पाँच गांव थे जहां उनकी भूमिधरी थी और उनके बाप-दादा के नाम पर जमीन थी। इसके अलावा उनको पट्टे में भी जमीन मिली थी। पूर्ववर्ती सरकार ने वहां पर जेल बनाने के लिए उनकी जमीन अधिग्रहीत की थी जिसका मुआवजा भी उनको दिया गया था, लेकिन सरकार किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार करके खतौनी से उनका नाम हटाकर उस जमीन को तालाब दर्ज करके उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है।

मान्यवर, पूरी तरह से 1818 एकड़ जमीन है। उनको कोई कागजात भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। सड़कें पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुकी हैं। यह गड्ढामुक्ति के नाम पर धन की बन्दर-बांट करने का काम कर रहे हैं। यह चन्दौली जनपद में एक भी विकास का काम नहीं कर रहे हैं। चन्दौली जनपद में एक भी स्वीकृति सरकार बनने के बाद नहीं हुयी है। आज सड़कों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि विधायकों को जो विधायक निधि की सदन में मा0 नेता सदन ने घोषणा की थी उसको भी देने से सदन में नकारने का काम इन्होंने किया है। कानून व्यवस्था का यह हाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की हत्यायें हो रही हैं। चाहे कानपुर की घटना हो, माँ-बेटी को जलाकर मारने का काम हुआ, चाहे गोरखपुर में व्यापारी की हत्या करने का काम हुआ हो, जबकि वहाँ से स्वयं

मुख्य मंत्री जी आते हैं। जनपद चन्दौली में लगातार 2-3 व्यापारियों की हत्या हुयी है। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद है। यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर नल योजना के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज चन्दौली जनपद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गाड़ियों में भारतीय जनता पार्टी का झण्डा लगाकर अपनी गाड़ियों में जनप्रतिनिधि का पास लगाकर जो कम्पनियाँ काम कर रही हैं या जो विभाग या जल निगम का काम कर रहा है उनसे रंगदारी मांगने का काम रहे हैं। एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि यह लोग उन अधिकारी के आवास पर गये उनके कार्यालय पर गये उनको मारा-पीटा गया। फिर किसी तरह मुकदमा लिखा उनकी जमानत हो गयी लेकिन वह दोबारा जब आये तो इन्होंने उनको फिर पीटने का काम किया। आज तक यह लोग उनको धमकियाँ देने का काम कर रहे है। इसी तरह से हर घर नल योजना जो जल जीवन मिशन की योजना है। यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको यह लोग खुद विरोध करने का काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जहाँ कानून-व्यवस्था खराब है। चन्दौली जनपद जो बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बार्डर पर है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गोकशी और तस्करी करने का काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई महीना नहीं होता है जब चन्दौली जनपद के बार्डर पर शराब की खेप न पकड़ी जाती हो। कोई महीना ऐसा नहीं है जब गौवंश जो गौकशी के लिए दूसरे प्रांतों में भेजे जाते हैं ऐसा करने वालों को गिरफ्तार न किया जाता हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से बड़े पैमाने पर सरकार की शराब की तस्करी बिहार और दूसरे प्रदेशों में हो रही है। बराबर गौकशी का काम हो रहा है। हमने अधिकारियों से पूछा कि क्या कारण है कि जब गौकशी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, शराब तस्करी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। यह गोरखधंधा रोकने का काम नहीं हो रहा है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इसमें पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी तरह से मिलीभगत है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये। श्रीमती रजनी तिवारी।

(श्रीमती रजनी तिवारी के अनुपस्थित रहने पर)

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को बारे में आपको बताना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

यह आपको पहले बताना चाहिए था।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया था। आज 06 साल हो गया है लेकिन मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नहीं किया गया है। हमारे क्षेत्र की सड़कें बहुत खराब

हैं। चाहे भपौली, चहनियाँ, मुगलसराय मार्ग हो, तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनमें बहुत गड्ढे हैं। उनको ठीक करवाने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। आप लिखकर दे दीजिए वह कार्यवाही का पार्ट हो जायेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, जो भी संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है मैं उस पर बल देता हूँ और हमारे मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार की जो कलई खोलने का काम किया है मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, प्रदेश के समग्र विकास हेतु इन्वेस्टर्स समिट-2023 में दुनिया के लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को महाकुम्भ का स्वरूप प्रदान किया। विश्व ख्याति प्राप्त तमाम उद्योगपति इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस समिट से करोड़ों लोगों के रोजगार के नये आयाम सृजन होने का मौका मिला है। मैं कहना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के दौरान हमारे विपक्ष के कुछ साथी उनका विरोध कर रहे थे। मैं उन विपक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर वह पूर्ववर्ती सरकारों में ठीक ढंग से कार्य किए होते तो उनको निश्चित रूप से आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उनकी सरकार के समय भय, गुण्डाराज, भ्रष्टाचार, बिजली कटौती की समस्या ज्यादा होती थी।

श्री अधिष्ठाता-

कंट्रोल रूप के लोग इस बात का ध्यान दें कि जब मा0 सदस्य अपनी सीट से बोल रहे हैं तो उनके खड़े होते ही कम्प्यूटर स्क्रीन पर उनका ही नाम आना चाहिए। मा0 सदस्य श्री मनीष जायसवाल-330, पड़रौना से है।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण जो उन्होंने दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 20 फरवरी, 2023 को दिया था। मैं उसके संदर्भ में धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपको एवं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आज बोलने का अवसर प्रदान किया गया। लखनऊ की सरजमी पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इससे हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के उद्योग एवं कल-कारखाने लगने की संभावनाएं बढ़ी है। इस महाकुम्भ के आयोजन से लगभग एक करोड़ लोगों को नये रोजगार के संसाधन मिलने की सम्भावना है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों की सरकारों में अच्छी सड़कें नहीं थी जिससे इस तरह के आयोजन नहीं हो पाये। हम खासतौर से इनके बारे में एक ही चीज कहना चाहेंगे कि-

'मुझको तमीज की सीख देने वालों,
मैंने तेरे मुंह में कई जुबान देखा है।
और तू इतना दिखावा भी न कर,
अपनी झूठी ईमानदारी का,
मुझे कुछ कहने से पहले, तूने अपना गिरेबान देखा है।'

मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पड़रौना शहर के जिला मुख्यालय से जुड़े होने के कारण, चूंकि बिहार से हमारे यहां पर आने का मुख्य रास्ता है और बिहार के रास्ते से आने वाली मुख्य सड़क पड़रौना शहर से होकर गुजरती है जिससे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। जाम की समस्या से निदान के लिए हम चाहेंगे कि पड़रौना शहर में एक बाई-पास सड़क का निर्माण किया जाए। हमारे क्षेत्र में सिंघा पट्टी ग्राम सभा के अन्दर बहुत खेल प्रेमी हैं। मेरा कहना है कि वहां पर एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अंकुर तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर...

(किसी सदस्य द्वारा बोलने का समय बढ़ाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, मा0 सदस्य दो मिनट पहले बोल चुके थे, चूंकि स्क्रीन पर नाम दूसरे मा0 सदस्य का चल रहा था इसलिए बाद में दो मिनट और दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी ने पांच मिनट बोलने की व्यवस्था बनाई है इसलिए कृपया आप लोग सहयोग करें।

***श्री अंकुर तिवारी-**

बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल महोदया जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का दर्पण होता है। निश्चित तौर पर महामहिम राज्यपाल महोदया ने जिस तरीके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से अपना अभिभाषण रखा है वह 22 करोड़ से अधिक की जनता के सामने सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को रखने का काम किया है। हमारी सरकार जिन नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश को एक नये युग की ओर लेकर चल रही है। जहां कानून की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, दूसरी ओर प्रदेश तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से प्रगति के नये आयामों को छू रहा है। मान्यवर, इस बजट में विशेषकर महिलाओं को, किसानों को, शोषितों को, व्यवसायियों को, नौजवानों को पूरी तरीके से इसमें देखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे विपक्ष के नेताओं ने ये कहा है और कानून व्यवस्था पर हमारी सरकार को घेरने का काम किया है, वह निश्चित तौर पर उनकी बौखलाहट है। जिस तरीके से कानून-व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में है जिसकी चर्चा पूरे देश में, दूसरे प्रदेशों में और हमारे उत्तर प्रदेश के हर जाति धर्म और निचले तबके के लोगों में है, आज उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से व्यवसायी वर्ग देख रहा है, हमारे प्रदेश से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर जो लोग व्यवसाय कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में आकर दोबारा व्यवसाय कर रहे हैं इसके लिए में हृदय से आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देता चाहता हूँ कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल हमारे उत्तर प्रदेश में दिया है उसकी कल्पना कभी कोई नहीं कर सकता था।

मान्यवर, मैं पूर्वांचल से हूं, सन्त कबीर की धरती मगहर हमारे ही क्षेत्र में है, मैं खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। मैं पूर्वांचल की स्थिति आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में किसानों को खाद लेने में परेशानी होती थी, मैं योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनसे वहां फर्टीलाइजर की फैक्ट्री का शुभारम्भ कराकर किसानों को खाद उपलब्ध कराई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मान्यवर, नौजवानों की बात की जा रही थी, नौजवानों की जो स्थिति समाजवादी सरकार में थीं, आप सब लोग उससे वंचित नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों की ही भर्तियां होती थी और नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था। मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर बाबा कामेश्वर नाथ धाम, जिसमें लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वहां मेले में आते हैं। मैं उसको नगर पंचायत बनाने के लिए आपके माध्यम से इस सदन से मांग करता हूँ कि हमारे उस कामेश्वर नाथ धाम को नगर पंचायत बनाया जाये, जो भी मानक होते हैं वह उसको पूरा करता है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में एक ब्लाक काँटें ब्लाक की मांग आपके माध्यम से करता हूं। मान्यवर, हमारे यहां समरीयावां ब्लाक में 113 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें दो लाख बयालीस हजार तिरपन से ज्यादा लोग रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज दोगुने से भी ज्यादा होंगे, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक नए ब्लाक का सृजन हो जाए जो काँटे में आता है और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सदन के एक साथी जिन्होंने अभी यह कहा कि

हम लोग अपनी सरकार में ही बोलते समय कहते हैं, अपनी माँगें उठाते हैं, अपने सवाल उठाते हैं, अपने काम बताते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वह भी पहली बार के हैं और मैं भी पहली बार का हूँ। उनको योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब लोग भाषण के दौरान अपनी बात रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएँ रखते हैं और इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार उन समस्याओं को सुन करके उनका निदान कर रही है, इसके लिए उन्हें हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 पल्लवी पटेल।

डा0 पल्लवी पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आज इस सदन में आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अवसर प्रदान किया, इस बाबत में आपकी और पूरे सदन की आभारी हूँ। ग्लोबल समिट और इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर ये तमाम घोषणाएँ महज एक छलावा है। जब तक यह साफ-साफ प्रदेश की जनता के सामने न रखा जाए और यह बताने का काम न किया जाए कि पूर्व में इस तरीके के जो आयोजन किए गए, इसका प्रदेश को क्या लाभ मिला और मान्यवर, यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि यह लाभ कागजों पर लिखे आँकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल में आम जनता को खुद दिखने चाहिए। सरकार यदि उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है और बढ़ावा देने की नीयत अपनाती है, नीति अपनाती है तो मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसमें वह उद्योग लगाने का व व्यवसाय करने का अवसर प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश, मेरे प्रदेश के नौजवानों को मिलना चाहिए। यह तो एक तरीके की ठगी हुई, मान्यवर कि रोजगार के नाम पर मेरे प्रदेश के नौजवानों को इस प्रदेश का पैसा खर्च करने के बाद, विज्ञापन देने के बाद, शोर-शराबा करने के बाद सिर्फ मजदूरी करने का अवसर दिया जा रहा है। मैं कल से इस सदन में हो रही चर्चा को सुन रही हूँ। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखने का काम किया और इस दौरान मैंने अपने एक सम्माननीय सदस्य की बात सुनी, जिन्होंने छाती पीट-पीट कर स्कूल चलो अभियान का बखान किया। उन्होंने बताया कि स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत लगभग 1.64 लाख शिक्षकों का चयन और तैनाती की है।

मैं बताना चाहती हूँ कि आप यह बताइये, यह मजाक आप क्यों कर रहे हैं ? आप यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या किस अनुपात में घट रही है। आप यह क्यों नहीं बता रहे कि जिन स्कूलों में तैनाती की है, वहाँ की आधारभूत संरचना क्या स्कूल कहलाने की गरिमा के लायक है ? कहीं दीवार नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, मेज-कुर्सी नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है और जब मैंने स्वयं सरकार

से इस प्रश्न को किया तो सरकार की तरफ से बड़ा ही निर्लज्जता भरा जवाब आता है कि हमारे पास मेज-कुर्सियों के लिए बजट नहीं है। जिधर नजर डालो, इस अभिभाषण में सब कुछ हास्यास्पद है। ऐसा लग रहा है कि सरकार प्रदेश के लोगों की तकलीफों को, उनके भविष्य को और उनके पूरे जीवन के लिए गंभीर ही नहीं है। वह लोगों की भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी का मजाक उड़ा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश के आधार पर अपनी उपलब्धियाँ बताना चाहती है तो उसे यह भी बताना होगा कि इस प्रदेश की जनता से जो भारी-भरकम टैक्स के नाम पर वसूली होती है, वह पैसा कहाँ जा रहा है ? क्यों नहीं, हमारा यह पैसा हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा, हमारे ही स्वास्थ्य, हमारी ही शिक्षा और हमारे ही रोजगार पर खर्च होता है ?

मा0 अध्यक्ष जी यह अभिभाषण महज एक छलावा है मैं और मेरे साथ यहां समूचा विपक्ष इस तरीके के अभिभाषण को सरकार की अगम्भीरता और गैर जिम्मेदाराना रवैया मानते हैं। इस प्रदेश के एक बड़े हास्य कलाकार स्व0 नाम धन्य श्री राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं है तो सरकार की इस तरह की घोषणाएं और बातें सुनने से लगता है कि यह लोग राजू श्रीवास्तव जी की कमी को पूरी कर रहे हैं और प्रदेश की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। मेरा आग्रह सिर्फ मेरे जनपद महात्मा गौतमबुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी के लिए नहीं, बल्कि मेरे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है। इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार में बैठे जिन लोगों ने आम जनता की गाढ़ी कमाई से भारी लूट-खसोट की है उस पर भी बात होनी चाहिए थी, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए था। जब से यह चर्चा शुरू हुई है तब से हम लोग बीच-बीच में उठकर के कॉरिडोर से जाते हैं तो इस सदन में चल रही शेरो शायरी की बातें बड़ी आम है तो इस दौरान मेरे अन्दर का कवि भी थोड़ा सा गुदगुदाने लगा। मुझे भी अदम गोंडवी जी की धूमिल सी दो लाइनें याद आ गई और वह कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि-

तुम्हारी फाइलों में, गांव का माहौल और मौसम बहुत गुलाबी है,
लेकिन यह आंकड़े सभी झूठे और यह दावा किताबी है।

डा0 एम0पी0 आर्य-

मान्यवर, बीस तारीख को उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण के अनुमोदन और समर्थन में डा0 नीलकंठ तिवारी और डा0 नीरज बोरा द्वारा दिए गए अनुमोदन और समर्थन का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आचार्य बिनोवा भावे के सर्वोदय, गांधी जी के ग्रामोदय और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अन्त्योदय से होता हुआ परम वैभवम् नंतुमेतत सर्वराष्ट्रम के लक्ष्य को लेकर चलते हुए मा0 नरेंद्र मोदी के रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते से होता हुआ राष्ट्रोदय। मान्यवर अभी हमारे प्रतिपक्ष नेता प्रश्न चिन्ह लगा

रहे थे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके लिए जो आए हुए इंवेस्टमेण्ट हैं उन पर मान्यवर हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट उनको ठीक न लगती हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक अन्तर्राष्ट्रीय निवेश बैंक है मॉरगन इन्स्टैनली और इसी की तरह से एक अन्तर्राष्ट्रीय कंसल्टेनसी एजेंसी है इ0वाई0 जो यह रिपोर्ट देती है कि 2027 तक भारत पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का देश बन जाएगा। इन्हीं रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इन्हीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत 2034 तक दस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा और जब हम अपने देश की आजादी का सौंवा वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा देश 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इस गति से बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन, न्याय व्यवस्था, लॉजिस्टिक, पावर और एनर्जी के क्षेत्र में नीतियों और योजनाओं के बल पर देश के ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। उड़ते हुए हवाई जहाज सुन्दर-सुन्दर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के साथ विकास के भी पहिए लगे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मा0 नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ के विकास का सूत्र है।

गांव-गांव उद्योग लगाएं, हस्तकला सरसाएं हम,
भरे रहे भण्डार सभी के अधिक अन्न उपजाएं हम।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ-साथ 19 हवाई अड्डे, छः एक्सप्रेस-वे के साथ सुन्दर सड़कों और गंगा नदी में जल यातायात से परिवहन को पंख लगे हैं। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से 2027 तक वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा मैं आपको इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष अप्रैल से जुलाई तक जो एक्सपोर्ट की रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में 32 प्रतिशत एक्सपोर्ट बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से इंवेस्टमेण्ट आया है इस बार वह भी इस बात को परिलक्षित करता है। मैं आज विधान सभा क्षेत्र में दूसरी बार बोल रहा हूँ और पहली बार विधायक बनकर के आया हूं, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत कष्ट हुआ कि मेरे सामने वाले, मेरे साथीगण मा0 राज्यपाल महोदया जब यहां पर आईं तो बिल्कुल उनको सुने और बिना जाने राज्यपाल गो-बैक राज्यपाल गो बैक इस तरह से उनका अपमान कर रहे। मुझे लगता है कि यह लोग इसलिए ऐसा कर रहे थे कि इनका विश्वास कभी विकास और जनकल्याण में रहा ही नहीं। इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए खिसयानी बिल्ली खम्भा नोंचे उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके बाद भी, कहते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है सरकार अपना काम कर रही है। और राज्यपाल महोदया ने अपना अभिभाषण पढ़ा। मान्यवर कहना चाहता हूँ किसी को चांद चमकता नजर आता है तो किसी को उसमें दाग नजर आता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है अमीर नगर उसमें सरकार ने केवल एक गांव के लिए 17 करोड़ का एक पुल दिया है केवल इसलिए कि उस गांव से एक नदी निकलती है।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो बहुत अच्छा है।

डा0 एम0पी0 आर्य-

लेकिन कष्ट का विषय यह है कि वही नदी उस गाँव को काटती हुई जा रही है और हो सकता है कि बीच में से ही निकल जाए तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जी0टी0आई0 कॉलेज बना है। मैं चाहता हूँ कि उसको प्रारम्भ कर दिया जाए। मान्यवर, मैं केवल एक और बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक एम्स बन जाए। यह मांग हमारे बरेली के मा0 सदस्य डा0 डी0सी0 वर्मा जी द्वारा की जा रही है तो मैं अपनी इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात को लिख करके दे दीजिएगा।

श्री रमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के अवसर पर सदन में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि यह जनता है और सब कुछ जानती है। हम सदन में जो कुछ बोलते हैं, बाहर जनता सब सुनती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे यशस्वी एवं कर्मयोगी मा0 मुख्य मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में तेजी से मेरी सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शान्ति एवं सद्भाव का वातावरण पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के हितों में तथा उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं। मेरी सरकार जन समस्याओं के प्रति त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील है। पूरे प्रदेश में समाधान दिवस एवं थाना दिवस आयोजित कराकर जन समस्याओं का प्रभावी निराकरण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सी0एम0 हेल्पलाइन एवं आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के लगभग 3.93 करोड़ संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी सरकार के द्वारा सभी वर्गों के लिए चलायी जा रही समस्त विकासशील एवं जनकल्याणकारी योजनाएँ जो धरातल पर दिखाई दे रही हैं, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखने में सदन की कार्यवाही में वास्तव में विलम्ब होगा और आपने

समय भी बहुत कम दिया है। ऐसे में महत्वपूर्ण विकास के कुछ कदम ऐसे हैं। सर्वांगीण विकास हुआ है, के बारे में विचार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जी-20 की होने वाली बैठकों में से कुल 11 बैठकों की मेजबानी का सुअवसर हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ जो निश्चित ही प्रदेश के विकास, बुनियादी ढाँचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने में बेहद एवं व्यापक असर पड़ा है। मेरी सरकार ने पहला इनवेस्टर्स समिट वर्ष 2018 में किया था जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ, जो धरातल पर है। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2023 की भागीदार में हम लोगों ने देखा कि लखनऊ में एक बड़ी संख्या में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता करके लगभग 33 लाख 50 हजार करोड़ की सहभागिता दी है जो हमारे प्रदेश के विकास में बहुआयामी सिद्ध होगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत कुछ और न कहते हुए प्रदेश के विकास में दृढ़संकल्पित हमारी सरकार द्वारा किये गये प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अनेक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश, पूरे देश में अग्रणी स्थान पर रहा है। आज चाहे मुख्य मंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे प्रधानमंत्री जन-धन योजना हो, चाहे स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाएँ हों, खाद्यान्न के क्षेत्र में गन्ना, आलू तथा अन्य सब्जियों, फलों, एथनॉल के उत्पादन में हो, उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में भी एक नम्बर पर रहा है। आज प्रदेश में जी0एस0टी0 पंजीयन की कुल संख्या 28.03 लाख हो चुकी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी हमारे प्रदेश में 4.29 करोड़ नामांकन के साथ देश में प्रथम स्थान पर रही है, चूँकि समय कम है और हम जान रहे हैं कि आपकी कहीं न कहीं सहभागिता है। अब मैं बहुत कुछ न कहते हुए अपने विपक्ष के साथियों से कहूँगा कि बात चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो आप अपनी सरकार में कितने घण्टे विद्युत देते थे, कभी रात में देते थे और कभी दिन में देते थे। आज मेरी सरकार ने लगभग 20 घंटे गाँवों को और 23-24 घंटे शहर, तहसील को विद्युत देकर ऐतिहासिक काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे दो ऐसे विकास खण्ड हैं राजगढ़ और पटेहरा जिसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, पठारी है और पहाड़ी है लेकिन वहाँ 80 प्रतिशत किसान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। यहाँ सिंचाई की घोर समस्या है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसमें त्रिस्तरीय टीम बनाकर इसकी जाँच कराकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। हमारे यहाँ राजगढ़ ब्लॉक की भौगोलिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है। आपने जो चुनार से राजगढ़ मार्ग बनाया है वह आज भी एक सुन्दर मार्ग है। वह अब फोरलेन में तब्दील होना चाहिए क्योंकि आवागमन बहुत ज्यादा है तो चुनार से राजगढ़ मार्ग को फोरलेन और अहरौरा में ब्लॉक बनाये जाने की आवश्यकता है और पडरी-जौगढ़ मार्ग को दो लेन में करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए पुनः कुछ न कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी-

मैं, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव जो मा0 रविदास मेहरोत्रा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे साथियों ने जो अपनी बात रखी है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। ..

माननीय महोदय, मैं फतेहपुर जनपद से आता हूँ और फतेहपुर सदर विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी इस लोकतंत्र के मन्दिर के गौरवमयी सदन के 04 बार सदस्य रहे थे। जब कांग्रेस की गवर्मेन्ट होती थी सन् 1969 में पहली बार विधायक हुए थे। सन् 1969, 1974, 1980 और 1985 में चार बार विधायक रहे फतेहपुर जनपद से मैं इस गौरवशाली सदन के सभी माननीय सदस्यों को नमन करता हूँ और आपको भी नमन करता हूं। मैं पहली बार विधायक बन करके आया हूं। मान्यवर, मैं आपको और माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि फतेहपुर जनपद बहुत ही ऐतिहासिक जिला है। जब हम लोग यह बताते हैं कि हम फतेहपुर के रहने वाले हैं तो बहुत से हमारे साथी यह कहने लगते हैं कि क्या आप फतेहपुर सीकरी से हो। में आपके माध्यम से माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे फतेहपुर जनपद का नाम महार्षि भृगु, भिटौरा के नाम से जुड़ा है। फतेहपुर में महार्षि भृगु का आश्रम है, हमारे देवता भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर जाते थे, मैं वहां का रहने वाला हूं। हमारे यहां से आदरणीय स्वर्गीय वी0पी0 सिंह जी जीत करके प्रधानमंत्री बने थे। महाभारत के अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मस्त्र प्राप्त करने के लिए फतेहपुर में तपस्या की थी। फतेहपुर दोआब क्षेत्र है जो पतित पावनी गंगा और हमारी पवित्र यमुना नदी के बीच में स्थित है। मैं सबसे पहले अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ आवश्यकताओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

मान्यवर, फतेहपुर जनपद में मिर्च का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, मिर्च कच्चा बाना होता है जिसको बहुत कम समय के अन्दर बाहर भेजना पड़ता है। हमारे यहां हवाई अड्डे के लिए जमीन है हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यहां एक एयरपोर्ट स्थापित किया जाय। फतेहपुर 06 नदियों का जनपद है, 06 नदियां हमारे जनपद को जोड़ती है। इसलिए वहां पर मछलियों का भी व्यवसाय होता है, बहुत दूर तक लोग वहां से मछलियां लेकर जाते थे लेकिन वहां पर व्यवस्था न होने की वजह से आज वो व्यवसाय भी मंद पड़ा हुआ है। हमारे फतेहपुर में विकास प्राधिकरण नहीं है हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि फतेहपुर में विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में थरियांव एक जगह पड़ती है जहां बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन वहां पर एक भी डाक्टर मौजूद नहीं है, वहां पर केवल नर्सों द्वारा इलाज किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि वहां पर सी0ओ0 साहब का पुलिस का आफिस खोल दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल है। मान्यवर, चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में और बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या शहर में सीवर लाइन की समस्या है। सीवर

लाइन की व्यवस्था करायी जाय यह भी मेरा आपसे निवेदन है। साथियों सरकार यह कहती है कि हमनें चारों तरफ विकास कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी-

महोदय, चाहे पानी की समस्या ले लीजिये, चाहे बिजली की समस्या ले लीजिये, चाहे सड़क की समस्या ले लीजिये। हर समस्या में यह सरकार फेल है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि फतेहपुर में विकास प्राधिकरण और सीवर लाइन की व्यवस्था करा दी जाय, सड़कों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, उनका भी निर्माण करवा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

जी आपने बता दिया है, सब नोट है, लिख कर दे दीजियेगा।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी-

ठीक है, मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विवेक कुमार वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मा0 राज्यपाल महोदया, श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी के अभिभाषण पर चर्चा के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए में बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस लोकतंत्र के पावन एवं पवित्र मण्डप में खड़े होकर मैं नेता सदन एवं मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी तथा समस्त सदस्यों को प्रणाम करता हूँ तथा साथ ही साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र- 130, बीसलपुर की देवतुल्य जनता को व समस्त जनपदवासियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद व प्यार देकर इस लोकतंत्र के पावन और पवित्र मन्दिर में पहुँचाने का कार्य किया है। मैं सदैव अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए तत्पर रहूँगा। मैं राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण का हृदय से पुरजोर समर्थन करता हूँ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले आदरणीय श्री नीलकण्ठ तिवारी जी के तथा डॉ0 नीरज बोरा से सम्बद्ध करता हूँ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मेरी सरकार जन आकाँक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्यों को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति के साथ शान्ति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य

के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनायें एवं कल्याणकारी कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं। महोदय, मेरी सरकार जन समस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील। इस उद्देश्य से तहसील स्तर पर सम्पूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर थाना दिवस आयोजित किये जा रहे हैं। थाना दिवस में शिकायतों को त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। महोदय, अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारतवर्ष द्वारा दिनाँक 1 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। इसके अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के चार जनपदों यथा लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतमबुद्धनगर में किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के लिए जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजवानी प्रदेश के विकास के बुनियादी ढाँचे तथा संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रदर्शित करने का एक व्यापक अवसर होगा। महोदय, भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2022 से 2027 की अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मेरी सरकार नियोजित ढंग से प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ ''मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है''।

महोदय, प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से सम्पर्क किया गया तथा निवेश को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों यथा मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नीदरलैण्ड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कण्ट्री के रूप में सहभागिता की गई। दुनिया में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को निवेश के महाकुम्भ का स्वरूप प्रदान किया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करिये।

श्री विवेक कुमार वर्मा-

महोदय, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आदरणीय वर्मा जी, कृपया समाप्त करें।

श्री विवेक कुमार वर्मा-

महोदय, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत मेरा जनपद बांसुरी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व को सबसे बड़ी बाँसुरी मेरे जनपद ने देने का काम किया है, जिसकी लम्बाई 16.06 फीट व चौड़ाई 30 एम0एम0 है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के कुछ विकास कार्यों की चर्चा करना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने पहले से बोलना शुरू कर दिया था। अब आप समाप्त करिये।

श्री विवेक कुमार वर्मा-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक इण्टर कॉलेज बनाने की कृपा की जाये तथा किसान सहकारी चीनी मिल का जीर्णोद्धार किया जाये। तथा एक स्टेडियम की आवश्यकता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

***श्रीमती नीलिमा कटियार-**

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज वैश्विक मंदी के दौर में पूरी दुनिया पोस्ट कोविड इम्पैक्ट से कराह रही है। आज जो अभी भी विकसित देश कहे जाते हैं मौतों का आँकड़ा देख रहे हैं कई देशों में मंहगाई ने बच्चों और बूढ़ों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश यदि देश होता तो दुनिया का पांचवें नम्बर का देश होता भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो सदन के माननीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारी जी द्वारा रखा गया है और माननीय सदस्य नीरज बोरा जी द्वारा अनुमोदित हुआ है। उसमें उत्तर प्रदेश के सुनिश्चित विकास का एक निश्चित रोड मेप दिखाई दे रहा है। किसान के लिए किसान सम्मान निधि, गरीबों के लिए राशन की दोहरी व्यवस्था, 50 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के सर पर पक्की छत सुदृढ़ कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई है और मजबूत होते, विस्तारित होते इन्फास्ट्रक्चर के कारण उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवाहन किया था बनने को तैयार है। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारी मजबूत उपलब्धि हैं। हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली है। अब हम दुनियाँ को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 35 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव हमें वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मददगार होंगे। उत्तर प्रदेश कृषि के साथ-साथ मैन्यूफेक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का हब होगा। प्रदेश में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई है, क्योंकि बिजली की निरन्तर आपूर्ति विनिर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निवेश से ले कर कारोबारी, सुगमता और अनुपालन कम करने समेत सरकार का हर जगह सही कदम इस दिशा में है। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से 400 से अधिक सेवायें उद्यमियों को ऑनलाइन दी जा रही हैं। एम0ओ0यू0 साइन करने के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबन्धन पोर्टल निवेश सारथी विकसित किया गया है और यही कारण है कि 19 हजार से अधिक आशय-पत्र हमें प्राप्त हुये हैं। लगभग 1 करोड़ युवाओं को उनकी कुशलता के अनुरूप उद्यम प्राप्त होने की सम्भावना है। जिस समय हम प्रदेश में सहकारिता, फूड प्रोडक्शन ऑर्गनाइजेशन, एस0पी0ओ0 स्वयं सहायता समूह, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और इस तरह की तमाम योजनाओं के माध्यम से अपने प्रोडक्शन को ऑर्गनाइज करने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी समय दुनिया के 40 देश हमारे यहाँ निवेश को संकल्पित हो रहे हैं। विश्व का 75 प्रतिशत व्यापार होल्ड करने वाली जी-20 की अध्यक्षता और भारत में होने वाली मीटिंग में 11 मीटिंग होना और तेजी से उत्तर प्रदेश का अपना विकास रथ दौड़ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हवाई उड़ानें, कनेक्टिविटी सुव्यवस्थित डाटा स्ट्रेक्चर इस नये चमकते उत्तर प्रदेश को देखने आज जी-20 की अध्यक्षता के चलते सारी दुनिया आ रही है।

वर्ष 2023 मोटे अनाज को समर्पित वर्ष और कौशल को इम्पोर्टेन्स देती हुई दिशा दुनिया ऐसा वर्ष और तब 15 से 20 प्रतिशत मोटा अनाज भारत में पैदा होता है। तो वह आगरा का बाजरा होगा, कन्नौज, कानपुर फर्रुखाबाद में मक्का ऐसी फसलों को अवसर मिलेगा। गंगा, यमुना दोआब का यह क्षेत्र उसका पानी, उसका स्किल्ड मेन पावर हमारी ताकत है। एस0एच0ओ0 नई दिल्ली द्वारा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट गोल्ड मेडल ट्राफी मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले नम्बर पर हैं। विश्व स्तरीय एजुकेशन क्लेस्टर्स के माध्यम से हमने खेल के लिए यूनिवर्सिटी, आयुष विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, भाषा विश्वविद्यालय एक उन्नति शिक्षा व्यवस्था जो वर्ल्ड की एजुकेशन को टक्कर देती है वह अपने यहाँ डेवलप करने की बात करी है। 39 करोड़ से अधिक निःशुल्क डोज के माध्यम से हमने पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया है। अभी भी दुनिया के लिए कई देशों के लिए चुनौती बना कोविड प्रदेश सरकार के अभिनव साहसी, अपरमित, अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अन्दर कोविड लगभग समाप्त हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत आवश्यकता जो हर जगह इसके कारण हमारी चिकित्सा सेवा प्रभावित होती थी, वह थी चिकित्सकों की भारी कमी आज हमने अपने प्रयासों से निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज के अन्दर 8528 सीट करने का काम किया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पुलिस बल में महिला कर्मियों की तैनाती को दो गुना करके, प्रत्येक थाने के अन्दर साईबर हैल्प डेस्क स्थापित करके, सार्वजनिक स्थानों के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरे को लगा करके, 600 स्थानों पर पिंक बूथ को स्थापित करके हमने एक नया कीर्तिमान महिला सुरक्षा केन्द्र स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं,

बल्कि भारत में ही नहीं, विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान उकेरता है। उत्तर प्रदेश आज हमारे सामने आकार लेता हुआ दिखायी पड़ रहा है। ऐसे समय पर महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर जो आदरणीय डा0 नीलकंठ तिवारी जी ने धन्यवाद प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नीलिमा कटियार-

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूँ। हमारी कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र कानपुर नगर की है, सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्र है। इसके 5 वार्डों के अन्दर सीवर लाइन नहीं है। वहाँ पर बहुत अमानवीय तरीके से लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता के बाद, पहली बार चार वार्डों की सीवर लाइन मा0 योगी जी की सरकार में वहाँ पड़ी थी। रतनपुर कॉलोनी के अन्दर छठपूजा घाट पर अगर पुल बन जायेगा, तो बड़ी संख्या में लोगों को कम दूरी तय करके शहर से उनकी कनेक्टिविटी हो जायेगी। हमारे यहाँ सोमनाथ मंदिर है। वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य इसको लिखकर दे दीजिएगा। आदरणीय श्री त्रिभुवन दत्त जी।

***श्री त्रिभुवन दत्त-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री रविदास मेहरोत्रा जी के संशोधन प्रस्ताव पर हमें बोलने का अवसर आपने दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण निश्चित तौर से झूठ का पुलिन्दा और सच्चाई से बहुत परे है। मान्यवर, इसमें बार-बार सरकार द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क और इस प्रदेश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाला, गिट्टी मिट्टी तोड़ करके पूरे समाज को रोटी खिलाने वाले समाज को, जो एक सामाजिक व्यवस्था के तहत उसे नीचे दबाने का काम किया गया था, उसे पछाड़ने का काम किया गया था। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने अपने अथक संघर्षों के बल पर इस समाज को जिन्दगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण रूपी हथियार और लोकतंत्र और संविधान देने का काम किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आयी है, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के सिद्धान्तों को रौंदने का काम कर रही है। मान्यवर, जिस आरक्षण के बदौलत दलितों, पिछड़ों के समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण के सहारे उस आरक्षण को समाप्त करके समाज को पुनः पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। वह निश्चित तौर से चिंता ही नहीं, बल्कि दुःखद है, जिसकी निन्दा मैं अपने शब्दों में करता हूँ। मान्यवर, केवल आरक्षण ही नहीं समाप्त किया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब डा0 अम्बेडकर द्वारा स्थापित जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको भी समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। निश्चित तौर पर विकास का ढिंढोरा पीटने वाली यह जो सरकार है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप गाँवों के धरातल पर उतरें, तो मेरे साथियों ढिंढोरा पीटने वाली सरकार की सच्चाई की पोल अपने आप खुल जायेगी।

मान्यवर, निश्चित तौर से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल जी ने एक-एक बिन्दु पर बिन्दुवार सरकार के विकास की कलई को खोलने का काम किया है। धन्य है हमारे मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके कर्मों और मेहनत के बल पर अम्बेडकरनगर जनपद की पाँचों की पाँचों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आयी हैं। लगता है समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद अम्बेडकरनगर जनपद का विकास कार्य रोकने का काम एक साजिश के तहत किया गया है। ये सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर ढिंढोरा पीटती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकरनगर जनपद में एक राम सागर दलित समाज का बेटा था, जो जेल में बन्द था। जेल में उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा की गयी। जिसकी मृत्यु हो गयी, मृत्यु होने के बाद परिजनों के दबाव के बाद किसी तरह से एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाती है, लेकिन उसमें आज तक कुछ कार्यवाही नहीं की गयी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोबारा से 30 नवम्बर को बिवाना थाना अन्तर्गत राम प्रवेश गौतम जो दलित समाज का बेटा था, जो अपनी बहन के यहां रिश्तेदारी में आया था, निषाद समाज के लोगों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, वह केवल तमाशा देखने के लिए चला गया था। पुलिस आती है व उसको पकड़कर ले जाती है और बर्बरतापूर्वक उसकी इतनी पिटाई करती है कि वह मौत के गाल में समा जाता है और इसमें हमारे लोगों ने प्रमुख सचिव, गृह को अवगत कराने का काम किया, एफ0आई0आर0 तो दर्ज कर दी गयी, लेकिन इसके बावजूद भी उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और जिसका नतीजा है कि अभी एक सप्ताह पहले अम्बेडकरनगर के खेटी थाना अन्तर्गत एक क्षत्रिय समाज के बेटे को भी पुलिस कर्मियों द्वारा बेहद बेरहमी के साथ पिटाई करके मौत के घाट उतारने का काम किया गया। मान्यवर, यह जिस तरह का कानून दिखाने का कार्य करते हैं और जो

बार-बार अहंकार की बात करते हैं कि हम दोबारा जीत करके आए हैं, 50 साल तक जीत करके आएंगे, मेरा आप लोगों से कहना है कि-

जुर्म जिस मुल्क में हद से ज्यादा बड़ा होता है,
हाल उसके मुल्क का ए दोस्त बुरा होता है,
सुन लो मजलूम की आवाज को दबाने वालों,
खून मजहब के हवाले से बहाने वाले एक दिन तेरा भी घर जलेगा,
आग इस मुल्क में लगाने वाले एक दिन तेरा भी घर जलेगा।
जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।

श्री विपुल दुबे-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है, मैं मा0 राज्यपाल महोदया, के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर, मा0 नीलकण्ठ तिवारी जी की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को जोड़ता हूं। मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जिनके प्रयास से और जिनके गरीब कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के जीवन में सुख, चैन, शांति और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए जो गांव में गरीब हैं जिनको 2 समय की रोटी नसीब नहीं होती थी। इस देश का खाद्यान्न हर वर्ष सड़ जाता था, उस देश का खाद्यान्न गरीब का पेट भरने के काम आया, यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही सम्भव हुआ है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्य पूर्ण व अभूतपूर्व है तथा प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों के 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने उसमें शामिल होकर 35 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश हुए। 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश के एम0ओ0यू0 हुये, इससे उत्तर प्रदेश के एक करोड़ नौजवानों को रोजगार के सीधे अवसर प्राप्त होंगे।

अधिष्ठाता महोदय, आज देश में उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है। पहले जो प्रदेश दंगा प्रदेश के रूप में देखा जाता था, आज वह प्रदेश समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी स्थान पर है। हमारी विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर, भदोही जनपद जो काशी और प्रयागराज के मध्य में स्थित है। उस विधान सभा क्षेत्र की छवि हमेशा ऐसी रही कि इस विधान सभा क्षेत्र के

लोगों को विश्वास नहीं होता था कभी इस विधान सभा क्षेत्र में माफियाओं का राज खत्म होगा। लेकिन धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का, जिनके सुशासन के बल पर आज इस सदन में सदस्य चुन करके आ पाये हैं। यह सुशासन की वजह से सम्भव हो सका है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 1994 में हमारे जनपद का सृजन हुआ था। इस विधान सभा क्षेत्र का लगभग 50 किमी0 का क्षेत्र लगातार गंगा जी के किनारे का है और आज तक गंगा जी के ऊपर एक भी पुल नसीब नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री विपुल दुबे-

मान्यवर, एक सीतामढ़ी क्षेत्र है, जो मुख्यालय से 60 किमी0 वहाँ पर एक नई तहसील बनाने का आग्रह करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

क्षेत्र से सम्बन्धित जो काम है उसको आप लिख करके दे दीजिएगा उसे कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।

श्री विपुल दुबे-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने की भी आवश्यकता है। क्योंकि जिला मुख्यालय से काफी दूरी होने के कारण गर्मियों में फसलों में आग लग जाती है, तो आग बुझाने की व्यवस्था नहीं है, सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि एक फायर स्टेशन की व्यवस्था की जाये। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। वन्दे मातरम, जय हिन्द, जय भारत।

***श्री ऋषि त्रिपाठी-**

सबसे पहले मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने माननीया राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार सभी के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। महामहिम राज्यपाल जी ने प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ अंकित की हैं निश्चित तौर पर वह उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का सटीक वर्णन है। यह सिर्फ सरकार की उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि जनाकांक्षाओं की पूर्ति का ठोस दस्तावेज है। मैं महामहिम राज्यपाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय को उनके प्रभावी अभिभाषण और उद्‌बोधन के लिए अभिनन्दन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। अब से कुछ दिन बाद ही मुझे इस विधान सभा क्षेत्र का सदस्य निर्वाचित हुए एक साल हो जायेंगे। इस एक वर्ष में लगातार हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का श्रेष्ठ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जब भी मुख्य मंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है तब-तब एक बात मुझे समझ में आयी है कि यह सीधा-सीधा कोई व्यक्तिगत नहीं एक सामाजिक दायित्व है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने हर एक अवसर पर यह समझाने का प्रयास किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस दायित्व का एक ही उद्‌देश्य और वह जनसेवा है। जनसेवा को मानकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन के सदस्य लगातार विकास के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष से लगातार हम अपनी विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चल रहे हैं। मुझे इस सदन में ऐसे विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान हुआ है, जो दशकों से माफियाओं एवं स्वयं घोषित बाहुबलियों का गढ़ माना गया है। आप सभी जानते होंगे कि नौतनवां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। लोगों का मानना था कि एक साफ-सुथरी छवि का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर विधायक नहीं हो सकता है पर मैंने चुनाव में जनता से सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की नीतियों को आधार बनाकर समर्थन मांगा। यह मोदी जी और योगी जी की नीतियों का ही फल था कि हर जगह की तरह भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी गठबन्धन की जीत नौतनवां में भी हुई। इस सदन में नौतनवां का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 संजय निषाद जी समेत नौतनवां विधान सभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता का आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में नौतनवां भयमुक्त हुआ। दशकों से ग्रस्त पिछड़ेपन से नौतनवां तेजी से बाहर निकल रहा है। जहां तक अपराधियों और माफियाओं की बात है तो बस में यही कहूंगा कि सशक्त कानून व्यवस्था की ऐसी आंधी चली कि बड़े से बड़े माफिया उत्तर प्रदेश से हवा हो गए। आज नौतनवां में समग्र विकास हो रहा है। सभी कामों का उल्लेख करना यहां पर सम्भव नहीं है।

कुछ ऐसे मुद्‌दे हैं जो हमारी नौतनवां विधान सभा क्षेत्र में दशकों से लोगों के जीवन में मुश्किल पैदा कर रहे थे, उन सभी का निस्तारण शुरू हो गया है, जिसका में उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसका उल्लेख मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, वह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कार्य शुरू होना है। जैसा में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी नौतनवां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और वहां इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण दो दशकों से लम्बित था। पूज्य महाराज जी की सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की

सरकार में यह सम्भव हो पाया है। दशकों से 24 किमी0 लम्बे महाव नाले में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाने के कारण तटबंध टूट जाता था, जिससे हजारों एकड़ फसल डूब जाती थी और सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित हो जाते थे और दिक्कतों का सामना करते थे, जो हमारे क्षेत्र के किसानों की बहुत ही बड़ी समस्या थी, जिसके निर्माण हेतु महाव नाले की सफाई का कार्य हमने आज से चार-पांच माह पहले ही शुरू करा दिया था।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री ऋषि त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम पंचायत बनरसिया जो कि आपने सुना होगा कि वह महात्मा गौतमबुद्ध का ननिहाल है, उसे पर्यटन का स्थल बनाने का कार्य हमने नौतनवां विधान सभा क्षेत्र में किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री ऋषि त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नौतनवां ब्लॉक की रतनपुर नदी पर कम्प्यूटराइज्ड बैराज निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 150 करोड़ रुपये हमारे यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृत किया है, इससे 65 गांवों के किसानों को खेतों की सिंचाई करने में आसानी होगी। दशकों से उपेक्षा झेल रहे वनटांगिया ग्रामवासियों के विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वनटांगिया ग्रामों को ग्राम सभा का दर्जा मिला। मा0 मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उनको पक्का आवास मिला। सोलर सिस्टम उपकरणों के जरिए बिजली मुहैया करायी गयी। राशन कार्ड से लेकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गयी। अब सभी वनटांगिया ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। नौतनवां में यातायात सुविधायें बढ़ी हैं, सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है। यह सब मा0 मुख्य मंत्री जी के निरन्तर मार्गदर्शन से मुमकिन हो पाया है, इसलिए मैं नौतनवां की समस्त जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने आपको अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से सम्बद्ध करते हुए इस झूठ के पुलिन्दे का पुरजोर विरोध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भाजपा को दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर मिला, यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैसे मिला, सब जानते हैं। मैं इस पर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। पिछले 5 साल की सरकार आप लोगों ने हिन्दू और मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो, लव जिहाद के नाम पर, गाय-गोबर के नाम पर, मन्दिर/मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह करके निकाल दिये। इस बार भी आपने मौका छीना है, तो जनता के लिए कुछ करके दिखायें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लेकिन इस बार तो इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नही समझा जा रहा है। जिसे चाहे बुल्डोजर से रौंद दिया जा रहा है। कानपुर की घटना आपके सामने है कि किस तरह जिन्दा जलाया गया। अतः इसलिए इतना घमंड मत कीजिए क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगता। इसलिए एक शायर ने कहा है कि इतना क्यों इतराते हो बुलन्दियों पर पहुंच कर, तुम अकेले थोड़े ही हो आज आपका वक्त है कल हमारा भी होगा। अब तो दूसरी बार की सरकार में इस प्रदेश की जनता से किए गए वादों को कम से कम हकीकत में उतार दो। अब तो कम से कम झूठ के बुलन्दियों से उतर कर जमीन पर कुछ करके दिखाने का हौसला रखो आखिर कब तक झूठे सपने दिखाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते रहोगे। अब तो इस प्रदेश में आपकी नीतियों से तंग आकर जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और चीख-चीख कर कह रही है कि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वह सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अन्दाज जमाने को खलता है, कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, मैं अमन पसन्द हूँ मेरे शहर में दंगा रहने दो लाल हरे में मत बाँटो मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। आज दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग को अपनाया जा रहा है। सरकारी कंपनियों के विभागों को बेचा जा रहा है और रोजगार को दिखाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट को बढ़ा चढ़ा कर मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

33 लाख 50 हजार करोड़ रु0 निवेश का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है पहले भी सरकार इन्वेस्टर्स समिट कर चुकी है, लेकिन कितना निवेश हुआ, कितने कारखाने लगें, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका हकीकत से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन धन योजना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके आज 0.51 करोड़ खाते खुलवा करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम नम्बर 1 पर हैं। अरे नम्बर देने वाला कौन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ हैं वहीं नम्बर देती है कि आप नम्बर 1 पर है। हर चीज पर नम्बर 1 पर हकीकत में आइए आज 15 लाख रु0 का सपना आपने जनता को दिखाया था इसलिए जनधन के खाते खुलवाए गये थे। 15 लाख तो 15 लाख 15 पैसे भी उनके खातों में नही आएं। आज जी0एस0टी0 के नाम पर 28.3 लाख लोगों का पंजीकरण करके सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। अभी हाल में कुछ दिनों पहले की याद दिलाना चाहता हूँ कि पूरे शहर के शहरों में कर्फ्यू लग गए, कस्बों में कर्फ्यू लग गए जब जी0एस0टी0 के अधिकारी वहां गए लोग दुकाने बन्द करके भाग गए और आज ऐसे में सरकार यह कहती है कि जी0एस0टी0 लगाकर हमने 28 लाख लोगों का पंजीकरण किया। अगर

ईमानदारी से वह जी0एस0टी0 देना चाहते हैं, पंजीकरण करना चाहते हैं तो कर्फ्यू जैसे हालात क्यों बने।

आज पेयजल की समस्या के लिए आपकी सरकार ने गांव-गांव में एक गुजरात की कम्पनी को ठेका दे दिया जो वहां पर पानी की टंकी बना रही है। पानी की टंकी बना कर जो उसमें पाइप डाला जा रहा है मात्र तीन इन्च का भी पाइप नहीं है दो से ढाई इन्च का पाइप है प्रेशर उसमें जाएगा नहीं, पानी लोगों को मिला नहीं, और उसके बाद जो पहले हैण्डपम्प लगते थे वह भी खत्म कर दिए गए बड़ी मुश्किल से पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने जनेश्वर योजना चलाकर, लोहिया ग्राम योजना चलाकर, गांव के रास्तों को पक्का किया था आपकी इस योजना ने गांव के रास्तों को ध्वस्त कर दिया और ऐसा लगता है कि आने वाली बरसात में ऐसा शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई गांव बचेगा जहाँ पर कीचड़ न दिखाई दे। जो ध्वस्त कर दिया गया कोई इसको रिपेयर कराने वाला नहीं है, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया, आखिर कैसे किसान की आय दुगनी होगी, गन्ने का एक रुपया नहीं बढ़ाया। डीजल और खाद के रेट आसमान छू रहे हैं गन्ने का पिछला दिया नहीं, गेहूँ, धान की खरीद कागजों पर होती है, बिजली माफ करने की घोषणा का क्या हुआ, ट्यूबवेल पर मीटर लग गए अगर किसान की आय दुगनी होती अगर हमें मौका मिला होता तो आय दुगनी होती कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाते 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाती, गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाता, गेहूँ, धान की खरीद पर बोनस देने का काम मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार करती। डीजल आदि के दाम घटा दिए जाते, गन्ने को कोई बकाया शेष नहीं रहता इस तरह से अगर आय दुगनी कर सकते थे तो समाजवादी पार्टी कर सकती थी यह आपके बस का काम नहीं है। कानून व्यवस्था आप आये दिन देख ही रहे हैं, आये दिन रेप, मर्डर, साइबर क्राइम, भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर है। थाने का सिपाही सुनने को तैयार नहीं है। छोटी से छोटी एप्लिकेशन लेकर अगर थाने में चले जाइये तो कोई भी 20 हजार 25 हजार रु0 से कम की बात नहीं करता है उससे ज्यादा की ही बात करता है। आज यह हालात हैं कि सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढामुक्त योजना चलाई जाती है लेकिन उसका बजट कहां चला जाता है आज तक पता ही नहीं चला।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कम से कम 70 सड़कें जिनके बारे में मैंने बार-बार लिख कर दिया है, लेकिन किसी भी सड़क को प्लान में नहीं रखा गया है और वह 70 सड़कें आज खस्ता हाल में हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। नई सड़क योजना की कोई स्कीम नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बिजली का हाल यह है कि ट्रांसफार्मर नहीं हैं, बिजली घर ओवर लोड हैं, ए0बी0सी0 केबल नहीं हैं, खम्भे नहीं हैं देहात में 10 से 12 घण्टे बिजली आती है और कहा जाता है कि हम 18 से 20 घण्टे बिजली दे रहे हैं। किसानों को 12 घण्टे बिजली नहीं मिल पा रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना में 10 हजार के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है, एक बिजलीघर की आवश्यकता है। अन्त में मैं एक सुझाव

और शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ''क्यों ये हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों ये धर्म के नाम पर सियासी लड़ाई क्यों तुम अगले और अतिपिछड़ा कब तक आखिर ये लड़ाई, क्यों कभी अयोध्या कभी काशी कभी बाबरी मस्जिद की बातों से आग लगाई, क्यों कभी राम कभी अल्लाह के नाम की दुहाई अब बहुत हुआ बस बन्द करो ये लड़ाई, लगाओ गले फिर से आओ बन जाओ भाई-भाई'' यह है हमारे आदरणीय अखिलेश यादव की बात, इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने हमें बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद जय भीम।

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (श्रीमती प्रतिभा शुक्ला)-

मा0 आधिष्ठाता महोदय, आपने हमें महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं यह कहना चाहूँगी कि विपक्ष बहुत बौखलाया हुआ है और उसको कोई मुद्दा नहीं मिला है। अभी पारस जी कह रहे थे कि 'हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई' हम इस पर कहेंगे कि 'सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास' हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। आप सभी लोग कह रहे हैं कि नारी का सम्मान, राज्यपाल जी एक महिला हैं, सम्मानित महिला हैं, विदुषी महिला हैं और हम समझते हैं कि उनके लिए आप सभी लोग हो-हंगामा कर रहे थे, उनके अभिभाषण को सुन भी नहीं रहे थे और पहले ही आप प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। बात बिना सुने आप अपना वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ? हम तो यह कहेंगे कि नारी सम्मान की बात तो आप करना छोड़ ही दीजिए। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी नारी सुरक्षा, स्वालम्बन और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। नारी सशक्तिकरण करा कर उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। चूँकि हमारे पास यह विभाग रहा है। कल मा0 इन्द्रजीत सरोज जी हमको इंगित करके कह रहे थे कि रत्नावली को भी तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा। इस पर हम यह कहेंगे कि तुलसीदास जी ने रत्नावली को जो सम्मान दिया, जिससे रामचरित मानस जैसा ग्रन्थ लिखा गया जिसका अपमान कुछ लोग करने पर नहीं चूक रहे हैं। कहते हैं 'ढोल गवाँर शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी' इस पर हम यह कहना चाहेंगे कि जो ताड़ना शब्द है यदि उसको आप क्रिया के आधार से लेंगे तो ताड़ना मतलब प्रताड़ना यानी किसी को दण्डित करना, यदि आप ताड़ना शब्द को संज्ञा के आधार पर लेंगे तो मतलब विशेष ध्यान केन्द्रित करना। ढोल कोई ढोलक नहीं है ढोल मतलब वह व्यक्ति जो हर जगह अपनी बात कहता रहता है। ढोल गवाँर शूद्र पशु नारी, यह कहां पर कहा गया है यह तुलसीदास जी का वक्तव्य नहीं था, यह रामचन्द्र जी का वक्तव्य नहीं था, यह तब का वक्तव्य था जब समुद्र अपने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और वह विनय करता है तो वह अपने आप को इंगित करके कह रहा है, यह श्लेष अलंकार की तरह है। आप बात बदलने की कोशिश न करें। हम तो यह कहना चाहेंगे कि जिस समय समुद्र ने रामचन्द्र जी के सामने हाथ जोड़कर यह कहा कि मैं आपके विशेष ध्यान को केन्द्रित करने का माध्यम हूँ। ढोल गवाँर शूद्र पशु नारी यह तीनों रामचन्द्र जी आपके विशेष ध्यान केन्द्रित करने का एक प्रकरण है। न

कि उनको अपमानित और प्रताड़ना देने का कारण है। मतलब जिस तरीके से अर्जुन ने अपना लक्ष्य भेदा था। केवल मछली की आंख देखी थी। उसी तरह से हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि जो हमारे ग्रन्थ हैं जो रामायण ग्रन्थ है। इसका एक-एक दोहा एक-एक चौपाई मन्त्र के समान है। पढ़ने वाले पर निर्भर है कि किस भक्ति भाव से पढ़े और किस तरह से आप देखें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पायेंगे। रामायण ऐसा कहीं नहीं है। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशुओं पर नारी पर और जो गवाँर व्यक्ति हैं जिनको कम ज्ञान है। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देकर आप हम लोगों का उद्धार करें। यह उन्होंने कहा। यह नहीं कहा कि उनको प्रताड़ित करें। तभी हमने कहा कि प्रताड़ना शब्द और ताड़ना शब्द दोनों में अन्तर है। ताड़ना मतलब आप ध्यान हम लोगों पर केन्द्रित करें। आप समझ गये तो बहुत अच्छी बात है। अधिष्ठाता महोदय हम एक बात और कहना चाहेंगे। हम इतनी देर से सुन रहे हैं हमारे क्षेत्र की घटना के बारे में मुझे खड़े होकर बोलना पड़ा। 2007 से मैं वहां विधायक हूँ और क्षेत्र की एक-एक गतिविधि से लगातार परिचित हूं। वह जो घटना घटी है वह दो परिवारों की लड़ाई थी। जिसमें उनकी चचेरी बहन को उस जगह का पट्टा था। डी0एम0 के पास जाते हैं डी0एम0 उनको अल्टीमेटम देते हैं। फिर यह बात आती है कि आप इसको खाली कर दीजिए। जिस दिन खाली करने की बात आती है, में भी रात में गई थी। मैंने डी0एम0 से बात की थी कि आपने जो कहा इस पर विचार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास भेजिये, में बात कर लूंगा। उसके बाद फिर खाली करने के लिए 15 दिन का एक महीने का समय दिया जाता है। उनके पिता उसको खाली करने के लिए राजी हो जाते हैं। जिस दिन घटना घट रही है उस दिन की बात है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर काफी विस्तार से अपनी बात रखी है।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा सा मैं भी कहना चाहती हूं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि बुल्डोजर की आंख नहीं होती है। हम कहेंगे कि यह बुल्डोजर बचाने गया था, मारने नहीं गया था। आप लोग सुन लीजिए वहां से एक किलोमीटर दूर गांव है जहां उनका अपना घर है, दुकान है। एक किलोमीटर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, यह सारी बातें आ चुकी हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर काफी विस्तार से अपनी बात रखी है। आप उस पर क्यों उलझ रही हैं।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खन्ना जी ने इस बात को रखा है वह दुर्घटना थी। हम मुख्य मंत्री जी के लिए कहना चाहेंगे कि बार-बार कोई पद चिन्ह बनाता है और कोई

पद चिन्हों पर चलता है। हमारे मुख्य मंत्री जी जो स्वतंत्र स्वभाव के हैं। नारी सम्मान हो, किसान हो या गांव की बात हो सभी के लिए बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो हकीकत है कि इसी गांव में पहले जो घटना घटी है उस पर न्याय नहीं मिला था। आपने अपने विधायक को बचाने के लिए जो हत्या की गयी थी उसको आपने आत्महत्या में तब्दील करा दिया था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय नीलकंठ तिवारी जी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में एवं डॉ0 नीरज बोरा जी के अनुमोदन का समर्थन करता हूं। इस सरकार में महामहिम राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण पर चर्चा हुई एवं जो प्रस्ताव आया उसका समर्थन करता हूं। केन्द्र और प्रदेश की परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में निरन्तर विकास के पथ पर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुशासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास यह संकल्प को लेकर और जिस विजन को लेकर कि प्रदेश के हर वर्ग का विकास हो। हर क्षेत्र में कैसे विकास हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सरकार कार्य कर रही है जिस जातीय, जनगणना की बात अन्य विपक्षी दल के सदस्य कहते हैं उससे ऊपर उठकर हर वर्ग का कैसे विकास हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास के मामले में देश का प्रथम स्थान पाने वाला राज्य है। मा0 मुख्य मंत्री असहाय, विकलांग आदि किसी का भी दैवीय आपदा में घर गिर जाता था। तो उनको आवास देने का कार्य किसी सरकार में नहीं किया गया उत्तर प्रदेश की परम पूज्य योगी सरकार ने पुनर्वास देने का कार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में किसान सम्मान निधि के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पाने वाला राज्य बन गया है। आलू, गेंहू, खाद और अभी धान की खरीद हुई इन सभी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य है और कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जी-20 में भारत के प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता करने का अवसर मिला। उससे भी सौभाग्यशाली विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर व अन्य 11 बैठकें जी-20 की उत्तर प्रदेश में हुईं, तो इससे बड़ा गौरव का विषय उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है। सरकार का एक ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है सरकार मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की ओर अग्रसर है, सरकार मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास के क्षेत्र में विकास के पथ पर जा रहे हैं। जी0एस0टी0 के लिए हम लोग प्रदेश में एक ऐसा वातावरण व उत्साह है कि देश में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के क्षेत्र हेतु भय मुक्त समाज का माहौल है इस सरकार में और जो वर्ष 2017 के पहले की सरकारें थी उन सरकारों से आगे बढ़कर हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था बनाई है और अब

सिंगल विंडो बनाकर व्यावसायियों को लाने का काम किया है और अभी बात हो रही थी कि निवेश कहां आया तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ और मेरे ही जिले में 3300 करोड़ का एम0ओ0यू0 सिग्नेचर हुआ है और मेरे ही जिले में दो फैक्टरी लगने जा रही है दो एथनॉल फैक्टरी कुशीनगर जिलें में जिसमें एक फाजिल नगर में और एक मेरे विधान सभा क्षेत्र खड्डा में लगने जा रही है।

जब एक जिले में 3300 करोड़ का एम0ओ0यू0 साइन हुआ तो आप कल्पना कर सकते है कि 75 जिलों में कितने का एम0ओ0यू0 साइन हुआ होगा। हम लोगों ने ऐसा वातावरण दिया कि छोटे व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्दर पटरी व्यावसायिक जो थे उनको दस हजार, बीस हजार व पचास हजार रुपये कर्जा लेकर दुकान चलाने के लिए बैंकों से ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत दस हजार, बीस हजार, तीस हजार सुलभ ऋण रेहड़ी पटरी दुकनदारों को देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया है। हमारी सरकार ने थानों में ऑनलाइन एफ0आई0आर0 दर्ज करने का काम व पिंक बूथ व महिला हेल्प डेक्स बनाकर सुशासन का राज कायम करने का कार्य किया है। देश के व्यापारी आज महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत प्रदेश है जहां लगातार व्यापार का अवसर मिल रहा है। मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से हूँ वहां नेपाल और बिहार का बार्डर है हमारी विधान सभा क्षेत्र नेपाल और बिहार का प्रवेश द्वार है और हमारे वित्त मंत्री जी ने पूर्व के बजट में नदी पार के कुछ गांव ऐसे थे जहां आजादी के बाद से बिजली की व्यवस्था नहीं थी उन चार गांवों के लिए 7 करोड़ रु0 देकर सोलर लाइट देकर सारे गाँव को लाभान्वित करने के साथ ही नयी ऊर्जा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हम सरकार में बैठे हैं और हमारी सरकार गांव-गांव का विकास करने के लिए अग्रसर है। हमारा विधान सभा क्षेत्र बिहार और नेपाल का बार्डर है पर्यटन के उद्देश्य से हमारा विधान सभा क्षेत्र प्रवेश द्वार है और उस प्रवेश द्वार को अच्छे से सुशोभित करने के लिए कुछ कार्य कराना आवश्यक है। उसके साथ-साथ हमारा यू0पी0 और बिहार जो नारायणी नदी का बार्डर है उसके पास में बहुत सारे गांव है और वहां एक पीपा पुल है उसको भी पक्का पुल बनवाने की कृपा करें। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो दो शुगर फैक्टरी बिक गयी थी विधिक समस्या लक्ष्मीगंज शुगर मिल व छितौनी शुगर मिल है जो ई0डी0 की जांच में चल रही है तो उन फैक्टरियों का समाधान करके राज्य सरकार को दिया जाए और राज्य सरकार उस फैक्टरी को चलाकर किसान हित में निर्णय ले। धन्यवाद।

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मोहतरमा राज्यपाल साहिबा के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए आपको धन्यवाद। मैं अपने आपको श्री रविदास मेहरोत्रा और आदरणीय अखिलेश यादव साहब, पूर्व मुख्य मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण

से सम्बद्ध करते हुए अपना भाषण एक शेर से शुरू करता हूँ कि 'झूठ को सच की तरह फरमा दिया, मोहतरमा की बात को ठुकराये क्या'। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अभिभाषण जिसमें 25 एवॉर्ड्स का जिक्र करते हुए कहा गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार को यह पुरस्कार मिले हैं तो बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और जहां कहीं भी खाते खुलेंगे या कोई काम होगा तो देश में सबसे ज्यादा ही काम होगा, इसलिये यह एवॉर्ड मिले हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि इस प्रकार यह एवॉर्ड 25 नहीं बल्कि यह 50 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे किसान की आमदनी को दोगुना करने की बात कही गई है लेकिन किसान के खर्चे तीन गुना बढ़ गये हैं तो यह एवॉर्ड मिलना चाहिये। इस तरह के फैसलों के लिए भी इनकी सरकार को एवॉर्ड मिलना चाहिये। गन्ना किसान हो या कोई दूसरा किसान हो उनकी उपज की लागत बढ़ रही है, लेकिन उपज का मूल्य नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी इनको एवांर्ड मिलना चाहिये। इनको आवारा पशुओं के लिए भी एवॉर्ड मिलना चाहिये जिससे इतने सारे लोग मारे गये हैं। मेरे क्षेत्र में हाल ही में एक नौजवान को मार दिया गया और एक गरीब प्रजापति महिला को मार दिया गया जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। एक सांड़ तो ऐसा है कि अगर उसको देखकर कोई आदमी पेड़ पर चढ़ जाये तो वह सांड चार-चार घण्टे वहीं पर खड़ा रहता है कि कब वह आदमी उतरे और कब वह उसको मार दे। ऐसे सांड़ देने के लिए भी इनको एवॉर्ड मिलना चाहिये। इसके अलावा एक एवॉर्ड इनके हिस्से में यह भी जाता है कि इन्होंने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है। सारी दुनिया में जहां भी किसी चीज की खरीद-फरोख्त होती है तो उसमें कोई ना कोई मूल्य जरूर तय किया जाता है, लेकिन वाह भाई वाह किसानों की हितैषी सरकार बगैर मूल्य तय किये हुये गन्ना ले रही है, तो इसका भी एवॉर्ड इनको जाना चाहिये।

मैं दूसरी बात आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ यहां पर अमृत काल की बात होती है, बहुत अच्छी बात है। अब से पन्द्रह-बीस साल पहले की बात में कर रहा हूँ। माननीय भगवती सिंह जी ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों से कहा कि आर0एस0एस0 के कार्यालयों में जाकर तिरंगा फहराओ। हम उन दिनों अपनी पार्टी के नगर अध्यक्ष थे। यह देशभक्ति का काम था तो हम लोग उत्साह में वहां पर तिरंगा फहराने चले गये, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां पर हम लोगों पर तलवारों से हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गये। जब मैं वहां से भागा तो मेरा कुर्ता एक व्यक्ति के हाथ में आ गया और वह फट गया। मैं किसी तरह से फटे हुए कुर्ते में वहां से आ पाया। इसलिये इन लोगों को यह भी एवॉर्ड मिलना चाहिये कि अब से पन्द्रह-बीस साल पहले यह लोग तिरंगे को आर0एस0एस0 के कार्यालयों पर फहराना भी नहीं चाहते थे। मैं आज आपके सामने हूँ इसलिये कि मैं उस समय वहां से भाग आया था। झंडा फहराना अच्छी बात है और हम लोग खुद ही तिरंगा अपनाते हैं, लेकिन घर-घर वाला यह क्या तमाशा है। मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने मोहतरमा का अभिभाषण पढ़ा जिसमें एक भी जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आदरणीय खन्ना जी बहुत संजीदा आदमी हैं, बुर्जुग आदमी हैं, हम उनको एक शेर सुनाना चाहते हैं कि 'हमने सोचा था

कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया'। यहां लोगों के दिल टूटे हुये हैं। लोग सहमे हुये हैं। जिस तरह से आप एकतरफा बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, खुशहाली आनी चाहिए थी, हरियाली आनी चाहिए थी लेकिन कहीं सूखा है, और कहीं पानी से हरियाली है। मान्यवर, मैं आधा मिनट में अपने क्षेत्र की समस्यायें केवल पढ़कर सुना रहा हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवालखास मेरठ के रसूलपुर धोलडी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाये। ग्राम रोहटा जो बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है इसको भी नगर पंचायत बनाया जाये। नगर पंचायत खिवाई में हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट का दर्जा दिया जाये। किनोली ब्लाक विधान सभा क्षेत्र जो रोहटा में है इसमें एक इण्टर कॉलेज की व्यवस्था की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत लम्बी लिस्ट है लिखकर दे दीजिएगा।

श्री गुलाम मौहम्मद-

नगर पंचायत हर्रा में पशुचर भूमि पर एक स्टेडियम बनाया जाये। नगर पंचायत खिवाई में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक आई0टी0आई0 खोली जाये। नगर पंचायत हर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाये। नगर पंचायत करनावल में स्टेडियम खुलवाया जाये। ग्राम छुर में कुश्ती का बहुत शौक है वहाँ पर कुश्ती की सुविधायें दी जायें और दबथुआ गाँव में हमारी बच्चियों की कबड्डी की प्रतियोगितायें होती हैं वहाँ कबड्डी के लिए सुविधा दी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती केतकी सिंह-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, मैं डा0 नीलकण्ठ तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। मैं मा0 राज्यपाल जी द्वारा कहे हर एक शब्द और वाक्य का एक नागरिक होने के नाते अपने मन से समर्थन करती हूँ, क्योंकि उनके कहे हर एक शब्द में उतनी ही सत्यता थी जितनी इस बात में कि आज की रात के बाद कल का सवेरा अवश्य आयेगा। उतनी ही सत्यता थी कि जितनी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के पहले जिस तरह से गरीबों की आँखों में आंसू हुआ करते थे मोदी जी की सरकार के आने के पहले जिस तरह महिलाओं की आँखों में आंसू हुआ करते थे और 2014 और 2017 से पहले जिस तरह से आम जनमानस की आँखों में आंसू हुआ करते थे। आज उस बदलाव के बाद जिस तरह उजाला आया है मैं उसका समर्थन करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारे विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी अपनी बात रख रहे थे। उनकी एक बात में विपक्ष के साथियों के सामने रखना चाहूंगी।

मुझे यह उम्मीद थी कि वह जब बोल रहे हैं तो एक अच्छे विपक्ष के नेता का भाषण हमें सुनने को मिलेगा। परन्तु उनके डेढ़ घण्टे के भाषण में आधा घण्टा तो हमने बैट बॉल की कमेंट्री मिली। किस तरह बॉल मारा जाता है किस तरह से छक्के मारे जाते हैं। वह यही गिनते रह गये और शायद यही कारण है कि वह पिच पर यह देखते रह गये कि महाराज जी तीन बॉल के बाद कितनी बार बैट मार सकते हैं और महाराज जी ने नीचे से उनकी पिच ही खींच ली और वह क्लीन बोल्ड हो गये। मुझे उनके भाषण में एक चीज बार-बार देखने और सुनने को मिलती है कि एक सेल्फ आब्सेशन शब्द है उनको अपने आप से इतना सेल्फ आब्सेशन है कि हमने यह किया हमने वह किया। आज हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की आत्मा चैन की सांस ले रही होगी क्योंकि उनको यह डर होगा कि कहीं अखिलेश यादव जी यह न कह दें कि शून्य का अविष्कार भी समाजवादियों ने किया था। इस बात का उनको डर था पर मैं अपने समाजवादी भाइयों को इस बात का धन्यवाद करना चाहूंगी कि यह क्रेडिट आपने उनसे नहीं छीना।

साथियों 2017 से पहले आप भी अपने क्षेत्र में जाया करते थे लोगों के बीच में वोट मांगने जाते थे, हम भी जाते थे। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बतायें कि उस समय कैसे इतने गरीब बहनों के आवास, शौचालय, राशन या गैस आपको देखने को मिलते थे। आज जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो गर्व से एक गरीब के घर में मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि उसके सिर पर छत है, उसके घर के चूल्हे में मैं गैस देखती हूँ, उसके घर में 24 घण्टे नहीं तो कम से कम 18 घण्टे बिजली देखती हूँ। अभी बिजली के लिए आप इतना रोना कर रहे थे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे याद आता है कि जब मेरा विवाह हुआ था तो यही समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो मैंने अपनी माता जी से इतना झगड़ा किया कि उस समय सात दिन में और सात दिन रात में लाइट आया करती थी। तो मैंने यह कहा कि इससे बुरी जगह आपको मेरा विवाह करने के लिए नहीं मिली।

मान्यवर, मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप बिजली पर प्रश्न उठाते हैं, आप महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा पर प्रश्न उठाते हैं। साथियों जिसके घर खुद शीशे के बने हों, वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी छुट्टा जानवर, सांड़, बैल की बात हो रही थी। यहां पर बलिया जनपद के कई मा0 विधायक बैठे हैं। मैं महिला होकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि वर्ष 2017 से पहले दो पैर वाले सांड एवं जानवर घूमा करते थे और पता नहीं सर पर लाल रंग क्या पहना करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। वह ऐसे घूमा करते थे कि शाम पांच के बाद कोई भी लड़की कोई भी महिला अपने घर से निकलने से डरती थी। आप महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं। एक महिला राज्यपाल जिसने न जाने कितने वर्ष अपनी इस राजनीति को दिए हैं, जिसने अपना नाम एवं पहचान बनाई है, बिना किसी जात-पात एवं ऊँच-नीच के अपना नाम एवं पहचान बनाई है। ऐसी महामहिम राज्यपाल महोदया जब सदन में आकर अपना अभिभाषण देती है, तो आप कहते हैं कि राज्यपाल

गो-बैक, गो-बैक। आप उनके सामने इस तरह बात करते हैं। जबसे महाराज जी आए हैं तबसे मेरे क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जब आपकी सरकार थी तब आपके लोगों ने आपका काम नहीं किया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी सरकार खुले मन से बहुत काम कर रही है, सभी के लिए कार्य कर रही है। जब देने वाला इतना दिलदार हो तो मांगने में कमी क्यों की जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि डुमरिया गांव में रेल फाटक पर एक उपरिगामी सेतु की आवश्यकता है अगर उपरिगामी सेतु का निर्माण करा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे क्षेत्र की बच्चियां मा0 योगी जी से बहुत उम्मीद करती हैं कि वहां पर एक महिला महाविद्यालय बन जाए तो चार चांद लग जाए। अगर मैं अपने भाइयों के लिए दो लाइनें बोले बिना चली जाऊँगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा।

'नफरत बुरी है, न पालो इसे,
दिल में खलिश है, निकालो इसे,
न मेरा न तेरा, न इसका न उसका,
यह सबका वतन है, संभालो इसे।'

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री छोटे लाल वर्मा-**

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के लक्ष्यों को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति के साथ शांति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार में तहसील स्तर पर सम्पूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर आयोजित किये जा रहे थाना दिवस में शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। इसके अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जी-20 की बैठकों का आयोजन 04 जनपदों लखनऊ, आगरा वाराणसी एवं गौतमबुद्धनगर में किया जायेगा। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से सम्पर्क किया गया। नीदरलैण्ड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कण्ट्री के रूप में सहभागिता की गयी। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को निवेश के महाकुम्भ का स्वरूप प्रदान किया। तैंतीस लाख पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश-आशय प्राप्त हुए हैं। मा0 प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 8.51 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। मा0 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 4.29 करोड़ नामांकन के साथ उ0प्र0 प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 16 प्रतिशत है। मा0 प्रधानमंत्री/मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। हमारी सरकार दिनांक 02 फरवरी, 2020 से प्रत्येक सप्ताह प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित कर रही है। जिसमें 11.69 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार में लखनऊ से गाजीपुर तक 340.82 किमी0 लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनपद चित्रकूट से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा 296.07 किमी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी0 लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य गतिमान है। हमारी सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 100 से अधिक आबादी के समस्त राजस्व ग्राम में पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की ओर अग्रसर है। वहीं अब 09 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से कियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है तथा अगले कुछ वर्षों में 21 एयरपोर्ट के साथ प्रदेश देश में सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार के साथ वर्तमान जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 20-22 घण्टे व गांवों में 18-20 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2017 से अब तक 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण करते हुए प्रदेश में शत-प्रतिशत मजरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। हमारी सरकार पिछले पांच वर्ष में 1.64 लाख शिक्षकों का चयन कर शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनाती की गयी है। समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु रु0 1200 प्रति छात्र की दर से धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यों में सुधार के लिये वर्ष 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आदरणीय वर्मा जी, कुछ अपने क्षेत्र के लिए भी लिखकर लाये होंगे। वह भी पढ़ दीजिए, उसको पहले पढ़ दीजिए।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, आपने दस-दस मिनट दिये हैं, मुझे दो मिनट बोल लेने दीजिए। 'डिजिटल लिटरेसी' को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों की ई-मेल आई0डी0 सृजित की गयी हैं। हमारी सरकार स्नातक स्तर के निर्माणाधीन 04 इंजीनियरिंग कॉलेजों मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोण्डा तथा आगामी शैक्षिक सत्र से पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के...

श्री अधिष्ठाता-

आप इसको दे देंगे तो कार्यवाही का अंग हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे राइटर भी इतना तेज आप चल रहे हैं कि वे लिख नहीं पा रहे हैं।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, अभी दो मिनट नहीं हुए।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, घड़ी चल रही है। अब आप समाप्त करिए।

श्री छोटे लाल वर्मा-

हमारी सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत धनराशि रु0 500 से बढ़ाकर रु0 1000 प्रतिमाह कर दी है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री संग्राम सिंह जी आप बोलिए।

श्री छोटे लाल वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, मैं दे दूंगा।

***श्री संग्राम सिंह-**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी बहन केतकी सिंह जी बैठी हैं, इनके हमारे बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है जिसको मैंने भी सुना है। आप भी बलिया के रहने वाले हैं, हम लोगों के नेता हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते थे माननीय श्री चन्द्रशेखर जी। केतकी सिंह जी के ससुर श्याम सिंह जी भी हम लोगों के मित्र थे और चन्द्रशेखर के नाम पर बलिया की दलीय सीमाएं बिल्कुल टूट जाया करती थीं। आप भी जानते हैं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि चाहे जिस पार्टी से चन्द्रशेखर जी चुनाव लड़ें, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी बलिया में और चुनाव न लड़कर उनको हमेशा सदन में भेजने का काम करती थी। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आज सदन में बलिया की बात को रखने का काम किया। मैं माननीय केतकी सिंह विधायिका जी से कहना चाहता हूँ कि विधायिका जी माननीय चन्द्रशेखर जी के नाम पर वर्ष 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, जबकि हमारे लोग सन् 1952 से बलिया में विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, लेकिन बलिया में विश्वविद्यालय नहीं बना था। तभी माननीया इंदिरा गांधी जी ने बलिया में आकर शिलान्यास तो जरूर किया था, लेकिन विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारे चन्द्रशेखर जी के नाम पर अखिलेश यादव जी ने किया।

मैं माननीय केतकी सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप विधायक हैं, हम लोगों की प्रतिस्पर्धा यह नहीं होनी चाहिए। चन्द्रशेखर जी कहा करते थे कि सारे दल के नेता एकजुट हो जाओ और मुख्य मंत्री के पास बैठना हो तो बैठो। लेकिन वर्ष 2016 के बाद माननीय चन्द्रशेखर जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय बना क्या एक ईंट रखी गयी। पहला विश्वविद्यालय है जहां केवल सर्टिफिकेट बांटा जाता है, वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है।

(इस समय रात्रि 08 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बलिया के लोगों ने बलिया के हमारे पूर्वजों ने जब आवश्यकता पड़ी इस देश को तो सबसे पहले 1857 का बिगुल फूँकने का काम किया था तो मंगल पाण्डेय ने किया था। चूँकि हमारा जिला बलिया सबसे लास्ट में पड़ता है तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हमने तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की माँग की थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि यह पी0पी0पी0 क्या होता है ? एक दिन हमने अखबार में पढ़ा कि अडानी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अध्यक्ष महोदय, अडानी मेडिकल कॉलेज खुले या न खुले, उससे बलिया पर कोई असर पड़ने वाला इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारे लोग बड़े गरीब हैं। हमारा जनपद चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, गंगा नदी, घाघरा नदी, टोंस नदी, मँगई नदी। आधी फसलें हमारी बाढ़ में चली जाती हैं, केवल एक फसल होती है और लोग जा करके बाहर रोजगार करने का काम करते हैं। हमारे 80 परसेण्ट गरीब उस मेडिकल कॉलेज में दवा नहीं करा पायेंगे, इसलिए सदन के माध्यम से मैं माँग करता हूँ, केतकी सिंह जी, हम भी आपके साथ माननीय मुख्य मंत्री जी के पास चलेंगे, वित्त मंत्री जी के पास बैठा जाए। मेडिकल कॉलेज राजकीय होना चाहिए, पी0पी0पी0 को बलिया नहीं माँग करता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि 2016 की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बलिया को स्पोर्ट कॉलेज दिया था। कॉलेज की स्थापना कर दी, सैकड़ों एकड़ में पूरी बाउन्ड्री बन गयी, 07 साल बीत गया, लेकिन आज तक उसके बाद एक ईंट नहीं रखी गयी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे गाँव हैं, जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उन गाँवों की सड़कों का अगर चौड़ीकरण, उच्चीकरण करा दिया जाए, एन0एच0-31 से रामपुर चीट का सम्पर्क मार्ग, भरौली रामगढ़-इकौनी दुलारपुर से भसनिया जो गाजीपुर को जोड़ता है, उस सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण और उच्चीकरण हो जाए। बुलन्ता जी से रामगढ़ सम्पर्क मार्ग, इकौनी से मिरोडा तक सम्पर्क मार्ग, बिलरिया से कडेरा सम्पर्क मार्ग, सागरपाली से गंदेरा सम्पर्क मार्ग। मान्यवर, नदियों के कटान से हमारा जनपद पूरी तरह से प्रभावित है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, टोंस नदी से रामपुर चीट में 3-3 जगह कटान हो रहा है। मँगई नदी में निसार बस्ती पर कटान हो रहा है। बलिया में गंगा और टोंस नदी जहाँ मिलती है, माननीय अध्यक्ष जी, बलिया का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में है। वहाँ इतना बड़ा कटान होने जा रहा है कि वह कटान अगर नहीं रोका गया तो वह बलिया का अस्तित्व मालेपुर में खत्म कर देगा। उस कटान को रोकने के लिए मैं इस सदन से माँग करता हूँ। उसको इस संशोधन में जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में बात हो रही थी। हमारी विधायिका जी ने कहा कि 24 घण्टे बिजली मिल रही है। हमारे जनपद में अगर 05 आदमी का भी बिल बकाया है तो वहाँ का अधिकारी पूरे के पूरे गाँव की बिजली को काट देने का काम करता है। अगर पूछा जाता है तो जे0ई0 कहता है कि ऊपर से आदेश है, अगर पैसा नहीं जमा हो रहा है तो गाँव वाले मिल करके पैसा जमा करायें।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करिए।

श्री संग्राम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक माँग। मान्यवर, हमारे यहाँ लोग जनपद मुख्यालय पहले जाते हैं और ब्लाक उसके बाद पड़ता है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से फेफना को ब्लाक बनाये जाने की माँग करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद।

***श्री चन्दन चौहान-**

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 47 पन्नों में हजारों सपनों को जगह देने के बाद 2023-24 का महामहिम जी का भाषण बड़ी घोषणाओं के दस्तावेज के अलावा और कुछ नहीं लगता। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर समय-सीमा को देखते हुए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ प्रमुख बिन्दुओं पर बोलने का मैं आज काम करूँगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अपनी सरकार की तारीफ करना उनका पूरा अधिकार है, पर उनकी सरकार की सकारात्मक आलोचना करना और सरकार द्वारा किए गए वादों को याद दिलाना, यह एक मजबूत विपक्ष का अधिकार भी है और इस लोकतंत्र के मन्दिर में हमें इस परम्परा को जिन्दा रखना चाहिए। मान्यवर, हम किन्हीं आर्थिक गतिविधियों के खिलाफ नहीं हैं, न ही किसी इन्वेस्टर्स समिट के खिलाफ है। पर आज भी हिन्दुस्तान का और खासकर प्रदेश का सबसे बड़ा कोई इन्वेस्टर है तो इस प्रदेश का किसान है जो अपने खून-पसीने से, अपनी पूँजी को लगाकर इस देश के, इस प्रदेश के लोगों का पेट भरने का काम करता है और जब तक स्व0 चौधरी चरण सिंह जी, स्व0 चौधरी अजीत सिंह जी, स्व0 मुलायम सिंह जी, बाबू नारायण सिंह जी का जब तक सपना पूरा नहीं होगा, तब तक इस देश का किसान के खुशहाल होने का काम नहीं होगा। खून पसीने की मेहनत से पैदा हुई फसल का सही समय पर और सही मूल्य अगर दे दें तो शायद यही सबसे बड़ा सम्मान किसानों के लिए हो सकता है और किसान आज भी अपनी आय को दोगुनी होने का इंतजार देख रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरी मीरापुर विधान सभा क्षेत्र में जनपद मुजफ्फरनगर में 16-12-2021 के अन्दर चार बजकर पचास मिनट पर इसी सदन के अन्दर मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा की गई थी। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और क्षेत्र से लगातार फोन आ रहे हैं कि इस बार भी सरकार की घोषणा में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं भी विस्तारीकरण की जगह नहीं है जबकि हजारों लोग धनतेरस के दिन भूखे-प्यासे इक्ट्ठे होकर सरकार को अपनी बातों से अवगत कराने का काम किये थे और इस बार भी गन्ने के भाव को बढ़ाने का काम नहीं हुआ है। राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण पर दुग्ध उत्पादन के बारे में बात की और बताया कि देश में सोलह प्रतिशत दूध उत्तर प्रदेश के अन्दर आता है अगर मैं इस बात को घूमाकर कहना चाहूँ तो सबसे बड़ी मिलावट आज भी कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अन्दर है, क्योंकि आज भी आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति पशु उत्पादन गाय का चार लीटर प्रतिदिन है और भैंस के दूध का साढ़े चार लीटर प्रतिदिन है। पी0डी0एफ0ए0 में आज भी प्रदेश में पंजाब और हरियाणा में 72-73 लीटर तक दूध देने वाली नस्लों का है। अगर यही मिलावट रही तो कैंसर जैसी बीमारियों का आगे इस देश और प्रदेश में संचार होने का काम होता रहेगा।

जल जीवन मिशन, हर घर जल नल योजना आज के समय में हर गांव में सड़क तोड़ना योजना बन गई है इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है इस पर भी सरकार ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे साथी मंत्री और वरिष्ठ लोग शुक्रताल घूमने आए होंगे वहां लगातार साधू-सन्त मांग करते आए हैं गंगा की अविरल धारा को लेकर उसके लिए भी कोई आश्वासन मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस बार नहीं है उसकी भी आशा करेंगे आपके

माध्यम से कि शुक्रताल में गंगा की अविरल धारा हो जिससे वहां के श्रद्धालुओं को अपनी पावन भूमि में आकर अपनी गंगा जी में डुबकी लगाने का अवसर मिले। युवाओं के लिए आज कहा गया है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अन्दर बहुत से स्कूल टूट गए हैं। और उनको सार्वजनिक नीलाम कर दिया गया है और उसके एवज में आज बच्चे वैकल्पिक व्यवस्थाओं में पेड़ के नीचे या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था गाँव में पढ़ने के लिए मजबूर है इसमें बजट का प्रावधान करके जल्द से जल्द सभी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा वरना 92 प्रतिशत रिजल्ट है। युवा जब सी0सी0 सर्टिफिकेट और डिजिटल भारत का निर्माण में काम कर रहे हैं तो उस समय सर्टिफिकेट बनवाने में और मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। मान्यवर समय की बाध्यता को देखते हुए इतना कहना चाहूंगा इस सदन में आश्वासन समिति भी है पर एक समाधान समिति बनाने का काम करें। आपने हमें बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, आपने हमें मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डा0 नीलकण्ठ त्रिपाठी द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने लगातार छः वर्षों से कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सरकार लगातार किसानों, नौजवानों और महिलाओं के साथ-साथ विकास योजनाओं के बड़े-बड़े काम कर रही है। पहली बार जनता भयमुक्त माहौल में सम्मान के साथ रह रही है। माफिया-भू-माफिया जेल जा रहे हैं, निवेशकों के लिए यू0पी0 स्वर्णिम जगह बन रही है यह सभी को ज्ञात है कि पहले की सरकारों में कैसे भय और लूट का माहौल था, लेकिन बीते पांच सालों में जब से यह भाजपा की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में अव्वल स्थान पर रही है। यहां बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। हमारे गरौठा विधान सभा क्षेत्र में सरकार डिफेंस कॉरिडोर बना रही है।

इस पर काम शुरू हो गया है, यह पूरे बुन्देलखण्ड में रोजगार के संकट को खत्म कर देगा। पानी को तरस रहे बुन्देलखण्ड में पेयजल और सिंचाई की परियोजनाओं से आज सूरत बदल रही हैं। गरौठा में पीने का पानी जहाँ पहले मोल खरीदते थे, वहीं पर हमारे आदरणीय पूर्व नगर विकास मंत्री खन्ना जी ने एक पेयजल योजना 85 करोड़ रुपये की बनायी थी गरौठा और गुरसराय की जो पूरी होने जा रही है। इसी तरह हर घर नल योजना के द्वारा गाँव-गाँव में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। आजादी के बाद से जहाँ सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिलता था, वहाँ आज बड़वार झील में 70-80 गाँवों हेतु पहली बार पानी भरा है। आज सब लोग देख रहे हैं कि इससे किसान की पैदावार बढ़ी है।

बुन्देलखण्ड जिसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरब के लोग कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा किसान बड़े हैं, लेकिन वास्तव में बुन्देलखण्ड के लोग बाहर जाते थे, पलायन करते थे। लेकिन आज रोजगार का संसाधन वहीं पर बन गया है। हम कह सकते हैं कि आज बुन्देलखण्ड में वास्तव में रोजगार का बहुत बड़ा सृजन हो रहा है। आज हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती हो रही है। आदरणीय योगी जी के द्वारा जो प्राकृतिक खेती का हब बनाने का काम हो रहा है। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, वह चाहते हैं कि पूरे बुन्देलखण्ड को खेती का हब बनाना है, वे प्राकृतिक खेती का हब बनाना चाहते हैं। आज अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ? हम लोग रासायनिक खादों का, कीट नाशक दवाओं का जहरीला भोजन, विषाक्त भोजन खा रहे हैं। हम इसे फल में, सब्जी में, अनाज में खा रहे हैं। जब हम लोग गौमूत्र का प्रयोग करके अगर हम खेती करेंगे तो एक गाय से कम से कम 10 एकड़ में खेती हो सकती है। इससे न केवल किसान की आमदनी दूनी होगी बल्कि उसकी लागत भी कम होगी और हमारी खेती में इजाफा होगा ।

आज हम कह सकते हैं कि योगी सरकार ने पहली बार, चना, मसूर, राई आदि फसलों के क्रय केन्द्र खुलवाये हैं। समर्थन मूल्य तो बहुत सी सरकारें घोषणा करती थीं लेकिन अगर किसी ने वास्तव में उसे जमीन पर लागू किया है तो योगी सरकार ने किया है। पहली बार योगी सरकार ने ही ऐसा किया है। आप चाहो तो रिकॉर्ड में देख लो, चाहे वह विपक्ष का कोई भी दल हो, सब जानते हैं लेकिन योगी जी ने क्रय केन्द्र चाहे उरद का हो, चाहे मूंग का हो, तिल का हो, ज्वार का हो, मक्का का हो, धान का हो, सभी का क्रय केन्द्र खोला है, समर्थन मूल्य पर खरीदा है। इस चीज को वास्तव में जमीन पर लाकर किसानों से खरीद की है। आज हम कह सकते हैं कि खरीफ की फसल में उरद का, तिल का, मूंगफली का, मूंग का, ज्वार का, मक्का का धान का जो नुकसान हुआ है खरीफ में, उसे कम से कम फसल बीमा के जरिए किसानों के खाते में सीधा जा रहा है। आज मुआवजा धनराशि सीधे किसानों के खाते में जा रही है। आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में लगातार सिंचाई के संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं पर बुन्देलखण्ड में चाहे बड़वार झील का हो, हमारे एरच बाँध का रुका हुआ काम है, वह जल्दी प्रारम्भ हो जाए। बाकी खिरिया घाट का पुल हम कह सकते हैं कि जो पुल बहुत लम्बे समय से प्रतीक्षारत है तो वहाँ पर खिरिया घाट का पुल जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। दूसरा हम कह सकते हैं कि वास्तव में लगातार डिफेंस कॉरिडोर में जो काम प्रारम्भ होना है, उसमें सरकार ने पहले अपना एक लक्ष्य लिया है, न केवल जहाँ-तहाँ सड़कें जीर्ण-शीर्ण थीं, बल्कि अब वे शानदार बन गई हैं। हम तो समझते हैं कि बुन्देलखण्ड में जैसे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को लाकर वहाँ पर एक स्वर्णिम अवसर दे दिया है।

आज हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वास्तव में बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा मटर की खेती होती है तो अगर आप मटर की फसल के समर्थन मूल्य का

प्रस्ताव केन्द्र सरकार को देंगे तो हमें लगता है कि वे इसे स्वीकार करेंगे जिससे किसानों को मटर की फसल के समर्थन मूल्य का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही हमारी बेतवा नदी पर लिफ्ट कैनाल की परियोजना का कार्य प्रारम्भ होना है उक्त परियोजना से हम मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि कम से कम उसके टेल तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे, जहाँ आज तक पानी नहीं पहुँचा है। हम यह कह सकते हैं कि अन्ना जानवर की वर्ष 2017 से पहले कितनी भीषण समस्या थी ? लेकिन आज बुन्देलखण्ड में लगातार गौ-आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, गौशालाएँ बन रही है। वास्तव में हम लोग अपनी विधायक निधि का पैसा भी इसमें दे रहे हैं। किसान अपनी फसल के लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात कुछ भी न देखते हुए लगातार अपने खेत में खड़ा रहता है लेकिन आज कम से कम छुट्टा जानवर गौ-आश्रय स्थल में, कान्हा उपवन में बन्द हैं। इसमें लगातार सरकार के द्वारा वास्तव में अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है। आज अगर किसानों के लिए किसी ने कोई काम किया है तो वह योगी जी ने किया है। पहले प्रदेश में माफिया, भू-माफिया, बालू माफियाओं का अपराध फैला हुआ था लेकिन योगी जी ने सबको समाप्त कर दिया है। धन्यवाद।

***श्री कमाल अख्तर-**

धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारे सत्ता पक्ष के साथियों के भाषण मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर सारी समस्याएँ खत्म हो गई हैं। कोई समस्या अब रही ही नहीं और न अब ऐसी कोई चीज बची है जिसका विकास किया जाना हो। अब कुछ विकास का काम भी नहीं बचा है। सारा विकास हो गया लेकिन जब आप टोकते हैं तो वह कहते हैं कि कुछ समस्यायें हमारे क्षेत्र की हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है जिसने अपनी समस्या नहीं बताई है। मैं यह कह सकता हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो यह दस्तावेज पढ़ा है वह सच से एकदम परे है। इसलिए परे है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर यह नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्तापक्ष के लोग नारा लगाते हैं तो जनता को तो आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष जी, हम लोग यहाँ पर विधान सभा के सदस्य हैं और हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। यह बात अलग है कि जहाँ से हम लोग जीतकर आए हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता लेकिन कहीं न कहीं जनता ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया है लेकिन जब आप विकास के मामले पर जाएंगे तो वहाँ पर विपक्ष के लोगों को ऐसे दरकिनार कर दिया जाता है जैसे हम लोग 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे के अन्दर आते ही नहीं हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3 करोड़ रु0 के कवरेज के अन्दर सत्तापक्ष के विधायकों के प्रस्ताव ले लिये जाते हैं लेकिन हम लोगों के प्रस्ताव इसलिए नहीं लिये जाते क्योंकि हम विपक्ष के लोग हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह भेदभाव चल रहा है। जहाँ तक दस्तावेज में किसानों की बात कही है। हमारा किसान वह किसान है उत्तर प्रदेश के अन्दर जब कोरोनाकाल था, हमारे कई साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोरोना खत्म हो गया। पता नहीं कौन से डाक्टर ने अथवा कौन से साइन्टिस्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोरोना खत्म हो गया लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि यह किसान वही किसान है जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था, जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाकर कोरोनाकाल में हम लोगों को पूरी दुनिया के सामने खड़े रखने का काम किया था

(मेजों की थपथपाहट)

लेकिन आज किसान की हालत यह है कि उसको पेमेण्ट नहीं, उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती है और बिजली विभाग का आलम तो यह है कि करोड़ों-करोड़ रुपया किसानों का बकाया था चीनी मिलों के लेकिन यदि किसी किसान के ऊपर 20,000/-रु0 बिजली का बिल देय हो गया तो बिजली विभाग के लोगों ने सबसे पहले किसान का कनेक्शन काटने का काम किया, उसको लूटने-खसोटने का काम किया और यहाँ पर हालत यह है कि यदि कोई किसान किसी खाद की दुकान पर खाद खरीदने जाता है या किसी सोसाइटी पर खाद खरीदने जाता है तो वहाँ पर यदि वह खाद का कट्टा लेगा तो उसके साथ-साथ 200-250 रु0 की एक दवाई और दी जाती है।

मैं कह सकता हूँ कि आज इतनी बुरी दुर्दशा में किसान है कि आज आलू का आलम यह है कि दो सौ रु0 का कट्टा तक लेने को तैयार नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, विकास के नाम पर, स्कूलों के कायाकल्प के नाम पर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मा0 वित्त मंत्री जी, यहाँ पर बैठे हैं। आप जाकर देखिए गाँवों के प्रधानों की स्थिति क्या है, आप ग्राम प्रधानों का एक सम्मेलन बुलवा लीजिए। उत्तर प्रदेश की किसी भी ग्राम सभा का प्रधान ऐसा नहीं है जो आज पीड़ित नहीं हो। यहाँ तक इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है कि आपने पंचायत सहायक रखवाये, आपने सफाई कर्मचारी रखवाये, आपने शौचालय गाँव के अन्दर बनवाये, आप जल सखी रखने जा रहे हैं लेकिन आपने कहीं पर भी बजट में उनकी सैलरी का प्रावधान नहीं किया। राज्य वित्त आयोग से उनका पैसा काटकर आज गाँवों का विकास रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसी तरह कायाकल्प के नाम पर, आप जाकर पूछिये प्रधानों से जो नगरपालिका, नगर पंचायत के चेयरमेन हैं उनसे कहा जाता है कि आप सीधा-सीधा जाकर यदि यहाँ पर खर्च नहीं करेंगे जो सड़क बनाने का पैसा है, जो गाँव के विकास का पैसा है, वह स्कूलों में लगाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मा0 अध्यक्ष जी, 'वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज' का नारा इसके अन्दर लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

(सदस्य श्री रत्नाकर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष-

देखिए मैंने उनका माइक समय पूरा होने पर बन्द कर दिया था। आपके तीस सेकेण्ड ज्यादा हो गए हैं। आप कितने खुश हुए थे जब मैंने राजपूत जी का माइक समय से बन्द किया था। अब राम विलास जी को भी खुश होने दीजिए।

श्री कमाल अख्तर-

अध्यक्ष जी, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट लोग बोले हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मुरादाबाद जनपद से आता हूं। मुरादाबाद जनपद सबसे ज्यादा फारेन करेंसी रेवेन्यू दिलवाने वाला जिला है। वहां बहुत बड़ा पीतल का कारोबार है। अध्यक्ष जी, वहां पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जहां पर गरीब बीमार जनता का लाखों-लाखों रुपये में इलाज होता है। अगर सरकार वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनवा दे तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों का भला हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सदस्यों को 11:00 बजे तक बोलने के लिए कहा था। हम सब सदस्य अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

11:00 बजे तक का समय था। ठीक है, सबने इन्तजार किया, मैं भी तो यहां पर बैठा हूं, मैं भी तो नहीं गया। आपको कल बोलने का मौका देंगे। मैंने कहा तो था लेकिन हाउस के हिसाब से चलना पड़ता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने कार्य-मंत्रणा में भी आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। रेशियो के हिसाब से समय देना होता है फिर भी मैं ज्यादा समय देता हूं।

***श्री राम विलास चौहान-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास का विस्तृत खाका खींचा गया है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की अपेक्षा पर खरी उतरी है। राज्य में विकास की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है उससे देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दौड़ में है। सरकार सबके कल्याण के लक्ष्य को आगे रख कर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। योगी सरकार सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है जिससे अपराधियों में भय का माहौल है और जनता शान्त भाव से राहत महसूस कर रही है। मान्यवर, जन समस्याओं के निस्तारण के लिए कई अनोखी पहल की गयी है। इसमें आई0जी0आर0एस0 और सी0एम0 हैल्पलाइन जनता द्वारा पसंद की जा रही है ।

मान्यवर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2027 तक देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें यू0पी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। योगी सरकार यू0पी0 की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन पर ले जाने की राह पर चल रही है। इसके लिए सरकार ने विकास एक्शन रिफार्म प्लान के तहत 650 से ज्यादा सुधार लागू किए हैं।

महोदय, हाल ही में हुए यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश में 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यू0पी0 निवेशकों की पहली प्राथमिकता है। महोदय, वर्षों से पूर्वांचल जिस राजनीतिक भेदभाव का शिकार रहा है उससे आप सभी परिचित होंगे पर आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूर्वांचल की तस्वीर बदली है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर फर्टिलाइजर का फिर से शुरू होना पूर्वांचल की बदलती तस्वीर का अनुपम उदाहरण है। महोदय, मैं जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, पिछली सरकारों में, मऊ, गाजीपुर और आस-पास के क्षेत्रों में माफियाओं का राज हुआ करता था, खुलेआम अपराध हुआ करते थे और आतंक करने वाले सरकार की शह पर पला करते थे पर योगी जी के आने के बाद उन माफियाओं का क्या हस्र हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। महोदय, मैं आभारी हूँ मधुबन की देवतुल्य जनता का जिन्होंने मुझे अपनी आवाज इस सदन में उठाने का अवसर दिया है। योगी जी के नेतृत्व में मऊ में अनेकों कार्य हुए हैं जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, फिर भी कुछ काम की अभी लोगों को जरूरत है, जो मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र मधुबन है जो कि दोहरी घाट से लेकर सीयर तक घाघरा नदी के किनारे है जहां बरसात के दिनों में हमेशा बाढ़ आती है। वहां पर जब-जब बाढ़ आती है तो गांव की जितनी सड़कें हैं सब टूट जाती हैं, जिससे वहां पर जन-धन की बहुत ज्यादा हानि होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका निर्माण करवाया जाय और एक 5 किमी0 का बंधा है अगर उसका भी निर्माण करवा दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन बच जायेगी और लोग जनधन की हानि से बच जायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

(कई सदस्य एक साथ कहने लगे कि उन्हें अभिभाषण पर बोलने का अवसर दे दिया जाये)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, दो सदस्यों से बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दो लोगों को और बुलवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो लोग बचे हैं, वह कल सभी लोग बोल लेंगे। कल 2 बजे से 9 बजे तक चला लीजिएगा। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी परसों सुबह 11:00 बजे बोलेंगे। कल 01:00 बजे के बाद, जीरो ऑवर के बाद दलीय नेता बोल लेंगे और डेढ़ घण्टे में दलीय नेता बोल लेंगे। ढाई बजे से लेकर 9:00 बजे तक आप लोग बोल लीजिएगा।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा पुनः अनुरोध करने पर कि उन्हें अभिभाषण पर बोलने का अवसर दे दिया जाये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, एक और लॉस्ट बुलवा लेते हैं। सूची के हिसाब से श्री अरमान खान जी को बोलना है।

श्री अनिल कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दिन में विपक्ष के लोग वेल में आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वेल में आना उनका काम है।

श्री अरमान खान-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अभिभावक हैं, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि एक साल की प्रतीक्षा के बाद में कुछ कहने का अवसर मिला है। इसलिए एक-दो मिनट का अतिरिक्त समय दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या एक साल में पहली बार बोल रहे हैं ? 5 मिनट मिलेंगे और 12-13 सेकेण्ड हो चुके है।

***श्री अरमान खान-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल साहिबा के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ। अपनी बात कहने से पूर्व मैं अपने रब को, अपने माता-पिता को और सबके प्रिय माननीय अखिलेश यादव जी को लोकतंत्र के इस मंदिर तक मुझे पहुँचाने के लिए अनन्त धन्यवाद एवं अन्तरात्मा से सलाम करता हूँ, साथ-साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम की सर्वधर्म, सर्ववर्ग, सर्व समाज की समस्त सम्मानित देवतुल्य जनता को हजारों सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपना अपार प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देकर मुझ जैसे अदना व्यक्ति को सर्वसमाज की सेवा करने का अवसर दिया और यहाँ बैठने के काबिल बनाया।

मान्यवर, राज्यपाल साहिबा के अभिभाषण पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, यह तो सूरज को दीया दिखाने के बराबर होगा, लेकिन जनता ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, उसका निर्वहन करना भी आवश्यक है। महामहिम के अभिभाषण पर मैं जो भी कहने जा रहा हूँ, उसमें मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि उसका विश्लेषण किसी राजनीतिक विचारधारा, दलीय प्रतिबद्धता से जोड़कर न किया जाये, बल्कि इस प्रदेश में रहने वाले अन्तिम पंक्ति के उस नागरिक से जोड़कर देखा जाये, जो लोकतंत्र के इस मंदिर की ओर ढेरों उम्मीद और आशा से टकटकी लगाकर देखता है कि यहाँ से उसका, उसके परिवार का और उसके जीवन का कुछ कल्याण होगा। अपनी बात कहने से पूर्व मैं सरकार को समर्पित एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि-

आँख पर पट्टी और अक्ल पर ताला रहे, सरकार चाहती है, उसका मरतबा यूँ-आला रहे।

मान्यवर, मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ में कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में पेश किये जाने वाला यह अभिभाषण इस विधान सभा क्षेत्र में चाहे कितना सुंदर, कितना लोक लुभावन, कितना कल्याणकारी लगे, सत्तापक्ष के सम्मानित सदस्य इसकी चाहे जितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन यह बात अपनी जगह सत्य है कि इस विधान सभा के गेट से बाहर निकलते ही और सड़क पर आते ही इस शहर के उलझे हुए, चिड़चिड़ाये हुए नागरिक पर नजर पड़ते ही इस बजट की साँसें फूलने लगती है। इसका दम घुटनें लगता है और वास्तव में जिनके लिए यह अभिभाषण बनाया गया है, उनके घर पहुँचने से पहले ही यह अभिभाषण हिचकियाँ लेते हुए दम तोड़ देता है। मान्यवर, मुझे इसलिए भी कहना पड़ रहा है कि पिछले सात वर्षों से अभिभाषण पढ़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार सूक्ष्म, स्तर पर यह नहीं जान पा रही है कि यह अभिभाषण आखिर वास्तव में धरातल पर क्या कर रहा है ? यह बड़ी-बड़ी बातें धरातल पर सच क्यों नहीं हो रही है ? हमसे परिवर्तन की आशा रखने वाली जनता के सपने सच क्यों नहीं हो रहे हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और गहरी क्यों होती जा रही है ? भले आप यहाँ खड़े होकर सीना ठोंककर कह सकते हैं कि हमारा अभिभाषण इतना अच्छा है, उतना अच्छा है, मगर यह आप स्वयं भी जानते हैं कि आपकी बातें अर्धसत्य हैं, आपके वादे खोखले हैं।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आप सबकी अन्तरआत्मा यह जानती है मगर आप कहते नहीं क्योंकि आप अपनी आंखों में शर्मिन्दा होने से अपनी नजरों में गिरने से डरते हैं। इस परिस्थिति पर एक शेर सटीक बैठता है।

हाले सूरत हाले शहर, सूरते जहाँ और भी खराब, चारो तरफ खराब, वहाँ-वहाँ और भी खराब, नजरों में आ रहे हैं नजारे बहुत बुरे-बुरे, आम जनता की हालत यहाँ और भी खराब।

बड़ी-बड़ी और कपोल कल्पित बातें करने के बजाय मैं सिर्फ अगर अपने शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात करूं तो इस अभिभाषण में दी गई बातें एकदम निरर्थक लगती हैं। महामहिम के अभिभाषण में बिजली, पानी के मुद्दे पर कही गई बातों पर ही यदि हम बात करें तो इस सदन में मौजूद समस्त सदस्यों को आश्चर्य होगा कि जब इस विकसित शहर लखनऊ की अधिकांश जनता को ही साफ और स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है और आज भी लोग जब 20 रु0 बाल्टी पानी खरीद करके पी रहे हैं तो इस सारे प्रदेश की क्या स्थिति होगी। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज भी इस शहर के लोग बिजली का कनेक्शन पाने के लिए, दो पोल लगवाने के लिए, जर्जर तार हटवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा कर भी समाधान न पा रहे हों तो सोचिये सारे प्रदेश का क्या हाल होगा। जब विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी ही संगठित गिरोह बना कर जनता को लूट रहे हों, जनता से ही धन उगाही कर रहे हों तो स्थिति और भयावह हो जाती है। मैं इस शहर की जिस पश्चिम विधान सभा क्षेत्र से चुन करके आया हूँ वह गंगा, जमुना तहजीब की सुगंध से भरी हुई है। जहाँ मस्जिद की मीनारें और मन्दिर के गुम्बद एक साथ गले मिलते हैं जहाँ अल्ला हू अकबर की अजान और राम सिया राम सिया राम जय जय राम के भजन एक साथ गूंजते हैं और सब प्रेम और सद्भाव के साथ एक साथ घुलमिल कर रहते हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 23-02-2023 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। दिनांक 25 फरवरी, 2023 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी कर दिया जाये। दिनांक 25 फरवरी, 2023 को पूर्व निर्धारित निधन के निर्देश की सूचना न ली जायें। दिनांक 27 फरवरी, 2023 को निम्नलिखित विधेयकों के विचार अनुपालन की मदें ले ली जायें। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 (1)2 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियाँ, पेशन विधेयक 2023।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह सदन सहमत है ? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो वह हां कहें, जो माननीय सदस्य विरोध में हों वह नहीं कहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

अब हम याचिकाएं लेंगे।

डा0 रागिनी (उपस्थित), श्री मौ0 फहीम इरफान (अनुपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), डा0 अमित सिंह चौहान (उपस्थित), श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) (उपस्थित), डा0 डी0सी0 वर्मा (उपस्थित), डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा (अनुपस्थित), श्री अतुल प्रधान (उपस्थित),श्री अनिल कुमार त्रिपाठी (उपस्थित), श्री अनिल पाराशर (उपस्थित), श्री अनिल प्रधान (उपस्थित), श्री अनिल सिंह (उपस्थित), श्री अभय सिंह (उपस्थित) तथा श्री अभिजीत सिंह सांगा (अनुपस्थित)।

यह कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं आगे से इनसे पूछ लिया करिये जिस दिन यह उपस्थित हों उस दिन लगाइयें।

श्री अरमान खान (उपस्थित), श्री अवधेश प्रसाद (अनुपस्थित),श्री अशरफ अली खान (उपस्थित) तथा श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' (उपस्थित)।

जो माननीय सदस्य यहाँ सदन में उपस्थित हैं उनकी याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी जायेंगी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर में नेशनल हाई-वे से निकामुद्दीनपुर गांव से रतन गुप्ता के घर तक मरम्मत कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम चैकीकला में जंघई मछलीशहर रोड से रामदवर यादव के घर तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर में पिचरोड से मौर्या बस्ती होते हुए डा0 फूलचन्द्र यादव के घर तक नव निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम मीठेपार में ओंकारनाथ पाल के घर से भगीरथपुर पाल बस्ती तक मरम्मत कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत ग्राम राजापुर पकड़ी पक्की सड़क से राजापुर नहर तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)[†]

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुई :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम जरगांव से ग्राम सादिकपुर कलीजपुर तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश प्रजापति, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम उमरागोपालपुर से ग्राम खासेपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अलीनगर से ग्राम जानकपुर तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम शेखूपुर से ग्राम चिड़ियाभवन तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम जरगांव से ग्राम सैफपुर जगना तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर सिंह मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के गांव देवा से जेडा झाल की ओर जाने वाली सड़क पर देवा के समीप मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव न0 गोकुल (ग्राम पंचायत पाढम) मुख्य मार्ग से दस्तगीरपुर तक सीसी मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 600 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरदयाल शाक्य व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव भकारि विकास खण्ड हाथवंत में रामसनेही जी के घर से अम्बेडकर पार्क तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 200 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव दारापुर मिलावली में मुख्य मार्ग से सरमन लाल जी घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 100 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरमन लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव गोशपुर में शेषपाल जी के घर से अवधेश जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 600 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीलू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर के ग्राम पंचायत पुहुंपी के ग्राम रूसियामाफी, जनपद अयोध्या से भदरसा मार्ग पर मड़हा नदी पर लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामसजीवन तिवारी, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क सोहावल चौराहा से नउवाकुवाँ मार्ग पर स्थित सुचित्तागंज बाजार की दोनों पटरी पर नाली के मध्य इण्टरलॉकिंग लगवाने के सम्बन्ध में श्री गंगाराम गुप्ता, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड हरंग्टीनगंज अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सम्पर्क मार्ग शाहगंज से उमरपुर पर स्थित ग्राम रुरुखास मार्ग पर सी0सी0 मार्ग के निर्माण एवं दोनो ओर नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री भोला निषाद, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर की शाहगंज बाजार के किनारे दोनों ओर इण्टरलॉकिंग लगाने व नाली बनवाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश तिवारी, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर के बिबियापुर नेवादा मार्ग पर कम चौड़ाई के मड़हा नदी पर बने जर्जर पुल को चौड़ा व नया बनाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार दुबे, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम मलकपुरा में बम्बी से एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री पवन पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम दमां सम्पर्क मार्ग से पमां तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र व्यास एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम छिरिया सलेमपुर सी0सी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमल सेंगर एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम खर्रा में हुल्की माता मंदिर से खेरेश्वर धाम पक्के सड़क तक सी0सी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनोज बादल एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम खर्रा में मोक्ष धाम की बाउण्ड्री एवं गेट निर्माण के सम्बन्ध में प्रशांत द्विवेदी एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित चार तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका †

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत ठिरिया खुर्द में श्मशान भूमि डामर रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह फौजी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की ग्राम पंचायत सेवा ज्वालापुर में गनेशराम के घर से अनोखेलाल के खेत तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम देवी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम गौसगंज में धनेटा शीशगढ़ रोड नन्की के मकान से प्राथमिक विद्यालय गौसगंज तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनानाथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम अब्दुल्लागंज में प्राथमिक विद्यालय से सलामतगंज तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम आर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम लखनऊ के आदेशों का पालन कराते हुए प्रार्थी को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन की रजिस्ट्री एवं कब्जा दिलाने तथा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत दतावली में बाजार चौक से लेकर रामवीर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के हसमत नगर में सलमान के मेडिकल से जयकिशन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलमान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत लुहारी में मानवेन्द्र सिंह के घर से बलवीर सिंह के घर तक का सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पिलुआ के बारात घर की बाउन्डरी व बाहरी इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री कल्लू गुर्जर एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत जलोपुरा में सम्पर्क मार्ग से आलमपुर के सामने हनुमान मंदिर एवं शहीद स्मारक के बगल से बम्बा तक का

[†] छापी नहीं गयीं।

सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री अवनीश चन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीः-

1-जनपद मेरठ के जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के गांव चरला में मिनी स्टेडियम बनाने के संदर्भ में श्री रविन्द्र प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के विभिन्न विद्यालयों की छात्रवृत्ति को समय से जारी करने के सम्बन्ध में श्री राजदीप विकल एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों द्वारा भारी भरकम फीस की वसूली के सम्बन्ध में श्री नितिन कटारिया एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

5-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के फलावदा में सामुदायिक केन्द्र पर दवाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में श्री शाही अब्बास एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका ।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर में तरंग क्रासिंग ओवरब्रिज के नीचे प्राथमिक विद्यालय से सटे मदिरा विक्रय की दुकान को हटाए जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीः-

1-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड इगलास के ग्राम पंचायत बढ़ाकलां व आस-पास के क्षेत्रों में मालाबार नीम के पौधे रोपित कराने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका तथा

2-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड इगलास के ग्राम पंचायत बढ़ाकलां में सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्वी के ग्राम मऊ के तुरकउहा पुरवा में सड़क के नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री नत्थू यादव व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम सिधौली में सिधौली से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्वी के ग्राम फदाली का पुरवा, मजरा टिटिहरा में सम्पर्क मार्ग (600 मी0) के नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री भइयालाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम चिटहुली पुरवा (चौरा) चिटहुली पुरवा से ओरा नहर तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमनारायण व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्वी के ग्राम परसौंजा में राजकुमार सिंह के घर से नहर के पुल तक सड़क नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री कल्लू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड पुरवा अन्तर्गत प्राचीन बाबा बिल्लेश्वर धाम प्रांगण का सौंदर्यीकरण एवं रामलीला मंच बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कच्चे, खड़न्जायुक्त अतिजर्जर कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत एम0एम0यू0 मार्ग से ग्राम छीटू खेड़ा तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अहैसा में स्कूल के नाम से सुरक्षित भूमि पर राजकीय इण्टर कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के नगर पंचायत मौरावां में मौरावां हिलौली मुख्य मार्ग के अन्तर्गत मोहल्ला लक्ष्मीपुरम में दुर्गा मंदिर के पास से श्री श्यामबाबू लोधी के दरवाजे तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरदीप त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के ग्राम सभा कछौली-तारडीह सम्पर्क मार्ग पर कम्हरिया बाबा घाट मड़हा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के ग्राम मंगारी-परोमा सम्पर्क मार्ग पर विसुही नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र यादव, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के मोहम्मदपुर अरती से गयासपुर कोहड़ौरा घाट तमसा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के दिलासीगंज-कुर्की सम्पर्क मार्ग के बिसवल माझा में दीर्घ सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश सिंह, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या की तहसील सदर के ग्राम सभा दलपतपुर-रायपुर सम्पर्क मार्ग पर (हाथीराम बाबा घाट) दीर्घ सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका।

श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर के नगर पंचायत बिठूर के अन्तर्गत निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये

† छापी नहीं गयीं।

जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीः-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत भपटामऊ रेलवे क्रासिंग के किनारे-किनारे रामपुर मैदान दशहरी से काकोरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशिफ गाजी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत पुराना टिकैतगंज के रामलीला मैदान में हो रहे अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दु सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत मोहान रोड स्थित मॉडल सिटी कालोनी में संचालित दिव्यांग बालकों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपासना त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत टिकैतराय एल0डी0ए0 सचिवालय कालोनी में जलभराव व सीवर की समस्या के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार निगम व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत हरदोई लखनऊ रोड पर स्थित वरदानी मन्दिर के बगल से अहिरन खेड़ा मोड़ होते हुए नूरानी मस्जिद के पास आवासीय मोहल्ला तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह आलम व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री अवधेश प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड अमानीगंज से आमानीगंज बाजार तक की सड़क का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड अमानीगंज के अन्तर्गत ग्राम देवगांव में निर्मित पचास बेड के चिकित्सालय को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिराज अहमद निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत ग्राम कैल शिकारपुर व खेडा गदाई के मध्य नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निशान्त व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत मोहल्ला हाफिज दोस्त में जित्तू के मकान से जगत सिंह की पुलिया तक कच्ची सड़क का नवनिर्माण/ नाली खड़न्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालाराम व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे 709 बी0 हीन्ड पुलिया से नेशनल हाई-वे 709 ए0डी0 बुटराडा तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद अली व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत ग्राम इरशादपुर के शिव मन्दिर से जडोदा पांडा तिराहे तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इलाचन्द्र कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत ग्राम कैडी बाबरी मार्ग से मण्डी समिति स्थल तक जर्जर सड़क के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलफाम व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम-मल्लावां हरदोई के राजघाट को पक्का घाट निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोविंद द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

2-जनपद हरदोई में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अमर सेनानी राजा नरपति सिंह की शौर्यभूमि रुइयागढ़ी परिसर माधौगंज, हरदोई को राष्ट्रीय स्मारक बनवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नसीम व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद हरदोई की बिलग्राम तहसील व जनपद कन्नौज की सदर तहसील का सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में श्री शिवप्रकाश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

4-जनपद हरदोई के मल्लावां स्थित सुनासीरनाथ मन्दिर को पर्यटन स्थल बनवाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका तथा

5-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र 159 बिलग्राम-मल्लावां हरदोई के अन्तर्गत गंगा तट पर बन्धा निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्री उमर अली खान (उपस्थित), श्री कमाल अख्तर (अनुपस्थित) श्री कैलाश (उपस्थित), श्री गुरु प्रसाद मौर्या (उपस्थित), श्री गुलाम मौहम्मद (अनुपस्थित), श्री चन्द्रपाल सिंह (उपस्थित), श्री चेतराम (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल (उपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (उपस्थित), श्री जियाउद्दीन रिजवी (उपस्थित), श्री त्रिभुवन दत्त (उपस्थित), श्री दुर्गा प्रसाद यादव (उपस्थित), श्री देवेन्द्र सिंह लोधी (उपस्थित), श्री पंकज कुमार मलिक (उपस्थित), श्री पल्टूराम (अनुपस्थित), श्री प्रदीप कुमार चौधरी (उपस्थित), श्री प्रभात कुमार वर्मा (अनुपस्थित), श्री प्रसन्न कुमार (उपस्थित), श्री प्रेम नरायन पाण्डेय (उपस्थित), श्री ब्रजभूषण राजपूत (उपस्थित), श्री बेचई सरोज (उपस्थित), श्री बेदी, (उपस्थित), श्री मनीष रावत (उपस्थित), श्री मनोज कुमार पाण्डेय (उपस्थित), श्री मनोज कुमार पारस (उपस्थित), श्री महेन्द्र नाथ यादव (उपस्थित), श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी (उपस्थित), श्री मूल चन्द्र सिंह (उपस्थित), श्री मोहन वर्मा (अनुपस्थित), श्री रमेश चन्द्र मिश्र (अनुपस्थित), श्री रमेश जायसवाल (उपस्थित), श्री रवि शर्मा (अनुपस्थित), श्री रविदास मेहरोत्रा (उपस्थित), श्री राम फेरन पाण्डेय (उपस्थित), श्री रामअचल राजभर (उपस्थित), श्री राम अवतार सिंह (उपस्थित), श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी' (उपस्थित), श्री लकी यादव (उपस्थित), श्री लक्ष्मी राज सिंह (उपस्थित), श्री वाचस्पति (अनुपस्थित), श्री वीर विक्रम सिंह (अनुपस्थित), श्री वीरेन्द्र यादव (उपस्थित), श्री वेद प्रकाश गुप्ता (अनुपस्थित), श्री श्याम सुन्दर (उपस्थित), श्री श्रीकान्त कटियार (अनुपस्थित), श्री संग्राम यादव (अनुपस्थित), श्री संग्राम सिंह (उपस्थित), श्री संजय शर्मा (अनुपस्थित), श्री संदीप सिंह (उपस्थित)।

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत फूल कालोनी तथा इन्द्रा कालोनी को कस्बा बेहट या अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में श्री शौकत शेख व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों व मजरों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रब्बानी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के बेहट कस्बा व विभिन्न ग्रामों में विद्युत तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री इकराम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर में पोंटा साहिब से वाया खारां पावर हाउस होते हुए सिद्धपीठ माता शाकुम्भरी जी के तीर्थ स्थल तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राव फकरुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

5-जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट में इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फैजान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरदाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद, विधान सभा क्षेत्र कांठ के अन्तर्गत नगर पंचायत आगवानपुर से रामगंगा नदी के ऊपर ग्राम चटकाली तक पैन्टून पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रिजवान अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कैलाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री कैलाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया के अन्तर्गत सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संकाय वृद्धि के सम्बन्ध में डा0 केशव मूर्ति व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित मानी गयी।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री गुरु प्रसाद मौर्या, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के होलागढ़ विकास खण्ड के ग्राम मजरा नदवक में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुन्दल सिंह निवासी प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के सोरांव तहसील के ग्राम गदियानी मजरा धनपारी का पूरा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमृत लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के होलागढ़ विकास खण्ड के ग्राम गारवपुर में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पुष्पा देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के गद्दोपुर केशव मार्ग, न्यू शान्तीपुरम कालोनी, फाफामऊ में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड श्रृंगवेरपुर के ग्राम उल्दा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)[†]

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मेरठ के विकास खण्ड रोहटा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किनोनी में राजकीय महिला इण्टर कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत खिवाई में आई0टी0आई0 संस्थान की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हक्कू व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

3-जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत हर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री फुरकान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत रामपुर झाल से धारिकपुर राजवाह की पटरी रामपुर पुल तक सड़क नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत डिबाई-गणेशपुर-धर्मपुर मार्ग से गांव असदपुर घेड़ सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत ग्राम धीमरी में तालेवर के घर से डिबाई-गणेशपुर लिंक मार्ग तक सड़क नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तालेवर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत ग्राम गिल्ली नगला में प्रभु के मकान से चमेड़ी रोड चरन सिंह के खेत तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत रतनपुर-वेलौन-रामघाट मार्ग पर ग्राम रतनपुर सन्तोषी पुत्र भोप सिंह के ट्यूबवेल से वेलौन-औरंगाबाद-कसेर लिंक रोड जोड़ने वाले हंसराज सिंह पुत्र खेम सिंह के खेत तक बम्बे के पुल व सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक बण्डा में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक-खुटार के बस अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जफर एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक-पुवायाँ स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को ध्वस्त कर नया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

4-जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-पुवायाँ के गन्ना किसान डिग्री कॉलेज, पुवायाँ की खस्ताहाल को सुधारने तथा क्षेत्र के शिक्षानुरागी व्यक्तियों को समिति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन लाल एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहाँपुर की तहसील-पुवायाँ, ब्लाक-सिधौली के ग्राम सभा-खण्डसार में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ब्लाक अकोला के ग्राम बैमन में जैंगारा-बैमन मार्ग से ग्राम टीकरी सीमा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रीतिराम सिंह निवासी जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ब्लाक अछनेरा के ग्राम अकबरा में श्री रामभरोसी के घर से रामफूल के घर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री करनवीर निवासी जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ब्लाक फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से कछपुरा मार्ग तक सड़क (लगभग 01 कि0 मी0) निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमलेश प्रधान निवासी जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ब्लाक अछनेरा के ग्राम फतेहपुर के मुख्य मार्ग से खारे कुआं तक सड़क निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्रीमती मीना देवी निवासी जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ब्लाक अछनेरा के सहता में अछनेरा रोड रसूलपुर के मुख्य मार्ग से सकतपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी राजवीर प्रधान निवासी जनपद आगरा की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से तीन, जनपद कन्नौज व आगरा से एक-एक याचिका[†]

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद झांसी, विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक गुरसरांय के ग्राम गुढ़ा (धासान नदी के तट पर) के पास झारखण्ड (विश्वामित्र की स्थली) पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद कन्नौज की ब्लाक तिर्वा ग्राम पंचायत बिनौरा के ग्राम रामपुर में नाली एवं आर0सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतलेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका,

3-जनपद आगरा की ब्लाक जैतपुर की ग्राम पंचायत पारनाक मजरा फकीरे की मड़ैया को स्थायी रूप से इटावा जनपद की जसवन्त नगर से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में वेयर हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हर प्रसाद पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी की मुख्य बेतवा नहर के किनारों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद दांगी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद-दरौली पक्के पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

2-जनपद बलिया के ब्लाक पन्दह में स्वीकृत जन नायक चन्द्रशेखर स्पोर्ट कॉलेज के भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री देवनारायन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत हुसैनपुर खुर्द बाजार से माडर मऊ बाजार तक नहर के किनारे बनी हुई सड़क के मरम्मत एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री वासदेव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के अन्तर्गत गिरैया बाजार से देवरिया बाजार तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम आशीष व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक जहानागंज के ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक रानी की सराय के ग्राम गम्भीरबन में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक पल्हनी के ग्राम सभा शाहकुद्दनपुर में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री भानुप्रताप यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

4-जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक पल्हनी के ग्राम कोल्ह के पास टौंस नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र राम एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर से वाया गेसपुर से बुगरासी तक 09 किमी0 मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत गढ़ रोड लखावटी नहर की पटरी से जहांगीराबाद-औरंगाबाद रोड (लम्बाई 08 किमी0) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह लोधी व अन्य निवासीगढ़ जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम मंगलपुर में दुलखरा रोड स्थित मंदिर से लेकर ग्राम बैरल (लम्बाई 02 किमी0) तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत स्यानागढ़ रोड से श्यामभोज मन्दिर तक बम्बे की पटरी पर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत गढ़ रोड पशु पैंठ से चाँदपुर तक बम्बे की पटरी पर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-रसूलपुर, ब्लाक चरथावल, विधान सभा क्षेत्र चरथावाल में सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र एवं अन्य निवासीगण, जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-नसीरपुर, ब्लाक-बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में एक जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत कराये जाने हेतु श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-बरवाला, ब्लाक-बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम-बरवाला से कल्याण इण्टर कॉलेज तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्टू बलियान एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-घिस्सूखेड़ा, ब्लाक-बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम-घिस्सूखेड़ा से कुटेसरा नहर की पटरी तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमोहन त्यागी एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर मार्ग से लडवा मार्ग (लम्बाई 02 किमी0) तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बलरामपुर मुख्यालय पर सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर पुलिस लाइन में बाउण्ड्रीवाल इण्टरलॉकिंग एवं मुख्य द्वार/रेजीडेन्स द्वार/गेस्ट हाउस द्वार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर नगर मुख्यालय स्थित एक मात्र पार्क (तुलसी पार्क) का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रीतपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हरतौली में रास्ता के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र सिंह निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हसनपुर में रास्ता के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गौरव लोहिया एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र-65, के अन्तर्गत ग्राम हैदराबाद में रास्ता के निर्माण के सम्बन्ध में श्री लाखन एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र-65, के अन्तर्गत ग्राम हसनपुर में रास्ता के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गौरव एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र-65, के अन्तर्गत ग्राम जैनपुर में रास्ता के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कुलदीप शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री प्रभात कुमार वर्मा 'एडवोकेट', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री कप्तान श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत मझौवातोग में होम्योपैथिक भवन नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के बभनान बाजार का बाईपास बनाये जाने सम्बन्ध में श्री विशुनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र (महैवा नानकार) में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जे0 पी0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया में परसा तिवारी से बगदर ग्रन्ट घारीघाट अगया बुजुर्ग नरहरपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली में शामली-भैरोकलां मार्ग से आदमपुर, चूनसा मुण्डभर मुजफ्फरनगर की सीमा तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र मलिक व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद शामली के विकास खण्ड कांडला के अन्तर्गत ग्राम गढीदौलत से कांधला मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हम्माद व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत ग्राम कांबडौत से बुटराडी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत मेरठ करनाल हाई-वे से ग्राम बहावडी मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह बाबा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत शामली-भैसवाल रोड (नवीन मण्डी के पास) से रेलवे अन्डरपास होते हुए गोहरनी मार्ग तक सड़क (लगभग 1.27 किमी0) नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महिपाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कोड़र में स्थित झील को जलशक्ति विभाग द्वारा सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में श्री सुनील दूबे व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड वजीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा हरिहरपुर मजरा चाईपुरवा में स्थित प्रसिद्ध शिव मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में प्राथमिकता के आधार पर सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में श्री अनुज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के आगणन की वित्त व्यय समिति बैठक में अनुमोदन के उपरान्त लम्बित मार्ग की स्वीकृति प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत सामुदायिक योजना अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत बेलसर एवं क्षेत्र पंचायत तरबगंज परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवनों के शासन में लम्बित आगणनों की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका, तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग माधवपुर से गजाधरपुरवा होते हुए रेशम फार्म गोण्डा डेहरास सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दा ओझा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका, उपस्थित करेंगे।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद महोबा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतपुर कुलपहाड़ से ग्राम मुढारी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

2-जनपद महोबा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतपुर टिकरीया से म0प्र0 की सीमा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरचन्द राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

3-जनपद महोबा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतपुर कस्बा कुलपहाड़ में रेलवे स्टेशन तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

4-जनपद महोबा के अन्तर्गत नगर पालिका कुलपहाड़ में स्थित बस स्टैण्ड की बिल्डिंग का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में श्री मानवेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद महोबा की याचिका तथा

5-जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में ग्राम विजयपुर के टांडे के खुडे में सड़क एवं विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सन्तोष विश्वकर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सोफीपुर में शिव मन्दिर से विमला देवी के घर तक 02 किमी0 तक कच्चे मार्ग पर डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा प्रसाद, पूर्व सांसद व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा उदियावां में श्री संजय यादव के घर के सामने पोखरी के बगल से जाने वाली गोड़हरा तक कच्चे/खड़न्जे मार्ग

† छापी नहीं गयीं।

पर डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

3-जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा उदियावां में ग्राम प्रधान श्री संजय यादव के घर के बगल में गांगी नदी पर जर्जर पुल का नव निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में संजय यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के अन्तर्गत मगई नदी पर सन्त शिरोमणि रविदास घाट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सिकानू राम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के ग्राम प्यारेपुर, मौजा मीरपुर में पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निर्जन बनवासी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के अन्तर्गत ग्राम पहैलिया के मौजा कुन्दनपुरा राजभर बस्ती के सामने जंगीपुर रजवाहा पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के ग्राम सिखड़ी के पास बेसो नदी पर छलका पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनी प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के धर्मागतपुर चट्टी से चैबरा एवं राजभर बस्ती होते हुए छपरी नहर तक पिच रोड की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ[†]

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से महादेवा बाबा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद सीतापुर, विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत विकास खण्ड गोंदलामऊ, सिधौली, पहला एवं कसमण्डा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

3-जनपद सीतापुर, विधान सभा क्षेत्र सिधौली में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित दो तथा जनपद गोण्डा से सम्बन्धित एक याचिका[†]

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के नगर पालिका के अन्तर्गत मोहल्ला निराला नगर में श्री के0के0 श्रीवास्तव के मकान से लेकर श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता के घर तक सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ पाण्डेय निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रेषित जांच के क्रियान्वयन में नियमों व प्राविधानों के घोर उल्लंघन के सम्बन्ध में श्री प्रवीण चौहान निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

3-जनपद गोण्डा के ग्राम चिलबिला खत्तीपुर/खिरौरा मोहन थाना कोतवाली देहात में राम किशुन मिश्रा व उनके पुत्र पर लगे फर्जी मुकदमों की जांच कराये जाने सम्बन्ध में श्री राम किशुन मिश्रा निवासी जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ[†]

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम धूधली से मेमन मार्ग के बीच छोईया नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 शाहिद जॉनी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम सैन्नावाला से ग्राम हरियावाला के बीच गागन नदी पर बाक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 पुरुषोत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत नगीना-बिजनौर मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में हाजी रौशन साहब व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका किरतपुर में स्थित मजार के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साईम रजा साहब व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ †

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के ग्राम डमरुआ में राधेश्याम पाण्डेय के घर से इन्द्रा पब्लिक स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ए0 के0 सिंह निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती की ग्राम सभा लौकिहावां में श्रीराम प्रगट मिश्र के घर से सोहबता देवी के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र यादव निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के ग्राम बेलाड़ी गायघाट मार्ग से राधेश्याम मौर्या के घर तक सड़क का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के मिसरौलिया में नियर एफ0एम0 रेडियो विजय पाल के घर से आभा सिंह के घर के सामने पार्क तक सड़क व नाली की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के ब्लाक साउघाट के ग्राम सभा लोहटी से मस्जिद तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आमिर निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर, वि0ख0 हसनपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोहरका मजरा झुरेरी से करनखाल मार्ग तक सड़क एवं पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री जोगराज व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

2-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर, वि0ख0 गंगेश्वरी अन्तर्गत ग्राम रहरा से सिमतला होते हुए ढवारसी तक पक्की सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर, वि0ख0 गंगेश्वरी अन्तर्गत ग्राम तिगरिया नादिरशाह से सिकन्दराबाद होते हुए आमपुर तक पक्के सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री पर्वत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

4-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर, वि0ख0-गंगेश्वरी अन्तर्गत ग्राम गंगाचैली में ग्राम के अन्दर से सी0सी0 रोड व नाली निर्माण व हसनपुर तक डामरीकरण कर चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री मेवाराम एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

5-जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र हसनपुर, वि0ख0-गंगेश्वरी अन्तर्गत ग्राम रहरा से पौरारा घाट तक के मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री नेमीलाला एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत ग्राम भेड़ में 33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन, विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत माधौगढ़ नगर में नवीन बस्ती में विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र व्यास एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत ग्राम ढीमरापुरा (मऊ) को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री राम विवेक सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन, विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कछार की मड़ैया (अतरेहटी) को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच पहाड़गांव रोड से कोंच एट उरई रोड तक बाईपास कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा पैकौलीलाला में त्रिभुवन मिश्रा के घर से वनचरा जाने वाली पिच तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा अजीजनगर में बनारसी के घर से श्री हनुमान मन्दिर तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बनारसी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा अनन्तपुर में पंचायत भवन से काली मन्दिर तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा गनौरिया में रोशन वर्मा के घर से व्यास सिंह के घर होते हुए रामस्वरूप मिश्रा के घर तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जौनपुर के ब्लाक बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम कुंहीकला में रामगंज राजबाहा पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा प्रसाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

2-जनपद जौनपुर के ब्लाक बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा प्रसाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा अमोघपुर में चकिया मेन रोड से श्यामलाल बिन्द के मकान से होते हुए ओ0पी0 दयाल के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम पंचायत बरहुली में गुलाब बिन्द के घर से काली माता के मन्दिर होते हुए सम्पर्क मार्ग श्यामनन्दन के मकान तक इण्टरलॉकिंग व साइडवाल व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम पंचायत रोहड़ा में मुलई के घर से जैश्री के घर तक आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा छिमयां में अशोक भारती के मकान से शिव मन्दिर व रमेश पासवान के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

5-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा हरिशंकरपुर में राम दुलारे चौहान के मकान से ग्राम प्रधान हाजिर रफीक के मकान तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद झांसी के वार्ड नं0-22 राजगढ़ में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन झा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के वार्ड नं0-46 जर्मनी अस्पताल के पास सीपरी बाजार में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक खरे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के वार्ड नं0-05 ईसाईटोला में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्धार्थ अहिरवार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के वार्ड नं0-17 कछियाना पुलिया नं0 9 हंसारी टपरियन मार्ग में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगाराम बाबा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी के वार्ड नं0-27 परिहार कालोनी नारायण बाग रोड पर सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य में नक्खास तिराहे से नादान महल रोड रकाबगंज चौराहे होते हुए मौलवीगंज से अमीनाबाद चौराहे तक सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत अमीनाबाद से गड़बड़झाला होते हुए फतेहगंज गल्ला मण्डी रोड से अमीनाबाद पावर हाउस तक सड़क मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में श्री माहिर जैदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत गोमतीनगर से बाबा अम्बेडकर चौराहा से सी0एम0एस0 चौराहा होते हुये ग्वारी चौराहा तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मेश सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत साईं बाबा मंदिर आईडिया ऑफिस से सुल्तानगंज चौकी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुफियान अहमद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत आर0एफ0 मार्ग पर लगी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण एवं मरम्मत कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री बाबा गिन्ददास व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा के नासिरगंज में तीरथराम के घर से भकला घाट शिव मन्दिर तक पक्की सड़क व दोनों तरफ नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के दसियापुर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग से छाड़पुरवा गांव के उत्तर पक्की सड़क तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनंजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के कुरबेनी पिच रोड के बगल से गुड्डू के घर से चक मार्ग तक इण्टरलॉकिंग तथा पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के पठान पुरवा ग्राम एकडगवा में इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

5-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा के सेहरिया सम्पर्क मार्ग से भजोरेपुरवा तक पिच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपचन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा अरियौना (शिवपाल यादव महाविद्यालय) से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सिकरोहर अशोक राजभर के घर से खड़वा आलमपुर अखई सम्पर्क मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित रानीपुर पिच मार्ग से रामनाथ यादव के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्रामसभा अमरतल से लोहरा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जग्गीलाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा बिहलोलपुर (चन्दनपुर) दानबहादुर के घर से राजेन्द्र उपाध्याय के घर तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचेत राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम पूरनपुर स्याना में काली माता मन्दिर से सैदपुर मझौला बिल्लौच मार्ग तक सड़क (लगभग 1.5 किमी0) निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के ग्राम-असराखेड़ा महमूदपुर मार्ग से अनीसा नंगली तक पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अब्बास एवं अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बिजनौर के ग्राम-मेवा नवादा ढाबे वाले रोड से सहसपुर किवाड रोड तक पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 असलम एवं अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के ग्राम-मेवा नवादा से असराखेड़ा महमूदपुर मार्ग तक पक्की सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रक्षपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के ग्राम पंचायत स्योहारा मुरादाबाद रोड से गेन्डाजूड रेलवे क्रासिंग होते हुए गोवर्धनपुर तक पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलफाम एवं अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री राहुल राजपूत ''राहुल लोधी'', सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री राहुल राजपूत ''राहुल लोधी'', सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरो के बनईमऊ में श्री कृष्ण वर्मा के घर से शिवकांत तिवारी के मकान तक इण्टरलॉकिंग और नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यादवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचंदपुर के ग्राम बसिगवा के चाँदेमऊ मेन रोड से चिराउंजी का पुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में श्री राम खेलावन लोधी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचंदपुर के गुरुबाजार से मस्जिद तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौलाना अबरार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचंदपुर के ग्राम अकोहरिया से अतरी के बीच नाला की मरम्मत एवं नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के ग्राम रमपुरवा जसमऊ में रामबाबू लोधी के घर से शेरा लोधी के घर तक इण्टरलॉकिंग और नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शा में तेजीबाजार चौराहा से बारईपास चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शा में उटरुकला रेलवे क्रासिंग से बक्शा तेजीबाजार सम्पर्क मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामधारी पाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड सिकरारा में जौनपुर-प्रयागराज मार्ग पर सिकरारा चौराहा से झिम्मलगंज तिराहा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में जौनपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बक्शा बाजार से तेजी बाजार चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबहादुर यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में मई नेपालनगर स्कूल से पूर्वी दरियावगंज प्रा0प्रा0 द्वितीय तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिव्येश कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम गड़ाना से सम्पर्क मार्ग ठसराना राजवाहे की पटरी तक काली सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द भाटी एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत चांगोली मोड़ से बाया आजमपुर हुसैनपुर श्वसराना की सीमा तक काली सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सुभाषचन्द भाटी एवं अन्य निवासीगण की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम किशनपुर में श्री सतीश वाल्मीकि के मकान से श्री विनोद के खेत तक काली सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सोनू शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम बहोडावास में प्राइमरी स्कूल से श्री प्रसादी के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री किशनलाल निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम काला नगला से ग्राम शहपानी तक काली सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री लक्षमण यादव निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम चिल्ली व कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि/नई विद्युतीकरण के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत विकास खण्ड जसरा के ग्राम पिपरांव व कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में श्री शिव शंकर भारतीया व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम कपड़ौरा महाराज के पुरवा दलित बस्ती में व कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में श्रीमती सुषमा सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम नारीबारी में पू0मा0वि0 साधना देवी में व कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार निषाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम तेंदुई में व कतिपय स्थानों पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में श्री रमापति शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कलान की ग्राम पंचायत परौर को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम खिरिया को वैवहा नदी की कटान से रोकने हेतु पत्थर लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री धनपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम अण्डपुर को राम गंगा नदी की कटान से रोकने हेतु पत्थर लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम भुड़िया को चौगुल नदी की कटान से रोकने हेतु पत्थर लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा की नगर पंचायत कटरा में ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बहलोलपुर में विरेन्द्र यादव के घर से नाला तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम भगीरथपुर में एन0एच0-24 से सामुदायिक शौचालय तक सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा बहलोलपुर में विजय यादव के घर से मुर्गी फार्म तक सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के ग्राम सभा भगीरथपुर में जिला पंचायत मार्ग से शम्भू यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बहलोलपुर में बृजनाथ राजभर के घर से करुई दलित बस्ती तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वेद प्रकाश गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम-कुत्तुबपुर के पास इन्दिरा नहर पर बने पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम ओसाह पुरविया पुल से खरगीखेड़ा तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज में राजापुर जौनपुर ब्रांच से इन्द्राही तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम पंचायत ओसाह प्रथम, ओसाह चतुर्थ भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड महराजगंज के जमुरावां से रसोई तक पक्की सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप मिश्रा निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ के हैदरगढ़-बछरावां मार्ग से मनऊखेड़ा होते हुए सिवली तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती गीता देवी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव वि0ख0 एफ-84 की ग्राम पंचायत में जमुनिहा कच्छ बाजार से भीमराव अम्बेडकर तक नवीन डामरीकरण का कार्य कराये जाने हेतु श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-हरदोई-उन्नाव मुख्य मार्ग (उम्मर खेड़ा) ग्राम गोंदरी व सेलापुर होते हुए काली मिट्टी रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम खेलावन लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के वि0ख0 गंजमुरादाबाद की ग्राम पंचायत ततियापुर से आगरा हाई-वे सर्विस रोड तक नवीन डामरीकरण का कार्य कराये जाने हेतु श्री रमेश पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद बांगरमऊ, उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के वि0ख0 एफ-84 की ग्राम पंचायत खैरीगुरदासपुर में दुर्गा मन्दिर से रूप नरायन के घर तक नवीन डामरीकरण का कार्य कराये जाने हेतु श्री सत्यम दीक्षित एवं अन्य निवासीगण जनपद बांगरमऊ, उन्नाव की याचिका तथा

5-ग्राम पंचायत पखरापुर के मजरा मंगलीखेड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री पुत्तीलाल गौतम एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद लखनऊ की तहसील सरोजनी नगर, कल्ली पश्चिम, जगत खेड़ा रोड, निकट सेंट मार्टिन एकेडमी में याचीगणों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2-जनपद लखनऊ की पुरानी पारा चौकी, (निकट भगवान शिव मंदिर) के सामने ट्रैफिक लाईट सिग्नल चौराहा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के ग्राम सिंहाचवर खुर्द से ग्राम सभा पियरिया के बीच में नरांव ड्रेन पर पुलिया के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड सोहाव आई0टी0आई0 बंधा से ग्राम छप्पन के डेरा तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री झारखण्डे यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के ग्राम पकड़ी से ग्राम बिसुकिया नहर के पटरी सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के ग्राम बढ़वलिया सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनन्त सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के ग्राम परसिया से नीबिया पोखरा चट्टी सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका[†]

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक जहांगीराबाद के अन्तर्गत ग्राम खदाना से जरैला बाबा मन्दिर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के विकास खण्ड माण्डा के ग्राम आहोपुर में पक्की सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमा शंकर पाण्डेय, निवासी प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड उरुवा के अन्तर्गत गोसौरा खुर्द से चपरतला पटेल बस्ती तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कराये गये विद्युतीकरण कार्य की शुरुआत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के ग्राम सभा कोसड़ा कला से टीकापुर सम्पर्क मार्ग एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दरवारी लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के विकास खण्ड उरुवा के ग्राम सभा मिश्रपुर से बिगहनी तक सड़क (लम्बाई लगभग 1500 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेन्द्र मैथानी (अनुपस्थित), श्री हाकिम लाल बिन्द, (उपस्थित), श्री हिमान्शु यादव (उपस्थित), श्रीमती अनुपमा जायसवाल (उपस्थित), श्रीमती पूजा सरोज (अनुपस्थित), श्रीमती मीनाक्षी सिंह (उपस्थित), श्रीमती सरोज कुरील (उपस्थित), श्रीमती सलोना कुशवाहा (अनुपस्थित)।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)[†]

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत पनकी धाम रेलवे स्टेशन को विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-कानपुर नगर की गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशालकाय खुले रफाका नाला को ढके जाने के सम्बन्ध में रवि गुप्ता एवं अन्य निवासीगण, जनपद कानपुर की याचिका,

3-कानपुर नगर की गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के शास्त्री नगर लेबर कालोनी निवासियों को उनके स्वामित्व का मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में दीपक सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर में शहरी रिहायशी इलाकों से गुजरती जानलेवा अति आवश्यक कच्ची नहर (सी0टी0आई0नहर) को जनहित में पक्का कराने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ-झाँसी मार्ग से शक्ति नगर, नौरय्याखेड़ा होते हुए सी0टी0आई0 चौराहे तक पक्का मार्ग एवं छठ घाट का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत स्थित भीटी हीमूनगर सम्पर्क मार्ग सराय कस्तूरिया अमर बहादुर भारतीय इण्टर कॉलेज से दिलीप चन्द्रपुर सम्पर्क मार्ग का

[†] छापी नहीं गयीं।

अवशेष भाग पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बिन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत स्थित बरौत विठौली सम्पर्क मार्ग बलीगंज (प्रतापपुर) से शाहपुर व डाडी सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग जनपद भदोही बार्डर तक का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम चन्द्र बिन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जिला-प्रयागराज के विकास खण्ड-हण्डिया के अन्तर्गत स्थित बरौत बाजार से विठौली सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत स्थित गंगा नदी पर हण्डिया व मेजा के बीच पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुलायम यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत स्थित नेशनल हाई-वे लाला बाजार से झिरीहिरी, रहीमपट्टी, दायमगंज होते हुए बैंक आफ इण्डिया शाखा उतराव सैदाबाद-फुलपर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवधारी बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री हिमान्शु यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित चार याचिकाएँ[†]

श्री हिमान्शु यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर में ग्राम नरऊ में जलभराव की समस्या का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सोलंकी व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

2-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूँ में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, ब्लड बैंक में जरूरी एक्यूपमेंट, वेन्टीलेटर सपोर्टिंग स्टाफ और आर्थोपैडिक विभाग में फीजियोथिरेपी यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

3-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर के ग्राम बोंदरी में राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा कराकर शैक्षिक सत्र शुरु कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिंस यादव व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर में बदायूँ से ककराला मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमीर खान व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ[†]

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा, ग्राम पंचायत इटौझा में सम्पर्क मार्ग रेवली राम छबीले के खेत से हरीश पाण्डेय के खेत तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार वर्मा, निवासी जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र मो0 बशीरगंज घसियारी पुलिया से घसियारी टोला होते हुए नरेश के मकान तक आर0सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्षित श्रीवास्तव, निवासी जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र मो0 बशीरगंज ज्ञान प्रकाश के मकान से पकडिया पेड़ के चारों तरफ व हैदर मिर्जा के घर तक सी0सी0 रोड़ एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्षित श्रीवास्तव, निवासी जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र मो0 सूफीपुरा में डी0 के0 सिंह आवास से आशीष सिंह आवास, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल होते हुए श्री बब्लू श्रीवास्तव के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यार्थ श्रीवास्तव निवासी जनपद बहराइच की याचिका तथा

5-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र अन्तर्गत घण्टाघर पार्क में महाराजा सुहैलदेव की प्रतिमा की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया सोनी निवासी जनपद बहराइच की याचिका।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (व्यपगत)[†]

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत चण्डेश्वर कम्हरिया मार्ग व कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामा यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत चक्रपानपुर डीहा देवरिया करेन्हुआ व कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण पटेल व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अरनिया ब्लाक के ग्राम नयाबास (नायसर) में रेलवे-अण्डरपास स्थित काली सड़क से श्मशान भूमि (लगभग 500 मी0) तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अरनिया ब्लाक के 15-16 ग्राम से पानी निकासी तथा अलीगढ़ के गावरी ग्राम के नाले के बीच पक्की ईंटों से बने बाँध को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की ब्लाक खुर्जा के ग्राम नगला-चीती में श्मशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के खुर्जा नगर स्थित सुभाष रोड पर स्थित बड़े नाले के समीप कालोनियों में नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अन्तर्गत चमन विहार कालोनी एवं गुलशन विहार कालोनी में नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वी0 पी0 मलिक व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के विविध गांवों में सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के गांव बिहुपुर से इटर्रा मार्ग को शून्य से लेपन तक डामरीकरण मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री तन्मय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद कानपुर नगर के मिलकिनपुर गांव से मुरलीपुर गांव तक के रजवाहे (बम्बे) में पांच पुलियों का चौड़ीकरण एवं रजवाहे में ही रार में एक नव निर्माण पुल सज्जन तिवारी के खेत के सामने बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

4-जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में मिलकिनपुर से मुरलीपुर तक शून्य से लेपन स्तर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रानी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (व्यपगत)[†]

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-तिलहर के ग्राम बीरमपुर कब्रिस्तान से सहजना गांव की ओर इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयहिन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-तिलहर के ग्राम समधाना में साप्ताहिक बाजार से मोहनपुर परसेला रोड तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री नरेश एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-निगोही के ग्राम रटा में प्राइमरी स्कूल से शिवहरी के मकान तक 600 मीटर सी0सी0/ इण्टरलॉकिग रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-सिधौली के ग्राम चन्दपई से खजान सिंह झाले के पास से देवी स्थान कैमा बाबा मन्दिर तक इण्टरलॉकिग/सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री विमलेश कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम बाजपुर कुमरखा में सम्पर्क मार्ग से यज्ञ स्थल तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मेरा एक निवेदन है कि जब मैं ये याचिकाएं लेता हूँ तो मेरे पास बहुत से मा0 सदस्य आते हैं और वह कहते कि मैं अनुपस्थित हूँ फिर भी मेरी याचिकाएं ले लीजिए। मैंने अगर उन सदस्यों की याचिकाएं लिया तो इन लोगों के साथ अन्याय करूंगा जो-जो लोग उपस्थित हैं। विधान सभा सत्र इस बार लम्बा चल रहा है, उम्मीद है और भी लंबा चलेगा, जितना भी चलेगा 25-30 दिन, 365 दिन में अगर हम विधान सभा में उपस्थित नहीं रह सकते, तो

[†] छापी नहीं गयीं।

विधान सभा के सदस्य हम क्यों चुने गए हैं इस पर हमें खुद विचार करना चाहिए। इनसे लोग कहते हैं, कि हमें शादी में जाना है तो हम सबकी भी विधान सभा क्षेत्र है, जो लोग यहां पर बैठे हैं, तो इन दिनों लोग अगर उपस्थित रहेगे तो मुझे लगता है कि विधान सभा के सभी भाषण में एक और एक निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहकर, दूसरों को सुनाकर चले ना जाएं दूसरे की भी सुने और याचिका वाले बैठे रहते हैं। नियम-51 वाले भी बैठे रहते हैं।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, कल का समय 12 बजे तक का कर दीजिए। इसमें सबका नम्बर आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

अब कल का कल निर्णय करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने ही स्वयं कहा था कि जब तक कोरम पूरा रहेगा तब तक हम सदन चलाते रहेगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कल एक तरह से आखिरी दिन है राज्यपाल के भाषण पर परसों मुख्य मंत्री सुबह से बोलेंगे। इसलिए कल का ही दिन सदस्यों के लिए बचता है। तो आपसे निवेदन है कि जितने सदस्य बोलना चाहें उनको बुलवा दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अब कल की बात कल हो जाएगी, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जो लोग रह गए हैं वह कल बोल लेंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23-02-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 71 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्रीमती मीनाक्षी सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा नगर में जेवर रोड स्थित रेलवे जंक्शन के पास एन0एच0-91 पर स्थित कैलाश हॉस्पिटल तक 4 किमी0 लम्बा बाइपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अनिल कुमार त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर में तरंग क्रासिंग ओवर ब्रिज के नीचे ड्रेनेज सिस्टम व सड़क सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले यातायात में गोरखपुर-देवरिया नगरा-रसड़ा पर कट न होने पर हो रही असुविधा के सम्बन्ध में हैं, चौथी सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर में जर्जर मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तथा पांचवी सूचना श्री वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सदर के ग्रामसभा जैतपुरा के प्रधान के कार्यों की टी0ए0सी0 जांच के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट में पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री रत्नाकर मिश्रा की

भदोही, मिर्जापुर सीमा पर सेमरा में व शास्त्री सेतु के पश्चिम मवैया के सामने कटान क्षेत्र में बांध बनाकर बाढ़ से बचाव के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के मुस्तफापुर में रजिस्ट्री प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र में पौराणिक स्थल के सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर बारातशाला के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गई :-

श्री पंकज गुप्ता, श्री विकास गुप्ता, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री प्रसन्न कुमार, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री राजमणि कोल, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, श्री ज्ञान तिवारी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री रमेश जायसवाल, श्री हरिओम वर्मा, श्री मुकेश चौधरी, श्री राहुल राजपूत, श्री अंकुर तिवारी, श्री आनन्द कुमार यादव, श्री अभय सिंह, श्री संदीप सिंह, श्री राजेश्वर सिंह, श्री राम फेरन पाण्डेय, श्री योगेश शुक्ला, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री मोहम्मद हसन रूमी, श्री संग्राम सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री जै किशन साहू, श्री विपुल दुबे, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री चौधरी नाहिद हसन, इंजी0 बृजेश कठेरिया, डॉ0 मुकेश वर्मा, श्री बेचई सरोज, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री लालजी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री मोहन वर्मा, श्री मनोज कुमार पारस, श्री आशु मलिक, श्री मो0 फहीम इरफान, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री राम चन्द्र यादव, डॉ0 नीरज बोरा, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री जियाउद्दीन, डॉ0 आर0के0 पटेल, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री राजीव तरारा, श्री राम प्रताप वर्मा, श्री विनोद सरोज, श्री राम निवास वर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अतुल प्रधान, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री गुलाम मोहम्मद तथा श्री राम दुलार गोंड।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 23 फरवरी, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-32 पर)

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, मा0 सदस्य, विधानसभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-05 जो विधान सभा के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित है, की अनुपूरक सामग्री:-

- शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक-28.02.2011 द्वारा गठित जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किसी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

- जनपद स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा शासनादेश संख्या-428/26-3-2011, दिनांक-27.01.2011 में दी गयी व्यवस्थानुसार मण्डलीय अपीलीय फोरम में अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

- मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

- मण्डलीय अपीलीय फोरम के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996, टी0सी0-III, दिनांक-05.01.1996 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा अपील निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है।

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी,2011

विषयः– जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठित किया जाना।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल नामक वाद में पारित आदेश संख्या–1994 (6) एस0सी0सी0 241 दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–22/16/92–का–2/1996– टी0सी0–III दिनांक 5 जनवरी, 1996 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्कूटनी कमेटी का गठन किया गया है, जो जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जाति संबंधी विवादों में पारित आदेशों के आधार पर निर्देशित मामलों की सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करती है।

2– जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उनकी वैधानिकता की जांच करने तथा इस संबंध में पारदर्शी व्यवस्था बनाने एवं जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी बनाये जाने एवं उसके दुरूपयोग को रोकने हेतु मा0 उच्चतम न्यायलय के उपरोक्त, निर्णय के अनुपालन में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 1996 के अनुक्रम में जाति प्रमाण पत्रों के बनाये जाने और उसके सत्यापन संबंधी मामलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए शासनादेश संख्या–428/26–3–2011, दिनांक 27–1–2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के मण्डल स्तर पर सत्यापन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में अपीलीय फोरम गठित किया गया

है, जिससे जनपद स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों से कुछ व्यथित अपील दायर कर सकते है।

3— इसी संदर्भ में दायर रिट याचिका संख्या—1396/2011(पी0आई0एल0) धारू शक्ति समिति गहराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12—1—2011 में दिये गये संवीक्षण के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी	सदस्य
3	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	जिला समाज कल्याण अधिकारी (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति हेतु) एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के समक्ष यथास्थिति अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवा में नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा सत्यापन की पुष्टि अधिकतम 15 दिन में कर दी जायेगी।

4— इसके अतिरिक्त उक्त समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न प्रकार के मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा :—

1. किसी नियुक्ति के पश्चात सेवायोजक द्वारा सेवक के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन/पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये मामले।
2. किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों के संबंध में जाति प्रमाण पत्रों के न बनाये जाने संबंधी शिकायतों के मामले।
3. जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी होने अथवा त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी मामले।
4. जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में किसी अन्य विसंगति के मामले।

5— समिति उपरोक्त प्रस्ताव [illegible] करेगी। समिति के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी और समिति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त निर्णय के अधिकतम 90 दिनों के भीतर शासनादेश संख्या-425/26-3-2011, दिनांक 27-1-2011 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील कर सकेंगे। उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी। जनपद स्तरीय उक्त समिति के गठन के फलस्वरूप मण्डलीय अपील समिति तथा राज्य स्तर पर गठित स्क्रूटनी कमेटी अपने दायित्वों का यथावत निर्वहन करती रहेगी।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या— (1)/26-3-2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
5. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण वि0 उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 लखनऊ।
7. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्य अधिकारी, उ0प्र0।
10. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के निबंधक।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. बेवमास्टर, समाज कल्याण/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

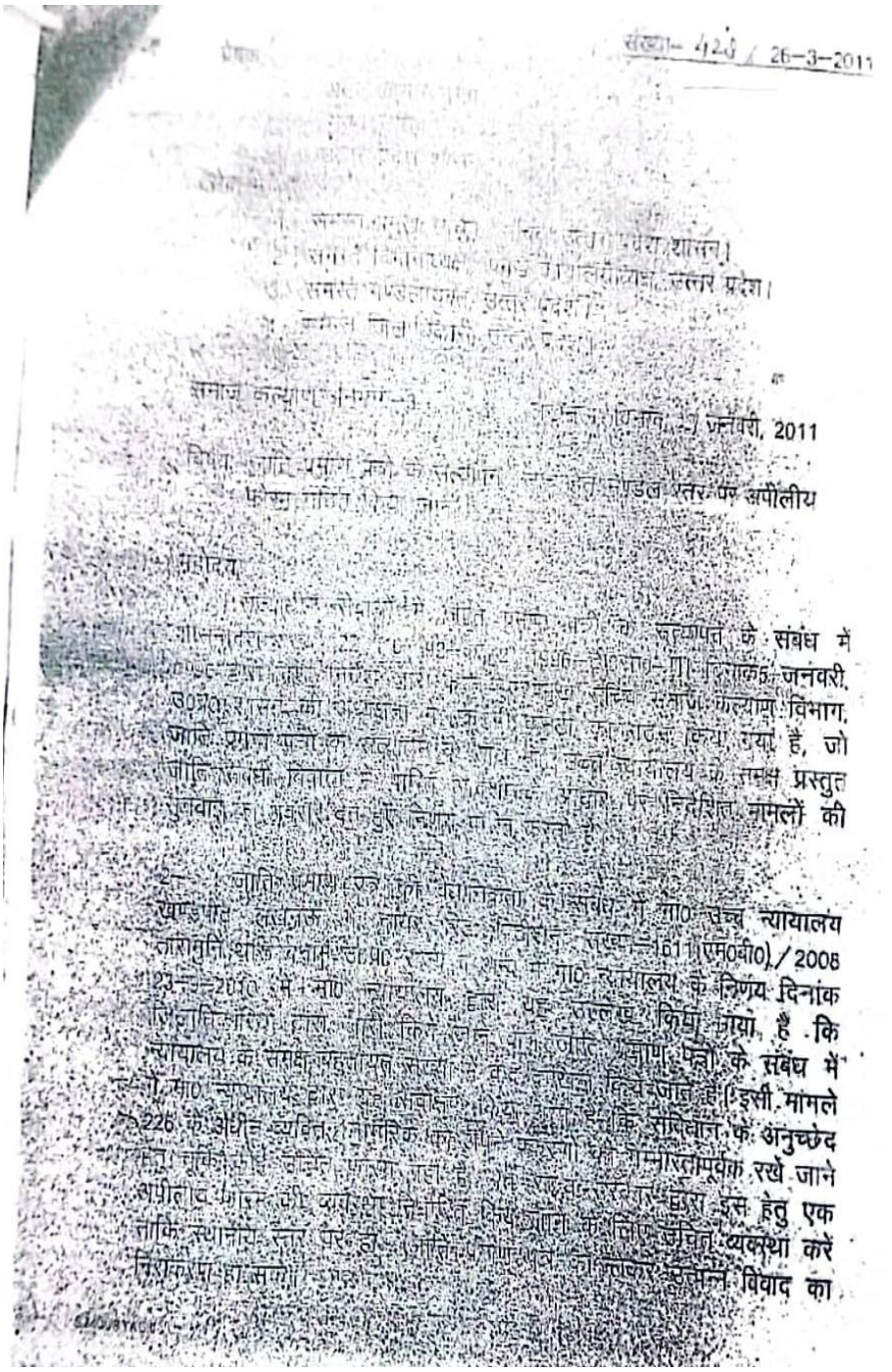

संख्या- 423 / 26-3-2011

जनवरी, 2011

डल स्तर पर अपीलीय

महोदय

के जत्थापत्र के संबंध में
जनवरी,
विभाग,
किया गया है, जो
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
मामलों की

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय
खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-1611 (एम0बी0)/2008
रामसुमेर बनाम उ0प्र0 व अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक
23-2-2010 में मा0 न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में
मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय जो इसी मामले
के 226 के अधीन व्यक्तिगत नागरिक के [illegible] के आधार पर
[illegible] सूची [illegible] गये हैं [illegible] सावधानीपूर्वक रखे जाने
[illegible] द्वारा इस हेतु एक
ताकि स्थानीय स्तर पर ही [illegible] के लिए उचित व्यवस्था करें
[illegible] विवाद का

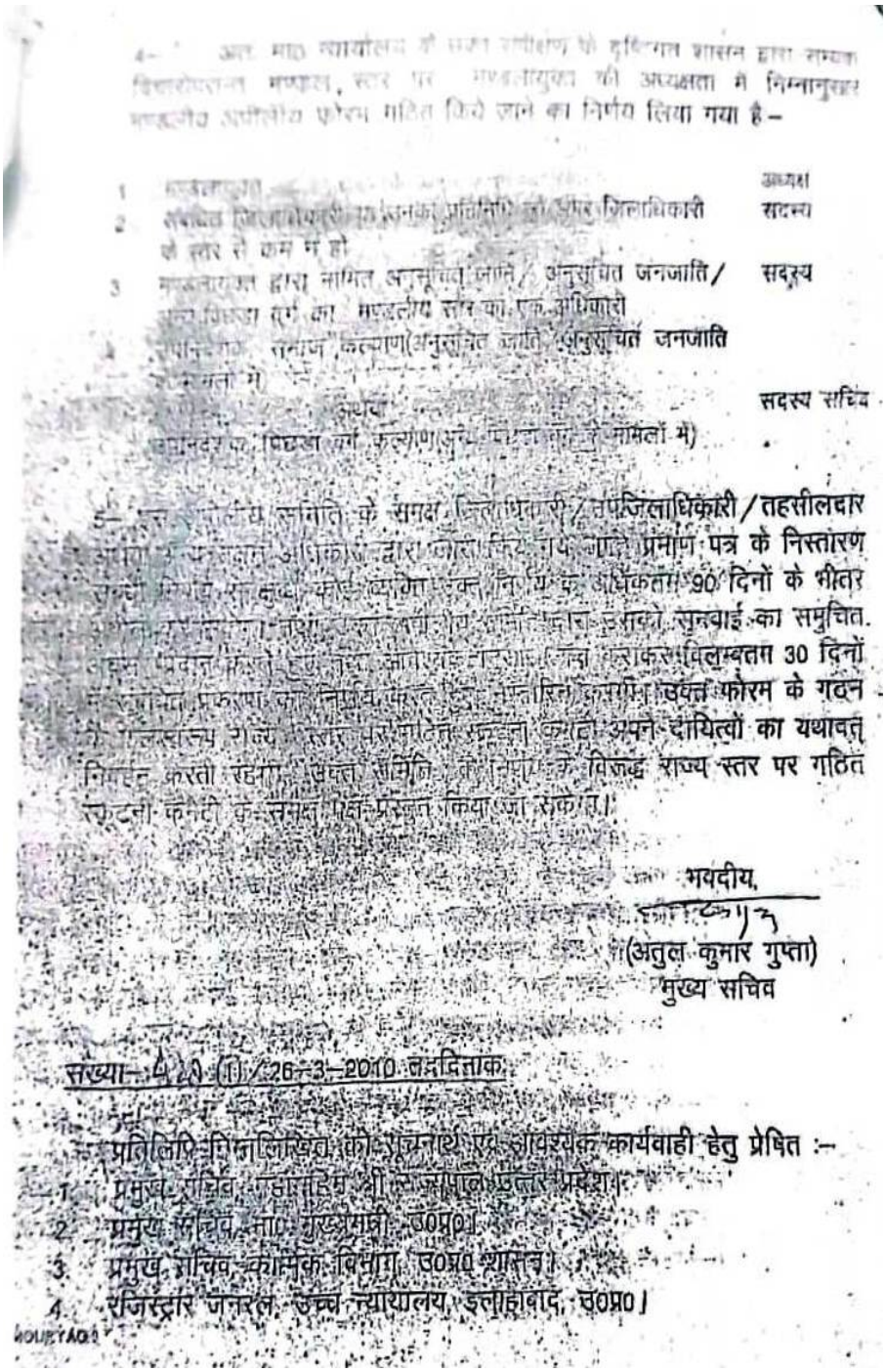

4- उक्त माह न्यायालय में लंबित उत्पीड़न के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार मण्डलीय समीक्षा फोरम गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है –

1		अध्यक्ष
2	संबंधित जिलाधिकारी एवं उनका प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी से स्तर से कम का न हो	सदस्य
3	मण्डलायुक्त द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का मण्डलीय स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
4	[illegible] समाज कल्याण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में) अथवा	सदस्य सचिव
	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में)	

5- उक्त समिति के समक्ष जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र के निस्तारण सम्बन्धी परिवाद, कुल कोटि व्यक्ति नियुक्ति की अधिकता 90 दिनों के भीतर [illegible] सम्बन्धी सुनवाई का समुचित [illegible] विलम्बतम 30 दिनों में संबंधित प्रकरण का निस्तारण करते हुए आख्या सहित प्रस्तुत करेगी। उक्त फोरम के गठन के उद्देश्य राज्य स्तर पर गठित कमेटी को अपने दायित्वों का यथावत् निर्वहन करती रहेगी। उक्त समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या- 420 (1)/26-3-2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, [illegible] श्री [illegible] उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।

HOUSE TAX

5. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, अनु0जाति/अनु0जनजातियोंएवंप्रशिक्षणसंस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निबंधक, मा0 खण्ड न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
12. सचिव,विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
14. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के निबंधक।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)
अनुभाग सचिव

संख्या: 22/16/92-पी0-2/1995-टी0सी0-(1)

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त जिलाधिकारी/प्रमुख कोषाधिकारी, [illegible]।
3-समस्त एस0डी0एम0/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 5 जनवरी, 199[illegible]

विषय-सरकारी सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

संलग्नक: अनुलग्नक-2

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-184/सात-1/94-41/1/1995, दिनांक 29 मार्च, 1994 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके प्रस्तर-3 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा 9 के अधीन किये गये नियम से अतिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये संशोधित "जाति प्रमाण-पत्र" जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो/अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, द्वारा जारी किया जायेगा परन्तु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र किसी अन्य वैधानिकी मजिस्ट्रेट या संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी आहरित किये जा सकता है। उक्त शासनादेश के साथ शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण-पत्र के प्रपत्र भी संलग्न कर भेजे गये थे, जिनमें से "उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र" शासनादेश संख्या: 22/16/92-सा-2-95-टी0सी0, दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 के साथ संलग्न प्रपत्र द्वारा संशोधित किया जा चुका है।

2-उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि [illegible] (1994)6 एस0 सी0 सी0 241, कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल, नागपुर आदि में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1994 को पारित निर्णय तथा उसके क्रम में रिट याचिका संख्या 2894(एम0बी0) आफ 1995-"डा0 आनन्द प्रताप सिंह, हनुमान गढ़ी0 बाराबंकी व अन्य" में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 1995 के अनुपालन में, उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, शासन द्वारा यहां निर्धारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

आवेदन-पत्र का प्रस्तुतीकरण व जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

(1) आरक्षण की अनुगम्यता हेतु जाति प्रमाण-पत्र अर्जित करने के लिए आवेदन-पत्र उस क्षेत्र, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा यदि वह सक्षम है, अथवा उसके माता/पिता या अभिभावक द्वारा, यदि वह अवयस्क हो, प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ-पत्र के साथ अभ्यर्थी को जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के भाग या अभ्यर्थी को मूल निवास आदि से सम्बन्धित ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायेंगे, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संबंध में निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश, तथा पिछड़ी नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किये जायें।

(2) उपरोक्तानुसार जिस अधिकारी को जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, संतुष्ट होने पर उक्त अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र सदस्य गण सत्यापन

(3) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत किये गये जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ शासन द्वारा गठित की गयी निम्नलिखित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किये जाने वाले "जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन" के अधीन अनुलग्न होगा, जिसकी सिंह उक्त स्क्रूटनी कमेटी को यथास्थिति स्वयं अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा शैक्षिक आदि संस्थाओं में प्रवेश अथवा किसी पद/सेवा में नियुक्ति के यथासम्भव 6 माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा—

(1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। — अध्यक्ष

(2) निदेशक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

या

निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0

(नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में)

(3) अनुसूचित जाति के संबन्ध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित अधिकारी, जिन्हें संबंधित विषय का अधिकार प्राप्त हो, — अतिरिक्त सदस्य

अथवा

अनुसूचित जनजाति के संबंध में, जनजाति/जनजातीय-समुदाय, गैरजातीय समुदाय के वर्ग/भाग के विनिश्चयन से संबंधित शोध कार्य में लगे, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित एक अधिकारी

टिप्पणी:—जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने से पूर्व ही यदि अभ्यर्थी को, आरक्षण कोटे में, शैक्षिक आदि संस्था में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त (प्रोविजनली) प्रवेश/नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जो जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

(4) उ0प्र0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन एक-एक सतर्कता-कोष्ठक कार्य करेगा तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को "सतर्कता अधिकारी" पदनामित किये जायेंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे, जिनकी सेवाएँ पदों सहित शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिए उपलब्ध कराई जायेंगी।

(5) जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु स्क्रूटनी कमेटी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वे यथासीघ्र उसे संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगे, जो उसे अपने अधीन कार्यरत सतर्कता-कोष्ठक को सौंपेंगे। सतर्कता-कोष्ठक के संबंधित पुलिस निरीक्षक अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यतः निवास किये जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाण-पत्र की जांच करेंगे तथा उसकी जांच के पश्चात् सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन्म पंजीयन आदि का परीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक, अथवा अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरान्त विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या संबंधित निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

(6) यदि संबंधित सतर्कता-कोष्ठक की जांच पड़ताल के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित हो जाता है, तो संबंधित निदेशक द्वारा "जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन" कर दिया

जायेगा, परन्तु जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित न होने की दशा में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

(1) संबंधित निदेशक द्वारा सक्षमता अधिकारी की आज्ञा की प्रति भेजते हुए अभ्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस यथासंभव पंजीकृत डाक द्वारा अथवा संबंधित संस्था, जहां वह अध्ययनरत हो या सेवारत हो, के अध्यक्ष (हेड) के माध्यम से दी जायेगी, जिसमें नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी से अभ्यावेदन या उत्तर, यदि वह देना चाहें, दिये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) ऐसा अभ्यावेदन या उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी के अनुरोध पर अधिक से अधिक नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन का समय दिया जा सकता है, से अधिक नहीं।

(3) समयावधि प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन या उत्तर में यदि अभ्यर्थी सुनवाई का अवसर प्रदान करने या इस विषय में अन्वेषण (इन्क्वायरी) कराने का अनुरोध करता है तो अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित निदेशक स्क्रूटनी-कमेटी और उसके अध्यक्ष को अवगत करायेंगे, जो अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता के पक्ष में संगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेंगे और संबंधित गाँव/या आबादी में उद्घोषणा द्वारा या अन्य सुलभ रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना पर यदि उक्त जाति प्रमाण-पत्र की सत्यता बाबत कोई व्यक्ति या संगठन, स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से, विरोध करता है तो उसे अपने विरोध के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर अभ्यर्थी भी अपने पक्ष को अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) स्क्रूटनी-कमेटी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व विभागीय द्वारा उठाई गई आपत्तियों आदि के प्रकाश में विधिसंगत संक्षिप्त आदेश पारित करेगी, जिसमें कमेटी के निष्कर्षों के समर्थन में संक्षिप्त कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(5) उपरोक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र दिन प्रतिदिन के आधार पर इस प्रकार की जायेगी कि अधिकतम 2 माह की अवधि में पूरी हो जाये।

(6) कमेटी के निर्णयों से अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक को निर्णय होने के एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने का परिणाम

(7) यदि स्क्रूटनी-कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है तो :-

(क) कमेटी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये जायेंगे व उक्त जाति प्रमाण-पत्र को जब्त कर लिया जायेगा।

(ख) यथास्थिति, संबंधित शैक्षिक आदि संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी से पंजीकृत डाक से अनुरोध किया जायेगा कि यथास्थिति संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश/नियुक्ति को बिना कोई नोटिस दिये तत्काल निरस्त कर दें और तदनुसार आगे अध्ययनरत या यथास्थिति उसे पद/सेवा पर बने रहने से प्रतिषेध कर दिया जायेगा।

(ग) संबंधित अभ्यर्थी को यथास्थिति उसके माता-पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

3-अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
कालिका प्रसाद
सचिव।

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-52 पर)

संलग्नक-1

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए श्री बेचई सरोज, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 से सम्बन्धित प्रारूप

क्र0सं0	नियोजक संस्था का नाम	सेवायोजित युवाओं की संख्या
1.	इलैक्ट्रानिक सिटी	4
2.	ई-कॉम एक्सप्रेस प्रा0लि0	6
3.	बीना ब्यूटी पार्लर	8
4.	मन ब्यूटी पार्लर	10
5.	शिवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी	9
6.	शिवांगी ब्यूटी पार्लर	7
7.	श्री स्टार ब्यूटी पार्लर	10
8.	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0लि0	6
9.	श्री ओम इंजीरियरिंग वर्क्स	6
10.	राजधानी इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट क0	4
11.	सैटेलाइट इलेक्ट्रानिक्स सिक्योरिटी	1
12.	डीटीडीसी एक्सप्रेस लि0	4
13.	द नेक्स्ट विजन	10
14.	वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स	4
15.	वीवा ब्यूटी पार्लर	11
16.	वैष्णवी ब्यूटी पार्लर	6
17.	लैक्मे ब्यूटी पार्लर	5
	कुल	**111**

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-110 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-116 पर)

पी0एम0-कुसुम योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के लक्ष्य के सापेक्ष जनपदवार स्थापित सोलर पम्पों की संख्या (माह जनवरी 2023 तक)

क्र० सं०	जनपद	सोलर पम्पों की स्थापना की प्रगति
1	कुशीनगर	83
2	श्रावस्ती	18
3	लखीमपुर-खीरी	155
4	बिजनौर	243
5	शाहजहाँपुर	164
6	मिर्जापुर	105
7	अमेठी	50
8	फतेहपुर	43
9	मेरठ	43
10	बलरामपुर	59
11	सम्भल	160
12	अमरोहा	215
13	फर्रुखाबाद	135
14	आजमगढ	83
15	मथुरा	49
16	कन्नौज	72
17	चन्दौली	89
18	गाजीपुर	27
19	प्रयागराज	213
20	कानपुर नगर	69
21	रायबरेली	75
22	बरेली	191
23	लखनऊ	187
24	सोनभद्र	224
25	बहराइच	51
26	गोरखपुर	141
27	कासगंज	71
28	अलीगढ	64
29	भदोही	34
30	गाजियाबाद	78
31	हाथरस	26
32	कानपुर देहात	57
33	बुलन्दशहर	210
34	मुरादाबाद	225
35	आगरा	46
36	रामपुर	336
37	कौशाम्बी	60
38	जालौन	61
39	वाराणसी	167

40	महोबा	229
41	जौनपुर	62
42	सन्तकबीर नगर	156
43	बदायूँ	147
44	हमीरपुर	101
45	झाँसी	205
46	देवरिया	120
47	मुजफ्फरनगर	61
48	बाराबंकी	86
49	मऊ	48
50	बलिया	123
51	चित्रकूट	82
52	गोण्डा	120
53	हरदोई	226
54	फिरोजाबाद	75
55	औरैया	49
56	बस्ती	157
57	गौतमबुद्व नगर	55
58	सुल्तानपुर	58
59	अयोध्या	131
60	सिध्दार्थनगर	74
61	बांदा	200
62	महराजगंज	123
63	उन्नाव	156
64	अम्बेडकरनगर	8
65	इटावा	94
66	एटा	38
67	प्रतापगढ़	86
68	पीलीभीत	236
69	बागपत	65
70	मैनपुरी	83
71	ललितपुर	210
72	शामली	54
73	सहारनपुर	96
74	सीतापुर	123
75	हापुड़	77
कुल योग		**8393**

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-112 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-117 पर)

Headwise Expenditures for the UPIS 2018 from 01.04.2017 to 10.03.2022

Amount in Rs.

Sl.No.	Particulars	Payment made	Major Head of Expenditure
1	**CII**		
a	Invoice No.09SL000315NR1718 dated 31.02.2018 (Rs.148.28-7.78 lakh deducted) Road Show	14049751.64	Road Shows
b	Invoice No.09SL000308NR1718 dated 31.02.2018 (Web site and Mobile app designing Direct cost	1424850.00	Web site and Mobile app designing Direct cost.
c	Invoice No.09SL000370 NR 1718 dated 21.03.18	7080000.00	Management Fee
d	Invoice No.09SL000392 NR 1718 dated 21.03.18	22857134.92	Printing, Trophy, Mementos, Film Making etc.
2	**FICCI**		
a	Invoice No.41 dated 28.03.2018	3540000.00	Management Fee
b	Invoice No.46 dated 28.03.2018	2360000.00	Wooden stall, paint work, light work, Designing conceptulizing, Fabrication etc. for UP Pavillion
c	Invoice No.40 dated 28.03.2018	82019.00	Design and Art work for Exhibition Directory
d	Invoice No.45 dated 28.03.2018	209581.00	Exhibition Directory
e	Invoice No.44 dated 28.03.2018	51300.00	Courier Charges
3	**Event Management Agency**		
a	P1/18-19?DEL/5 dated 11.05.18 to Wizkraft International Entertainment Pvt. Ltd.	97518012.00	Event Mangement Cost
b	Har/045/19-20 dated 04.07.19 to Wizkraft International Entertainment Pvt. Ltd.	6071690.00	Event Mangement Cost
c	Wizkraft International Entertainment Pvt. Ltd.	9298020.00	Lunch & Hi-tea during Summit 2018

लेखा विभाग
इन्वेस्ट, यू.पी.

(गोविन्द सिंह)
प्रोटोकाल ऑफिसर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इन्वेस्ट, यू०पी०

4	**Others**		
	Letter No.94/sachiv/EE/IGP/17 dated 23.12.2017 of LDA (Venue IGP Booking Cost	10618938.00	Rent for IGP
	Letter No.193/ Investors summit / 2018 dated 10.04.2018(Booking of Hotel Romms - Tourism Department	15148708.00	Booking of Hotel Rooms
	Letter No.M-1455/32-3-2018-64/2003TC-1 dated 09.03.2018 of Rajya Sampatti Vibhag- Taxi Charges.	18507400.00	Taxi Charges
5	**OPIO-CCI**	826000.00	Sponsorship Fee
6	Policies printing	234990.00	Printing & stationery Exp.
7	Others Exp.	379420.68	Pre & post Event, refreshment Exp.
	Grand Total	210257815.24	

लेखा विभाग
इन्वेस्ट, यू.पी.

(हरगोविन्द सिंह)
प्रोटोकाल ऑफिसर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इन्वेस्ट, यू०पी०

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-123 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-125 पर)

संलग्नक-1

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनायें

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन का गठन प्रदेश में प्रख्यापित उ0प्र0 कौशल विकास नीति, 2013 के क्रम में किया गया था। मिशन का उद्देश कौशल विकास के क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रशिक्षण योजनाओं को एक समान मानकों के अनुरूप संचालित करना है। कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं में 14-35 आयु वर्ग के समस्त युवा, जो अल्प शिक्षित अथवा स्कूली पढ़ाई जारी नही रख पाते है पात्र है। समाज के वंचित वर्गों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं में लक्ष्यों व संसाधनों का मात्राकरण भी निर्धारित हैः-

वर्तमान में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनायें निम्नवत् हैः-

1- **स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्डः-** यह फण्ड राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से बजट प्राविधान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। वस्तुतः यह प्रारम्भ में टाप-अप फण्ड के रूप में फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए प्रयोग किया जाता था ताकि समस्त योजनायें एक समान मानकों पर संचालित की जा सके। उक्त के अतिरिक्त इस फण्ड से युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत व अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत लक्ष्य मात्राकृत हैं।

2- **स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लानः-** यह योजना शत्-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है जिसमें 14-35 आयुवर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र युवा कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अर्ह हैं। योजनान्तर्गत 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए मात्राकृत है।

3- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक):-** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित है जिसके 25 प्रतिशत लक्ष्य राज्य सरकारों से आवंटित किये गये हैं। वर्ष 2016-17 से यह योजना प्रदेश सरकार के क्रियान्वित करने हेतु आवंटित की गयी है। आयुवर्ग की पात्रता 14-35 है।

4- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनाः-** उक्त योजना केन्द्र व राज्य सरकार के 60:40 के संशाधनों द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नवत् पात्रता के मानक निर्धारित हैः- 18 से 35 आयुवर्ग के युवा जो कि बी.पी.एल हों अथवा नरेगा योजना में पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 35 दिन मजदूरी की जो Participatory Identification of Poor (PIP) प्रक्रिया द्वारा चयनित हों। योजना अन्तर्गत 15 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिए 3 प्रतिशत दिव्यांगो के लिए 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए तथा 50 प्रतिशत एस.सी.एस.टी. के व्यक्तियों के लिए मात्राकृत हैं।

नत्थी (च)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-131 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-133 पर)

जनपद–मेरठ में अधिष्ठान/योजनाओं में वर्ष 2021–22 में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

(रूपया लाख में)

अधिष्ठान/योजना का नाम	अनुदान संख्या	आवंटित धनराशि (वर्ष 2021–22)
1	2	3
प्राईमरी पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	80	142.40000
जिला समाज कल्याण अधिकारी अधिष्ठान	80	98.48000
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अधिष्ठान	80	115.24000
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	80	24.12500
मण्डलीय अधिष्ठान	80	37.08000
छात्रावास अधिष्ठान	80	28.90000
वृद्धावस्था पेंशन अधिष्ठान	80	10.08800
अभ्युदय योजना	80	14.00000
सामान्य शादी योजना	80	40.00000
मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना	80	240.90000
अपीलीय अधिकारण	80	6.10000
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	80	406.20000
माता पिता भरण पोषण योजना	80	72.96380
योग		**1236.47680**
अधिष्ठान/योजना का नाम	**अनुदान संख्या**	**आवंटित धनराशि (वर्ष 2021–22)**
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	83	41.60300
छात्रावास अधिष्ठान	83	1.25000
अनुसूचित जाति शादी योजना	83	80.00000
उत्पाचार उत्पीडन योजना	83	342.18300
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	83	111.50000
योग		**576.53600**

नोट– वृद्धावस्था पेंशन में लाभार्थियों तथा छात्रवृत्ति में छात्रों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

(डा0 अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक।

जनपद–मेरठ में अधिष्ठान/योजनाओं में वर्ष 2020–21 में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

(रूपया लाख में)

अधिष्ठान/योजना का नाम	अनुदान संख्या	आवंटित धनराशि (वर्ष 2020–21)
1	2	3
प्राईमरी पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	80	154.60000
जिला समाज कल्याण अधिकारी अधिष्ठान	80	88.32000
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अधिष्ठान	80	98.08000
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पर्वूवर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	80	14.66000
मण्डलीय अधिष्ठान	80	37.37500
छात्रावास अधिष्ठान	80	26.01000
वृद्धावस्था पेंशन अधिष्ठान	80	8.61800
अभ्युदय योजना	80	0.00000
सामान्य शादी योजना	80	26.80000
मुख्यमंत्री सानुहिक विवाह योजना	80	83.13000
अपीलीय अधिकारण	80	1.80000
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	80	792.00000
माता पिता भरण पोषण योजना	80	7.32000
योग		**1338.71300**
अधिष्ठान/योजना का नाम	अनुदान संख्या	आवंटित धनराशि (वर्ष 2020–21)
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पर्वूवर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	83	111.53800
छात्रावास अधिष्ठान	83	0.75000
अनुसूचित जाति शादी योजना	83	66.40000
उत्याचार उत्पीडन योजना	83	319.40000
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	83	280.00000
योग		**778.08800**

नोट– वृद्धावस्था पेंशन में लाभार्थियों तथा छात्रवृत्ति में छात्रों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

(डा0 अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक।

जनपद–मेरठ में अधिष्ठान/योजनाओं में वर्ष 2019–20 में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

(रूपया लाख में)

अधिष्ठान/योजना का नाम	अनुदान संख्या	आवंटित धनराशि (वर्ष 2019–20)
1	2	3
प्राईमरी पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	80	267.56200
जिला समाज कल्याण अधिकारी अधिष्ठान	80	109.67000
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अधिष्ठान	80	113.71000
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पर्वूवर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	80	31.15500
मण्डलीय अधिष्ठान	80	34.74000
छात्रावास अधिष्ठान	80	16.31000
वृद्धावस्था पेंशन अधिष्ठान	80	7.92700
अभ्युदय योजना	80	0.00000
सामान्य शादी योजना	80	31.60000
मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना	80	402.90000
अपीलीय अधिकारण	80	1.50000
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	80	412.80000
माता पिता भरण पोषण योजना	80	43.25600
योग		**1473.13000**
अधिष्ठान/योजना का नाम	**अनुदान संख्या**	**आवंटित धनराशि (वर्ष 2019–20)**
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पर्वूवर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	83	138.15600
छात्रावास अधिष्ठान	83	0.25000
अनुसूचित जाति शादी योजना	83	53.00000
उत्पाचार उत्पीडन योजना	83	383.54200
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	83	111.30000
योग		**686.24800**

नोट– वृद्धावस्था पेंशन में लाभार्थियों तथा छात्रवृत्ति में छात्रों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

(डा0 अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक।

जनपद–मेरठ में अधिष्ठान/योजनाओं में वर्ष 2018–19 में आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

(रूपया लाख में)

अधिष्ठान/योजना का नाम	अनुदान संख्या	आवंटित धनराशि (वर्ष 2018–19)
1	2	3
प्राईमरी पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	80	129.50600
जिला समाज कल्याण अधिकारी अधिष्ठान	80	113.58000
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अधिष्ठान	80	95.37000
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पर्वूवर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	80	20.80000
मण्डलीय अधिष्ठान	80	36.04000
छात्रावास अधिष्ठान	80	12.79000
वृद्धावस्था पेंशन अधिष्ठान	80	3.85000
अभ्युदय योजना	80	0.00000
सामान्य शादी योजना	80	63.20000
मुख्यमंत्री सानुहिक विवाह योजना	80	111.76000
अपीलीय अधिकारण	80	1.50000
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	80	426.60000
माता पिता भरण पोषण योजना	80	57.22300
योग		**1072.21900**
अधिष्ठान/योजना का नाम	**अनुदान संख्या**	**आवंटित धनराशि (वर्ष 2018–19)**
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पर्वूवर्ती नाम– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)	83	157.15000
छात्रावास अधिष्ठान	83	0.25000
अनुसूचित जाति शादी योजना	83	96.00000
उत्पाचार उत्पीडन योजना	83	375.12500
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	83	117.90000
योग		**746.42500**

नोट– वृद्धावस्था पेंशन में लाभार्थियों तथा छात्रवृत्ति में छात्रों को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

(डा0 अमन सिंह)
वित्त नियंत्रक।

नत्थी (छ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-138 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-136 पर)

संलग्नक-1

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू , मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-138 से सम्बन्धित प्रारूप

क्र0सं0	नियोजक संस्था का नाम	सेवायोजित युवाओं की संख्या
1.	रूद्रा कंस्ट्रक्शन	1
2.	फ्यूल सोर्स मैनपावर साल्यूशन्स	5
3.	इलैक्ट्रानिक सिटी	4
4.	ई-कॉम एक्सप्रेस प्रा0लि0	6
5.	बीना ब्यूटी पार्लर	8
6.	महिन्द्रा एण्ड महिला प्रा0लि0	2
7.	मन ब्यूटी पार्लर	10
8.	शिवांगी ब्यूटी पार्लर	7
9.	श्री स्टार ब्यूटी पार्लर	10
10.	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0	6
11.	हीरो मोटोकार्प	1
12.	श्री ओम इंजीनियरिंग वर्क्स	6
13.	राजधानी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट क0	4
14.	सेवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी	9
15.	सेटेलाइट इलेक्ट्रानिक्स सिक्योरिटी	1
16.	डीटीडीसी एक्सप्रेस लि0	4
17.	डाबर आयुर्वेदिक इन्टरप्राइज	4
18.	द नेक्स्ट विजन	10
19.	वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स	4
20.	वीवा ब्यूटी पार्लर	11
21.	वैष्णवी ब्यूटी पार्लर	6
22.	जस्ट रिच आजमगढ	1
23.	आयुषी फाउण्डेशन	15
24.	आयत एसोसिएट	10
25.	आयत एसोसिएट प्रा0लि0	179
26.	आईसेक्ट स्किल्स	1
27.	ओम ड्रेस एण्ड स्टेशनरीज	1
28.	टेक जॉब होम प्रा0लि0	81
29.	लैक्मे ब्यूटी पार्लर	5
30.	स्वरोजगार में सेवायोजित	492
	कुल	**904**

नत्थी (ज)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-152 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-144 पर)

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत लाभार्थियों का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	कुल पेंशनर्स
1	आगरा	18,082
2	अलीगढ़	18,560
3	अंबेडकर नगर	15,791
4	अमेठी	10,593
5	औरैया	7,852
6	अयोध्या	11,929
7	आजमगढ़	34,186
8	बागपत	6,674
9	बहराइच	20,325
10	बलिया	19,145
11	बलरामपुर	11,115
12	बाँदा	10,766
13	बाराबंकी	18,986
14	बरेली	26,603
15	बस्ती	12,386
16	भदोही	14,252
17	बिजनौर	16,942
18	शाहजहांपुर	18,429
19	बुलंदशहर	18,436
20	चंदौली	11,064
21	चित्रकूट	6,859
22	देवरिया	18,693
23	एटा	11,159
24	इटावा	10,533
25	फर्रूखाबाद	17,169
26	फतेहपुर	16,452
27	फिरोजाबाद	11,901
28	गौतमबुद्धनगर	4,722
29	गाज़ियाबाद	7,098
30	गाजीपुर	19,366
31	गोंडा	19,987
32	गोरखपुर	27,003
33	हमीरपुर	7,034
34	हापुड़	6,239
35	हरदोई	26,972
36	हाथरस	7,440
37	जालौन	13,564

38	जौनपुर	27,629
39	झांसी	11,029
40	ज्योतिबा फुले नगर	9,302
41	कन्नौज	12,986
42	कानपुर देहात	10,659
43	कानपुर नगर	27,886
44	कासगंज	8,470
45	कौशाम्बी	10,204
46	खीरी	20,921
47	कुशी नगर	15,665
48	ललितपुर	5,770
49	लखनऊ	17,683
50	महाराजगंज	14,516
51	महोबा	5,576
52	मैनपुरी	12,651
53	मथुरा	14,930
54	मऊ	13,125
55	मेरठ	14,998
56	मिर्जापुर	13,717
57	मुरादाबाद	12,685
58	मुजफ्फरनगर	15,399
59	पीलीभीत	21,587
60	प्रतापगढ़	25,827
61	प्रयागराज	28,170
62	रायबरेली	14,532
63	रामपुर	12,976
64	सहारनपुर	17,122
65	संभल	7,748
66	संत कबीर नगर	7,279
67	शाहजहांपुर	19,518
68	शामली	7,805
69	श्रावस्ती	4,334
70	सिद्धार्थनगर	13,293
71	सीतापुर	18,889
72	सोनभद्र	11,161
73	सुल्तानपुर	17,156
74	उन्नाव	18,183
75	वाराणसी	23,441
		11,19,129

नत्थी (झ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-155 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-149 पर)

शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का विवरण

क्र0सं0	जनपद	प्राप्त आवेदन की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1	आगरा	82	22
2	अलीगढ़	45	12
3	प्रयागराज	50	34
4	अम्बेडकरनगर	40	23
5	अमेठी	45	15
6	अमरोहा	67	54
7	औरैय्या	32	21
8	आजमगढ़	52	15
9	बागपत	28	10
10	बहराईच	86	23
11	बलिया	45	18
12	बलरामपुर	46	27
13	बॉदा	36	20
14	बाराबंकी	46	27
15	बरेली	184	118
16	बस्ती	57	20
17	भदोही	22	18
18	बिजनौर	143	72
19	बदायूँ	63	28
20	बुलन्दशहर	23	6
21	चन्दौली	55	23
22	चित्रकूट	41	17
23	देवरिया	58	43
24	एटा	41	19
25	इटावा	64	26
26	अयोध्या	38	16
27	फर्रूखाबाद	47	28

28	फतेहपुर	44	25
29	फिरोजाबाद	56	28
30	गौतमबुद्धनगर	25	10
31	गाजियाबाद	27	13
32	गाजीपुर	54	26
33	गोण्डा	77	43
34	गोरखपुर	69	41
35	हमीरपुर	30	17
36	हापुड़	40	21
37	हरदोई	177	107
38	हाथरस	49	26
39	जालौन	62	35
40	जौनपुर	74	44
41	झाँसी	54	19
42	कन्नौज	47	23
43	कानपुर देहात	37	27
44	कानपुर नगर	87	44
45	कासगंज	72	55
46	कौशाम्बी	33	16
47	खीरी	86	50
48	कुशीनगर	33	21
49	ललितपुर	44	26
50	लखनऊ	73	42
51	महाराजगंज	76	33
52	महोबा	28	19
53	मैनपुरी	303	118
54	मथुरा	25	12
55	मऊ	32	10
56	मेरठ	65	49
57	मिर्जापुर	48	19
58	मुरादाबाद	59	31

59	मुजफ्फरनगर	83	53
60	पीलीभीत	237	142
61	प्रतापगढ़	239	157
62	रायबरेली	63	44
63	रामपुर	54	33
64	सहारनपुर	49	22
65	सम्भल	88	57
66	सन्त कबीर नगर	34	16
67	शाहजहॉपुर	70	31
68	शामली	36	20
69	श्रावस्ती	39	18
70	सिद्धार्थनगर	85	38
71	सीतापुर	50	34
72	सोनभद्र	32	25
73	सुल्तानपुर	48	25
74	उन्नाव	94	65
75	वाराणसी	90	56
कुल योग –		**4,913**	**2,641**

नत्थी (अ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-159 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-155 पर)

2022-23

Row Labels	Count of Udyan Reg. No
AGRA	1844
ALIGARH	675
AMBEDAKAR NAGAR	484
AMETHI	429
AMROHA	277
AURAIYA	277
AZAMGARH	558
BAGHPAT	263
BAHRAICH	265
BALLIA	448
BALRAMPUR	140
BANDA	186
BARABANKI	539
BAREILLY	1063
BASTI	285
BHADOHI	282
BIJNOR	383
BUDAUN	303
BULANDSHAHAR	677
CHANDAULI	436
CHITRAKOOT	140
DEORIA	499
ETAH	240
ETAWAH	267
FAIZABAD	355
FARRUKHABAD	305
FATEHPUR	320
FIROZABAD	532
GAUTAM BUDDHA NAGAR	834
GHAZIABAD	1047
GHAZIPUR	619
GONDA	427
GORAKHAPUR	838
HAMIRPUR	116
HAPUR	425
HARDOI	590
HATHRAS	458
JALAUN	183
JAUNPUR	826
JHANSI	427
KANNAUJ	284
KANPUR DEHAT	303
KANPUR NAGAR	1140
KASGANJ	237

KAUSHAMBI	229
KUSHINAGAR	860
LAKHIMPUR KHERI	395
LALITPUR	257
LUCKNOW	1459
MAHARAJGANJ	318
MAHOBA	103
MAINPURI	342
MATHURA	961
MAU	292
MEERUT	1039
MIRZAPUR	456
MORADABAD	364
MUZAFFARNAGAR	752
PILIBHIT	325
PRATAPGARH	601
PRAYAGRAJ	1102
RAE BARELI	408
RAMPUR	375
SAHARANPUR	731
SAMBHAL	254
SANT KABEER NAGAR	262
SHAHJAHANPUR	387
SHAMLI	298
SHRAVASTI	78
SIDDHARTHNAGAR	248
SITAPUR	333
SONBHADRA	279
SULTANPUR	352
UNNAO	364
VARANASI	1003
(blank)	
Grand Total	35953

2021-22

Row Labels	Count of Udyam Reg. No
AGRA	1540
ALIGARH	708
AMBEDAKAR NAGAR	320
AMETHI	325
AMROHA	205
AURAIYA	224
AZAMGARH	446
BAGHPAT	305
BAHRAICH	263
BALLIA	383
BALRAMPUR	167
BANDA	148
BARABANKI	378
BAREILLY	1026
BASTI	266
BHADOHI	315
BIJNOR	287
BUDAUN	214
BULANDSHAHAR	550
CHANDAULI	315
CHITRAKOOT	91
DEORIA	383
ETAH	202
ETAWAH	208
FAIZABAD	294
FARRUKHABAD	254
FATEHPUR	282
FIROZABAD	460
GAUTAM BUDDHA NAGAR	870
GHAZIABAD	1124
GHAZIPUR	544
GONDA	294
GORAKHAPUR	681
HAMIRPUR	136
HAPUR	428

KAUSHAMBI	185
KUSHINAGAR	267
LAKHIMPUR KHERI	365
LALITPUR	140
LUCKNOW	1405
MAHARAJGANJ	190
MAHOBA	264
MAINPURI	197
MATHURA	957
MAU	160
MEERUT	1185
MIRZAPUR	361
MORADABAD	383
MUZAFFARNAGAR	708
PILIBHIT	376
PRATAPGARH	449
PRAYAGRAJ	906
RAE BARELI	340
RAMPUR	409
SAHARANPUR	777
SAMBHAL	236
SANT KABEER NAGAR	193
SHAHJAHANPUR	337
SHAMLI	185
SHRAVASTI	75
SIDDHARTHNAGAR	160
SITAPUR	318
SONBHADRA	212
SULTANPUR	299
UNNAO	274
VARANASI	1013
(blank)	
Grand Total	31831

2020-21

Row Labels	Count of Udyam Reg. No
AGRA	1176
ALIGARH	437
AMBEDAKAR NAGAR	202
AMETHI	190
AMROHA	161
AURAIYA	119
AZAMGARH	321
BAGHPAT	236
BAHRAICH	114
BALLIA	174
BALRAMPUR	62
BANDA	110
BARABANKI	226
BAREILLY	755
BASTI	139
BHADOHI	213
BIJNOR	217
BUDAUN	147
BULANDSHAHAR	434
CHANDAULI	175
CHITRAKOOT	59
DEORIA	223
ETAH	120
ETAWAH	178
FAIZABAD	154
FARRUKHABAD	120
FATEHPUR	212
FIROZABAD	311
GAUTAM BUDDHA NAGAR	828
GHAZIABAD	1061
GHAZIPUR	367
GONDA	202
GORAKHAPUR	468
HAMIRPUR	55
HAPUR	287
HARDOI	294
HATHRAS	351
JALAUN	69
JAUNPUR	400
JHANSI	286
KANNAUJ	141
KANPUR DEHAT	153
KANPUR NAGAR	997
KASGANJ	103

KAUSHAMBI	110
KUSHINAGAR	155
LAKHIMPUR KHERI	232
LALITPUR	97
LUCKNOW	1236
MAHARAJGANJ	124
MAHOBA	54
MAINPURI	166
MATHURA	631
MAU	97
MEERUT	864
MIRZAPUR	236
MORADABAD	271
MUZAFFARNAGAR	583
PILIBHIT	230
PRATAPGARH	323
PRAYAGRAJ	594
RAE BARELI	164
RAMPUR	255
SAHARANPUR	569
SAMBHAL	144
SANT KABEER NAGAR	85
SHAHJAHANPUR	209
SHAMLI	121
SHRAVASTI	40
SIDDHARTHNAGAR	122
SITAPUR	221
SONBHADRA	113
SULTANPUR	187
UNNAO	217
VARANASI	878
(blank)	
Grand Total	**22375**

नत्थी (ट)

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्यों के अन्य संशोधन

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-यह कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी, जनपद प्रतापगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय, 2-यह कि राष्ट्रीय एकता महोत्सव घुइसरनाथ, प्रतापगढ़ की धनराशि रु0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रुपये) से बढ़ाकर रु0 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) की जाय, 3-यह कि मुरैनी-खानीपुर के बीच मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराया जाय, 4-यह कि गाड़ी (ग्राम पंचायत दर्रा)-वीरशाहपुर के बीच मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराया जाय, 5-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सगरा रजबहा (कादिर बीर बाबा) से दुबे का पुरवा, शीतलमऊ, लालूपुर, मठहा, इटैला, पूरे नोती, मादीपुर, भदारीकला होते हुये बाबूगंज तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय, 6-यह कि संगम चौराहा से राजेन्द्र नगर तक बाईपास मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कराया जाय, 7-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा धधुआगाजन से वर्मा नगर तक, तथा कामापट्टी से बीजमऊ तक के छूटे हुये बीच के हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय, 8-यह कि प्रत्येक परिवार को जीवन यापन के लिये 'सम्मान राशि' दी जाय, 9-यह कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाय, 10-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय, 11-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय, 12-यह कि अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन नहीं हो रहा है,

13-यह कि जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है,

14-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाना चाहिए,

15-यह कि पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये 'स्पेशल पैकेज' दिया जाना चाहिए,

16-यह कि बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु 'स्पेशल पैकेज' दिया जाना चाहिए,

17-यह कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए,

18-यह कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय, तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था की जानी चाहिए,

19-यह कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए,

20-यह कि प्रदेश में महिलाओं, नाबालिक बच्चियों के साथ बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार की घटनायें घटित हो रही है, तत्काल इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाय,

21-यह कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाना चाहिए तथा आपूर्ति चौबीस घण्टे सुनिश्चित की जाये,

22-यह कि जनपद रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ एवं महराजगंज आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए,

23-यह कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। कण्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं है, और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेचे जा रहे हैं,

24-यह कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम

की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए,

25-यह कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जानी चाहिए,

26-यह कि सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुये पारदर्शिता लायी जाय,

27-यह कि बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बकाया कर्ज माफ किया जाय,

28-यह कि 25 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति का हो के सम्बन्ध में,

29-यह कि प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे पूरी तरह माफ किया जाय के सम्बन्ध में,

30-यह कि राजनैतिक द्वेष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमे वापस लिये जायें के सम्बन्ध में,

31-यह कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय,

32-यह कि जनपद रायबरेली में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिये एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाय, और इसे शीघ्र सेवारत् किया जाय,

33-यह कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ाकर रु0 5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये) की जाय तथा जी0एस0टी0 से Exemption (छूट) दी जाय,

34-यह कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पाँच-पाँच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप प्रदान किये जायें,

35-यह कि प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाय,

36-यह कि नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाय और उन्हे सिंचाई के लिये समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाया जाय,

37-यह कि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-231 पर स्थित थाना कोतवाली लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों के आवास के लिये नये भवन का निर्माण किया जाय,

38-यह कि प्रदेश में महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जायें,

39-यह कि अवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद/नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाय, तथा आवश्यकतानुसार गौशालाओं का निर्माण कराया जाय और पशुओं के लिये आहार की उचित व्यवस्था की जाय। तब तक प्रत्येक किसान को दूध न देने वाले पशुओं के पालन पोषण हेतु प्रति पशु की दर से रु0 1000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह दिया जाय,

40-यह कि अवारा पशुओं के भय से जिन किसानों की भूमि परती है, और किसान पशुओं के डर से उस भूमि में खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाय,

41-यह कि प्रदेश में भाईचारा तथा साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जाये,

42-यह कि पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दर आधी की जाये,

43-यह कि फ्री-राशन गरीबों के साथ मध्य वर्ग (मिडिल इनकम ग्रुप) को भी उपलब्ध कराया जाये,

44-यह कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक रोजगार भत्ता दिया जाये,

45-यह कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्री रेल यात्रा के लिए कूपन निर्गत हो,

46-यह कि महिलाओं तथा बेराजगारों को सरकारी बसों में निशुःल्क यात्रा सुविधा दी जाये,

47-यह कि मोहल्ला स्तर पर चिकित्सा केन्द्र बनाये जायें,

48-यह कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर सभी अनाज का आखिरी दाना तक खरीदा जाये तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन संस्तुति के आधार पर तत्काल भुगतान किया जाये,

49-यह कि गन्ने का मूल्य मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार 14 दिन में दिया जाये तथा समय पर भुगतान न देने पर निर्धारित ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में,

50-यह कि सभी किसानों पर अभी तक कायम सभी मुकदमे वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

51-यह कि तदर्थ शिक्षकों को सेवा में बनाये रखते हुये उनके बकाये वेतन का भुगतान किया जाय, के सम्बन्ध में,

52-यह कि कानपुर देहात के मड़ौली गाँव की घटना की न्यायिक जाँच करायी जाय,के सम्बन्ध में,

53-यह कि हर गाँव में गौशाला का निर्माण कराया जाय, जिससे गौवंश की रक्षा हो सके, तथा किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सके के सम्बन्ध में तथा

54-दर्दनाक घटना से सबक लेते हुये बुल्डोजर का उपयोग तब तक न किया जाय, जब तक मा0 न्यायालय से दोष सिद्ध न हो जाय, के सम्बन्ध में।''

श्री उमाशंकर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जांच के नाम पर उत्पीड़न बन्द करने के सम्बन्ध में,

3-उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

5-दंगा पर प्रभावी नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा की जा रही वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हे प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों पर सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों एवं दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में एन्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में हो रहे फर्जी इन्काउन्टर को रोके जाने के सम्बन्ध में,

15-बढ़ते बलात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,

16-गौ-रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

17-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

18-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

19-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

20-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

21-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

22-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

23-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में,

24-किसानों के धान एवं गेहूँ खरीद में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

25-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

26-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश में भंयकर पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

29-महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज अम्बेडकरनगर में पी0जी0 की कक्षायें चलाये जाने के सम्बन्ध में,

30-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

31-बुनकर बाहुल्य क्षेत्र मुबारकपुर, अकबरपुर, टाण्डा एवं जलालपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

32-पशुधन विकास हेतु किसानों को उन्नत किस्म के दुधारु पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

36-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में

37-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

38-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

40-किसानों को खाद्य एवं बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

41-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

42-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 इन्दारा रजवाहा नहर के सिंगही से डूमरी तक नहर में लाइनिंग (पक्की करण) का कार्य के सम्बन्ध में,

43-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया में साधन सहकारी चीनी मिल रसड़ा को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा, बलिया में चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में,

45-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

46-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

47-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को हटाये जाने के सम्बन्ध में,

48-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

49-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

50-प्रदेश के सभी राजमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

51-प्रदेश में नियुक्त शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में तथा

52-प्रदेश में नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में।''

डॉ0 पल्लवी पटेल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

2-किसानों को खाद बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

3-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

4-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

5-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

6-बेरोजगार, नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

7-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

8-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

9-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

11-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में,

12-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

14-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

15-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

17-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

18-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

19-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

21-पिछले वर्ष विधान सभा क्षेत्र द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

22-अल्पसंख्यक कल्याण हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

23-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

24-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

25-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

26-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में, राज्य कर्मचारियों (सरकारी) पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, के सम्बन्ध में,

27-यह कि प्रत्येक परिवार को जीवन यापन के लिये 'सम्मान राशि' दिये जाने के सम्बन्ध में,

28-यह कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

29-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

30-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

31-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिराथू में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े हैं। विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में,

32-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिराथू के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

33-यह कि पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये 'स्पेशल पैकेज' दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-यह कि बुन्देलखण्ड पूर्वान्चल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु 'स्पेशल पैकेज' दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-यह कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-यह कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाये तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बध में,

37-यह कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

38-यह कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है

जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाना चाहिये तथा आपूर्ति चौबीस घंटे सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-यह कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। कन्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं है, और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेंचे जाने के सम्बन्ध में,

40-यह कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई के सम्बन्ध में,

41-उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

42-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,

43-दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में,

44-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

45-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

46-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

47-यह कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

48-यह कि राजनैतिक द्वेष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमे वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

49-यह कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

50-यह कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्डपाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

51-यह कि प्रत्येक मा0 विधायक के निवार्चन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

52-यह कि नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाये और उन्हे सिंचाई के लिये समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

53-यह कि प्रदेश में महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

54-यह कि आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद/नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाये तथा आवश्यकतानुसार गौ-शालाओं का निर्माण कराया जाये और पशुओं के लिये आहार की उचित व्यवस्था की जाये। तब तक प्रत्येक किसान को दूध न देने वाले पशुओं के पालन-पोषण हेतु प्रति पशु की दर से रु0 2,000 (दो हजार रुपये) प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में,

55-यह कि आवारा पशुओं के भय से जिन किसानों की भूमि परती है और किसान पशुओं के डर से उस भूमि में खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

56-यह कि प्रदेश में भाईचारा तथा साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

57-यह कि पेट्रोलियम पदार्थों पर VAT की दर आधी किये जाने के सम्बन्ध में,

58-यह कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्री रेल यात्रा के लिये कूपन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में,

59-यह कि महिलाओं तथा बेरोजगारों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,

60-यह कि मोहल्ला स्तर पर चिकित्सा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

61-यह कि गन्ने का मूल्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार 14 दिन में दिया जाये तथा समय पर भुगतान न देने पर निर्धारित ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

62-उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

63-उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जांच के नाम पर उत्पीड़न बन्द करने के सम्बन्ध में,

64-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

65-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

66-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्श समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

67-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

68-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

69-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

70-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

71-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,

72-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हे प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों को सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

73-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

74-लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज करके अनुचित तरीके से जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

75-गो-रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

76-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

77-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

78-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

79-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

80-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

81-प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

82-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

83-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बध में,

84-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

85-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

86-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,

87-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

88-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में,

89-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

90-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

91-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

92-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा उचित सब्सिडी दिए जाने के सम्बन्ध में,

93-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

94-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

95-प्रदेश के सभी राजमार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

96-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के सौंदर्यीकरण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

97-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अदमापुर में पंचायत घर बनाने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

98-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

99-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में, ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

100-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में जबई में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर प्रतीक स्थल के तौर पर सौंदर्यीकरण के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

101-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में एक गांव एक तालाब के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

102-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में प्राथमिक विद्यालयों को ई-विद्यालय बनाने के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

103-जिला-कौशाम्बी में अलवारा की झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

104-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में राजा जयचंद के किले को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

105-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में अकबर का किला अकबरपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

106-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में कड़ाधाम के सौंदर्यीकरण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

107-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पानी के निकासी के लिये नाली निर्माण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

108-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में प्राथमिक विद्यालयों में वाटर कूलर के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

109-जिला-कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में नहरों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिये धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

110-प्रदेश में सड़कों के किनारे आर-पार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने जर्जर विद्युत तार के बदलने के बारे में प्रभावी एवं त्वरित प्रयास के सम्बन्ध में,

111-प्रदेश में तालाबों, पोखरों, झीलों में हमेशा पानी रहे इसका प्रभावी प्रयास के सम्बन्ध में,

112-जनपद कौशाम्बी में आवास विकास तथा विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में,

113-प्रदेश में राजस्व मामलों में पुलिस हस्तक्षेप से उत्पन्न भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में,

114-डिजिटल व्यवस्था के तहत आनलाइन दिये जाने वाले सूचना प्राथमिकी मानकर की गई कार्यवाही पर गम्भीरतापूर्वक एवं विधिक मान्यता के सम्बन्ध में,

115-विधान सभा क्षेत्र सिराथू में एक वृहद् आयुर्वेदिक अस्पताल के स्थापना के सम्बन्ध में,

116-विधान सभा क्षेत्र सिराथू में सिंचाई व्यवस्था हेतु ट्यूबवेलों के निर्माण के सम्बन्ध में तथा कानून व्यवस्था न्यायसंगत हो इस सम्बन्ध में न्यायालयों की टिप्पणी तथा मानवाधिकार व्यवस्था में, के सम्बन्ध में,

117-प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में,

118-ग्राम मोहीउद्दीनपुर बेला पोस्ट तुलसीपुर सिराथू में राधेश्याम शुक्ला के घर से दशरथ पटेल के घर तक आर0सी0सी0 रोड एवं भोरेलाल के घर से तलवा होते हुये नहर तक 01 किमी0 आर0सी0सी0 मार्ग प्लस पुलिया 1200 मीटर बनाने के सम्बन्ध में,

119-विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम अचाकापुर में दशरथ के घर से कालीमाता होते हुये बाबूलाल मौर्य के घर तक एवं पितई लाल सरोज के घर से गांव के अन्दर होते हुये शंकर लाल मौर्य के घर तक आर0सी0सी0 रोड के सम्बन्ध में,

120-विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम सभा मोहीउद्दीनपुर बेला शिवपुर गढ़ी के प्राइमरी स्कूल में, ग्राम अचाकापुर भैयालाल के घर के सामने तथा काली माता मंदिर के पास एवं ग्राम सभा शिवपुर गढ़ी मजरा मोहीउद्दीनपुर बेला में रमेश पटेल एवं राम आसरे तथा ओम प्रसाद के घर के सामने स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में,

121-नगर पालिका परिषद् के असकरनपुर मंगरोहनी में पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति एवं सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में,

122-नगर पालिका परिषद् के असकरनपुर मंगरोहनी में राजेन्द्र खरे की बाग से शिवालय तक क्षतिग्रस्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में,

123-नगर पालिका परिषद् के असकरनपुर मंगरोहनी में ओपेन जिम लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री गुलाम मौहम्मद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र शिवाल खास मेरठ के ग्राम रसूलपुर धोलडी को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में,

2-ग्राम रोहटा वि0ख0-रोहटा को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में,

3-नगर पंचायत खिवाई विकास खण्ड सरूरपुर में राजकीय हाई स्कूल को इण्टरमीडिएट का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम किनौनी वि0ख0-रोहटा में छात्राओं के लिए राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

5-ग्राम किनौनी वि0ख0-रोहटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में,

6-नगर पंचायत हर्रा में पशुचर की भूमि को बदलकर युवाओं के लिए स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-नगर पंचायत खिवाई में उच्च शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आई0टी0आई0 संस्थान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-नगर पंचायत हर्रा में नगरीय योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत हर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री जगदीश नारायण

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश के किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में मशीनों व दवाओं पर छूट दिया जाना चाहिये, के सम्बन्ध में,

2-किसानों के उत्पादों को समुचित मार्केटिंग की अनिवार्य एवं सुनिश्चित व्यवस्था हो, के सम्बन्ध में,

3-किसानों के जरूरत के समय नहरों में पानी समय से तथा विद्युत आपूर्ति बराबर बनी रहे, के सम्बन्ध में,

4-जनपद जौनपुर का मेडिकल कॉलेज शीघ्र पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में,

5-जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरी में डाक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति, इटाये एवं शीतमसराय के मध्य में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में,

6-जनपद जौनपुर शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद जौनपुर के चारों तरफ रेलवे पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद जौनपुर में एक सर्किट हाउस निर्माण के सम्बन्ध में,

9-जनपद जौनपुर में विकास प्राधिकरण गठन के सम्बन्ध में,

10-जनपद जौनपुर-गाजीपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में,

11-जनपद जौनपुर के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जफराबाद पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में,

12-जनपद जौनपुर में बहने वाली नदी गोमती सई को स्वच्छ करने के सम्बन्ध में,

13-जनपद जौनपुर में इत्र एवं मक्का के बड़े उद्योग लगाने के सम्बन्ध में,

14-विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर तार बदलने एवं विद्युतीकरण करने तथा ट्रांसफारमर क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में।''

श्री अनिल प्रधान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 में बेरोजगारों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

2-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के किसानों के निजी नलकूपों को निःशुल्क विद्युत देने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

3-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

4-किन्तु खेद है कि उ0प्र0 के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों का स्थायीकरण करने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

5-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट की सभी पम्प नहरों को पूरी क्षमता से चलाये जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

6-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में अन्ना प्रथा को समाप्त कर सभी गौशालाओं में भूसा, चारे-पानी की समुचित व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

7-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित गौशालाओं का 08-08 महीने तक भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

8-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने तथा चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

9-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में मां मन्दाकिनी की सफाई कार्य कराने एवं स्वच्छ रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

10-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में 220 बेड के मातृत्व एवं शिशु चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 सेवा कार्य कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

11-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में 220 बेड के चिकित्सालय में डॉक्टरों एवं स्टाफ की तैनाती कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

12-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में संयुक्त चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में विशेष रूप से हड्डी रोग, सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञों, हड्डी आपरेशन एवं प्रसव ऑपरेशन हेतु डॉक्टरों एवं स्टाफ नर्सों की तैनाती कराये जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

13-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में संयुक्त जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग ऑपरेशन कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

14-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में संयुक्त जिला चिकित्सालय में एक्सरे, पैथोलॉजी, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड सेवा 24 घंटे कराये जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

15-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती कराये जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

16-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में 102 व 108 एम्बुलेंस सेवा में प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रत्येक एम्बुलेंस चालक से जिला प्रभारी द्वारा फर्जी केस दिखाने का दबाव बनाकर फर्जी नम्बर एवं नाम अंकित कराकर केस कराये जा रहे हैं, जिसकी जांच कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

17-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में 102 व 108 एम्बुलेंस सेवा में प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रत्येक एम्बुलेंस चालक से जिला प्रभारी द्वारा केस दिखाने का दबाव बनाकर फर्जी नम्बर एवं नाम अंकित कराकर केस कराये जा रहा है और एम्बुलेंस चालक द्वारा फर्जी केस नहीं दिखाये जाते उनके ऊपर एम्बुलेंस सेवा में ही तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मियों से छेड़-छाड़ समेत अन्य गम्भीर आरोप लगाकर कानूनी कार्यवाही करायी जा रही है, जिसकी जांच कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

18-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, पोस्टिंग व्यापक भ्रष्टाचार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

19-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से गाली-गलौज की जा रही है जिस पर जांच एवं कार्यवाही कराने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

20-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा समय से पोस्टमार्टम करने न आने पर कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

21-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सभी सरकारी डॉक्टरों द्वारा सरकार की रोक के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है, जिसे बन्द कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

22-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट जो रिफर सेंटर बन गया है। संयुक्त जिला चिकित्सालय में समुचित इलाज की व्यवस्था कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

23-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में मृतकों के परिवारीजनों को पोस्टमार्टम उपरान्त शव के अन्तिम संस्कार हेतु शव वाहन दिये जाने में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा लगभग हमेशा मना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

24-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी जनपद चित्रकूट के खराब जनरेटर को बदलवाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

25-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में नमामि गंगे योजना एवं हर घर पेयजल योजना में कार्यदायी संस्था द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिसकी जांच कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

26-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में हर-घर पेयजल योजना में कार्यदायी संस्था द्वारा गांव के अन्दर पाइप लाइन डालने हेतु पक्की सड़कें खोदकर पाइप लाइन डालकर ऊपर से पक्का न करके मिट्टी डालकर बन्द कर दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

27-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में अघोषित विद्युत कटौती के बन्द करने एवं शासन के निर्देशों के क्रम में बिजली उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

28-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में पर्याप्त वोल्टेज में विद्युत आपूर्ति हेतु ग्राम घुरेटनपुर, भैसौंधा, सरधुवा में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

29-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में जर्जर तारों को बदलवाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

30-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में विद्युतीकरण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

31-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में विद्युत अधिकारी द्वारा बिजली चोरी रोकने के सन्दर्भ में छोटे-छोटे किसानों, व्यापारियों तथा आम-जनमानस के खिलाफ फर्जी मुकदमा कराकर जमकर वसूली की जा रही है और लोगों को परेशान कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

32-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में निजी ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत सामग्री हेतु किसानों से पैसा जमा कराये जाने के बाद भी हजारों किसानों को न तो पैसा

वापस किया जा रहा है और न ही विद्युत सामग्री दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

33-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम धौरहरा खादर तीरधुमाई गंगू समेत सभी बालू की खदानों में शासनादेश के विपरीत नदी धारा रोककर अवैध खनन कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

34-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में बालू की ओवरलोडिंग रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

35-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में समस्त राजकीय इण्टर कॉलेज एवं उच्चीकृत हाई स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

36-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

37-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में राजकीय महाविद्यालय कालूपुर पाही में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

38-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में पेयजल संकट को देखते हुये नये मार्का-2, हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

39-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर लगातार उत्पीड़न रोकने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

40-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में समस्त थानों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तथा मुकदमे नहीं दर्ज किये जाने को कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

41-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सिंचाई हेतु बनाई गयी नहरों की साफ-सफाई एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

42-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सभी खेतों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

43-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में श्रम विभाग में पर्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

44-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में पंचमुखी मडफा महादेव में विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल व्यवस्था कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

45-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में भगवान कामतानाथ स्वामी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

46-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में विभिन्न पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं कई धार्मिक स्थलों एवं प्राचीनकाल से मौजूद कई सभ्यताओं का विकास कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

47-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सड़कों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

48-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ओ0बी0सी0 ए0सी0 एवं ई0डब्लू0एस0 छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

49-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सिंचाई हेतु नये नलकूपों की स्थापना कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

50-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को निलम्बित एवं बहाली हेतु किये जा रहे भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

51-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सरधुआ एवं भरतपुर को ब्लाक बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

52-किन्तु खेद है कि पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्य मंत्री राहत कोष से इलाज हेतु अस्पतालों द्वारा बनायी गयी स्टीमेट से आधी धनराशि स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

53-किन्तु खेद है कि पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्य मंत्री राहत कोष से इलाज हेतु अस्पतालों द्वारा बनायी गयी स्टीमेट में धनराशि स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

54-किन्तु खेद है कि पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना में जमीन की उपलब्धता होने के बाद भी सर्पदंश के कई मामलों का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्रकूट द्वारा बिसरा रिपोर्ट के सन्दर्भ में आख्या न देने के कारण पैसा न स्वीकृत होने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

55-किन्तु खेद है कि पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत मर्डर हुये व्यक्ति के आश्रितों को इस योजना से वांछित लाभ न दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

56-किन्तु खेद है कि पूरे उ0प्र0 सहित जनपद चित्रकूट में पिछली स्वीकृत शिक्षक भर्तियों में आरक्षण का पूर्णतः पालन न करके नियमों के विपरीत नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

57-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना न होने के कारण जहर एवं सर्पदंश के मरीजों को तत्काल प्रयागराज रिफर कर दिया जाता है जिससे समय से न पहुंचने के कारण प्रति वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

58-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों के साफ-सफाई, गहरीकरण आदि कार्यों में हुये भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

59-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाबों को बनाने आदि सभी कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

60-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम खोह से भरतपुर बाईपास का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

61-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में राजापुर से कर्वी होते हुये हवाई पट्टी तक फोर लेन सड़क के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

62-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में देवांगना घाटी से खोह बाईपास का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

63-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में राजकीय हाई स्कूल ममसी बुजुर्ग के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

64-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के जमीन की उपलब्धता का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

65-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में बरुआ एवं गड़वा नाला के दोनों तरफ सफाई का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

66-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में रसिन बांध से बरुआ बांध तक सिंचाई हेतु पानी ले जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

67-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं स्टाफ बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

68-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में नगर पालिका परिषद् में शामिल किये गये गांवों में बिजली, पानी एवं अन्य विकास कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

69-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में जिला कारागार में शिक्षकों की तैनाती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

70-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में जिला कारागार रगौली में विद्युत आपूर्ति हेतु शहरी फीडर से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

71-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में राजकीय हाई स्कूल, मिर्जापुर में विद्यालय तक जाने हेतु पक्के सम्पर्क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

72-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में रसिन बांध किसानों की ली गयी जमीनों का सभी किसानों को अब तक मुआवजा न मिलने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

73-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बारात भवन बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

74-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में देवांगना घाटी से खोह बाईपास बनवाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

75-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सीतापुर बान तालाब कुशवाहा नई बस्ती में सभी घरों तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

76-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में करारी ग्राम पंचायत के मजरे काजीपुर में महैश पटेल के घर से अवधेश के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

77-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत साईंपुर माफी में उमाशंकर तिवारी के घर से गुलजार यादव के घर तक पक्के सम्पर्क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

78-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत पडरी में ग्राम रैपुरवा माफी वाया पड़वी वाया गोपालपुर वाया बगलई तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

79-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत परसौंजा में राजू ठाकुर के पुरवा से साधू शरण सिंह के मकान तक पक्का सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

80-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में रैपुरा-राजापुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम अहिरा सम्पर्क मार्ग जो हर-घर जल योजना कार्य करने वालों ने पूर्ण रूप से खुदाई करके ध्वस्त कर दिया है उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

81-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत मगरहाई के ग्राम बांधा में स्वजल योजना के तहत बनाई गयी टंकी का प्रयोग हर घर नल योजना से आच्छादित करके पेयजल व्यवस्था प्रारम्भ कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

82-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत हिनौता माफी में पडुई व नोनगरा नाला में पुलिया अथवा रपटा निर्माण के सन्दर्भ में कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

83-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अशोह में पंडा चौराहे से शिव शरण सिंह के घर तक नाली सहित सी0सी0 रोड एवं नाले में रपटा निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

84-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अशोह में नत्थू यादव के घर से सिंघानिया तालाब (राजापुर सम्पर्क मार्ग) तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

85-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अशोह में सूरज यादव के घर से उमरी तालाब तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

86-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में इटरौर भीषमपुर में उधौ प्रसाद के घर से पुलिया तक नाला सहित सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

87-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत रामपुर (बेलरी) में रामपुर से बेलरी तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

88-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में सीतापुर में प्रकाश पटेल के घर से लालमन मास्टर के घर तक नाली सहित सी0सी0 रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

89-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत धौरहीमाफी में कुबेर कोरी के घर से शिवमोहन प्रधान के पुरवा से होते हुये करेड़ी नाला वाया मऊब तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

90-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अकबरपुर में राजू पटेल के पुरवा से प्राथमिक विद्यालय तक डामरीकरण सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

91-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत शिवरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ नाला निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

92-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत शिवरामपुर में शिवरामपुर से रैपुरवा सम्पर्क मार्ग के मध्य स्थित रेलवे अण्डरग्राउण्ड ब्रिज के नीचे पानी भर जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

93-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत गुरुबाबा चकला में गुरुबाबा चकला से गड़रियनपुरवा तक सुदृढ़ीकरण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

94-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत भरथौल में बरुआ नाला तक रपटा एवं पुल का निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

95-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सुरवल में किशोर के पुरवा में सीताराम के घर से माफी द्वारकापुरवा पीपल के पेड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

96-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सुरवल माइनर नई पुलिया से माफी धार का पुरवा प्राथमिक विद्यालय मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

97-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सरधुआ में राजापुर कमासिन मार्ग से रज्जन पाण्डेय के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं पुलिया निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

98-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सरधुआ में राजापुर कमासिन मार्ग से गौशाला तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

99-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत सरधुआ में पनौटी मार्ग से बेलहा पुरवा तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

100-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत कादरगंज शिवचरण सिंह के घर से बोड़ा चौकीदार के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

101-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत कादरगंज में शंकर जी के मंदिर से छोटेलाल यादव के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

102-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत कादरगंज में गेंदा पुरवा में सी0सी0 रोड से सन्तोष यादव के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

103-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी के श्यामलाल के घर के सामने से कल्लू गुप्ता के घर तक नाला निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

104-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में दादू खां के सामने से मेन रोड प्रजापति बस्ती तक नाला निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

105-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में शंकर जी के मंदिर से छोटेलाल यादव के घर तक नाला निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

106-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में श्यामसुन्दर पाण्डेय सामने से मोहनलाल नाई के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

107-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड विक्रम प्रजापति के सामने से प्रजापति बस्ती तक नाला निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

108-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में बारामाफी में मेन रोड बैजूपुरवा से अलमापुरवा मेन रोड तक दो पुलिया एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

109-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड पुलिया से भूरा यादव के दरवाजे तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

110-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड बसन्त लाल टेलर के सामने से नत्थू यादव के सामने तक दोनों तरफ नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

111-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से व्यास यादव के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

112-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से पिलेश यादव के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

113-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से शिवदर्शन यादव के सामने तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

114-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत बारामाफी में मेन रोड से हरिश्चन्द्र यादव के पुरवा तक नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

115-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भंभई में चकला गुरुबाबा रोड से छेदीलाल यादव के पुरवा तक रोड व नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

116-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत रेहुंटा में पुल से राजपाल यादव के घर तक नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

117-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत रेहुंटा में प्रेमचन्द्र दर्जी के घर से लक्ष्मी राजपूत के घर तक रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

118-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत रेहुंटा में मजरा खेर पुरवा में स्वामीदीन के घर से पयस्वनी के घाट तक आर0सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

119-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत पथरोडी में वार्ड नं0-06 दलित बस्ती में रामचरन कोटार्य के घर से दुलारेराम कोटार्य के घर तक नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

120-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत मऊब में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

121-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत मऊ-ब में खाद बिक्री केन्द्र निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

122-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत करारी में करारी से काजीपुर होते हुये बरकतपुर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

123-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत सुदिनपुर में गौशाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

124-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत अमिलिहा में राजललन पटेल के दरवाजे से लेकर काजीपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

125-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत मकरी पहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

126-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत मकरी में मकरी पुल से बारा होते हुये कादरगंज गौतम पुरवा से गढीघाट तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

127-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत बारा में बारा से बैजू के पुरवा को मिलाते हुये अलमा पुरवा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

128-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी के ग्राम पंचायत हिनौता माफी में इण्टर कॉलेज का निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

129-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत कादरगंज के मजरा धर्मपाल यादव के डेरा से गढ़ीघाट सम्पर्क मार्ग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

130-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत बारामाफी में कल्लू गुप्ता के पुलिया से प्रजापति बस्ती मेन रोड तक नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

131-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत खुटहा में धोबी पुरवा से मेन रोड बिरमा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

132-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत खुटहा में रामनरेश कोटार्य के घर से प्रधान चन्द्रशेखर के घर से होते हुये रामदास कोटार्य के घर तक नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

133-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत खुटहा में कुबेर सिंह पटेल के दरवाजे से राधेश्याम के दरवाजे तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

134-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भरथौल में बरुआ में सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

135-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत छपरामाफी में गनेश के पुरवा से मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

136-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत बालापुरमाफी, मजरा-चकभूपत रजौला में देवी जी के मंदिर के पास से आंगनबाड़ी केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

137-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत पचोखर, मजरा-मझियार, में श्रीकेशन यादव के घर से प्राथमिक विद्यालय मझियार तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

138-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत पचोखर, मजरा-मझियार में छत्रपाल वर्मा के दरवाजे से रघुराज यादव के घर तक नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

139-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत पचोखर, मजरा-मझियार में मेन रोड से बैजनाथ के घर तक रोड मरम्मत/निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

140-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत पचोखर, मजरा-रामपाल पुरवा में श्याम वर्मा के घर से रामप्रताप के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

141-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत पचोखर में शिवचरन के घर से मेन रोड तक नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

142-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत परसौंजा में राजकुमार कोटेदार के घर से चन्दन पटेल के घर के आगे तक सम्पर्क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

143-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत परसौंजा में ओरन-बिसण्डा मार्ग से परसौंजा की तरफ सम्पर्क मार्ग उच्चीकृत एवं नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

144-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत परसौंजा में साधन सहकारी समिति का जीर्णोद्धार कार्य/निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

145-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत अशोह में गंगा विश्वकर्मा के घर के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

146-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत अशोह में पण्डा चौराहा से शिवचरन सिंह के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

147-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत अशोह में पचोखर मेन रोड से मातादीन यादव के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

148-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत अशोह में सूरज यादव के घर से राममिलन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग खड़न्जा निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

149-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत अशोह में नत्थू यादव के घर से सिंघानिया बाबा स्थान तक डामरीकरण सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

150-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दुबारी, मजरा-ऐरानमाफी में देवीदयाल प्रजापति के घर से शारदा प्रसाद यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

151-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दुबारी में दिनेश पटेल के घर से कम्पोजिट विद्यालय दुबारी तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

152-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दुबारी में दिलशाद अली के घर से रमेश सेंगर के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

153-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दुबारी, मजरा-ऐरानमाफी में शिवपूजन पटेल के घर से प्राथमिक विद्यालय सेहरा पुरवा तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

154-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दुबारी, मजरा-गौरीमाफी में टूटी पुलिया की मरम्मत निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

155-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत तौरा में नांदी माइनर से केशव वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

156-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत तौरा में कृष्णपाल सिंह के घर से निर्भय सिंह पटेल के घर तक नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

157-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत कपना में गरीबदास के घर से नदी तक नाला निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

158-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत नांदी में दुर्गा प्रसाद के घर से शोभाराम के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

159-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत इटौरा में प्राथमिक विद्यालय इटौरा से कपना बालापुर रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

160-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भगनपुर, मजरा-ठर्री में श्मशान घाट निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

161-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भंभई में श्मशान घाट निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

162-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भंभई में कुंजबिहारी पुत्र मोहन के पुरवा में विद्युतीकरण कार्य निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

163-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत धौरहीमाफी के पुरवा में विद्युतीकरण कार्य निर्माण का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

164-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत करारी के केवटन पुरवा में बिहारी चिरौंजीलाल तथा रामगुलाम के पुरवा से होते हुये केवटन पुरवा तक 11000 वोल्ट विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

165-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत अमिलिहा के शारदा प्रसाद पुत्र कबीरदास की बस्ती में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

166-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत अमिलिहा के अशोक कुमार पुत्र मोतीलाल के यहां विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

167-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत सुदिनपुर में सुदिनपुर के बस स्टाप अमिलिहा मोड़ से रसिन मोड़ तक बिजली खम्भे व तार खिंचवाये जाने अथवा विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

168-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दहिनी के प्राथमिक विद्यालय दहिनी के पास टूटे विद्युत पोल का कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

169-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत दहिनी में तेजनिया पुरवा, समलिया पुरवा (खुमान पुरवा) व सिद्धगोपाल का पुरवा में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

170-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत बालापुरमाफी, मजरा-चकभूपत रजौला में 11,000 हाई वोल्टेज की विद्युत लाइन गांव के अन्दर से गयी हुयी है, इसको गांव के बाहर से करवाने का कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

171-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत बालापुरमाफी, मजरा-चकभूपत रजौला के आंगनबाड़ी केन्द्र में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

172-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत उन्नाय बन्ना, मजरा-बघवारा के बडकू प्रसाद यादव के पुरवा में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

173-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भगनपुर में मेन रोड से शिवकुमार पटेल के घर तक विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

174-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भगनपुर में रमेशचन्द्र पटेल के पुरवा से श्री हरी प्रसाद के पुरवा तक विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

175-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-कर्वी के ग्राम पंचायत भैसौंधा, मजरा-सज्जन का पुरवा में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

176-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत सुरवल (नई बस्ती) में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में,

177-किन्तु खेद है कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक-पहाड़ी के ग्राम पंचायत चिल्लीमल, मजरा-दुबे का पुरवा (जागेश्वर का पुरवा) में विद्युतीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में।''

श्री अशरफ अली खान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैसानी इस्लामपुर व गढ़ी अब्दुल्ला एवं हसनपुर लुहारी की बड़ी आबादी होने के कारण नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन की बड़ी आबादी होने के कारण नगर पालिका का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में जर्जर विद्युत तारों के बदलने एवं आवासीय परिसरों के ऊपर से जा रही विद्युत तारों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने तथा सुचारु रूप से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र के गन्ना किसानों को बकाया भुगतान निर्धारित समय से कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का

दर्जा देते हुए उच्चीकरण एवं अन्य सुविधाओं से युक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद शामली में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र के किसानों के लिये सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा गढ़ी पुख्ता जलालाबाद, ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला, पलठेडी हसनपुर लुहारी एवं ग्राम जलालाबाद देहात में प्राइमरी स्कूल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में लगभग 60 हजार की आबादी में एक भी बालिकाओं के लिए कोई भी इण्टर कॉलेज नहीं है, बालिका इण्टर कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

11-मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कृष्णानदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-कस्बा जलालाबाद में ग्राम-दभेड़ी रोड से ग्राम उमरपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में अवारा पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान से बचाये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत अवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

15-विधान सभा क्षेत्र के नेशनल हाई-वे 709 बी, हीन्ड पुलिया से नेशनल हाई-वे 709 ए, डी ग्राम बुटराडा तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत थानाभवन, जलालाबाद, गढ़ी पुख्ता में खेल मेदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-गन्देवड़ा स्थित गंगा यमुना संगम स्थल से गंग नहर पटरी उत्तराखण्ड सीमा तक विशेष मरम्मत/नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-ग्राम सोंता रसूलपुर आबादी भाग में सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-ग्राम पिण्डोरा जहाँगीरपुर से गागोर मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-विधान सभा क्षेत्र के थानाभवन रेलवे अण्डरपास से ग्राम खानपुर तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-ग्राम सिलावर से ग्राम भैंसवाल डाक-बंगले तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-कस्बा गढ़ी पुख्ता से ग्राम खेडकी, राजबाहे की पटरी-ग्राम पिण्डोरा तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-ग्राम लपराना से ग्राम अगड़ीपुर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-ग्राम-पीरखेड़ा से ग्राम मालेण्डी तक राजवाहे की पटरी का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा विस्तार कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-ग्राम जलालाबाद देहात में आशू के मकान से लतीफबाबा के पीर तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-भैसानी इस्लामपुर से ग्राम रोनी हाजीपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-हीन्ड रेलवे स्टेशन से दिल्ली सहारनपुर हाई-वे राजमार्ग तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-कस्बा जलालाबाद में कालावाला घाट (कृष्णा नदी) से ग्राम इरशादपुर उमरपुर मार्ग तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-ग्राम मादलपुर से ग्राम नोजली को होते ग्राम मस्तगढ़ तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

31-ग्राम भैसवाल से ग्राम पेलखा मार्ग तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-पानीपत खटीमा राजमार्ग से ग्राम बुटराडा तक एवं बुटराडा बाईपास राजवाहे की पटरी तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-ग्राम कासमपुर से ग्राम भैनेडाजट तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग पर ग्राम ख्यावडी में आबादी भाग से सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-ग्राम केल शिकारपुर मार्ग से नौजल-नौजली मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-ग्राम हीन्ड-गढ़ीपुख्ता नहर के पुल से मादलपुर मार्ग तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

37-विधान सभा क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद में काला वाला घाट कृष्णा नदी के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गन्देवड़ा में गगोंह-जलालाबाद मार्ग पर पूर्वी यमुना नहर के ऊपर बने सॅकरे पुल को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत जलालाबाद एवं आस-पास के ग्रामों में बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, नगर पंचायत जलालाबाद में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री संग्राम सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना में धर्मापुर से नसीरपुर तक बन्धे के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना में एन0एच0-31 से ग्राम सभा रामपुर चीट सम्पर्क मार्ग उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना में एन0एच0-31, से रामगत के डेरा सम्पर्क मार्ग उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के विकास खण्ड गडवार के अन्तर्गत नगर पंचायत रतसर सुहैलदेव नगर में सुहैलदेव मूर्ति के सामने नहर पर पुलिया निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में,

5-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के विकास खण्ड सोहांव में रामगढ़ एकौनी मार्ग पर महुआवारी छोटी पुलिया के स्थान पर बड़ी पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के विकास खण्ड सोहांव में भरौली टुटुवारी पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग के विशेषपुर दुलारपुर में एकौनी के पास बड़ी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के विकास खण्ड गडवार में आसन-कुर्थिया मार्ग से शेरवां सम्पर्क मार्ग पर नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत नगर पंचायत चितबड़ागांव में जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

9-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना में सभी नहरों में सिंचाई हेतु रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित एम्बुलेंसों का समुचित रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में,

12-मेरी विधान सभा क्षेत्र फेफना के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उचित इलाज हेतु आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री अभय सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है,

1-जनपद-अयोध्या में महबूबगंज-शेरवाघाट सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में,

2-जनपद-अयोध्या में गोसाईगंज-दिलासीगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में,

3-जनपद-अयोध्या में तारुन-हैदरगंज-फुलौना सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में,

4-जनपद-अयोध्या में चौरे बाजार-हैदरगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में,

5-जनपद-अयोध्या में बीकापुर-जाना बाजार सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में,

6-जनपद-अयोध्या में जाना बाजार-नन्सा-पडेलवा सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कार्य के सम्बन्ध में,

7-जनपद-अयोध्या के विकास खण्ड-तारुन की ग्राम पंचायत-टिकरी में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में,

8-जनपद-अयोध्या के विकास खण्ड-तारुन की ग्राम पंचायत-बेरुगंज में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में,

9-जनपद-अयोध्या के विकास खण्ड-हैरिंग्टनगंज की ग्राम पंचायत-मोतीगंज में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में,

10-जनपद-अयोध्या में मोहम्मदपुर अरती से गयासपुर कोहडौरा घाट तमसा नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में,

11-जनपद-अयोध्या में मंगारी-परोमा सम्पर्क मार्ग में विसुही नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में,

12-जनपद-अयोध्या में कछौली-तारडीह सम्पर्क मार्ग पर कम्हरिया बाबा घाट मड़हा नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में,

13-जनपद-अयोध्या में जाना बाजार-बेलगरा सम्पर्क मार्ग विसुही नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री सचिन यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरी विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम झपारा में अधिग्रहीत भूमि पर अग्निशमन केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-मेरी विधान सभा क्षेत्र जसराना में फिरोजाबाद से कोटला, फरिहा, मुस्तफाबाद, एका, नगला, अकोला, एटा मार्ग तक मुख्य मार्ग को 04 लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम कनवारा, भकारि, नगला भवानी एवं विकास खण्ड एका के कस्बा एका, राजगढ़, भदाना स्थित बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र जसराना के प्रमुख तीर्थ स्थल कस्बा पाढम स्थित राजा परीक्षित की नगरी, ग्राम पैढत स्थित जखई महाराज मन्दिर एवं चकलेश्वर महादेव मन्दिर, ग्राम साँती स्थित महादेव मन्दिर, कस्बा फरिहा स्थित कालेश्वर महाराज मन्दिर एवं कस्बा जसराना स्थित कामाख्या माता मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र जसराना में विगत वर्ष अक्टूबर माह में हुई मूसलाधर बारिश से किसानों की बर्बाद हुयी फसल का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र जसराना में विगत वर्ष अक्टूबर माह में हुई मूसलाधर बारिश से जिन गरीब परिवारों के मकान ढह गये थे, उनको आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम झालगोपालपुर से नहर पटरी नगला धारु पुल, कैलई पुल, खडीत पुल तक सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका के कस्बा एका से बसुन्धरा मुख्य मार्ग का नाम कारगिल युद्ध में शहीद हुये लांस नायक हैम सिंह के नाम पर शहीद हैम सिंह मार्ग किये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत ग्राम नगला भोला (दपामई)-नगला देवराय के मध्य सैगर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-मेरी विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम जेडा, न0 नौझर, मधीपुर, जहाँनपुर, न0 अकोला में

शमशान घाट (अन्त्येष्टि स्थल) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम इंदरई, बनीपुरा एवं विकास खण्ड एका के ग्राम जहाँनपुर, नगला अकोला, नगला नौझर, मधीपुर तथा विकास खण्ड जसराना के ग्राम न0 मनी, न0 पदम, शादीपुर में बारात घरों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम शोभनपुर से ग्राम कटैना हर्षा स्थित जनता इण्टर कॉलेज तक विद्युत लाइन खिचवाने के सम्बन्ध में,

13-विधान सभा क्षेत्र जसराना के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीनों की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम बझेरा बुजुर्ग में पीने हेतु पानी की टंकी लगवाने के सम्बन्ध में,

15-विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम नगला हरी सिंह फाटक से रहना, आरापुर, भीकनपुर साँखिनी तक सैगर नदी की सफाई कराने के सम्बन्ध में,

16-विधान सभा क्षेत्र जसराना में गेहूँ एवं आलू की फसल बुआई के समय सभी साधन सहकारी केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं डीएपी खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र जसराना विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम इटाहरी स्थित नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय पर पशुओं की बीमारियों को लेकर चिकित्सकों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा क्षेत्र जसराना में सभी नहरों एवं बम्बों में सिंचाई हेतु रोस्टर के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-विधान सभा क्षेत्र जसराना में आने वाली गेहूँ की फसलों के लिये अधिक से अधिक सरकारी क्रय केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में,

20-विधान सभा क्षेत्र जसराना स्थित अनाज मण्डी को पूर्ण रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में,

21-विधान सभा क्षेत्र जसराना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित एम्बुलेन्सों का समुचित रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री वीरेन्द्र चौधरी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-यह कि स्वास्थ्य केन्द्र कुल्हुई जनपद-महराजगंज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय, के सम्बन्ध में,

2-यह कि ग्राम सभा कुल्हुई को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाय, के सम्बन्ध में,

3-यह कि राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज फरेन्दा को उच्चीकृत करके राजकीय कन्या महाविद्यालय बनाया जाय, के सम्बन्ध में,

4-यह कि दुर्गा मन्दिर अदरौना (आद्रवन क्षेत्र) जनपद महराजगंज को पर्यटन विभाग से समस्त सुविधाओं से युक्त किया जाय, के सम्बन्ध में,

5-यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरेन्दा क्षेत्र की परगापुर ताल का सौन्दर्यीकरण कराकर उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाय, के सम्बन्ध में,

6-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-315, फरेन्दा में बन्द पड़ी चीनी मिल को पुनः चलाने की कार्य योजना बनायी जाय, के सम्बन्ध में,

7-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-315, फरेन्दा में विकास कार्य तेजी से कराया जाय, के सम्बन्ध में,

8-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-315, फरेन्दा में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय, के सम्बन्ध में,

9-यह कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र फरेन्दा पूर्वांचल का अति पिछड़ा क्षेत्र है। पीने का पानी दूषित है। अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प प्रदान किया जाय, के सम्बन्ध में,

10-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-315, फरेन्दा, महराजगंज में कई तरफ से जंगल होने के कारण जंगली

जानवर व पशुओं से किसानों की अपूर्णीय क्षति हो रही है। इस समस्या से निदान करने के लिए जंगल के चारों तरफ तारबन्दी की जाय, के सम्बन्ध में,

11-मेरे विधान सभा क्षेत्र के धानी बाजार में पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाय, के सम्बन्ध में,

12-मेरे विधान सभा क्षेत्र के दौलतपुर-राजपुर बाँध के अपूर्ण कार्य को जनहित में शीघ्र कराया जाय, के सम्बन्ध में।''

डा0 मुकेश वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई अप्रत्याशित महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

2-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के सम्बन्ध में,

3-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार के अवसर मुहैया कराने एवं नई भर्तियों को निकाले जाने के सम्बन्ध में,

4-किन्तु खेद है कि आउटसोर्सिंग द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु इन कम्पनियों को बन्द कर पूर्व की भांति प्रत्येक विभाग अपनी स्वयं की इच्छा से भर्ती कर सके, जिससे आउटसोर्सिंग कम्पनियों की दलाली की प्रथा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

5-किन्तु खेद है कि किसानों हेतु निःशुल्क सिंचाई का पानी दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-किन्तु खेद है कि किसानों के नलकूप के कनेक्शन का पिछला बिल माफ कराने के सम्बन्ध में,

7-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को खेतों की सिंचाई हेतु निःशुल्क सोलर पम्प वितरण कराने के सम्बन्ध में,

8-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस को कम किये जाने एवं महंगी किताबों पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

9-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

10-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में,

11-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मेनपुरी, इटावा, एटा, मथुरा, कानपुर, आदि शहरों में मझवार जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में,

12-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति के प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-207 (1)/26-03-2018 के अनुसार जारी कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-किन्तु खेद है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में विमुक्त जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में,

14-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम फरौल नगरिया में यमुना नदी के पास एक बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जलालपुर चौराहे से सिकेहरा होकर बेहड़वाली माता मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम दतावली, पिपरानी मार्ग (नलकूप दाताराम) के पास पानी निकासी हेतु 2x5 मीटर स्पान के लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में,

17-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मक्खनपुर, नसीरपुर मार्ग से नगला केशों सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मक्खनपुर में डॉ0 राजकपूरी देवी इण्टर कॉलेज से किशनपुर होकर किरथरा तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में,

19-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के नगर पंचायत में एक राजकीय इण्टर कॉलेज का नव निर्माण के सम्बन्ध में,

20-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रामदासपुरा के पास महिला डिग्री कॉलेज का नव निर्माण के सम्बन्ध में,

21-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के ग्राम मोहिनीपुर से नगला रघोल मार्ग तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

22-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम ढकपुरा में सँगई सम्पर्क मार्ग से छोटेलाल के घर होकर खरदुसपुर पंचायत घर तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

23-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम लुहारी में ओम प्रकाश के घर से कालीचरन वाल्मीक, धर्मेन्द्र सिंह के घर होकर बगिया सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

24-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम दतावली में अतर प्यारी इण्टर कॉलेज से मणी के मन्दिर होते हुए कालका मन्दिर तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

25-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम मक्खनपुर जरारी में मुन्ना लाल के खेत से रामखिलाड़ी के घर तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

26-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम पहाड़पुर (बड़ी ठार) में विजय मिस्त्री के घर से जहांगीरपुर सम्पर्क मार्ग मुकेश के नलकूप तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

27-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम अलहदादपुर में खडेरिया पानी की टंकी से नगला वैद्य महादेव मन्दिर तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

28-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम गुदाऊ में राम सिंह के घर से जसवंत सिंह के घर तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

29-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम गुदाऊ में संजीव के घर से रामवीर के घर तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

30-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम आरौंज में सत्यभान के घर से राजेन्द्र सिंह के खेत से होकर सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

31-किन्तु खेद है कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम फतेहपुर आनन्दीपुर में नूरपुर रोड से करनसिंह मल्ल की ठार तक नव निर्माण के सम्बन्ध में,

32-किन्तु खेद हैं कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम जलोपुरा में हिमायूँपुर जलोपुरा मार्ग से आलमपुर के सामने हनुमान मंदिर, शहीद स्मारक के बगल से बम्बा तक नव निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री हाकिम लाल बिन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत नगर पंचायत हण्डिया नेशनल हाई-वे लाला बाजार से रहीम पट्टी तक का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया एवं मेजा विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए लक्क्षागृह में गंग नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के नगर पंचायत हण्डिया से लक्क्षागृह जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत भीटी से सीतामढ़ी जाने वाले मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बन्दी पट्टी चौहान बस्ती से बिन्द बस्ती तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-जिला-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से सुरियावा भदोही जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जिला-प्रयागराज के नगर पंचायत हण्डिया में जल जमाव से निजात पाने हेतु स्थाई रूप से नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।''

श्री राम अचल राजभर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-जिला-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा टड़वा पहाड़पुर (गोपालपुर) शारदा सहायक नहर के उत्तरी तरफ से कौशिलवा पुलिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर महरुआ सम्पर्क मार्ग से सुखारी गंज मंशापुर कुर्चा होते हुए बेवाना तक हाट मिक्स से सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा राम नगर नरसिंहपुर अमौली के मध्य टोंस नदी पर रपटा पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से बेवाना कुढा मोहम्मदगढ़ होते हुए नेमपुर घाट तक के मार्ग को हाट मिक्स से बनाये जाने जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मीर मलूकपुर लहंगी का पुरा के मध्य टोंस नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग से सिवलीपुर मार्ग को हाट मिक्स से बनाये जाने के सम्बन्ध में,

7-अम्बेडकरनगर में महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज में पी0जी0 कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत बेवाना (प्रस्तावित) को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

10-महामाया राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में डाक्टरों एवं शिक्षकों की कमी दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

11-अम्बेडकरनगर की सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

12-आवारा पशुओं/छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों एवं मजदूरों की जान एवं फसल को क्षति से बचाने के सम्बन्ध में,

13-बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

14-उ0प्र0 की आम जनता को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री मौ0 फहीम इरफान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम0पी0आई0) रिपोर्ट में 52 प्रतिशत गरीबी के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान होने के सम्बन्ध में,

2-राष्ट्रीय महिला आयोग (एन0सी0डब्ल्यू0) को वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लगभग 31000 मामलों में 17000 अर्थात् 54 प्रतिशत शिकायतें उत्तर प्रदेश से होने के सम्बन्ध में,

3-लोगों में सामाजिक, आर्थिक और ज्ञान की असमानता दूर न कर पाने के सम्बन्ध में,

4-पुराने विद्युत बिलों पर वसूले जा रहे सरचार्ज को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा मेसर्स अडानी पावर ट्रांसमिशन के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का टेण्डर निरस्त करने के सम्बन्ध में,

6-किसानों को नलकूप हेतु बिना मीटर मुफ्त बिजली देने के सम्बन्ध में,

7-बुनकरों को बिना मीटर बीस घण्टे सस्ती विद्युत सप्लाई एवं सस्ता धागा देने के सम्बन्ध में,

8-ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं को निजी क्षेत्र में सौंपे जाने का कारण बताने के सम्बन्ध में,

9-छुट्टा जानवरों का आतंक खत्म होने के बजाय राष्ट्रीय समस्या बनने के सम्बन्ध में,

10-कृषि वानिकी क्षेत्र में लाभकारी नई वन नीति लागू करने के सम्बन्ध में,

11-कृषि क्षेत्र में दैवीय आपदा से हुये नुकसान की भरपाई न करने के सम्बन्ध में,

12-स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की आय दोगुनी न कर पाने के सम्बन्ध में,

13-गन्ना पेराई सत्र, 2022-23 में गन्ना मूल्य वृद्धि न करने के कारणों के सम्बन्ध में,

14-तय समय सीमा में भुगतान न करने वाले चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में,

15-अनाज के भण्डारण के लिये ब्लाक स्तर पर पर्याप्त क्षमता के वेयर हाउस बनाने के सम्बन्ध में,

16-छोटी ग्राम पंचायतों को विशेष आर्थिक सहायता द्वारा सक्षम बनाने के सम्बन्ध में,

17-ग्राम समाज की तालाब भूमियों की नीलामी से प्राप्त धन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दिये जाने के सम्बन्ध में,

18-ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर बीमार पशुओं के इलाज हेतु एम्बुलेंस सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में,

19-गौ-शालाओं में बुरी तरह दम तोड़ते गौ-वंशों की समस्या दूर करने के सम्बन्ध में,

20-लम्पी वायरस से मृत पशुओं के स्वामियों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में,

21-वैद्यनाथन समिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में सुधार न होने के सम्बन्ध में,

22-शत-प्रतिशत सहकारी समितियों को ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर आर्डर देने लायक बनाने के सम्बन्ध में,

23-बेरोजगार युवकों के हितार्थ रोजगार उपलब्ध कराने की ठोस नीति के सम्बन्ध में,

24-नौजवानों के रोजगार से आत्मनिर्भर के बजाय डिलीवरी ब्वॉय बन जाने के सम्बन्ध में,

25-विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे आउट होने से न रोक पाने के सम्बन्ध में,

26-विभिन्न सरकारी विभागों में मौजूद खाली पदों पर भर्ती न किये जाने के सम्बन्ध में,

27-शिक्षा का अधिकार कानून की अपेक्षा अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में सुधार न होने के सम्बन्ध में,

28-परिषद्रीय विद्यालयों में नई तकनीक युक्त स्मार्ट और हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिये स्मार्ट क्लास आरम्भ करने के सम्बन्ध में,

29-प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में एक प्रदेश, एक कोर्स, एक मूल्य योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बनाये जा रहे विद्यालय भवनों के अधूरे निर्माण कार्य पूरे कराने के सम्बन्ध में,

31-मल्टीसैक्टोरियल योजना के अन्तर्गत प्रदेश भर में अधूरी परियोजनायें पूरी करने के सम्बन्ध में,

32-निजी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में तयशुदा मानकों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में,

33-महंगाई सूचकांक बढ़ने के सापेक्ष प्रतिवर्ष न्यूनतम मजदूरी दर न बढ़ाने के सम्बन्ध में,

34-बीते कई वर्षों के दौरान दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं के सम्बन्ध में,

35-पौधारोपण में विश्व रिकार्ड की भांति पौधे बचाने के प्रयास न होने के सम्बन्ध में,

36-ग्राम स्तरीय विभिन्न मानदेय कर्मियों के हितार्थ निर्णय करने के सम्बन्ध में,

37-विभिन्न मानदेय कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के सम्बन्ध में,

38-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत जेम पोर्टल के जरिये वर्ष 2018 में एम्बुलेंस आपूर्ति के नाम करोड़ों का घोटाला होने के सम्बन्ध में,

39-मनरेगा योजना में कार्यरत मानदेय कर्मियों के हितार्थ निर्णय लेने के सम्बन्ध में,

40-मनरेगा योजना में समय से रोजगार मजदूरी, मानदेय, सामग्री का भुगतान न देने के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में,

41-आधुनिक मदरसों के तैनात मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान करने के सम्बन्ध में,

42-अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्य करने वाले अनुदेशकों का बकाया देने और अन्य विभागों में समायोजित करने के सम्बन्ध में,

43-प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के हितार्थ निर्णय करने के सम्बन्ध में,

44-प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को पर्याप्त ड्यूटी एवं भत्तों का निर्णय करने के सम्बन्ध में,

45-महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग में तैनात आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के हितार्थ निर्णय करने के सम्बन्ध में,

46-ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर तैनात आशा कर्मियों के हितार्थ निर्णय करने के सम्बन्ध में,

47-वित्त विहीन विद्यालयों में तैनात अध्यापकों के हितार्थ निर्णय करने के सम्बन्ध में,

48-अधिवक्तागण के हितार्थ अधिवक्ता प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू करने के सम्बन्ध में,

49-ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की भावना के अनुरूप शत-प्रतिशत तहसील मुख्यालयों पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में,

50-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना में अल्पसंख्यकों की पिछड़ी जातियों को भी सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,

51-प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अनुदान बढ़वाने के सम्बन्ध में,

52-जिला जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी में खनन विभाग के हाल में निलम्बित हुये कर्मियों के सम्बन्ध में,

53-महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के जिलास्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र को ब्लाक स्तर पर विकेन्द्रित करने के सम्बन्ध में,

54-महिला उत्पीड़न की घटनायें रोके जाने के बजाय बढ़ने के सम्बन्ध में,

55-छुट्टा सांड़ों के हमलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को विशेष आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में,

56-सरकारी पशुशालाओं की तर्ज पर सरकारी वृद्ध आश्रम बनाने के सम्बन्ध में,

57-पुलिसिया अत्याचार खत्म होने के बजाय बढ़ने के सम्बन्ध में,

58-बदहाल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार न हो पाने के सम्बन्ध में,

59-पिछली सरकारी घोषणाओं के सापेक्ष लक्ष्य पूर्ति न हो पाने के सम्बन्ध में,

60-कार्पोरेट वर्ग की भांति छोटे व्यापारी या आम आदमी की चिन्ता न होने के सम्बन्ध में,

61-धार्मिक नफरत या कट्टरता घटने के बजाये बढ़ने के सम्बन्ध में,

62-संवैधानिक नागरिकता को धार्मिक नागरिकता में बदले जाने के सम्बन्ध में,

63-देश भक्ति को सत्ता और कार्पोरेट भक्ति में बदले जाने के सम्बन्ध में,

64-बीते प्रस्तावित बजट के सापेक्ष आवंटित बजट की स्थिति न बताने के सम्बन्ध में,

65-वर्ष वार बढ़ी बजट धनराशि की मुद्रा स्फीति से तुलना न करने के सम्बन्ध में,

66-साल दर साल बढ़ रहे राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

67-धार्मिक स्थलों के रास्तों, सोलर लाइटों, पेयजल, शौचालय आदि जनसुविधाओं से आच्छादित करने के सम्बन्ध में,

68-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के शत-प्रतिशत वंचित पात्रों के राशनकार्ड बनाने के सम्बन्ध में,

69-शादी, त्यौहार मेले या किसी खुशी के अवसर पर आतिशबाजी प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में,

70-रोडवेज बसों में उत्तराखण्ड की भांति डिजिटल टिकट की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

71-शत-प्रतिशत सरकारी कार्यालय वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्र से आच्छादित करने के सम्बन्ध में,

72-बीते वर्ष विभिन्न सरकारी विभागों में हुये तबादला घोटालों के सम्बन्ध में,

73-विभिन्न प्राइवेट वित्तीय संस्थानों या कम्पनियों द्वारा हड़पा लोगों का धन वापस कराने के सम्बन्ध में,

74-ऑनलाइन बाजार में नकली दवा की बिक्री रोकने के उपाय करने के सम्बन्ध में तथा

75-ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत पाइप लाइन डालने से खराब रास्ते ठीक कराने के सम्बन्ध में।''

श्रीमती महाराजी प्रजापति

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा बील्हापुर, घोरहा डाड़ी, घाट मालती नदी पर पुल का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र अमेठी में ग्राम सभा बनपुरवा गाँव के पास रामपुर से पूरब गाँव के रास्ते मालती नदी पर पुल का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-ग्राम सभा कल्याणपुर उसका नहर गोपालपुर रजबहा पर उसका व मंगागोपालपुर को जोड़ने वाले चकरोड़ पर कदम पुलिया का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम सभा भरेथा में मोहनलाल कश्यप के घर के पास नहर पर कदम पुलिया का निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-ग्राम सभा परसावां में परसांवा-बहोरापुर मार्ग पर नहर पर पुलिया निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-ग्राम सभा भौसिंहपुर में जोगाजीत का पुरवा नदी पर पुल निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-ग्राम सभा कटराफूलकुंवर बहोरापुर नहर पटरी पर कब्रिस्तान के बगल चक मार्ग के सामने पुल निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-ग्राम सभा गड़ेरी हवलदार का पुरवा में स्वामीनाथ यादव के घर से हरिकेश विश्वकर्मा के घर होते हुए सार्वजनिक स्थल श्मशान घाट तक 07 विद्युत पोल एवं 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है,

9-पूरबगांव पूरे बल्दानी शिवकुमार यादव के मकान तक बिजली कनेक्शन की आवश्यकता 12 पोल व 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है,

10-पिण्डोरिया अलीपुर में भारत प्रसाद के घर से बिजली कनेक्शन के लिए 13 पोल व 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है,

11-ग्राम सरुवावां में भण्डारी यादव के घर से गांव के अन्दर तक 10 पोल व 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर तार सहित की आवश्कता है,

12-ग्राम कटराफूलकुंवर परसौली में धमराज कोरी के घर के पास से शिव जी के मंदिर सार्वजनिक स्थल तक 4 पोल व 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर तार सहित की आवश्यकता है,

13-ग्राम सभा नरैनी पूरे मेदी 10 पोल एवं 63 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है,

14-ग्राम सभा त्रिलोकपुर दूबेपुर में शंकर यादव के घर के पास 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता है,

15-ग्राम सभा कड़ेरगांव में 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगवाए जाने की आवश्यकता है,

16-ग्राम सभा भिच्छू का पुरवा धोएं में 25 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगवाए जाने की आवश्यकता है,

17-ग्राम सभा हिम्मतगढ़ अमेठी ट्रान्सफार्मर 63 के0वी0 की आवश्यकता है,

18-ग्राम सभा खेरौना सरांयराजशाह में कृष्णा नगर मेन बाई पास सरांयराजशाह अमेठी वर्तमान विद्युत पोल से उमा देवी यादव के प्लाट तक 5 पोल की आवश्यकता है,

19-ब्लाक अमेठी ग्राम नैनहाबर्तली ग्राम सभा नैनहा बर्तली में बाबा ननकू दास की कुटी से पूरबगांव प्राइमरी स्कूल तक काली पिच रोड निर्माण कार्य,

20-ब्लाक अमेठी ग्राम जंगलरामनगर छावनी पक्की सड़क से प्रा0 स्कूल होते हुए मक्कू के घर तक सड़क निर्माण,

21-ब्लाक अमेठी ग्राम जंगलरामनगर बारामासी चौराहा से भैरवपुर रजबहा पादिन तरफ नहर की पटरी अमेठी रजबहा तक,

22-ब्लाक अमेठी ग्राम चतुर्भुजपुर अमेठी-ककवा सम्पर्क मार्ग से जगतगाँव तक काली पिच रोड का निर्माण,

23-ब्लाक अमेठी ग्राम रेभा जयरामपुर ग्राम रेभा जयरामपुर सम्पर्क से गांव के अन्दर होते हुए सम्पर्क मार्ग तक,

24-ब्लाक अमेठी ग्राम सरांयखेमा मुंशीगंज मार्ग से हालापुर हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण,

25-ब्लाक अमेठी ग्राम रेभा मंधरपट्टी पक्की रोड से राम मिलन प्रधान के घर तक काली पिच रोड,

26-ब्लाक भेंटुआ ग्राम अमेयमाफी बर्तला कुटी से रामपाटी होते हुए कस्तूरीपुर तक सड़क मरम्मत कार्य,

27-ब्लाक भेंटुआ ग्राम सनहा परतोष कहांरन का पुरवा सीताराम के घर से ओम छैबर के मशीन तक सड़क निर्माण,

28-ब्लाक भेंटुआ ग्राम सुल्तानपुर/शिवापुर गाँव से मकूनपुर ईश्वरी पांडे का पुरवा होते हुए जामो भादर रोड तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य,

29-ब्लाक भेंटुआ ग्राम हरीपुर रिसी यादव के घर से नहर तक सड़क निर्माण,

30-ब्लाक भेंटुआ ग्राम टिकरी रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग से लाल विजयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय होते हुए हृदयराम यादव बीरमपुर के घर तक काली पिच रोड निर्माण कार्य,

31-ब्लाक भेंटुआ ग्राम पिंडोरिया अमरनाथ यादव के घर से रतनशिरा तालाब तक सड़क निर्माण,

32-ब्लाक भेंटुआ ग्राम घटकौर खानजहान के पुरवा से लुटुवापुर तक सड़क मरम्मत कार्य,

33-ब्लाक भेंटुआ ग्राम घटकौर से पजई का पुरवा मई तक सड़क मरम्मत कार्य,

34-ब्लाक अमेठी ग्राम कटराफूलकुंवर बहोरापुर सम्पर्क मार्ग नहर की पटरी कटरा मोड़ से रामसुमेर यादव के घर तक काली पिच रोड मरम्मत कार्य,

35-ब्लाक अमेठी ग्राम कटराफूलकुंवर परसौली सम्पर्क मार्ग से बहोरापुर गांव तक काली पिच रोड निर्माण कार्य,

36-ब्लाक भेंटुआ ग्राम खण्डहर हीरापुर सिद्धगिरी बाबा धाम से खण्डहरन नहर के पुल तक,

37-ब्लाक भादर ग्राम लहना पक्की सड़क से खुदीपुर तक सड़क निर्माण,

38-ब्लाक भादर ग्राम टीकरमाफी जीजीआईसी स्कूल के सामने से पटखौली होते हुए भीमी पुल तक सड़क मरम्मत कार्य,

39-ब्लाक भादर ग्राम टीकरमाफी मेन रोड से बौलहा होते हुए सरैया अग्निहोत्री तक काली पिच रोड,

40--ब्लाक भादर ग्राम रतापुर त्रिवेणी यादव के घर से ध्यान सिंह पाल के घर तक सड़क निर्माण,

41-ब्लाक भादर ग्राम भदांव सम्पर्क मार्ग से मोचवा सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण,

42-ब्लाक भादर ग्राम भावापुर अन्तू भादर मार्ग से भावापुर से दला का पुरवा होते हुए छाछा तक मरम्मत कार्य,

43-ब्लाक भादर ग्राम त्रिसुंडी प्रतापगढ़ सुल्तानपुर राज्य मार्ग पर सुनील मौर्या के घर से राम शरण मौर्या के घर तक,

44-ब्लाक भादर ग्राम मवईया भादर छीडा मार्ग से रामबहोर के घर तक,

45-ब्लाक भादर ग्राम मंगरा मोड़ मवईया से मंगरा जहान का पुरवा तक सड़क मरम्मत कार्य,

46-ब्लाक भादर ग्राम बैधिकपुर रायपुर पुल से रवानीपुर पहिया मो0 आसिफ के घर तक,

47-ब्लाक भादर ग्राम इस्माइलपुर नोनखार सम्पर्क मार्ग से जू0 हाई स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य,

48-ब्लाक भादर ग्राम खरगपुर अयोध्यानगर से खरगपुर तक पिच रोड,

49-ब्लाक संग्रामपुर ग्राम नेवादाकनू रघईपुर में कालिकन-चन्दिकन मार्ग से रघईपुर देवनारायण वर्मा के घर से होते हुए मुन्ना सिंह के घर से नेवादाकनू सम्पर्क मार्ग,

50--ब्लाक संग्रामपुर ग्राम उत्तरगाँव पातीपुर पुल से चौदहवा होते हुए कंधई पाण्डेय का पुरवा तक,

51-ब्लाक संग्रामपुर ग्राम पूरे मुहजीबशाह देवड़सा खिलाड़ी की दुकान से लवकुश की दुकान तक सड़क निर्माण,

52-ब्लाक संग्रामपुर ग्राम मधुपुर सार्वजनिक शौचालय मधुपुर से अनिल यादव के घर तक,

53-ब्लाक भादर ग्राम अग्रेसर रामगंज-सोनारी मार्ग पर बुधिराम गौतम की राईस मिल से रामफेर वर्मा के चक से होते हुए मार्ग तक सड़क निर्माण,

54-ब्लाक अमेठी ग्राम अमेठी कृष्णानगर सराय राजशाह मेन बाइपास से खनन विभाग के डाक बंगले के पीछे तक।''

श्री लकी यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विकास खण्ड बक्शा ग्राम सभा सड़ेरी में गोमती नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

2-विकास खण्ड सिकोरनी ग्राम सभा परियावां (सहजादनगर) सई नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

3-विकास खण्ड बक्शा ग्राम सभा बेलापार में श्री यादवेश इण्टर कॉलेज नौपेड़वा में स्टेडियम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

4-वि0ख0 बक्शा मई-सुल्तानपुर रोड से नाला होते हुए डा0 कल्लू यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग व पुल का निर्माण शून्य से लेपन तक लम्बाई 400 मीटर,

5-वि0ख0 बक्शा ग्राम दरियागंज प्राइमरी पाठशाला से उपाध्याय बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

6-वि0ख0 बक्शा ग्राम दरियावगंज उपाध्याय बस्ती से मगरेशर राम लखन यादव प्रधान के घर तक नव निर्माण लम्बाई 1500 मीटर,

7-वि0ख0 बक्शा ग्राम विरभानपुर में संजय पाल के घर से बंशराज यादव मगरा के घर तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

8-वि0ख0 बक्शा ग्राम गोपालापुर में मुंशीराम यादव के घर के पीछे से हरिजन बस्ती होते हुए मलिकानपुर विश्वकर्मा बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई-1200 मीटर,

9-वि0ख0 बक्शा ग्राम खमपुर बबुरा सम्पर्क मार्ग से उमरछा होते हुए मलिकापुर विश्वकर्मा बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 1.00 किमी0,

10-वि0ख0 सिकरारा पकड़ी चौराहा रसैना मार्ग से ग्राम हटिया हरिजन बस्ती से होते हुए कुंवरदा बिन्दुली मार्ग तक नव निर्माण लम्बाई 2500 मीटर,

11-वि0ख0 सिकरारा जौनपुर-प्रयागराज मार्ग से बाहरपुर यादव बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 700 मीटर,

12-वि0ख0 सिकरारा ग्राम जाम पिच रोड से बब्लू यादव के घर तक एवं ग्राम पोखरियापुर तक नव निर्माण लम्बाई-2 किमी0,

13-वि0ख0 सिकरारा ग्राम जाम पिच रोड से रामधारी यादव के मशीम से होते हुए बाहरपुर हरिजन बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 01 किमी0,

14-वि0ख0 सिकरारा ग्राम समहूती सम्पर्क मार्ग से संजय यादव के घर तक नव निर्माण 01 किमी0,

15-वि0ख0 सिरकोनी कजगांव रेलवे क्रासिंग से कजगांव पानी की टंकी तक नाली व कटस्टोन का कार्य नव निर्माण लम्बाई 02 किमी0,

16-वि0ख0 बक्शा ग्राम मलिकानपुर में चौरा माता मंदिर के पास ब्राह्मण बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

17-वि0ख0 बक्शा ग्राम खमपुर में हरी लाल यादव की दुकान के बगल से हरिजन बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

18-वि0ख0 बक्शा ग्राम खमपुर में राजेन्द्र सिंह के घर के बगल से रामदेव यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

19-वि0ख0 सिकरारा गुलजारगंज अजोसी सम्पर्क मार्ग से रमाकान्त यादव के घर के सामने से ओमप्रकाश यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 300 मीटर,

20-वि0ख0 सिकरारा ग्राम लाजीपार चकदशवत में रमाशंकर यादव के घर के सामने से प्रेमचन्द्र यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

21-वि0ख0 सिकरारा ग्राम लाजीपार चकदशवत पिच से गिरजाशंकर पाल के घर तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

22-वि0ख0 सिकरारा ग्राम लाजीपार चकदशवत पिच से मलसिल खड़न्जा तक नव निर्माण लम्बाई 600 मीटर,

23-वि0ख0 बक्शा ग्राम बिरभानपुर में राजू गौतम की दुकान से हीरापुर प्रा0वि0 तक नव निर्माण लम्बाई 1200 मीटर,

24-वि0ख0 सिकरारा बढौली मुनियान पिच रोड से कालिका यादव के घर होते हुये प्रा0वि0 होते हुये सई नदी तक नव निर्माण लम्बाई 1500 मीटर,

25-वि0ख0 सिकरारा टेकारी दुदौली सम्पर्क मार्ग राजनेत शिक्षण संस्थान से ग्राम बभनौली नीरज यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 800 मीटर,

26-वि0ख0 बक्शा ग्राम बेलछा में मरी माता मंदिर से बिरभानपुर चवरे जोड़ते हुए चवरेखमपुर बगीचा तक नव निर्माण लम्बाई 2.00 किमी0,

27-वि0ख0 सिकरारा शारदा सहायक नहर सिकरारा से इटहवां यादव बस्ती होते हुए पानी की टंकी तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

28-वि0ख0 सिकरारा ग्राम सेरवा कमला यादव मुंशी जी के घर के 100 मीटर पहले से पंचम यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 1500 मीटर,

29-चकमहिता नहर से रामहीत यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 300 मीटर,

30-वि0ख0 सिकरारा ग्राम सैदपुर राधेश्याम पाण्डेय के खेत से सरोज बस्ती होते हुए यादव बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 500 मीटर,

31-वि0ख0 करंजाकला ग्राम हमजापुर से चौहान बस्ती तक नव निर्माण लम्बाई 1.00 किमी0,

32-वि0ख0 करंजाकला ग्राम छबीलेपुर छुन्छा मार्ग से हरबसपुर डेरी से पन्ना लाल यादव के घर तक नव निर्माण लम्बाई 2.00 किमी0,

33-जौनपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाला बाजार तिराहा से शिवगुलाम गंज बाजार तक मरम्मत का कार्य,

34-शिवगुलाम गंज बाजार से छुन्छा पुल होते हुए करंजा कला बाजार तक मरम्मत का कार्य,

35-सिकरारा चौराहा से झिम्मलगंज बाजार तक मरम्मत का कार्य,

36-जौनपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बक्शा बाजार से तेजी बाजार चौराहा तक मरम्मत का कार्य,

37-तेजी बाजार चौराहा से बरईपार चौराहा तक मरम्मत का कार्य,

38-मई नेपालनगर इण्टर कॉलेज से दरियागंज पूर्वी प्रा0पा0 तक मरम्मत का कार्य,

39-शिवगुलाम गंज छुन्छा मार्ग बसालतपुर खरौना मुस्तफाबाद होते हुए कोहडा सुल्तानपुर तक जर्जर सड़क का नवीनीकरण,

40-एन0एच0-56, अलीगंज बाजार से फरीदाबाद तक जर्जर सड़क का नवीनीकरण,

41-बक्शा तेजी बाजार मार्ग बबुरा मोड़ से भमपुर तिराहा होते हुए सरायबोमा बाजार तक,

42-कुवरदा चौराहा से सादात बिन्दुली निषाद बस्ती तक,

43-जमालपुर से पचोखर यादव बस्ती तक जर्जर सड़क मार्ग का नवीनीकरण,

44-अलीगंज बाजार से बाबूपुर होते हुए मुस्तफाबाद तिराहा तक जर्जर सड़क मार्ग का मरम्मत,

45-ग्राम सभा बिरभानपुर में रणबीर सिंह के मकान से कहार बस्ती होते हुए राजबहादुर यादव के घर तक जर्जर सड़क मार्ग का मरम्मत,

46-जौनपुर-प्रयागराज मार्ग, लालाबाजार तिराहा से शिवगुलामगंज बाजार, हुन्छा पुल, छबीलेपुर बाजार होते हुए करंजाकला बाजार जौनपुर-मल्हनी सम्पर्क मार्ग तक चौड़ीकरण कार्य दूरी 15 किमी0,

47-वाराणसी-लखनऊ मार्ग बक्शा थाना से तेजीबाजार चौराहा तक चौड़ीकरण व नवीनीकरण कार्य 13 किमी0,

48-बैजारामपुर बाजार से ग्राम करसयाँवा कान्ता निषाद के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 1.5 किमी0,

49-कोलाहलगंज बाजार से ग्राम जेठपुरा जौनपुर-मल्हनी सम्पर्क मार्ग तक नरौली मार्ग से ग्राम सलहदोपुर होते हुए हिन्दी पैला निषाद बस्ती तक नवीनीकरण का कार्य 4 किमी0,

50-ग्राम हरीरामपुर राजेश यादव प्रधान के घर से ग्राम शाहपुर हरीरामपुर मार्ग तक नवीनीकरण का कार्य 4 किमी0,

51-शाहपुर मार्ग से राजेश यादव के घर होते हुए स्व0 सभाजीत यादव के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

52-ग्राम उटरकला रेलवे क्रासिंग से बक्शा तेजीबाजार सम्पर्क तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

53-जौनपुर-प्रयागराज राजमार्ग सिकरारा बाजार गेट से ग्राम सतलपुर अजोसी बार्डर तक नवीनीकरण का कार्य 6 किमी0,

54-लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग से चाँदपुर से सैदनपुर मौर्या बस्ती तक मरम्मत का कार्य 2 किमी0,

55-पूर्वांचल-करंजाकला मार्ग से ग्राम मनवल होते हुए सुल्तानपुर तक शून्य लेपन का कार्य 3 किमी0,

56-जौनपुर-खुटहन मार्ग मल्हनी से ग्राम मेदामेर होते हुए हरिजन बस्ती तक नवीनीकरण का कार्य 6 किमी0,

57-जौनपुर-प्रयागराज से सिकरारा चौराहा से झिम्मनगंज बाजार तक नवीनीकरण का कार्य 7 किमी0,

58-राठी-ककोहिया मार्ग से सोनपुरा यादव बस्ती तक नवीनीकरण का कार्य 5 किमी0,

59-रसैना मीरगंज ग्राम जमालपुर तिराहा से पचोखर यादव बस्ती तक नवीनीकरण का कार्य 8 किमी0,

60-लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग रामदयालगंज बाजार से पचोखर तिराहा तक नवीनीकरण का कार्य 5 किमी0,

61-सिकरारा बरईपार मार्ग देवीगंज चौराहा से ग्राम रामपुर विनोद यादव के घर तक 5 किमी0 नवीनीकरण का कार्य,

62-प्रा0वि0 दुर्गापार से राजेश यादव प्रधान के घर के आगे तक नाला पर पुलिया निर्माण व शून्य से पिच रोड निर्माण 5 किमी0,

63-सिकरारा देहजुरी सम्पर्क मार्ग से देवीगंज, रामपुर सम्पर्क मार्ग तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

64-देवीगंज रामपुर सम्पर्क मार्ग रामआसरे यादव देहजुरी के घर के सामने से बघौरा प्रजापति बस्ती होते हुए पिच रोड तक नाले पर पुलिया का निर्माण शून्य से लेपन तक का कार्य 4 किमी0,

65-गोदाम रीठी सम्पर्क मार्ग से महैन्द्र सिंह आरा मशीन से रामनगर लम्बोदर नाथ मन्दिर सम्पर्क मार्ग तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

66-बभनौली उत्तर पुरवा प्रा0पा0 से रमाकान्त यादव मास्टर के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

67-ग्राम भरवा छोटेलाल यादव के कच्चे मकान से कदाहित खास तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

68-जौनपुर-प्रयागराज पर डेकारी, दुदौली, भमौरी, रोठी होते हुए हयागंज तक चौड़ीकरण का कार्य 13 किमी0,

69-सिकरारा बरईपार सम्पर्क मार्ग बरिया को चाही खपरही नरी घाट तक चौड़ीकरण का कार्य 7 किमी0,

70-रसैना कचगाँव मार्ग कुद्रपुर तिराहा से श्रीनगर यादव बस्ती रामदयालगंज बाजार तक शून्य से लेपन का कार्य 8 किमी0,

71-बरपुर हरिबस्ती से बरपुर पुल तक शून्य से लेपन का कार्य 4 किमी0,

72-ग्राम-मई नैपाल नगर स्कूल से बैजारामपुर पुल तक नवीनीकरण का कार्य 6 किमी0,

73-मई नेपाल नगर स्कूल से पूर्व दरियावगंज निषाद बस्ती तक नवीनीकरण कार्य 6 किमी0,

74-वाराणसी-लखनऊ सम्पर्क मार्ग से बरपुर लेका पुल तक चौड़ीकरण का कार्य 10 किमी0,

75-बैजारामपुर जौनपुर सम्पर्क मार्ग से दक्षिणपट्टी बनपुरवा तक नवीनीकरण का कार्य 2.5 किमी0,

76-बरपुर पुलिया से नबी यादव के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 3 किमी0,

77-मई नौपेड़वा मार्ग से लाल बहादुर यादव पूर्व प्रधान पूरा हैमू के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

78-सुजियामक चौराहा से प्रा0पा0 सड़ेरी होते हुए सड़ेरी धर्मराज निषाद के घर तक नवीनीकरण का कार्य 3 किमी0,

79-निकरोजपुर बजरंग बली मन्दिर से ग्राम सभा वीरपालपुर तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

80-जौनपुर-प्रयागराज मार्ग पकड़ी चौराहा से हसरौली चौराहा खमपुर तिराहा बबुरा होते हुए बक्शा तेजीबाजार सम्पर्क मार्ग चौड़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य 16 किमी0,

81-हसरौली चौराहा वीरभानपुर मार्ग से बेल्छा मुसलमान बस्ती तक नवीनीकरण का कार्य 2 किमी0,

82-एन0एच0-56, विजय बहादुर यादव के खेत से चपरामऊ नट बस्ती होते हुए सादनपुर तक शून्य से लेपन का कार्य 2.5 किमी0,

83-लालाबाजार रोड से रमेश यादव के घर से हरिजन बस्ती होते हुए कमला प्रजापति के खेत तक शून्य से लेपन का कार्य 1.5 किमी0,

84-ग्राम लखेसर मनोज यादव के घर से बैजनाथ यादव के घर होते हुए डा0 पारस यादव के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

85-ग्राम मझलीपट्टी राजेश यादव के दुकान से मल्हनी सम्पर्क मार्ग होते हुए बमरखां नहर के पटरी तक शून्य से लेपन का कार्य 4 किमी0,

86-ग्राम बरईपुर, मोकलपुर मेवालाल गौतम के खेत से प्रा0पा0 होते हुए लोदी के मकान तक शून्य से लेपन का कार्य 3 किमी0,

87-एन0एच0-27, इलाहाबाद, जौनपुर मार्ग से समारू के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

88-सरायलोका बक्शा सम्पर्क मार्ग से गुड्डू सिंह के खेत गोपालापुर से होते हुए खमपुर बबुरा सम्पर्क मार्ग पर कमलेश सरोज के दुकान कौली तक नवीनीकरण का कार्य 3 किमी0,

89-ग्राम सभा वीरभानपुर में रणवीर सिंह के मकान से कहार बस्ती होते हुए राजबहादुर यादव के घर तक नवीनीकरण का कार्य 0.50 किमी0,

90-ग्राम शाहपुर अन्नू विश्वकर्मा के घर से राजाजीत यादव के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

91-शाहपुर अमरनाथ गुप्ता के दुकान से मुसलमान बस्ती हरिजन बस्ती होते हुए शिवराम मौर्या के घर होते हुए पन्नालाल गुप्ता के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

92-ग्राम शाहपुर रामरेखा यादव के घर से ग्राम खेतलपुर तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

93-शाहपुर में अभयराज यादव के घर से सिंगारी हरिजन बस्ती तक शून्य से लेपन का कार्य 1 किमी0,

94-जौनपुर-प्रयागराज मार्ग पर गुदरीगंज चौराहा से पोखरियापुर सिकन्दरा जाम होते हुए जौनपुर-प्रयागराज मार्ग तक चौड़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य 12 किमी0,

95-बरपुर राजेश पाल के घर से बेलहटा नट बस्ती होते प्रा0वि0 तक नवीनीकरण का कार्य 3 किमी0,

96-ग्राम मई राधेश्याम गुप्ता के घर के पीछे से बोड़ई यादव पूर्व प्रधान के घर तक शून्य से पिच का कार्य 2.5 किमी0,

97-दरियावगंज गोदाम से जय बहादुर यादव अध्यापक के घर तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

98-ग्राम बरईपार कपिलदेव के घर के पीछे हरिशंकर मौर्या के घर होते हुए सरकारी ट्यूबवेल तक शून्य से लेपन का कार्य 1.5 किमी0,

99-बरईपार तेजीबाजार रोड से दान्दूपुर प्रा0वि0 होते हुए खमपुर तक शून्य से लेपन का कार्य 2 किमी0,

100-इनामीपुर पुल से चितोड़ी पुल तक शून्य से लेपन का कार्य 5 किमी0,

101-बर्जी मल्लाह बस्ती व रामपाल यादव धर्मराज यादव के घर होते हुए करछूल नाथ मौर्या बस्ती तक एक पुलिया व नाले पर शून्य से लेपन का कार्य 3 किमी0,

102-तेजीबाजार लोहिन्दा मार्ग से बहाउद्दीनपुर यादव विश्वकर्मा बस्ती तक शून्य से लेपन का कार्य 5 किमी0,

103-सहोदरपुर नहर से विरशादपुर नहर तक महुसुरिया तक नवीनीकरण व शून्य से लेपन का कार्य 2.5 किमी0,

104-सदाशिव चौराहा से बक्शा लोहिन्दा मार्ग तक बीच में नहर पर पुलिया तक नवीनीकरण व शून्य से लेपन का कार्य 2.5 किमी0,

105-बरईपार तेजीबाजार मार्ग से बनकटिया यादव बस्ती होते हुए व गौराखुर्द प्रजापति बस्ती से गौराखुर्द नहर तक नवीनीकरण का कार्य 3.5 किमी0,

106-पिपरी राधा कृष्ण मन्दिर से ब्राह्मण बस्ती होते हुए अछैबर यादव व सरोज यादव तक शून्य से लेपन का कार्य 3 किमी0,

107-सहोदरपुर से ऊदपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 2 किमी0,

108-सहोदरपुर नालेपुर पुलिया का निर्माण,

109-ग्राम बघौरा प्रजापति बस्ती के पास पुल का निर्माण,

110-ग्राम शेरवाँ विश्वकर्मा बस्ती नहर पर पुल का निर्माण,

111-ग्राम टिकरी में पहलवान के घर के सामने नहर पर पुलिया का निर्माण,

112-पचोखर हरखपुर में पुल का निर्माण,

113-बक्शा तेजीबाजार मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

114-ग्राम बेलापार में अम्बेडकर मूर्ति के पास रेलवे क्रासिंग पर अण्डरपास,

115-ग्राम कुल्हनमऊ में रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

116-लालाबाजार-शिवगुलामगंज सम्पर्क मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

117-बक्शा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

118-सरायहरखू रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

119-उत्तरी कचगाँव रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

120-दक्षिणी कचगाँव रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण,

121-राकेश यादव के घर से गुसाई के बाग छुन्छा रोड तक दूरी 1200 मीटर,

122-रामनरेश यादव के घर से रामप्रताप यादव के घर तक बसारतपुर 1200 मीटर,

123-गौरीशंकर यादव के घर से खारे वीर बाबा के मन्दिर तक 1200 मीटर,

124-छुन्छा छबीलेपुर मार्ग से अखिलेश यादव प्रधान के घर तक मरम्मत का कार्य लम्बाई 1500 मीटर,

125-छबीलेपुर छुन्छा रोड से छोटेलाल के खेत तक लम्बाई 300 मीटर,

126-बाबूलाल यादव मास्टर के घर से श्रीराम यादव व रामकृष्ण के घर तक लम्बाई 800 मीटर,

127-करंजाकला बाजार से छुन्छा घाट तक नवीनीकरण 6 किमी0,

128-छबीलेपुर बैजारामपुर सड़क से रामपुर कान्ता निषाद के घर तक शून्य से लेपर दूरी 4 किमी0,

129-दक्खिनपट्टी बाग से बैजारामपुर तक नवीनीकरण दूरी 5 किमी0,

130-मल्हनी नरौली मार्ग से सकददीपुर हिन्दी बघैला हरिजन बस्ती होते हुए बेलाव पुल तक नवीनीकरण दूरी 10 किमी0,

131-करंजाकला विश्वविद्यालय मार्ग से ग्राम मनवल गुप्ता के घर से सुल्तानपुर चौहान बस्ती पिच रोड तक शून्य से लेपन दूरी 4 किमी0,

132-छबीलेपुर बैजारामपुर मार्ग पर कोलाहलगंज बाजार से हमाजापुर बाजार होते हुए जेठपुरा मल्हनी, जौनपुर मार्ग तक नवीनीकरण दूरी 8 किमी0,

133-मल्हनी जौनपुर मार्ग जेठपुरा गेट से बैजारामपुर बाजार तक नवीनीकरण दूरी 10 किमी0,

134-करंजाकला विश्वविद्यालय मार्ग से ग्राम मनवल लालजी यादव के घर के सामने से होते हुए प्रजापति बस्ती से होते हुए सुल्तानपुर पिच रोड तक शून्य से लेपन दूरी 2 किमी0,

135-मल्हनी जौनपुर रोड पर महेन्द्र यादव के घर के सामने से शंकरपुर पोखरा तक दूरी 2 किमी0,

136-सुजियामऊ चौराहा से सड़ेरी घाट तक नवीनीकरण दूरी 5 किमी0,

137-जौनपुर प्रयागराज मार्ग गुलजारगंज रामलीला मेदान से बधुआवर तिराहा तक चौड़ीकरण/नवीनीकरण दूरी 7 किमी0,

138-जौनपुर प्रयागराज मार्ग पकड़ी चौराहा से हसरौली चौराहा होते हुए खमपुर तिराहा होते बक्शा, तेजीबाजार मार्ग तक नवीनीकरण व चौड़ीकरण का कार्य 18 किमी0,

139-ग्राम बधुआवर रामसूरत यादव के घर के सामने से चकदशवत लाजीपार छोटी नहर तक नवीनीकरण का कार्य दूरी 3 किमी0,

140-पकड़ी चौराहा रसैना मार्ग जमालपुर तिराहा से ग्रामसभा पचोखर तक नवीनीकरण दूरी 6 किमी0,

141-पकड़ी चौराहा रसैना मार्ग पर कुवरदा तिराहा से सादात बिन्दुली निषाद बस्ती तक नवीनीकरण दूरी 5 किमी0,

142-ग्राम रीठी सई नदी पुल से दुदौली नहर होते हुए टेकारी बभनौली सम्पर्क मार्ग तक नवीनीकरण दूरी 12 किमी0,

143-जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर प्रतापगंज बाग से शेरवाँ बड़ी नहर तक नवीनीकरण दूरी 5 किमी0,

144-ग्राम शेरवां कमला मुन्शीजी के स्कूल से इरौली नहर तक नवीनीकरण दूरी 4 किमी0,

145-जौनपुर-लखनऊ मार्ग पर अलीगंज बाजार से फरीदाबाद यादव बस्ती तक नवीनीकरण दूरी 8 किमी0,

146-सिकरारा बाईपास मार्ग पर देवीगंज चौराहा से ग्राम रामपुर विनोद यादव के घर तक नवीनीकरण दूरी 5 किमी0।''

श्रीमती पिंकी सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-ग्राम बरखेड़ा सोनक से ग्राम पवनपुरी मार्ग तक एवं ग्राम पस्तौरा से चकरपुर सैंगरी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 900 मीटर शिकायतकर्ता कुंवर पाल सिंह प्रधान जी, बादशाह सिंह यादव ग्राम चकरपुर सैंगरी अमरीश यादव, लालाराम यादव, विजेन्द्र सिंह यादव पूर्व प्रधान ग्राम पस्तौरा वि0ख0 बहजोई,

2-ग्राम गंगहैरा में चन्दनकरी मौजा, कैलादेवी मार्ग पर 300 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य नाली सहित शिकायतकर्ता डॉ0 भूवनेश यादव, सुरेश यादव प्रधान जी गंजहैरा,

3-ग्राम शाहापुरड़सर में लोधीपुर, गंटन मार्ग से पूर्व प्रधान परवेज जी के मकान एवं कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य नाली सहित वि0ख0 असमौली शिकायतकर्ता मतीन प्रधान जी, पूर्व प्रधान परवेज भाई, छोटे भाई डीलर निर्मल सिंह सागर, प्रधान शाहपुरड़सर वि0ख0 असमौली,

4-ग्राम असमौली में असमौली मनौरा मार्ग से थाना-असमौली के आगे होते हुये असमौली संभल मार्ग तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 700 मीटर वि0ख0 असमौली, शिकायतकर्ता कुलदीप यादव उर्फ सोनू यादव, पूर्व प्रधान अनूप यादव, पूर्व प्रधान महीपाल सिंह यादव, पंकज यादव ग्राम असमौली, वि0ख0 असमौली,

5-ग्राम-नूरपुर में भजनलाल सिंह के मकान से प्रा0 स्कूल के आगे होते हुये काले डामर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य नाली सहित लम्बाई लगभग 250 मीटर वि0ख0 पंवासा शिकायतकर्ता भजनलाल सिंह यादव, दिनेश यादव, पूर्व प्रधान देवेन्द्र सिंह, ग्राम नूरपुर, वि0ख0 पंवासा,

6-ग्राम ओवरी में बाईपास का शेषभाग ग्राम-ओवरी में खेल का मैदान से काले डामर तक सी0सी0 रोड का निर्माण नाली सहित लम्बाई लगभग 250 मीटर वि0ख0 असमौली शिकायतकर्ता, पूर्व प्रधान अवसर अंसारी, सरफराज अंसारी, यूनुस अंसारी, डीलर हाशिम अंसारी ग्राम-ओवरी वि0ख0 असमौली।''

डा0 वीरेन्द्र यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा हरिकरनपुर चौथी पूर्वांचल रोड से माँ देईया इण्टर कॉलेज होते हुए आगे तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा जगदीशपुर विद्यापति में कैलाश यादव के घर से राजकुमार राजभर के घर होते हुए विश्वनाथ प्रजापति के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा बन्तरा में मुकतार यादव के घर से मुराहू यादव के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 300 मी0 (बाढू यादव) कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा शहाबुद्दीपुर (दुल्लाह डीह) हरविलास राजभर के घर से शिव मंदिर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 250 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा चकताजुदीन महेन्द्र यादव के घर से सोबरन यादव के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा गजपतपुर जमुना राम के घर से लालधर गोड के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा जुझारपुर हरिहरपुर सी0सी0 रोड से शिरजू यादव के घर होते हुए मुसहर बस्ती तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 200 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा दिदोहर वीरेन्द्र राजभर के खेत से चौथी राजभर के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा कहोतरी डिहवा आर0सी0सी0 से रमायन कश्यप के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 450 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा मिट्ठा पारा लक्षन यादव के घर से इण्टरलॉकिंग से चक अबीबुलाह बार्डर तक आर0सी0सी0 कार्य लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा मिट्ठा पारा में पिच रोड से माता माई के स्थान तक लम्बाई 150 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा केलही पुल से जितेन्द्र यादव के दरवाजे तक लम्बाई 150 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा पिपनार पिच रोड से बोगना पिच रोड तक लम्बाई 500 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा मानपुर चट्टी से विसरजन यादव के भट्टा आर0सी0सी0 रोड तक लम्बाई 350 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-विकास खण्ड-विरनों ग्राम सभा तियरा इनवा प्राइमरी स्कूल से मुलायम यादव के घर के आगे तक मिट्टी खड़न्जा कार्य लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा पलहीपुर भुभुई अम्बिका यादव के घर से प्राइमरी स्कूल तक लम्बाई 800 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा पलहीपुर मदन चौहान के घर से शंकर जी के मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा हरिहर साधोपुर सुदामा राजभर के घर से शिवमुनी प्रधान के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा सुलेमापुर रमेश पासी के घर से रामनवल यादव के घर से उत्तर भवानीपुर पिच रोड तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा रसूलाबाद अशोक प्रधान के घर से कुटी तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा बरेन्दा ताहिरपुर नहर महाविद्यालय से इण्टर लाकिंग तक लम्बाई 700 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा महमुदपुर बलुआ पिच रोड से जयनाथ के घर होते हुए सी0सी0 रोड तक लम्बाई 400 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा जरगों पिच रोड से शंकर जी के मंदिर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा बरही मलीकनाथपुर प्रा0वि0 दिनेश मास्टर के घर से कालीजी के स्थान होते हुए पिच रोड तक लम्बाई 300 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा नसरुद्दीनपुर अरविन्द यादव के घर से डॉ0 अलान अहमद के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-विकास खण्ड-मरदह ग्राम सभा बौरी पिच रोड से एम0के0डी0 स्कूल एवं हॉस्पिटल तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 200 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा महुआरी मुख्य मार्ग पिच रोड से महुआरी हरिजन बस्ती से श्याम नरायन के घर तक लम्बाई 270 मी0 सी0सी0 कार्य (मुन्ना राम) कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा महुआरी लालजी यादव के घर से रमायन जयसवाल के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 200 मी0 (प्रधान जी) कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा लावा में सगीर के घर से मदरसा तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 250 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा मिश्रवलिया पिच रोड से रामशीष यादव के घर के आगे तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 200 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

31-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा फत्तेपुर अटवा मे चौकीदार के घर से भगवत यादव के घर होते हुए जोखन खाँ के कुआँ तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा रजदेपुर देहाती में मुहल्ला काजिम नसीम कैलाश कुशवाहा के मकान से नजीर राईनी के मकान तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा रजदेपुर देहाती में गुरुबाग होम्योपैथिक कॉलेज से रेलवे क्रासिंग तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा रजदेपुर देहाती में नसीम मुहम्मद के घर से दलसींगार यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा कदीयापुर में हरिहर दुसाद के डेरा से अलगू पहलवान के घर होते हुए जीतू यादव के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा भदेव रामकरन के डेरा से कल्लू राजभर के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 250 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

37-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा रजदेपुर देहाती आलम पट्टी भुपेन्द्र यादव के घर से हाजी कमरुद्दीन के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा सुसुण्डी शिव मंदिर (एफ0पी0डी0 कार्यालय) मजिस्द होते हुए सैय्यद बाबा के मजार तक लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-विकास खण्ड-सदर ग्राम सभा सुसुण्डी नसीर के टयूबवेल से करबला तक लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

40-विकास खण्ड-जमानियाँ ग्राम सभा चकमेदनी न0-1 लल्लन मास्टर के घर से सुरेश यादव के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 200 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

41-विकास खण्ड-जमानियाँ ग्राम सभा रामपुर पट्टी सरनाम खाँ रामजी राय के घर से मिडिल स्कूल तक आर0सी0सी0 लम्बाई 400 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

42-विकास खण्ड-जमानियाँ ग्राम सभा रामपुर पट्टी सरनाम खाँ खावपुरा गढही से प्राइमरी स्कूल तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 350 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-विकास खण्ड-जमानियाँ ग्राम सभा रामपुर पट्टी सरनाम खाँ ढढनी पिच रोड मुसहर बस्ती से काली जी होते हुए गोपाल यादव के घर तक लम्बाई 500 मी0 सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-विकास खण्ड-जमानियाँ ग्राम सभा ढढनी रणवीर राय मातादीन यादव के घर से शिवमुरत यादव के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 450 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-विकास खण्ड-जमानियाँ ग्राम सभा चकमजीत उर्फ चकिया में रसीद के घर से रमाशंकर के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 500 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

46-विकास खण्ड-रेवतीपुर ग्राम सभा डारीडीह बहादुरपुर उमाशंकर के घर से सुदर्शन राजभर के डेरा तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 200 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-विकास खण्ड-रेवतीपुर ग्राम सभा कालुपुर शंकर जी के मंदिर पिच रोड से जगदीश यादव के घर तक सी0सी0 कार्य लम्बाई 200 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

48-विकास खण्ड-रेवतीपुर ग्राम सभा सुहवल मन्ने लाल कनौजिया के घर से शहाबू राईनी के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य लम्बाई 300 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

49-बिरनों राजवाहा सुलेमापुर पुलिया निर्माण कार्य विकास खण्ड-विरनों कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-मदनपुर राजापुर राजवाहा विकास खण्ड-मरदह पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

51-बिरनों राजवाहा जगदीशपुर अवतार विकास खण्ड-मरदह पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

52-ग्राम सभा गोविन्दपुर हालपुर पुलिया निर्माण कार्य विकास खण्ड-मरदह कराये जाने के सम्बन्ध में,

53-तरौटी राजवाहा सुलेमापुर पुलिया निर्माण कार्य विकास खण्ड-मरदह कराये जाने के सम्बन्ध में,

54-तीलाडी बौरी पृथ्वीपुर राजवाहा नहर पर पुलिया निर्माण कार्य विकास खण्ड-मरदह कराये जाने के सम्बन्ध में।

55-कहोतरी मदनपुर पुलिया पिच रोड नहर के पटरी होते हुए भड़सर अविसहन मार्ग तक शून्य से लेपन कार्य विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

56-भोजापुर नखतपुर मार्ग पर जुझारपुर पिच रोड से वीर लोरिक इण्टर कॉलेज होते हुए जलालाबाद मार्ग तक शून्य से लेपन कार्य विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

57-मलेठी कुटी से नहर तक शून्य से लेपन लम्बाई 1 किमी0 विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

58-ग्राम सभा हमीरपुर में पारस यादव के खेत से ग्राम सभा हरिकरनपुर चौथी डीह बाबा के स्थान तक लम्बाई 500 मी0 शून्य से लेपन विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

59-ग्राम सभा कविरपुर हरिकरनपुर मार्ग पर शंकर जी के मंदिर से हरिकरनपुर गॉव होते हुए पूर्वांचल रिंग रोड तक विशेष मरम्मत कार्य लम्बाई 1 किमी0 विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

60-ग्राम सभा धनेशपुर (पचपुरवा) में लोहार बस्ती से हरिजन बस्ती तक मिट्टी खड़ंजा लम्बाई 800 मी0 विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

61-ग्राम सभा ढाडी खुर्द में मेन पिच रोड से बिकानू के खेत तक मिट्टी खड़ंजा लम्बाई 600 मी0 विकास खण्ड-विरनों के सम्बन्ध में,

62-ग्राम सभा बिहरा रुक्कापुर में राधिका यादव के घर से वकिल यादव के घर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य लम्बाई 500 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

63-ग्राम सभा चौराबोझ में रामसनेही राजभर के घर से अमर नाथ बिन्द के घर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य लम्बाई 500 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

64-ग्राम सभा सरवन डीह में सिरपत यादव के घर से पिच रोड तक मिट्टी खडंजा लम्बाई 300 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

65-ग्राम सभा पारा मदनपुर पिच रोड से मदनपुर प्राइमरी स्कूल तक विशेष मरम्मत कार्य लम्बाई 500 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

66-ग्राम सभा पारा चांदपुर में सुरेन्द्र प्रजापति के दुकान से राजेश प्रजापति के खेत होते हुए हरेन्द्र यादव के घर तक मिट्टी खडंजा लम्बाई 700 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

67-ग्राम सभा नुसरतपुर में फोर लेन से राजेन्द्र यादव के मकान होते हुए राजभर बस्ती डीह बाबा के स्थान तक लम्बाई 1200 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

68-ग्राम सभा साधोपुर से महाहर धाम भैरो बाबा के स्थान तक लम्बाई 2 किमी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

69-ग्राम सभा कलौरा शंकर चौहान के खेत से चन्द्रिका सिंह के मकान तक मिट्टी खड़ंजा लम्बाई 500 मी0 विकास खण्ड-मरदह के सम्बन्ध में,

70-विकास खण्ड-सदर गाजीपुर कासिमाबाद रोड से पारा चट्टी सैय्यद बाबा के मजार से पारा (लहुरियापर) बेचू यादव के घर तक विशेष मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में,

71-ग्राम सभा बेमुआ पिच रोड पोखरा से मोती यादव के घर होते हुए प्यारे चन्द राजभर के दुकान तक मिट्टी खड़ंजा कार्य लम्बाई 600 मी0 विकास खण्ड-रेवतीपुर के सम्बन्ध में,

72-पटखौलिया गॉव सी0सी0 रोड से लालजी कानू के टयूबवेल तक मिट्टी खड़ंजा लम्बाई 500 मी0 विकास खण्ड-रेवतीपुर के सम्बन्ध में,

73-बेमुआ रेलवे लाइन से बेमुई गाँव तक शून्य से लेपन लम्बाई 150 मी0 विकास खण्ड-रेवतीपुर के सम्बन्ध में,

74-ग्राम सभा खजुहॉ माधोपुर नहर की पटरी होते हुए खजुहां पुलिया तक शून्य से लेपन लम्बाई 500 मी0 विकास खण्ड-जमानियाँ के सम्बन्ध में,

75-ग्राम सभा बेमुआ रेलवे फाटक से बेमुई होते हुए कोलहरिया तक 1.5 किमी0 विकास खण्ड-रेवतीपुर के सम्बन्ध में।''

श्री जै किशन साहू

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1-विकास खण्ड सदर ग्राम सभा छावनी लाइन में हीरालाल कुशवाहा गेट से काली माता मन्दिर इमली महुआ तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

2-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बड़सरा में प्रशान्त यादव के मशीन से शंकटा यादव बड़हरिया के घर तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

3-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा नौदर में परदुमन सैनिक कटरा से रामजन्म के मशीन होते हुये नेपाली प्रधान के मशीन तक 1 किमी0 सड़क निर्माण किया जाय,

4-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा नौदर में पंचदेव सिंह के मशीन से मुराली सिंह के मशीन होते हुये महेन्द्र यादव के घर होते हुये ट्यूबवेल तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

5-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बासा बाध में रामजी राम के घर से मेन रोड बनगावां तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

6-विकास खण्ड सदर ग्राम सभा रजादीपुर में रजादीपुर से बुढ़नपुर तक 4 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

7-विकास खण्ड सदर ग्राम सभा फुल्लनपुर में फुल्लनपुर से मिरानपुर सक्का हमीद रोड तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

8-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा हिमर्दोपुर में गजाधरपुर काली धाम से राममूरत यादव के घर तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

9-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बयेपुर में विनोद यादव के घर से समशेर यादव के मशीन होते हुये काली माता मन्दिर पुरैना तक 1.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

10-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बड़सरा में माखन बिन्द के मशीन से छेदी यादव के मकान से आगे तक रफीपुर सम्पर्क मार्ग तक 1 किमी0 सड़क निर्माण किया जाय,

11-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा ढेलवा में निधिस राज के घर से शिवमुरत मास्टर के विद्यालय होते हुये अमादपुर पिच रोड तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

12-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा ढेलवा में प्राथमिक विद्यालय से दिपक बीज भण्डार तक 2.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

13-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा ढेलवा में राजेन्द्र बिन्द के घर से राजकुमार बिन्द के घर तक 1 किमी0 सड़क निर्माण किया जाय,

14-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा ढेलवा में रामवृक्ष बिन्द के घर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क तक 1.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

15-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा सोनहरिया में चोचकपुर गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से सोनहरिया होते हुये जानकी मार्ग रोड तक 1.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

16-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा खिजिरपुर में बरिया विश्रामपुर होते हुये शबुआ सम्पर्क मार्ग तक 1.5 किमी0 सड़क निर्माण किया जाय,

17-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा माहेपुर में गाजीपुर चोचकपुर सम्पर्क मार्ग से मातिनपुर से पाकड़पुर तक 1.8 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

18-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा माहेपुर में गौतमबुद्ध द्वार से जय प्रकाश यादव माहैपुर के घर तक 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

19-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा परमेठ में नवल नाथ गेट से श्रीराम स्वतंत्रता सेनानी के घर तक 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

20-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा मेनपुर पश्चिम टोला में पिचरोड से नन्दलाल यादव के घर तक 500 मी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

21-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा कोटे में गाजीपुर चोचकपुर सम्पर्क मार्ग से कोटे पुल तक 2.4 किमी0 सड़क निर्माण किया जाय,

22-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा वक्सा में कोटे सम्पर्क मार्ग से वक्सा गांव तक 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

23-विकास खण्ड सदर ग्राम सभा भटौली में गाजीपुर चोचकपुर सम्पर्क मार्ग से उदय यादव के मशीन तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

24-विकास खण्ड सदर ग्राम सभा जमालपुर में सियाराम जी के खेत से बनारसी यादव के खेत तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

25-विकास खण्ड देवकली ग्राम सभा देवकली में गाजीपुर चोचकपुर सम्पर्क मार्ग से घुरन बाजार देवकली होते हुये गंगादास बाबा सम्पर्क मार्ग तक 1 किमी0 सड़क निर्माण किया जाय,

26-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा वक्सा में सम्पर्क मार्ग से मधवा नन्द बाबा नदी तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

27-विकास खण्ड देवकली ग्राम क्षेत्र शिकारपुर में शिरपुर गोला घरी सम्पर्क मार्ग से सीताराम के घर तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

28-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा कुसम्ही कला में एन0एच0-29 सम्पर्क मार्ग से दघिवल का पुरा होते हुये पप्पू यादव के मशीन तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

29-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा कुसम्ही कला में एन0एच0-29 सम्पर्क मार्ग से बन्धवा होते हुये एन0 एच0-31 तक 1.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

30-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा रेवसा ने एन0एच0-31 से बन्धवा में रेवसा तक 1.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

31-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा धरवा धामुपुर एन0एच0-29 से एन0एच0 31 तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

32-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा रेवसा में एन0एच0-31 सम्पर्क मार्ग से जयश्री बिन्द के घर तक 2.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

33-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा आकुशपुर में जय गुरुदेव मन्दिर से जाठपुर ढेलवा तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

34-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा आकुशपुर धितुआ में घुरभारी प्रधान के घर होते हुये एकला पाल बस्ती तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

35-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा मदनही में कुसम्ही कला सम्पर्क मार्ग से इश्वरदेव प्रधान के घर होते हुये कोटे तक 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

36-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा मदनही में इश्वरदेव प्रधान के घर से बृजेश शर्मा के घर तक 2 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

37-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बनगावा में बनगावा सम्पर्क मार्ग से छोटा बनगावा तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

38-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बनगावा में त्रिभुवन प्रधान के घर से सौरम चौराहा तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

39-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा धरवा में धरवा चट्टी से सौरभ गांव तक 3 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

40-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा सौरभ में उमाकापुरा से मुसाफिर यादव के घर होते हुये रामकृत यादव के घर तक 2.5 किमी0 सड़क निर्माण कार्य किया जाय,

41-विकास खण्ड देवकली ग्राम सभा सिरगिथा कुकुढा सम्पर्क मार्ग से गोकुलपुरा गांव तक सम्पर्क मार्ग 1800 मीटर का निर्माण कार्य किया जाय,

42-विकास खण्ड देवकली ग्राम सभा बेलासी पहाड़पुर से खानकाह कलां जूनियर हाई स्कूल होते हुये मठ तक सम्पर्क मार्ग 1500 मीटर का निर्माण कार्य किया जाय,

43-विकास खण्ड देवकली ग्राम सभा पहाड़पुर कुर्बानसराय मार्ग से बड़हरा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग 1600 मीटर का निर्माण कार्य किया जाय,

44-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा मेहरौली सड़क 1500 मीटर निर्माण कार्य किया जाय,

45-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बड़सरा शिवपूजन बाबा लिंक मार्ग से माखन बिन्द के मशीन शहीद खां के मकान तक 800 मीटर निर्माण कार्य किया जाय,

46-विकास खण्ड करण्डा ग्राम सभा बनगावा लिंक रोड से सिसौडा लिंक रोड तक 500 मीटर का निर्माण कार्य किया जाय,

47-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा जमुआव नहर की पुलिया से होते हुये काली माता मन्दिर होते हुये बब्लू सिंह के मशीन तक निर्माण कार्य 800 मीटर किया जाय,

48-विकास खण्ड देवकली, ग्राम सभा नन्दगंज शादियाबाद मार्ग से रायपुर सरहद हरिजन बस्ती से रायपुर चौराहा होते हुये कुकुढ़ा पुल का निर्माण कार्य 2.2 किमी0 किया जाय,

49-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा दीनापुर मोहबलपुर लिंक मार्ग से रमेश सिंह के मशीन से विनोद सिंह के घर तक निर्माण कार्य 1 किमी0 किया जाय,

50-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा चोचकपुर धरम्मरपुर मार्ग से लघु डाल नहीं की पटरी होते हुये लीलापुर अमवां सिकन्दरपुर गोसन्देपुर सम्पर्क मार्ग 3.5 किमी0 का निर्माण कार्य किया जाय,

51-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा जमुआव शिवमंदिर से शिवपूजन के घर तक 1 किमी0 का निर्माण कार्य किया जाय,

52-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा दिनापुर महवलपुर लिंक मार्ग से अरविन्द सिंह के मशीन से तुलसीपुर तक 1 किमी0 का निर्माण कार्य किया जाय,

53-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा दामोदरपुर में कुचौरा डिहवा सम्पर्क मार्ग से उदयशंकर के खेत होते हुये बिहारी यादव के खेत तक सम्पर्क मार्ग 700 मीटर का निर्माण कार्य किया जाय,

54-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा धरवा सौरभ मार्ग से मुसहर बस्ती होते हुये श्रीगंज हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग 1.5 किमी0 का निर्माण कार्य किया जाय,

55-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा परमेठ में चौथी बिन्द के घर से मदनही ग्राम तक सम्पर्क मार्ग का 5 किमी0 निर्माण कार्य किया जाय,

56-विकास खण्ड करण्डा, ग्राम सभा भटौली में विनोद राम के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण 1 किमी0 किया जाय,

57-विकास खण्ड करण्डा, गाजीपुर चोचकपुर मार्ग से सोनहरिया ब्रहम स्थान तक सम्पर्क मार्ग का 800 मीटर निर्माण कार्य किया जाय,

58-विकास खण्ड करण्डा पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से ढेलवा जयप्रकाश पाण्डेय के खेत से श्रीराम बिन्द के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण 500 मीटर किया जाय,

59-विकास खण्ड करण्डा एन0एच0 29 ढेलवा मार्ग से धितुआ बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण 1.990 किमी0 कार्य किया जाय,

60-विकास खण्ड देवकली, ग्राम सभा सिहोरी सम्पर्क मार्ग से बद्री राय के मशीन यादव बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण 1.5 किमी0 किया जाय।''

61-विकास खण्ड सदर आदर्श बाजार में आदर्श बाजार पवहारी बाबा गेट से लुटावन गेट होते हुए जंजीरपुर नाले तक दोनों तरफ नाला,

62-विकास खण्ड देवकली नन्दगंज में नन्दगंज रेलवे पश्चिमी क्रासिंग से शादियाबाद रोड व चोचकपुर मोड़ होते हुए गंगा नदी तक नाला दोनों तरफ कार्य,

63-विकास खण्ड करण्डा चोचकपुर में चोचकपुर बाजार से मउनी बाबा के धाम तक नाली दोनों तरफ,

64-विकास खण्ड मनिहारी हरिहरपुर से पश्चिमी क्षोर तक बाजार के दोनों तरफ नाला बनाया जाय,

65-विकास खण्ड देवकली में सिरगिथा बाजार के उत्तरी क्षोर से दक्षिण क्षोर नहर तक दोनों तरफ नाला का निर्माण कार्य किया जाय,

66-विकास खण्ड करण्डा बड़सरा में चत्तरपुरा चट्टी से नागा बाबा मोड़ नहर तक दोनों तरफ नाला कार्य।''

श्री बृजेश यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया हैं :-

1-कस्बा इस्लामनगर एवं भूड़ इलाके के जर्जर विद्युत तार बदलवाने के सम्बन्ध में,

2-कस्बा इस्लामनगर के बन्द पड़े अस्पताल को एवं बजट के अभाव में अधूरी पड़ी मण्डी समिति को बजट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में,

3-कस्बा नदायल एवं समसपुर भूड़ विकास खण्ड दहगवां विकास खण्ड सहसवान एक-एक इण्टर कॉलेज स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,

4-बदायूँ विधान सभा क्षेत्र में जर्जर मण्डी समिति मार्ग शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

5-विकास खण्ड सहसवान में कस्बा उधैती से वाया हैदराबाद होते हुए नाधा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-ग्राम शादीपुर से मलिकपुर विचौला होते हुए उस्मानपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-ग्राम ढेल, विकास खण्ड दहगवां में एक इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री महेन्द्र नाथ यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-बस्ती नगर पालिका परिषद् को पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना के आदर्श नगर पालिका के अन्तर्गत चयनित किया जाये,

2-बस्ती जनपद के रोडवेज बस अड्डे का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जाये,

3-जनपद बस्ती में हथियागढ़ स्थित सब्जी मण्डी की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण किया जाये,

4-वाल्टरगंज चीनी मील के किसानों तथा कर्मचारियों का बकाया गन्ना भुगतान करते हुए मिल को पुनः संचालित किया जाये,

5-जनपद बस्ती के विभिन्न चौराहे दक्षिण दरवाजा, सिविल लाइन चौराहा एवं अन्य चौराहों का सौन्दर्यीकरण कराया जाये,

6-पटेल चौक पर फ्लाईओवर बनाया जाये,

7-अमहट घाट पर स्थित धार्मिक स्थल एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाये,

8-बस्ती शहर में सीवर लाइन न होने के कारण बरसात के दिनों में शहर में जल भराव की स्थिति बन जाती है, इस समस्या के निदान हेतु सीवर लाइन बिछाया जाये,

9-बस्ती सदर वि0स0 क्षेत्र में स्थित ओपेक चिकित्सालय कैली (सम्बद्ध राजकीय मेडिकल कॉलेज, बस्ती) में विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये,

10-बस्ती सदर वि0स0 क्षेत्र में स्थित ओपेक चिकित्सालय कैली (सम्बद्ध राजकीय मेडिकल कॉलेज, बस्ती) में विभिन्न स्वास्थ्य प्रशिक्षणों हेतु टेक्नीशियन व यंत्रों को लगाया जाये,

11-जिला चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में सिटी स्कैन, एम0आर0आई0 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिये यंत्र लगाये जायं।''

श्री तसलीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-

1-नजीबाबाद में राजकीय इण्टर कालेज की खाली पड़ी जमीन पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जाये,

2-नजीबाबाद में पार्क का निर्माण किया जाये,

3-नजीबाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ट्रामा सेन्टर के रूप में विकसित किया जाये,

4-नजीबाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समीपुर में आधुनिक पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे मशीन, डायलसिस मशीन, एम0आर0आई, सीटी स्कैन, आई0सी0यू0 वार्ड, हार्ट केयर सेन्टर, एन्जयोग्राफी आदि आधुनिक चिकित्सा की सुविधायें प्रदान की जायें,

5-नजीबाबाद के कस्बा साहनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया जाये,

6-नजीबाबाद के मालगोदाम तिराहे पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया जाये,

7-नजीबाबाद के ग्राम ज्वालाचण्डी में मालन नदी पर अस्थायी रपटे का निर्माण किया जाये,

8-नजीबाबाद में मोटाआम से आजाद चौक तक मार्ग निर्माण किया जाये,

9-नजीबाबाद के ग्राम हुमायूंपुर इद्दू से ज्वालीलाला तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये,

10-नजीबाबाद में ग्राम मौ0 अलीपुर द्वारका से सलेमपुर भट्ठा मार्ग का निर्माण किया जाये,

11-नजीबाबाद के ग्राम मौ0 अमीखानपुर में सुखवंत सिंह के डेरे से नत्थनावाली तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये,

12-नजीबाबाद के ग्राम लालपुर सौजीमल से बालावाली रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये,

13-नजीबाबाद के नांगल-भागूवाला सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण किया जाये,

14-नजीबाबाद के नांगल-कस्बा साहनपुर से साहनपुर नानू कच्चा सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये,

15-नजीबाबाद के कस्बा साहनपुर में राजकीय बालिका कन्या इण्टर कालेज से चिड़ियापुर-समीपुर नहर की पटरी तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये,

16-नजीबाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज राहपुर में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाये,

17-नजीबाबाद के मोहल्ला रम्पुरा, सरायआलम, हुसैनपुर में 250 के0वी0 के अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर रखवाये जाये''।

श्री बेदी प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर तार बदलने एवं विद्युतीकरण करने तथा ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में,

2-जनपद-गाजीपुर के रेलवे स्टेशन, जखनियां एवं अमारी गेट पर ओवरब्रिज के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के बारे में,

3-जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में किसानों के जरूरत के समय नहरों में पानी समय से तथा विद्युत आपूर्ति बराबर बनी रहे,

4-विधान सभा क्षेत्र जखनियां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मागतपुर, धुरेपुरा, धामूपुर, छपरी में डाक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र जखनियां में एक सर्किट हाउस निर्माण के सम्बन्ध,

6-विधान सभा क्षेत्र जखनियां में मनिहारी मोड़ से जखनियां तहसील मुख्यालय तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र जखनियां में बहरियाबाद पानी की टंकी भरतपुर होते हुये आजमगढ़ सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में,

8-जनपद-गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र जखनियां में मजुई से बहरियाबाद के बीच उदन्ती नदी पर जर्जर पुल बनवाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र जखनियां में प्राथमिक विद्यालय परेवा में शिक्षक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र जखनियां के बहरियाबाद बाजार में सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण,

11-विधान सभा जखनियां में धुरहेरा-टोडरपुर के बीच मगई नदी पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग,

12-विधान सभा जखनियां में माधोटाण्डा में बेसो नदी पर लघुसेतु एवं पहुंच मार्ग''।

श्री लालजी वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-उ0प्र0 में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-उ0प्र0 सरकारी नौकरियों में आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं

अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-उ0प्र0 में 69000 शिक्षकों के भर्ती में आरक्षण घोटाला को दूर कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षकों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश के अघोषित बिजली कटौती किये जाने के सम्बन्ध में,

5-किसानों को निजी नलकूप के लिये निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के आम जनता को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

7-उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

8-बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

9-आवारा पशुओं/छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों एवं मजदूरों के जान एवं फसल की छवि को बचाने के सम्बन्ध में,

10-उ0प्र0 के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद अम्बेडकरनगर के सड़कों के मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में,

12-महामाया राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में शिक्षकों की कमी दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

13-महामाया राजकीय एलापैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में परास्नातक कक्षायें प्रारम्भ करायें,

14-बुनकरों के फिक्स रेट पर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

15-अम्बेडकरनगर कटेहरी एवं भीटी ग्रामों को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-बुनकर बाहुल्य क्षेत्र अकबरपुर, टाण्डा इल्तिफातगंज एवं जिला अम्बेडकरनगर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में,

17-एन0टी0पी0सी टाण्डा द्वारा प्रभावित कृषकों एवं मजदूरों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में,

18-अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर में बाईपास में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि जिसका सर्किल रेट विगत 5 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

19-नगर पंचायत इल्तिफातगंज में जर्जर विद्युत तारों को बदलने के सम्बन्ध में,

20-नगर पंचायत इल्तिफातगंज जिला अम्बेडकरनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

21-एन0टी0पी0सी0 टाण्डा एवं अल्ट्रा सीमेन्ट फैक्ट्री टाण्डा के प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में,

22-ग्राम बड़ेरिया एवं गोइया के बीच बिसुई नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

23-बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में,

24-अम्बेडकरनगर जिला मुख्यालय को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में,

25-जल निगम द्वारा ग्रामीण सड़कों को क्षतिग्रस्त किये जाने से बचाने के सम्बन्ध में।''

श्री राजेन्द्र प्रसाद — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-

1-355, मुहमदाबाद गोहना के ब्लाक रानीपुर में सरसेना बस्ती के आगे से पचिस्ता अनुसूचित बस्ती तक के मार्ग का निर्माण कराया जाय,

2-मुहमदाबाद गोहना मऊ मुख्य मार्ग के मडैया चट्टी से नरौनी मुस्लिम बस्ती तक के मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाय,

3-हमारी वि0स0 क्षेत्र के ब्लाक मुहमदाबाद गोहना के लग्गूपुर मार्ग से तिलसवां अनुसूचित बस्ती के मार्ग का मरम्मत कराया जाय,

4-ब्लाक मुहमदाबाद गोहना के रामनगर मोड़ से कोठिया अनुसूचित बस्ती होकर यादव बस्ती होते हुये मुहमदाबाद गोहना घोसी मुख्य मार्ग तक नवीनीकरण कराया जाये,

5-मऊ-मुहमदाबाद गोहना मुख्य मार्ग के महासो मोड़ से महासों गांव रेलवे लाइन तक रोड का पुर्निर्माण कराया जाय,

6-मड़ईया चट्टी (सिगारी) गेट से कमालपुर कुलौरा रेलवे फाटक तक के मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाय,

7-ब्लाक रानीपुर में तेन्दुली नहर से दौलसेपुर राजभर बस्ती तक नहर के किनारे रोड का नवीनीकरण कार्य कराया जाय,

8-करहा बजार से अम्बेडकर विद्यालय घुटमा तक के मार्ग का निर्माण कराया जाय,

9-भुजही मोड़ से घरोहिया मोड़ तक के रोड का मरम्मत कार्य कराया जाय,

10-समसाबाद चट्टी से मण्डूसरा गांव चौहान बस्ती तक की रोड का पुनर्निर्माण कराया जाय,

11-खुरहट भटौली मोड़ से अमरहट गांव राजभर बस्ती तक के गांव के मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाय,

12-खुरहट रानीपुर रोड से रेलवे फाटक के उस पार तक रोड का पूर्ण मरम्मत कराया जाय,

13-मुहमदाबाद गोहना ब्लाक के गालिबपुर (मुगलाने) से अनुसूचित बस्ती अम्बेडकर मूर्ति तक पूर्णरूपेण मरम्मत का कार्य कराया जाय,

14-ब्लाक मुहमदाबाद गोहना के गालिबपुर मुस्लिम बस्ती में छावनी से साजाद खां के घर के निकट मस्जिद तक के मार्ग की मरम्मत कराया जाय,

15-अतरारी बैरियर तिराहे से अतरारी होते हुये आजमगढ़ बार्डर तक के मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाय,

16-टोंस नदी के बन्दीघाट पर पुल का निर्माण कराया जाय।''

श्री राम अवतार सिंह सैनी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद-बिजनौर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ताजपुर को नगर पंचायत घोषित किया जाय,

2-जनपद-बिजनौर की नूरपुर विधान सभा क्षेत्र में 25 ग्रामों को जोड़ने वाले कडूला नदी पर खानपुर स्योहारा मार्ग एवं खानपुर गल्लाखेड़ी मार्ग पर गल्लाखेड़ी के निकट 110 मीटर लम्बे पुल का निर्माण कराया जाये,

3-विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र-24 नूरपुर के विकास खण्ड-बूढ़नपुर में ग्राम चक महमूद होते हुये धामपुर स्योहारा मार्ग पर आबादी भाग में पूर्व निर्मित मार्ग में 950 मीटर लम्बाई में उच्चीकरण, सी0सी0 रोड व नाले का निर्माण कराया जाये,

4-विधान सभा क्षेत्र-24 नूरपुर ठाकुरद्वारा प्रान्तीय मार्ग पर स्योहारा के पास समपार सं0-446 बी पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कराया जाय,

5-विधान सभा क्षेत्र-24 नूरपुर के ग्राम कासमपुर बिल्लौच में आबादी भाग में जलभराव को दूर करने हेतु नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण।''

श्री जियाउद्दीन रिजवी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के अन्तर्गत ग्राम पुर में जननायक चन्द्रशेखर स्पोर्ट कालेज को इस बजट में धन देकर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के अन्तर्गत खरीद-दरौली निर्माणाधीन पक्के पुल जो घाघरा नदी पर बन रहा था जिसका धन के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ है इस पुल पर धन देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर पुल की लम्बाई बढ़ाकर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर अन्तर्गत ग्राम सिवान कला में स्वीकृत किसान उप मण्डी को धन देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के सिकन्दरपुर राजबहा पन्द्रह राजबहा जो जर्जर हो गई है, इस राजबाहा में ग्राम भांटी से हरदीया ग्राम तक पक्की लाइनिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के ग्राम सतसड़ापुर में जर्जर सड़क की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के ग्राम काजीपुर में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत करके चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के ग्राम पुर में खाली पड़ी जमीन पर 100 बेड का हास्पिटल का निर्माण कार्य अविलम्ब कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के सिकन्दरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

9-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम लिलकर में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण जनहित में तत्काल स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री दुर्गा प्रसाद यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1-आजमगढ़ पल्हनी विकास खण्ड के शहर बाइपास से कुरूद्दीनपुर होते हुये ग्राम गंगापुर तक विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

2-आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से ककरहटा कोल होते हुये मुबारकपुर रोड जिसमें ग्राम कोल में एक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-किसानों का गन्ना बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

4-आजमगढ़-निजामाबाद मार्ग से घोरठ, जाफरपुर होते हुये बेलेइसा पिच मार्ग के मरम्मत व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

5-रानी का सराय पिच मार्ग से निजामाबाद मार्ग से मोतीगंज बाजार से बसही व बीबीपुर होते हुये गोपालपुर होते हुये बढ़ाया पीच मार्ग तक विशेष मरम्मत व चौड़ीकरण,

6-आजमगढ़ में रानी के सराय बाजार से अनउरो सोनवारा होते हुये कोहिलारी खुर्द तक विशेष मरम्मत व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

7-सोनवारा पिच रोड से दाउदपुर होते हुये शाहखजुरा पिच मार्ग तक लगभग 5 कि0मी0 तक मरम्मत के सम्बन्ध में,

8-आजमगढ़ में फिरोदीपुर नहर की पुलिया से पूर्व होते हुये पुलिया पर होते हुये दाउदपुर पिच मार्ग तक 3 कि0मी0 का विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

9-आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग से कुकरौरा बाजार से ककरटा होते हुये कोल दलित बस्ती तक चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

10-आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग से जीयनपुर कोठरा होते हुये मनचौभा तक विशेष मरम्मत व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

11-आजमगढ़ जिला अस्पताल व मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 की मशीन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-आजमगढ़ के जिला अस्पताल व पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 के अस्पतालों में दवाओं का प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-आजमगढ़ में किसानों से अत्यधिक बिजली का बिल भुगतान कराया जा रहा है, अतः बिजली बिलों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-आजमगढ़ शहर में अन्डरग्राउण्ड केबिलों द्वारा विद्युतीकरण का विस्तार किया गया था किन्तु उक्त तारों को खुदाई के माध्यम से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, अतः उक्त का अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-आजमगढ़ के रानी के सराय से अनौरा सौनारा होते हुये कोयलारी खुर्द तक चौड़ीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में,

16-आजमगढ़ भदौली व निजामबाद मार्ग से मलिकपुर खोजापुर घाट व हुसैनपुर बस्ती तक चार किलोमीटर तक विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

17-आजमगढ़ कोयलसा शहर बाईपास से बगहिया होते हुये गीरिपुर तथा उंचा गांव तक विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में,

18-आजमगढ़ में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने एवं नवीन ट्रान्सफार्मर हेतु धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

22-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

24-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई मंहगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

26-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

29-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

30-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धाधुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

31-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

32-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में।''

श्री जय प्रकाश अंचल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में शिक्षामित्रों को नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उन शिक्षामित्रों की दीन-हीन स्थिति के कारण आये दिन शिक्षा मित्र आत्महत्या करने के लिये विवश हैं इनको स्थायी कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विकट परिस्थिति के दृष्टिगत निश्चित मानदेय का प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में पशुओं से किसानों को निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली का प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार सृजन कर उन्हें रोजगार दिलाये जाने तथा रिक्त पड़े लाखों पद को आरक्षण के अनुसार शिक्षित नौजवानों का भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-पूर्वांचल के जनपद बलिया में अति पिछड़े क्षेत्रों में SGPGI अथवा मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-जनपद बलिया में उद्योग के नाम पर रसड़ा चीनी मिल व कताई मिल विगत कई वर्षों से बन्द है उसके कारण बलिया जनपद उद्योगविहीन जनपद हो गया है अतः उक्त उद्योग आधुनिक टेक्नोलॉजी से पुनः चलाया जाये अथवा कोई अन्य

उद्योग लगाया जाये जिससे इस पिछड़े क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को पलायन से रोके जाने के सम्बन्ध में,

8-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया जो गंगा नदी के भीषण बाढ़ की विभीषिका से अत्यधिक धन, जन की हानि होती है उक्त नदी के कटान जिसमें भुआल, छपरा, नौरंगा, चक्की नौरंगा, शिवपुर कपूर दियर, सेमरिया का डेरा, गड़ेरिया, जगदीशपुर, नरदराभुसवला, बहुआरा, जगदेवा पाण्डेयपुर, रामपुर कोड़रहा, गोपालपुर, दुबेछपरा, उदईछपरा आदि गांव भयंकर कटान जलप्लायन हो जाते हैं उक्त क्षेत्र में रिंग बांध अथवा परियोजना स्वीकृत कराकर रोकथाम कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में घाघरा नदी के बाढ़ की विभीषिका से दर्जनों गांव जिसमें गोपालनगर, मानगढ़, वशिष्ठनगर, शिवालमठियां, नवकागांव, चांददियर, इब्राहिमाबाद, नौबरार, कोड़रहानौबार, जयप्रकाशनगर आदि गांव भयंकर कटान व जलभराव से आम जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसके रोकथाम हेतु तिलापुर से गोपालपुर होकर चांददियर NH-19 तक रिंग बांध अथवा परियोजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के दियरांचल (गोपालनगर, मानगढ़, शिवालमठियां, वशिष्ठनगर) छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन हेतु को राजकीय विद्यालय 75 वर्षों बाद न होने के कारण उक्त क्षेत्र में राजकीय इण्टर व महाविद्यालय को स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में टी0एस0 बांध जो अत्यधिक पुराना है तथा भोपालपुर से लेकर श्रीनगर तक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और घाघरा नदी के बाढ़ के दवाब के कारण उक्त बांध कभी भी टूट सकता है जिससे क्षेत्र के लोगों में खौफ का वातावरण बना रहता है उक्त का सर्वेक्षण कराकर बांध को मजबूत/पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पशुओं की पर्याप्त मात्रा को देखते हुये अत्यधिक पशु चिकित्सालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बिहार प्रान्त की सीमा से लगा हुआ है जिसके कारण काफी तादाद में आम जनता बिहार राज्य में आना-जाना लगा रहता है उक्त क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा व घाघरा नदियों के बीच का क्षेत्र होने के कारण वहां का जल पूर्णतः प्रदूषित (आर्सेनिक) हो गया है, आर्सेनिक युक्त पानी पीने से आम जनता भयंकर बीमारियों से लोगों की मृत्यु होती रहती है इससे बचाव के लिये गंगा अथवा घाघरा नदी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाकर पाइपों के माध्यम से जनमानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विकास खण्ड मुरलीछपरा, बैरिया, बेलहरी व रेवती जो नहर विहीन क्षेत्र होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फसलों की सिंचाई हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में दस-दस नये सरकारी ट्यूबबेल लगवाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया काफी तादाद में पुराने ट्यूबबेल कतिपय कारणों से बन्द पड़े हैं जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है, जनहित में बन्द पड़े ट्यूबवेलों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरलीछपरा, ग्राम पंचायत सोनवरसा, लालगंज, बहुआरा एवं रेवती विकास खण्ड के गांव सभा झरकटहा, भोपालपुर, दतहा, छपरा सरीव आदि में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में किसान कृषि उत्पादन में मंहगे खाद व बीज, दवा प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हो जाते हैं उक्त पर प्रभावशाली नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश में सड़कों के किनारे आर-पार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने जर्जर विद्युत तार व पोल बदलने के बारे में प्रभावी एवं त्वरित प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में तालाबों, पोखरों, झीलों के सुन्दरीकरण एवं सतह तक पानी के सम्बन्ध में प्रभावी प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने एवं कृषक उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने एवं बढ़ी हुई विद्युत दरों को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

23-बैरिया सिकन्दरपुर मार्ग के रेवती क्रासिंग पर उपरिगामी ब्रिज का निर्माण,

24-बच्चों को खेलने हेतु बैरिया मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना,

25-विगत कई वर्षों से जलभराव के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, अतिशीघ्र दिलाया जाये।

26-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

29-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

31-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई मंहगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

33-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

37-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धा-धुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

38-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

39-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

42-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में।''

श्रीमती पूजा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-विकास खण्ड पल्हना ग्राम सभा सिंहपुर सरैया बेसो नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

2-सिंहपुर बाजार के पास मगई नदी पर पुराने पुल को जोड़ना है के सम्बन्ध में,

3-आजमगढ़ से बनारस एन0एच0 मुख्य मार्ग पर मुजफ्फरपुर बाजार से होते हुये जमीया विश्वविद्यालय होते हुये मगरवां रायपुर तक पिच लम्बाई-3 कि0मी0 लेपन कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम सभा गंजोर हरजन बस्ती से लौदह इमादपुर रोड के पिच जिसकी लम्बाई 2 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-ग्राम सभा कोईलाड़ी खुर्द से सपनहर रूद्रपुर तक पिच निर्माण 3 किमी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-खरिहानी चिरैयाकोट मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा करता से रसड़ा होते हुये बीबीपुर तक मरम्मत का कार्य 6 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-कंचनपुर बाजार के नहर से गाजीपुर बॉर्डर तक नरायनपुर गोसाई बस्ती तक 1 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

8-ऐरा खुर्द यादव बस्ती (पहिया) से पिच रोड तक 700 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-ग्राम फद्दपुर यादव बस्ती से दरोंपुर तक पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ग्राम भदौरा मेन रोड से प्रा0 वि0 होते हुये अवधनाथ यादव के घर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-ठूठिया दामा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.30 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

12-सेर्रा चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग मरम्मत 3.30 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-रासेपुर जमीरपुर सम्पर्क मार्ग मरम्मत 2.50 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

14-मेंहनगर सिंहपुर से नछवल होते हुये नहर तक सम्पर्क मार्ग 2.50 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

15-गंगापुर बनावे सम्पर्क मार्ग मरम्मत 1.50 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

16-छतवारा देवईत मेंहनगर से ढोला पट्टी रहिला सम्पर्क मार्ग 2.20 कि0मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-मेंहनगर जिगनी मार्ग से असौसा सम्पर्क मार्ग 2.80 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

18-टिसौरा सम्पर्क मार्ग मरम्मत 1 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

19-इनवल सम्पर्क मार्ग मरम्मत 1.80 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

20-रस्तीपुर सम्पर्क मार्ग मरम्मत 2 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

21-जरिहानी से बेलहाडीह से पिठू पट्टी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का नवनिर्माण कार्य 0.45 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

22-कटाई सम्पर्क मार्ग मरम्मत 3 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

23-रसूलपुर सम्पर्क मार्ग 1 कि0मी0 बनाये जाने के संबंध में,

24-परमानपुर पल्हना मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा नौरसिया में राजभर बस्ती तक 2 कि0मी0 का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में,

25-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

28-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

29-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

30-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

31-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई मंहगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

32-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

35-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

36-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धा-धुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

37-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

38-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

39-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में।''

श्री पंकज प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

3-महिलाओं के यौन-शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

4-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

5-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,

6-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,

7-दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-किसानों को खाद्य और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

9-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

10-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

11-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

12-किसानों को खाद बीज व पानी समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

15-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

16-बेरोजगार, नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

17-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

19-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

20-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

24-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में,

25-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

27-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

28-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

29-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

30-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

31-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

32-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे, काम-काज के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

34-पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

35-अल्पसंख्यक कल्याण हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

36-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

37-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

38-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

39-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में। राज्य कर्मचारियों (सरकारी) पुरानी पेंशन बहाल किया जाने के सम्बन्ध में,

40-यह कि प्रत्येक परिवार को जीवन यापन के लिये 'सम्मान राशि' दिये जाने के सम्बन्ध में,

41-यह कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

42-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

43-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

44-यह कि पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये 'स्पेशल पैकेज' दिये जाने के सम्बन्ध में,

45-यह कि बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु 'स्पेशल पैकेज' दिये जाने के सम्बन्ध में,

46-यह कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-यह कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाये तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

48-यह कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

49-यह कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से, उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अंतर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाना चाहिये तथा आपूर्ति चौबीस घंटे सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-यह कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। कन्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं है और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेचे जाने के सम्बन्ध में,

51-यह कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

52-उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

53-यह कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

54-यह कि राजनैतिक द्वेष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमे वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

55-यह कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

56-यह कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

57-यह कि प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-यह कि नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाये और उन्हें सिंचाई के लिये समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

59-यह कि प्रदेश में महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

60-यह कि आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद/नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही की जाये तथा आवश्यकतानुसार गौशालाओं का निर्माण कराया जाये और पशुओं के लिये आहार की उचित व्यवस्था की जाय। तब तक प्रत्येक किसान को दूध न देने वाले पशुओं के पालन पोषण हेतु प्रति पशु की दर से रु0 1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में,

61-यह कि आवारा पशुओं के भय से जिन किसानों की भूमि परती है और किसान पशुओं के डर से उस भूमि में खेती नहीं कर रहे है ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

62-यह कि प्रदेश में भाईचारा तथा साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

63-यह कि पेट्रोलियम पदार्थो पर VAT की दर आधी किये जाने के सम्बन्ध में,

64-यह कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्री रेल यात्रा के लिये कूपन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में,

65-यह कि महिलाओं तथा बेरोजगारों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,

66-यह कि मोहल्ला स्तर पर चिकित्सा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

67-यह कि गन्ने का मूल्य मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार 14 दिन में दिया जाये तथा समय पर भुगतान न देने पर निर्धारित ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

68-उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

69-उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जांच के नाम पर उत्पीड़न बन्द करने के सम्बन्ध में,

70-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

71-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

72-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

73-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों को सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

74-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

75-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

76-लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमें दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

77-प्रदेश में एण्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

78-गो-रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

79-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

80-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चत किये जाने के सम्बन्ध में,

81-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के उपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

82-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

83-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

84-प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

85-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

86-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

87-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

88-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

89-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,

90-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

91-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में,

92-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

93-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

94-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

95-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे, राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

96-जौनपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

97-विधान सभा के अति भारित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में,

98-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में 300 बेड के संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

99-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में,

100-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाये जाने के सम्बन्ध में,

101-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

102-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,

103-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

104-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र में बन्द पड़े इंडिया मार्का-2 हैंडपम्प को रि-बोर किये जाने के सबंध में,

105-मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर विधान सभा में नई तहसील की स्थापना के सम्बन्ध में,

106-मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हाई मास्क लाइट की स्थापना।''

श्री तुफानी सरोज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

3-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

4-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

5-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,

6-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,

7-दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-किसानों को खाद्य और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

9-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

10-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

11-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

12-किसानों को खाद, बीज व पानी समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

14-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

15-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

16-बेरोजगार, नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

17-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

19-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

20-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में

22-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

24-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में,

25-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

27-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

28-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

29-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

30-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में

31-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में

32-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में

34-पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

35-अल्पसंख्यक कल्याण हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

36-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

37-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

38-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

39-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों (सरकारी) पुरानी पेंशन बहाल किया जाए।

40-यह कि प्रत्येक परिवार को जीवन यापन के लिये 'सम्मान राशि' दिये जाने के सम्बन्ध में,

41-यह कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

42-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

43-यह कि राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को आरक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

44-यह कि पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुये बन्द पड़े उद्योगों को चलाने के लिये 'स्पेशल पैकेज' दिये जाने के सम्बन्ध में,

45-यह कि बुन्देलखण्ड पूर्वान्चल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु 'स्पेशल पैकेज' दिये जाने के सम्बन्ध में,

46-यह कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-यह कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाये तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

48-यह कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज' जैसी हो गयी है। अतः कानून व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

49-यह कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अंतर आ गया है जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाना चाहिये तथा आपूर्ति चौबीस घण्टे सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-यह कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। कन्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं है और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेचे जाने के सम्बन्ध में,

51-यह कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई उचित कीमत पर दिये जाने के सम्बन्ध में,

52-उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुये समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,

53-यह कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

54-यह कि राजनैतिक द्वैष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमे वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,

55-यह कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

56-यह कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्डपाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

57-यह कि प्रत्येक मा0 विधायक के निवार्चन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-यह कि नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाये और उन्हें सिंचाई के लिये समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

59-यह कि प्रदेश में महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,

60-यह कि आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद/नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाये तथा आवश्यकतानुसार गौशालाओं का निर्माण कराया जाये और पशुओं के लिये आहार की उचित व्यवस्था की जाये। तब तक प्रत्येक किसान को दूध न देने वाले पशुओं के पालन पोषण हेतु प्रति पशु की दर से रु0 1,000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में,

61-यह कि आवारा पशुओं के भय से जिन किसानों की भूमि परती है और किसान पशुओं के डर से उस भूमि में खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

62-यह कि प्रदेश में भाईचारा तथा सम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

63-यह कि पेट्रोलियम पदार्थों पर VAT की दर आधी किये जाने के सम्बन्ध में,

64-यह कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्री रेल यात्रा के लिये कूपन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में,

65-यह कि महिलाओं तथा बेरोजगारों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में,

66-यह कि मोहल्ला स्तर पर चिकित्सा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में,

67-यह कि गन्ने का मूल्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार 14 दिन में दिया जाये तथा समय पर भुगतान न देने पर निर्धारित ब्याज दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

68-उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,

69-उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जांच के नाम पर उत्पीड़न बन्द करने के सम्बन्ध में,

70-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

71-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

72 प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

73-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों को सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

74-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

75 प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

76-लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

77-प्रदेश में एण्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

78-गो-रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,

79-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

80-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

81-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

82-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

83-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

84-प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

85-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

86-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

87-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

88-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

89-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,

90-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,

91-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में,

92-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

93-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

94-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,

95-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

96-जौनपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना,

97-केराकत विधान सभा क्षेत्र के अति भारित ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि,

98-जलालपुर केराकत मार्ग पर जलालगंज रेलवे फाटक पर रेल उपरिगामी सेतु की स्थापना,

99-केराकत विधान सभा क्षेत्र में 300 बेड के संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना,

100-केराकत विधान सभा क्षेत्र के जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में,

101-केराकत विधान सभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाए जाने हेतु,

102-केराकत विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की स्थापना,

103-केराकत विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में,

104-जलालपुर केराकत मार्ग को फोर लेन किए जाने के सम्बन्ध में,

105-केराकत विधान सभा क्षेत्र में राजकीय गर्ल्स इण्टर कॉलेज की स्थापना,

106-केराकत विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़े इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प को रि बोर किए जाने के सम्बन्ध में,

107-जलालपुर जौनपुर में नई तहसील की स्थापना,

108-केराकत विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हाई मास्क लाइट की स्थापना।''

श्री मदन भैया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर, खतौली व जानसठ में बड़े शहरों के भांति वायु प्रदूषण निगरानी डिसप्ले लगाया जाये,

2-मेरे विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर के खतौली से मीरापुर मार्ग की लम्बाई लगभग 6 किमी0 की विशेष मरम्मत कराई जाये,

3-किसानों के हित में बिजली के ट्यूबवेलों पर विद्युत मीटर न लगाया जाये,

4-मेरे विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर ग्राम-चौहरा से घासीपुरा (अण्डरपास) की ओर जाने वाला मार्ग 1.5 किमी0 की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-मेरे विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर के महर्षि दयानन्द इण्टर कालेज दूधाहैड़ी के जर्जर भवन की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-मेरे विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर बोवाड़ा, खानोंपुर मिल, राय, दूधाहेड़ी आदि स्थानों पर कई वर्षों से पानी की टंकी बनी हुई है उक्त टंकियों से पानी सप्लाई कराया जाये,

7-मेरे विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के अद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी से बीमारी फैल रही है, दूषित पानी के निकासी हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्रीमती पूजा पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-हरदुआ से धमसेड़ा होते हुये कलापत का पूरा तक विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 4 किमी0,

2-महगांव जी0टी0 रोड सम्पर्क मार्ग से चरवा चौराहा बाया पूरे अयोध्या विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 4 किमी0,

3-रैया देह माफी सम्पर्क मार्ग से चरवा सम्पर्क मार्ग तक बाया हड़हाई सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 4 किमी0,

4-सहावपुर फतेहपुर संजय पाल के मकान से कल्लू पाल के मकान तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 4 किमी0,

5-चरवा सम्पर्क मार्ग से रेलवे फाटक तक वाया अमनी लोकीपुर विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 4 किमी0,

6-लोकीपुर से पतेरिया तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 1 किमी0।

विकास खण्ड नेवादा	1-चन्दूपुर से अमरायन तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में 1 किमी0, 2-नसीरपुर पक्की सड़क से शेरगढ़ तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में 2 किमी0, 3-बिगहरा उसमानपुर नगर हनुमान मन्दिर जवई सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग 9 किमी0।
(ख) विद्युतीकरण ब्लाक मूरतगंज	1-ग्राम सभा नरवर पट्टी में एक 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-काजीपुर चौराहा से नया तालाब सैयदसरावां तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-चरवा नगर पंचायत पिपरी (मढ़हाई) ग्राम का सम्पूर्ण विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
विकास खण्ड चायल-	1-जलालपुर साना मजरा सटई रामजी चौराहा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-ग्राम सभा रतगहा हंस वाहिनी विद्यालय के आस पास बस्ती का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
विकास खण्ड नेवादा-	1-हरदरमऊ आर0एम0 पाल मार्केट एवं पुलिया तथा बेला देवी उच्चतर माध्यमिक तक का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-शेरगढ़ मेला ग्राउण्ड से उदयभान के घर तक का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-नसीरपुर मुन्ना के ट्यूबवेल से पितई प्रजापति के घर तक तथा सहकारी समिति से राजू निषाद के घर तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
(ग) जनहित से जुड़े अन्य कार्य-	1-नगर पंचायत चरवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स की तैनाती एवं 24 घण्टे अस्पताल का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-विधान सभा क्षेत्र में चायल, मूरतगंज, तिल्हापुर मोड़, सरायं अकिल, भरवारी, चरवा से समय सारणी के अनुसार मंझनपुर मुख्यालय एवं प्रयागराज मुख्यालय तक ई-बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-विधान सभा चायल में एक बालिका कालेज, तकनीकि विद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

1-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

6-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धा-धुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

13-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

14-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में।''

श्री धर्मराज सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-बाराबंकी शहर से टाउन एरिया बंकी को जोड़ने हेतु अण्डरपास अथवा ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-जिलाधिकारी, बाराबंकी आवास से गोण्डा तिराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-बाराबंकी शहर को जाम से निजात दिलाये जाने हेतु रसौली चौकुला से देवां तक नहर पटरी पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-बाराबंकी में जेल से गोआरी तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-बाराबंकी से देवां तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-बाराबंकी से देवां से चिनहट मार्ग लखनऊ तक का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-बाराबंकी शहरी भाग में जमुरिया पर बने जर्जर पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-बाराबंकी शहर में ट्रामा सेन्टर संचालित कराने के सम्बन्ध में,

9-बाराबंकी के सतरिख से चिनहट सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी के ब्लॉक देवां में दयालपुरवा तक सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में,

11-बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में देवा बाराबंकी मार्ग पर सनेहीपुरवा तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में,

12-बाराबंकी में मित्तई नहर पुल की पटरी पर जवरी कला के आगे किसान पथ तक सड़क का नवीनीकरण कार्य के सम्बन्ध में।

1-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

6-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धाधुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

13-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

14-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में।''

श्री राम खिलाड़ी यादव — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

4-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

6-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

7-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

8-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

9-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धाधुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

13-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

14-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

16-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में,

18-गुन्नौर विधान सभा में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-बबराला नगर में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-ग्राम कादराबाद में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

21-ग्राम पतिरया में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

22-ग्राम भोजपुर में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

23-ग्राम सिधौलां पुख्ता में 33 के0वी0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

24-जनपद सम्भल व अलीगढ़ ग्राम मिठनपुर सांकरा के पास गंगा नदी पर वर्ष 2014-15 से नवनिर्मित एवं स्वीकृत पुल का धन आवंटन के सम्बन्ध में,

25-बबराला नगर पंचायत में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

26-अजीजपुर से धौंसलीवाहन तक की सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-बबराला अनूपशहर मार्ग से चाऊपुर होते हुए रजपुरा तक की सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-विकास खण्ड गुन्नौर के ग्राम भोजपुर गांव में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-ग्राम मडिकावली एवं भिरावटी में 100 बेड का अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-विकास खण्ड रजपुरा के ग्राम न्योरा समाधि बाबा स्थल पर राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा

31-ग्राम सुल्तानगढ़ में 33 के0वी0 क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश में जातीय जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के नियंत्रण के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रवेश शून्य फीस पर किये जाने के सम्बन्ध में,

35-उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से हो रही किसानों के फसलों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में,

36-प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों, मजदूरों की हो रही मृत्यु के रोकथाम के सम्बन्ध में,

37-शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के रोकथाम के सम्बन्ध में,

39-उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फिक्स रेट पर विद्युत बिल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश के किसानों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के गरीबों, कमजोरों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में,

42-प्रदेश के थानों में थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

43-उत्तर प्रदेश की नदियों में हो रहे अन्धाधुन्ध खनन को रोके जाने के सम्बन्ध में,

44-उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के सम्बन्ध में,

45-बुन्देलखण्ड में भयंकर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में,

46-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रहने वाले छात्रों के भोजन मद की दरों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में,

48-प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों का शोषण के सम्बन्ध में।''

श्री अवधेश प्रसाद — प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-

1-उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियों में आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटा पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों के भर्ती में आरक्षण घोटाला को दूर कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षकों के भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश के अघोषित बिजली कटौती किये जाने के सम्बन्ध में,

5-किसानों को निजी नलकूप के लिए निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के आम जनता को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

7-उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

8-बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

9-आवारा पशुओं/छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों एवं मजदूरों के जान एवं फसल की क्षति को बचाने के सम्बन्ध में,

10-उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर स्थित सड़क अमानीगंज बाजार से थाना खण्डासा होते हुए करिया चौराहे से होते हुए बमानीगंज विकास खण्ड तक जिसकी लम्बाई लगभग 12 किमी0 है, गड्ढायुक्त है, लोगों को आने-जाने की कठिनाई है, इसे हार्टमिक्स प्लाण्ट से बनाने के सम्बन्ध में,

12-मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र स्थित सड़क बहादुरगंज चौराहा से घोडवल होते हुए इमामगंज तक की सड़क बहुत ही खराब है, केवल कहीं-कहीं गड्ढा भर कर मानक के विपरीत कार्य हो रहा है, ठीक ढंग से मानक के अनुसार सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

13-देवगांव स्थित जनपद अयोध्या के 8 वर्ष पूर्व 50 शैय्या का अस्पताल स्वीकृत हुआ था, भवन बनकर तैयार है, चालू कराने के सम्बन्ध में,

14-भुगीसपुर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय जो ब्लॉक मिल्कीपुर में है, भवन 8 वर्ष पूर्व बनकर तैयार है, गरीब छात्रों को शिक्षा देने के लिये समाजवादी पार्टी की सरकार में खोला गया उसे जनहित को देखते हुए तत्काल शुरू कराने के सम्बन्ध में,

15-मिल्कीपुर क्षेत्र में साड़ों के मारने से तमाम लोगों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि देने के सम्बन्ध में,

16-किसानों की फसल को सांड़ों एवं आवारा पशुओं से बचाने के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर समेत जनपद अयोध्या में पेयजल का घोर संकट है, जो पेयजल हेतु टंकियां बनायी जा रही हैं उस से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री मनोज कुमार पारस

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में सहकारी कताई मिल चालू कराने या अन्य कोई फैक्ट्री (प्लाण्ट) लगाकर रोजगार दिलाने हेतु,

2-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर में 32 के0वी0 के दो बिजली घर बनवाये जाने हेतु,

3-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में रेलवे फाटक पर रोज जाम से निजात के लिये ओवर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु,

4-ग्राम अकबराबाद में कन्या इण्टर कॉलेज बनाये जाने हेतु,

5-ग्राम अकबराबाद में ट्रामा सेन्टर बनाये जाने हेतु,

6-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे, ईसीजी मशीन आदि लगवाने हेतु,

7-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेड

की संख्या बढ़ाने तथा पर्याप्त डॉक्टर एवं स्टॉफ एवं महिला डॉक्टर की नियुक्ति कराने हेतु,

8-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम छितावर, भोजपुर, अकबराबाद, पखनपुरगंगवाली, उमरी, केतवाली देहात में मिनी स्टेडियम बनवाने हेतु,

9-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-नहटौर रोड से शाहबपुरा रतन होते हुये छितावर तक लिंक रोड का निर्माण कराये जाने हेतु,

10-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-नहटौर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराने हेतु,

11-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम मुबारकपुर खोसा उर्फ खुशियाकी व ग्राम भनेडा में जू0 हाई स्कूल, हाई स्कूल तक उच्चीकरण किये जाने हेतु,

12-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के गन्ना किसानों का बकाया वर्ष 2019-20, 2021-2022 का भुगतान कराने हेतु,

13-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम बेगमपुर चायमल (धीमारहेडी) से ग्राम आन्नदखेडी के बीच गागन नदी पर एक पुल बनवाये जाने हेतु,

14-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना के मोहल्ला पटेरी में पुरानी मुंसफी के भूमि पर राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज को बनवाये जाने हेतु,

15-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना, तह0 नगीना, जनपद बिजनौर में चौ0 चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजकीय कृषि फार्म पर कृषि डिग्री कॉलेज (एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज) बनाये जाने हेतु,

16-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर, ईदगाह रोड से बुडगरी मार्ग पर मालन नदी के ऊपर पुल बनाये जाने हेतु,

17-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु कस्बा किरतपुर एवं नगीना में स्टेडियम बनवाने हेतु,

18-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में मार्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक करने हेतु नागरिकों के लिए एक पार्क बनवाने हेतु,

19-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में जर्जर हालत में स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड की जगह नया बस स्टैण्ड नगीना एन0एच0-74 बाईपास पर बनाये जाने हेतु,

20-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के प्रत्येक ग्राम के चौराहों पर हाई मास्क लाइटें लगवाये जाने हेतु,

21-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर वाया अगबराबाद, नगीना हरेवली शेरकोट मुख्य जिला मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने हेतु,

22-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर से नहटौर वाया शादीपुर मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने हेतु,

23-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर से मण्डावर मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने हेतु,

24-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर, ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भोजपुर से बुडगरा मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण लम्बाई लगभग 2.090 किमी0 कराये जाने हेतु,

25-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-मौज्जमपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु,

26-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर के मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालिन नदी तक छूटी कड़ी एवं नाली निर्माण कार्य कराने हेतु,

27-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम छितावर से चतरभोजपुर कुशल मार्ग की मरम्मत कराने हेतु,

28-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम झलरी नसीरी छितावर मार्ग से चतरभोजपुर कुशल होते हुए रेलवे फाटक तक मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 निर्माण कराने हेतु,

29-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भनेडा से गोविन्दपुर, कसौर होते हुए किरतपुर शादीपुर मार्ग से छितावर तक नहर की पटरी को नव निर्माण कराये जाने हेतु,

30-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम शाहजहांपुर रौशन उर्फ गडीकपुरा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-74 पर ग्राम सिकन्दपुर तक मरम्मत कराने हेतु,

31-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-74 ग्राम हिन्दुपुर होते हुए ग्राम दयालवाला तक पी0डब्लू0डी0 निर्मित मार्ग को मरम्मत कराने हेतु,

32-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम मसूरी से ग्राम अलीपुरमान उर्फ खेडा तक लगभग 500 मी0 नव निर्माण कराने हेतु,

33-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-अकबराबाद पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित मार्ग की मरम्मत एवं ग्राम अकबराबाद ब्लॉक कोतवाली में साप्ताहिक (मंगलवार) को लगने वाले बाजार के स्थान पर रोड के किनारे टाईल्स लगवाकर चौड़ा कराने हेतु,

34-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम शादीपुर में अम्बेडकर मूर्ति के पास से ग्राम ईलाएचिपुर खडदू (सिकैडा) तक लगभग 2.00 किमी0 नवनिर्माण कराने हेतु,

35-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से कुम्हैडा तक नहर की पटरी लगभग 1.00 किमी0 नवनिर्माण कराने हेतु,

36-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के किरतपुर अकबराबाद मार्ग से ग्राम पित्तनहेडी झोझा तक पहुंचने हेतु लगभग 1.00 किमी0 नहर की पटरी नवनिर्माण कराने हेतु,

37-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम बनवारीपुर के पास से ग्राम चन्दुपुरा नहर की पटरी के मार्ग से ग्राम अलीपुर मान उर्फ खेडा तक पहुंचने हेतु लगभग 700 मी0 नव निर्माण कराने हेतु,

38-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम जलालपुर में रामसिंह कश्यप के मकान से ग्राम गनौरा, नन्दपुर मार्ग तक लगभग 1.00 किमी0 नवनिर्माण कराने हेतु,

39-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम गोविन्दपुर में अम्बेडकर मूर्ति से नगीना-अकबराबाद मार्ग तक लगभग 700 मी0 नव निर्माण कराने हेतु,

40-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम अमानगर से रामपुर मुरार (सुरानंगली) मार्ग लगभग 2.00 किमी0 मरम्मत कराने हेतु,

41-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम औरंगपुर फत्ता से सरकडा खेडी तक लगभग 0.665 कि0मी0 निर्माण कराने हेतु,

42-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम भरैकी से दुधली-मेमन मार्ग शिव मन्दिर होते हुये ग्राम नसीरपुर मिठारी तक लगभग 2.00 किमी0 मरम्मत एवं छूटी कड़ी 500 मी0 नवनिर्माण कराने हेतु,

43-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर ग्राम औरंगजेबपुर फाजिल क्रेशर से ग्राम गोपालपुर तक 1.00 किमी0 तक मरम्मत कराने हेतु,

44-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर में नगीना के मौ0 मनिहारी सराय से तुख्मापुर-भवानीपुर मार्ग तक नवनिर्माण (मार्ग बनवाने) कराने हेतु,

45-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम मुस्सेपुर (इस्लामपुर शाहली) से ग्राम अनवरपुर चतर तक छूटी कड़ी के निर्माण कराने हेतु,

46-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम खटाई नहर के पुल से ग्राम रसूलपुर शाहबुद्दीन तक नहर की पालट छूटी कड़ी का निर्माण कराने हेतु,

47-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भोजपुर से ग्राम अनवरपुर चतर तक छूटी कड़ी का निर्माण कराने हेतु,

48-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के हादीपुर मार्ग से शकरपुरी तक छूटी कड़ी का निर्माण कराने हेतु,

49-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम पाडली में आरा मशीन के पास ग्राम अनवरपुरचतर तक छूटी कड़ी का निर्माण कराने हेतु,

50-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-मौज्जमपुर मार्ग से मोहल्ला नवादा किरतपुर तक छूटी कड़ी का निर्माण कराने हेतु,

51-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के ग्राम भोजपुर से भनेडा मार्ग की मरम्मत कराने हेतु,

52-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के चन्दक से बुडगरा मार्ग की मरम्मत कराने हेतु,

53-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के एन0एच0-74 से ग्राम शाहलीपुर अब्दुल सत्तार मार्ग की पुनर्स्थापना कराने हेतु''।

54-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम गनौरा से गोपालपुर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

55-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम पुरी से पखनपुर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

56-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-अकबराबाद मार्ग से ग्राम मलकपुर अब्दुल्ला होते हुए खुशहालपुर मठेरी तक आबादी क्षेत्र में सी0सी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

57-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम औरंगजेबपुर फाजिल के केन क्रेशर से ग्राम गोपालपुर तक लगभग 1.00 किमी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-मौज्जमपुर मार्ग पर रेलवे फाटक से ग्राम राजारामपुर प्रताप (ताहरपुर) मार्ग की मरम्मत कराये जाने हेतु,

59-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम सैदपुरी महिचन्द से बेगमपुर हर्रै उर्फ हुरनंगला मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

60-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक किरतपुर के नगीना-नहटौर मार्ग के किमी0-8.00 से आजमपुर मोहन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

61-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लॉक कोतवाली के ग्राम मौज्जमपुर हरवंश से मुस्सेपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

62-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम गनौरा से जलालपुर होते हुए हरदासपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

63-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढ़ापुर मार्ग के किमी0 5.00 से खिजरपुर जग्गू मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

64-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम रामपुर विशना से मौजीपुर धरमा के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

65-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढ़ापुर मार्ग किमी0 4.00 से ग्राम भोगली होते हुए रामपुर छजमल मार्ग का चौड़ीकरण/इण्टरलॉकिंग सड़क के साथ लम्बाई लगभग 5.9 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

66-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढ़ापुर मार्ग किमी0 2.00 से अल्हदादपुर मार्ग एवं ग्राम नंगली के बीच क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर 8x5 मी0 स्पान का लघु सेतु पहुंच मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

67-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम भनेडा नहर के पुल से हिन्दू शमशान घाट तक लम्बाई लगभग 700 मी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

68-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के एन0एच0-74 हादिपुर चौराहा से शाहपुर सुक्खा में डॉ0 प्रमोद के मकान तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

69-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर एवं नगीना में एक डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

70-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर एवं नगीना में एक इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में, तथा

71-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम अकबराबाद एवं ग्राम इधली में एक पी0एच0सी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री अताउर रहमान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विधान सभा क्षेत्र-बहेड़ी के नगर पंचायत रिछा में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाया जाये,

2-नगर पालिका बहेडी जनपद-बरेली के चौराहों का सुन्दरीकरण कराया जाये,

3-बहेड़ी केशर इण्टर प्राइजेज शुगर मिल बहेड़ी रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनाया जाये,

4-बहेड़ी जनपद-बरेली से अमरिया जनपद-पीलीभीत सड़क का चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण कराया जाय,

5-नगर पंचायत फरीदपुर जनपद-बरेली के पी0एच0सी0 हास्पिटल में स्टाफ की तैनाती करवाकर शुरू किया जाये।''

इंजी0 बृजेश कठेरिया

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में रैचन्दा से विक्रमपुर तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मनिगाव मार्ग से बल्लमपुर तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बखतपुर से त्रिलोकपुर रोड तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में भिटारा मार्ग से सतियाहार तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मनिगाव मार्ग से डेराडूगर होकर जगतपुर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में कोडर मार्ग से नगला दूदे तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में दिवनपुर मार्ग से बीरमपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में भारापुर (इलाबास) से नगला गदू तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में वासिक राजबाहा पर कुर्रा पुल से झोलियाई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में गठिया (मंछना) से घुसूपुर जोराई मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में पतारा विनायकपुर मार्ग से नगला फार्म (विनायकपुर) तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

12-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में रानीपुर हरेर से राजपुर कला तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

13-विधान सभा क्षेत्र किशनी, जनपद मैनपुरी में मछना से नगला सुमेर होकर अम्बरपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

14-विधान सभा क्षेत्र किशनी, जनपद मैनपुरी में कुतूपुर से कन्हूपुर तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

15-विधान सभा क्षेत्र किशनी, जनपद मैनपुरी में कन्हूपुर से माइनर पर सकरावा मार्ग तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

16-विधान सभा क्षेत्र किशनी, जनपद मैनपुरी में कुरसैडा माइनर पर अशर्फी लाल के खेत पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

17-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मलिखान पुर से नं0 धुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

18-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मैनपुरी किशनी मार्ग पर नं0 सड़क से सुगांव तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

19-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बेवर इटावा मार्ग से नं0 रमई (बर्रा) तक लम्बाई लगभग 500 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

20-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में पदमनेर से धउआ तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सैफई पतारा मार्ग से परशूपुर तक लम्बाई लगभग 2.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

22-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में किशनी-करहल मार्ग से रम्पुरा (समान) तक लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में विक्रमपुर ड्रेन किशनी से शमशेरगंज होकर सौरिख मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

24-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में रठेह मार्ग से रतनपुर होकर समदपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

25-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में कुशमरा में नवीन थाने का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

26-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में न्योति खुर्द में 11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

27-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बांसक राजबाहा पर कुर्रा पर कैटल घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में गांगसी राजबाहा पर रैपुरा (समान) में टूटी पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में हैबरा नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

30-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बसैत ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

31-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में दियनपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में हथपऊ नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में गम्भीरा नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

34-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में समान नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

35-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मोहब्बतपुर नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

36-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में हासीपुर-हसापोखर नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

37-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में लखनीपुर हविलिया से उझियानी तक नाला की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में भाती से नगरिया होकर सड़क तक नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

39-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में विक्रमपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

40-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में खेड़ ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

41-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में कुर्रा ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

42-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मण्डेला अधिधारी ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

43-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में भांति ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

44-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में घेर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सहन ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

46-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सोध ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

47-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सब ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

48-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में उतनाहाल ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

49-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में तखरऊ ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

50-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में नगला खुर्दन ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

51-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में हवेली तरिहा ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

52-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में महिगवां-1 ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

53-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सठिगवां ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

54-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में समान कटरा-1 ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

55-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बुडौली ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

56-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में लहगवां दुम्बार ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

57-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मुडौसी ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

58-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में चिताइन ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

59-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में समान कटरा-2 ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

60-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बसौत ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

61-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में रठेह ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

62-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में महिगवां-2 ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

63-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बंसरमऊ ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

64-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में लोहाटी कुरिया ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

65-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में खारजा तरिहा ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

66-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में रविदासपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

67-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सकरा ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

68-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में नौगांव खेरिया ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

69-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में अरसारा ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

70-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में एलाबांस ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

71-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में अलायन ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

72-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में अम्बरपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

73-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में कुरारी ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

74-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में एलऊ ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

75-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में बुलन्दपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

76-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मैदेपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

77-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में कसद ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

78-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में पुडरी ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

79-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में चंदरपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

80-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में सुगांव ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

81-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में तोहिया ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

82-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में परिगवां ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

83-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में नवादा ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

84-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में भावत ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

85-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मलिकपुर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

86-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में मछना ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

87-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में औंग ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

88-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में हथपऊ ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में,

89-विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में विकास खण्ड करहल के ग्राम सड़ में अनईया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री विशम्भर सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-विकास खण्ड कमासिन के मकों से मऊ रोड पर मका गांव को बस्ती के अन्दर नाले के बने रपटे पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

2-विकास खण्ड बबेरू के गांव अधाव से अमिलिहा पुरवा तक सडक के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-विकास खण्ड कमासिन के तेरा ममसी रोड से भदाव तक पक्की सड़क के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-विकास खण्ड कमासिन के अरमार अमिलिहा रोड पर अमिलिहा में बने पुल के रपटे के स्थान पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

5-विकास खण्ड कमासिन के कमासिन पन्नाह रोड से पछौहुआ रोड तक सड़क का निर्माण कार्य,

6-विकास खण्ड बिसण्डा के ग्राम अकौना से बछौधा तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य,

7-विकास खण्ड बबेरू के अधाव से अरमार तक सड़क निर्माण का कार्य,

8-विकास खण्ड कमासिन के ग्राम राछा से दलकापुरवा तक सड़क का निर्माण कार्य,

9-विकास खण्ड कमासिन के रानीपुर से लुक्कनपुरवा तक सड़क का निर्माण कार्य,

10-विकास खण्ड कमासिन कमासिन बबेरू रोड से कमासिन पेट्रोल पम्प से साडा तक नहर पटरी सड़क का निर्माण कार्य,

11-विकास खण्ड कमासिन के कमासिन पन्नाह रोड से कुमेडा तक सड़क का निर्माण कार्य,

12-विकास खण्ड कमासिन के दुर्गादायी पुरवा से देव स्थान होते हुए बुडौली तक सड़क का निर्माण कार्य,

13-विकास खण्ड कमासिन के ग्राम बभडौला के मजरा बोहल्ला से अमिलिहा तक सड़क का निर्माण कार्य,

14-विकास खण्ड कमासिन के ग्राम बीरा के मजरा बनकट से लखनपुर तक सड़क का निर्माण का कार्य,

15-विकास खण्ड बबेरू के ग्राम टोला से ग्राम बघैला तक सड़क का निर्माण कार्य,

16-बबेरू कस्बे में बाईपास सड़क का निर्माण कार्य,

17-विकास खण्ड कमासिन के ग्राम बीरा से बनकट तक सड़क का निर्माण कार्य,

18-विकास खण्ड कमासिन के ग्राम इगुना से गोडा तक सड़क का निर्माण कार्य,

19-विकास खण्ड कमासिन के ग्राम इगुना से चन्देला पुरवा तक सड़क का निर्माण कार्य,

20-विकास खण्ड बबेरू के ग्राम टोला से बघेटा तक सडक का निर्माण कार्य।''

श्री मनोज कुमार पाण्डेय

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में जनपद मुरादाबाद के कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-ऊंचाहार में जगतपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में वर्ष 2017-18 में मे0 अवस्थी ट्यूबवेल कम्पनी द्वारा मानक के विपरीत अत्यन्त खराब क्वालिटी का कार्य किया गया जिसकी जांच करायी जाये,

2-ऊंचाहार में ग्राम सभा थुलरई वि0ख0 दीनशाह गौरा में श्री अखिलेश पासवान से श्री आदित्य गुप्ता के घर तक सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

3-ऊंचाहार के ग्राम पंचायत बैरीहार वि0ख0 जगतपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा लखनऊ, प्रयागराज हाई वे से बैरीहार तक 01 कि0मी0 रोड का निर्माण कराया जाय,

4-ऊंचाहार के ब्लॉक दीनशाह गौरा में गुरु के पुरवा से कूढ़ा चक सगुनपुर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जाये,

5-ऊंचाहार के ब्लॉक दीनशाह गौरा में ग्राम रसूलपुर धरावां बस्ती के अन्दर तक दूरी 500 मी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

6-ऊंचाहार के ब्लॉक डलमऊ, ग्राम पंचायत खलीलपुर में मुराई का बाग से सलोन रोड दीनगंज तक दूरी 1.5 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

7-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ, ग्राम पंचायत खलीलपुर में मुराई का बाग से सलोन रोड से बृज नगर सुरसना तक दूरी 2 कि0मी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

8-ऊंचाहार के ब्लॉक डलमऊ के तेलियानी चौराहा से भरसना तक दूरी 01 कि0मी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाए,

9-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के सलेमपुर होते हुये कुरौली दमा तक दूरी 04 कि0मी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

10-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के रायबरेली रोड से मुर्शिदाबाद सलेमपुर तक दूरी 01 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

11-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के बड़ेरवा बाजार से हजियाबाद तक दूरी 01 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

12-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के चौदहमील से छतम्बा होते हुये कुरौली दमा तक दूरी 03 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

13-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के ऊधनपुर तिराहा से रेलवे लाइन तक दूरी 500 मी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

14-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के बरारा चौराहा से कुटिया चौराहा तक दूरी 4 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

15-ऊंचाहार के ब्लाक डलमऊ के कोल्ड स्टोर रोड से पाखरौली रोड तक दूरी 01 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया जाय,

16-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में कानपुर इलाहाबाद रोड से नयापुरवा होते हुये माफी कुरौली बुधकर तक पक्की सड़क की निर्माण का कार्य कराया जाय,

17-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में मेलखा साहब कोल्हाहार में पक्की सड़क का निर्माण का कार्य कराया जाय,

18-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में दुर्गापुर पोस्ट बनापार श्री जयंती प्रसाद के घर के पास 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

19-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में दुर्गापुर पोस्ट बनापार पड़रिया तिराहा पर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

20-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम साई में श्री सूरजदीन पासी के घर के पास विद्युत पोल टूटा है जिसे नया लगवाया जाय,

21-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा के ग्राम पूरे खुशियाल साईं में श्री छोटे लाल चौकीदार के दरवाजे पर विद्युत पोल टूटा है जिसे नया लगवाया जाय,

22-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम पूरे प्रसाद सुलतानपुर जनौली में श्री दुर्गा प्रसाद यादव की बोरिंग पर ट्रांसफार्मर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

23-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम पूरे अवस्थी अलावलपुर श्री गोलू शुक्ला के घर के पास ट्रांसफार्मर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

24-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम अम्बारा मथई प्रापर श्री रज्जन बाजपेयी की बगिया के पास ट्रांसफार्मर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

25-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम पम्पापुर कुरौली बुधकर में श्री राजबहादुर शर्मा के घर के पास ट्रांसफार्मर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

26-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम कुरौली बुधकर में श्री मुस्तकीम नाई के घर के पास ट्रांसफार्मर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय,

27-रायबरेली ऊंचाहार में पूर्व से स्वीकृत एन0एच0 38 के किमी0 115 में विभागीय निरीक्षण भवन का निर्माण कराया जाय,

28-रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में पूर्व में स्वीकृत बकुलाही ड्रेन की खुदाई, सफाई एवं पुलियों के निर्माण एवं इसौर ड्रेन की सफाई कराया जाय,

29-रायबरेली के वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार में ग्राम पूरे बकिया मजरे इटौर बुजुर्ग विकास खण्ड रोहनियां ऊंचाहार में आशीष कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार की भूमि पर सिचाई हेतु नलकूप लगवाया जाय,

30-ऊंचाहार के ब्लाक दीनशाह गौरा में ग्राम पूरे पुरान मजरे मेल्थुआ श्री तारा यादव के खेत में अवधेश यादव के घर के पास ट्रांसफार्मर 25 के0वी0ए0 की जगह 63 के0वी0ए0 की क्षमता में वृद्धि कराया जाय।''

श्री राहुल राजपूत (राहुल लोधी)

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड-खीरों के अन्तर्गत अजीतखेड़ा से गुलाब राय पुरवा तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1.00 किमी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

2-जूनियर हाई स्कूल जोगापुर से चिन्ताखेड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 2.00 किमी0 बनवाए जाने के सम्बन्ध में,

3-शिवगुलाम खेड़ा से बरी गाँव तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1.00 किमी0 बनवाए जाने के सम्बन्ध में,

4-सेमियागढ़ी से गौरा बार्डर तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1.500 किमी0 बनवाए जाने के सम्बन्ध में,

5-सहदुल्लापुर से कुसण्डी तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1.00 किमी0 बनवाए जाने के सम्बन्ध में,

6-दुर्गाखेड़ा से दृगपालगंज तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1.00 किमी0 बनवाए जाने के सम्बन्ध में,

7-अहमदपुर बी0एस0एन0 टॉवर से अलीपुर गाँव तक पक्की सड़क का निर्माण दूरी लगभग 1.500 किमी0 बनवाए जाने के सम्बन्ध में,

8-चन्द्रिकाबक्श खेड़ा, हरिपुर मृदहा और शिवगुलाम खेडा वि0ख0 लालगंज, चौपेडा, जोहवाशर्की, टाण्डा, वि0ख0 हरचन्दपुर, दुनिया सिंह का पुरवा मजरे अटौरा बुजुर्ग, दुर्गाखेड़ा मजरे कोरिहर, डोमापुर मजरे सतांव, वि0ख0-सतांव में बारातघर बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

9-वि0ख0-सतांव के अन्तर्गत गौ-आश्रय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

10-ग्राम सभा-खीरों जो कि बड़ी ग्राम सभा है। इसको नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-ग्राम सभा-हरचन्दपुर जो कि सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इसको नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री इन्द्रजीत सरोज

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रयागराज से कौशाम्बी तक फोर लेन के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

2-किसानों की आय दोगुनी करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

3-छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल बचाने के समुचित उपाय के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

4-छुट्टा सांड़ों से आम जनमानस की हो रही मौतों से बचाने के विषय में समुचित उपाय के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

5-आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के खान पान मद में बढ़ोत्तरी के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

6-जनपद-कौशाम्बी की अलवारा झील के सुन्दरीकरण के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

7-जनपद-कौशाम्बी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के ठोस प्रयास के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

8-उ0प्र0 में हो रही बेतहाशा हत्याओं को रोकने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

9-उ0प्र0 में महंगाई को रोकने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

10-उ0प्र0 में गौशालाओं में चारा/भूसा के मद में बढ़ोत्तरी के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

11-जनपद-कौशाम्बी के अधूरे स्टेडियम को पूर्ण कराने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

12-जनपद-कौशाम्बी में अवैध खनन को रोकने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

13-प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के विषय में कोई ठोस प्रयास करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

14-प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से विद्युत कर्मियों द्वारा जबरन वसूली की रोकथाम के विषय में कुछ नहीं कहा गया है,

15-प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियों के शादी हेतु मिलने वाली 20 हजार रुपये की सहायता बहाल करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है।''

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-मुगलसराय-भुपौली-चहनिया के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में,

2-सकलडीहा-कमालपुर-अमड़ा मार्ग से धरहरा अमावल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

3-भुपौली हेड से दरियापुर घरचित मार्ग के किमी0 05 से रुपेठा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

4-ग्राम सभा रईया में हनुमान जी मन्दिर से नौदर होते हुए परसिया गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

5-रामगढ़ में महाराजगंज काली माता मंदिर से जीउतीया पोखरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

6-गुरेरा, रामगढ़ मार्ग के किमी0 02 से डेवड़ा रईया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

7-पलिया पक्की सड़क से कुरा पक्की सड़क तक निर्माण कार्य,

8-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से जलालपुर (खडेहरा) सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत का कार्य,

9-भुपौली मुख्य नहर से डिहवां होते हुए पंचायत भवन पपौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

10-भुपौली मुख्य नहर से सिकरौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

11-रमौली, शहीदगांव से हृदयपुर, हरिजन बस्ती के सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य,

12-धानापुर-चहनिया मार्ग से सेमई के पूरा हुदहुदीपुर के सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य,

13-चन्दौली, सकलडीहा सैदपुर मार्ग से जगरनाथ पुर रानेपुर सराय बलुआ घाट की विशेष मरम्मत का कार्य,

14-बलुआ-टांडा मार्ग से पहाड़पुर-मोलनापुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

15-बरंगा से दिनघवट सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

16-चहनिया-धानापुर मार्ग से हिभनापुर रमौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण का कार्य,

17-मुगलसराय-भुपौली मार्ग से कैथापुर, टडिया सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

18-चन्दौली-सकलडीहा सैदपुर मार्ग से तिरगांवा जमालपुर, सरौली के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

19-चन्दौली, सकलडीहा, सैदपुर मार्ग से नैढ़ी नादी रामगढ़ में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

20-चन्दौली, सकलडीहा, सैदपुर सम्पर्क मार्ग से कुरा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य,

21-गुरेरा, रामगढ़ से पलिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य,

22-चन्दौली-कैली मार्ग से ककरही मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में,

23-सरेसर धूस मार्ग से आलमपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

24-भुपौली मुख्य नहर से बलुआ राजवाहा की पटरी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य,

25-रमौली शहीदगांव से बेलवानी सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

26-चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा अमिलाई प्रभुपुर की विशेष मरम्मत का कार्य,

27-भोजापुर रेलवे गेट से सकलडीहा स्टेशन (बरठी) तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य,

28-भोपौली मुख्य नहर की लाईनिंग का कार्य,

29-चहनिया व सकलडीहा चिकित्सालय की क्षमता बढ़ाये जाने का कार्य,

30-विद्युत उपकेन्द्र सकलडीहा की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में,

31-विद्युतीकरण से छूटे गांव व मजरों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

32-जनपद चन्दौली में स्टेडियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

33-जनपद चन्दौली के विकास सभा सकलडीहा ड्रेनों (लेहरा मनीहरा ड्रेन, रॉयल ताल ड्रेन, धूस नोनार ड्रेन, बाढ़ गंगा ड्रेन, नादी निधौरा ड्रेन, चन्दा ताल ड्रेन आदि की सफाई/ खुदाई) के सम्बन्ध में।''

श्री अमिताभ बाजपेई

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है। :-

1-विधान सभा क्षेत्र आर्य नगर कानपुर में धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम हेतु एक भव्य महोत्सव पंडाल फूल बाग में केडीए द्वारा बनाए जाने के सम्बन्ध में,

2-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर में जाम की समस्या से निपटने हेतु परेड से मूलगंज होते हुए घंटाघर व सरसैया घाट से बड़ा चौराहा होते हुए बांसमंडी तक एलिवेटेड रोड बनाए जाने के सम्बन्ध में,

3-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में नगर निगम के द्वारा पूर्व संचालित धनकुट्टी अस्पताल का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में,

4-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में शिवाला स्थित चूड़ी मार्केट अत्याधुनिक बनाए जाने एवं उसके ऊपर मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के सम्बन्ध में,

5-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में स्थित मुर्गा मार्केट एवं मछली मार्केट को अत्याधुनिक बनाए जाने के सम्बन्ध में,

6-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में कचहरी के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर जाम की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

7-विधान सभा क्षेत्र आर्य नगर कानपुर नगर सरसैया घाट पर गंगा जी के पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में।

8-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर में नगर निगम के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हडसन स्कूल तक इवनिंग फूड वेडिंग जोन का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में,

9-विधान सभा क्षेत्र आर्य नगर कानपुर नगर में स्थित डफरिन अस्पताल में नवनिर्मित एनआईसीयू में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में,

10-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में स्थित जिला अस्पताल उर्सला में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने के सम्बन्ध में,

11-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर में बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आईसीयू बनाए जाने के सम्बन्ध में,

12-विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर कानपुर नगर के हीरामन पुरवा स्थित नगर निगम इंटर कॉलेज को अत्याधुनिक बनाए जाने के साथ उसमें इंटर में विज्ञान कक्षा शुरू कराए जाने के सम्बन्ध में।

13-पांडुनगर बीमा अस्पताल में निर्मित अस्पताल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में।

14-मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में एवं जेके कैंसर हॉस्पिटल में एक-एक आईसीयू बनाए जाने के सम्बन्ध में।

15-ठेला, पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में।

16-तिलक नगर कानपुर में कानपुर हॉट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

17 जिला अस्पताल में मुफ्त एम0आर0आई0 एवं सीटी स्कैन कराए जाने के सम्बन्ध में।''

श्री मोहम्मद हसन रूमी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-छावनी विधान सभा कानपुर नगर बीएन भल्ला बाबू पुरवा अस्पताल को पी0पी0 मॉडल पर 100 सैया स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के सम्बन्ध में,

2-छावनी विधान सभा कानपुर नगर का बहुत बड़ा अविकसित व ग्रामीण क्षेत्र को जोड़कर बना है जिसमें सोसाइटी बनाकर खेतों में प्लाटिंग करके लोग अपने आवास बनाकर रह

रहे हैं जिसमें पानी बिजली सड़क के विकास के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। जो कानपुर स्मार्ट सिटी योजना में मखमल पर टाट के पेवन का काम कर रहा है। इसलिए छावनी विधान सभा के इस क्षेत्र में संपूर्ण विकास के सम्बन्ध में,

3-छावनी विधान सभा कानपुर नगर के अंतर्गत बाबू पुरवा सुजातगंज जाजमऊ में महिला महाविद्यालय बनाए जाने के सम्बन्ध में।''

श्री संदीप सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2-प्रयागराज के मेजा विधान सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सम्बन्ध में,

3-मेजा विधान सभा के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी लोक निर्माण विभाग की सड़कों को सात मीटर किये जाने के सम्बन्ध में,

4-मेजा विधान सभा में मिर्जापुर रोड से जुड़ी फोरलेन रेलवे लाईन के किनारे ग्रामवासियों के सुविधा के लिए अन्डरपास के सम्बन्ध में,

5-मेजा विधान सभा में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,

6-मेजा विधान सभा के अन्तर्गत माण्डा रोड चौराहे से महानगर/सीटी बस चलाने के सम्बन्ध में,

7-प्रयागराज से मिर्जापुर मार्ग पर जल निकासी हेतु पुरानी पानी की व्यवस्था बहाल करने के सम्बन्ध में,

8-विधान सभा मेजा में कैंसर अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

9-बेरोजगार युवाओं हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

10-सरकार पर निरंकुशता पर लगाम लगाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में,

12-महिलाओं की सुरक्षा हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

13-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल की समस्या हेतु हैण्डपम्प के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश के नहरों को आदर्श नहर बनाते हुए सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,

16-जनपद प्रयागराज में सिरसा से डेगुरपुर घाट के बीच गंगा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में,

17-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,

18-प्रदेश में किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

19-आवारा/छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त किये जाने के सम्बन्ध में।''

श्री हिमांशु यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-जनपद बदायूँ के शेखूपुर विधान सभा में प्राचीन शिवधाम बुर्रा अहिरवारा को पर्यटन एवं तीर्थ स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-राजकीय मेडिकल कालेज बदायूँ में पैरामेडिकल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-दि किसान सहकारी चीनी मिल शेखूपुर की क्षमतावृद्धि कराने के सम्बन्ध में,

4-ग्राम वची झझरऊ में 33 के0वी0ए0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

5-ग्राम कुआडांडा में 33 के0वी0ए0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

6-ग्राम रेवा में 33 के0वी0ए0 बिजली घर की स्थापना के सम्बन्ध में,

7-ग्राम पंचायत शेखूपुर को परिवर्तित कर नगर पंचायत की स्थापना के सम्बन्ध में,

8-विकास खण्ड कादरचौक पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-नगर पंचायत सखानूँ में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-ग्राम पंचायत शेखूपुर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।''

डा0 रागिनी सोनकर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. ग्राम सभा घनापुर चौरा देवी मंदिर से मनौरा बार्डर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 700 मी0।

2. जुनियर हाईस्कुल घनापुर से धावा बार्डर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

3. बधवा जमालपुर मार्ग से जित बहादुर पटेल के मशीन तक इण्टरलॉकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

4. ग्राम सभा बघनरी में जयप्रकाश पटेल के घर से राममुरत पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

5. ग्राम सभा मंगरा पटेल बस्ती में पक्की रोड से रमाशंकर पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

6. ग्राम सभा हसीया पी0डब्लू0डी0 सड़क से सभाजीत बिंद के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

7. ग्राम सभा बधवा-जमालापुर पक्की रोड से विरेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

8. ग्राम सभा सरावां पुराही बनपुरवा प्रधान मंत्री सड़क से साहबलाल गौतम के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

9. गहली भदराव पक्की सड़क से पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

10. भदराव पाण्डेपुर पक्की सड़क से गौतम बस्ती होते हुए कैलाश दूबे के घर तक इण्टरलॉकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

11. ग्राम सभा कुर्नी नहर की पुलिया से गौतम बस्ती में मेवालाल गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 500 मी0।

12. ग्राम सभा भिंदुना राजदेव पाल के घर से लड्डू के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 350 मी0।

13. ग्राम सभा दाऊदपुर पतुलकी इण्टरलाकिंग से आगे अइलहा पिचरोड तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 300 मी0।

14. ग्राम सभा राजापुर पकड़ी में नहर रामजस के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 170 मी0।

15. ग्राम सभा तिलौरा में अमर बहादुर के घर से श्यामलाल के मशीन तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

16. ग्राम सभा खरैयामऊ में पिच रोड से समयनाथ यादव के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

17. ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में रानप्रशाद के घर से बरमदेव के मकान तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 150 मी0।

18. ग्राम सभा कोठारी में विजय बहादुर के घर से पुरूषोत्तम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

19. ग्राम सभा रामपुर चौथार में धनराज यादव के घर से रामशिरोमणि के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

20. ग्राम सभा खाखोपुर में पक्की सड़क से जय प्रकाश प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

21. ग्राम सभा टेकारडीह में जन्मदिन के घर से राजनारायण के चक से चौराहे तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

22. ग्राम सभा बसेरवा जंहाई जरौना मार्ग से यट बस्ती तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

23. ग्राम सभा जरौना में उदयराज की मशीन नाले तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

24 ग्राम सभा लासा में गोदाम से आनंद विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

25. ग्राम सभा कटाहित खास भारत s/o रामकुमार के घर के नाले पर पुल निर्माण एंव इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

26. ग्राम सभा बघनरी में जयप्रकाश पटेल के घर में राममुरत पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

27. ग्राम सभा कुठा में गोपाल पट्टी सरद से बलिराम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

28. ग्राम सभा मीठेपार में सुरेश पाठक के घर से धनश्याम यादव के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

29. ग्राम सभा फत्तोपुर में पक्की सड़क से कैश लाल के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

30. ग्राम सभा उतिराई में निलेश के घर से प्रेम प्रकाश के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

31. ग्राम सभा पिपरा औरैला में महमदपुर सम्पर्क मार्ग से दया यादव के बिल्डिंग मटेरियल तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

32. ग्राम सभा आदमपुर में जिला पंचायत रोड से धनराज के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

33 ग्राम सभा पाली में हौशिला प्रसाद के घर से लालमनि यादव के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

34. ग्राम सभा पोहा में दिनेश के चक से सरजू देवी के चक तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

35. ग्राम सभा कुसा में आलमगंज काना मार्ग से चन्द्रेश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

36. ग्राम सभा मलसिल में पक्की सड़क से भगतान तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

37. ग्राम सभा भगेरी में प्राथमिक विद्यालय पिच रोड से विसेनीपुर होते हुए पोखरा पिच रोड तक इण्टरलाकिंग नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 200 मी0।

38. ब्लाक बरसठी, ग्राम गद्दोपुर में कैलाश पाल के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

39. ब्लाक बरसठी, ग्राम भौरास थानूपुर में पाल यादव बस्ती रामसहारे के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

40. ब्लाक बरसठी, ग्राम महमदपुर इन्द्रबहादुर के घर के पास क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

41. ब्लाक बरसठी, ग्राम चकनरायनपुर में ओमप्रकाश यादव लेखपाल के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

42. ब्लाक बरसठी, ग्राम अम्बरपुर विनोद यादव प्रधान के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

43. ब्लाक बरसठी, ग्राम भैसहा यादव बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

44. ब्लाक बरसठी, ग्राम गारोपुर लालबहादुर यादव के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 63-100 के0 वी0 एवं जमींदार गौतम के घर के बगल में 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

45. ब्लाक बरसठी, ग्राम पाली, यादव बस्ती में श्रीनाथ के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

46. ब्लाक बरसठी, ग्राम घनापुर में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 एवं पाल जी के बगीचे में 60-100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

47. ब्लाक बरसठी, ग्राम भदरांव में लालबहादुर मौर्या के पम्पिंग सेट के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 63-100 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

48. ब्लाक बरसठी, ग्राम आदमपुर खास यादव व ठाकुर बस्ती एवं बिन्द बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

49. ब्लाक बरसठी, ग्राम पल्टूपुर झलिया में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

50. ब्लाक बरसठी, ग्राम असवां गौतम बस्ती में नाले पर क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

51. ब्लाक बरसठी, ग्राम परईपुर पटेल बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 63-100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

52. ब्लाक बरसठी, ग्राम मनापुर गौतम बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

53. ब्लाक बरसठी, ग्राम बहसहरा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

54. ब्लाक बरसठी, ग्राम महुआरी में दुर्गा देवी यादव बस्ती में 25 के0वी0 का नया ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

55. ब्लाक बरसठी, ग्राम बारीगॉव में पानी की टंकी पर एवं कठार सरोज बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 तथा देवकली अनुसूचित बस्ती एवं बरबसपुर मुस्लिम बस्ती में 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

56. ब्लाक बरसठी ग्राम बनकट में गिरी बस्ती, पाल बस्ती, गौतम बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

57. ब्लाक बरसठी, ग्रामसभा पल्टूपुर मौर्या बस्ती चौराहा एवं राजबहादुर मास्टर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 63-100 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

58. ब्लाक बरसठी, ग्राम आलमगंज में यादव, शर्मा, मुस्लिम बस्ती व दयाशंकर यादव के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

59. ब्लाक मड़ियाहूँ, ग्राम अरुआवां में शिवशंकर के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

60. ब्लाक मड़ियाहूँ के चेरई का पुरा ग्रामसभा कुरनी में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

61. ब्लाक मड़ियाहूँ के ग्राम कसनही प्रदीप यादव के घर के बगल में व सभाजीत यादव के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

62. ब्लाक मड़ियाहूँ के ग्रामसभा पहसना (पतारी) में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

63. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम जमालपुर के (घोरहा) मजरे में विशाल यादव के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

64. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम टेकारडीह, तिलहरी में क्षमता वृद्धि करते हुये 10 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

65. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम बरेठी, यादव बस्ती में नहर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

66. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम पहाड़पुर के राजस्व ग्राम-जलालाबाद में रामजीत गौतम के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

67. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम पहाड़पुर के राजस्व ग्राम-निकामुद्दीनपुर मे विजय यादव के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

68. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम ख्वाजापुर, चकरहमानपुर, राजबहादुर यादव के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

69. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम अगहुआ यादव बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

70. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम बसेरवा में जवाहर इण्टर कॉलेज के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0 वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

71. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम उमापुर के कादनपुर मजरे में यादव बस्ती में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

72. ब्लाक मछलीशहर के ग्रामसभा कटाहित खास के सगरे मजरे में छब्बी देवी विद्यालय के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

73. ब्लाक मछलीशहर के ग्रामसभा कटाहित खास के सगरे मजरे में अरविन्द गौतम के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 10-25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

74. ब्लाक मछलीशहर के ग्रामसभा कटाहित खास के सगरे मजरे में भुलई मौर्या के घर के बगल में क्षमता वृद्धि करते हुये 25-100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

75. ब्लाक मछलीशहर के ग्राम लासा के पाल बस्ती में कनेक्शन के अनुसार क्षमता वृद्धि करते हुये 10 के0 वी0 से 63 के0वी का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

76. ब्लाक बरसठी के राजस्व ग्राम रामपुर में कनेक्शन के अनुसार क्षमता वृद्धि करते हुये 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

77. ब्लाक बरसठी के राजस्व ग्राम खजुरी में कनेक्शन के अनुसार 63 के0वी0ए0 का क्षमता वृद्धि करते हुये 250 के0 वी0 ए0 एवं 25 के0वी0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

78. ब्लाक बरसठी के राजस्व ग्राम रामपुर में कनेक्शन के अनुसार क्षमता वृद्धि करते हुये 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

79. ब्लाक बरसठी के राजस्व ग्राम हटिया में कनेक्शन के अनुसार 63 के0वी0ए0 का क्षमता वृद्धि करते हुये 100 के0 वी0 ए0 एवं 25 के0वी0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

80. रेलवे क्रासिंग जरौना में सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

81. रेलवे क्रासिंग बरसठी सरसरा में सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

82. रेलवे क्रासिंग हरिपुर बरसठी (भन्नौर) में सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

83. महुवारी बनकट में दुर्गा देवी घाट पर रपटा पुल सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

84. ग्राम सभा देवरिया में शिव मंदिर के पास बरवी नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

85. ग्राम सभा टेकारडीह बेलासिन में बसुही नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

86. ग्राम सभा कोरमलपुर अरवी नदी पर पीपा पुल सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

87. ग्राम सभा फत्तूपुर एवं पोखरियापुर सई नदी घाट पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

88. ग्राम सभा भटेवरा से उत्तर तरफ बसुही नदी पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

89. वाराणसी मण्डल में सभी जिला अस्पतालों में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करने एवं निःशुल्क जांच के निर्देश देने के सम्बन्ध में।

90. जौनपुर के सी0एच0सी0 पर मानक के अनुसार कम से कम तीन सफाई कर्मी नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में।

91. मछलीशहर में डॉ0 वशी के पुल से जामा मस्जिद मैदान तक व मोहल्ला पुरा काजीह पुरादोसी मस्जिद के पास से बब्बर सभासद के घर तक कब्रिस्तान में सड़क पर एवं चौहट्टा मोहल्ले में विद्युतीकरण व खराब तारों को बदलने के सम्बन्ध में।

92. जौनपुर में ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के सम्बन्ध में।"

श्री विनोद चतुर्वेदी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

01. कालपी नगर मे रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जाय। बस स्टैण्ड न होने से खुले आसमान के नीचे यात्रियों को बसों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

02. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालपी में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं ई0सी0जी0 मशीन लगायी जाय। यहॉ के मरीजों को बाहर जाना पड़ता है।

03. कालपी नगर में यमुना नदी के प्राचीन घाटों का जीर्णोद्धार कराया जाय क्योंकि संरक्षण न मिलने के कारण घाटों की हालत बहुत ही खराब है। श्रद्धालुओं को स्नान करने में कठिनाई होती हैं।

04. विश्व के तीन प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर कोणार्क, मुल्तान कालपी में स्थित है। कालपी के सूर्य मन्दिर के वर्तमान में

अवशेष बचे हैं। सूर्य मन्दिर का पुनः नवनिर्माण कराकर कालपी से सूर्य मन्दिर तक आने जाने का मार्ग निर्माण कराया जाय।

05. कालपी तहसील के महेवा ब्लाक के मैनूपुर पम्प कैनाल को पूरी क्षमता के साथ चलाने हेतु एवं सिचाई हेतु नाली अथवा पाइप लाइन बिछाकर उस क्षेत्र के किसानों की भूमि सिंचित कराई जाय।

06. कालपी नगरी ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टिकोण से अपना एक महत्व रखती है। यहॉ की ऐतिहासिक एवं पौराणिक धरोहरों का संरक्षण किया जाय।

07. कालपी नगर हाथ कागज उद्योग का प्रमुख केन्द्र है। इसके लिए अलग विद्युत फीडर बनाया जाय तथा 24 घण्टे विद्युत सप्लाई की जाय।

08. कालपी मदारीपुर, कदौरा, हमीरपुर के लिए रोडवेज बसों का संचालन कराए जाए ताकि नागरिकों को सुविधा हो।

09. उरई मुख्यालय से कालपी के बीच सटल रोडवेज बस सेवा शुरू की जाए।

10. कालपी तहसील के कान्हा गौशाला का निर्माण कराए जाये।

11. चन्दरसी पम्प कैनाल जो बेतवा नदी से निकली है उसको पुनः चालू कराया जाय जिससे किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई हो सके।

12. विकास खण्ड कुठौन्द में उरई औरैय्या मार्ग से सुरावली तक लगभग 2.5 किमी0 डामरीकरण कार्य।

13. विकास खण्ड कुठौन्द में ग्राम हरसिंगपुर में उरई औरैय्या रोड से शहजादेपुर माड तक डामरीकरण कार्य लगभग 1700 मीटर।

14. विकास खण्ड कुठौन्द में ग्राम मिहौना से दौलतपुर तक लगभग 1500 मीटर डामरीकरण कार्य।

15. विकास खण्ड कुठौन्द में सनगढ़ निजामपुर रोड से लोमस ऋषि आश्रम तक लगभग 2 किमी0 डामरीकरण कार्य।

16. विकास खण्ड कुठौन्द में पीपरी नौरेजपुर से दौनापुर वामा खरका रोड होते हुए लगभग 2 किमी0 डामरीकरण कार्य।

17. विकास खण्ड कदौरा में ग्राम पंचायत बबीना में इण्टर कालेज से भरोसा के मकान तक सी0सी0 या डामर कार्य निर्माण 200 मीटर।

18. विकास खण्ड कदौरा में सूरज ढाबा (मेन रोड हमीरपुर) से पंचायत घर तक डामरीकरण कार्य निर्माण 1 किमी0।

19. विकास खण्ड कदौरा में ग्राम डिमुहा का डेरा पुल से सिवनी मार्ग तक डामरीकरण से लेपन कार्य लगभग 01 किमी0।

20. विकास खण्ड कदौरा में ग्राम चंदरसी से कुन्हेटा तक डामरीकरण से लेपन कार्य लगभग 01 किमी0।

21. विकास खण्ड कदौरा में ग्राम मुहारी समीरवेग के दरवाजे से लाल बेग की चक्की तक डामरीकरण से लेपन कार्य लगभग 01 किमी0।

22. विकास खण्ड महेवा में ग्राम बिनौरा वैद्य से सिहारी दाऊदपुर पक्की सड़क तक डामरीकरण से लेपन कार्य लगभग 2200 मी।

23 विकास खण्ड जालौन में जालौन-बाबई मार्ग से सूरजपुरा होते हुए बिरहरा से नगरी मार्ग तक नव निर्माण डामरीकरण से लेपन कार्य।''

डा0 शिव प्रताप यादव

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-उतरौला पंचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौजेज-17700 से 38850 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के सम्बन्ध में।

2-भगवानपुर खादर-हज्जीडिहवा पजोहा सम्पर्क मार्ग पर भगवानपुर घाट पर बूढ़ी राप्ती नदी पर सेतु निर्माण कार्य वि0ख0 पंचपेड़वा के सम्बन्ध में।

3-सेमरी-सिसई सम्पर्क मार्ग पर धोबहा नाला पर सेतु निर्माण कार्य वि0ख0 गैसड़ी के सम्बन्ध मे।

4-कल्यानपुर-हरखड़ी सम्पर्क मार्ग पर सोनी नाले पर सेतु निर्माण कार्य वि0ख0 पंचपेड़वा के सम्बन्ध में।

5-भगवानपुर खादर से कोहरगड्डी सम्पर्क मार्ग पर स्थानीय नाले पर सेतु निर्माण कार्य वि0ख0 पंचपेड़वा के सम्बध में।

6-भगवानपुर कोडर एवं सोनपुर के सरहद पर पुल का निर्माण कार्य वि0ख0 पंचपेड़वा के सम्बन्ध में।

7-पंचपेड़वा-चन्दनपुर मार्ग से ग्राम भगवानपुर कोड़र के नरकटिया नाला पर लघु सेतु निर्माण कार्य वि0ख0 पंचपेड़वा के सम्बन्ध में।

8-तुलसीपुर गौरा मार्ग से दीनाडीह सम्पर्क मार्ग पर पुल निर्माण कार्य विकास खण्ड पंचपेड़वा के सम्बन्ध में।

9-एन0एच-730 पर रजडेरवा चौराहा से भगवानपुर शिवपुर एवं औरहवा होते हुए चन्दनपुर उतरौला मार्ग तक विशेष मरम्मत कार्य लम्बाई 7.00 किमी0 वि0ख0 पचपेड़वा के सम्बन्ध में।

10-चन्दनपुर-उतरौला मुख्य मार्ग से बरगदवा सैफ बड़गों तक विशेष मरम्मत कार्य वि0ख0 पंचपेड़वा के सम्बन्ध में।

11-लालापुर-भोजपुर थारु मुख्य मार्ग पर खखरा रमवापुर होते हुए जरवा चित्तौड़गढ़ बांध प्रधानमंत्री सड़क तक विशेष मरम्मत कार्य लम्बाई 3.00 किमी वि0ख0 गैंसड़ी के सम्बन्ध में।

12-पंचपेड़वा-चन्दनपुर मुख्य मार्ग पर सेमरा से करहईया तक विशेष मरम्मत कार्य लम्बाई 1 किमी0 वि0ख0-पचपेड़वा के सम्बन्ध में।

13-एन0एच-730 से मटेहना चौराहा से मटेहना गांव होते हुए बगहीसीर गांव तक लम्बाई 4 किमी0 विशेष मरम्मत कार्य वि0ख0-गैसडी के सम्बन्ध में।

14-सी0एच0सी0 लठावर से रेलवे लाइन के बगल से नहर पुल तक विशेष मरम्मत कार्य दूरी-2 किमी0 वि0ख0 गैसड़ी के सम्बन्ध में।

15-तुलसीपुर जरवा मुख्य मार्ग से चैनपुर वाया मचड़ी विशेष मरम्मत कार्य दूरी 3 किमी0 वि0ख0-गैसड़ी के सम्बन्ध में।

16-ग्राम विस्कोहर मुख्य मार्ग पर कोल्हुई भोजपुर चौराहा से थरुवा थारवनिया होते हुए टेगनहवा तक विशेष मरम्मत कार्य दूरी 3 किमी0 वि0ख0 गैसड़ी के सम्बन्ध में।

17-बलोहना मोड़ से मैनिहवा तक विशेष मरम्मत कार्य दूरी 1 किमी0 वि0ख0 गैसड़ी के सम्बन्ध में।

18-गैसड़ी-विस्कोहर मुख्य मार्ग पर पलईडीह गांव से राजपुर बकौली होते हुए भाभर नाला तक विशेष मरम्मत कार्य दूरी 3 किमी0 वि0ख0 गैसड़ी के सम्बन्ध में।

19-तुलसीपुर-गौरा मुख्य मार्ग से दीनाडीह गांव तक विशेष मरम्मत कार्य दूरी 2 किमी0 वि0ख0 गैसड़ी के सम्बन्ध में।

20-भगवानपुर त्रिलोकपुर मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2X5 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

21-गनेशपुर मधवापुर लक्ष्मीनगर मार्ग के किमी0 15 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2X5 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

22-उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग के किमी0 23 में 2X5 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

23-उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग किमी0 26 में 2X5 मी0 स्पान आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

24-भोजपुर रेहरा चौकी सम्पर्क मार्ग के किमी 7 में 2X5 मी0 स्पान लघु सेतु पहुँच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

25-उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग से मदरहिया सम्पर्क मार्ग के किमी0 4 में क्षतिग्रस्त डीप के स्थान पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

26-कटौआ ओरिसिंहडीह सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 में 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

27-बिलोहा जंहदरिया बेनी नगर मार्ग के किमी0 10 में चौकिया में चौकिया चौराहे पर स्थित स्थानीय नाले पर स्थित डिप के स्थान पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

28-सोनाहाटी से भैराहवा के पास नकटी नाला पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु पहुँच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

29-भोजपुर रेहरा चौकी सम्पर्क मार्ग के किमी0 11 के आगे 3X18 मी0 लघु पहुँच एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

30-बेनीनगर गैसड़ी जरवा पर राजपुर चौकी बकौली गांव के पास कवई नाला पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

31-बल्देवनगर मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

32-गौरा बनगहा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

33-तुलसीपुर पचपेड़वा मार्ग से लठावर सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

34-सोनपुर पुरैना बालापुर मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

35-मोतिहवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

36-लठावर चुक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

37-पकड़ी सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

38-भरिया सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

39-देवलहा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

40-बभनपुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

41-लैकहवा से आदमतारा का अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

42-बरगदहा कला मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

43-सिसवा मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

44-कठोआ ओरीसिंहडीह मार्ग से प्रेमनगर का निर्माण कार्य।

45-पहलवानपुर से टिकुईया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

46-हज्जीडीह सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

47-यू0पी0सी0 से नटेहवा तक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

48-सिसहनिया गोपालपुर मार्ग से रामनगर तक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

49-भोजपुर से बैरिहवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

50-यू0पी0सी0 से सिसवा का अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

51-खाखादेई से हरैया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

52-यू0पी0सी0 से बनकटवा का अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

53-भागवानपुर त्रिलोकपुर मार्ग के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2x6 मी0 स्पान लघु सेतु का निर्माण।

54-गनेशपुर मधवापुर लक्ष्मीनगर मार्ग के किमी0 15 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु का निर्माण।

55-भोजपुर रेहरा चौकी सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 में 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु पहुँच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

56-सुखरामपुर से बिलोहा मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त भाग रपटा पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

57-जीतपुर सम्पर्क मार्ग पर किमी0 1 पर 1x6 मी0 स्पान लघु सेतु पहुँच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

58-उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग से मदरहिया सम्पर्क मार्ग के किमी-4 में क्षतिग्रस्त डीप के स्थान पर 2X6 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे।

59-कठौआ ओरिसिंह डीह सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 में 5X6 मी0 स्पान लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।

60-बिलोहा जंहदरिया बेनी नगर मार्ग के किमी0 10 में चौकिया में चौकिया चौराहे पर स्थित स्थानीय नाले पर स्थित डिप के स्थान पर 5X6 मी0 स्पान लघु सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।

61-वि0स0क्षेत्र गैसड़ी तहसील तुलसीपुर के ग्राम सभाओं ललभरिया, भगवानपुर खादर, इमिलिया खादर, कटइया भारी, गौराभारी, विजयनगर, कोइलाखार, चिंवहिहवा, हन्नहवा सुस्ता, गौरा बगलहा, मनकी बगहिया, त्रिलोकपुर, धोबहा, पिपरिहा, जमुनी के किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

62-वि0स0 क्षेत्र गैसड़ी के तहसील तुलसीपुर के थारु जनजाति बाहुल्य ग्राम सभाओं विशनपुर, विश्राम, मुसहर, उंचवा, भगवानपुर, कोढ़र, इमिलिया कोंढर, मुतेहरा, सोनगढ़ा, रजडेरवा थारु शुकुरुवा कला, मढ़नी, सेमरहवा, कंचनपुर, नरिहवा, भवानीपुर, कला, गोहली, सड़ली, विशुनपुर, कोंढर चन्दनपुर, में थारु जनजाति के गरीबों को मुख्यमंत्री आवास प्रदान करने के सम्बन्ध में।

63-थारु जनजाति की छात्राओं को साइकिल वितरण के सम्बन्ध में।

64-ग्राम कपरसा पलईडीह वि0स0क्षे0 गैसड़ी में निर्माणाधीन पालीटेक्निक का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।

65-ग्राम मनोहरापुर पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से ग्राम तिलकहना प्रधानमन्त्री सडक तक नवनिर्माण कार्य लगभग 750 मीटर (विकास खण्ड पचपेडवा)।

66-ग्राम कल्यानपुर बरगदवा से दिलावलडीह, हिसामपुर, विश्रामपुर होते हुए चाईडीह तक नव निर्माण कार्य लगभग 03 कि0मी0 (विकास खण्ड पचपेडवा)।

67-ग्रामसभा पिपरीहाजमुनी के मोणिवाडीह से भैसहवा तक नव निर्माण कार्य लगभग 2 कि0मी0/विकास खण्ड पचपेडवा।

68-बड़गों से थुम्हवा होते हुए हरमहवा परशिया चौराहा तक निवनिर्माण कार्य लगभग 4 कि0मी0/विकास खण्ड पचपेडवा।

69-ग्राम इमिलिया खादर से कोहरगड्डी खादर होते हुए कलुवाभारी तक नव निर्माण कार्य लगभग 4 किमी/विकास खण्ड पचपेडवा।

70-केपलपुर मिश्रौलिया सम्पर्क मार्ग से आगे फरदहिया डीह होते हुए करत होते हुए टेमनहवा प्रधानमन्त्री सड़क तक नवनिर्माण कार्य लगभग 2 कि0मी0 विकास खण्ड गैस।

71-ग्राम वैरिहवा नगरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 3 कि0मी0 (विकास खण्ड पचपेडवा)।

72-ग्राम नरवाडीह से आता सम्पर्क का निर्माण कार्य लगभग 2 कि0मी0 (विकास खण्ड पचपेड़वा)।

73-कटय्यामारी नन्दनगर सम्पर्क लगभग 2 कि0मी0 नव निर्माण कार्य (विकास खण्ड पचपेड़वा)।

74-ग्राम नयानगर समुदलिया सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कार्य लगभग 1 कि0मी0 (विकास खण्ड पचपेड़वा)।

75-बडगों जू0हा0स्कूल से सरयू नहर तक नव निर्माण कार्य लगभग 2 कि0मी0 (विकास खण्ड पचपेड़वा)।

76-ग्रामसभा सवाल के मजरा सेवा से स्वनपुर गांव तक नवनिर्माण कार्य लगभग 2 कि0मी0 (विकास खण्ड गैसडी)।

77-पचपेड़वा-उतरौला मुख्य मार्ग पर आलमबाग चौराहा (ग्राम बरगदही) से कर्बला तक लगभग 1 किमी0 जीरो से लेपन स्तर निर्माण कार्य (वि0ख0 पचपेड़वा)।

78-ग्रा0पं0 कोहरगड्डी खादर से कोहरगड्डी डिहवा तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लगभग 500 मीटर (वि0ख0 पचपेडवा)

79-ग्रा0पं0 ललभरिया खादर में कालीथान स्थान से इमलिया खादर पुल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लगभग 500मी0 (वि0ख0 पचपेड़वा)।

80-सड़वा गुलरिहा से रतनपुर तक जीरो से लेपर स्तर निर्माण कार्य (वि0ख0 गैंसड़ी)।

81-ग्रा0पं0 त्रिलोकपुर मे पी0डब्लू0डी0 रोड से मो0 हसन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य लगभग 500 मी0 (वि0ख0 पचपेड़वा)।''

श्री पंकज कुमार मलिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में उच्च स्तरीय अस्पताल के निर्माण की घोषणा नहीं की गयी।

2-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल को नई तहसील बनाने की घोषणा नहीं की गयी।

3-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में राजकीय महिला महाविद्यालय बनाने की घोषणा नहीं की गयी।

4-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में मेडिकल कालेज निर्माण करने की घोषणा नहीं की गयी।

5-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में सूजड़ो, बंघरा व कुटेसरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा नहीं की गयी।

6-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक सदर में उच्च स्तरीय खेल का मैदान बनाने की घोषणा नहीं की गयी।

7-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी, कुटेसरा, निराना, सुजडु, नरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की घोषणा नहीं की गयी।

8-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों के पुनः निर्माण की घोषणा नहीं की गयी

9-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में हिण्डन नदी पर सिकन्दरपुर के सामने पीपलशाह और कुल्हेड़ी के मध्य नये पुल के निर्माण की घोषणा नहीं की गयी।

10-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम अटाली और नंगला के बीच निर्मित पुल के निर्माण की घोषणा भी नहीं की गयी।

11-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में साख-देवबन्द से निकलने वाली बंघरा माइनर को हरसौली तक पक्का करने की घोषणा नहीं की गयी।

12-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम बंघरा से बरवाला कोकर आगे तक जाने वाले नाले की पक्की पटरी को पुनः निर्माण कराने की घोषणा नही की गयी है।

13-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के मोहल्ला हेड़ी से जड़ौदा तक सड़क के पुनः निर्माण की घोषणा नहीं गयी।

14-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में किसान का बिजली बिल माफ करने की घोषणा नहीं की गयी।

15-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में किसानों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बाद भी उनके गन्ना मूल्य के बकाया पर ब्याज दिलाने की घोषणा नहीं की गयी।

16-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक सदर में सरकुलर रोड पर स्थित चौराहा जहाँ से रेलवे फाटक व श्रीराम कालेज के लिए सड़क जाती है, का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह के नाम पर ''चौधरी चरण सिंह चौक'' किये जाने की घोषणा नहीं की गयी।

17-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम कुटेसरा, देहचन्द, मुथरा व अन्य गाँवों का पानी नाले के रास्ते होता हुआ हिण्डन नदी में गिरता है जो कि गांव नंगला राई में मुड़ा हुआ है व नीचा है, जिसका पूरा पानी हिण्डन नदी में गिरने के स्थान पर संगीदा पत्नी श्री लियाकत अली ग्राम नंगला राई, ब्लाक चरथावल के खेतों में भर जाता है। नाले की दीवारों को ऊँचा करवाने की घोषणा नहीं की गयी।

18-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक सदर में मुजफ्फरनगर शहर में बाईपास से सुजडू चुंगी (सरकुलर रोड तिराहा) जो कि शहर का मुख्य प्रवेश द्वारा है, के सौन्दर्यीकरण की (दोनों किनारों पर वृक्षारोपण, सड़कों का चौड़ीकरण व दोनों तरफ इण्टरलॉकिंग व लाईट की व्यवस्था) की घोषणा नहीं की गयी।

19-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में पानीपथ खटीमा मार्ग से तिरपड़ी-बुडीना खुर्द मार्ग का पुनः निर्माण की घोषणा नहीं की गयी।

20-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम चरथावल, खुशरोपुर, अमीर नगर, बंघरा मार्ग तक सड़क निर्माण की घोषणा नहीं की गयी।

21-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम कुटेसरा से देवबन्द मार्ग तक सड़क निर्माण की घोषणा नहीं की गयी।

22-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम तावली से लच्छेड़ा तक सड़क मार्ग की घोषणा नहीं की गयी।

23-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम जड़ौदा से मौलाहेड़ी तक सड़क मार्ग की घोषणा नहीं की गयी।

24-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा नहीं की गयी।

25-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम कान्हाहेड़ी से न्यामू मार्ग तक लगभग 2.5 किमी0।

26-यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल में निरधना के चरथावल मार्ग की घोषणा नहीं की गयी।''

डा0 आर0 के0 वर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-प्रतापगढ़शिवगढ़ विकास खण्ड में एक महिला डिग्री कालेज एवं एवं महिला इण्टरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में,

2-प्रतापगढ़ की बकुलाही नदी पर पुरैना एवं नूरपुर कासा के मध्य पुल निर्माण के सम्बन्ध में,

3-प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में,

4-जनपद प्रतापगढ़ में उच्च शिक्षा हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में,

5-रानीगंज विधान सभा अन्तर्गत-फतनपुर-बीरापुर मार्ग लम्बाई 10 कि0मी0 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में,

6-ताला-दिलीपपुर लच्छीपुर चौहरजन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में,

7-देल्हूपुर से पुटेना होते हुये खुशिहालगढ़ मार्ग लम्बाई 6 कि0मी0 का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में,

8-सुवंशा मेडुवाडीह मार्ग लम्बाई 11 कि0मी0 का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में।''

पी0एस0यू0पी0एल0 188 विधान सभा (537)-18-02-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।